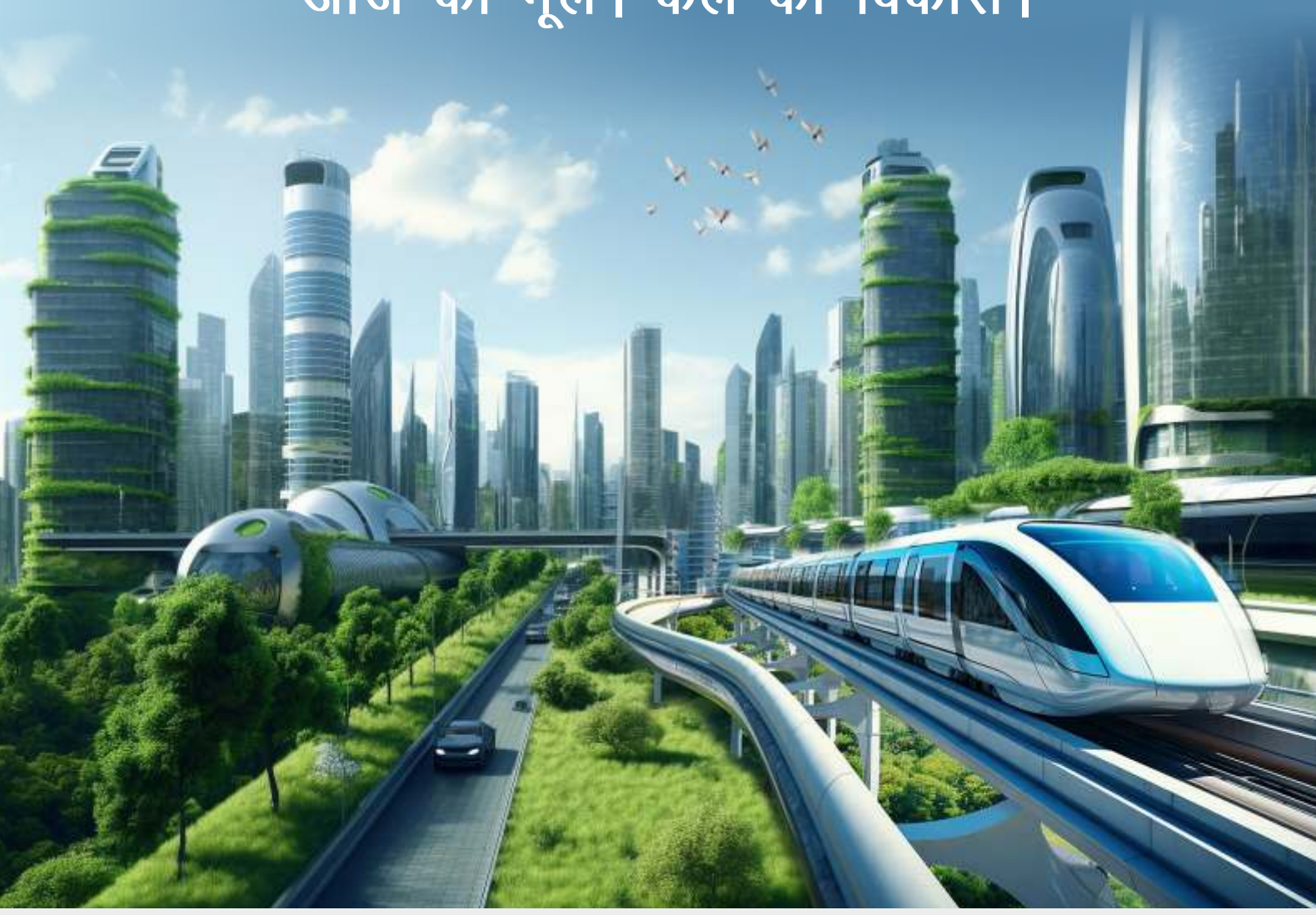
सेल SAIL

Great Place To Work. Certified DEC 2023 - DEC 2024 INDIA ™

स्मार्ट स्टील

आज का मूल। कल का विकास।



वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

एआर वीडियो का क्यूआर कोड स्कैन करें और उपयोग की अनुमति दें









मिशन 2024



कच्चा माल

- गुणवत्ता, उत्पादकता और अनुपालना को बढाना
- कच्चे माल, ऊर्जा और प्रक्रियाओं का ईष्टतम उपयोग



मानव सम्पदा और क्षमता निर्माण

नवाचार और सीखने के माध्यम से कर्मचारियों के लिए सहायक, सुरक्षित और आनंदित कार्यस्थल प्रदान करना ताकि सांझा सपनों का साकार किया जा सके



सुरक्षा: जिससे समझौता नहीं किया जा सकता

- प्रतिदिन सुरक्षित व्यवहार का विकास और अभ्यास
- कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य व्यवहार अपनाना



आपूर्ति श्रंखला का प्रबंधन

रणनीतिक योजना में प्रभावी रखरखाव, आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन और संसाधनों के ईष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने वाली गतिविधियों को शामिल करना होगा।



बाहर से नियुक्त कर्मियों के उचित हितों की सुरक्षा

- संचालन में बाहरी प्रतिभागियों के महत्व की पहचान
- अनुबंधित कर्मियों को समय पर और पूर्ण रूप से उचित बकाया का भुगतान सुनिश्चित करना



अकार्बनीकरण

उन्नत तकनीकी–अर्थव्यवस्था, ऊर्जा दक्षता, कचरा प्रबंधन और सुविधा उन्नयन के माध्यम से कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के व्यापक प्रयास



परियोजना कार्यान्वयन

भविष्य के लिए तैयार और लचीली परियोजनाओं को समय पर पूरा करना



डिजिटलीकरण

निर्माण, खनन और आपूर्ति श्रृंखला में डिजिटल और स्वचालन प्रौद्योगिकियों में निवेश करना, साथ ही निरंतर उन्नयन और कौशल विकास करना।



हितधारक संबंध और ग्राहक फोकस

- ग्राहक की संतुष्टि को प्राथमिकता देना
- निर्णय लेने में सक्रिय भागीदारी और ईमानदारी
- गुणवत्तापूर्ण, अनुकूलित, पर्यावरण के अनुकूल और विश्वसनीय स्टील उत्पादों के लिए ग्राहकों की मांगों को पूरा करना।



रोजगार संवर्धन

- अवसरों का सृजन, उच्च जिम्मेदारी की इच्छा और विविध रोजगार प्रोफाइलों की तलाश करना।
- ऐसा विकास करना जिसमें पेशेवर विकास, निरंतर सीखने, कौशल विकास और प्रशिक्षण शामिल हो



नवाचार के लिए स्वतंत्रता

नए विचारों, सुझावों और प्रयासों को अपनाना जो सेल के कार्य–प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं



ध्येय पथ

एक सम्मानित विश्व स्तरीय प्रतिष्ठान बनने के साथ–साथ भारतीय इस्पात व्यवसाय में गुणवत्ता, उत्पादकता, लाभप्रदता व उपभोक्ता संतुष्टि के क्षेत्र में अग्रणी रहना।

मूल मत

हम उपभोक्ताओं के साथ विश्वास एवं पारस्परिक हित पर आधारित चिरस्थायी संबंध बनाते हैं।

हम अपने व्यवसाय के संचालन में सर्वोच्च नैतिक मानकों को कायम रखते हैं।

हम एक ऐसी संस्कृति का सृजन और पोषण करते हैं जो नम्य एवं ज्ञानार्जन की समर्थक हो और परिवर्तन के प्रति सहक्रियात्मक हो।

हम कर्मचारियों को प्रगति एवं पुरस्कार के अवसरों से युक्त चुनौतीपूर्ण रोजगार पेश करते हैं।

हम लोगों के जीवन में अर्थपूर्ण बदलाव लाने के अवसर और दायित्व का महत्व समझते हैं।



विषय-सूची



पृष्ठ - 04
शेयरधारकों को पत्र



पृष्ठ - 07
कार्यप्रदर्शन के मुख्य अंश



पृष्ठ - 16
निदेशक मंडल



पृष्ठ - 18
लेखापरीक्षक और बैंकर



पृष्ठ - 19
दस वर्ष एक नज़र में, मूल्ययोजित/व्यावहारिक और शेयर धारिता पैटर्न



पृष्ठ - 25
बोर्ड की रिपोर्ट



पृष्ठ - 55
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट



पृष्ठ - 69
एकल वित्तीय विवरण (एसएफएस)



पृष्ठ - 142
एसएफएस पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट



पृष्ठ - 162
एसएफएस पर सी एण्ड एजी की टिप्पणियां



पृष्ठ - 166
सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट



पृष्ठ - 169
कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट

विषय-सूची



पृष्ठ - 185
कॉर्पोरेट प्रशासन पर प्रमाणपत्र



पृष्ठ - 186
व्यापारिक जिम्मेदारी और चिरस्थायित्व रिपोर्ट



पृष्ठ - 227
समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)



पृष्ठ - 313
सीएफएस पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट



पृष्ठ - 327
सीएफएस पर सी एण्ड एजी की टिप्पणियां



पृष्ठ - 332
सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं का विवरण (फार्म एओसी–1)



पृष्ठ - 334
धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों या निवेशों का विवरण



पृष्ठ - 335
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश और विदेशी विनिमय आयों और व्यय का विवरण



पृष्ठ - 340
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट



पृष्ठ - 342
प्रमुख कार्यकारी अधिकारी



पृष्ठ - 343
नोटिस



शेयरधारकों को संबोधित पत्र

प्रिय शेयरधारक,

आपको संबोधित करना और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे आशा है कि आप और आपके परिवार अच्छे, स्वास्थ्य और उत्साह में होंगे।

पिछले वर्ष के प्रदर्शन पर विचार करने और भविष्य की ओर देखने से मेरा यह विश्वास और मजबूत होता है कि एक संगठन के रूप में, हम अपने उद्योग में 'नंबर वन' अर्थात् सर्वश्रेष्ठ बनने की आकांक्षा रख सकते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर विकास के पथ पर है और अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। 2047 तक विकसित भारत के विज़न के साथ देश के सामाजिक, डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए भारत सरकार के निरंतर प्रयास ने देश के सभी क्षेत्रों में इस्पात की मांग को बढ़ावा दिया है। इस्पात एक चक्रीय उद्योग होने के कारण हमारी अंतर्निहित ताकत और मुख्य क्षेत्रों पर काम करने का हमारा प्रयास मुझे कंपनी के मजबूत और टिकाऊ भविष्य के बारे में बहुत आश्वस्त और आशावादी महसूस कराता है।

2023–24 के दौरान इस्पात उद्योग सहित वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर भू–राजनीतिक कारकों और आर्थिक अनिश्चितताओं का प्रभुत्व रहा। आगामी नई क्षमताएं, व्यापार उपाय पहल, मुद्रास्फीति दबाव, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी और चीन में मांग में कमी जैसी कई व्यापक आर्थिक चुनौतियों से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ हद तक प्रभावित हुईं, इन घटनाओं के परिणामस्वरूप इस्पात उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस्पात की कीमतों में कमी आई और कच्चे माल की कीमतों में उतार–चढ़ाव लगभग पूरे वर्ष रहा। हालांकि, भारत में इस्पात उद्योग घरेलू खपत पर ध्यान केंद्रित करके इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहा, जिसे बुनियादी ढांचे और विनिर्माण पर सरकारी व्यय द्वारा समर्थित किया गया।

सेल में हम दो मुख्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं: क्षमता उपयोग को अधिकतम करना और बाजार में उतार–चढ़ाव की अनिश्चितताओं से सुरक्षा के लिए अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम मूल्य प्रदान करना। इसके लिए उत्पादन में तेजी लाने, कच्चे माल को सुरक्षित करने, इनपुट की गुणवत्ता में सुधार करने, संसाधन जुटाने में दीर्घ अवधि के व्यावसायिक जोखिमों को कम करने और डीकार्बोनाइजेशन और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने में रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि हम हितधारकों के साथ अपने संबंधों को जारी रखेंगे, अपनी संपत्ति के उपयोग में सुधार करेंगे और सक्रिय रूप से कर्व से आगे रहेंगे।

दुनिया में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के अलावा, भारत की घरेलू खपत 136 मिलियन टन के स्तर पर पहुँच गई है, जो दुनिया में दूसरा सबसे अधिक है। प्रति व्यक्ति स्टील उत्पादन और खपत बढ़ने के साथ, भारतीय इस्पात उद्योग राष्ट्रीय इस्पात नीति में परिकल्पित लक्ष्यों की ओर प्रगति के लिए तैयार है। तदनुसार हम सेल में क्षमता जोड़ने की भी योजना बना रहे हैं।

इस अवसर पर, मैं आपको वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आपकी कंपनी की उपलब्धियों से अवगत कराना चाहूँगा। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 1,04,545 करोड़ रुपये का सर्वश्रेष्ठ बिक्री कारोबार हासिल किया।

लॉजिस्टिक बाधाओं, इनपुट कच्चे माल की कीमतों और उपलब्धता तथा सस्ते माल के आयात जैसी कई चुनौतियों का सामना बेहतर क्षमता उपयोग और संसाधनों के अनुकूलन द्वारा किया गया। इसके अलावा, परिचालन प्रथाओं में सुधार और उत्पाद मिश्रण को अनुकूलित करने के लिए ग्राहकों की मांग के गतिशील मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने से बाजार में अस्थिरता से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को कम करने में मदद मिली। सभी एकीकृत इस्पात संयंत्रों ने अपना सर्वश्रेष्ठ उत्पादन हासिल किया, जिससे अब तक का सबसे अच्छा कच्चे इस्पात क्षमता उपयोग लगभग 98.6 प्रतिशत रहा।

भविष्य में कंपनी की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए सेल ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान क्रमशः 20.5 मिलियन टन, 19.24 मिलियन टन और 18.44 मिलियन टन हॉट मेटल, क्रूड स्टील और बिक्री के लिए तैयार स्टील का उत्पादन करके वार्षिक उत्पादन प्रदर्शन में नए मानक स्थापित किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 5.5 प्रतिशत, 5.2 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज को करता है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने बड़े ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ) के बेहतर क्षमता उपयोग और बीएफ संचालन के अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करने के कारण कोक दर, सीडीआई दर, बीएफ उत्पादकता और विशिष्ट ऊर्जा खपत जैसे तकनीकी–आर्थिक मापदंडों के संबंध में अपना सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रदर्शन भी हासिल किया। इसके अलावा, नई इकाइयों को बढ़ाने के साथ–साथ प्रक्रिया सुधार में निरंतर हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप हॉट मेटल, क्रूड स्टील और सेलेबल स्टील की परिचालन क्षमता उपयोग में क्रमशः 100 प्रतिशत, 99 प्रतिशत और 102 प्रतिशत तक सुधार हुआ।

पोर्टफोलियो में मूल्यवर्धित उत्पादों को बढ़ाने की यात्रा जारी रखते हुए, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान नए खंडों सहित 25 नए स्टील उत्पाद पेश किए गए हैं।

फोर्जिंग, स्प्रिंग स्टील, ऑटो उद्योग, हाई–टेंसाइल टीएलटी सेगमेंट/जनरल इंजीनियरिंग आदि में अनुप्रयोगों के लिए 19एमएनबी4, एसयूपी 11ए, आईएस 11169 25सी10बीटी/एसएई 15बी/25 आदि जैसे विभिन्न मूल्यवर्धित सेमी विकसित किए गए हैं। ऑटोमोटिव घटक के लिए सेलफॉर्मिंग 410 और एचएसएफक्यू550 ग्रेड एचआर कॉइल, तेल और गैस पाइप लाइन के लिए एपीआई एक्स60/एक्स65/एक्स70 एचआर कॉइल और एलपीजी सिलेंडर के लिए आईएस 5914 एचएस345 2.2/2.5 मिमी एचआर कॉइल विकसित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आपकी कंपनी के विशेष इस्पात संयंत्रों में तेल पाइपलाइनों में उपयोग के लिए एआईएसआई एसएस 410 लो फॉस्फोरस लो सल्फर ग्रेड और परमाणु अनुप्रयोगों के लिए सीएफ–53 ग्रेड के सेमी विकसित किए गए हैं।

आपकी कंपनी अपनी स्थापना के समय से ही विभिन्न प्रतिष्ठित संरचनाओं और सामरिक महत्व की परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करके राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, सेल ने बिजली परियोजनाओं, सड़क, रेल, हवाई अड्डा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, तेल और गैस क्षेत्र आदि को महत्वपूर्ण मात्रा में इस्पात की आपूर्ति की है, जिनमें प्रमुख परियोजनाएं हैं बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, कलपक्कम परमाणु परियोजना, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना, वर्सोवा बड़ौदा सी लिंक परियोजना, मुंबई–दिल्ली एक्सप्रेसवे (सूरत–दाहोद पैकेज), रावतबाटा परमाणु संयंत्र, सोनमर्ग में ज़ोज़िला सुरंग, गंगा एक्सप्रेसवे (मेरठ से प्रयागराज), दिल्ली अमृतसर कटरा राजमार्ग, देवघर में एम्स, 52 सुरंगों और 149 पुलों के माध्यम से जिरीबाम–तुपुल–इम्फाल को जोड़ने वाली 111 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज विस्तार परियोजना, पटना में मोकामा रेलवे ब्रिज, पुरी में जगन्नाथ तीर्थयात्रा केंद्र और देश भर में कई प्रमुख बुनियादी ढांचागत विकास।

टीएमटी बार के लिए आपकी कंपनी के ब्रांडेड उत्पादों जैसे 'सेल सेक्यूआर' की लोकप्रियता वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 8.44 लाख टन की बिक्री दर्ज करके और मजबूत हुई है, जबकि पिछले वर्ष यह 5.61 लाख टन थी, जिससे 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। स्ट्रक्चरल के लिए ब्रांड 'नेक्स' भी उपभोक्ताओं के बीच लगातार बढ़ रहा है। रिटेल चैनल के माध्यम से बिक्री को और बढ़ावा देने के लिए, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 1–टियर चैनल में 41 और वितरक जोड़े गए। सेल ने लगभग एक मजबूत नेटवर्क स्थापित किया है। 31 मार्च, 2024 तक देश भर में 5200 डीलर और वितरक हैं।

इस्पात मंत्रालय द्वारा "मिशन पूर्वोदय" योजना के अंतर्गत, इस्पात खरीद में एमएसएमई सेगमेंट को प्रोत्साहित करने के अभियान को जारी रखते हुए, आपकी कंपनी द्वारा उन जिलों में एमएसएमई के विकास के लिए एक प्रोत्साहन योजना–"इस्पाती इलाकों का विकास–सेल के साथ" शुरू की गई थी, जिनमें हमारे एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थित हैं।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, इन एमएसएमई को 1,20,000 टन से अधिक विभिन्न स्टील उत्पाद बेचे गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, सेल ने एनएसआईसी/एसएसआईसी को 2.21 लाख टन स्टील की आपूर्ति भी की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि है।

कच्चे माल के मामले में, लौह अयस्क की कुल आवश्यकता आपकी कंपनी की कैप्टिव खदानों द्वारा पूरी की गई, जिससे लगभग 34.34 मिलियन टन (एमटी) का उत्पादन हुआ। कोयला और फ्लक्स जैसे अन्य इनपुट आंशिक रूप से कैप्टिव स्रोतों (अर्थात क्रमशः 1.18 एमटी और 2.02 एमटी) से प्राप्त किए गए।

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए, आपकी कंपनी ने लगातार तीसरे वर्ष 1 लाख करोड़ रुपये का कारोबार पार कर लिया है। वित्त वर्ष 24 के दौरान 1.05 लाख करोड़ रुपये के बिक्री कारोबार के साथ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1 प्रतिशत अधिक था, कंपनी ने वर्ष के दौरान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत अंतरिम लाभांश घोषित करके अपने निवेशकों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने अंतिम लाभांश के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत की सिफारिश की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) उद्देश्यों तथा डीपीई दिशा–निर्देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, आपकी कंपनी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास तथा महिला सशक्तिकरण जैसे राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। सेल को दिसंबर, 2023 में नई दिल्ली स्थित एकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मैकगिबोनी, इंस्टीट्यूशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में सेल के योगदान को विभिन्न मंचों पर स्वीकार किया गया है, जिससे प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनमें से, सेल को वित्त वर्ष 2023 के लिए जीईएम पर सबसे शीर्ष सीपीएसई खरीदार के रूप में स्वीकार किया गया। बोकारो स्टील प्लांट की कोल्ड रोलिंग मिल–III ने सीआईआई प्रोडक्शन अवार्ड्स (2023–24) में प्रथम पुरस्कार जीता। सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया।

पर्यावरण के प्रति जागरूक रहते हुए, आपकी कंपनी के सभी संयंत्र और खदानें कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति का पालन करते हुए, पारिस्थितिक संतुलन के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य करती हैं।



यह नीति पर्यावरण मानकों के अनुपालन पर जोर देती है और उनसे आगे बढ़ने के प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। सेल वायु उत्सर्जन, जल निर्वहन और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित स्थापित पर्यावरणीय मापदंडों के टंदर काम करता है। 2023–24 के दौरान, 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाए गए, जिसमें सेल संयंत्रों और खदानों में अब तक 22 मिलियन से अधिक पौधे लगाए गए हैं। बिगड़े हुए पारिस्थितिक तंत्रों के पुनर्वास के महत्व को स्वीकार करते हुए, मेघाहातुबुरु लौह अयस्क खदानों और किरीबुरु लौह अयस्क खदानों में खनन क्षेत्रों और अपशिष्ट डंपों की पारिस्थितिकी बहाली के लिए रांची के वन उत्पादकता संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुपालन में, पर्यावरण मंत्रालय और यूएनआईडीओ के साथ साझेदारी में बीएसपी में पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स (पीसीबी) के पर्यावरण के अनुकूल निपटान की सुविधा स्थापित की गई है।

आपकी कंपनी भारत सरकार की 'सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) योजना' के अनुरूप ऊर्जा–कुशल और टिकाऊ एलईडी लाइटिंग में बदलाव कर रही है। कंपनी के संयंत्रों और इकाइयों में दस लाख से अधिक एलईडी लाइटें लगाई गई हैं, और भविष्य की सभी परियोजनाओं में विशेष रूप से एलईडी लाइटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। सेल ने अपने संयंत्रों, इकाइयों और खदानों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत अभियान चलाया है और बिजली उत्पादन के साथ–साथ हीटिंग उद्देश्यों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सुविधाएँ स्थापित करना शुरू कर दिया है। सेल ने वर्ष 2028–29 तक अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 384 मेगावाट तक बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजनाएँ तैयार की हैं।

आपकी कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है, जैसा कि इसके विज़न और सिद्धांतों में रेखांकित किया गया है।

इस संदर्भ में, आपकी कंपनी का दर्शन पारदर्शिता, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है जो न केवल कानूनों, विनियमों और दिशानिर्देशों का पालन करता है–जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और डीपीई दिशानिर्देश शामिल हैं–बल्कि उनसे आगे निकलने का प्रयास भी करता है। सेल पूरे संगठन में नैतिक आचरण का समर्थन करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना है। यह प्रतिबद्धता कंपनी की नीतियों में स्पष्ट है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग पर जोर देती है। विभिन्न मंचों ने एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक और राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में आपकी कंपनी के मेहनती प्रयासों को मान्यता दी है, और इसे कई प्रशंसाएँ प्रदान की हैं। सेल ने अपने सभी संयंत्रों/इकाइयों में रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएमएस) को लागू करने वाली पहली महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बनने का गौरव प्राप्त किया है।

आपकी कंपनी ने कई डिजिटल पहल की हैं, जिससे व्यवसाय के प्रदर्शन को बढ़ाने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल परिवर्तन और उद्योग 4.0 प्रयासों में तेज़ी आई है। बेहतर ग्राहक जुड़ाव के लिए, बिक्री और विपणन अधिकारियों के लिए ग्राहक संपर्क मोबाइल ऐप पेश किया गया है जो ग्राहक के 360 डिग्री व्यू को कैप्चर करता है।

आपकी कंपनी का मानना है कि लोगों का विकास संगठन के समग्र विकास की कुंजी है।

कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि वे चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें और नई भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभा सकें। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 32,765 कर्मचारियों के लक्ष्य के मुकाबले कुल 45,314 कर्मचारियों को विभिन्न समकालीन तकनीकी और प्रबंधकीय मॉड्यूल पर प्रशिक्षित किया गया। सेल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संगठन ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा दिसंबर, 2023 से दिसंबर, 2024 की अवधि के लिए 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' के रूप में प्रमाणित किया गया है।

हमारे प्रयास लगातार हमारे हितधारकों के लिए मूल्य बढ़ाने की दिशा में निर्देशित रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम इस्पात उद्योग में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखें।

भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया हैः क्षमता का विस्तार, डिजिटलीकरण को तेज करना, कच्चे माल का प्रतिभूतिकरण और गुणवत्ता में वृद्धि, डीकार्बोनाइजेशन और हमारे कर्मचारियों का क्षमता निर्माण। जैसा कि हम अपने विकास पथ को रेखांकित करते हैं और आगामी दशक में बढ़ी हुई क्षमताओं की आशा करते हैं, हम इस्पात उद्योग को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार महत्वपूर्ण बदलावों से अवगत हैं, विशेष रूप से डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों और हरित ईंधन अपनाने के क्षेत्र में। हमारे कच्चे माल के संसाधनों की सुरक्षा और इन सामग्रियों की गुणवत्ता को बढ़ाने की हमारी पहल हमारी क्षमता बढ़ाने के साथ–साथ महत्वपूर्ण होगी। डिजिटलीकरण के लिए जोर हमारी प्रक्रियाओं और सेवाओं की दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण होगा, जो हमें हमारे ग्राहकों के विचारों में सबसे आगे रखेगा। हम अपने कर्मचारियों पर गर्व करते हैं, उन्हें एक अमूल्य संपत्ति मानते हैं और इस्पात उद्योग में भविष्य के परिवर्तनों के लिए उन्हें सुसज्जित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अंत में मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने सभी शेयरधारकों के प्रति उनके अटूट विश्वास और भरोसे के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने सम्मानित ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और बैंकरों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने बोर्ड के सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन और सलाह ने हमारे संचालन को अनुकूलित करने, दक्षता में सुधार करने और हमारे सभी व्यावसायिक प्रभागों में नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक मजबूत और जवाबदेह संगठन को आकार देने में उनकी अथक प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयासों के लिए हमारे समर्पित कर्मचारियों और संविदा कर्मियों को विशेष धन्यवाद। मैं निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए इस्पात मंत्रालय को विशेष धन्यवाद देता हूँ। हमारे सभी हितधारकों के प्रति, जिन्होंने इस कंपनी की नींव को मजबूत करने, इसे लचीला और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपके निरंतर समर्थन और शुभकामनाओं की ईमानदारी से उम्मीद करता हूँ और उसके महत्व को समझता हूं।

(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 3 सितंबर, 2024

वित्त वर्ष 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

उत्पादन प्रदर्शन



01

20.5 मीट्रिक टन पर अब तक का सर्वश्रेष्ठ हॉट मेटल उत्पादन

- पिछले वर्ष प्राप्त 19.4 मीट्रिक टन की सर्वश्रेष्ठ वृद्धि से 6 प्रतिशत की वृद्धि
- 101 प्रतिशत क्षमता पर उत्पादन के साथ अब तक का सर्वश्रेष्ठ परिचालन क्षमता उपयोग

अब तक का सर्वश्रेष्ठ कच्चा इस्पात उत्पादन 19.2 मीट्रिक रहा

- पिछले वर्ष प्राप्त 18.29 मीट्रिक टन की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि
- अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन परिचालन क्षमता उपयोग का 99 प्रतिशत उत्पादन

02





03

अब तक की सर्वश्रेष्ठ विक्रययोग्य स्टील बिक्री मात्रा 17.0 मीट्रिक टन रही

- पिछले वर्ष प्राप्त 16.2 मीट्रिक टन की सर्वश्रेष्ठ वृद्धि से 5.1 प्रतिशत की वृद्धि

सर्वश्रेष्ठ टेक्नो–इकोनॉमिक्स (सीपीएलवाई)

1.0%	10.1%	2.7%	0.8%
कम कोक दर	सीडीआई दर में वृद्धि	बीएफ उत्पादकता में वृद्धि	विशेष ऊर्जा खपत में कमी

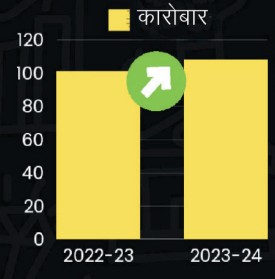


वित्तीय प्रदर्शन

₹1,05,375 करोड़

1% वृद्धि

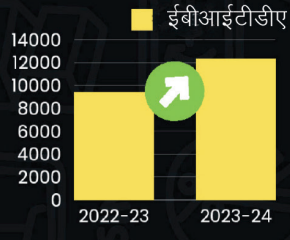
परिचालन से अब तक का सर्वाधिक राजस्व 1,05,375 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान प्राप्त 1,04,447 करोड़ रुपये की तुलना में 1 प्रतिशत अधिक है। परिचालन से राजस्व लगातार तीसरे वर्ष 1,00,000 करोड़ रुपये को पार कर गया।



₹ 12,280 करोड़

31% वृद्धि

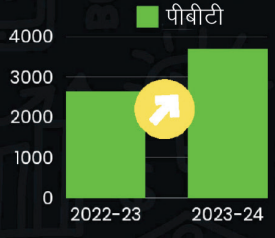
ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई) 12,280 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में हासिल 9,379 करोड़ रुपये से 31 प्रतिशत अधिक है।



₹ 3,688 करोड़

40% वृद्धि

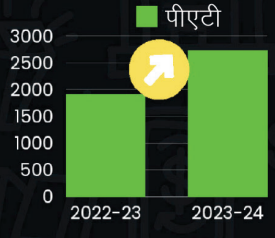
कर से पूर्व लाभ 40 प्रतिशत बढ़कर 3,688 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2,637 करोड़ रुपये था।



₹ 2,733 करोड़

44% वृद्धि

कर के पश्चात लाभ 44 प्रतिशत बढ़कर 2,733 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 1,903 करोड़ रुपये था।

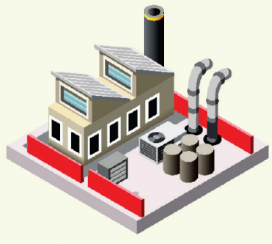


हमारी कुछ उपलब्धियाँ



जेम खरीद:

- जीईएम के माध्यम से 10,411 करोड़ रुपये की खरीद
- पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.8% की वृद्धि
- जीईएम सकल व्यापारिक मूल्य के संबंध में शीर्ष संगठन



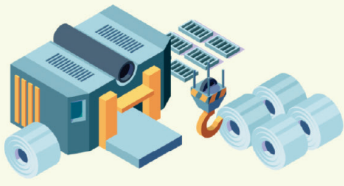
कैपेक्स व्यय:

- पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में
- 3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5,646 करोड़ रुपये



कौशल भारत मिशन

कुल 3,635 संविदा कर्मचारियों को पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है



4.08 एमटीपीए स्टेज–I ग्रीनफील्ड विस्तार

इस्को स्टील प्लांट में ब्राउनफील्ड विस्तार को मंजूरी दी गई तथा बोकारो और दुर्गापुर स्टील प्लांट में ब्राउनफील्ड विस्तार को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।



4 मेगावॉट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना

इस्को स्टील प्लांट में कूलिंग पॉन्ड चालू किया गया



'ग्रेट प्लेस टू वर्क' प्रमाणन

दिसंबर 23 से दिसंबर 24 की अवधि के लिए प्राप्त



सेल ने स्वदेशी फ्रिगेट जहाज 'विंध्यगिरी' के लिए पूरे 4000 टन विशेष स्टील की आपूर्ति की

सेल ने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के लिए इस्पात की आपूर्ति की

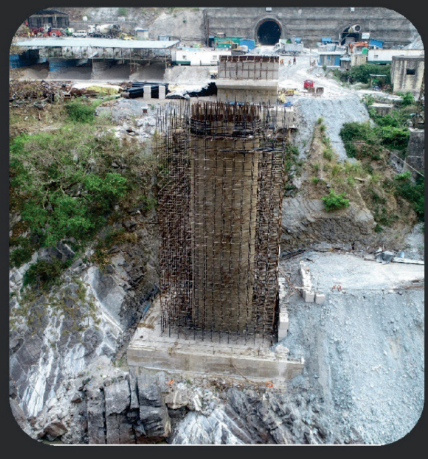
अरुणाचल प्रदेश में एक उल्लेखनीय बुनियादी ढांचा परियोजना, सेला सुरंग का उद्घाटन 9 मार्च, 2024 को किया गया। सेला सुरंग को तवांग क्षेत्र में सभी मौसमों में संपर्क प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि चीन सीमा पर रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है।



सेल ने महत्वपूर्ण इस्पात आपूर्ति के साथ ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लिंक परियोजना को बढ़ावा दिया



उत्तराखंड से होकर 125 किलोमीटर तक विस्तारित ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लिंक, चार धाम तीर्थ स्थलों तक पहुंच में सुधार और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की एक प्रमुख पहल है।



सेल ने ऑस्ट्रेलिया में मेट्रो कोचों के लिए स्टेनलेस स्टील का निर्यात किया

मेट्रो कोचों के लिए ऑस्ट्रेलिया को स्टेनलेस स्टील का निर्यात, वैश्विक अवसंरचना विकास में योगदान देने की सेल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय इस्पात उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करता है।



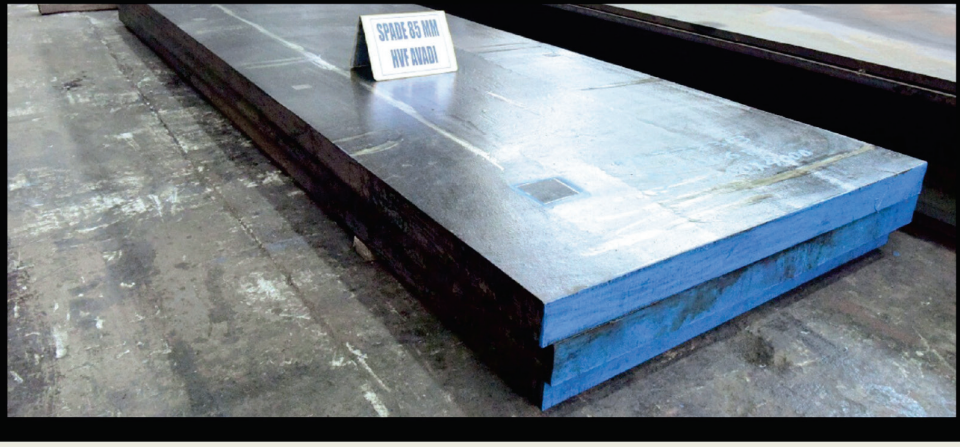
सेल ने अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी–न्हावा शेवा अटल सेतु के निर्माण के लिए लगभग 16300 टन स्टील की आपूर्ति की





सशस्त्र बलों के लिए एंटी माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल्स बनाने हेतु सेल द्वारा विशेष ग्रेड जैकाल प्लेट्स प्रदान की गईं

सेल ने सशस्त्र बलों के लिए एंटी–माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल्स के उत्पादन के लिए जनवरी 2024 में जबलपुर स्थित वाहन कारखाने को 4 मिमी मोटी जैकाल प्लेट्स की अपनी पहली खेप भेजी। 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप, सेल स्वदेशी रक्षा अनुप्रयोगों के निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए आयात–विकल्प के रूप में प्लेट्स विकसित करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है, जिससे देश की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित हो रही है।



सेल अब एक 'ग्रेट प्लेट टू वर्क' प्रमाणित कंपनी है

सेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, इंडिया द्वारा दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' के रूप में प्रमाणित किया गया है। 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' प्रमाणन एक वैश्विक मान्यता है जो सेल को एक सम्मानित और मांग वाले नियोक्ता के रूप में दर्शाता है। यह मान्यता विश्वास, सहयोग और कर्मचारी सशक्तिकरण के कार्यस्थल को बढ़ावा देने पर सेल के निरंतर ध्यान का प्रमाण है।



सेल ने प्रमुख आरआरटीएस परियोजना को इस्पात आपूर्ति कर भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया

हाल ही में दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ के बीच भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया गया। सेल इस प्रतिष्ठित परियोजना के लिए स्टील का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। सेल द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले उत्पादों में विभिन्न प्रकार के स्टील उत्पाद शामिल हैं, जैसे टीएमटी, प्लेट्स और स्ट्रक्चरल स्टील।



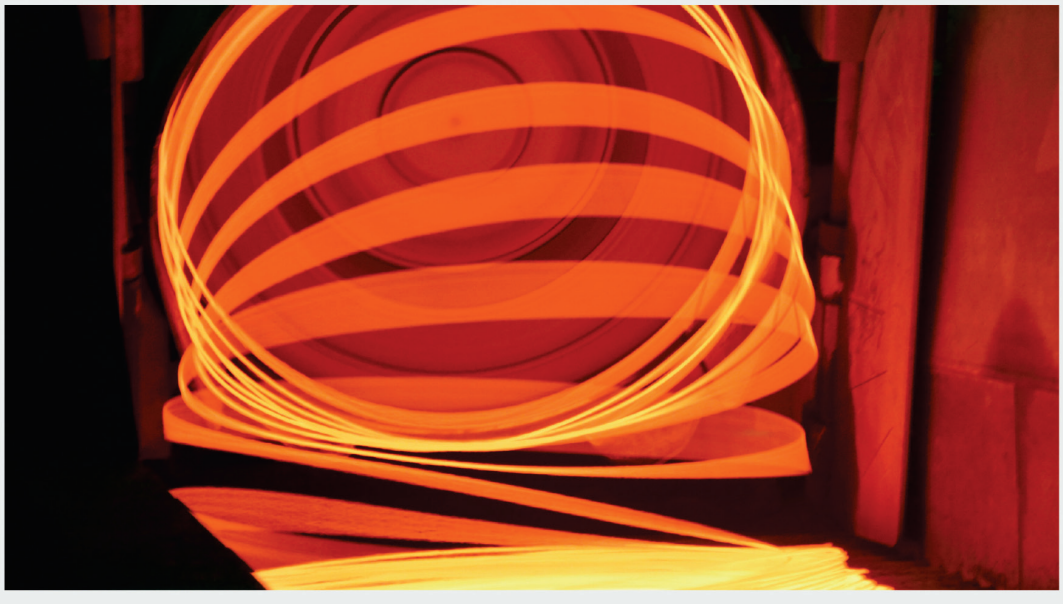


कन्याकुमारी की प्रतिष्ठित पुल परियोजना के लिए एसएसपी से 450 आईआर ग्रेड स्टेनलेस स्टील का उपयोग

तमिलनाडु सरकार कन्याकुमारी के आकर्षण को बढ़ाने के लिए 72 मीटर लंबा ग्लास फाइबर केबल ब्रिज बना रही है, जिसे सेल के 450आईआर स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल को तिरुवल्लुवर प्रतिमा से जोड़ने वाला यह ब्रिज तीन समुद्रों के संगम पर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव प्रदान करके पर्यटन को बढ़ावा देगा।

नया उत्पाद लॉन्च किया: कस्टमाइज्ड टीएमटी एफई-550डी

ग्राहकों की मांग को देखते हुए, सेल ने एक नया उत्पाद, टीएमटी एफई–550डी पेश किया है, जिसका उत्पादन सेल–भिलाई इस्पात संयंत्र के वायर रॉड मिल में किया गया है।



नया उत्पाद लॉन्च किया: जलविद्युत क्षेत्र के लिए उन्नत एएसटीएम स्टील



सेल ने हाइड्रोपावर सेक्टर के पेनस्टॉक अनुप्रयोगों को ध्यान में रखते हुए उन्नत एएसटीएम 517 ग्रेड–एफ स्टील प्लेट्स पेश की हैं। ब्यास वैली पावर प्रोजेक्ट को 1000 टन की पहली खेप भेजने के साथ ही सेल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल के साथ तालमेल करते हुए भारत की बुनियादी ढांचा क्षमताओं को मजबूत करने में अपनी भूमिका की पुष्टि की है।

क्लाइमेट एक्सशन के प्रति प्रतिबद्धता: सेल स्वीडन में लीडइट में शामिल हुआ



सेल को हाल ही में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (लीडइट) के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जिसकी घोषणा 25 जून, 2024 को स्वीडन के विस्बी में आयोजित 'एंगेजिंग इंडिया एट अल्मेडालेन' में की गई थी। लीडआईटी को स्वीडन और भारत की सरकारों ने सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु पर कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया था और इसे विश्व आर्थिक मंच का समर्थन प्राप्त है। लीडआईटी उन देशों और दूरदर्शी कंपनियों का गठबंधन है जो पेरिस समझौते और नेट–जीरो ट्रांजिशन को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लीडआईटी के सदस्य इस धारणा को मानते हैं कि ऊर्जा–गहन उद्योग कम कार्बन मार्गों पर आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें एक निर्धारित समय अवधि के टंदर नेट–जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए।



निदेशक मंडल

1 अगस्त 2024 को यथास्थिति



श्री अमरेन्दु प्रकाश
अध्यक्ष

सरकारी निदेशक



श्रीमती सुकृति लिखी
अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार



श्री अभिजीत नरेंद्र
संयुक्त सचिव
इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार

स्वतंत्र निदेशक



श्री अशोक कुमार त्रिपाठी



श्री कन्हैया सारदा



श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू



डॉ. गोपाल सिंह भाटी



प्रो. (डॉ.) के. जयप्रसाद

निदेशक मंडल

1 अगस्त 2024 को यथास्थिति

कार्यकारी निदेशक



श्री अनिर्बान दासगुप्ता
प्रभारी निदेशक (भिलाई इस्पात संयंत्र)



श्री विजेन्डला श्रीनिवासा चक्रवर्थी
निदेशक (वाणिज्यिक)



श्री अतानु भौमिक
प्रभारी निदेशक
(राउरकेला इस्पात संयंत्र)



श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह
प्रभारी निदेशक
(बर्नपुर और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र)



श्री अनिल कुमार तुल्सीआनी
निदेशक (वित्त)



श्री कृष्ण कुमार सिंह
निदेशक (कार्मिक)



श्री अरविंद कुमार सिंह
निदेशक
(तकनीकी, परियोजना एवं कच्चा माल)



श्री वीरेंद्र कुमार तिवारी
प्रभारी निदेशक (बोकारो इस्पात संयंत्र)



संयुक्त वैद्यानिक लेखापरीक्षक

वॉकर चंडियोक एंड कंपनी एलएलपी
जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी
एस पी ए आर के एंड एसोसिएट्स चाटडर्ड अकाउटेंट्स एलएलपी
विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी

शाखा लेखापरीक्षक

जी एन एस एंड ऐसोसिएट्स
एस के अग्रवाल एंड कंपनी कंपनी चाटडर्ड अकाउटेंट्स एलएलपी
वेकेंट एंड रंगा एलएलपी
डी शांतिलाल जैन एंड कंपनी
रे एंड कंपनी
मुकुंद एम चिताले एंड कंपनी
के सी टाक एंड कंपनी
अमोल एंड एसोसिएट्स

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स चंद्र वधवा एण्ड कंपनी	मैसर्स एबीके एण्ड ऐसोसिएट्स	मैसर्स आर.एम. बंसल एण्ड कंपनी

सचिव लेखापरीक्षक

मैसर्स अग्रवाल एस. एण्ड ऐसोसिएट्स

पंजीकृत कार्यालय

इस्पात भवन
लोदी रोड़, नई दिल्ली–110003
फोन नं.: 24367481; फैक्स: 24367015
वेबसाइट: WWW.SAIL.CO.IN, ईमेल: SECY.SAIL@SAIL.IN
सीआईएन: L27109DL1973GOI006454

बैंकर्स

1. एक्सिस बैंक लिमिटेड
2. बैंक ऑफ बडौदा
3. बैंक ऑफ इंडिया
4. केनरा बैंक
5. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
6. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
7. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
8. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
9. इंडियन बैंक
10. इंडियन ओवरसीज बैंक
11. इंडसइंड बैंक लिमिटेड
12. जम्मू एवं कश्मीर बैंक
13. कर्नाटक बैंक लिमिटेड
14. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
15. पंजाब नेशनल बैंक
16. आरबीएल बैंक लिमिटेड
17. साउथ इंडियन बैंक
18. भारतीय स्टेट बैंक
19. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
20. यूनाइटेड ओवरसीज बैंक
21. यस बैंक लिमिटेड

दस वर्ष एक नज़र में

वित्तीय मुख्य अंश

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए (₹ करोड़)

	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सकल बिक्री	104545	103729	102805	68452	61025	66267	58297	49180	43294	50627
शुद्ध बिक्री	104545	103729	102805	68452	61025	66267	56893	43866	38471	45208
मूल्यह्रास से पहले की कमाई, ब्याज और कर (ईबीआईटीडीए)	12280	9379	22364	13740	11199	10283	5184	672	(2204)	5586
मूल्यह्रास	5277	4963	4274	4102	3755	3385	3065	2680	2402	1773
ब्याज एवं वित्त शुल्क	2474	2037	1698	2817	3487	3155	2823	2528	2300	1454
असाधारण वस्तुओं से पहले लाभ/हानि	4529	2379	16392	6821	3957	3743	(703)	(4536)	(6906)	2359
असाधारण मदों से पहले लाभ/हानि	(841)	258	(353)	58	(787)	(405)	(56)	(315)	(101)	-
कर पूर्व लाभ/(हानि) (पीबीटी)	3688	2637	16039	6879	3171	3338	(759)	(4851)	(7008)	2359
कर के लिए प्रावधान	955	734	4024	3029	1149	1159	(277)	(2018)	(2986)	266
कर के बाद लाभ/(हानि) (पीएटी)	2733	1903	12015	3850	2022	2179	(482)	(2833)	(4021)	2093
लाभांश	826	620	3614	1157	-	207	-	-	-	826
इक्विटी शेयर पूंजी	4131	4131	4131	4131	4131	4131	4131	4131	4131	4131
आरक्षित एवं अधिशेष	50000	48009	47887	39364	35647	34021	31583	31879	35065	39374
निवल मूल्य (इक्विटी शेयर पूंजी और आरक्षित एवं अधिशेष)	54131	52139	52017	43495	39777	38152	35714	36009	39196	43505
कुल ऋण	36315	30773	17284	37677	54127	45170	45409	41396	35141	29898
शुद्ध नियत संपत्तियां	72408	73524	73657	67600	69019	61359	58612	50285	45926	36169
चालू पूंजी कार्य	5521	4891	4710	8878	8752	16014	18395	23275	24927	29196
वर्तमान संपत्ति (अल्पकालिक ऋण सहित)	47882	37763	28627	31976	40918	32249	29638	25545	24304	28482
वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान	53425	49305	39318	25908	22066	23632	24068	21486	18992	16338
कार्यशील पूंजी (वर्तमान परिसंपत्तियां वर्तमान देनदारियां घटाकर)	(5543)	(11542)	(10691)	6068	18852	8617	5570	4060	5312	12145
नियोजित पूंजी (शुद्ध अचल संपत्ति+कार्यशील पूंजी)	66864	61982	62966	73668	87871	69977	64182	54345	51238	48314
प्रति शेयर बाज़ार मूल्य (₹ में) (वर्ष के अंत में)	134.25	82.70	98.55	78.80	23.05	53.75	70.20	61.20	43.00	68.35
प्रमुख वित्तीय अनुपात										
नियोजित औसत का ईबीआईटीडीए (%)	19.06	15.01	32.74	17.01	14.19	15.33	8.75	1.27	(4.28)	12.88
शुद्ध बिक्री के लिए पीबीटी (%)	3.53	2.54	15.60	10.05	5.20	5.04	(1.33)	(11.06)	(18.22)	5.22
नियोजित औसत पूंजी के लिए पीबीटी (%)	5.72	4.22	23.48	8.52	4.02	4.98	(1.28)	(9.19)	(13.62)	5.44
औसत निवल मूल्य पर रिटर्न (%)	5.14	3.65	25.16	9.25	5.19	5.90	(1.34)	(7.53)	(9.72)	4.86
प्रति शेयर शुद्ध मूल्य ₹ 10	131.05	126.23	125.93	105.30	96.30	92.37	86.46	87.18	94.89	105.33
प्रति शेयर आय ₹ 10	6.62	4.61	29.09	9.32	4.89	5.27	(1.17)	(6.86)	(9.74)	5.07
मूल्य–आय अनुपात (दर)	20.29	17.95	3.39	8.45	4.71	10.19	(60.19)	(8.92)	(4.42)	13.48
प्रति शेयर ₹ 10 का लाभांश	2.00	1.50	8.75	2.80	-	0.50	-	-	-	2.00
प्रभावी लाभांश दर (%)	1.49	1.81	8.88	3.55	-	-	-	-	-	2.93
ऋण–इक्विटी (दर)	0.67	0.59	0.33	0.87	1.36	1.18	1.27	1.15	0.90	0.69
वर्तमान अनुपात (दर)	0.90	0.77	0.73	0.68	1.85	1.36	1.23	1.19	1.28	1.74
नियोजित पूंजी और टर्नओवर अनुपात (दर)	1.56	1.67	1.63	0.93	0.69	0.95	0.91	0.90	0.84	1.05
कार्यशील पूंजी टर्नओवर अनुपात (दर)	(18.86)	(8.99)	(9.62)	11.28	3.24	7.69	10.47	12.11	8.15	4.20
ब्याज कवरेज अनुपात (दर)	2.64	2.05	9.56	2.86	1.83	1.79	0.58	(0.65)	(1.91)	1.80
लाभांश भुगतान अनुपात (%)	30.23	32.56	30.08	30.04	-	9.48	-	-	-	39.45

उत्पादन

इकाई '000 टन

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
गर्म धातु	20496	19409	18733	16582	17438	17513	15982	15726	15721	15413
कच्चा इस्पात	19240	18291	17366	15215	16155	16266	15020	14496	14279	13908
कच्चा लोहा	426	368	564	584	570	480	270	495	642	634
बिक्री योग्य इस्पात	18437	17246	16896	14602	15147	15069	14074	13867	12381	12842
– आंशिक रूप से–तैयार इस्पात	2686	2277	3171	3797	2995	3169	2610	3170	3054	3007
– तैयार इस्पात	15751	14969	13724	10805	12152	11900	11464	10697	9327	9835



दस वर्ष एक नज़र में

वित्तीय मुख्य अंश और प्रमुख वित्तीय अनुपात

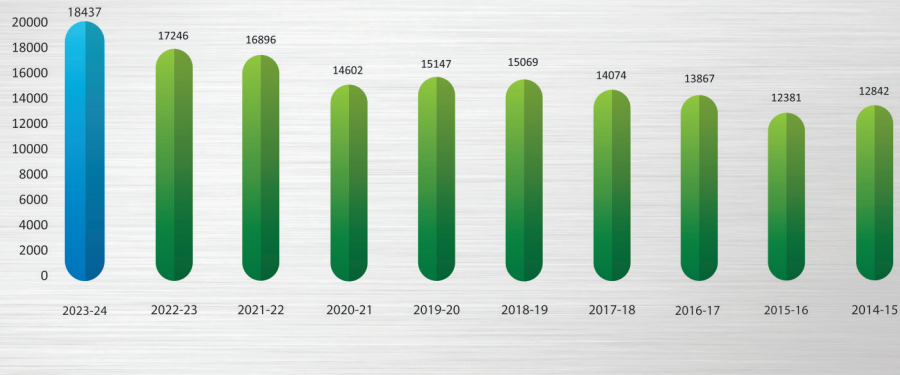
गर्म धातू
(इकाई: '000टन)



क्रूड स्टील
(इकाई: '000टन)



बिक्री योग्य स्टील
(इकाई: '000टन)



सकल बिक्री

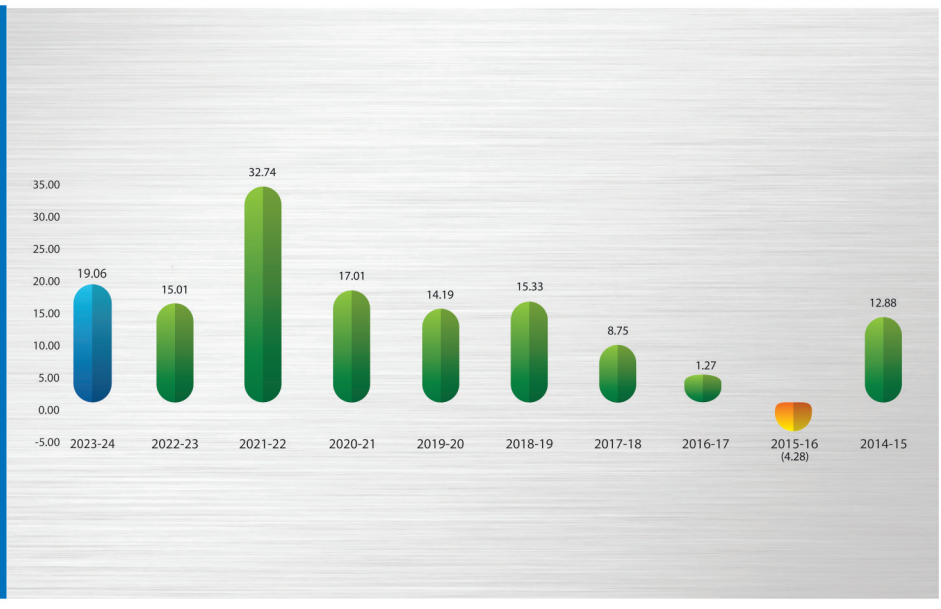
(₹ करोड़ में)



ईबीआईटीडीए

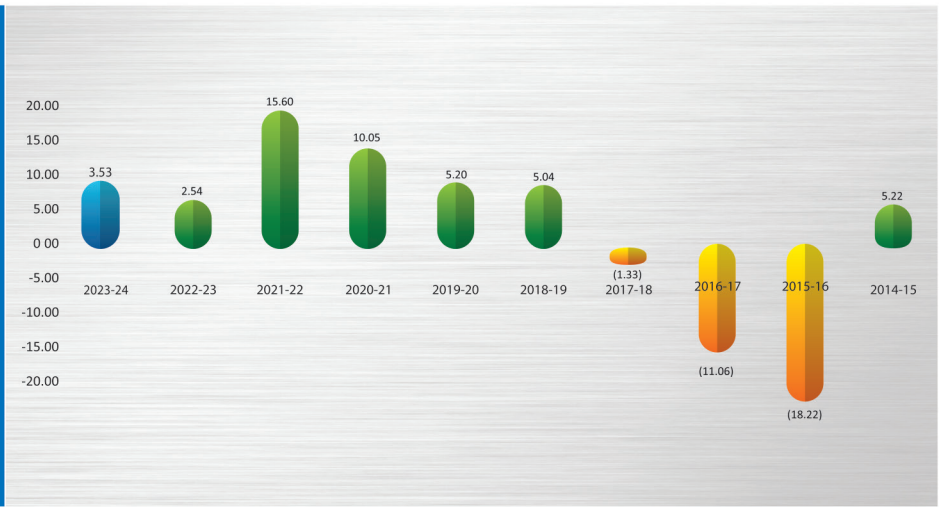
प्रयुक्त पूंजी का औसत

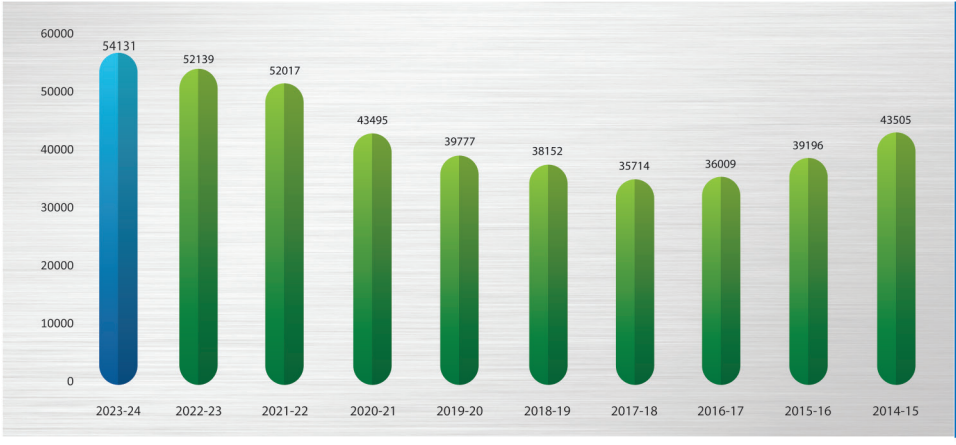
(% में)



पीबीटी शुद्ध बिक्री के अनुपात में

(% में)





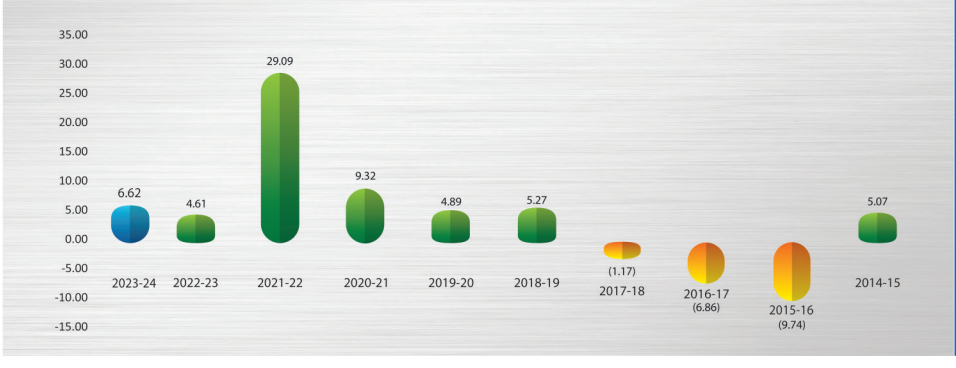
शुद्ध मूल्य
(इक्विटी पूंजी और आरक्षित एवं अधिशेष)
(₹ करोड़ में)



उधार
(₹ करोड़ में)

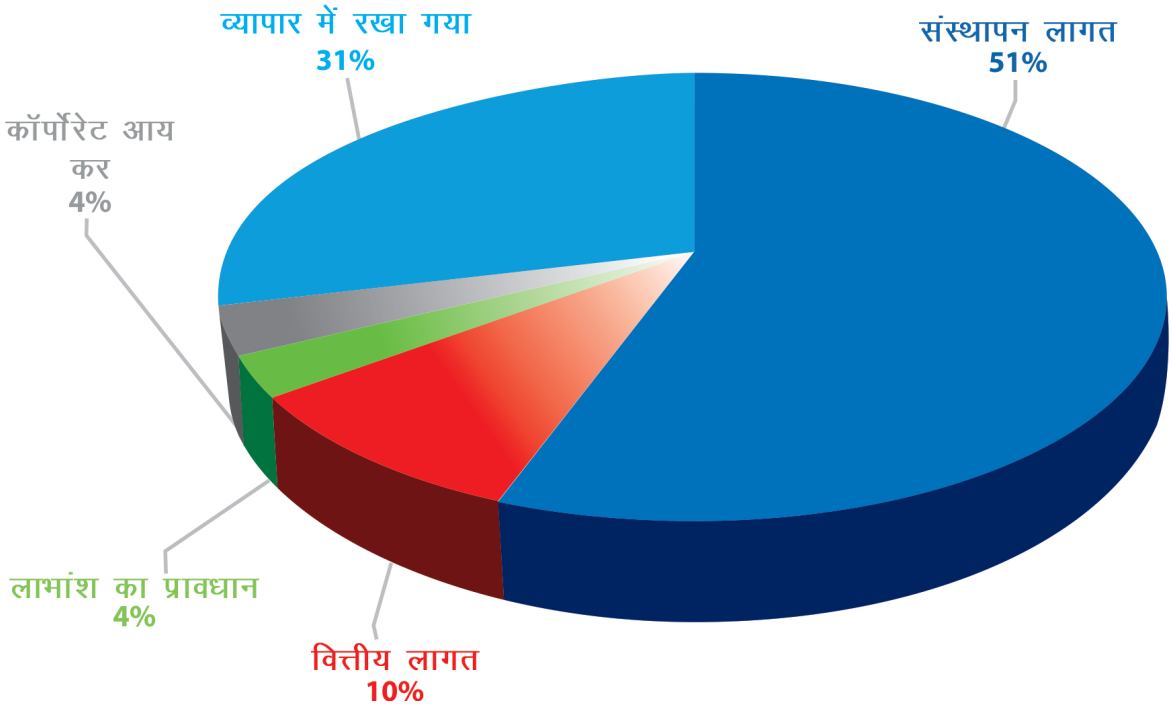


ऋण इक्विटी
(कितनी बार)



₹ 10 प्रतिशेयर पर आय
(राशि ₹ में)

प्रयुक्त मूल्य

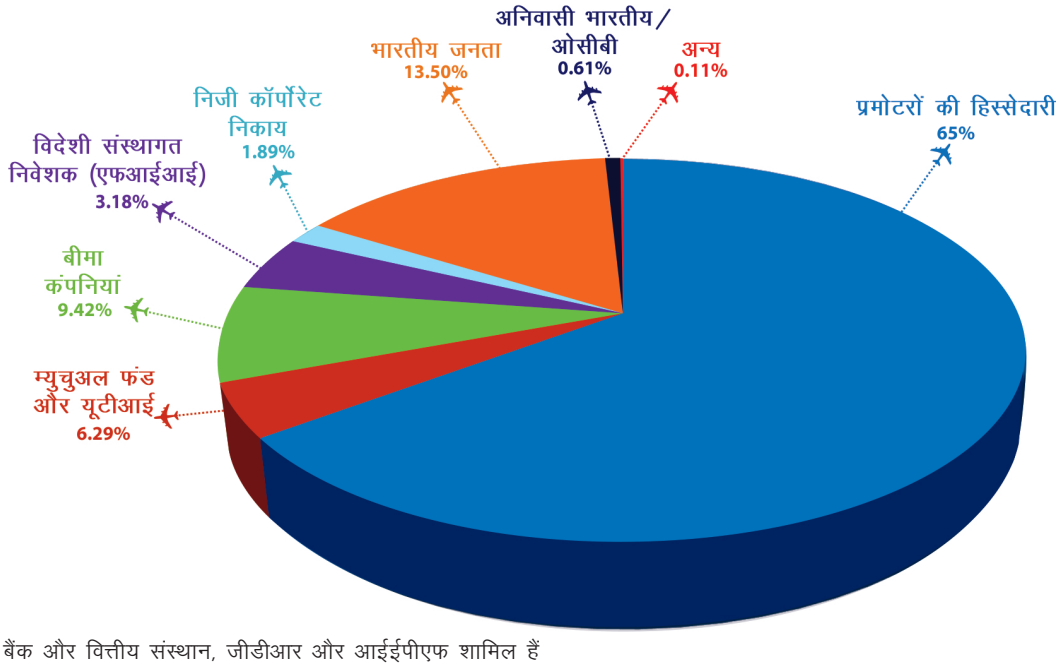


(₹ करोड़)

साल के लिए		2023-24		2022-23	
स्वयं के उत्पादन का मूल्य		108690		109694	
अन्य राजस्व		1777	110467	2021	111715
घटाएं:	कच्ची सामग्रियों की लागत	57619		62091	
	भंडार एवं कलपुर्जे	5855		5573	
	विद्युत और ऊर्जा	7535		7704	
	जावक मालभाड़ा	3172		3024	
	अन्य परिचालन लागत	13099	87280	11632	90024
कुल सवंर्धित मूल्य			**23187**		**21691**
स्थापना लागत			11748		12054
वित्त लागत			2474		2037
लाभांश प्रावधान			826		620
संगठित आय शुल्क			955		734
व्यवसाय में धारित आय					
मूल्य ह्रास		5277		4963	
बॉण्ड शोधन रिजर्व		-250		-157	
लाभ शेष		2157	7184	1441	6246
कुल लागू मूल्य			**23187**		**21691**



शेयरधारिता पैटर्न



अन्य में बैंक और वित्तीय संस्थान, जीडीआर और आईईपीएफ शामिल हैं

31 मार्च, 2024 को

क्र. सं.	श्रेणी	धारक	धारित किए गए शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
क	**प्रमोटरों की हिस्सेदारी**			
1	प्रमोटर			
	– भारतीय प्रमोटर अर्थात भारत सरकार	1	2684714550	65.00
	– विदेशी प्रमोटर			
2	कॉन्सर्ट में अभिनय करने वाले व्यक्ति			
	उप कुल	**1**	**2684714550**	**65.00**
ख	**गैर-प्रवर्तक होल्डिंग**			
3	संस्थागत निवेशक			
क	म्युचुअल फंड और यूटीआई	44	259975047	6.29
ख	बैंक और वित्तीय संस्थान	22	398166	0.01
ग	बीमा कंपनी	18	388954866	9.42
घ	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)	126	131272665	3.18
	उप कुल	**210**	**780600744**	**18.90**
4	**अन्य**			
क	निजी कॉर्पोरेट निकाय	3160	78074570	1.89
ख	भारतीय जनता	1626454	557626916	13.50
ग	एनआरआई / ओसीबी	13245	25210297	0.61
घ	जीडीआर	2	110990	0.00
ड़	आईईपीएफ प्राधिकरण	1	4187222	0.10
	उप कुल	**1642862**	**665209995**	**16.10**
	कुल योग	**1643073**	**4130525289**	**100.00**

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
नई दिल्ली

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय विवरणों सहित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल, कंपनी) की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को प्रसन्नता हो रही है।

क. वित्तीय समीक्षा

वित्तीय परिणाम (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त होने वाले वर्ष में एकल	
		31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
		लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	**आय**		
	(क) संचालनों से राजस्व	105374.59	104447.36
	(ख) अन्य आय	1148.06	1354.84
	कुल आय	**106622.65**	**105802.20**
2	**व्यय**		
	(क) खपत की गई सामग्री की लागत	57618.84	62091.10
	(ख) तैयार माल, चालू कार्य और उप–उत्पादों की सूचियों में परिवर्तन	(3352.92)	(5160.14)
	(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	11747.92	12053.62
	(घ) वित्तीय लागतें	2473.81	2037.47
	(ड़) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	5277.45	4962.52
	(च) अन्य व्यय	28229.04	27438.71
	कुल व्यय	**101994.14**	**103423.28**
3	**असाधारण मदों और कर से पहले लाभ**	**4528.51**	**2378.92**
	जोड़/(घटा): असाधारण मदें	**(840.84)**	**257.99**
4	**कर से पहले लाभ**	3687.67	2636.91
	घटा: कर व्यय		
	चालू कर	605.54	118.37
	आस्थगित कर	349.02	615.47
	कुल कर व्यय	**954.56**	**733.84**
5	**अवधि के लिए शुद्ध लाभ**	**2733.11**	**1903.07**
	अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(122.72)	(566.83)
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	0.55	128.22
6	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय**	**2610.94**	**1464.46**

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 1,04,545 करोड़ रुपये का सर्वश्रेष्ठ बिक्री कारोबार हासिल किया, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि (सीपीएलवाई) की तुलना में 1 प्रतिशत अधिक है, जो बिक्री की मात्रा में वृद्धि (5 प्रतिशत), वित्त वर्ष 2021–22 के लिए रेल मूल्य का निर्धारण और वित्त वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए अनंतिम रेल मूल्य में संशोधन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, सीपीएलवाई की तुलना में लाभप्रदता में वृद्धि मुख्य रूप से अधिक बिक्री मात्रा; वित्त वर्ष 2021–22 के लिए रेल मूल्य का



निर्धारण और साथ ही वित्त वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए अनंतिम रेल मूल्य में संशोधन; आयातित कोयले की कम कीमतें (पिछले वर्ष की तुलना में) और फेरो–मिश्र धातुओं की कीमतें, लौह अयस्क, जस्ता, तांबा, अन्य फेरो–मिश्र धातु, बिजली, आदि जैसे अन्य कच्चे माल का कम उपयोग; बेहतर तकनीकी–आर्थिक मापदंड जैसे बीएफ उत्पादकता में सुधार, कोयले का कम उपयोग, विशिष्ट ऊर्जा खपत, आदि; कम वेतन और मजदूरी; विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव पर नुकसान में कमी आदि के कारण है।

बिक्री योग्य स्टील की कम शुद्ध बिक्री प्राप्ति और कोयला रसायन और उप–उत्पादों की कम बिक्री; बाहरी बीएफ कोक, चूना पत्थर, स्क्रैप, आदि के अधिक उपयोग; स्टॉक मूल्यांकन की कम दर; स्टोर और स्पेयर्स, मरम्मत और रखरखाव, कच्चे माल के हैंडलिंग शुल्क, माल ढुलाई, आदि पर अधिक व्यय; रॉयल्टी की उच्च दर; कम लाभांश आय; असाधारण मदों का प्रभाव (विवाद से विश्वास योजना–2 और प्रवेश कर के अंतर्गत निपटान); उच्च ब्याज शुल्क और मूल्यह्रास आदि के द्वारा लाभप्रदता में वृद्धि का आंशिक रूप से समायोजन हुआ।

आपकी कंपनी ने अपने विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ब्याज सहित ऋणों के पुनर्भुगतान के साथ–साथ भविष्य के धन जुटाने आदि के लिए अग्रिम योजना और समय पर कदम उठाते हुए विवेकपूर्ण निधि प्रबंधन पर जोर देना जारी रखा। 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के पास 36,315 करोड़ रुपये की उधारी थी, जबकि 31 मार्च, 2023 तक यह 30,773 करोड़ रुपये थी (आईएनडीएएस)। 31 मार्च, 2024 तक कंपनी का ऋण इक्विटी अनुपात 31 मार्च, 2023 तक मामूली रूप से बढ़कर 0.59:1 से 0.67:1 हो गया है, जो मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान उधारी में वृद्धि के कारण हुआ है। कंपनी की निवल संपत्ति 31 मार्च, 2023 तक 52,139 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2024 तक 54,131 करोड़ रुपये हो गई।



वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 10 प्रतिशत अर्थात ₹1.00 प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश दिया गया। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में ₹1.00 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की भी अनुशंसा की है, जो सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के सदस्यों को इक्विटी शेयर पूंजी पर 20 प्रतिशत लाभांश वितरित किया जा रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई राशि सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित नहीं की गई है।

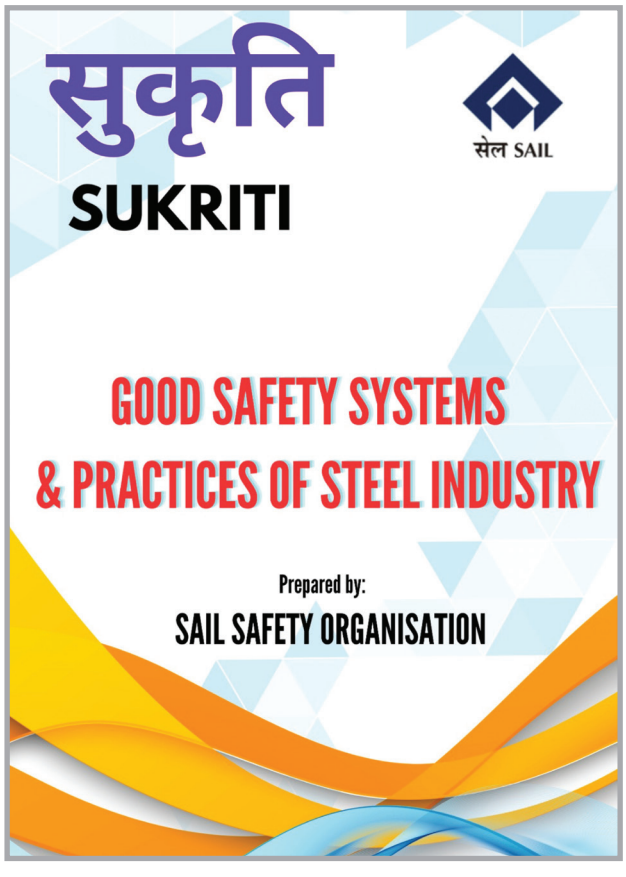
मेसर्स केयर रेटिंग्स और मेसर्स इंडिया रेटिंग्स, जो आरबीआई द्वारा अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, ने सेल के दीर्घकालिक उधार कार्यक्रम के लिए क्रमशः 'केयर एए–आउटलुकः स्थिर' और 'इंड एए–आउटलुकः स्थिर' की रेटिंग दी।

ख. संचालनों की समीक्षा

सुरक्षा

सुरक्षा सर्वप्रथमः आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों और इससे जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें इसके संयंत्रों, खदानों और इकाइयों के आसपास में रहने वाले लोग भी शामिल हैं। सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ) विभिन्न इस्पात संयंत्रों/इकाइयों/खदानों/स्टॉकयार्डों में किए जाने वाले सुरक्षा संवर्धन और अग्नि निवारण गतिविधियों की केंद्रीय रूप से निगरानी और मार्गदर्शन करता है। एसएसओ उपयुक्त सुरक्षा नीतियां, प्रक्रियाएं, प्रणालियां, कार्य योजनाएं, दिशानिर्देश आदि तैयार करता है और उनके कार्यान्वयन पर नजर रखता है, और इस प्रकार कार्यस्थल पर दुर्घटना मुक्त कार्य वातावरण प्रदान करने में मदद करता है। संयंत्र आईएसओ–45001 प्रमाणित हैं, जो एक उन्नत सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है और इसके अनुपालन के रूप में, बो–टाई/हैजॉप अध्ययन आदि जैसी तकनीकों का उपयोग करके अधिकांश संचालन और रखरखाव गतिविधियों के लिए खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन (एचआईआरए) किया गया है।

कार्यों के लिए विशिष्ट सुरक्षा पहलुओं को मानक संचालन प्रक्रियाओं और मानक रखरखाव प्रक्रियाओं (एसओपी और एसएमपी) में शामिल किया गया है जो संचालन के साथ सुरक्षा को एकीकृत करने और आवश्यक तकनीकी अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण करने की प्रणाली प्रचलन में है और यदि कोई अवलोकन दर्ज किया जाता है, तो उसका जल्द से जल्द अनुपालन किया जाता है। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता



देते हुए, कंपनी ने भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर में अपने संयंत्रों में सुरक्षा संस्कृति परिवर्तन के लिए सुरक्षा प्रबंधन सलाहकार को नियुक्त किया है। सुरक्षा शासन संरचना विकसित करने, तकनीकी मानकों को तैयार करने, व्यवहारिक हस्तक्षेपों के माध्यम से सुरक्षा में सुधार, उच्च जोखिम वाली प्रक्रियाओं में जोखिम को कम करने आदि पर जोर दिया जा रहा है। नियमित मानव संसाधन विकास हस्तक्षेप, एलईओ कार्यशालाओं, वेबिनार आदि के माध्यम से सुरक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में सक्षमता निर्माण के लिए संयंत्रों और एसएसओ द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं सभी संयंत्रों और इकाइयों में कार्य शुरू करने से पहले संविदा श्रमिकों को प्रवेश और कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था मौजूद है।

एसएसओ ने हाल ही में कंपनी के सबसे निचले तबके तक पहुंचने के लिए कई नई पहल शुरू की हैं। सभी संयंत्रों/इकाइयों के सुरक्षा प्रमुखों की भागीदारी के साथ शून्य मृत्यु दर प्राप्त करने के लिए 'सुरक्षा मंथन' नामक पहल की गई है, जहां दुर्घटनाओं/निकट चूक मामलों से सीख लेकर संयंत्रों/इकाइयों में अच्छी सुरक्षा प्रथाओं पर चर्चा की जाती है और इसके कार्यान्वयन के लिए उनका पालन किया जाता है। संयंत्रों के विभिन्न कार्य स्तरों अर्थात एचओडी, लाइन मैनेजर और विभागीय सुरक्षा अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए 'संपर्क' नामक सुरक्षा अंतःक्रियात्मक मॉड्यूल शुरू किया गया है। प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई) में प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत में, प्रतिभागियों को 'स्पर्श' नामक एक कस्टमाइज्ड मॉड्यूल के माध्यम से सुरक्षा के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाया जाता है। अतीत में हुई दुर्घटनाओं के संबंध में 'समीक्षा' नामक एक संकलन तैयार किया गया है और सभी संयंत्रों और इकाइयों के लिए तैयार संदर्भ के रूप में इसे प्रसारित किया गया है। उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ बेंचमार्किंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'सुकृति'– इस्पात उद्योग में प्रचलित अच्छी प्रथाओं का एक संग्रह, तैयार किया गया है। इसके अलावा, किसी भी बड़ी घटना या निकट चूक के बाद सभी संयंत्रों और इकाइयों के संबंधित डोमेन विशेषज्ञों के बीच एक वीसी सत्र 'सुरक्षा संवाद' आयोजित किया जा जाता है, जिसका उद्देश्य मूल कारणों पर चर्चा करना, एक–दूसरे की अच्छी प्रथाओं को साझा करना और तकनीकी हल निकालना है। देश के सभी इस्पात उत्पादकों को उनके डोमेन विशेषज्ञों और सुरक्षा कर्मियों के साथ एक मंच पर लाने के लिए, एसएसओ ने थीम–आधारित मुद्दों को संबोधित करने के लिए सुरक्षा संचालन समिति का गठन किया है। नए थीम के साथ समिति की बैठकों को विभिन्न संयंत्रों में एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण जानकारी, सुरक्षा सुझाव आदि साझा करने के लिए वेब पोर्टल के माध्यम से सुरक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में आईटी के व्यापक उपयोग से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाता है। क्षैतिज तैनाती, ज्ञान साझा करने और सुधार लाने के लिए संयंत्रों और इकाइयों और अन्य उद्योगों में प्रचलित अच्छी सुरक्षा प्रथाओं को कैप्चर किया किया जाता है और सभी के मध्य प्रसारित किया जाता है। प्रत्येक इस्पात संयंत्र और खदान में उनकी संबंधित सुरक्षा आवश्यकताओं को देखने के लिए एक बहु–विषयक सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग मौजूद है। सुरक्षा प्रबंधन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है। एसएसओ द्वारा इस्पात उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संयुक्त समिति (जेसीएसएसआई) के सचिवालय का प्रबंधन भी किया रहा है, जो एक द्विपक्षीय मंच है जो प्रबंधन और केंद्रीय और संयंत्र स्तर के ट्रेड यूनियनों की सक्रिय भागीदारी के साथ इस्पात संयंत्रों के सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मुद्दों को संबोधित करता है और सदस्य संगठनों को दिशानिर्देश प्रदान करता है।

संचालन

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, भारतीय इस्पात क्षेत्र ने आंतरिक चुनौतियों और वैश्विक आर्थिक उतार–चढ़ाव दोनों के बीच तालमेल करते हुए लचीलेपन और विकास की अपनी यात्रा जारी रखी। इस वर्ष अतिरिक्त क्षमता और कमजोर मांग दिखाई दी है, विशेष रूप से चीन में रियल एस्टेट में मंदी जैसे संकटों के कारण यह और बढ़ गई। इनपुट कच्चे माल की गुणवत्ता, कच्चे माल के परिवहन के लिए रैक की उपलब्धता जैसी लॉजिस्टिक्स समस्याओं और पुरानी और नई इकाइयों के संपत्ति मिश्रण के मामले में आपकी कंपनी के सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद, सेल ने 2023–24 में रिकॉर्ड तोड़ वार्षिक प्रदर्शन के साथ ही उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने उत्पादन, उत्पादकता, तकनीकी–अर्थशास्त्र, मूल्य योजित उत्पादों और नए उत्पाद विकास में नए मानक स्थापित किए। पिछले वित्त वर्ष 2022–23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान हॉट मेटल के उत्पादन में 1.09 मीट्रिक टन, कच्चे इस्पात में 0.95 मिलियन टन और बिक्री योग्य इस्पात में 1.19 मिलियन टन की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सेल ने क्रमशः 20.5 मिलियन टन, 19.2 मिलियन टन और 18.4 मिलियन टन का रिकॉर्ड हॉट मेटल, क्रूड स्टील और बिक्री योग्य स्टील उत्पादन किया। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने बड़े ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ) के बेहतर क्षमता उपयोग और बीएफ परिचालन के अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करने के कारण कोक दर, सीडीआई दर, बीएफ उत्पादकता और विशिष्ट ऊर्जा खपत जैसे तकनीकी–आर्थिक मापदंडों के संबंध में अपना सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रदर्शन भी हासिल किया। इसके अलावा, नई इकाइयों की संख्या बढ़ाने पर निरंतर बल देते हुए प्रक्रिया सुधार में निरंतर हस्तक्षेप से हॉट मेटल, क्रूड स्टील और बिक्री योगय स्टील की परिचालन क्षमता उपयोग में क्रमशः 101 प्रतिशत, 99 प्रतिशत और 102 प्रतिशत सुधार हुआ।

कंपनी के लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केंद्र (आरडीसीआईएस) ने प्रक्रिया और गुणवत्ता सुधार, उत्पाद विकास और व्यावसायीकरण पर विशेष जोर देते हुए सेल के विभिन्न संयंत्रों को नवीन तकनीकी इनपुट प्रदान किए। उत्पाद विकास के संबंध में निरंतर गतिविधियों से वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान नए खंडों के विकास सहित 25 नए इस्पात उत्पादों का विकास किया गया है।

भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) में हॉट मेटल, क्रूड स्टील और बिक्री योग्य स्टील ने क्रमशः 5.985 मिलियन टन, 5.675 मिलियन टन और 5.228 मिलियन टन का अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन हासिल किया। नए ब्लास्ट फर्नेस यानी बीएफ–8 ने 2.68 मिलियन टन हॉट मेटल का उत्पादन किया, जो पिछले वित्त वर्ष में 2.54 मिलियन टन की पिछली सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि को पार कर गया। भारतीय रेलवे में योगदान का पता इस तथ्य से लगता है कि वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 1082 रेक लॉन्ग रेल (260 मीटर पैनल) का रिकॉर्ड डिस्पैच हासिल किया गया। इसके अलावा, फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट–साबरमती से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के साथ ही, लॉन्ग रेल पैनल के 12 रेक भारतीय रेलवे को भेजे गए। इस वर्ष अक्टूबर, 2023 में यूआरएम में आर–350 एचटी (1175 एचटी ग्रेड) हैड हार्डेन्ड रेल का नियमित उत्पादन भी शुरू हुआ, जिसमें 1265 टन का उत्पादन किया गया और आर–350 एचटी पैनल के पहले रेक की आपूर्ति 31 अक्टूबर, 2023 को भारतीय रेलवे को की गई। तकनीकी–आर्थिक मोर्चे पर, बीएसपी ने 120 किग्रा/टीएचएम पर अब तक की उच्चतम सीडीआई दर और 6.35 गीगाकैलोरी/टीसीएस पर सबसे कम विशिष्ट ऊर्जा खपत हासिल की।



दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी) ने 2.57 मिलियन टन हॉट मेटल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 2022–23 में दर्ज किए गए 2.56 मिलियन टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ उत्पादन को पार कर गया। डीएसपी ने 2.30 मिलियन टन कच्चे इस्पात और 2.21 मिलियन टन बिक्री योग्य इस्पात का भी अब तक का सबसे अधिक उत्पादन किया, जो पिछले वित्त वर्ष में क्रमशः 2.29 मिलियन टन और 2.18 मिलियन टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ उत्पादन को पार कर गया। प्लांट ने अपने मीडियम स्ट्रक्चरल मिल (एमएसएम) और मर्चेंट मिल (एमएम) से अब तक का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया। तकनीकी–आर्थिक मोर्चे पर, डीएसपी ने वित्त वर्ष 2023–24 में 68/किग्रा/टीएचएम पर अब तक की सर्वश्रेष्ठ सीडीआई दर और 449 किग्रा/टीएचएम पर कोक दर प्राप्त की।

राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) ने वित्त वर्ष 2023–24 में हॉट मेटल का अब तक का सबसे अधिक 4.49 मिलियन टन उत्पादन, क्रूड स्टील का 4.16 मिलियन टन उत्पादन और बिक्री योग्य स्टील का 4.21 मिलियन टन उत्पादन दर्ज किया। इसके अलावा, बीएफ–5 ने भी अब तक का सबसे अधिक 2.88 मिलियन टन उत्पादन हासिल किया। इसी तरह, न्यू प्लेट मिल (एनपीएम) ने 0.93 मिलियन टन और हॉट स्ट्रिप मिल–2 (एचएसएम–II) ने 2.38 मिलियन टन उत्पादन दर्ज किया जो अब तक का सबसे अधिक वार्षिक उत्पादन था। तकनीकी–आर्थिक मापदंडों के संबंध में, आरएसपी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 5.98 गीगा कैलोरी/टीसीएस की दर से अब तक की सबसे कम विशिष्ट ऊर्जा खपत की।

बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) ने चार बीएफ संचालन के साथ 4.73 मिलियन टन हॉट मेटल का अब तक का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 2005–06 में पांच बीएफ संचालन के साथ हासिल किए गए 4.71 मिलियन टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ उत्पादन को पार कर गया। 0.86 मिलियन टन नए एसएमएस (कॉनकास्ट रूट के साथ), 4.31 मिलियन टन कच्चे स्टील, 3.97 मिलियन टन हॉट स्ट्रिप मिल और 3.99 मिलियन टन बिक्री योग्य स्टील ने भी वित्त वर्ष 2023–24 में अब तक का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया। तकनीकी–आर्थिक मापदंड जैसे 79 किग्रा/टीएचएम की दर से सीडीआई, 1.82 टन/घन मीटर/प्रतिदिन की दर से सीडीआई और 6.57 गीगा कैलोरी/टीसीएस की दर पर विशिष्ट ऊर्जा खपत वित्त वर्ष 2023–24 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ रहा।

इस्को स्टील प्लांट (आईएसपी) में हॉट मेटल, क्रूड स्टील और बिक्री योग्य स्टील का उत्पादन क्रमशः 2.72 मिलियन टन, 2.53 मिलियन टन और 2.41 मिलियन टन रहा, जो वित्त वर्ष 2023–24 में अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है। इसके अलावा, वायर रॉड मिल ने 0.479 मिलियन टन, बार मिल ने 0.795 मिलियन टन और यूनिवर्सल सेक्शन मिल ने 0.460 मिलियन टन उत्पादन कर वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ उत्पादन हासिल किया। तकनीकी–आर्थिक मोर्चे पर आईएसपी ने वर्ष के लिए 126 किग्रा/टीएचएम की दर से अब तक की सर्वश्रेष्ठ सीडीआई दर और 2.18 टन/घनमीटर/दिन की दर से बीएफ उत्पादकता हासिल की।

सेल का लक्ष्य ब्लास्ट फर्नेस में तकनीकी–आर्थिक दक्षताओं को बढ़ाकर अपने पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों में उत्पादन की मात्रा को बढ़ावा देना है। इस संबंध में, सक्षमकर्ताओं के रूप में प्रमुख पहलों में फर्नेस स्टोव की स्थिति में सुधार, नए स्टोवों की कमीशनिंग, ऑक्सीजन संवर्धन को बढ़ाना, चूर्णित कोयला इंजेक्शन में वृद्धि और पिलेट और बेहतर गुणवत्ता वाले अयस्क फाइन के उपयोग के माध्यम से बर्डन में लौह सामग्री में सुधार करना शामिल है।



विशेष इस्पात संयंत्रों के संबंध में, मिश्र धातु इस्पात संयंत्र (एएसपी) और सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी) में रणनीतिक हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। इस संबंध में, प्रक्रिया दक्षता के माध्यम से इस्पात निर्माण सुविधाओं के उन्नयन और उत्पादन में वृद्धि के लिए एएसपी में व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। एसएसपी में, उत्पादन में सुधार और घाटे को कम करने के लिए लागत को कम करने की पहल की जा रही है।

विद्युत

आपकी कंपनी ने हमेशा बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता के साथ–साथ इष्टतम लागत पर बिजली की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अपने कैप्टिव पावर उपयोग को अधिकतम करने का प्रयास किया है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, 1437.98 मेगावाट की कुल आवश्यकता का लगभग 65 प्रतिशत कैप्टिव पावर प्लांट्स से पूरा किया गया, जबकि पिछले वर्ष यह 62.75 प्रतिशत था। लागत को अनुकूलित करने के उद्देश्य से, सेल विद्युत अधिनियम, 2003 में ऐसा अवसर पेश किए जाने के बाद से ओपन एक्सेस रूट के माध्यम से सक्रिय रूप से बिजली खरीद रहा है। इस विरासत को जारी रखते हुए, इस वर्ष भी, सेल प्लांट्स ने ओपन एक्सेस रूट के माध्यम से लगभग 299.38 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली खरीदी, जिसमें शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस के माध्यम से खरीदी गई ग्रीन (नवीकरणीय) बिजली भी शामिल थी। राजश्री मिल्स, कोयम्बटूर से बगैस आधारित 85.79 एमयू बिजली ग्रीन ओपन एक्सेस पावर में एक प्रमुख योगदान रहा जिसे ईंख पिराई के सीजन के दौरान सलेम स्टील प्लांट के लिए विद्युत विनिमय के द्वारा प्राप्त किया गया था। 110.55 एमयू बिजली को विद्युत विनिमय के माध्यम से प्राप्त खरीदा गया और 103.12 एमयू को पीपी–3, भिलाई से एसएसपी को भेजा गया। आपकी कंपनी ओपन एक्सेस रूट के माध्यम से सस्ती बिजली खरीदकर वित्त वर्ष 2023–24 में लगभग 40.13 करोड़ रुपये बचाने में सक्षम रही।

कैप्टिव पावर की हिस्सेदारी बढ़ाने और इष्टतम लागत पर विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से,



एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड (एनएसपीसीएल), जो सेल और एनटीपीसी लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, के डीएसपी में दूसरे 20 मेगावाट इकाई के पावर प्लांट–III का अधिग्रहण 29 मार्च, 2024 को किया गया। भिलाई, राउरकेला और बर्नपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्रों में नए पावर और ब्लोइंग स्टेशन (पीबीएस) सह–उत्पादन संयंत्र हैं जो पूरी तरह से प्रोसेस गैसों (ब्लास्ट फर्नेस और कोक ओवन गैसों) पर चलते हैं, जो आपकी कंपनी की कुल बिजली आवश्यकता का 8.44 प्रतिशत उत्पादन करते हैं, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में पुराने कैप्टिव पावर प्लांट/पावर ब्लोइंग स्टेशन भी न्यूनतम मात्रा में कोयले का उपयोग करके प्रोसेस गैसों का अधिकतम उपयोग करते हैं। इसके अलावा, एनएसपीसीएल और बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड (सेल और डीवीसी का संयुक्त उद्यम) को भी ईंधन के रूप में कोयले के स्थान पर परिचालन दक्षता के लिहाज से अधिकतम संभव स्तर तक ले जाने के लिए प्रोसेस गैसें उपलब्ध कराई जाती हैं। बीपीएससीएल में एलडी गैस को बीएफ गैस के साथ मिलाया जा रहा है। इसके अलावा, एनएसपीसीएल के पावर प्लांट–II, बीएसपी में बॉयलर–3 के लिए सीओ गैस पाइपलाइन को नए सीओ गैस हेडर से जोड़ा गया है।

आपकी कंपनी का फोकस हमेशा उपयोगिताओं से खरीदी गई बिजली के उपयोग के संबंध में बेहतर प्रदर्शन मापदंडों को प्राप्त करना और उच्च लोड फैक्टर, पावर फैक्टर आदि प्राप्त करने के लिए बिजली शुल्क में उपलब्ध छूट और प्रोत्साहन को अधिकतम करने के लिए पूंजीकरण करने की दिशा में दृष्टिकोण पर रहा है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ग्रिड उपयोगिताओं से बिजली शुल्क में प्रोत्साहन और छूट के रूप में ₹ 151.74 करोड़ प्राप्त हुए।

उपरोक्त के अलावा, विभिन्न इस्पात निर्माण प्रक्रियाओं में बिजली की खपत का अनुकूलन बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन के प्रति टन बिजली की खपत को कम करने के लिए सेल प्लांट्स का एक प्रमुख क्षेत्र है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट घराने के रूप में, आपकी कंपनी ने रूफ टॉप सोलर (आरटीएस) पावर प्लांट पर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग पर पर्याप्त जोर दिया है। सेल के सभी संयंत्रों और इकाइयों में 7.50 मेगावाट क्षमता के रूफ टॉप/ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट पहले ही लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा, आईएसपी में 4 मेगावाट क्षमता का सेल का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जनवरी, 2024 में चालू हो गया है और इसने फरवरी और मार्च, 2024 में 0.88 एमयू ग्रीन पावर का उत्पादन किया है। इसके अलावा, एनएसपीसीएल के माध्यम से बीएसपी में कूलिंग पॉन्ड पर 15 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जून, 2025 तक चालू होने की संभावना है। देश भर में कंपनी के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में 176.45 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का काम प्रगति पर है। 485 मेगावाट क्षमता वाली सौर परियोजनाओं की तकनीकी–व्यावसायिक व्यवहार्यता के लिए जांच की जा रही है। इसके अलावा, सलेम स्टील प्लांट के लिए 12 मेगावाट अक्षय खोई (बगैस) आधारित बिजली की खरीद और ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (जीईडीसीओएल) के साथ संयुक्त उद्यम में राउरकेला के मंदिरा बांध पर प्रस्तावित 10 मेगावाट लघु जल विद्युत संयंत्र आपकी कंपनी के हरित पदचिह्न को उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं।

कच्चा माल

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, लौह अयस्क की कुल आवश्यकता को कैप्टिव स्रोतों से पूरा किया गया। आपकी कंपनी की कैप्टिव खदानों ने लगभग 34.34 मिलियन टन (एमटी) लौह अयस्क का उत्पादन किया। हालांकि, स्वच्छ कोकिंग कोयले के मामले में, 19.37 एमटी की कुल खपत में से, लगभग 2.45 एमटी स्वदेशी स्रोतों (कोल इंडिया लिमिटेड और कैप्टिव स्रोतों) से पूरा किया गया और कोकिंग कोयले की शेष आवश्यकता (16.92 एमटी) के लिए, कंपनी को देश के अंदर आवश्यक गुणवत्ता की उपलब्धता में बाधा के कारण आयात पर निर्भर रहना पड़ा। वित्त वर्ष 2023–24 में, कंपनी की कैप्टिव कोयला खदानों से, जिसमें मिडिलिंग और झामा शामिल हैं, लगभग 1.184 एमटी उत्पादन हुआ था, जिसमें से 0.466 एमटी कच्चा कोकिंग कोयला और शेष 0.718 एमटी गैर–कोकिंग कोयला शामिल था। फ्लक्स के मामले में, लगभग 1.533 एमटी चूना पत्थर और 0.485 मीट्रिक टन डोलोमाइट का उत्पादन कैप्टिव स्रोतों से किया गया। आपकी कंपनी थर्मल कोयले के लिए, कैप्टिव खदानों से उत्पादित कम मात्रा को छोड़कर, पूरी तरह से कोल इंडिया लिमिटेड से खरीद पर निर्भर रहती है।



कैप्टिव खदानों से खुले बाजार में लौह अयस्क की बिक्री

ओडिशा राज्य की खदानों से लगभग 1.16 मिलियन टन लौह अयस्क खुले बाजार में उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा, झारखंड राज्य सरकार से खुले बाजार में लौह अयस्क की बिक्री के लिए मंजूरी अभी प्राप्त की जानी है।

पर्यावरणीय मंजूरी (ई सी)

कैप्टिव खदानों से डंप लौह अयस्क की बिक्री की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को मौजूदा पर्यावरण मंजूरी में संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और निम्नलिखित पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है:

- **एकीकृत पट्टा (बरसुआ-तालडीह-काल्टा):** आरओएम क्षमता को 8.05 एमटीपीए से बढ़ाकर 16.00 एमटीपीए करने की मंजूरी 28 अप्रैल, 2023 को दी गई।
- **चिरिया खदान का डोबिल पट्टा:** 23 जनवरी, 2024 से अगले 2 वर्षों के लिए सड़क मार्ग से लौह अयस्क के परिवहन के लिए मंजूरी दी गई।
- **बोलानी अयस्क खदान:** पुराने फाइन डंप के पूरे स्टॉक को अधिकतम 3 एमटीपीए तक बेचने या 12 एमटीपीए की ईसी क्षमता के अंदर कैप्टिव उपयोग के लिए बाहरी रूपांतरण एजेंसियों को आपूर्ति करने के लिए संशोधित ईसी को 13 सितंबर, 2023 को 2 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया गया।
- **चासनाला कोयला खदान:** 21 अगस्त, 2023 को राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, झारखंड ने चासनाला खदान की क्षमता विस्तार के लिए 1.2/1.5 एमटीपीए (मानक/पीक) तक पर्यावरण मंजूरी प्रदान की, साथ ही कोयला वाशरी की क्षमता का विस्तार 4 एमटीपीए तक करने की मंजूरी दी।
- **जीतपुर कोयला खदान:** 19 जून, 2023 के आदेश के अंतर्गत राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, झारखंड ने जीतपुर कोयला खदान के विस्तार के लिए 0.6/0.7 एमटीपीए (मानक/पीक) तक पर्यावरण मंजूरी प्रदान की।
- **रावघाट से अंतागढ़ तक सड़क मार्ग से लौह अयस्क:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 21 दिसंबर, 2023 को पर्यावरण मंजूरी में संशोधन किया, जिसमें 1 जनवरी, 2024 से 2 वर्ष की अवधि के लिए रावघाट से अंतागढ़ रेलवे साइडिंग और/या भानुप्रतापपुर रेलवे साइडिंग तक सड़क मार्ग से 2.0 एमटीपीए (शुरुआती छह महीनों के लिए 1.5 एमटीपीए और उसके बाद के 18 महीनों के लिए 2.0 एमटीपीए) लौह अयस्क के परिवहन की अनुमति दी गई, जिसके बाद भिलाई तक रेल परिवहन किया जाएगा।

वन मंजूरी

- एमओईएफसीसी ने 26 मई, 2023 को बोलानी खदान के 6.9 वर्ग मील पट्टे के अंतर्गत 465.62 हेक्टेयर वन भूमि (सुरक्षा क्षेत्र सहित) के डायवर्जन के लिए स्टेज–II वन मंजूरी प्रदान की है।
- एमओईएफसीसी ने 1 फरवरी, 2024 के आदेश के अंतर्गत 7 नवंबर, 2022 के अपने दिशानिर्देशों के अनुसरण में बोलानी मील के 6.9 वर्ग मील पट्टे के अंतर्गत सुरक्षा क्षेत्र के डायवर्जन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी।

पट्टा अवधि/आरक्षण अधिसूचना अवधि का विस्तार

- छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 जुलाई, 2023 और 10 जुलाई, 2023 के आदेशों के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र के राजहरा पहाड़ की लीज और पंडरीदल्ली एवं राजहरा पहाड़ लीज की अवधि को क्रमशः 31 मई, 2043 और 27 अप्रैल, 2043 तक बढ़ा दिया है।
- छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 जुलाई, 2023 के पत्र के द्वारा कलवार–नागुर लीज को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है।
- लौह अयस्क के लिए रामनदुर्गा वन रेंज में 150 एकड़ क्षेत्र के लिए खनन पट्टा विलेख के निष्पादन की प्रक्रिया में, कर्नाटक सरकार ने 29 फरवरी, 2024 के आदेश के माध्यम से भारत सरकार के खनन मंत्रालय द्वारा किए गए आरक्षण के अंतर्गत

वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने और खनन पट्टे को निष्पादित करने के लिए 19 फरवरी, 2025 तक एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए छूट मंजूरी दी है।

तसरा कोयला ब्लॉक, झारखण्ड में 4 एमटीपीए की कोयला की खान के विकास के लिए एमडीओ की नियुक्ति

मैसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और मैसर्स पीसी पटेल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के संघ को तसरा कोल ब्लॉक में 4 एमटीपीए खदान के विकास के लिए खान डेवलपर सह ऑपरेटर (एमडीओ) नियुक्त किया गया था और इस संघ के एक संयुक्त उद्यम मेसर्स कल्याणेश्वरी तसरा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ 8 सितंबर, 2023 (प्रारंभ तिथि) को कोयला खनन सेवा समझौते (सीएमएसए) पर हस्ताक्षर किए गए थे। खनन कार्य तीसरे वर्ष के दौरान 1.50 एमटीपीए और पांचवें वर्ष से 4 एमटीपीए पर शुरू होगा। एमडीओ प्रारंभ तिथि से तीन साल के अंदर वाशरी का निर्माण करेगा।

बीएसपी के कलवार-नागुर लौह अयस्क खनन पट्टे का संचालन

सभी अपेक्षित वैधानिक मंजूरियां प्राप्त होने के बाद कलवार–नागुर खदान से लौह अयस्क का प्रेषण 5 फरवरी, 2024 से शुरू हो गया है।

रामनागोर कोयला खान में खनन कार्यों का पुन: संचालन

संयुक्त अनुबंध की अनुपस्थिति और स्थानीय मुद्दों के कारण, रामनागोर कोयला खदान की सलानपुर खदान में संचालन सितंबर, 2020 में रोक दिया गया था। अनुबंध को अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही नवंबर, 2023 में संचालन फिर से शुरू हो गया है और उत्पादन धीरे–धीरे बढ़ रहा है।

जीतपुर कोयला खदान में उत्पादन फिर से शुरू

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 24 जुलाई, 2023 को संचालन की सहमति (सीटीओ) के परिणामस्वरूप, 20 सितंबर, 2023 को जीतपुर कोलियरी में उत्पादन गतिविधियाँ शुरू हुईं।

सीतानाला कोयला खदानों के लिए पूर्व आबंटी (सेल) को भुगतान के लिए मुआवजे का मूल्यांकन

16 अक्टूबर, 2023 को कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकरण ने भूवैज्ञानिक रिपोर्ट लागत के लिए 10.17 करोड़ रुपये का अंतिम मुआवजा आदेश जारी किया और इसे 16 फरवरी, 2024 को वापस कर दिया गया। हालाँकि, अन्य मुआवजे के अनुरोधों पर विचार नहीं किए जाने के कारण, सेल ने 8 जनवरी, 2024 को आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की।

गुआ अयस्क खदानों के डंप फाइन का उपयोग

कैप्टिव उपयोग के लिए गुआ अयस्क खदानों में डंप फाइन की निकासी नवंबर, 2023 में शुरू हुई, जिसमें कैप्टिव उपयोग के लिए पहली रेक बीएसएल को भेजी गई। 31 मार्च, 2024 तक कैप्टिव उपयोग के लिए सेल स्टील प्लांट को लगभग 62,835 टन लौह अयस्क भेजा गया है।

बोलानी अयस्क खदानों से मैंगनीज अयस्क के प्रेषण का आरंभ

बोलानी अयस्क खदानों के 6.9 वर्ग मील पट्टे से 1136 टन मैंगनीज की पहली खेप 30 अगस्त, 2023 को राउरकेला स्टील प्लांट को भेजी गई।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के लिए सेल का पंजीकरण

वित्त वर्ष 2023–24 में, सेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में क्रमशः 25 हेक्टेयर और 10 हेक्टेयर के दो बागान ब्लॉकों के लिए आवेदन जमा करके ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी) में सफलतापूर्वक नामांकन किया है। कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पन्न ग्रीन क्रेडिट का आदान–प्रदान वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर–वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के विचलन के मामलों में प्रतिपूरक वनीकरण दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, जहां लागू हो। इसके अतिरिक्त, इन क्रेडिट का उपयोग वर्तमान में लागू प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अंतर्गत पर्यावरण, सामाजिक और शासन रिपोर्टिंग गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है।

बिक्री और विपणन

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने लगभग 17.24 मिलियन टन (एमटी) बिक्री योग्य स्टील की बिक्री मात्रा हासिल की, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4.8 प्रतिशत अधिक है। माइल्ड स्टील के लिए 16.17 एमटी की घरेलू बिक्री के साथ, वित्त वर्ष 2022–23 की तुलना में लगभग 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022–23 में कुल निर्यात में गिरावट आई, जबकि कंपनी अंतरराष्ट्रीय बाजार में विभिन्न चुनौतियों के बीच वित्त वर्ष 2023–24 में वायर रॉड निर्यात में 11 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करने में सक्षम रही।

वित्त वर्ष 2023–24 के अधिकांश समय वैश्विक स्टील व्यवसाय परिदृश्य अधिक क्षमता और चीन से निर्यात में वृद्धि के कारण दबाव में रहा है। साथ ही, कई विकसित देश उच्च ब्याज दरों और मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण मांग आम तौर पर कम रही है। विकासशील देश भी मुद्राओं के मूल्यह्रास और कमजोर वित्तीय स्थितियों के कारण वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्थिति की तुलना में भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है और सेल ने घरेलू बिक्री पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, स्टील उत्पादों की वैश्विक कीमतें कम हो गई थीं और आमतौर पर लगातार कम होती जा रही थीं। कम अंतरराष्ट्रीय कीमतों के परिणामस्वरूप घरेलू उपलब्धता अधिक हो गई, जिसके कारण वर्ष के अधिकांश समय घरेलू कीमतों पर दबाव बना रहा। कच्चे माल की कीमतें अस्थिर रहीं। कंपनी ने नए बाजार खंडों में प्रवेश करके, खुदरा नेटवर्क के माध्यम से पहुंच का विस्तार करके और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में मूल्य प्राप्ति में सुधार करने के प्रयास करके घरेलू बाजारों में अपनी बिक्री में सुधार के लिए केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया।

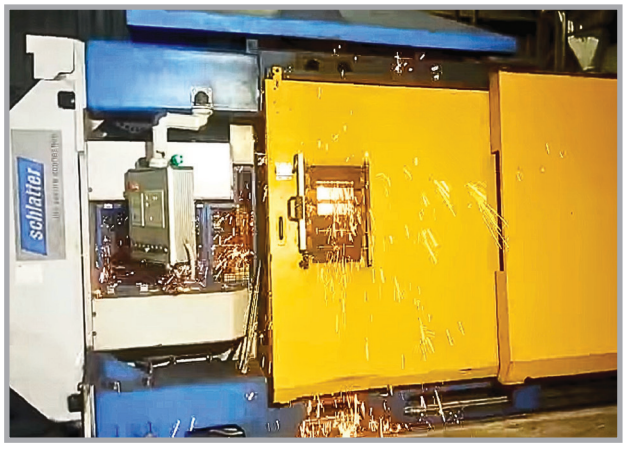
वित्त वर्ष 2023–24 में भारत में तैयार इस्पात की खपत 136.25 मिलियन टन थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.6 प्रतिशत अधिक है, जबकि तैयार इस्पात का उत्पादन 138.825 मिलियन टन था, जो वित्त वर्ष 2022–23 की तुलना में 12.7 प्रतिशत अधिक है। भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि के कारण भवन, निर्माण और बुनियादी ढांचा इस्पात क्षेत्र में वृद्धि का आधार बना हुआ है। इन्फ्रा और निर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2023–24 में सरकारी पूंजीगत व्यय के लिए कुल ₹15 लाख करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया था।

आपकी कंपनी दशकों से भारतीय रेलवे से स्टील ट्रैक की सम्पूर्ण मांग को पूरा कर रही है। वित्त वर्ष 2023–24 में भारतीय



रेलवे को कुल 11.50 लाख टन रेल की आपूर्ति की गई, कुल रेल आपूर्ति में 260 मीटर लंबी रेल वेल्डेड–पैनल घटक लगभग 87.5 प्रतिशत रहा, जो अब तक का सबसे अधिक है और पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह उल्लेख किया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान रेलवे को आपूर्ति की गई 60 किलोग्राम रेल में से 100 प्रतिशत 60 ई–1 प्रोफाइल में नव विकसित आर–260 ग्रेड शामिल है। इसके अलावा, उच्च एक्सल लोड (25टन) मार्गों के लिए रेलवे की आवश्यकता के अनुसार वित्त वर्ष 2023–24 में आर350 एचटी ग्रेड में लंबे रेल पैनलों की वाणिज्यिक आपूर्ति शुरू की गई है। भारतीय रेलवे की मांग के अनुसार, लॉन्ग रेल पैनल घटक की आपूर्ति में सुधार के लिए भिलाई स्टील प्लांट के रेल और स्ट्रक्चरल मिल में नई फ्लैश बट वेल्डिंग मशीन की स्थापना सहित विभिन्न तकनीकी विकास किए गए हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान भारतीय रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार, फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट (एफबीडबल्युपी), साबरमती से लॉन्ग रेल पैनलों की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। पश्चिम रेलवे और भिलाई स्टील प्लांट के बीच समझौता ज्ञापन से 26 मीटर रेल की फ्लैश बट वेल्डिंग के माध्यम से लॉन्ग रेल पैनलों की आपूर्ति में वृद्धि होने की उम्मीद है।

सेल भारतीय रेलवे की फोर्ज्ड स्टील व्हील आवश्यकताओं को पूरा करने वाला अग्रणी और एकमात्र घरेलू उत्पादक रहा है। भारतीय



रेलवे के लिए लोको व्हील्स का सबसे बड़ा घरेलू उत्पादक होने के अलावा, पिछले कुछ वर्षों में सेल द्वारा कई व्हील प्रोफाइल विकसित किए गए हैं, जिन्होंने आयात को प्रतिस्थापित किया है और इस तरह भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे बढ़ाया है। इस संबंध में, वित्त वर्ष 2023–24 में भारतीय रेलवे को 42,024 डब्ल्यूटीए (व्हील, टायर, एक्सल) आइटम की आपूर्ति की गई, जिनमें कुछ प्रोफाइल ऐसे भी हैं जो आयात प्रतिस्थापन आइटम हैं।

रक्षा के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपकी कंपनी की उपस्थिति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रही है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए शिप–बिल्डिंग ग्रेड स्टील की स्वदेशी खरीद के लिए भारतीय तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, टैंक/शेल के लिए विशेष ग्रेड विकसित किए गए हैं।

उपभोक्ताओं को मूल्यवर्धित और विशेष गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने की यात्रा जारी रखते हुए, वित्त वर्ष 2023–24 में सेल के उत्पादों में, अन्य बातों के साथ–साथ, ऑटो उद्योग के लिए वैक्यूम डिगैस्ड कोल्ड हेडिंग क्वालिटी वायर रॉड; फोर्जिंग, स्प्रिंग स्टील, ऑटो उद्योग, हाई–टेंसाइल टीएलटी सेगमेंट/जनरल इंजीनियरिंग आदि में अनुप्रयोगों के लिए 19एमएनबी4, एसयूपी11ए, आईएस 11169 25सी10बीटी/एसएई 15बी/25 आदि जैसे विभिन्न मूल्यवर्धित विकसित उत्पाद शामिल हैं। ऑटोमोटिव घटक के लिए सेलफॉर्मिंग 410 और एचएसएफक्यू 550 ग्रेड और तेल और गैस पाइप लाइन के लिए एपीआई एक्स60/एक्स65/एक्स70 एचआर कॉइल जैसे उत्पाद राउरकेला स्टील प्लांट के एचएसएम–2 में विकसित किए गए हैं। इनके लिए प्रमाणन भी प्राप्त किया गया है। इसके अलावा, एलपीजी सिलेंडर के लिए आईएस 5914 एचएस345 2.2/2.5 मिमी एचआर कॉइल विकसित किया गया है और इसके लिए प्रमाणन प्राप्त किया गया है। तेल पाइपलाइनों में उपयोग के लिए एआईएसआई एसएस 410 लो फॉस्फोरस लो सल्फर ग्रेड और परमाणु अनुप्रयोगों के लिए सीएफ–53 ग्रेड में आपकी कंपनी के विशेष इस्पात संयंत्रों में विकसित किए गए हैं।

टीएमटी के लिए ब्रांड "सेल सेईक्यूआर" को वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 8.44 लाख टन की बिक्री दर्ज करके और मजबूत बनाया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 5.61 लाख टन था, जिससे 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा, संरचनाओं के

लिए ब्रांड 'नेक्स' को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आपकी कंपनी पूरे भारत में 2–टियर और 1–टियर वितरण नेटवर्क का विस्तार करने की दिशा में काम कर रही है, जो बी2सी स्पेस में हमारी स्थिति को और मजबूत करेगा। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 1–टियर में 41 अतिरिक्त वितरक जोड़े गए, जिनकी संख्या 31 मार्च, 2024 तक 58 हो गई है और इस तरह टियर–1 वितरकों के माध्यम से 12.59 लाख टन की बिक्री हासिल की। टियर–2 के संबंध में, खुदरा चैनल के माध्यम से बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, सेल के पास 31 मार्च, 2024 तक 50 वितरकों और 5121 डीलरों के साथ देश भर में वितरकों और डीलरों का एक मजबूत नेटवर्क है। इसके अलावा, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 9.47 लाख टन टीएमटी की खुदरा बिक्री हासिल की है।

इस्पात मंत्रालय की 'मिशन पूर्वोदय' योजना के अंतर्गत, सेल द्वारा अपने एकीकृत इस्पात संयंत्रों वाले जिलों में स्थित एमएसएमई के विकास के लिए एक प्रोत्साहन योजना–'इस्पाती इलाकों का विकास–सेल के साथ' शुरू की गई थी। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, इन एमएसएमई को 1,20,000 टन से अधिक विभिन्न इस्पात उत्पाद बेचे गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने एनएसआईसी/एसएसआईसी को 2.21 लाख टन इस्पात की आपूर्ति की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके अलावा, राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुरूप, देश में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत में सुधार करने के लिए, इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान पूरे भारत में 400 से अधिक 'गांव की ओर' कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हसन (कर्नाटक) में बिल्ड–एक्सपो, विजाग में रियल एस्टेट एक्सपो, तमिलनाडु इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रॉपर्टी एक्सपो, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी–बीएचयू में प्रायोजन के माध्यम से सेल एसईक्यूआर प्रमोशन और हिसार में कृषि दर्शन एक्सपो (18–20 फरवरी 2024), आईपीडब्ल्यूई 2023 (मुंबई) का अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सेमिनार, स्टील और धातु सम्मेलन–आपूर्ति श्रृंखला और सोर्सिंग रणनीतियाँ (मुंबई), कुछ उदाहरण हैं। सेल ने सेल एसईक्यूआर के प्रचार के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जैसे सेल एसईक्यूआर रन फॉर ग्रीन, दिल्ली में मैराथन, चेन्नई में सेल एसईक्यूआर रन, आदि।

विपणन संगठन के वेयरहाउसिंग समूह ने सभी वेयरहाउस और सीए/डब्ल्यूएलए इकाइयों में एकीकृत वाहन ट्रैकिंग प्रणाली लागू की है, जिससे माल की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग सुनिश्चित हो रही है। तेज प्रतिस्पर्धी माल ढुलाई दरों, तेजी से डोर डिलीवरी के लिए कुशल परिवहन आदि प्राप्त करने के लिए सभी वेयरहाउस और सीए/डब्ल्यूएलए इकाइयों में डोर डिलीवरी के लिए स्पॉट–बिडिंग लागू की गई।

आपकी कंपनी विभिन्न प्रतिष्ठित संरचनाओं और सामरिक महत्व की परियोजनाओं की आवश्यकता को पूरा करके शुरू से ही राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, सेल ने बिजली परियोजनाओं, सड़क, रेल, हवाईअड्डा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, तेल और गैस क्षेत्र आदि को महत्वपूर्ण मात्रा में स्टील की आपूर्ति की है, जिनमें प्रमुख परियोजनाएं हैं बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन; चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन; दक्षिणी क्षेत्र में कलपक्कम परमाणु परियोजना, उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली अमृतसर कटरा राजमार्ग; देवघर में एम्स; 52 सुरंगों और 149 पुलों के माध्यम से जिरीबाम–तुपुल–इम्फाल को जोड़ने वाली 111 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज विस्तार परियोजना; पटना में मोकामा रेलवे ब्रिज, पूर्वी क्षेत्र में पुरी में जगन्नाथ तीर्थस्थल।

आपकी कंपनी रणनीतिक रूप से ग्राहकों और संभावित ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित करने और उन्हें मजबूत करने, ब्रांडिंग, प्रचार, अनुसंधान, प्रक्रिया सुधार, डिजिटलीकरण आदि के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं को उन्नत करने में उन्मुख है। सेल ने उपभोक्ता मन के क्षेत्र में एक नेतृत्व की स्थिति विकसित की है और लाभप्रदता और उद्यम मूल्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए लगातार विकसित और तेजी से मांग वाले व्यावसायिक परिदृश्य में लगातार बदलती अपेक्षा अंतराल को पाटने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सरकारी खरीद नीति

भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार, वित्त वर्ष 2023–24 और 2022–23 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद की जानकारी नीचे दी गई है:

(₹ करोड़)

विवरण	2023-24	2022-23
खरीद की कुल राशि	9971.41	9508.86
एमएसई से कुल खरीद	2919.87	3110.30
एमएसई से खरीद का प्रतिशत	29.28	32.71

आधुनिकीकरण और विस्तार योजना

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान संशोधित बजट अनुमान 6,000 करोड़ रुपये के मुकाबले 5,646 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया गया है। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए नियोजित पूंजीगत व्यय 6,300 करोड़ रुपये है। कार्यान्वयन के अंतर्गत परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (एएमआर) योजनाओं का विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडीएंडए) रिपोर्ट में दिया गया है।

ग. मानव संसाधन प्रबंधन की समीक्षा

आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करने में अपने मानव संसाधनों के योगदान को मानती है। कंपनी ने अपने मानव संसाधन में निवेश के माध्यम से उत्कृष्टता के अपने वर्तमान स्तर को प्राप्त किया है, जहां कौशल और ज्ञान हर पहल का आधार बनते हैं– चाहे वह तकनीक हो या नवाचार। मानव शक्ति उपयोग और श्रम उत्पादकता में सुधार के लिए कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं का विकास करना कंपनी में मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) का प्रमुख क्षेत्र है।

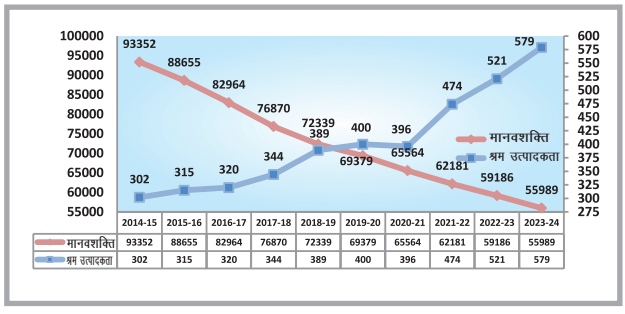
आपकी कंपनी सीखने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, हर क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है और कर्मचारियों के बीच रचनात्मकता और नवाचार का पोषण करती है। सेल में मानव संसाधन पहल टीम भावना, कर्मचारी सशक्तिकरण और विभिन्न सुधार गतिविधियों में उनकी भागीदारी विकसित करने पर केंद्रित है। व्यावसायिक प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन के रणनीतिक संरेखण ने आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाओं में 'अत्याधुनिक' तकनीक को सुचारु रूप से अपनाने में सहायता प्रदान की है।



पुनर्गठित मानवशक्ति के साथ उत्पादकता में वृद्धि

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 में 579 टीसीएस/कर्मी/वर्ष की श्रम उत्पादकता (एलपी) हासिल की। 1 अप्रैल, 2024 तक कंपनी की मानव शक्ति क्षमता 55,989 थी, जिसमें वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 3,197 मानवशक्ति युक्तिकरण हासिल किया गया। युक्तिसंगत (पुनर्गठित) मानव शक्ति के साथ बढ़ी हुई उत्पादकता विवेकपूर्ण भर्तियों, दक्षताओं के निर्माण और कर्मचारियों में आगे बढ़ने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता और लगन की भावना पैदा करने के परिणामस्वरूप हासिल की जा सकती है। 2014–15 के बाद से बढ़ी हुई उत्पादकता और मानव शक्ति युक्तिकरण की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

पिछले 10 वर्षों के दौरान मानव शक्ति और श्रम उत्पादकता



	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मानवशक्ति	93352	88655	82964	76870	72339	69379	65564	62181	59186	55989
श्रम उत्पादकता	302	315	320	344	389	400	396	474	521	579

कर्मचारी क्षमताओं और दक्षताओं का विकास

आपकी कंपनी का मानना है कि लोगों का विकास संगठन के समग्र विकास की कुंजी है। प्रशिक्षण और विकास गतिविधियों ने कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल के विकास को सुगम बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप दक्षताओं में उन्नति हुई है, जिससे संगठनात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। सेल प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से कौशल, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के संरक्षण, हस्तांतरण और सुधार पर फोकस के साथ विभिन्न प्रशिक्षण और विकास गतिविधियों के माध्यम से और प्रमुख संस्थानों के सहयोग से प्रभावी प्रबंधकीय दक्षताओं के विकास के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहा है।

कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि वे चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें और नई भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ निभा सकें। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 32,765 कर्मचारियों के लक्ष्य के मुकाबले कुल 45,314 कर्मचारियों को विभिन्न समकालीन तकनीकी और प्रबंधकीय मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा, संयंत्रों में संविदा कर्मचारियों को भारतीय लौह और इस्पात क्षेत्र परिषद (आईआईएसएसएससी) के माध्यम से पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। संगठन के शिक्षण और विकास की निरंतरता को नियमित कार्यक्रमों और आंतरिक ई–लर्निंग पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए ई–लर्निंग मॉड्यूल के अलावा विभिन्न ऑनलाइन हस्तक्षेपों के माध्यम से बनाए रखा गया।

कर्मचारियों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध

सेल ने नियोक्ता–कर्मचारी संबंधों के अनुकूल और संतोषजनक माहौल के निर्माण और उसे बनाए रखने की अपनी गौरवशाली परंपरा को कायम रखा है। ट्रेड यूनियनों/श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने और निपटाने की स्वस्थ प्रथा ने कंपनी को विभिन्न स्तरों पर श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने और एक शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध का वातावरण स्थापित करने में सक्षम बनाया है। कुछ द्विपक्षीय मंच सत्तर के दशक की शुरुआत से ही काम कर रहे हैं और श्रमिकों के वेतन, सुरक्षा और कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हैं, जो एक अनुकूल कार्य वातावरण स्थापित करने में मदद करते हैं।

राष्ट्रीय इस्पात उद्योग संयुक्त समिति (एनजेसीएस), इस्पात उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संयुक्त समिति (जेसीएसएसआई) आदि जैसे द्विपक्षीय मंच, जिनमें प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ–साथ संयंत्रों/इकाइयों के प्रतिनिधि संघों का प्रतिनिधित्व होता है, समय–समय पर बैठक करते हैं और एक सुरक्षित वातावरण और संयुक्त रूप से सामंजस्यपूर्ण कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें/कार्य योजनाएं प्रदान करते हैं, जो सेल संयंत्रों/इकाइयों में वर्षों से देखे गए सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों से पुष्ट करते हैं, जिसकी पहचान बहु–स्थानों पर विविध कार्य संस्कृति से होती है।



इसके अलावा, गुणवत्ता सर्कल, सुझाव योजनाएं, दुकान कल्याण समितियां, सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति, उत्पादकता समिति आदि भी श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई अवसर प्रदान करती हैं। श्रमिकों को रणनीतिक व्यावसायिक निर्णयों से भी अवगत कराया जाता है और संरचित/अंतःक्रियात्मक कार्यशालाओं के माध्यम से उनके विचार आमंत्रित किए जाते हैं।

कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले और साथ ही कंपनी भर में कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के साथ संरचित तरीके से कॉम्युनिकेशन किया जाता है। निदेशक प्रभारी/वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर बड़े पैमाने पर संचार अभियान चलाए जाते हैं जिसमें कर्मचारियों के बड़े समूह के साथ संरचित चर्चा शामिल होती है। ये अंतःक्रियात्मक सत्र कर्मचारियों को कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ अपने काम को संरेखित करने में सहायता करते हैं जिससे न केवल उच्च उत्पादन और उत्पादकता होती है बल्कि कर्मचारियों की अपनेपन की भावना भी बढ़ती है।

शिकायत निवारण तंत्र

सेल संयंत्रों और इकाइयों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मिकों के लिए अलग–अलग प्रभावी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र विकसित और स्थापित किया गया है। शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए संयंत्र/इकाई स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है।

सेल संयंत्र/इकाइयों में शिकायत निवारण तंत्र का रखरखाव किया रखा जा रहा है और कर्मचारियों को वेतन अनियमितताओं, काम करने की स्थिति, स्थानांतरण, छुट्टी, कार्य असाइनमेंट, कल्याण सुविधाओं आदि से संबंधित शिकायतों को उठाने के लिए हर स्तर पर अवसर दिया जाता है। इस्पात संयंत्रों/इकाइयों में प्रचलित पर्यावरण की सहभागितापूर्ण प्रकृति को देखते हुए अधिकांश शिकायतों का अनौपचारिक रूप से निवारण किया जाता है। यह प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में प्रभावी साबित हुई है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कर्मचारियों से 273 शिकायतें प्राप्त हुईं और पिछले वर्ष की 11 शिकायतें लंबित थीं, इस वर्ष के दौरान 252 शिकायतों का निपटारा किया गया, जिससे 89 प्रतिशत को दूर किया गया हुई और वित्त वर्ष 2023–24 के अंत में 32 शिकायतें लंबित रह गईं।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रणाली, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के अंतर्गत 732 शिकायतें प्राप्त हुईं।

1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	प्राप्त हुई (जिनमें अग्रेसित की गई शिकायतें शामिल हैं)	निपटारा	31 मार्च, 2024 तक लंबित
1	लोक शिकायतें	585	549	36
2	अपील	147	132	15
	कुल	**732**	**681**	**51**

पारिश्रमिक नीति

सेल में अधिकारियों के लिए वेतन और अन्य लाभ भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों पर आधारित हैं। बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के वेतनमानों के संशोधन के लिए अध्यक्षीय निर्देश इस्पात मंत्रालय द्वारा 18 नवंबर, 2021 के पत्र के माध्यम से जारी किए गए थे जो 1 जनवरी, 2017 से लागू थे और वास्तविक भुगतान 1 अप्रैल, 2020 से किया गया था। गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के मामले में, 18 नवंबर, 2021 को इस्पात मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय इस्पात उद्योग संयुक्त समिति (एनजेसीएस) के द्विपक्षीय मंच में भत्तों सहित वेतन को अंतिम रूप दिया गया/संशोधित किया गया। वेतनमान 1 जनवरी, 2017 से लागू किए गए हैं और वास्तविक भुगतान 1 अप्रैल, 2020 से किया गया था। कैफेटेरिया दृष्टिकोण के अंतर्गत भत्ते और सुविधाएं 18 नवंबर, 2021 से लागू की गई हैं। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार, कुल मिलाकर अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक और लाभ की अनुपस्थिति या अपर्याप्तता के मामले में प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में बोर्ड की रिपोर्ट में किए जाने वाले प्रकटीकरण इस रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पहल



सेल के संयंत्र और खदानों सहित इकाइयाँ देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की आबादी अधिक है। आपकी कंपनी ने इन क्षेत्रों में नागरिक, चिकित्सा, शैक्षिक और अन्य सुविधाओं के समग्र विकास में सराहनीय योगदान दिया है। कुछ योगदान इस प्रकार हैं:

- आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सेल स्टील प्लांट की स्थापना से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है, जिससे परिधीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ मिला है। सेल द्वारा विकसित स्टील टाउनशिप में चिकित्सा, शिक्षा और नागरिक सुविधाओं का बेहतरीन मिश्रण है और यह स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य लोगों के लिए एक मरु उद्यान की तरह है, जो सेल कर्मचारियों के साथ समृद्धि और विकास का लाभ साझा करते हैं।
- गैर–कार्यकारी कर्मचारियों की भर्ती, जो कुल कर्मचारियों का लगभग 82 प्रतिशत है, मुख्य रूप से क्षेत्रीय स्तर पर की जाती है और इसलिए, बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्ग को सेल में रोजगार का लाभ मिलता है।



- पिछले कुछ वर्षों में, स्टील प्लांट के आसपास के क्षेत्रों में सहायक उद्योगों का एक बड़ा समूह भी विकसित हुआ है। इससे स्थानीय बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार और उद्यमिता के विकास के अवसर पैदा हुए हैं।
- अस्थायी और अनियमित प्रकृति की नौकरियों के लिए, आम तौर पर ठेकेदारों को नौकरी के अनुबंधों को निष्पादित करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसमें वे स्थानीय क्षेत्रों से कामगारों को तैनात करते हैं, जो फिर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है।
- आपकी कंपनी ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए कई पहल की हैं जो मुख्य रूप से निम्नानुसार हैं:
  - पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों में गरीब, वंचित बच्चों के लिए विशेष विद्यालय शुरू किए गए हैं। प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में निःशुल्क शिक्षा, दोपहर का भोजन, जूते और गणवेश, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी आइटम, स्कूल बैग, पानी की बोतलें आदि शामिल हैं।



  - कंपनी द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है, चाहे वे सेल कर्मचारियों के बच्चे हों या गैर–कर्मचारियों के।
  - भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और बर्नपुर (गुटगुटपारा) में निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों की परिधीय आबादी को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, दवाइयां आदि प्रदान करते हैं।
  - सेल संयंत्रों ने आदिवासी बच्चों को गोद लिया है। उन्हें आवासीय छात्रावासों, सारंडा सुवन छात्रावास, ज्ञानोदय छात्रावास और लगभग विलुप्त बिरहोर जनजाति के लिए एक विशेष ज्ञान ज्योति योजना में उनके समग्र विकास के लिए निःशुल्क शिक्षा, गणवेश, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

कौशल विकास और बेहतर रोजगार के लिए, परिधीय गांवों के युवाओं और महिलाओं को विभिन्न आईटीआई में व्यावसायिक और विशिष्ट कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, नर्सिंग आदिवासी स्कूल पास करने वालों को आईआईटी/जेईई प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रमुख संस्थानों में कोचिंग के लिए प्रायोजित किया गया है और विभिन्न आईटीआई, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में मासिक वजीफा, आवास, परिवहन और भोजन की सुविधा के साथ प्रशिक्षण दिया जाता है।

एससी/एसटी/ओबीसी आदि पर राष्ट्रपति के निर्देशों का कार्यान्वयन

- आपकी कंपनी भर्ती और पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करती है। 1 अप्रैल, 2024 तक, कुल 55989 जनशक्ति में से 9477 अनुसूचित जातियों (16.9%) से संबंधित हैं, 8949 अनुसूचित जनजातियों (16.0 प्रतिशत) से संबंधित हैं।
- सेल के संयंत्रों/इकाइयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/दिव्यांगों के लिए आरक्षण से संबंधित आदेशों और निर्देशों के उचित अनुपालन के लिए राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
- सभी मुख्य संयंत्रों/इकाइयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रकोष्ठ कार्यरत है। सभी विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी)/चयन समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित एक सदस्य को संबद्ध किया जाता है। भर्ती बोर्ड/चयन समितियों/डीपीसी के स्तर के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के एक पर्याप्त वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को इस उद्देश्य के लिए नामित किया जाता है।
- कुल 55989 कर्मचारियों में से ओबीसी की संख्या 9431 है, जो कुल कर्मचारियों का 16.8 प्रतिशत है। ओबीसी के लिए आरक्षण 8 सितंबर, 1993 से लागू हुआ। इस तिथि से पहले शामिल होने वाले ओबीसी उम्मीदवारों को अनारक्षित (यूआर) श्रेणी में दर्शाया गया है। संयंत्रों/इकाइयों में ओबीसी के लिए आरक्षण से संबंधित आदेशों और निर्देशों के उचित अनुपालन के लिए संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
- एससी/एसटी/ओबीसी के संपर्क अधिकारियों और सेल संयंत्रों/इकाइयों के अन्य संबंधित अधिकारियों के लिए बाहरी विशेषज्ञ के माध्यम से नियमित अंतराल पर आंतरिक कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं ताकि उन्हें एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण नीति और अन्य संबंधित मामलों को अपडेट रखा जा सके।
- सेल के संयंत्रों/इकाइयों में एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ हैं जो आरक्षण नीति और अन्य मुद्दों के कार्यान्वयन पर संपर्क अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त, सेल में एक शीर्ष स्तरीय छत्र निकाय, जिसका नाम सेल एससी/एसटी कर्मचारी महासंघ है, भी मौजूद है, जो एससी/एसटी कर्मचारियों के मुद्दों का समन्वित तरीके से प्रतिनिधित्व करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन

सेल के सभी संयंत्रों और इकाइयों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है। वार्षिक रिपोर्ट सहित सभी वैधानिक रिपोर्टें इस्पात मंत्रालय को भेजी जा रही हैं और कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर भी अपलोड की जा रही हैं। आपकी कंपनी ने अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त प्रश्नों के त्वरित निवारण के लिए अधिनियम की धारा 5 और 19(1) के अंतर्गत प्रत्येक संयंत्र और इकाई में जन सूचना अधिकारी (पीआईओ)/सहायक जन सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी नियुक्त किए हैं। धारा 5(5) के अंतर्गत, पीआईओ को सूचना प्रदान करने के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों/लाइन प्रबंधकों को डीम्ड पीआईओ कहा जाता है, और आवेदक को समय पर सूचना प्रस्तुत करने के लिए उन्हें पीआईओ के समान ही जिम्मेदार बनाया जाता है।

कंपनी की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करने के साथ एक विशेष आरटीआई पोर्टल विकसित किया गया है। सभी संयंत्रों/इकाइयों ने 17 मैनुअल सूचीबद्ध किए हैं और अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरणों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया

है। अधिनियम के कार्यान्वयन पर त्रैमासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न सीआईसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा रहे हैं। ऑनलाइन अनुरोध का कार्यान्वयन 1 मई, 2015 से शुरू किया जा चुका है। कॉर्पोरेट कार्यालय के विभिन्न कार्यों की रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी का संकलन भी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। संयंत्रों/इकाइयों में आरटीआई पर जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

सेल को वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान अधिनियम के अंतर्गत कुल 3,071 आवेदन और 529 अपीलें प्राप्त हुईं और उन सभी का अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के अंदर निपटारा कर दिया गया। सीआईसी ने 43 मामले भी उठाए हैं और इनमें से अधिकांश मामलों का निपटारा कंपनी के पक्ष में किया गया।

अधिनियम के लागू होने के बाद से, सेल को 31 मार्च, 2024 तक कुल 55,567 आवेदन और 8,582 अपीलें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनका निपटारा निर्धारित समय के अंदर किया गया। इनमें से 1,151 मामलों को सीआईसी ने अपने हाथ में लिया और इनमें से अधिकांश मामलों का निपटारा कंपनी के पक्ष में किया गया।

नागरिक चार्टर

आपकी कंपनी सुशासन के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में उत्कृष्टता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ताकि सेवा वितरण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, जिसके लिए नागरिकों की पहचान करने की एक निर्धारित प्रक्रिया, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में उनकी प्रतिबद्धता और हमारी प्रमुख नीतियों के बारे में उन्हें सूचित करने की प्रक्रिया को अपनाया गया है।

सेल के नागरिक चार्टर ने अपने हितधारकों के प्रति सेल की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है, जिससे उन्हें बेहतर उत्पादों और सेवाओं की मांग करने का अधिकार मिलता है। सेल के नागरिक चार्टर के उद्देश्यों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

उत्पादों और सेवाओं में सुधार के लिए कुल गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी सभी प्रक्रियाओं में नागरिक–केंद्रित फोकस सुनिश्चित करना।

- प्रभावी नागरिक संचार चैनल सुनिश्चित करना।
- कॉर्पोरेट की वेबसाइट पर नागरिक चार्टर को प्रकाशित करके अपने व्यावसायिक संचालन की पारदर्शिता को दर्शाना।
- नागरिकों की सुविधा के लिए विफलता–सुरक्षित प्रक्रियाओं द्वारा और आपातकालीन स्थिति में अपनी सेवा पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं का लाभ उठाना, जैसे शिकायत निवारण, शिकायतों का निपटान, आदि।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

आपकी कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुरूप आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया है। ये समितियाँ यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों, यदि कोई हो, का निवारण करने के लिए गठित की गई हैं। कंपनी के सभी कर्मचारी इन नियमों के अंतर्गत आते हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए यौन उत्पीड़न शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	शिकायतों की संख्या
1 अप्रैल, 2023 तक लंबित शिकायतों की संख्या	2
2023–24 में प्राप्त शिकायतों की संख्या	3
2023–24 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	3
31 मार्च, 2024 तक लंबित शिकायतों की संख्या	2

घ. वर्ष के दौरान जीते गए पुरस्कार और प्रशंसापत्र

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार जीते हैं:

- सेल को कोविड–19 महामारी के दौरान सेल द्वारा किए गए प्रयासों के सम्मान में दिसंबर, 2023 में एकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली द्वारा मैकगिबोनी, संस्थागत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सेल के निदेशक (कार्मिक) श्री कृष्ण कुमार सिंह को प्रदान किया।
- सेल को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगठन ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा दिसंबर, 2023 से दिसंबर, 2024 की अवधि के लिए 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' के रूप में प्रमाणित किया गया है। 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' प्रमाणन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो एक सम्मानित और वांछित नियोक्ता बनने की सेल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।





- सेल को निदेशक संस्थान द्वारा गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ।
- सेल को वर्ष 2021–22 में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए 'इस्पात राजभाषा सम्मान' से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 25 अप्रैल, 2023 को श्रीनगर में आयोजित इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में तत्कालीन इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी द्वारा दिया गया और सेल के निदेशक (कार्मिक) श्री कृष्ण कुमार सिंह ने प्राप्त किया।
- सेल कॉर्पोरेट कार्यालय की हिंदी इन–हाउस पत्रिका 'इस्पात भाषा भारती' को 21 सितंबर, 2023 को विश्व हिंदी परिषद द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, 2023 में राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- सेल कॉर्पोरेट कॉम्युनिकेशन को भारतीय जनसंपर्क परिषद द्वारा चार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया–22 सितंबर, 2023 को आयोजित पुरस्कार समारोह में (i) सर्वश्रेष्ठ डिजिटल न्यूज़लैटर; (ii) सोशल मीडिया का सर्वश्रेष्ठ उपयोग; (iii) सर्वश्रेष्ठ स्टॉरी टेलिंग; और (iv) सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट फिल्म।
- बोकारो स्टील प्लांट में कोल्ड रोलिंग मिल–3 ने सीआईआई प्रोडक्शन अवार्ड्स (2023–24) में प्रथम पुरस्कार जीता।



ड़. पर्यावरण प्रबंधन

पर्यावरण में प्रदूषकों के उत्सर्जन और निर्वहन के लिए लागू अधिसूचित पर्यावरण मानकों और संयंत्र परिसर के अंदर और टाउनशिप में उत्पन्न होने वाले विभिन्न अपशिष्टों के पर्यावरण–अनुकूल प्रबंधन से संबंधित नियमों के अंतर्गत, सेल संयंत्र और खदानें न केवल पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़े बिना अपनी प्रक्रियाओं का संचालन करती हैं, बल्कि इसे संरक्षित भी करती हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, सेल अपने संयंत्रों, खदानों और इकाइयों में अपने सभी कार्यों को स्वच्छ, हरित और सतत विकास को बढ़ावा देने के अंतर्निहित उद्देश्य से करता है। कंपनी सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने और अपने हितधारकों के हितों को पूरा करने के लिए नैतिक और पारदर्शी तरीके से अपने व्यावसायिक मूल्यों और संचालन को एकीकृत करने का भी प्रयास करती है। आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति के अनुरूप अपना पर्यावरण दृष्टिकोण भी तैयार किया है, जो न केवल निर्धारित मानदंडों के अनुपालन की आवश्यकता को संबोधित करता है बल्कि इससे आगे बढ़ने के प्रयास पर भी जोर देता है। इसके अलावा, आपकी कंपनी हितधारकों की चिंताओं को दूर करने और सभी हितधारकों को अपने पर्यावरण दर्शन से अवगत कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है।



पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार

सेल संयंत्र और खदानें प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों/सुविधाओं का कुशलतापूर्वक संचालन कर रही हैं और उन्हें नियमित रूप से नवीनीकृत/पुनर्निर्मित/पुनरोद्धार करके उनका रखरखाव कर रही हैं और लागू पर्यावरण मानकों का अनुपालन करने के उद्देश्य से उन्हें नियमित रूप से अपग्रेड भी कर रही हैं, जो प्रत्येक बीतते दिन के साथ और अधिक कठोर होते जा रहे हैं। मजबूत और व्यवस्थित पर्यावरण प्रबंधन कार्यों और पहलों सहित ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्षों में निम्नलिखित क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बड़े सुधार प्राप्त हुए हैं जो निम्नलिखित हैं:

- विशिष्ट कण पदार्थ (पीएम) उत्सर्जन भार 15 प्रतिशत से अधिक घटकर 0.58 किलोग्राम/टीसीएस हो गया है।
- विशिष्ट जल खपत लगभग 14 प्रतिशत घटकर 3.02 घनमीटर/टीसीएस हो गई है।
- विशिष्ट अपशिष्ट निर्वहन 31 प्रतिशत से अधिक घटकर 1.27 घनमीटर/टीएसएस हो गया है।
- विशिष्ट अपशिष्ट भार लगभग 34 प्रतिशत घटकर 0.054 किलोग्राम/टीसीएस हो गया है।
- बीएफ स्लैग का उपयोग 1 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 100 प्रतिशत हो गया है।
- बीओएफ स्लैग का उपयोग 102 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 113 प्रतिशत हो गया है।
- कुल ठोस अपषिश्ट उपयोग 16 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 102 प्रतिशत हो गया है।

  (100 प्रतिशत से अधिक मान स्टॉक से उपयोग को इंगित करते हैं)

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, पर्यावरणीय पदचिह्नों में सुधार के लिए निम्नलिखित परियोजनाएँ पूरी की गईं:

- बीएसपी के अंतर्गत दल्ली–राजहरा माइंस में सिलिका रिडक्शन प्लांट।
- डीएसपी में बीएफ 3 के स्लैग ग्रैनुलेशन प्लांट के रिकवरी पिट वाटर का पुनःपरिसंचरण।
- डीएसपी में आउटफॉल 5 के माध्यम से अपशिष्ट जल को कम करने के लिए स्रोत पर अपशिष्ट जल का पुनःपरिसंचरण।
- आरएसपी में झील प्रबंधन प्रणाली।
- आरएसपी में आउटफॉल 1 से अपशिष्ट जल के उपचार और पुनर्चक्रण के लिए उपचार प्रणाली–1।
- बीएसएल में रिफ्रैक्टरी मटेरियल प्लांट में ईएसपी 2 का नवीनीकरण।
- बीएसएल में बीएफ 1 के साथ कास्ट हाउस स्लैग ग्रैनुलेशन प्लांट 1।
- आईएसपी में बीएफ, बीओएफ और पीबीएस सील पॉट से अपशिष्ट जल का उपचार और पुनःपरिसंचरण।
- सीसीपी, आरएचएफ, डब्ल्यूआरएम एवं बीएम, यूएसएम, सीसीएएस और आईएसपी में ऑक्सीजन प्लांट से अपशिष्ट जल का उपचार और पुनःपरिसंचरण।

ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों और अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों/ सुविधाओं को अपनाना

आपकी कंपनी ने अपने आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के दौरान और उसके बाद, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने के अपने अभियान में नवीनतम अत्याधुनिक स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम उपलब्ध और व्यवहार्य प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं को लागू किया है।



स्थापित की गई कुछ प्रमुख स्वच्छ प्रौद्योगिकियां/नवीनतम प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं निम्नलिखित हैं:

- कोक ड्राई कूलिंग प्लांट, भूमि आधारित पुशिंग उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली, कम्प्यूटरीकृत दहन नियंत्रण प्रणाली के साथ लंबी कोक ओवन बैटरी।
- शीर्ष दबाव रिकवरी टर्बाइन (टीआरटी), कोल डस्ट इंजेक्शन (सीडीआई) और अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी (डब्ल्यूएचआर) बड़े वॉल्यूम (> 4000 घनमीटर) ब्लास्ट फर्नेस के साथ–साथ स्टील मेल्टिंग शॉप (एसएमएस) में हॉट मेटल ट्रांसफर के लिए टारपीडो लैडल्स।
- बेहतर इग्निशन सिस्टम (मल्टी–स्लिट बर्नर) के साथ एकीकृत सिंटर प्लांट, सिंटर कूलर के साथ अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी सिस्टम।
- स्टील की निरंतर ढलाई।
- कास्ट हाउस स्लैग ग्रैनुलेशन प्लांट।
- रोलिंग मिलों में वॉकिंग बीम प्रकार की रीहीटिंग भट्टियाँ।
- प्लांट मशीनरी में वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ़्रीक्वेंसी (VVVF) ड्राइव।
- प्लांट मशीनरी में ऊर्जा–कुशल आई3 मोटर और पंप की स्थापना।
- बिजली उत्पादन के लिए उप–उत्पाद गैस फायर बॉयलर।

डीकार्बोनाइजेशन और कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और सीक्वेस्ट्रेशन के लिए की गई पहल

- बीएसपी ने इस्पात उत्पादन के दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए अभिनव और टिकाऊ समाधान तलाशने के लिए अगस्त, 2023 में जर्मनी की अग्रणी इंजीनियरिंग कंपनी एसएमएस ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस तरह के सहयोग से स्टीलमेकिंग प्रक्रियाओं में डीकार्बोनाइजेशन तकनीक को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही सेल के स्टील प्लांट्स में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
- कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए डीकार्बोनाइजेशन रणनीति के एक हिस्से के रूप में, आरएसपी ने ग्रीन स्टीलमेकिंग टेक्नोलॉजी को क्रमिक रूप से अपनाने के अपने प्रयास में फरवरी, 2024 में मेसर्स प्राइमेटल्स टेक्नोलॉजीज, ऑस्ट्रिया जीएमबीएच के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और सीक्वेस्ट्रेशन (सीसीयूएस) उन तकनीकों में से एक है जो लौह और इस्पात उद्योग से कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकती है और इसमें देश को अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करने की अपार क्षमता है, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की स्थिरता सुनिश्चित करता है।



सीसीयूएस के क्षेत्र में सहयोग करने के उद्देश्य से, मैसर्स राम चरण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (आरसीपीएल), चेन्नई के साथ साझेदारी में अलग–अलग प्लांट स्थलों पर अलग–अलग पायलट प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है, ताकि औद्योगिक फ़्लू गैसों से कार्बन को कैप्चर किया जा सके और उसे मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, आइसोमाइल अल्कोहल और एसीटेट आदि जैसे उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जा सके। पायलट पैमाने पर सफल प्रदर्शन के बाद, सीसीयूएस में योगदान देने वाली उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए सेल की अटूट प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए प्रक्रिया की व्यावसायिक व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा, इस्को स्टील प्लांट ने 50 टीडीपी की सीसीयूएस सुविधा स्थापित करने के लिए आईआईटी, मुंबई को एक ठेका दिया है। यह कार्बन तटस्थता की दिशा में सेल की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

सेल के डीकार्बोनाइजेशन पर रणनीतिक दृष्टिकोण

वर्ष 2030 तक प्रति टन कच्चे इस्पात (टन/टीसीएस) पर 2.30 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने की भारत की एनडीसी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, सेल के डीकार्बोनाइजेशन कार्यक्रम को तीन अलग–अलग चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें वर्ष 2030–31 तक 2.19 टन/टीसीएस प्राप्त करने के लिए कार्य योजनाएं शामिल हैं।

सेल की डीकार्बोनाइजेशन रणनीति मौजूदा वास्तुकला और लॉजिस्टिक्स, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, उत्पाद बास्केट और बाजार की गतिशीलता, प्रौद्योगिकी समावेशन दर और फंड की उपलब्धता, भविष्य की विस्तार योजना, सफल तकनीकी विकास, सरकारी नीतियों और कंपनी की सामाजिक प्रतिबद्धता के आधार पर तैयार की गई है।

चरण-1 डीकार्बोनाइजेशन: 2005-06 से 2022-23 तक

चरण–1 के दौरान, सेल ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तीव्रता को लगभग 20 प्रतिशत कम कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तीव्रता में कमी लाने के लिए की गई प्रमुख पहल नीचे सूचीबद्ध हैं:

ऊर्जा-कुशल और कार्बन डाइऑक्साइड शमन प्रौद्योगिकियों का समावेशन:

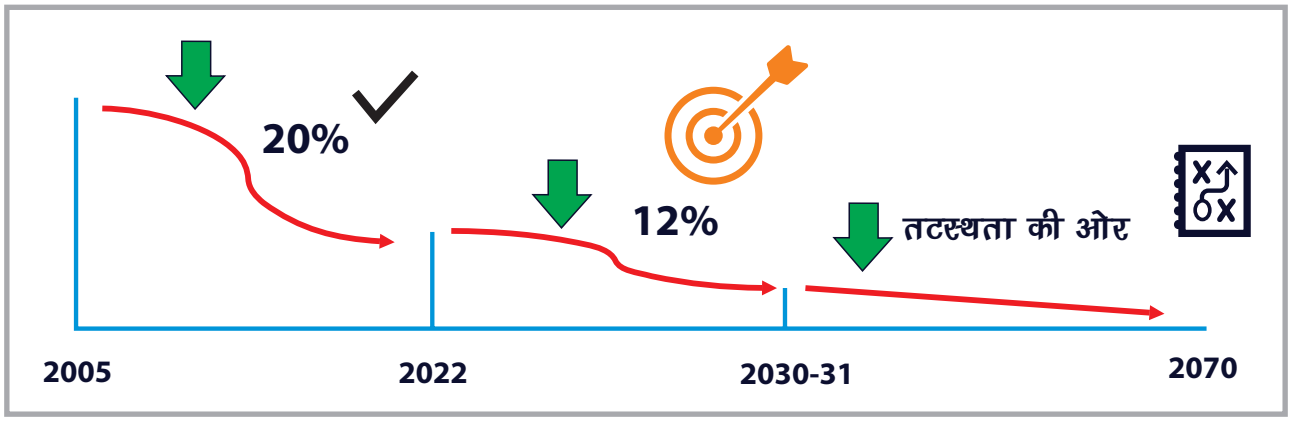
- लंबे कोक ओवन बैटरियों (सीओबी) में कोक ड्राई कूलिंग प्लांट (सीडीसीपी) सुविधा।
- बड़े वॉल्यूम वाले बीएफ में बीएफ टॉप गैस प्रेशर रिकवरी टर्बाइन (टीआरटी), कोल डस्ट इंजेक्शन (सीडीआई) और वेस्ट हीट रिकवरी (डबल्युएचआर)।
- बीएफ से एसएमएस तक हॉट मेटल ट्रांसफर के लिए टॉरपीडो लेडल।
- सिंटर प्लांट में डबल्युएचआर सिस्टम।
- रोलिंग मिलों में वॉकिंग बीम टाइप रीहीटिंग फर्नेस।
- बिजली उत्पादन के लिए गैस से चलने वाले बॉयलर।
- ऊर्जा कुशल शाफ्ट भट्टियाँ।
- प्लांट मशीनरी में वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ़्रीक्वेंसी (वीवीवीएफ) ड्राइव।
- नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग: 6.115 मेगावाट के सौर संयंत्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। फ्लोटिंग टाइप और रूफ–टॉप सोलर प्लांट और हाइडल पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है।
- ऊर्जा–कुशल प्रकाश की ओर: 7.34 लाख से अधिक पारंपरिक लाइटों के स्थान पर पहले ही एलईडी लाइटें लगा दी गई हैं।



- स्थापना के बाद से लगभग 22 मिलियन पेड़ लगाए गए हैं और खनन प्रभावित क्षेत्रों की पारिस्थितिकी बहाल की गई है।

चरण-2 डीकार्बोनाइजेशन: 2030-31 तक आधुनिकीकरण के बाद की अवधि

देश की मांग और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप, सेल अपने एकीकृत इस्पात संयंत्रों से 2023–24 के दौरान अपने कच्चे इस्पात



उत्पादन को 19.2 मिलियन टन (एमटी) से बढ़ाकर 2030–31 तक 31.49 मिलियन टन करने के लिए तैयार है और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और नवीकरणीय/गैर–पारंपरिक ऊर्जा की बढ़ी हुई हिस्सेदारी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

चरण–2 में सेल ने भारत के एनडीसी के अनुरूप सीओ2 उत्सर्जन तीव्रता में ~12 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य रखा है, जिससे सीओ2 उत्सर्जन 2.19 टन सीओ2/टीसीएस से नीचे आ जाएगा।

चरण-3: 2070 तक नेट जीरो तक गहन डीकार्बोनाइजेशन

स्टील सेक्टर में वर्तमान में उपलब्ध और स्थापित तकनीकों के साथ, कार्बन तटस्थता का लक्ष्य बेहद चुनौतीपूर्ण है। इस्पात उत्पादन के लिए कार्बन तटस्थता का लक्ष्य कुछ सफल तकनीकों को अपनाकर हासिल किया जा सकता है, जो मुख्य रूप से गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित रिडक्टेंट या किसी वैकल्पिक ईंधन और प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं जो इस्पात उत्पादन से उत्सर्जन को काफी कम कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तकनीके निम्नलिखित हैं:

- सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीकों (बीएटी) के रेट्रोफिटिंग के माध्यम से प्रक्रियाओं की ऊर्जा दक्षता में और अधिक सुधार।
- ऊर्जा–गहन पुरानी प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना।
- स्थापित इकाइयों की पूरी क्षमता का उपयोग।
- लाभकारी सुविधाओं को बढ़ाकर और नई खदानों से अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की सोर्सिंग करके बेहतर गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग।
- जीवाश्म आधारित बिजली के विकल्प के लिए नवीकरणीय/हरित बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाना।
- उद्योग 4.0 का एकीकरण।
- लौह एवं इस्पात निर्माण के लिए न्यून कार्बन प्रौद्योगिकी विकसित करने की नई पहल के साथ–साथ अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से उत्पाद और प्रक्रिया नवाचार।
- सीसीयूएस/हरित इस्पात निर्माण के लिए राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी।
- कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए हरित आवरण में वृद्धि।
- कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करने और प्रक्रिया और ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कार्य योजनाएँ तैयार करने के लिए जीवन चक्र मूल्यांकन (एलसीए) जैसे उपकरणों का अधिकतम उपयोग करने से सेल को लक्षित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को बहुत तेज़ गति से प्राप्त करने में मदद मिलेगी
- कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला को धीरे–धीरे प्रभावित करना।

पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स का पर्यावरण के अनुकूल निपटान

'स्टॉकहोम कन्वेंशन' मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) से बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। पॉलीक्लोरीनेटिड बाइफिनाइल्स (पीसीबी), जो एक एक पीओपी है, का किसी भी रूप में उपयोग 31 दिसंबर, 2025 तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। पीसीबी का उपयोग ट्रांसफॉर्मर में डाइइलेक्ट्रिक द्रव के रूप में और सफाई विलायक के रूप में भी किया जाता है। पीओपी पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुपालन में, पर्यावरण मंत्रालय और यूएनआईडीओ के साथ साझेदारी में बीएसपी में पीसीबी के पर्यावरण के अनुकूल निपटान के लिए एक सुविधा स्थापित की गई है। यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है।

4 आर (कमी, पुन:उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति) के अनुप्रयोग के माध्यम से अपशिष्टों के उपयोग को बढ़ाना

- आपकी कंपनी ठोस अपशिष्ट उत्पादन को कम करने और इसके उपयोग को अधिकतम करके 100 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसने अपनी सभी प्रक्रियाओं में '4आर नीति' (कमी, पुनःउपयोग, पुनर्चक्रण और पुनःप्राप्ति) को अपनाया है।
- बीओएफ स्लैग के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से, इस्पात मंत्रालय के मार्गदर्शन में आईसीएआर–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के माध्यम से 'स्थायी कृषि और समावेशी विकास के लिए स्टील स्लैग आधारित लागत प्रभावी पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों के विकास' पर एक आरएंडडी परियोजना प्रस्ताव को प्राप्त किया गया है। आईएआरआई ने विभिन्न स्टील स्लैग आधारित मूल्य वर्धित उत्पाद विकसित किए हैं और स्वतंत्र क्षेत्र प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए इसे उद्योग भागीदारों के साथ साझा किया है। सेल के सभी पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों ने अपने स्थल पर क्षेत्र परीक्षण करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। परियोजना इस्पात उद्योग और कृषि के सहजीवी विकास को सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा, इस परियोजना से मिट्टी को बेहतर बनाने वाले एजेंट के रूप में बीओएफ स्लैग के लाभकारी उपयोग और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक आशाजनक रास्ता खुलने की परिकल्पना की गई है।
- सेल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीण सड़क निर्माण में बीओएफ स्लैग के उपयोग के लिए भी कदम उठाए हैं।
- आईएसपी और डीएसपी में भूमि भराव और सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए बीओएफ स्लैग का प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2023–24 में क्रमशः 314 प्रतिशत और 199 प्रतिशत था।
- एक हरित पहल के रूप में और सीओ2 उत्सर्जन को कम करने के साथ–साथ 100 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट उपयोग को प्राप्त करने के लिए, बीएसपी ने बीओएफ स्लैग का उपयोग करके पेवर ब्लॉकों के निर्माण के लिए प्रति दिन 1000 टाइलों की क्षमता का 'सेल ग्रीन टाइल्स प्लांट' स्थापित किया है। मैसर्स प्रोमन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणाम उत्साहजनक रहे और 25 प्रतिशत बीओएफ स्लैग रेत को सामान्य रनर रेत के साथ मिलाकर रनर ड्रेसिंग सामग्री के रूप में उपयोग करने की सिफारिश की गई है।

एलईडी प्रकाश प्रणाली को स्थापित करना

आपकी कंपनी भारत सरकार की पहल 'सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) योजना' के अनुरूप पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था से धीरे–धीरे अधिक ऊर्जा–कुशल और टिकाऊ एलईडी प्रकाश व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। इस संबंध में, कंपनी के सभी संयंत्रों और इकाइयों में पहले से ही दस लाख से अधिक एलईडी लाइटें लगाई जा चुकी हैं, जो कुल लाइटों का लगभग 84 प्रतिशत है। इसके अलावा, सभी आगामी परियोजनाओं में केवल एलईडी प्रकाश व्यवस्था होगी।

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)

आईएसओ:14001 से जुड़ी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) प्रक्रियाओं और प्रथाओं का एक समूह है जो किसी संगठन को अपने पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने और अपनी परिचालन दक्षता बढ़ाने में सक्षम बनाती है। ईएमएस के कार्यान्वयन से सेल के संयंत्रों और



खानों को लागू नियामक आवश्यकताओं के अंदर प्रदर्शन सुनिश्चित करने में मदद मिली है।

ईएमएस (आईएसओ–14001) को सभी संयंत्रों में लागू किया गया और कंपनी पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए अपने दायरे में आने वाली सभी खानों को कवर करने का प्रयास कर रही है। हाल के वर्षों में, बरसुआ लौह अयस्क खदान, गुआ अयस्क खदान, किरुबुरू और मेघाहातुबुरू लौह अयस्क खदानें, बोलानी लौह अयस्क खदान, मनोहरपुर लौह अयस्क खदान, दल्ली लौह खदान और सीएमओ के गोदामों को भी आईएसओ 14001 प्रमाणित किया गया है।

पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना परियोजनाएँ

खराब हो रहे पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और पुनर्वास जैव–विविधता को बनाए रखने और उसका विकास करने के साथ–साथ पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को फिर से मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। ओडिशा में पूर्णापानी चूना पत्थर खदानों और उसके आस–पास के क्षत–विक्षत भू–भाग को सफलतापूर्वक बहाल करने के बाद, मेघाहातुबुरू लौह अयस्क खदानों और किरीबुरू लौह अयस्क खदानों की पारिस्थितिकी–पुनर्स्थापना के लिए नई पहल की गई है। दोनों खदानों में खनन किए गए क्षेत्र और अपशिष्ट डंपों की पारिस्थितिकी–पुनर्स्थापना के लिए रांची स्थित वन उत्पादकता संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कार्य प्रगति पर है।

अक्षय ऊर्जा का दोहन

आपकी कंपनी ने अपने संयंत्रों, इकाइयों और खदानों में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत अभियान चलाया है और बिजली उत्पादन के साथ–साथ हीटिंग उद्देश्यों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कुछ सुविधाएँ स्थापित की हैं। सेल के अधिकांश गेस्ट हाउस और अस्पताल सौर जल तापन/सौर प्रकाश व्यवस्था प्रणालियों से सुसज्जित हैं। सतत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए अपनी प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में, सेल ने पहले ही 12.58 मेगावाट सौर इकाइयों को चालू कर दिया है। उपरोक्त के अलावा लगभग 7 मेगावाट बगैस आधारित अक्षय ऊर्जा भी खरीदी जा रही है।

इसके अलावा कार्यान्वयन के अंतर्गत प्रमुख अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

- **एनएसपीसीएल के माध्यम से सौर परियोजनाएँ**
  - i. बीएसएल टाउनशिप में 25 मेगावाट का ग्राउंड–माउंटेड सोलर प्लांट
  - ii. बीएसएल में कूलिंग पॉन्ड के ऊपर 30 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट
  - iii. डीएसपी टाउनशिप में 20 मेगावाट का ग्राउंड–माउंटेड सोलर प्लांट
  - iv. डीएसपी के वारिया जलाशय पर 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट
  - v. सेल ग्रोथ वर्क्स, कुल्टी में 25 मेगावाट का ग्राउंड–माउंटेड सोलर प्लांट
  - vi. बीएसपी के मरोदा–2 जलाशय पर 20 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट
- मंदिरा डैम, आरएसपी में संयुक्त उद्यम, जीईडीसीओएल–सेल पावर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से 10 मेगावाट की लघु जल विद्युत परियोजना
- बीएसपी भूमि खण्ड पर सीएसवीटीयू के पास उताई में 6 मेगावाट क्षमता और क्रेडा के माध्यम से बीएसपी के हिर्री माइंस में उपलब्ध भूमि पर 500 किलोवाट क्षमता।

सेल ने वर्ष 2028–29 तक अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता को 384 मेगावाट तक बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है।

वृक्षारोपण

आपकी कंपनी समग्र पर्यावरण प्रबंधन पहलों में वृक्षारोपण की भूमिका को समझती है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि प्लांट पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। इस तरह के वृक्षारोपण देशी प्रजातियों को बढ़ावा देने और पर्यावरण बहाली के साधन के रूप में बंजर भूमि पर वन पुनर्जनन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाते हैं। वनरोपण द्वारा विकसित हरियाली सौंदर्यपूर्ण वातावरण में वृद्धि करती है, जो धूल और शोर अवरोधक बन जाती है और सीओ2 का प्राकृतिक सिंक/अवशोषक भी बन जाती है। पौधों के विशाल योगदान को ध्यान में रखते हुए, सेल अपने संयंत्रों और खदानों में अपने प्रारंभिक चरण से ही व्यापक वनरोपण कार्यक्रम को धार्मिक रूप से अपना रहा है। वृक्षारोपण पर विशेष जोर देते हुए, 2023–24 के दौरान लगभग 2.5 लाख पौधे लगाए गए हैं। आज तक सेल संयंत्रों और खदानों में 22 मिलियन से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं।

च. कंपनी की रणनीतिक पहल

आपकी कंपनी ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें जैविक विकास, ब्राउन–फील्ड परियोजनाएं, रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी नेतृत्व, नई खदानों के विकास के माध्यम से कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना, संबद्ध क्षेत्रों में विविधीकरण आदि शामिल हैं। उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुरूप, सेल ने विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम कंपनियों का गठन किया है जैसे बिजली उत्पादन, रेल वैगन विनिर्माण, स्लैग सीमेंट उत्पादन, नए विदेशी स्रोतों से कोकिंग कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करना आदि।

सेल संयंत्रों का विनिवेश

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 27 अक्टूबर, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की तीन इकाइयों विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसपी), भद्रावती, कर्नाटक, सेलम स्टील प्लांट (एसएसपी), तमिलनाडु और एलॉय स्टील्स प्लांट (एएसपी), दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी थी। एएसपी, एसएसपी और वीआईएसपी की रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) 4 जुलाई, 2019 को जारी की गई थी। एएसपी के मामले में, कोई ईओआई प्राप्त नहीं हुई। वीआईएसपी और एसएसपी के योग्य बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ईओआई के माध्यम से एएसपी के विनिवेश के दो असफल प्रयासों के बाद, दीपम ने इस्पात मंत्रालय से इस मुद्दे की जांच करने और उन्हें अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया है। सेल एएसपी के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए व्यवहार्य विकल्पों पर विचार कर रहा है।

वीआईएसपी और एसएसपी के संबंध में, दीपम के निर्णय के अनुसार, सेल बोर्ड ने 16 जनवरी, 2023 और 12 फरवरी, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में इन इकाइयों के संबंध में दीपम के निर्णय को अमान्य किया है।

व्यावसायिक उत्कृष्टता पहल

सेल के अधिकांश संयंत्र/इकाइयाँ आईएसओ 9000, आईएसओ 14000, आईएसओ 45000, एसए 8000, आईएसओ 50000 और आईएसओ 27000 प्रबंधन प्रणालियों के लिए प्रमाणित हैं। प्रमाणन एजेंसियों के पैनल में शामिल होने से कई लाभ हुए हैं, जिनमें ऑडिट मैन–डेज़ में कमी, प्लांट/यूनिट की सभी प्रबंधन प्रणालियों के लिए एकल प्रमाणन एजेंसी, प्रमाणन एजेंसियों को शामिल करने में संचालन में आसानी, ऑडिट की गुणवत्ता में सुधार और प्रशासनिक बाधाओं में कमी महत्वपूर्ण हैं। 2023–26 के लिए प्रमाणन एजेंसियों के चयन के लिए पैनल को मई, 2023 में अंतिम रूप दिया गया था। पैनल के अंतर्गत में छह प्रबंधन प्रणालियों यानी आईएसओ 9000, आईएसओ 14000, आईएसओ 45000, एसए 8000,

आईएसओ 27000 और आईएसओ 50000 से संबंधित प्रमाणन और प्रशिक्षण शामिल थे। मानकों की आवश्यकता के अनुसार प्रबंधन प्रणालियों के रखरखाव के लिए ऑन–साइट और रिमोट (ऑनलाइन) ऑडिट/प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे।

सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पहल

आपकी कंपनी ने प्रतिस्पर्धी बने रहने, ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं को पूरा करने और उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए डिजिटल पहलों के माध्यम से व्यावसायिक प्रक्रियाओं के परिवर्तन की यात्रा शुरू की है। बेहतर मापनीयता के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग को बड़े पैमाने पर अपनाया गया है। प्रक्रियाओं के स्वचालन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उपकरणों द्वारा संचालित वास्तविक समय में निगरानी प्रणालियों ने परिसंपत्तियों और वातावरण की निरंतर निगरानी को सक्षम किया है, जिससे संभावित खतरों का जल्द पता लगाना और आपात स्थितियों पर त्वरित प्रतिक्रिया करना संभव हो गया है। डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से, सेल नए अवसरों को खोलने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में चुस्त रहने में सक्षम रहा है।



वर्ष 2023–24 के दौरान पूर्ण की गई कुछ पहल नीचे दी गई हैं:

कंपनी के संयंत्रों में उत्पादन डेटा की निगरानी के लिए शीर्ष प्रबंधन के लिए कमांड सेंटर डैशबोर्ड लागू किया गया है।

- राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एचएसएम–2, डब्ल्यूआरएम, बीआरएम, एमएम, एसएमएस में एचआर कॉइल्स के लिए क्यूआर कोड लेबल प्रिंटिंग के कार्यान्वयन और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) पोर्टल के साथ इसके एकीकरण के माध्यम से भारत सरकार ने एचएसएम–2, डब्ल्यूआरएम, बीआरएम, एमएम, एसएमएस में एचआर कॉइल्स के लिए क्यूआर कोड लेबल प्रिंटिंग के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत सरकार के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की है।
- इस्पात उद्योग तकनीकी प्रगति, बाजार की बदलती मांगों और प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता बनाए रखने के लिए विकसित नियामक परिदृश्यों द्वारा संचालित महत्वपूर्ण बदलावों का अनुभव कर रहा है। इस संबंध में, प्रासंगिक और लचीला बने रहने और डिजिटलीकरण को अपनाने और इसकी परिवर्तनकारी क्षमता का लाभ उठाने के लिए, सेल डिजिटल परिवर्तन रोडमैप की तैयारी और इसके कार्यान्वयन के लिए एक सलाहकार को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।
- एक सहायक वातावरण बनाकर आपकी कंपनी की महिलाओं को प्रेरित और सशक्त बनाने के लिए एक महिला विशेष पोर्टल 'सखी' शुरू किया गया।
- डिजिटल परियोजना निगरानी प्रणाली और एक इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग और दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है।
- सेल के बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, इस्को स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट के अस्पतालों में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) सफलतापूर्वक लागू की गई है और भिलाई स्टील प्लांट में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- मोबाइल एप्लिकेशन और डिजिटलीकरण के विकास के साथ प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है। इस संबंध में, आपकी कंपनी ने बीआई–एसईई अवलोकनों को रिकॉर्ड करने, मौके पर तस्वीरें अपलोड करने के लिए एक मोबाइल ऐप के साथ–साथ ई–सुरक्षा मॉड्यूल विकसित किया है। इसमें सभी प्रमुख वर्टिकल–बीआई–एसईई (व्यवहारिक हस्तक्षेप–सुरक्षा प्रोत्साहन और जुड़ाव), आई2 (घटना जांच), ऑडिट, मानक, एचएचपी (उच्च जोखिम प्रक्रियाएं) की विशेषताएं हैं। घटना की जांच में तेजी लाने के लिए डैशबोर्ड, केपीआई और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की जाती हैं।
- कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, आपकी कंपनी ने ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देकर 'सेल शाबाश' योजना शुरू की है।
- व्यवसाय स्वचालन की निरंतरता में, मार्केटिंग, टाउनशिप, अस्पताल, सामग्री प्रबंधन के विक्रेताओं और ग्राहकों और कर्मचारियों जैसे कई स्रोतों से प्रेषण स्वीकार करने के लिए भुगतान गेटवे लागू किया गया है।
- आपकी कंपनी ने मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा और सामंजस्य स्थापित करके एसएपी ईसीसी से एस/4एचएएनए में परिवर्तन की यात्रा शुरू की है। एस/4एचएएनए की इन–मेमोरी कंप्यूटिंग, उन्नत एनालिटिक्स और सरलीकृत डेटा मॉडल के साथ, व्यवसाय अधिक स्फूर्ति, त्वरित निर्णय लेने और बेहतर परिचालन दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे डिजिटल परिवर्तन और भविष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
- बेहतर ग्राहक जुड़ाव के लिए, बिक्री और विपणन अधिकारियों के लिए ग्राहक संपर्क मोबाइल ऐप पेश किया गया है जो ग्राहक के 360 दृश्य को कैप्चर करता है। इसके अलावा, सेकेंडरी सेल्स के लिए व्यापक ग्राहक पोर्टल लागू किया गया है, जो सेकेंडरी सेल्स के ग्राहकों की सभी गतिविधियों का ख्याल रखता है। पारदर्शिता बढ़ाने, ग्राहक सेवा में सुधार करने और व्यापार करने में आसानी के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
- ऊर्जा खपत, तापमान और अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों की निगरानी और अनुकूलन के लिए पूरी उत्पादन प्रक्रिया में स्मार्ट सेंसर लगाए गए हैं।
- हार्डवेयर सुरक्षा मॉड्यूल का उपयोग करके चालान, परीक्षण प्रमाणपत्र और सेवा पी.आर. में डिजिटल हस्ताक्षर का कार्यान्वयन।



- मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए, स्वचालित वाहन प्रवेश शुरू किया गया है, जिससे केवल अधिकृत वाहनों को ही नंबर प्लेट पढ़कर बूम बैरियर के माध्यम से गोदाम में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है, जिससे सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा मैन्युअल जांच से बचा जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी को एक कदम और आगे ले जाते हुए, संयंत्रों में प्रक्रियाओं का अनुकरण और अनुकूलन करने, भौतिक परीक्षणों की आवश्यकता को कम करने और सामग्री की बर्बादी को कम करने के लिए भौतिक परिसंपत्तियों की डिजिटल प्रतिकृतियां बनाकर डिजिटल ट्विन्स की शुरुआत की जा रही है। इस संबंध में, सेल ने ब्लास्ट फर्नेस का डिजिटल ट्विन बनाया है, जो ब्लास्ट फर्नेस की वस्तुतः निगरानी करने की अनुमति देता है।
- वैगन टिपलर 4, 5 और 6 की ऑनलाइन निगरानी और ट्रैक हॉपर 1, 2 और 3 की कन्वेयर बेल्ट की स्थिति के लिए इन–हाउस एप्लिकेशन विकसित किया गया है।
- सतत कास्टिंग प्लांट (सीसीपी) उत्पादों के एनएबीएल मानक के अनुसार परीक्षण अनुरोध ज्ञापन निर्माण, परीक्षण परिणाम रिकॉर्डिंग और परिणामों के प्रदर्शन के लिए प्रणाली विकसित की गई है।

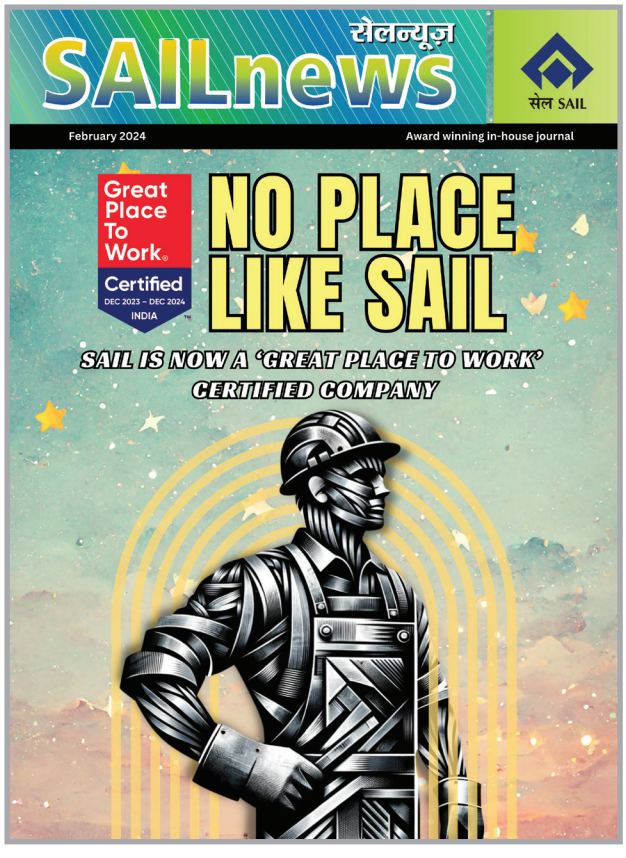
कॉर्पोरेट संचार

आधुनिक व्यवसाय के गतिशील परिदृश्य में, कॉर्पोरेट संचालन में प्रभावी संचार एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। संचार कंपनी के अंदर और हितधारकों के साथ एक बंधन कारक के रूप में कार्य करता है, और साथ ही मजबूत ब्रांड नाम का निर्माण करता है और स्थायी संबंध बनाता है।

सेल में यह उपलब्धि सावधानीपूर्वक तैयार की गई और व्यापक संचार रणनीतियों के माध्यम से प्राप्त की गई है। सार्थक संवाद की परिवर्तनकारी शक्ति में दृढ़ विश्वास हमारे लोकाचार के केंद्र में है। आपकी कंपनी संचार को दो–तरफ़ा मार्ग के रूप में पहचानती है, जहाँ हितधारकों के साथ जुड़ना–चाहे वे कर्मचारी हों, ग्राहक हों, निवेशक हों, आपूर्तिकर्ता हों या बड़े पैमाने पर समुदाय हों, अत्यंत सार्थक और महत्वपूर्ण है।

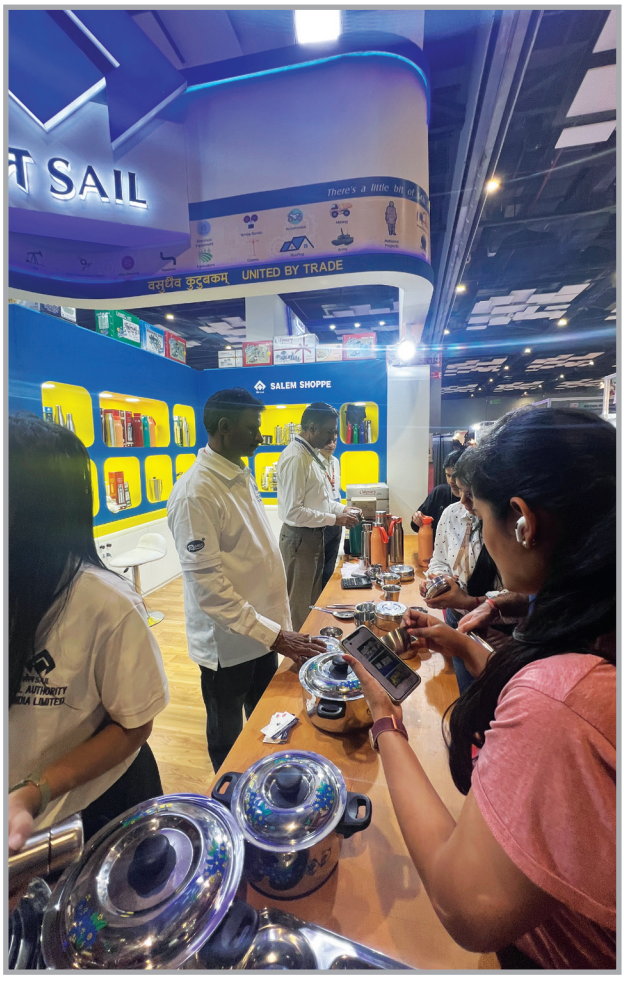
सेल सक्रिय रूप से सुनने, जरूरतों को समझने, विचारशील प्रतिक्रियाएँ प्रदान करने और कार्रवाई को प्रेरित करने वाला दृष्टिकोण अपनाता है। आपकी कंपनी खुलेपन के माहौल में काम करती है, यह सुनिश्चित करती है कि हितधारकों को पहलों, गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो। इसके अलावा, हम सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं और उसे महत्व देते हैं, चिंताओं को दूर करते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में हितधारकों को शामिल करते हैं। समावेशी संचार के लिए यह प्रतिबद्धता हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र में है जो विश्वास पैदा करती है और हमारे सभी हितधारकों के बीच साझे स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देती है। जैसे–जैसे सेल की ज़रूरतें और प्रगति निरंतर विकसित हो रही हैं, वैसे–वैसे कॉर्पोरेट संचार की भूमिका भी बढ़ रही है, जो पारदर्शिता, जुड़ाव और आपसी सम्मान के प्रति अपने समर्पण में दृढ़ रहते हुए उभरती चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए खुद को ढाल रहा है।

आंतरिक संचार



आंतरिक संचार कर्मचारियों को सशक्त बनाने और सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी कंपनी में, कर्मचारी परिवर्तन और सफलता के चालक हैं। आंतरिक संचार संगठनात्मक सफलता के लिए एक मज़बूत साधन के रूप में कार्य करता है, जबकि कंपनी के अंदर सहयोग, जुड़ाव, सूचना साझाकरण और परिवर्तन प्रबंधन के साथ–साथ फीडबैक तंत्र को भी आगे बढ़ाता है। सेल आज के गतिशील कारोबारी माहौल में चुनौतियों का सामना करने और अवसरों को भुनाने में सक्षम एक सुसंगत और लचीला संगठन बनाने में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। सेल का स्थापना दिवस, सेल गौरव दिवस, ऑनलाइन उत्सव, लगातार चौथी बार आयोजित किया गया, जिसने सेल समूह के बीच सौहार्द और एकजुटता को बढ़ावा दिया। आपकी कंपनी के कॉर्पोरेट वीडियो न्यूज़ कैप्सूल 'सेल ट्रैक' ने 80 से ज़्यादा एपिसोड सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं, जबकि इन–हाउस निर्मित कॉर्पोरेट हाउस जर्नल 'सेल न्यूज़' को पूरी तरह से नए और पढ़ने के लिए अनुकूल प्रारूप में बदल दिया गया है। सेल स्टील और सामान्य रूप से स्टील को बढ़ावा देने वाले कई मिनी–वीडियो इन–हाउस बनाए गए हैं, जबकि आपकी कंपनी की कई उपलब्धियों को उजागर करने वाले अन्य मिनी–वीडियो हर साल हितधारकों को अपडेट और सूचित रखने के लिए बनाए गए हैं। इन उपायों ने कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल और कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से हितधारकों के एक विस्तृत समूह तक पहुँचने में सक्षम बनाया। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि कर्मचारियों के बीच अपनेपन और जुड़ाव की भावना न केवल संरक्षित हो बल्कि लगातार मजबूत हो।

बाहरी संचार



संगठनों के लिए सकारात्मक संबंध विकसित करने के लिए बाहरी संचार आवश्यक है, साथ ही पारदर्शिता और विश्वसनीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त करता है। प्रभावी बाहरी संचार ग्राहकों, निवेशकों, भागीदारों और व्यापक समुदाय के साथ जुड़ने, धारणाओं को आकार देने, विश्वास स्थापित करने और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने में सहायक होता है। आपकी कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि हमारे हितधारकों को नियमित प्रेस विज्ञप्तियों, मीडिया इंटरैक्शन और सोशल मीडिया अपडेट के माध्यम से कॉर्पोरेट विकास, नई पहल, वित्तीय स्वास्थ्य और उपलब्धियों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो।



सेल में, हम सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाते हुए दर्शकों से जुड़ने के लिए नए–पुराने और पारंपरिक मीडिया चैनलों के मिश्रण का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं, जिससे हमारी सोशल मीडिया उपस्थिति में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। मीडिया से जुड़ने में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए, समय पर और पारदर्शी संचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एक मजबूत ब्रांड छवि बनाने और स्वस्थ संबंध बनाए रखने में सहायक रही है। ऑर्गेनिक फ़ॉलोअरशिप बनाए रखने पर ध्यान देने के साथ ही हमारी सोशल मीडिया उपस्थिति सभी प्लेटफ़ॉर्म पर लगातार बढ़ रही है। सोशल मीडिया और पारंपरिक मीडिया और प्रासंगिक विज्ञापन जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से पारदर्शी और आकर्षक संदेश देकर, आपकी कंपनी हमेशा प्रतिस्पर्धी बाज़ार में निरंतर दीर्घकालिक सफलता के साथ–साथ अपनी ब्रांड उपस्थिति को मजबूत करने का प्रयास करती है। तेजी से हो रहे बदलावों के दौर में कारोबार में प्रभावी संचार पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सेल की गतिशील संचार रणनीति सूचना के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करती है, रचनात्मकता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देती है और कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ाती है।





सेल में न केवल आपकी कंपनी की उपलब्धियों को संप्रेषित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, बल्कि संगठन की स्थिरता प्रथाओं और नैतिक मूल्यों के पालन को उजागर करके समुदाय और पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। इससे मजबूत संबंध बनाने, साझा उद्देश्य की भावना विकसित करने और हमारी पहलों के लिए समर्थन जुटाने में मदद मिलती है। ये संगठन के विकास और स्थिरता को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं।



जैसे–जैसे हम आगे बढ़ते हैं, खुलेपन, सहयोग और जुड़ाव के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट बनी हुई है। हमारा संचार दृष्टिकोण विकसित होता रहता है, जो कर्मचारी भागीदारी और हितधारक जुड़ाव में नए मानक स्थापित करता है। चाहे आकर्षक इन–हाउस जर्नल के माध्यम से, प्रभावशाली प्रेस विज्ञप्तियों या जीवंत सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से, हमारी कहानी निरंतर विकास, नवाचार और स्थायी सफलता का प्रतीक है।

छ. सतर्कता गतिविधियाँ

सेल सतर्कता का उद्देश्य लोगों को ईमानदारी, दक्षता और पारदर्शी तरीके से काम करने में सक्षम बनाने के लिए एक ऐसा माहौल प्रदान करना है, जो संगठन के लिए उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, सतर्कता विभाग निवारक और सक्रिय कार्यों पर अधिक जोर देते हुए निवारक, सक्रिय और दंडात्मक कार्रवाई करता है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ की गईं:

- कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता बढ़ाने के लिए, कंपनी के विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों में नियमित रूप से सतर्कता जागरूकता सत्र और कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। व्हिसल ब्लोअर नीति, खरीद/अनुबंध प्रक्रिया, निवारक सतर्कता, आचरण एवं अनुशासन नियम, सामान्य अनियमितताएं, सेल में अपनाई जाने वाली प्रणालियां और प्रक्रियाएं आदि पर सतर्कता जागरूकता बढ़ाने के लिए कुल 190 कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें 4092 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान अठारह दो दिवसीय समर्पित निवारक सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सेल के कुल 327 अधिकारियों को शामिल किया गया।
- कंपनी के संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित रूप से फाइल जांच और संयुक्त जांच सहित निवारक जांच की गई। विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में फाइल जांच और संयुक्त जांच सहित कुल 2214 निवारक जांच की गईं।
- सतर्कता अधिक पारदर्शिता लाने के लिए मौजूदा प्रणालियों में सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करती है। तदनुसार, सेल के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में ग्यारह प्रणाली सुधार परियोजनाएं (एसआईपी) शुरू की गईं।
- विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में गहन जांच के लिए 13 मामले उठाए गए हैं। इन गहन जांचों के दौरान, उच्च मूल्य की खरीद/अनुबंधों की व्यापक रूप से जांच की जाती है और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अनुसंषाएं संबंधित विभागों को भेजी जाती हैं।

- केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, सेल में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सप्ताह की शुरुआत 30 अक्टूबर, 2023 को सेल कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ–साथ सेल के सभी संयंत्रों/इकाइयों में ईमानदारी की शपथ दिलाने और गणमान्य व्यक्तियों के संदेशों को पढ़ने के साथ हुई। सप्ताह के दौरान कार्यशालाएं/संवेदनशीलता कार्यक्रम, ग्राहक मिलन आदि का आयोजन किया गया। इसके अलावा, पूरे सेल में कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी, निबंध, स्लोगन और ड्राइंग/पोस्टर, वाद–विवाद प्रतियोगिता आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। आउटरीच उपायों के रूप में, सेल के विभिन्न टाउनशिपों में स्कूल/कॉलेज के छात्रों के लिए भाषण/ओरेटरी प्रतियोगिता, निबंध/स्लोगन, चित्रकला प्रतियोगिता आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- एक अन्य सहभागी सतर्कता पहल के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में एथिक्स क्लब और एथिक्स सर्कल गतिविधियाँ आयोजित की गईं। समाज में व्यापक रूप से नैतिक व्यवहार का प्रचार करने के लिए, सेल टाउनशिप के स्कूलों में एथिक्स क्लबों का गठन इस विश्वास के साथ किया गया है कि नैतिक रूप से टिकाऊ समाज के निर्माण की सुविधा के लिए बच्चों के लिए एक मजबूत नैतिक आधार तैयार करना आवश्यक है।
- सतर्कता विभाग में 'एक–दूसरे से सीखें' (एलईओ) कार्यशालाओं की अवधारणा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में प्राप्त होने वाली शिकायतों के सामान्य क्षेत्रों में परिणामोन्मुखी समाधान खोजना और सतर्कता के कामकाज को मानकीकृत करना है। एलईओ कार्यशालाएँ सेल संयंत्रों/इकाइयों के साथ–साथ अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के सतर्कता अधिकारियों को सतर्कता से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए रास्ते बनाने पर एक–दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। इन कार्यशालाओं से प्राप्त मुख्य बातों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए उच्च प्रबंधन को भी प्रस्तुत किया जाता है।
- भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, इस्को इस्पात संयंत्र, मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, सेलम इस्पात संयंत्र, केंद्रीय विपणन संगठन, चंद्रपुर फेरो मिश्र धातु संयंत्र, सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट, रांची स्थित इकाइयों और पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग सहित सेल के 94 अतिरिक्त स्थलों को बीआईएस द्वारा सेल एबीएमएस (आईएसओ 37001: 2016 के अनुसार) लाइसेंस संख्या सीआरओ/एबी/एल–8000027 दिनांक 2 नवंबर, 2022 के अंतर्गत शामिल किया गया है। सेल सतर्कता के लिए आईएसओ 9001:2015 के अनुसार क्यूएमएस का पुनः प्रमाणन (प्रारंभिक प्रमाणन तिथि: 17 फरवरी, 2006) 16 फरवरी, 2024 से 15 फरवरी, 2027 तक वैधता के साथ किया गया है।
- सेल सतर्कता द्वारा जांच/छानबीन के लिए निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है:
  - (i) डब्ल्यूएच/स्टोर्स, अन्य संबद्ध सेवा इकाइयों में स्टॉक सत्यापन प्रणाली की जांच।
  - (ii) ऐसे मामलों की जांच, जहां स्पेयर, उपभोग्य वस्तुएं आदि खरीदी गई हैं और उनकी प्राप्ति के बाद 3 साल से अधिक समय तक इन्वेंट्री में पड़ी हैं।
  - (iii) ऐसे मामलों की जांच, जहां ओटीई मामलों के विरुद्ध एकल तकनीकी–वाणिज्यिक योग्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
  - (iv) जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद मामलों की जांच।
- सेल सतर्कता का आंतरिक प्रकाशन 'इंस्पिरेशन–प्रेरणा' नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। उपरोक्त प्रकाशन में पाठकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए केस स्टडी और सूचनात्मक लेख शामिल हैं।
- 1 अप्रैल, 2023 तक कुल 60 शिकायतें लंबित थीं और 31 मार्च, 2024 तक अंतिम शेष 68 था। 2023–24 के दौरान शिकायतों के निपटान का सारांश निम्नानुसार है:

निपटाई गई शिकायतें:

विवरण	शिकायतें
गुमनाम/छद्म नाम पाए जाने के कारण बंद कर दी गई (सीवीसी दिशा–निर्देशों के अनुरूप दायर)	156
कोई सतर्कता कोण/आरोपों की पुष्टि नहीं होने के कारण बंद कर दी गई	188
अन्य विभागों को संदर्भित शिकायतें	193
निवारक/प्रशासनिक अनुशंसाओं के साथ बंद की गई शिकायतें	116
शिकायतें जिनमें नियमित विभागीय कार्रवाई (आरडीए) शुरू की गई (23 कर्मचारियों के विरुद्ध बड़ी सजा के 7 मामले और 28 कर्मचारियों के खिलाफ छोटी सजा के 19 मामले शामिल हैं)	26
कुल निपटारा	**679**

सतर्कता तंत्र

कंपनी ने व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मामलों का संचालन करने के लिए सतर्कता तंत्र को अपनाया है। कंपनी के सभी कर्मचारी और कंपनी के बोर्ड के निदेशक इस तंत्र के अंतर्गत आते हैं। यह तंत्र शिकायतकर्ता अर्थात कर्मचारियों के लिए स्थापित किया गया है और इसमें अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए एक निदेशक शामिल है। यह तंत्र उन कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा भी प्रदान करता है जो इस तंत्र का लाभ उठाते हैं और असाधारण मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुँच की अनुमति देते हैं। यह किसी अन्य कर्मचारी की सुरक्षा भी प्रदान करता है जो जाँच में सहायता करता है या शिकायत के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सतर्कता तंत्र के अंतर्गत शिकायतों का सारांश इस प्रकार है:

विवरण	शिकायतों की संख्या
1 अप्रैल, 2023 तक लंबित शिकायतें	0
2023–24 में प्राप्त शिकायतें	3
2023–24 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	0
31 मार्च, 2024 तक लंबित शिकायतें	3

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के अनुसार, कंपनी के प्रदर्शन और दृष्टिकोण



को शामिल करने वाली प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन के उत्तर इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-II** में दी गई हैं।

लागत लेखा परीक्षक

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अंतर्गत अपने विभिन्न इस्पात संयंत्रों में लागत लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव करना आवश्यक है। लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स चंद्र वाधवा एंड कंपनी, नई दिल्ली; मेसर्स एबीके एंड एसोसिएट्स, मुंबई; और मेसर्स आरएम बंसल एंड कंपनी, कानपुर को वित्त वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लागत रिकॉर्ड का ऑडिट करने के लिए 12.12 लाख रुपये और लागू कर और जेब से किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति का शुल्क तय किया था, जिसे पिछली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-III** में दी गई है।

सचिवीय लेखा परीक्षक के इस नोट के संबंध में कि कंपनी के निदेशक बोर्ड की संरचना वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आवश्यकताओं के अनुसार नहीं थी, यह कहा गया है कि कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कंपनी द्वारा भारत सरकार द्वारा नामांकन के आधार पर की जाती है। कंपनी ने अपने बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन के लिए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से अनुरोध किया है।

कॉर्पोरेट प्रशासन

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के अनुसार, कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट और कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

सेबी विनियमों के अनुसार, बोर्ड ने कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है। आचार संहिता को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के अनुसार, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं शासन के दृष्टिकोण से व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है तथा **अनुलग्नक-V** में दी गई है, जिसमें कंपनी द्वारा की गई पहलों का वर्णन किया गया है।

'बीआरएसआर पर तृतीय पक्ष आश्वासन प्रदाता के इस अवलोकन के संबंध में कि जीएचजी लेखा प्रक्रिया आईएसओ 14064–1/2/3 वर्ष 2018/19 के अनुसार मानकीकृत नहीं है, यह कहा गया है कि डब्ल्यूएसए कार्यप्रणाली ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) प्रोटोकॉल कॉर्पोरेट लेखा एवं रिपोर्टिंग मानक पर आधारित है, जो आईएसओ 14064 मानकों के निर्माण का आधार भी रहा है। आईएसओ ने आईएसओ 14064–1 मानकों के विकास के दौरान जीएचजी प्रोटोकॉल मानक को प्राथमिक दस्तावेज के रूप में उपयोग किया है, जो संगठनात्मक स्तर पर परिमाणीकरण एवं रिपोर्टिंग के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। भारतीय बीएफ–बीओएफ रूट से इस्पात उत्पादन से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की गणना के लिए डबल्युएसए विधि की शुरूआत इस्पात मंत्रालय द्वारा की गई थी। सेल 2007–08 से विश्व इस्पात संघ द्वारा विकसित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गणना पद्धति का पालन करता है। यह पद्धति दुनिया भर के इस्पात निर्माताओं द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा आईएसओ 14404 मानकों के रूप में अपनाया गया है।

सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियां

इस्को–उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड, जो पूर्ववर्ती भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, को बीआईएफआर द्वारा बंद करने का आदेश दिया गया था। आधिकारिक परिसमापक इसकी परिसमापन प्रक्रिया पूरी कर रहा है।

आपकी कंपनी की वर्तमान में दो सहायक कंपनियां हैं, सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड (एसआरसीएल) और छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड।

एसआरसीएल सेलम रिफ्रैक्टरी यूनिट का संचालन कर रही है, जिसे सेल ने 16 दिसंबर, 2011 को बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड से अधिग्रहित किया था। छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड को एक अल्ट्रा मेगा स्टील परियोजना की स्थापना के उद्देश्य से एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में शामिल किया गया था। परियोजना शुरू नहीं हुई है।

सहायक कंपनियों के वार्षिक खाते और संबंधित विस्तृत जानकारी होल्डिंग और सहायक कंपनियों के शेयरधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो किसी भी समय ऐसी जानकारी मांग सकते हैं। इसके अलावा, सहायक कंपनियों के वार्षिक खाते किसी भी शेयरधारक द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और संबंधित सहायक कंपनियों में कार्य दिवसों में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। सहायक कंपनियों के खातों के विवरण की एक हार्ड कॉपी लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर शेयरधारकों को प्रदान की जाएगी।

समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के विधिवत लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-VI** में दिए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

समेकित वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

और उस पर प्रबंधन के उत्तर इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-VII** में दिए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-VIII** में दी गई हैं। इसके अलावा, सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं को निर्धारित प्रपत्र एओसी–1 में शामिल करते हुए विवरण इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-IX** में दिया गया है।

राज्य सभा में अपनी 150वीं रिपोर्ट में रखे गए पत्रों पर समिति द्वारा की गई सिफारिशें

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, संसद में प्रस्तुत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की रिपोर्टों में सेल से संबंधित कोई ऑडिट पैरा शामिल नहीं है।

वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिटर्न https://www.sail.co.in/sites/default/files/2023-24/SAIL_DRAFT_ANNUAL_ RETURN_2023_24.pdf. पर उपलब्ध है।

बोर्ड की बैठकें

वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की 12 बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण **अनुलग्नक-IV** के रूप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी द्वारा 1998 में किया गया था। सेबी विनियमन और कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के अनुसार समय–समय पर लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाता है। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड को भेजे जाते हैं, उन पर चर्चा की जाती है और उनका संज्ञान लिया जाता है। लेखा परीक्षा समिति से संबंधित संरचना और अन्य विवरण **अनुलग्नक-IV** के रूप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिए गए हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) और इसकी पर्याप्तता

सेल में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) का कार्यान्वयन ट्रेडवे आयोग के प्रायोजक संगठनों की समिति (सीओएसओ) मॉडल जैसे स्थापित ढांचे द्वारा निर्देशित है। सीओएसओ ढांचा प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों को डिजाइन करने, लागू करने और मूल्यांकन करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। सेल की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली वित्तीय सटीकता सुनिश्चित करने, परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और नियामक अनुपालन बनाए रखने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। कंपनी आमतौर पर बदलती नियामक आवश्यकताओं और परिचालन चुनौतियों के अनुकूल होने के लिए अपने आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की नियमित समीक्षा करती है और उन्हें अपडेट करती है।

सेल के पास अच्छी तरह से स्थापित और प्रलेखित नीतियां और प्रक्रियाएं हैं, जिनका पालन पारदर्शी, कुशल और नैतिक व्यवसाय संचालन और अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और वित्तीय विवरणों की समय पर तैयारी के लिए किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी के पास एक मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना, और मजबूत प्रबंधन प्रक्रियाएं, नियंत्रण, नीतियां और दिशानिर्देश हैं जो संगठन को अपने व्यावसायिक उद्देश्य की ओर ले जाते हैं और विभिन्न हितधारकों की जरूरतों को भी पूरा करते हैं। सेल के मजबूत प्रोटोकॉल जैसे स्वतंत्र आंतरिक ऑडिट, प्रलेखित नीतियां, दिशानिर्देश, प्रक्रियाएं, ऑडिट समिति/बोर्ड द्वारा नियमित समीक्षा आदि कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 आदि के अंतर्गत कॉर्पोरेट प्रशासन और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अनुपालन में मदद करते हैं। सेल कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध है जहां बोर्ड आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावशीलता और इसकी पर्याप्तता की रिपोर्टिंग के लिए सभी हितधारकों के प्रति जवाबदेह है। सेल के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता इसकी ऑडिट रिपोर्ट, नियामक अनुपालन और प्रभावी जोखिम प्रबंधन में परिलक्षित होती है।

नियमित अपडेट और प्रबंधन निरीक्षण इन नियंत्रणों को बनाए रखने और बढ़ाने में मदद करता है एसएपी जीआरसी मॉड्यूल को संगठन की वित्तीय और परिचालन प्रणालियों के साथ एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण प्रक्रियाओं को कारगर बनाया जा सके।

एसएपी गवर्नेंस, जोखिम और अनुपालन (जीआरसी) मॉड्यूल और आईटी प्लेटफ़ॉर्म की तैनाती से सेल में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एसएपी जीआरसी मॉड्यूल को संगठन की वित्तीय और परिचालन प्रणालियों के साथ एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सके।

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (3) (ग) के अनुसार, निदेशकों का कहना कि

(i) वार्षिक खातों को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और साथ ही भौतिक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

(iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू आधार पर तैयार किए हैं;

(v) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं; और

(vi) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं तथा ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अनुसार, प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक द्वारा यह आवश्यक घोषणा की गई है कि वह स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा



149(7) के अनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान में स्वतंत्र निदेशकों के डेटा बैंक में अपने नाम के पंजीकरण की दिशा में अपेक्षित कदम उठाए हैं।

बोर्ड की राय में, वर्ष के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों के पास ईमानदारी, आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव है।

धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के साथ, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान दिए गए ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-X** में दिया गया है।

धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी अनुबंध/समझौते/लेनदेन व्यवसाय के सामान्य क्रम में और समीपता के आधार पर थे। संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन को वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है। इसलिए, धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या समझौतों का विवरण तथा प्रपत्र एओसी–2 में ऐसे अनुबंध या समझौते में प्रवेश करने का औचित्य रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है।

लाभांश वितरण नीति

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियमन 43क के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने लाभांश वितरण नीति अपनाई है। नीति कंपनी की वेबसाइट https://sail.co.in/sites/default/files/Dividend_Distribution_Policy_2017.pdf पर अपलोड की गई है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ड) के प्रावधानों के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-XI** में दिए गए हैं।

जोखिम प्रबंधन नीति

सेल के पास एक व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) नीति है जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ (एलओडीआर), विनियमावली, 2015 द्वारा प्रदान की गई नियामक रूपरेखाओं और कंपनी अधिनियम, 2013 में नवीनतम संशोधनों के अनुसार अनुपालन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये विनियम सेल द्वारा मजबूत शासन और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं।

जोखिम प्रबंधन नीति का उद्देश्य कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, परिचालन दक्षता और रणनीतिक सफलता को सुनिश्चित करने के लिए जोखिमों की पहचान, आकलन, निगरानी और शमन करना है। यह सभी व्यावसायिक इकाइयों में वित्तीय, परिचालन, रणनीतिक और अनुपालन जोखिमों की व्यवस्थित पहचान पर जोर देता है। इसमें पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) जोखिमों, आईटी और साइबर सुरक्षा और स्थिरता से संबंधित जोखिमों की पहचान और प्रबंधन के लिए विशिष्ट प्रावधान भी शामिल हैं। जोखिमों का आकलन उनकी संभावना और संभावित प्रभाव के आधार पर, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीकों का उपयोग करके किया जाता है। प्रत्येक पहचाने गए जोखिम के लिए, जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त शमन रणनीति और नियंत्रण विकसित और कार्यान्वित किए जाते हैं। सेल जोखिम संकेतकों और नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता को ट्रैक करने के लिए निरंतर निगरानी प्रणाली का उपयोग करता है। जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) और बोर्ड द्वारा नियमित जोखिम रिपोर्ट तैयार की जाती हैं और उनकी समीक्षा की जाती है, जिससे उभरते जोखिमों के बारे में समय पर संचार सुनिश्चित होता है।

जोखिम प्रबंधन नीति गतिशील है, जिसमें बदलती नियामक आवश्यकताओं और व्यावसायिक वातावरण के अनुकूल होने के लिए नियमित समीक्षा और अपडेट करना शामिल हैं।

सेल में उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) की संरचना में एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई बहुस्तरीय संगठन संरचना शामिल है, जिसमें प्रत्येक संयंत्र या इकाई का अपना जोखिम होता है, जो जोखिम मालिकों या जोखिम चैंपियंस द्वारा निरंतर निगरानी में होता है, जो शमन रणनीति तैयार करते हैं और उसे लागू करते हैं और उसे उसका तार्किक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। संयंत्रों/इकाइयों की आरएमसी समय–समय पर जोखिमों की समीक्षा करती है और मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) को रिपोर्ट करती है, जो बदले में सेल जोखिम प्रबंधन समिति (एसआरएमसी) को जोखिमों से अवगत कराते हैं, जो इसके निरंतर प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे के कार्यान्वयन और मूल्यांकन को तैयार करने और उसकी देखरेख के लिए जिम्मेदार है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में, बोर्ड जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। लेखा परीक्षा समिति निरंतर विकास को सुनिश्चित करते हुए, जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करती है।

जोखिम प्रबंधन समिति को मजबूत करके, प्रकटीकरणों को बढ़ाकर, जोखिम प्रबंधन को कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के साथ संरेखित करके और आईटी प्रणालियों को एकीकृत करके, सेल विनियामक आवश्यकताओं के साथ मजबूत अनुपालन और जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। ये उपाय तेजी से जटिल और गतिशील कारोबारी वातावरण में कंपनी की दीर्घकालिक स्थिरता और लचीलेपन में योगदान करते हैं। सेल की जोखिम प्रबंधन नीति का विवरण इसकी वेबसाइट https:/sail.co.in/company/company-policies. पर उपलब्ध है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

सेल का सामाजिक उद्देश्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का पर्याय है। इस्पात निर्माण के व्यवसाय के अलावा, आपकी कंपनी का उद्देश्य ऐसे तरीके से व्यवसाय संचालित करना है जिससे उन समुदायों को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ मिले, जिनमें यह काम करती है। किसी भी संगठन के लिए, सीएसआर की शुरुआत समाज पर अपने व्यवसाय के प्रभाव के बारे में जागरूक होने से होती है। लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने के अंतर्निहित दर्शन और सिद्धांत के साथ, आपकी कंपनी शुरू से ही सीएसआर पहलों की संरचना बना रही है और उसका कार्यान्वयन कर रही है। इन प्रयासों के दौरान देखा गया है कि पहले के अज्ञात गाँव, जहाँ सेल प्लांट स्थित हैं, आज बड़े औद्योगिक केंद्रों में बदल गए हैं।



आपकी कंपनी की सीएसआर पहल कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की **अनुसूची-VII**, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014, कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियमावली, 2021 और 2022 के अनुरूप है। सेल मुख्य रूप से ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में देश भर में स्टील टाउनशिप, खदानों और दूरदराज के स्थानों के आसपास सीएसआर परियोजनाएं चलाती है, जिसमें मॉडल स्टील गांवों का रखरखाव, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, प्रसव पूर्व/प्रसवोत्तर देखभाल, पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता, सड़क किनारे वृक्षारोपण, पर्यावरण स्थिरता, महिला सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को सहायता, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सतत आय सृजन, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

कंपनी द्वारा की गई विभिन्न सीएसआर पहलों का विवरण निर्धारित प्रारूप में सीएसआर पर रिपोर्ट के साथ इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-XII** में दिया गया है। कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है।

स्वास्थ्य सेवा: आपकी कंपनी के व्यापक और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे ने 2011–2024 की अवधि के दौरान अपने संयंत्रों और इकाइयों के आसपास रहने वाले लगभग 183.74 लाख लोगों को विशेष और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान की। जरूरतमंदों के दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए, संयंत्रों/इकाइयों/खानों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए निश्चित दिनों पर विभिन्न गांवों में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं और 5 मोबाइल मेडिकल यूनिटों (एमएमयू) ने संयंत्रों, इकाइयों और खदानों के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 1.80 लाख ग्रामीणों को उनके दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की है। संयंत्रों में वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ने 84,000 से अधिक रोगियों को विशेष रूप से मुफ्त चिकित्सा देखभाल और दवाएं प्रदान की हैं।

शिक्षा:

शिक्षा के माध्यम से समाज के विकास के लिए, सेल 77 से अधिक विद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है, जो इस्पात टाउनशिप में 40,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है, 22 विशेष विद्यालय (कल्याण, मुकुल और डीएवी विद्यालय) एकीकृत इस्पात संयंत्रों और खदानों के स्थानों पर लगभग 12026 बीपीएल श्रेणी के छात्रों को सीएसआर के अंतर्गत मुफ्त शिक्षा, दोपहर का भोजन, जूते और यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी आइटम, स्कूल बैग, पानी की बोतलें आदि की सुविधाओं से लाभान्वित कर रहे हैं।



आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 450 से अधिक बच्चों को सारंडा सुवन छात्रावास और केंद्रीय विद्यालय, किरीबुरू; ज्ञानोदय छात्रावास, बीएसपी स्कूल राजहरा, भिलाई; ज्ञानज्योति योजना, बोकारो और अन्य स्कूलों में मुफ्त व्यापक शैक्षिक सुविधाएं मिल रही हैं जैसे स्कूली शिक्षा, आवास, भोजन, यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, बुनियादी ढांचा आदि।

आपकी कंपनी अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से भिलाई और राउरकेला के 600 से अधिक सरकारी स्कूलों में लगभग 60,000 छात्रों को दोपहर का भोजन और सूखा राशन किट उपलब्ध करा रही है।



महिला सशक्तिकरण और सतत आय का सृजन:

आसपास के गांवों के 1578 युवाओं और 2369 महिलाओं को सतत आय सृजन की दिशा में लक्षित व्यावसायिक और विशिष्ट कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जैसे कि नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, एलएमवी ड्राइविंग, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण, उन्नत कृषि, मशरूम की खेती, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, अचार/पापड़/अगरबत्ती/मोमबत्ती बनाना, स्क्रीन प्रिंटिंग, हथकरघा, रेशम उत्पादन, सूत बुनाई, सिलाई और कढ़ाई, दस्ताने, मसाले, तौलिए, बोरे, कम लागत वाले सैनिटरी नैपकिन, मिठाई बॉक्स, बांस/जूट शिल्प, धुआं रहित चूल्हा आदि बनाना। आईटीआई बोलानी, बड़गांव, बलियापुर, राउरकेला और बोकारो की निजि आईटीआई में लगभग 490 युवाओं को आईटीआई प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया है।



ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और पानी की सुविधा:

सेल ने अपनी स्थापना के बाद से सड़कों का निर्माण और मरम्मत करके 450 गांवों के 79.03 लाख से अधिक लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा है। स्थापना के बाद से 8176 से अधिक जल स्रोत स्थापित किए गए हैं, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले 50 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हुआ है।



सतत पर्यावरण:

पार्कों, जल निकायों, वनस्पति उद्यानों का रखरखाव और टाउनशिप में 5 लाख से अधिक पेड़ों का रोपण और रखरखाव किया जा रहा है।



दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता:



दिव्यांगों (बच्चों/लोगों) को तिपहिया वाहन, मोटर चालित वाहन, कैलीपर्स, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग आदि उपकरणों के प्रावधान के माध्यम से सहायता दी जा रही है। आपकी कंपनी अपने संयंत्रों में केंद्रों और कार्यक्रमों का समर्थन करती है जैसे राउरकेला में "अंधे, बधिर और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्कूल" और "होम एंड होप"; दुर्गापुर में "विकलांग उन्मुख शिक्षा कार्यक्रम" और "दुर्गापुर विकलांग खुशहाल घर" जैसे विभिन्न कार्यक्रम; और बर्नपुर में "चेशायर होम"। भिलाई में "सियान सदन", "आबासर", दुर्गापुर में "आचार्य धाम", राउरकेला में "वरिष्ठ नागरिक गृह", आदि जैसे विभिन्न प्लांट टाउनशिप में वृद्धाश्रमों को सहायता दी जा रही है। चल रहे 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के साथ–साथ 3 दिसंबर, 2023 से शुरू होने वाले 'दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस' को मनाने के लिए कंपनी में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सहायक उपकरण और ट्राइसाइकिल, मोटर चालित वाहन, कैलीपर्स, श्रवण यंत्र, स्मार्ट फोन, स्मार्ट केन आदि उपकरण आपकी कंपनी के प्लांट/यूनिट और नई दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय के माध्यम से भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईएमसीओ) द्वारा दिव्यांगजनों को प्रदान किए गए।

खेल, कला और संस्कृति:



सेल नियमित रूप से अंतर–ग्राम खेल टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है, जो प्रमुख राष्ट्रीय खेल आयोजनों और टूर्नामेंटों को सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, बोकारो (फुटबॉल), राउरकेला (हॉकी) में विश्व स्तरीय एस्ट्रो–टर्फ मैदान, भिलाई (लड़कों के लिए एथलेटिक्स), दुर्गापुर (लड़कियों के लिए एथलेटिक्स) और किरीबुरू, झारखंड (तीरंदाजी) में अपनी आवासीय खेल अकादमियों के माध्यम से महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों और महिलाओं को सहायता और कोचिंग प्रदान कर रहा है। छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव, ग्रामीण लोकोत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल आयोजित किए जाते हैं। बोकारो स्टील प्लांट ने राष्ट्रीय खेल तैयारी प्रशिक्षण शिविरों के अंतर्गत स्पेशल ओलंपिक भारत (एसओबी) का आयोजन किया और स्पेशल ओलंपिक समर वर्ल्ड गेम्स 2023 (एसओएसडब्ल्यूजी 2023) के लिए चयनित/प्रशिक्षित दिव्यांग एथलीटों की भागीदारी व्यय का भी समर्थन किया।

आकांक्षी जिलों का विकास: भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे दोनों का व्यापक विकास प्रदान करने के लिए, सेल ने 6 आकांक्षी जिलों में सीएसआर गतिविधियाँ शुरू की हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ में कांकेर, नारायणपुर और राजनांदगांव, झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, रांची और बिहार में बांका शामिल हैं।

सेल कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवा और सामुदायिक जुड़ाव (सेवा) के लिए पहल: यह सेल कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक गतिविधियों और सामुदायिक जुड़ाव में सहायता करता है।

लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग: बोर्ड की रिपोर्ट में यह उल्लेख करना उचित होगा कि वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, न तो वैधानिक लेखा परीक्षकों और न ही सचिवीय लेखा परीक्षक ने लेखा परीक्षा समिति को कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध की गई धोखाधड़ी के किसी भी मामले की रिपोर्ट की है।

निदेशकों और बोर्ड के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से छूट दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में धारा 178 की उप धाराएँ (2), (3) और (4) सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होंगी। इसके अलावा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की **अनुसूची-IV** में कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है, जिसके अनुसार, अस्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष और बोर्ड के कार्य–प्रदर्शन के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों को सरकारी कंपनियों के लिए छूट दी गई है।

कर्मचारियों का विवरण: कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2023 की धारा 197(12) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का औसत, कर्मचारी के पारिश्रमिक का अनुपात और समय–समय पर निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकट करना आवश्यक है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट दी है। तदनुसार, ऐसे विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए हैं।

सामान्य प्रकटीकरण

i. वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

ii. विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा भविष्य में कंपनी की चालू स्थिति और संचालन को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किए गए।



हालाँकि, सदस्यों का ध्यान उन टिप्पणियों और आकस्मिक देनदारियों पर कथनों की ओर आकर्षित किया जाता है जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं।

iii. वर्ष के दौरान, कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

iv. वर्ष के दौरान, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अंतर्गत कोई आवेदन नहीं किया गया और कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

v. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने खुद को एक बड़े कॉर्पोरेट के रूप में पहचाना और 2,505.06 करोड़ रुपये की वृद्धिशील उधारी प्राप्त की। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए, सेल ने 19 अक्टूबर, 2023 के सेबी के परिपत्र की प्रयोज्यता के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के साथ आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की है। रूपरेखा के आधार पर, एक वर्ष के अंदर घरेलू उधार के 25 प्रतिशत की सीमा तक ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना उसी वित्त वर्ष और/या अगले दो वित्त वर्षों में पूरा किया जाना आवश्यक है। इसलिए, कंपनी को 627 करोड़ रुपये (यानी वृद्धिशील उधार का 25 प्रतिशत) की राशि की ऋण प्रतिभूतियाँ जारी करने की आवश्यकता थी। 31 दिसंबर, 2023 तक, सेल के पास केवल लगभग 155 करोड़ रुपये की वृद्धिशील उधारी थी। वृद्धिशील उधार की बड़ी राशि 2023–24 की चौथी तिमाही के दौरान ली गई है। सेल ने दीर्घावधि ऋणों की तुलना में बांड जुटाने की लागत का विश्लेषण किया है और अग्रणी शोध फर्मों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023–24 में एए रेडि पीएसयू द्वारा एनसीडी जुटाने का प्रसार जी–सेक्स पर 1.00–1.10 प्रतिशत के आसपास रहा था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 में एनसीडी की प्रभावी दर से काफी कम पर रूपये में दीर्घावधि ऋण लिया है। इसलिए, बाजार की स्थितियों के आधार पर एनसीडी जारी करने के संबंध में निर्णय बाद के वर्षों में लिया जा सकता है।

vi. भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली, 1977 के नियम 20 के उप–नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 जनवरी, 2024 के अपने पत्रों के माध्यम से श्री वी.एस. चक्रवर्ती, निदेशक (वाणिज्यिक) और श्री ए.के. तुल्सीआनी, निदेशक (वित्त) को 19 जनवरी, 2024 से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के 19 जनवरी, 2024 के पत्र का अनुपालन करते हुए, कंपनी ने कंपनी के 26 बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों को 19 जनवरी, 2024 से निलंबित कर दिया था। कंपनी के निर्बाध संचालन को जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था की गई थी। इसके बाद, भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय ने 28 जून, 2024 के आदेशों के अंतर्गत श्री वी.एस. चक्रवर्ती, निदेशक (वाणिज्यिक) और श्री ए.के. तुल्सीआनी, निदेशक (वित्त) का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। इसके अलावा, कंपनी ने बोर्ड स्तर से नीचे के 25 अधिकारियों का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया, जिसमें एक अधिकारी अंतरिम अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हो गया है।

निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

- श्रीमती सोमा मंडल 30 अप्रैल, 2023 से अध्यक्ष पद से कार्यभार मुक्त हो गई हैं।
- श्री अमरेंदु प्रकाश, निदेशक (प्रभारी, बीएसएल) ने 31 मई, 2023 से अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है।
- श्रीमती नीलम सोंनकर, स्वतंत्र निदेशक, ने तत्काल प्रभाव से 7 अप्रैल, 2024 के पत्र के माध्यम से अपना त्यागपत्र दे दिया है।
- श्री बीरेंद्र कुमार तिवारी को 20 अप्रैल, 2024 से निदेशक (प्रभारी, बीएसएल) के रूप में नियुक्त किया गया है।

आभार

आपकी कंपनी का निदेशक बोर्ड सेल परिवार के प्रत्येक सदस्यों द्वारा किए गए ईमानदार, अथक और समर्पित प्रयासों और योगदान के लिए उनकी प्रसंशा करता है। निदेशकगण भारत सरकार, विशेषकर इस्पात मंत्रालय, विनियामक एवं सांविधिक प्राधिकरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दीपम, नीति आयोग, लोक उद्यम विभाग, रेलवे, राज्य सरकारों, विद्युत बोर्ड आदि से प्राप्त बहुमूल्य मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग के लिए उनकी अत्यंत प्रशंसा और आभार व्यक्त करते हैं। बोर्ड अपने सभी हितधारकों, जिनमें सदस्य, निवेशक, ग्राहक, विक्रेता, बैंकर और सलाहकार शामिल हैं, को कंपनी में उनकी निरंतर सहायता और अटूट विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद देता है।

निदेशकगण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षक और कंपनी से जुड़े अन्य पेशेवरों को उनके बहुमूल्य और रचनात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक बोर्ड की ओर से



(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 3 सितंबर, 2024

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34(2)(ड़) के अनुसार, स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल) का प्रबंधन अपनी विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें कंपनी का कार्य प्रदर्शन और दृष्टिकोण शामिल है।

क. उद्योग संरचना और विकास

विश्व आर्थिक वातावरण

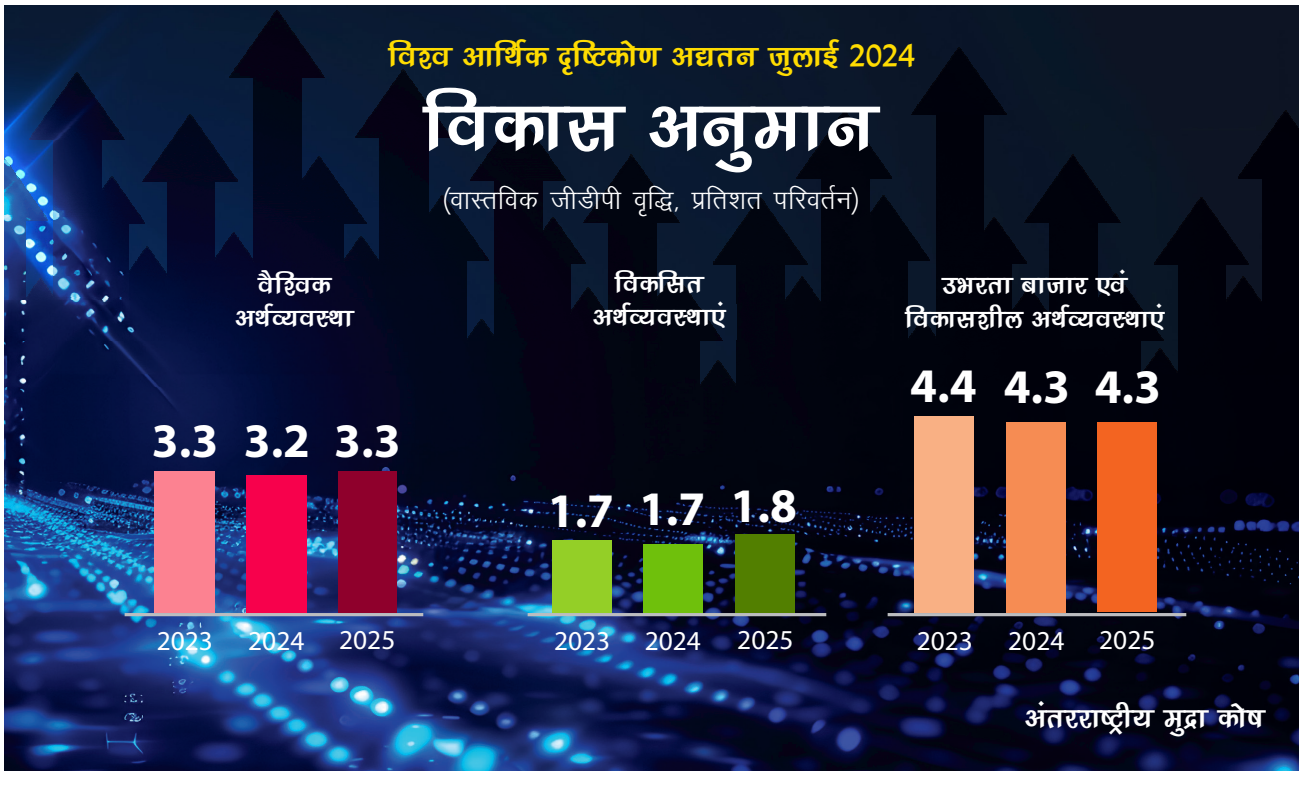
वर्ष 2023 में, विश्व अर्थव्यवस्था इजरायल पर आश्चर्यजनक गाजा हमले, व्यापारी जहाजों पर हाउती हमलों, उच्च ब्याज दरों के साथ–साथ रूस–यूक्रेन युद्ध जारी रहने जैसी बाधाओं को दूर करने में कामयाब रही। 2023 में विश्व जीडीपी में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे कठिन लैंडिंग का खतरा टल गया। ओईसीडी के अनुसार, उम्मीद से अधिक मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने वैश्विक मंदी को नियंत्रण में रखने में मदद की, जो 2023 में 2.5 प्रतिशत की अपेक्षा से अधिक तेजी से बढ़ी। हालाँकि अर्थशास्त्री संभावित मंदी की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था उम्मीद से अधिक लचीली साबित हुई। विकास मजबूत घरेलू और सरकारी खर्च से प्रेरित था।

दूसरी ओर, 2023 में चीनी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। जब चीन ने 2022 में अपने कोविड़ नियंत्रण को छोड़ दिया था, तो अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया था कि इसकी अर्थव्यवस्था जल्दी ठीक हो जाएगी। हालाँकि, ऐसा नहीं हुआ। चीन को संपत्ति संकट, अपस्फीति जोखिम, कम मांग और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2023 में चीन की अर्थव्यवस्था 5.2 प्रतिशत बढ़ी, हालांकि आधिकारिक 5 प्रतिशत लक्ष्य से अधिक थी, लेकिन चिंताएँ बनी रहीं।

यूरोप की अर्थव्यवस्था ने सबसे कम अंतर से चालू वर्ष 2023 को मंदी में समाप्त होने से बचा लिया। 2023 की पूरी अवधि के दौरान यूरोज़ोन और ईयू दोनों में जीडीपी में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऊर्जा संकट, मुद्रास्फीति और यूक्रेन युद्ध के नकारात्मक प्रभावों के बीच सरकारी और घरेलू व्यय में गिरावट से यूरोप की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई।

हालांकि, मज़बूत उम्मीदों के बावजूद, मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि के बीच उपभोक्ता और सरकारी खर्च कम होने के कारण, वर्ष 2024 की प्रथम तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में केवल 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके विपरीत, सरकार के समर्थन से उत्साहित होकर, चीन की अर्थव्यवस्था ठीक होने लगी और 2024 की प्रथम तिमाही में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो उम्मीद से अधिक थी। चीन की सरकार ने अपने विशाल संपत्ति क्षेत्र के लगभग तबाह होने से बचाने के लिए अरबों डॉलर आवंटित करने की घोषणा की। हालांकि, चीन की अर्थव्यवस्था ने वर्ष के दौरान असंगत रूप से प्रदर्शन किया है और स्वयं को एक समान दर पर बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ने भी प्रथम तिमाही में वापसी की और 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई क्योंकि जर्मनी विकास की ओर लौट आया, जबकि मुद्रास्फीति स्थिर रही।

आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जुलाई–2024 के अनुसार, 2024 के लिए वैश्विक विकास की उम्मीदें स्थिर हैं, जबकि आगे मुद्रास्फीति के जोखिम और व्यापार में दबाव की चेतावनी दी गई है। आईएमएफ को उम्मीद है कि 2024 में विश्व अर्थव्यवस्था 3.2% की दर से बढ़ेगी, जो अप्रैल के पूर्वानुमान से अपरिवर्तित है। 2025 के लिए, उसे 3.3% की वैश्विक वृद्धि की उम्मीद है। आईएमएफ ने आगाह किया कि मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ गया है, जिससे बढ़ते व्यापार तनाव और बढ़ती नीति संबंधी अनिश्चितता के संदर्भ में ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंचे बने रहने की संभावना बढ़ गई है।





विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अनुमान

(वास्तविक जीडीपी वृद्धि प्रतिशत परिवर्तन)

	वर्ष दर वर्ष		
	वास्तविक	अनुमान	
	2023	2024	2025
विश्व उत्पादन	**3.3**	**3.2**	**3.3**
विकसित अर्थव्यवस्थाएँ	**1.7**	**1.7**	**1.8**
संयुक्त राज्य अमेरिका	2.5	2.6	1.9
यूरो क्षेत्र	0.5	0.9	1.5
जापान	1.9	0.7	1.0
उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ	**4.4**	**4.3**	**4.3**
चीन	5.2	5.0	4.5
भारत	8.2	7.0	6.5
ब्राजील	2.9	2.1	2.4
रूस	3.6	3.2	1.5

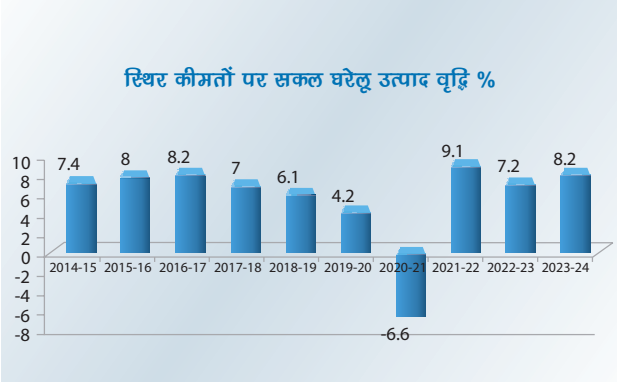
स्रोत: आईएमएफ विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट, जुलाई 2024

हालांकि विश्व विकास स्थिर दिखाई देता है, आईएमएफ ने संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के लिए अनुमान कम कर दिए हैं। 2024 में अमेरिकी विकास को घटाकर 2.6% कर दिया गया, जो अप्रैल के पूर्वानुमान से 0.1 प्रतिशत कम है, जिसका कारण 'वर्ष की अपेक्षा से धीमी शुरुआत' है। जापान की अर्थव्यवस्था में इस वर्ष अपेक्षा से 0.2 प्रतिशत कम यानी 0.7% की वृद्धि देखी गई, जिसका मुख्य कारण अस्थायी आपूर्ति व्यवधान और पहली तिमाही में कमजोर निजी निवेश है।

इस बीच, यूरो क्षेत्र अपेक्षाकृत मजबूत सेवा गतिविधि के साथ सुधार के संकेत दे रहा है, हालांकि विनिर्माण में कमजोरी दिख रही है। चीन और भारत से एशिया में गतिविधि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, निजी खपत में तेजी और मज़बूत निर्यात के कारण चीन के 2024 के अनुमान को 5.0 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।

भारतीय आर्थिक वातावरण

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था ने मजबूत मैक्रो–इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के समर्थन से लचीलेपन का प्रदर्शन किया। वित्त वर्ष 2023–24 में भारत की जीडीपी में 8.2 प्रतिशत की ठोस वृद्धि हुई, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में विकास दर 7 प्रतिशत थी। यह उल्लेखनीय जीडीपी विकास दर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। इससे पहले, सरकारी अनुमानों ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए जीडीपी वृद्धि 7.6 प्रतिशत रखी थी। वित्त वर्ष 2023–24 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इसके अलावा, कम मुद्रास्फीति ने भी मजबूत जीडीपी विकास संख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जून 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) 5.08 प्रतिशत था और 2024–25 के शेष महीनों में 5.0 प्रतिशत से नीचे या उसके करीब रहने की उम्मीद है (स्रोतः एसबीआई रिसर्च)।



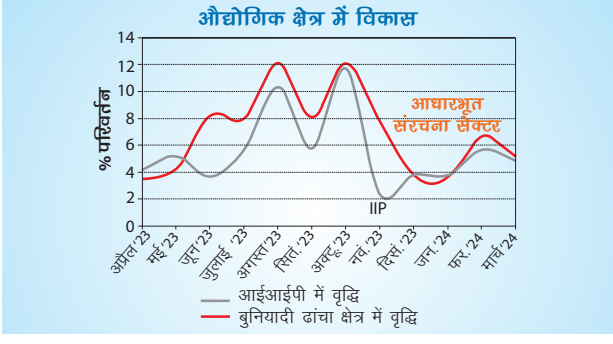
आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24 के अनुसार, वित्त वर्ष 2024–25 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत से 7.0 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। आरबीआई ने कहा कि भारत अपने विकास पथ में एक "प्रमुख संरचनात्मक बदलाव" की दहलीज पर है। इसके अलावा, देश एक ऐसे रास्ते की ओर बढ़ रहा है जहाँ सालाना 8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। आरबीआई ने यह भी अनुमान लगाया कि वित्त वर्ष 2024–25 में अर्थव्यवस्था 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। आईएमएफ ने 2024 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है, जो कि निजी खपत, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संभावनाओं के कारण अप्रैल के अनुमान से 20 आधार अंक अधिक है। एस एण्ड पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार, भारत 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान भारत का व्यापारिक निर्यात 437.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 3.1 प्रतिशत कम था, जिसका मुख्य कारण वैश्विक प्रतिकूलताएं थीं। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान भारत का सेवा निर्यात 339.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 4.4 प्रतिशत अधिक था। सेवा निर्यात तेजी से बढ़ रहा है और उम्मीद है कि अगले पांच वर्षों में यह औसत से बेहतर वृद्धि के दम पर व्यापारिक निर्यात से आगे निकल जाएगा।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए) के अनुसार, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान भारत की कुल ऑटोमोबाइल बिक्री 2.45 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में सराहनीय 10.29 प्रतिशत की वृद्धि है। सभी उप–क्षेत्रों अर्थात 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल ने वर्ष के दौरान उच्च सकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

इसके अलावा, 30 जून, 2024 को बीएसई सेंसेक्स रिकॉर्ड 79,032 अंक पर बंद हुआ, जो स्पष्ट रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती में निवेशकों के विश्वास और भारत की भविष्य की आर्थिक संभावनाओं पर सकारात्मक भावनाओं को दर्शाता है।

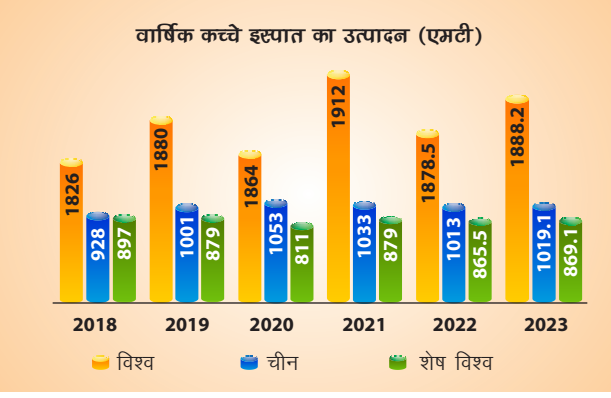
वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पिछले वर्ष दर्ज 5.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 5.8 प्रतिशत बढ़ा।



भारत सरकार बुनियादी ढांचे के विकास निरंतर जोर दे रही है और वित्त वर्ष 2024–25 के अंतरिम केंद्रीय बजट में, भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए परिव्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर दिया। क्रिसिल (सीआरआईसीआईएल) के अनुसार, भारत द्वारा वित्त वर्ष 2024 और 2030 के बीच बुनियादी ढांचे पर लगभग 143 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की संभावना है।

विश्व इस्पात

कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान वैश्विक कच्चे इस्पात का उत्पादन 1888.2 मिलियन टन रहा, जो कैलेंडर वर्ष 2022 की तुलना में 0.5 प्रतिशत अधिक है। चीन का कच्चे इस्पात का उत्पादन 1019.1 मिलियन टन था, जो कैलेंडर वर्ष 2022 के स्तर पर स्थिर है। रूस, दक्षिण कोरिया और ईरान के साथ भारत प्रमुख इस्पात उत्पादक देश थे, जिन्होंने 2023 में इस्पात उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दिखाई। चीन ने 2023 में विश्व के लगभग 54 प्रतिशत कच्चे इस्पात का उत्पादन किया। हालांकि, चीन के कच्चे इस्पात के उत्पादन में कुछ कमी आई है, जो 2024 के पहले पांच महीनों में 1.4 प्रतिशत घटकर 438.6 मिलियन टन हो गया।



खराब मांग और बढ़ती आपूर्ति के कारण 2023 में वैश्विक इस्पात की कीमतों में गिरावट देखी गई। चीनी इस्पात उद्योग गंभीर संपत्ति क्षेत्र में मंदी के प्रभाव से पीड़ित है, जिसके कारण घरेलू इस्पात की मांग में भारी गिरावट आई है और कीमतों में गिरावट आई है। इससे चीन से इस्पात के निर्यात में वृद्धि हुई है, 2023 में तैयार इस्पात का निर्यात 90.26 मिलियन टन होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 36.2 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, 2024 की पहली छमाही में, चीन का इस्पात निर्यात 53.4 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक था। सीआईएसए के अनुसार, चीन में कच्चे इस्पात की स्पष्ट खपत चरम पर है और 2025 में घटकर 910 मिलियन टन होने की उम्मीद है। उच्च इस्पात उत्पादन लेकिन कम घरेलू मांग के बीच, 2024 में चीनी इस्पात निर्यात में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है।

ओईसीडी स्टील समिति ने बढ़ती वैश्विक क्षमता पर चिंता व्यक्त की है जो 2023 में 2.5 बिलियन टन (BT) तक बढ़ गई है, जिससे वैश्विक क्षमता और स्टील उत्पादन के बीच का अंतर 612 मिलियन टन हो गया है। ओईसीडी के अनुसार, 2025 तक वैश्विक इस्पात निर्माण क्षमता 2.63 बिलियन टन होने का अनुमान है।

कच्चे इस्पात के शीर्ष 10 उत्पादक देश

श्रेणी	देश	2023 (एमटी)	2022 (एमटी)	% परिवर्तन
1	चीन	1019.1	1019.1	0.0
2	भारत	140.2	125.4	11.8
3	जापान	87.0	89.2	(-)2.5
4	संयुक्त राज्य अमेरिका	80.7	80.5	0.2
5	रूस	75.8	71.7	5.6
6	दक्षिण कोरिया	66.7	65.8	1.3
7	जर्मनी	35.4	36.9	(-)3.9
8	तुर्की	33.7	35.1	(-)4.0
9	ब्राजील	31.9	34.1	(-)6.5
10	ईरान	31.1	30.6	1.8
11	**विश्व**	**1888.2**	**1878.5**	**0.5**

स्रोतः विश्व इस्पात संघ

स्टील की गिरती कीमतों के कारण, वर्ष 2023 में दुनिया भर की स्टील कंपनियों की लाभप्रदता वर्ष 2022 की तुलना में कम रही।

स्टील उद्योग के लिए परिदृश्य

वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने अपने शॉर्ट रेंज आउटलुक अप्रैल 2024 में पूर्वानुमान लगाया है कि 2024 में विश्व स्टील की मांग 1.7 प्रतिशत बढ़कर 1,793 मिलियन टन तक पहुँच जाएगी। 2025 में स्टील की मांग 1.2 प्रतिशत बढ़कर 1,815 मिलियन टन तक पहुँचने का अनुमान है। डब्ल्युएसए ने पाया कि 2023 में सख्त ऋण शर्तों और उच्च लागतों के कारण अधिकांश प्रमुख बाजारों में आवास गतिविधि में तेज मंदी आई और वैश्विक स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हुई।

स्टील की मांग का पूर्वानुमान एसआरओ अप्रैल 2024

तैयार स्टील उत्पाद

	एमटी			वृद्धि की वार्षिक दर		
	2023	2024 (एफ)	2025 (एफ)	2023	2024 (एफ)	2025 (एफ)
यूरोपीय संघ(27) और यूके	136.8	140.7	148.1	(-)10.0	2.9	5.3
अन्य यूरोप	44.3	47.9	46.1	13.5	8.1	(-)3.7
रूस और सीआईएस	56.1	58.4	58.9	8.6	4.1	0.8
यूएसएमसीए	131.7	133.6	136.2	(-)1.0	1.4	1.9
मध्य और दक्षिण अमेरिका	45.7	45.5	46.8	0.9	(-)0.5	2.8
अफ्रीका	35.0	36.9	38.5	(-)1.7	5.4	4.4
मध्य पूर्व	54.9	57.2	58.7	(-)0.4	4.1	2.6
एशिया और ओशिनिया	1258.5	1273.1	1281.9	(-)1.0	1.2	0.7
विश्व	**1763.0**	**1793.1**	**1815.2**	**(-)1.1**	**1.7**	**1.2**

यूरोपीय स्टील कंपनियां ग्रीन स्टील उत्पादन की ओर बढ़ने के लिए तेजी से प्रयास कर रही हैं और संबंधित सरकारें उनके प्रयासों में भारी वित्तीय सहायता दे रही हैं। टाटा स्टील यूके अपने पोर्ट टैलबोट स्टीलवर्क्स में बीएफ–बीओएफ आधारित स्टील उत्पादन को बंद करेगा और 2027 तक नए ईएएफ स्थापित करेगा। चीन ने 2025 तक ईएएफ मार्ग के माध्यम से कम से कम 15 प्रतिशत कच्चे स्टील का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। इलेक्ट्रा, यूएसए और बोस्टन मेटल, यूएसए ने लौह अयस्क को कम करने के लिए बिजली का उपयोग करते हुए नई तकनीकों का उपयोग करके कम कार्बन स्टील का उत्पादन करने के लिए अपने पायलट प्लांट चालू किए हैं। नवीन जिंदल समूह ने ओमान में दुनिया का सबसे बड़ा 5 एमटीपीए हाइड्रोजन आधारित स्टील प्लांट का निर्माण भी शुरू कर दिया है।



भारतीय इस्पात परिदृश्य

विश्व इस्पात संघ (डब्ल्यूएसए) के अप्रैल, 2024 के लघु अवधि परिदृश्य के अनुसार, 2023 में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि के बाद, भारत की तैयार इस्पात की मांग में 2024 और 2025 में 8.2 प्रतिशत की स्वस्थ वृद्धि दर्शाने की उम्मीद है। इसके अलावा, भारत 2021 से इस्पात की मांग में वृद्धि का सबसे मजबूत चालक बनकर उभरा है और यह अनुमान लगाता है कि भारतीय इस्पात की मांग 2024 और 2025 में 8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आगे बढ़ना जारी रखेगी, जो सभी इस्पात उपयोग क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि और विशेष रूप से बुनियादी ढांचे में निवेश में निरंतर मजबूत वृद्धि से प्रेरित है। 2025 में, भारत में इस्पात की मांग 2020 की तुलना में लगभग 70 मिलियन टन अधिक होने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2023–24 में घरेलू तैयार इस्पात की खपत 135.95 मिलियन टन रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत अधिक थी। उच्च इस्पात मांग को भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में भारी निवेश द्वारा आंशिक रूप से समर्थन मिला। हालांकि, आईसीआरए के अनुसार, फरवरी 2024 तक सरकारी पूंजीगत व्यय स्वस्थ था, लेकिन आवास/रियल एस्टेट जैसे अन्य इस्पात उपभोक्ता क्षेत्रों ने इसके बाद लचीली मांग में योगदान दिया। इन प्रमुख रुझानों को देखते हुए, रेटिंग एजेंसी ने अपने वित्त वर्ष 2024–25 के पूर्ण–वर्ष के इस्पात मांग वृद्धि लक्ष्य को पहले के अनुमान 7–8 प्रतिशत की तुलना में संशोधित कर 9–10 प्रतिशत कर दिया है। आईसीआरए के अनुसार, पिछले तीन वर्षों से इस्पात उद्योग 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से विकास के सबसे तेज दौर से गुजर रहा है। वर्ष 2023–24 की प्रथम तिमाही के दौरान, उद्योग ने 13.4 प्रतिशत की खपत वृद्धि दर्ज की, जो कि वित्त वर्ष 2005–06 के सुनहरे दौर में दर्ज 13.9 प्रतिशत के शिखर से मामूली कम है। मजबूत घरेलू मांग भारतीय इस्पात उत्पादकों के लिए एक उज्ज्वल स्थान बनी हुई है। 2024–25 की पहली तिमाही के दौरान भारत की तैयार इस्पात की खपत 35.42 मिलियन टन थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.2% अधिक थी।

चीन में आर्थिक विकास की धीमी संभावना के कारण चीन से सस्ते स्टील का निर्यात किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान भारत का तैयार स्टील का आयात बढ़कर 8.31 मिलियन टन हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष 2022–23 की तुलना में 38.1 प्रतिशत अधिक है। भारत पांच साल के अंतराल के बाद वित्त वर्ष 2023–24 में शुद्ध स्टील आयातक बन गया। वित्त वर्ष 2024–25 की पहली तिमाही में भारत का तैयार स्टील का आयात 1.85 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 29.50 प्रतिशत अधिक था। उम्मीद है कि भारत में मजबूत मांग और घरेलू चीनी मांग में कमी के कारण भारत का स्टील आयात बढ़ता रहेगा।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान पर्याप्त घरेलू आपूर्ति, कमजोर वैश्विक स्टील की कीमतों, सुस्त निर्यात और उच्च आयात के बीच घरेलू स्टील की कीमतों में कमी आई।

ग्रीन स्टील का अर्थ है जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना स्टील का निर्माण। इस संबंध में, हरित इस्पात को बढ़ावा देने के लिए, इस्पात मंत्रालय ने हरित इस्पात उत्पादन के प्रत्येक पहलू और विनिर्माण प्रक्रियाओं के सतत विकास के लिए कार्य बिंदुओं की पहचान करने के लिए 13 कार्यबलों का गठन किया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत इस्पात क्षेत्र के लिए 455 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। भारत के स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में पहला जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की विनिर्माण इकाई हिसार (हरियाणा) में वाणिज्यिक पैमाने का हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड अपनी समूह कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के लिए हरित इस्पात के निर्माण के लिए कर्नाटक के विजयनगर में भारत की सबसे बड़ी 25 मेगावाट की हरित हाइड्रोजन परियोजना भी स्थापित कर रही है। टाटा स्टील ने लुधियाना में अपने 0.75 एमटीपीए स्क्रैप–आधारित ईएएफ प्लांट का निर्माण शुरू किया। सेल ने अपने विभिन्न संयंत्रों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के प्रबंधन के लिए चेन्नई स्थित राम चरण कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उत्सर्जन को मूल्यवर्धित उत्पादों और ईंधन में परिवर्तित करना भी शामिल है।

ख. जोखिम और चिंताएं

- **परिचालन न होने वाले खनन पट्टों पर एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021 का प्रभाव**

खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम (अधिनियम), जो 28 मार्च, 2021 को लागू हुआ, अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान करता है कि यदि खनन पट्टे का धारक खनन पट्टे के निष्पादन के बाद दो वर्ष की अवधि के टंदर उत्पादन और प्रेषण शुरू करने में विफल रहता है या दो साल की अवधि के लिए उत्पादन और प्रेषण बंद कर देता है, तो खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो साल की अवधि की समाप्ति पर या उत्पादन और प्रेषण बंद करने पर पट्टा समाप्त हो जाएगा, जैसा भी मामला हो। सेल और उसकी सहायक कंपनी के गैर–परिचालन खनन पट्टों पर अधिनियम के संभावित प्रभाव के कारण, मार्च, 2022 तक या उससे पहले कंपनी के खनन पट्टों के शीघ्र निष्पादन में तेजी लाने के लिए मामले को इस्पात मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था। इस्पात मंत्रालय के हस्तक्षेप पर, मार्च/अप्रैल, 2022 में संबंधित राज्य सरकारों के पास प्रत्येक गैर–परिचालन खनन पट्टे के लिए आवश्यक आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। परिणामस्वरूप, सेल के ग्यारह गैर–परिचालन खनन पट्टों में से, तीन पहले से गैर–परिचालन खनन पट्टों, अर्थात् बोलानी 6.9 वर्ग मील, कुटेश्वर लेफ्ट बैंक और कलवार को इन पट्टों से खनिज प्रेषण की शुरुआत के साथ चालू कर दिया गया है। अतिरिक्त खनन पट्टों को भी चालू करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

- **गैर-खनन क्षेत्र में चिरिया लौह अयस्क पट्टों पर प्रभाव**

चिरिया खनन पट्टों (धोबिल पट्टे में पहले से ही अलग क्षेत्र को छोड़कर) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सारंडा वन में सतत खनन के लिए प्रबंधन योजना (एमपीएसएम) में 'नो माइनिंग जोन' के रूप में नामित किया गया है। इसका प्रभाव सेल पर पड़ता है, क्योंकि यह झारखंड के सारंडा वन में चिरिया खदान में एक ही स्थान पर लगभग 42 प्रतिशत (उपलब्ध 3.7 बिलियन टन में से) अर्थात 1.6 बिलियन टन लौह अयस्क का योगदान देता है, जो न केवल भविष्य के विस्तार के लिए इनपुट कच्चे माल को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सेल की अन्य परिचालन खदानों में घटते संसाधनों के मद्देनज़र चल रहे विस्तार का भी ध्यान रखेगा। जुलाई, 2022 में इस्पात मंत्रालय द्वारा सेल के पास लंबे समय से मौजूद चिरिया लीज के पहले से ही अलग किए जा चुके क्षेत्र में खनन की अनुमति देने के लिए हस्तक्षेप करने और साथ ही साथ एमपीएसएम पर पुनर्मूल्यांकन अध्ययन को फिर से शुरू करने पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सूचित किया कि किसी भी पुनर्मूल्यांकन अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, धोबिल को छोड़कर सेल के चिरिया लीज अभी भी बंद हैं। इस संबंध में, 6 फरवरी, 2024 को सचिव (खनन) की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के दौरान, यह पाया गया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को हल करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा चल रहे प्रयासों के बावजूद, प्रगति सीमित रही है और तदनुसार, सचिव (खनन) ने सारंडा वन क्षेत्र से संबंधित मामले को हल करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ सचिव/मंत्री स्तर पर एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया।

- **ओडिशा सरकार द्वारा लौह अयस्क के लिए प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस (पीएल) आदेश का निरसन**

ओडिशा सरकार ने 19 सितंबर, 2022 के आदेश के अंतर्गत एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021 को लागू करते हुए 4 फरवरी, 2004 के राजपत्र अधिसूचना को समाप्त घोषित कर दिया और सेल के पक्ष में लौह अयस्क के लिए 24 फरवरी, 2021 के पूर्वेक्षण लाइसेंस (पीएल) अनुदान आदेश को रद्द कर दिया। खनन पट्टे सहित समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए नवंबर, 2022 में ओडिशा सरकार के समक्ष मामला उठाया गया था। हालांकि, प्रतिक्रिया मिलने में अत्यधिक देरी हुई। तदनुसार, ओडिशा सरकार

को आवेदन पर विचार करने का निर्देश देने के लिए माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। इसके बाद, माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 17 मार्च, 2023 के आदेश के अंतर्गत ओडिशा सरकार को सेल के आवेदन पर विचार करने और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के अंदर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया। परिणामस्वरूप, मार्च, 2023 में माननीय न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए ओडिशा सरकार से अनुरोध किया गया कि वह माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सेल के आवेदन पर विचार करे। इसके बाद, नवंबर, 2023 में ओडिशा सरकार द्वारा यह सूचित करने पर कि ठकुरानी पट्टा नहीं दिया जा सकता, 22 नवंबर, 2023 को सचिव (इस्पात) और ओडिशा के मुख्य सचिव के बीच एक बैठक के बाद, ठकुरानी ब्लॉक ए का मामला ओडिशा सरकार द्वारा 27 दिसंबर, 2023 को खान मंत्रालय को भेज दिया गया, जिसमें एमएमडीआर अधिनियम की धारा 17ए के अंतर्गत आरक्षित क्षेत्रों के लिए खनन पट्टे देने और निष्पादित करने के लिए समय बढ़ाने पर स्पष्टीकरण मांगा गया इसके बाद, सेल के अध्यक्ष ने 22 फरवरी, 2024 को सचिव (खान) के समक्ष यह मामला उठाया तथा त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया तथा इस्पात मंत्रालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया। इसके बाद 11 मार्च, 2024 को सचिव (इस्पात) ने ठकुरानी पट्टे में अनुकूल समाधान के लिए सचिव (खान) के समक्ष यह मुद्दा उठाया। 13 अगस्त, 2024 को सचिव (खान) की अध्यक्षता में ओडिशा सरकार और इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में सेल ने ठकुरानी पीएल के संबंध में अपने प्रयासों को प्रस्तुत किया तथा खनन पट्टा विलेख के अनुदान एवं निष्पादन के लिए समय विस्तार का अनुरोध किया। यह निष्कर्ष निकाला गया कि नीतिगत तौर पर मंत्रालय थोक खनिजों के लिए क्षेत्रों को आरक्षित करने का समर्थन नहीं करता है। नतीजतन, ठकुरानी ब्लॉक पट्टे के लिए समयसीमा को तीन साल बढ़ाने के ओडिशा सरकार के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है। सेल इस्पात मंत्रालय से आगे हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया में है।

- **झारखंड की खदानों से लौह अयस्क बेचने के लिए मंजूरी देने में देरी**

देश में लौह अयस्क की संभावित कमी के कारण, खनन मंत्रालय, भारत सरकार ने 16 सितंबर, 2019 के आदेश के अंतर्गत सेल को पिछले वर्ष के अपने कुल खनिज उत्पादन का 25 प्रतिशत खुले बाजार में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा, 16 सितंबर, 2019 के एक अन्य अलग आदेश में, खान मंत्रालय ने सेल को कंपनी की विभिन्न कैप्टिव खदानों में डंप पड़े 70 मीट्रिक टन निम्न श्रेणी के महीन लौह सामग्री और अयस्कों (स्लाइम सहित) के पुराने स्टॉक का निपटान करने की अनुमति दी है। इस संबंध में, लगभग 33 मीट्रिक टन लौह अयस्क डंप फाइन्स गुआ ओर खदान में एक ही स्थान पर केंद्रित है। संबंधित राज्य सरकारों और अन्य संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे थे। तदनुसार, झारखंड राज्य सरकार ने अक्टूबर, 2023 में गुआ में लौह अयस्क डंप फाइन्स को कैप्टिव उपयोग के लिए स्वीकृति प्रदान की। परिणामस्वरूप, गुआ खदानों से लौह अयस्क डंप फाइन्स की नियमित आपूर्ति कैप्टिव उद्देश्यों के लिए सेल स्टील प्लांट्स को निर्देशित की जा रही है। हालाँकि, झारखंड में सेल खदानों से लौह अयस्क की बिक्री शुरू करने के लिए झारखंड राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त करने के प्रयास चल रहे हैं।

- **सरेंडर किए गए सीतानाला और परबतपुर कोकिंग कोल ब्लॉक के बदले उपयुक्त कोकिंग कोल ब्लॉक के आवंटन में देरी**

आयातित कोकिंग कोल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए, इस्पात मंत्रालय के हस्तक्षेप से, 2015 और 2016 में आवंटन मार्ग के माध्यम से क्रमशः सीतानाला और परबतपुर नामक दो कोकिंग कोल ब्लॉक सेल को आवंटित किए गए थे। हालांकि, दोनों कोल ब्लॉक के लिए कोयला खनन पट्टा क्षेत्रों में कमी के कारण, सेल बोर्ड ने परबतपुर और सीतानाला कोल ब्लॉक को कोयला मंत्रालय (एमओसी) को वापस करने की मंजूरी दे दी। तदनुसार, मनोनीत प्राधिकरण, एमओसी को परबतपुर और सीतानाला कोल ब्लॉक को वापस करने के बारे में सूचित किया गया था, जिसमें ब्लॉक के आवंटन के समय सेल द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी सहित भुगतान की गई राशि को वापस करने का अनुरोध किया गया था। सेल ने नीति आयोग की सिफारिश के अनुरूप परबतपुर और सीतानाला कोल ब्लॉक के बदले में संभावित कोकिंग कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए भी एमओसी से अनुरोध किया था।

इस बीच, कोयला मंत्रालय ने दोनों कोल ब्लॉकों अर्थात सीतानाला और परबतपुर के आवंटन को समाप्त कर दिया और संबंधित बैंकों को बैंक गारंटी (बीजी) लागू करने की सलाह दी। दोनों मामलों में, सेल ने संबंधित आदेशों को चुनौती देने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की हैं।

सीतानाला कोल ब्लॉक के मामले में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। हालांकि, माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता इस याचिका में जीत जाता है, तो बीजी को लागू करके एकत्र की गई राशि की वापसी के लिए परिणामी निर्देश पारित किया जाएगा। हालांकि, परबतपुर कोल ब्लॉक के मामले में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख तक बीजी के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। दोनों मामलों में, मामला विचाराधीन है।

- **पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किरीबुरु-मेघाहातुबुरु खदानों के दक्षिण-मध्य ब्लॉक के लिए फेज-2 वन मंजूरी देने में देरी**

किरीबुरु और मेघाहातुबुरु खदानों में नया खनन स्थापित करने के लिए फेज–1 वन मंजूरी अक्टूबर, 2010 में दी गई थी, लेकिन सतत खनन प्रबंधन योजना (एमपीएसएम) और प्रतिपूरक वनीकरण भूमि के लिए से जुड़ी चिंताओं सहित विभिन्न मुद्दों के कारण इसमें देरी हुई। वित्त वर्ष 2022–23 में, वन सलाहकार समिति द्वारा दो समीक्षाओं के बाद वन मंजूरी प्रस्ताव अपर्याप्त पाया गया। इसके बाद, सेल ने पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय को आवश्यक जानकारी प्रदान की और एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना (आईडबल्युएमपी) के लिए आवश्यकताओं को पूरा किया। इसके बाद, जून, 2023 में वन मंत्रालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों को संबोधित करने के बाद, झारखंड राज्य सरकार ने मार्च, 2024 में वन मंजूरी प्रस्ताव की सिफारिश की, हालांकि, 24 और 26 अप्रैल, 2024 को व मंत्रालय ने झारखंड राज्य और वन मंत्रालय, रांची से आगे स्पष्टीकरण मांगा। सेल के अधिकारियों ने इन प्रश्नों के समाधान के लिए पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की और 3 मई, 2024 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। मई, 2024 और जून, 2024 में पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय और राज्य अधिकारियों के साथ हुई बैठकों में प्रश्नों का समाधान किया गया और 247.50 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के प्रस्ताव में तेजी लाने का अनुरोध किया गया। हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद, प्रस्ताव लंबित रहा और 11 जुलाई, 2024 को निदेशक (तकनीकी, परियोजनाएं और कच्चा माल) ने आईजी (एफसी), पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया। परिणामस्वरूप र्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय ने झारखंड के प्रधान सचिव (वन) को सेल के अभ्यावेदन पर टिप्पणी देने और पिछले पत्र का जवाब देने को कहा। 24 जुलाई, 2024 को पीसीसीएफ (नोडल), झारखंड के साथ हुई बैठक में साइट–विशिष्ट संरक्षण योजना में संशोधन किया गया, जिसे 31 जुलाई, 2024 को पुनः प्रस्तुत और अनुमोदित किया गया। इसके बाद, संशोधित योजना के लिए आवश्यक के रूप में, सेल ने 8 अगस्त, 2024 को



₹31.77 करोड़ जमा किए। इस संबंध में, झारखंड सरकार से अंतिम अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

- **रामनदुर्गा खनन पट्टे का निष्पादन**

खान मंत्रालय ने 20 फरवरी, 2019 के राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत सेल/वीआईएसएल द्वारा लौह अयस्क खनन के प्रयोजनार्थ रामनदुर्गा वन रेंज के ब्लॉक संख्या 13/1 में 150 एकड़ क्षेत्र को 10 वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित किया है। लौह अयस्क के लिए रामनदुर्गा वन रेंज में 150 एकड़ क्षेत्र के लिए खनन पट्टा विलेख के निष्पादन की प्रक्रिया में, कर्नाटक सरकार ने 29 फरवरी, 2024 के आदेश के अंतर्गत वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने और खनन पट्टा निष्पादित करने के लिए 19 फरवरी, 2025 तक एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए छूट देने की स्वीकृति प्रदान की। सेल/वीआईएसएल आवश्यक अनुमोदन अर्थात वन और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। 19 फरवरी, 2025 तक इन मंजूरी प्रदान करने में कोई भी देरी रामनदुर्गा पट्टे के निष्पादन को प्रभावित कर सकती है।

- **रावघाट में बड़ी मशीनीकृत लौह अयस्क खदान के विकास में देरी**

भिलाई इस्पात संयंत्र की मौजूदा लौह अयस्क खदानों से संबंधित घटते हुए भंडार और गंभीर गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को देखते हुए, रावघाट में बड़ी मशीनीकृत खदानों का शीघ्र विकास आवश्यक है। रावघाट पट्टा दो वन प्रभागों अर्थात भानुप्रतापपुर (पूर्व) (एमडीओ क्षेत्र) और नारायणपुर (अंतरिम खनन क्षेत्र) में स्थित है। पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त करने और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के बाद, 17 जून, 2020 को पेड़ों की कटाई शुरू हुई। नारायणपुर डिवीजन में, जहाँ 1.5 एमटीपीए की दर पर अंतरिम खनन चल रहा है, पेड़ों की कटाई और भूमि हस्तांतरण की प्रगति संतोषजनक है। हालाँकि, भानुप्रतापपुर डिवीजन में, स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण मार्च, 2021 से पेड़ काटने का काम रोक दिया गया है। इस संबंध में, लगभग 280 हेक्टेयर भूमि, जिसमें से केवल 36 प्रतिशत आवश्यक क्षेत्र अब तक सौंपा गया है। भूमि हस्तांतरण में देरी के कारण रावघाट में बड़ी मशीनीकृत खदान के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना में बाधा उत्पन्न हुई है। जब तक रावघाट में बड़ी मशीनीकृत खदान विकसित नहीं हो जाती, सेल अक्टूबर, 2024 तक अंतरिम खनन उत्पादन को 2 एमटीपीए के स्तर तक बढ़ाने की प्रक्रिया में है।

- **कच्चे माल की अपर्याप्त आपूर्ति से उत्पादन में कमी आ सकती है**

भिलाई इस्पात संयंत्र में लौह अयस्क का उत्पादन राजहरा लौह अयस्क खदानों के समूह से पूरा किया जा रहा है। ऊपरी बेंचों से लौह अयस्क समाप्त होने के कारण, निचली बेंचों में खनन कार्य किया जा रहा है। वैकल्पिक रूप से, रावघाट खदानों से लौह अयस्क का खनन शुरू किया जाना है। हालाँकि, मुख्य रूप से एलडबल्युई गतिविधियों के कारण रावघाट परियोजना में देरी हो रही है। इस बीच, अंजरेल ब्लॉक में अंतरिम खनन के लिए अनुबंध दिया गया है। इस संबंध में, पहुँच मार्ग का निर्माण, स्क्रीनिंग इकाई की स्थापना, बिजली की आपूर्ति और पानी की पाइपलाइन के निर्माण जैसे प्रारंभिक कार्य पूरे हो चुके हैं। पेड़ों की गणना की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहाड़ी की चोटी पर सुरक्षा शिविर स्थापित किया गया है, खोजपूर्ण ड्रिलिंग गतिविधि पूरी हो चुकी है। तरावकी साइडिंग (77 किमी) तक रेल लाइन चालू हो गई है और जून, 2025 तक पूरी रेल लाइन बनने की उम्मीद है। एमडीओ के माध्यम से ब्लॉक–ए से 14 एमटीपीए उत्पादन जारी है।

- **लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि की चुनौतियाँ**

कुछ खदानों में खनन गतिविधियाँ शुरू करने के लिए वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ मामला उठाया जा रहा है। इसके अलावा, रावघाट में खनन प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है और जहाँ भी ज़रूरत हो, रेलवे साइडिंग के विस्तार के लिए भारतीय रेलवे के साथ मामला उठाया जा रहा है।

- **आयात पर प्रतिबंध के कारण स्पेयर पार्ट्स/महत्वपूर्ण स्पेयर की अनुपलब्धता**

स्वदेशी उपलब्धता न रखने वाली वस्तुओं और 200 करोड़ रुपये तक की कीमत वाली वस्तुओं के लिए ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी (जीटीई) के माध्यम से खरीद के लिए भारत सरकार के साथ मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा, स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, जिन वस्तुओं के लिए जीटीई जारी किए गए थे, उनकी एक सूची सेल टेंडर वेबसाइट पर डाल दी गई है ताकि इच्छुक स्वदेशी विक्रेता इन वस्तुओं की आपूर्ति में अपनी रुचि व्यक्त कर सकें।

- **स्टील की कीमतों में उतार-चढ़ाव से लक्षित राजस्व प्राप्त करने में विफलता हो सकती है**

चूंकि वर्ष के कुछ समय में स्टील की मांग अपेक्षा से कम है, इसलिए माल ढुलाई के लिए लाभकारी क्षेत्रों में बिक्री में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, टियर–1 और टियर–2 डिस्ट्रीब्यूटरशिप के माध्यम से समझौता ज्ञापन और अन्य ऑर्डर बुकिंग योजनाओं के अंतर्गत प्रतिबद्ध बिक्री मूल्य में उतार–चढ़ाव और कम मांग के जोखिम को कम करती है। उत्पाद मूल्य श्रृंखला के निचले छोर पर बिक्री की निर्भरता को कम करने के लिए, टियर–1 वितरण चैनल के अंतर्गत सेगमेंट बास्केट में विविधता लाने के लिए डाउनस्ट्रीम और उपयोग के लिए तैयार उत्पादों की लक्षित बिक्री बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जिन उत्पादों को बाजार में लाना मुश्किल है, उनके लिए सेगमेंट विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है और उत्पादों के बारे में जागरूकता लाने के लिए सेमिनार और कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं। कम मूल्य के आयात को हतोत्साहित करने के लिए टैरिफ आधारित निवारण जारी रखने के लिए उद्योग संघों के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप की भी मांग की जा रही है। सेमी, डब्ल्यूआर कॉइल, एचआर कॉइल और पीएम प्लेट और एचआर कॉइल के लिए यूरोप जैसे देशों में निर्यात के लिए और अधिक अवसर तलाशने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

- **विशिष्ट उत्पाद मिश्रण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कड़ी प्रतिस्पर्धा से राजस्व सृजन और निर्यात से वृद्धि की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।**

चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें व्यापक उतार–चढ़ाव के अधीन हैं, इसलिए सार्क और मध्य पूर्व के पड़ोसी बाजारों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अधिक मूल्यवर्धित उत्पादों और आईएसपी, आरएसपी और डीएसपी में नई मिलों से निर्मित उत्पादों को शामिल करके निर्यात उत्पाद बास्केट के विविधीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

- **आयातित कोकिंग कोयले की आपूर्ति में व्यवधान।**

आयातित कोकिंग कोयले की आपूर्ति में व्यवधान का जोखिम है क्योंकि विक्रेताओं की संख्या सीमित है और एक भौगोलिक क्षेत्र से थोक आपूर्ति होती है। ईओआई मार्ग के माध्यम से विक्रेता आधार बढ़ाने और रूस, कजाकिस्तान आदि जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से नए कोयला उत्पादक देशों की खोज करके कोयला बास्केट बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

- **हमारे ब्रांडों के दुरुपयोग से राजस्व, प्रतिष्ठा, ग्राहकों के विश्वास की हानि और ब्रांड छवि/इक्विटी का क्षरण**

हमारे ब्रांडों के दुरुपयोग को कम करने के लिए, मौजूदा ब्रांड नामों और उनकी रजिस्ट्री स्थिति की समीक्षा की गई है। सेल टिन को छोड़कर सभी ब्रांडों के पंजीकरण के विस्तार के लिए कार्रवाई की जा रही है, जो उत्पादन के लिए नहीं है। अंतिम पंजीकृत ब्रांड सेल सेक्योर था। रूपांतरण एजेंटों, वेट लीजिंग एजेंटों और एसपीयू की नवीनतम सूची कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा, प्रमुख ब्रांडों को सेल की वेबसाइट और अन्य मीडिया माध्यमों पर ठीक से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा, प्रमुख उत्पादों के लिए उत्पाद ब्रोशर विकसित किए गए हैं और उचित स्थानों पर प्रदर्शित किए गए हैं और टियर–1 और टियर–2 खुदरा मॉडल के लिए ब्रांड मैनुअल भी उपयोग में है।

ग. स्वोट विश्लेषण

शक्तियां	कमजोरी	अवसर	खतरे
• विभिन्न स्थानों पर स्थित उत्पादन इकाइयाँ अन्य घरेलू इस्पात कंपनियों पर बढ़त प्रदान करती हैं। • सुस्थापित राष्ट्रव्यापी विपणन और वितरण नेटवर्क। • सबसे विविध उत्पाद रेंज। • भविष्य में ब्राउन–फील्ड विस्तार के लिए मौजूदा प्लांट/यूनिट स्थानों पर भूमि बैंक की उपलब्धता। • इनपुट सुरक्षा–लौह अयस्क में 100 प्रतिशत एकीकरण। • बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, नए कमीशन किए गए मिल्स उत्पादों की ओर उन्मुख हैं। • परिचालन दक्षता और नई और आधुनिक इकाइयों के उपयोग के माध्यम से उत्पाद–मिश्रण में सुधार और लागत को कम करने की क्षमता। • इस्पात निर्माण में योग्य और अनुभवी पेशेवर।	• प्रमुख इनपुट अर्थात कोकिंग कोल के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भरता के कारण कंपनी को बाजार जोखिम का सामना करना पड़ता है। • कर्मचारियों की बढ़ती उम्र के साथ–साथ उच्च मानवशक्ति लागत और अपेक्षाकृत कम मानवशक्ति उत्पादकता।	• पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए तीव्र गति से प्रयास करते हुए, भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे, पूंजीगत वस्तुओं और निर्माण जैसे इस्पात गहन क्षेत्रों के संबंध में नई नीतियों का प्रस्ताव रखा, जिससे इस्पात उद्योग के लिए एक उज्ज्वल भविष्य दिखाई दिया। • विश्व मानकों की तुलना में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत कम है। • देश में इस्पात की बढ़ती मांग।	• भारत में स्थित घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कंपनियों और आयातों से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। • दुनिया भर में ग्रीन स्टील पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। • घरेलू इस्पात उत्पादन क्षमता में वृद्धि। • महंगाई का दबाव।

घ. दृष्टिकोण

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने जुलाई 24 के विश्व आर्थिक परिदृश्य में 2024 के लिए वैश्विक विकास की उम्मीदों को स्थिर रखा है, जबकि महंगाई के जोखिम और व्यापार तनावों के बारे में चेतावनी दी है। आईएएफएम को उम्मीद है कि 2024 में विश्व अर्थव्यवस्था 3.2 प्रतिशत बढ़ेगी, जो उसके अप्रैल के पूर्वानुमान से अपरिवर्तित है। आईएफएम ने 2024 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है, जो कि निजी खपत, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संभावनाओं के कारण अप्रैल के अनुमान से 20 आधार अंक अधिक है। अधिकांश अन्य एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए भारत के लिए अपने विकास अनुमानों को 6.6 प्रतिशत से 7.0 प्रतिशत की सीमा में संशोधित किया है।

वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (डबल्युएसए) ने अपने शॉर्ट रेंज आउटलुक, अप्रैल 2024 में पाया है कि 2020 में कोविड–19 संकट के बाद से दो साल की नकारात्मक वृद्धि और गंभीर बाजार अस्थिरता के बाद, उसे 2024 और 2025 में वैश्विक स्टील की मांग में वृद्धि के शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था कई मजबूत चुनौतियों, महामारी के प्रभाव और यूक्रेन पर रूस के हमले, उच्च मुद्रास्फीति, उच्च लागत और घरेलू क्रय शक्ति में गिरावट, बढ़ती भौगोलिक–राजनीतिक अनिश्चितताओं और जबरदस्त मौद्रिक तनाव का सामना करने के बावजूद निरंतर लचीलापन दर्शाती रही है। सकारात्मक पक्ष पर, डबल्युएसए का मानना है कि उम्मीद से अधिक तेजी से होने वाली मुद्रास्फीति और आगे की मौद्रिक नीति में ढील से स्टील का उपयोग करने वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से आवास निर्माण को काफी बढ़ावा मिल सकता है। नकारात्मक पक्ष पर, इसका अवलोकन यह है कि भौगोलिक–राजनीतिक तनावों में और वृद्धि, उम्मीद से अधिक लगातार मुद्रास्फीति के दबाव, और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय समेकन को गति देने वाले उच्च और बढ़ते सार्वजनिक ऋण स्तर, चल रहे आर्थिक सुधार को धीमा करने या इसे पटरी से उतारने की क्षमता रखते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, डबल्युएसए ने अपने अप्रैल 2024 के शॉर्ट रेंज आउटलुक में कहा है कि भारत की तैयार स्टील की मांग में 2024 और 2025 में 8.2 प्रतिशत की स्वस्थ वृद्धि होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढ़ांचे के विकास पर जोर दिए जाने से घरेलू स्टील की खपत में वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि, कोकिंग कोल की बढ़ी हुई कीमतें, चीन से स्टील का बढ़ता आयात, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्टील की कमज़ोर कीमतें, घरेलू स्टील बनाने की बढ़ती क्षमता, बढ़ती भू–राजनीतिक अनिश्चितताएं एक चुनौती बनी हुई हैं।

ङ. वित्तीय कार्यप्रदर्शन की समीक्षा

1. सेल की वित्तीय समीक्षा

सेल ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 1,04,545.09 करोड़ रुपये का अपना सर्वश्रेष्ठ बिक्री कारोबार हासिल किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 1,03,728.63 करोड़ रुपये के कारोबार की तुलना में 1 प्रतिशत अधिक था। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कर से पहले और कर के बाद का लाभ क्रमशः 3,687.67 करोड़ रुपये और 2,733.11 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में कर से पहले और कर के बाद का लाभ क्रमशः 2,636.91 करोड़ रुपये और 1,903.07 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2023–24 और 2022–23 के दौरान प्रमुख वित्तीय मापदंडों का तुलनात्मक प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़)

विवरण	2023-24	2022-23
बिक्री कारोबार	104545.09	103767.54
ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले लाभ (ईबीआईटीडीए)	12279.77	9378.91
घटाः ब्याज और वित्त शुल्क	2473.81	2037.47
घटाः मूल्यह्रास	5277.45	4962.52
असाधारण/असामान्य मदों और कर से पहले लाभ	4528.51	2378.92
घटाः असाधारण मदों का लाभ(–)/हानि (+)	840.84	-257.99
कर से पहले लाभ(+)/हानि(–)	3687.67	2636.91
घटाः कराधान के लिए प्रावधान	954.56	733.84
कर के बाद लाभ(+)/हानि(–)	2733.11	1903.07
अन्य व्यापक आय	-122.17	-438.61
कुल व्यापक आय (+)/हानि(–)	2610.94	1464.46
शुद्ध मुल्य	54131	52139
शुद्ध बिक्री के लिए ईबीआईटीडीए (प्रतिशत)	11.75	9.04
शुद्ध मुल्य पर रिटर्न (पीएटी) (प्रतिशत)	5.05	3.65
ईबीआईटीडीए से औसत नियोजित पूंजी (प्रतिशत)	19.06	15.01
10/– रुपये प्रति शेयर आय	6.62	4.61
ऋण इक्विटी अनुपात	0.67:1	0.59:1
वर्तमान अनुपात	0.90:1	0.77:1
देनदारों का टर्नओवर अनुपात (दिन)	29	19
इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात (दिन)	6.65	8.41
ब्याज कवरेज अनुपात (गुणा)	2.64	2.05
संचालन लाभ मार्जिन (प्रतिशत)	6.69	4.26
शुद्ध मार्जिन (प्रतिशत)	2.61	1.83



वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लाभप्रदता में वृद्धि मुख्य रूप से अधिक बिक्री मात्रा, वित्त वर्ष 2021–22 के लिए रेल मूल्य को अंतिम रूप देने के साथ–साथ वित्त वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए अनंतिम रेल मूल्य में संशोधन, आयातित कोयले और फेरो मिश्र धातुओं की कम कीमतें, लौह अयस्क, जस्ता, तांबा, अन्य फेरो–मिश्र धातुओं, बिजली आदि जैसे अन्य कच्चे माल का कम उपयोग, बेहतर तकनीकी–आर्थिक पैरामीटर जैसे बीएफ उत्पादकता में सुधार, कोयले का कम उपयोग, विशिष्ट ऊर्जा खपत आदि, कम वेतन और मजदूरी, विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव पर नुकसान में कमी आदि के कारण हुई है।

हालांकि, लाभ में वृद्धि को बिक्री योग्य स्टील की कम शुद्ध बिक्री प्राप्ति और कोयला, रसायन और उप–उत्पादों की कम बिक्री, बाहरी बीएफ कोक, चूना पत्थर, स्क्रैप आदि के अधिक उपयोग, कम स्टॉक मूल्यांकन दर, स्टोर और पुर्जों, मरम्मत और रखरखाव, कच्चे माल के हैंडलिंग शुल्क, माल ढुलाई आदि पर अधिक व्यय; ऊंची रॉयल्टी दरें; कम लाभांश आय; असाधारण वस्तुओं का प्रभाव (विवाद से विश्वास योजना–2 और प्रवेश कर के अंतर्गत निपटान); उच्च ब्याज शुल्क और मूल्यह्रास; आदि, द्वारा आंशिक रूप से ऑफसेट हो गया है।

सीपीएलवाई की तुलना में, जबकि टर्नओवर में वृद्धि हुई है, बकाया में भी वृद्धि हुई है, जिससे देनदारों के टर्नओवर अनुपात में वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान इन्वेंट्री के स्तर में वृद्धि हुई है। बढ़ा हुआ चालू अनुपात मुख्य रूप से इन्वेंट्री के स्तर और देनदारों में वृद्धि के कारण है। उधार में वृद्धि से वित्त वर्ष 2023–24 में ऋण इक्विटी अनुपात अधिक हो गया है। ब्याज कवरेज अनुपात में वृद्धि मुख्य रूप से ब्याज और वित्त शुल्क के संबंध में ईबीआईटी में अधिक वृद्धि के कारण है।

1.1 लागत नियंत्रण उपाय

- निरंतर प्रक्रिया सुधार और अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से नवाचार और उत्पादकता पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से लागत में कमी, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार और मूल्य संवर्धन हुआ।
- उच्च मूल्य की वस्तुओं की खरीद की निरंतर निगरानी, उपलब्ध स्वदेशी कोयले का अधिकतम उपयोग, इन–हाउस इंजीनियरिंग शॉप का अधिकतम उपयोग, बेकार संपत्तियों की बिक्री, केंद्रीय रूप से खरीदी गई वस्तुओं के माध्यम से खरीद का अनुकूलन पूरे वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान किए गए जिसमें मूल्य में कमी के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत शामिल है।
- कोयला मिश्रण अनुकूलन, रूस से कम लागत वाले कोयला मिलाकर खरीदे गए पीसीआई कोयले के विक्रेता आधार में सुधार, स्वदेशी कोयले का बढ़ा हुआ उपयोग और कोक दर, कोयला धूल इंजेक्शन, कोनकास्ट उत्पादन और ब्लास्ट फर्नेस में तैयार बर्डन में पिलेट के उपयोग जैसे परिचालन मापदंडों में सुधार ने वर्ष के दौरान लागत बचत में योगदान दिया है।

1.2 विपणन

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कई व्यावसायिक और रणनीतिक पहल की हैं, जिनका उद्देश्य अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में देश के अग्रणी इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखना और मजबूत करना है।

इसके अलावा, उत्पाद विकास, ब्रांडिंग, आला विपणन, ग्राहक सेवा, बाजार में पैठ और विविधीकरण, डिजिटलीकरण आदि के क्षेत्रों में लगातार केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, सेल व्यवसाय में समृद्धि के लिए निरंतर सुधार के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, नए बाजारों का दोहन करने के लिए, योजनाबद्ध तरीके से नए उत्पादों का विकास और व्यावसायीकरण किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023–24 में नए उत्पादों के विपणन में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ऑटो उद्योग के लिए ईस्को स्टील प्लांट में वायर रॉड मिल में वैक्यूम डिगैस्ड कोल्ड हेडिंग क्वालिटी वायर रॉड्स।
- आपकी कंपनी ने फोर्जिंग, स्प्रिंग स्टील, ऑटो उद्योग, हाई–टेंसाइल टीएलटी सेगमेंट/जनरल इंजीनियरिंग आदि में अनुप्रयोगों के लिए इस्को स्टील प्लांट में 19एमएन बी4, एसयूपी11ए, आईएस 11169 26सी10बीटी/एसएई 15बी/25 आदि जैसे विभिन्न मूल्य वर्धित सेमी विकसित किए हैं।
- राउरकेला स्टील प्लांट में, ऑटोमोटिव घटक के लिए हॉट स्ट्रिप मिल–2 में सेलफॉर्मिंग 410 और एचएसक्यूएफ 550 ग्रेड जैसे उत्पाद विकसित किए गए हैं।
- तेल और गैस पाइप लाइन के लिए एपीआईएक्स60/एक्स65/एक्स70 हाई कॉइल और एलपीजी सिलेंडर के लिए आईएस 5914 हाएस345 2.2/2.5मिमी हाई कॉइल राउरकेला स्टील प्लांट में हॉट स्ट्रिप मिल–2 में विकसित किए गए हैं और इसके लिए प्रमाणन प्राप्त किया गया है।
- बोकारो स्टील प्लांट में हॉट स्ट्रिप मिल ने रेलवे वैगन स्प्रिंग बॉक्स के लिए आईएसएच 4905 (11.8मिमी) विकसित किया है।
- तेल पाइपलाइनों में उपयोग के लिए एएसआई एसएस 410 लो फॉस्फोरस लो सल्फर ग्रेड और परमाणु अनुप्रयोगों के लिए सीएफ–53 ग्रेड के सेमी को कंपनी के विशेष स्टील प्लांट में विकसित किया गया है।

बिक्री बढ़ाने के सामान्य प्रयासों के अलावा, आपकी कंपनी ने बिक्री और बाजार में उपस्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- सेल के पास देशभर में फैले 5100 से अधिक डीलरों का एक व्यापक डीलरशिप नेटवर्क है। 31 मार्च, 2024 तक 2–स्तरीय वितरण नेटवर्क में पहले से ही 50 वितरकों के साथ, खुदरा बिक्री के इस चैनल को और मजबूत किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 2 टियर वितरक नेटवर्क के माध्यम से लगभग 9.47 लाख टन टीएमटी की आपूर्ति की गई। सेल के पास छोटे उपभोक्ताओं, बी2बी औद्योगिक क्षेत्रों की मांग को पूरा करने की प्रणाली में सुधार करने और मूल्य वर्धित सेवाओं सहित छोटे ग्राहकों को सिंगल विंडो सेवा प्रदान करने के लिए टियर–1 वितरक प्रणाली भी है और 31 मार्च, 2024 तक इसके 58 वितरक हैं। देश भर में फैला यह विशाल नेटवर्क देश भर में फैले ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। अप्रैल से मार्च, 2024 के दौरान खुदरा क्षेत्र में कुल 22.86 लाख टन की बिक्री में से टियर–2 वितरकों और डीलरों के माध्यम से बिक्री 10.27 लाख टन थी, जिसमें टीएमटी और जीसी शामिल थे, जबकि पिछले वर्ष यह 8.26 लाख टन थी। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान टियर–1 वितरकों के माध्यम से बिक्री 12.59 लाख टन थी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्टील के उपयोग के बारे में जागरूकता और स्वीकृति बढ़ाने में मदद करने के लिए, सेल ने ग्रामीण

आउटरीच कार्यक्रम 'गांव की ओर' जारी रखा है। अभियान के अंतर्गत, छोटे उपभोक्ताओं आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान देश भर में 400 कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं।

- आपकी कंपनी ने 2019–20 में अपना रीइन्फोर्समेंट बार ब्रांड 'सेल–सेक्योर' लॉन्च किया है। इस ब्रांड को सुरक्षित घरों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले स्टील के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। यह ब्रांड ग्रामीण पैठ पर विशेष जोर देते हुए सेल की खुदरा उपस्थिति को बढ़ाने पर केंद्रित है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने लगभग 8.44 लाख टन 'सेल सेक्योर' रीइन्फोर्समेंट बार बेचे हैं। आने वाले वर्षों में, टॉप लाइन वैल्यू में योगदान के अलावा, ब्रांड 'सेल सेक्योर' से न केवल खुदरा क्षेत्र की गुणवत्ता की अपेक्षा को पूरा करने की उम्मीद है, बल्कि कंपनी की ब्रांड उपस्थिति को भी बढ़ावा मिलेगा।

- डिजिटलीकरण के क्षेत्र में, सेल कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसके अंतर्गत, डानकुनी और बेंगलुरु गोदामों में डायनेमिक क्यूआर परियोजना स्थापित की गई है। पूरे देश में एकीकृत वाहन ट्रैकिंग प्रणाली (आईवीटीएस) लागू की गई है। ग्राहक संपर्क के लिए सेल ग्राहक संपर्क ऐप लॉन्च किया गया है। ग्राहकों और आगंतुकों के लिए आसान नेविगेशन और सूचना पहुंच की सुविधा के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में पेश किए जाने के बाद, आगे के सुधारों के लिए एआई आधारित चैटबॉट 'सेल सारथी' की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा, सेल सारथी के लिए व्हाट्सएप बिजनेस चैनल स्थापित किया गया है और ग्राहकों और वितरकों को प्रचार गतिविधियों को भेजने के लिए। स्टील प्लांट्स में डायनेमिक क्यूआर कोड का उपयोग करते हुए मेक इन इंडिया ब्रांडिंग शुरू हो गई है। नए बीएसएनएल नेटवर्क पर लागू सॉफ्टवेयर परिभाषित वाइड एरिया नेटवर्क (एसडीडब्ल्यूएएन) पूरे नेटवर्क में डेटा मूवमेंट को अनुकूलित करेगा। सभी मार्केटिंग अधिकारियों के लिए फेस बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू की गई है। वीएपीटी जैसे सुरक्षित साइबर सुरक्षा उपाय किए गए हैं: डेटा सेंटर सर्वर के लिए भेद्यता और प्रवेश परीक्षण किया गया और ऑडिटर से प्राप्त होस्ट प्रमाण पत्र सुरक्षित हैं।

- आपकी कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन का आश्वासन देते हुए स्ट्रक्चरल के 'नेक्स' ब्रांड पर निरंतर जोर दिया। सामान्य रूप से डिजाइनिंग में स्टील के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और ग्राहकों के साथ वर्चुअल मीटिंग, वेबिनार के माध्यम से स्ट्रक्चरल के 'नेक्स' ब्रांड के उपयोग को बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं और इन–हाउस और स्ट्रक्चरल डिज़ाइनरों, आर्किटेक्ट्स आदि द्वारा वर्चुअल वर्कशॉप सत्रों में भाग लिया गया है। इसके अलावा, स्ट्रक्चरल के टियर–1 वितरक विज्ञापनों/होर्डिंग्स आदि के माध्यम से नेक्स ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं।

- वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने कई प्रतिष्ठित संरचनाओं और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को स्टील की आपूर्ति की है। प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं–दक्षिणी क्षेत्र में कलपक्कम परमाणु परियोजना; मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना, वर्सोवा बड़ौदा सी लिंक परियोजना, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे (सूरत–दाहोद पैकेज), पश्चिमी क्षेत्र में रावबट्टा परमाणु संयंत्र, राजस्थान देवघर में एम्स, 52 सुरंगों और 149 पुलों के माध्यम से जिरीबाम–तुपुल–इम्फाल को जोड़ने वाली 111 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज विस्तार परियोजना, पटना में मोकामा रेलवे ब्रिज, पूर्वी क्षेत्र में पुरी में जगन्नाथ तीर्थस्थल। सेल देश भर में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए स्टील के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक था।

- आपकी कंपनी के पास देश के सभी इस्पात उत्पादकों में सबसे बड़ा विपणन नेटवर्क है। 31 मार्च, 2024 तक, सेल के विपणन कार्यालयों के कार्यात्मक नेटवर्क में 37 शाखा बिक्री कार्यालय, 5 ग्राहक संपर्क कार्यालय और 37 स्टॉकयार्ड (18 विभागीय गोदाम, 17 कार्यात्मक माल एजेंसी यार्ड और 2 माल हैंडलिंग एजेंसी यार्ड) शामिल हैं। विपणन प्रयासों को सेल के खुदरा चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है जो भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उपभोग के उत्पादों तक पहुँचता है।

- आपकी कंपनी द्वारा की गई कुछ अन्य पहलों में हमारे एकीकृत इस्पात संयंत्रों में और उसके आसपास स्थित स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू करना शामिल है, जिसमें 147 एमएसएमई सेल योजना में शामिल हो गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में इन एमएसएमई को आपूर्ति 1,22,000 टन से अधिक रही है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 35% की वृद्धि है।

आपकी कंपनी द्वारा निरंतर सुधार के लिए, विशेष रूप से ग्राहक पहुंच और ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के क्षेत्र में, कई गतिविधियाँ और पहल की जा रही हैं और भविष्य के लिए योजना बनाई जा रही है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

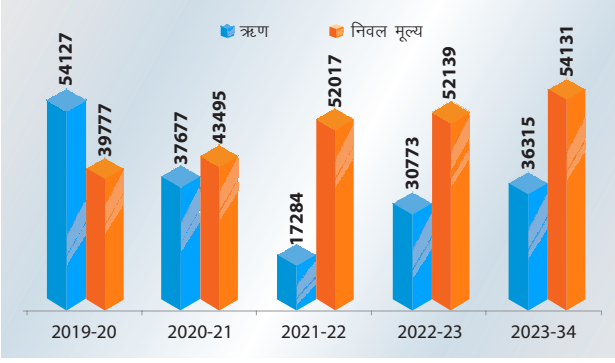
- ग्राहकों के साथ समझौता ज्ञापन और वार्षिक/तिमाही प्रतिबद्धताओं के साथ बिक्री को बढाना।
- उपभोक्ता आधार और प्रमुख खातों में बिक्री बढ़ाने का प्रयास करना।
- बिक्री बल प्रभावशीलता के माध्यम से मध्यम आकार के खातों (एएसए) को बिक्री और सेवा में वृद्धि करना।
- गोदामों और टियर–1 वितरक नेटवर्क में बेहतर स्टॉक प्रबंधन के माध्यम से छोटे उपभोक्ताओं (एमएसए) की आवश्यकताओं को पूरा करना। मूल्य वर्धित सेवाओं के साथ टियर–1 वितरक नेटवर्क के माध्यम से बिक्री बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।
- वितरक–डीलर नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है।
- ब्रांड प्रमोशन और इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाएगा।
- ई–प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री को लक्षित किया जाएगा।

इसके अलावा, भविष्य की योजनाओं में मूल्य वर्धित खंडों में प्राप्ति में सुधार और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए खंडों के पुनर्संरेखण पर ध्यान देते हुए मध्यम और दीर्घकालिक रणनीतियों का विकास शामिल है। इसके अलावा, प्रिसिजन ट्यूब, जनरल इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन, कोल्ड फॉर्मिंग, ऑटो कंपोनेंट और इलेक्ट्रिकल उपकरण, सोलर, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग (पीईबी), अर्थ मूविंग इक्विपमेंट (ईएमई), तेल और गैस और विंडमिल जैसे नए खंडों में बिक्री को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे।



1.3 फंड प्रबंधन

INDAS के अनुरूप कंपनी की उधारी 31 मार्च, 2023 को ₹ 30,773 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹ 36,315 करोड़ हो गई है। परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2024 को कंपनी का ऋण इक्विटी अनुपात पिछले वर्ष के 0.59:1 की तुलना में 0.67:1 है। चालू वर्ष के दौरान परिचालन खाते पर ब्याज और वित्त प्रभार ₹ 2,474 करोड़ है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹ 2,037 करोड़ की तुलना में अधिक है, इसका कारण उधार के साथ–साथ ब्याज दरों में वृद्धि है। कंपनी का शुद्ध मूल्य 31 मार्च, 2023 को ₹ 52,139 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹ 54,131 करोड़ हो गई है। सेल के दीर्घकालिक उधार कार्यक्रम के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने क्रमशः 'केयर एए–आउटलुक' स्टेबल', 'इंडिया रेटिंग्स इंडिया एए– आउटलुकः स्टेबल' रेटिंग दी है। उधार और शुद्ध मूल्य का रुझान इस प्रकार है:



1.4 सेल ग्रेच्युटी ट्रस्ट में योगदान

कंपनी द्वारा ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए किए गए समझौते के अनुसार, सेल ग्रेच्युटी ट्रस्ट द्वारा कंपनी को 516 करोड़ रुपये की राशि वित्तपोषित की गई है। कंपनी द्वारा सेल ग्रेच्युटी ट्रस्ट में किए गए योगदान के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक फंड का आकार 5,792.99 करोड़ रुपये रहा है।

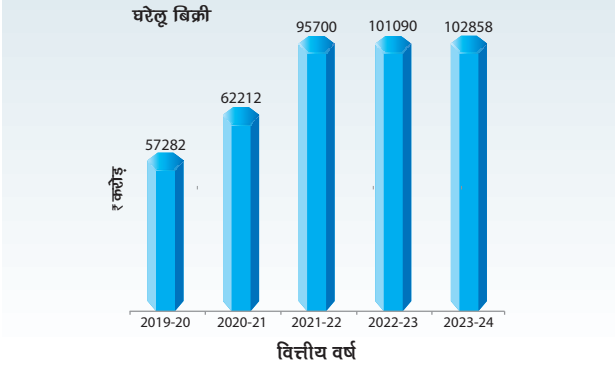
2. कम्पनी के वित्तीय कार्यप्रदर्शन का विश्लेषण

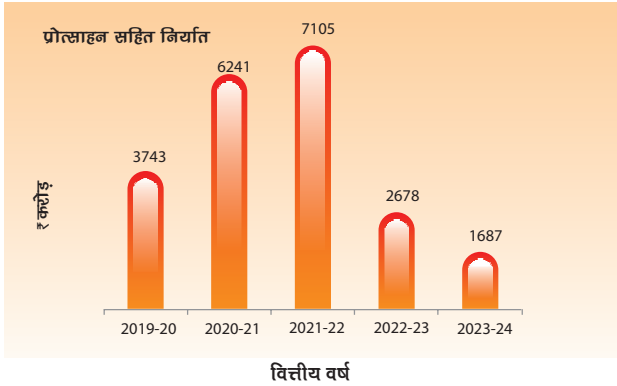
2.1 संचालन से आय

(क) उत्पादों की बिक्री

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	% परिवर्तन
1	बिक्री योग्य स्टील उत्पादों की बिक्री	100984.80	98813.35	1.17
2	अन्य उत्पादों की बिक्री	3560.29	3915.28	-9.07
3	कुल बिक्री कारोबार	104545.09	103728.63	0.79

(ख) घरेलू बिक्री और निर्यात का रुझान





कंपनी ने माइल्ड स्टील व्यवसाय के लगभग पूरे दायरे को पूरा किया, जैसे कि प्लेट्स, एचआर कॉइल्स/शीट्स, सीआर कॉइल्स/शीट्स, गैल्वनाइज्ड प्लेन/कॉरगेटेड शीट्स और रेल्स, स्ट्रक्चरल्स, वायर–रॉड्स और मर्चेंट उत्पादों से युक्त लंबे उत्पादों के रूप में फ्लैट उत्पाद। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप्स, स्पाइरल वेल्डेड पाइप्स और सिलिकॉन स्टील शीट्स कंपनी के समृद्ध उत्पाद–मिश्रण का हिस्सा बने। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान उत्पाद श्रेणी–वार बिक्री कारोबार नीचे दिया गया है:

उत्पाद श्रेणी	बिक्री मूल्य का %
बिक्री योग्य स्टील	
फ्लैट उत्पाद (पाइप और इलेक्ट्रिकल शीट सहित) (क)	49
लंबे उत्पाद (ख)	44
एकीकृत इस्पात संयंत्र – हल्के स्टील (ग=क+ख)	93
मिश्र धातु और विशेष इस्पात संयंत्र–मिश्र धातु और विशेष इस्पात (घ)	3
कुल बिक्री योग्य स्टील (ड़=ग+घ)	96
द्वितीयक उत्पाद (पिग आयरन, स्क्रैप, कोयला रसायन, आदि) (च)	4
कुल (छ=ड़+च)	**100**

ग) सेवाओं की बिक्री-सेवा शुल्क

(₹ करोड़)

वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	% परिवर्तन
19.93	20.22	-1.43

सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 0.29 करोड़ रुपये की कमी आई।

घ) अन्य परिचालन राजस्व

(₹ करोड़)

वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	% परिवर्तन
809.57	698.51	15.89

अन्य परिचालन राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 111.06 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण सामाजिक सुविधाओं से प्राप्त वसूली, बेकार पड़ी वस्तुओं की बिक्री और विविध वस्तुओं की बिक्री से बेहतर आय प्राप्त हुई।

2.2 अन्य लाभ

(₹ करोड़)

वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	% परिवर्तन
1148.06	1354.84	-15.26

अन्य आय में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ₹ 206.78 करोड़ की कमी आई, जिसका मुख्य कारण ग्राहकों से कम ब्याज आय और निवेश से कम लाभांश का प्राप्त होना था।

2.3 व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	% परिवर्तन
कच्चे माल की खपत	57619	62091	-7.20
कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	11748	12054	-2.54
वित्त लागत	2474	2037	21.45
मूल्यह्रास	5277	4963	6.33
अन्य व्यय	28229	27439	2.88

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आयातित कोयले की कम कीमतों और लौह अयस्क, चूना पत्थर और अन्य फेरो–मिश्र धातुओं जैसे कच्चे माल के अधिक उपयोग के कारण कच्चे माल की लागत में कमी आई है। वर्ष के दौरान, कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभ में मुख्य रूप से प्राकृतिक पृथक्करण हुआ जिसके कारण मानव शक्ति में कमी आई है। उधार में वृद्धि हुई है, जिसके कारण वित्त लागत में वृद्धि हुई है और मूल्यह्रास में वृद्धि मुख्य रूप से नई सुविधाओं के पूंजीकरण के कारण हुई है। अन्य व्यय में वृद्धि रॉयल्टी दरों में वृद्धि, स्टोर और स्पेयर की अधिक खपत, कच्चे माल की हैंडलिंग व्यय, मरम्मत और रखरखाव, माल ढुलाई आदि के कारण हुई, जो उत्पादन मात्रा में वृद्धि के कारण हुई।

2.4 राजकोष में योगदान

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, सेल ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों को करों और शुल्कों के भुगतान के माध्यम से राजकोष में 22,015 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

2.5 गैर-चालू/चालू संपत्ति

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	% परिवर्तन
गैर चालू संपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	65397	67091	-2.52
(ख) चालू पूंजीगत कार्य	6141	4891	25.55
(ग) उपयोग के अधिकार से संबंधित संपत्ति	5521	4910	12.44
(घ) निवेश संपत्ति	1	1	0
(ड़) अमूर्त संपत्तियाँ	1489	1521	-2.10
(च) इन्वेंटरी	4625	4635	-0.22
(छ) वित्तीय संपत्तियाँ			
(i) निवेश	1694	1673	1.26
(ii) व्यापार प्राप्य			
(iii) ऋण	877	655	33.89
(iv) अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	444	370	20.00
(ज) आस्थगित कर संपत्तियाँ (शुद्ध)	0	0	
(झ) चालू कर संपत्तियाँ (शुद्ध)	375	595	-36.97
(ञ) अन्य गैर चालू संपत्तियाँ	3087	3612	-14.53
कुल गैर चालू संपत्तियाँ	**89651**	**89954**	**-0.34**

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	% परिवर्तन
चालू संपत्तियाँ			
(क) इन्वेंटरी	32646	27716	17.79
(ख) वित्तीय संपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्य	8309	5362	54.96
(ii) नकद और नकद समतुल्य	14	6	133.33
(iii) उक्त (ii) उपरोक्त को छोड़कर बैंक बैलेंस	528	392	34.69
(iv) ऋण	28	35	-20.00
(v) अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	1369	1229	11.39
(ग) अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	433		
(घ) अन्य चालू संपत्तियाँ	4541	2989	51.92
(ड़) बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियाँ	15	29	-48.28
कुल चालू संपत्तियाँ	**47883**	**37758**	**26.81**
कुल संपत्तियाँ	**137534**	**127712**	**7.69**

- इस्पात संयंत्रों में विभिन्न पूंजीगत योजनाओं पर किए गए व्यय के कारण चालू पूंजीगत कार्य में 1,250 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।
- अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों में 525 करोड़ रुपए की कमी आई है।
- इन्वेंट्री में 4,930 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण कच्चे माल की इन्वेंट्री में 974 करोड़ रुपए, तैयार/अर्ध–तैयार उत्पादों की इन्वेंट्री में 3,392 करोड़ रुपए तथा स्टोर एवं स्पेयर्स इन्वेंट्री में 564 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।
- व्यापार प्राप्तियों में 2,947 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण भारतीय रेलवे से प्राप्त बकाया राशि है।
- अन्य चालू परिसंपत्तियों में 1,552 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

2.6 गैर-चालू/चालू देयताएं

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	% परिवर्तन
गैर-वर्तमान देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	9568	6113	56.52
(ii) पट्टा देयताएँ	5235	4737	10.51
(iii) व्यापार देयताएँ			
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	1411	1390	1.51
(ख) दीर्घकालिक प्रावधान	5724	5604	2.14
(ग) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	6178	5747	7.50
(घ) अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	1860	2680	-30.60
कुल गैर-वर्तमान देयताएं	**29976**	**26271**	**14.11**
वर्तमान देयताएं			
(i) उधार	21025	19549	7.55
(ii) पट्टा देयताएं	486	375	29.60
(iii) व्यापार देयताएं	15332	14339	6.92
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	10517	10131	3.81
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	4565	3533	29.21
(ग) प्रावधान	1290	1379	-6.45
(घ) वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)	209		
कुल वर्तमान देयताएं	**53424**	**49306**	**8.35**
कुल (वर्तमान+गैर-वर्तमान देयताएं)	**83400**	**75577**	**10.35**



- मुख्य रूप से इन्वेंट्री में फंड ब्लॉक होने और देनदारों से वसूली के कारण दीर्घकालिक उधार में 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और कम बिक्री प्राप्तियों के कारण अल्पकालिक उधार में 1,476 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, अन्य चालू देनदारियों में मुख्य रूप से जीएसटी और प्रवेश कर निपटान के कारण देय राशियों के कारण वृद्धि हुई है।

3. विभिन्न संयंत्रों में वित्तीय प्रदर्शन (कर से पहले लाभ)

(₹ करोड़)

संयंत्र/इकाई	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी)	2342.75	376.16
दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी)	351.64	638.88
राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी)	652.91	521.07
बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल)	822.83	840.84
ईस्को स्टील प्लांट (आईएसपी)	109.42	339.77
अलॉय स्टील्स प्लांट (एएसपी)	-102.65	-140.09
सलेम स्टील प्लांट (एसएसपी)	-286.19	-240.53
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसपी)	-48.93	-51.10
सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट (एसआरयू)	11.17	25.72
चंद्रपुर फेरो अलॉय प्लांट (सीएफपी)	-136.71	-91.80
कच्चा माल प्रभाग/केंद्रीय इकाइयां	-28.57	417.99
सेल: कर से पहले लाभ (+)/हानि(-)	**3687.67**	**2636.91**

च. सामग्री प्रबंधन

इनपुट की लागत को कम करने और सामग्री प्रबंधन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की गई हैं, जिनमें से कुछ का सारांश इस प्रकार है:

- **जीईएम पोर्टल पर खरीद:** वित्तीय वर्ष 2023–24 में, सेल ने सेवाओं की खरीद पर विशेष ध्यान देते हुए सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को और बढ़ाया, जिसमें 1,031.08 करोड़ रुपये की सेवाओं सहित 10,421.65 करोड़ रुपये की कुल खरीद मूल्य हासिल की। वित्त वर्ष 2021–22 से पिछले 3 वर्षों से, सेल ने जीईएम पर शीर्ष तीन सीपीएसई खरीदारों में अपना स्थान लगातार बनाए रखा है। जबकि कुल वस्तुओं और सेवाओं में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, सेवाएँ पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 568 प्रतिशत अधिक थीं। 26 जून, 2023 को आयोजित क्रेता–विक्रेता सम्मान समारोह 2023 में, सेल को वित्त वर्ष 2022–23 में सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) के संबंध में शीर्ष संगठनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- वित्त वर्ष 2023–24 में एमएसई से सेल की खरीद 25 प्रतिशत की तुलना में 29.28 प्रतिशत थी। सेल लगातार नए एमएसई विक्रेताओं को विकसित करने और स्थानीय एमएसई को उनके चुने हुए कार्यक्षेत्रों में सलाह, प्रशिक्षण, हैंडहोल्डिंग और तकनीकी सहायता प्रदान करके समर्थन प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। इस संबंध में, सेल संयंत्रों और इकाइयों ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 38 विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए। विशेष रूप से एससी/एसटी और महिला एमएसएमई विक्रेताओं के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, ताकि उन्हें संगठन में अवसरों, वस्तु की आवश्यकता और विक्रेता पंजीकरण प्रक्रियाओं के बारे में सूचित किया जा सके।

छ. विदेशी मुद्रा संरक्षण

निर्यात की तुलना में सेल का आयात अधिक है, और इसलिए, विदेशी मुद्रा व्यय के मामले में कंपनी पर विदेशी मुद्रा का अधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ता है।

हमारा प्रयास रहा है कि जहाँ भी संभव हो, घरेलू विकल्प के माध्यम से आयात को कम से कम किया जाए, और निर्यात पर भी जोर दिया जाए। कोकिंग कोल सेल द्वारा आयात किए जाने वाले प्रमुख कच्चे मालों में से एक है। अधिक स्वदेशी कोयले के साथ मिश्रित कोयला मिश्रण का उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को कम करने के लिए आयातित कोकिंग कोल पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा, आयातित इनपुट/कच्चे माल के लिए आपूर्तिकर्ताओं की टोकरी/पूल का विस्तार करने के उपाय किए जा रहे हैं। भारत सरकार की नीतिगत पहल 200 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए वैश्विक निविदा को प्रतिबंधित करती है, जहाँ एक ओर घरेलू प्रतिभागियों को अवसर प्रदान करने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर, इससे विदेशी मुद्रा का संरक्षण भी होगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कच्चे माल और अन्य इनपुट की खरीद को स्वदेशी बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं, ताकि वे कंपनी को व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य मूल्य/लागत पर उपलब्ध हो सकें और कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकियों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

झ. परियोजना प्रबंधन

एएमआर योजनाएं

आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाओं के अलावा, परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (एएमआर) योजनाएं भी शुरू की गई हैं जो मौजूदा परिचालन के प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं और मुख्य रूप से वृद्धिशील उपायों में दक्षता और आउटपुट के वर्तमान स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित हैं। एएमआर योजनाएं मौजूदा परिचालन को बनाए रखने, उत्पादन प्रक्रियाओं को संतुलित करने/बाधाओं को दूर करने, ऊर्जा और अन्य संसाधन खपत/सेवाओं/सुरक्षा और पर्यावरण में सुधार के लिए मौजूदा सुविधाओं में सुधार या सुधार के लिए शुरू की गई हैं। प्रतिस्थापन में अधिकतर मौजूदा संयंत्र और उपकरण को प्रतिस्थापित करना शामिल है जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले संयंत्र और उपकरण के साथ अपना उपयोगी जीवन पूरा कर लिया है। तदनुसार, कंपनी के विभिन्न संयंत्रों में वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान लगभग 8,200 करोड़ रुपये की लागत वाली कई एएमआर योजनाएं कार्यान्वयन के अधीन थीं, जिनमें से प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:

- कोक ओवन बैटरी–7 एवं 8 का पुनर्निर्माण; कनवर्टर वेसल्स, ट्रनियन रिंग्स, सपोर्ट सिस्टम का प्रतिस्थापन; एसएमएस–2 में तीन कन्वर्टर्स के लिए मध्यम उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना; और भिलाई इस्पात संयंत्र में प्लेट मिल में उच्च दबाव वाली प्राथमिक डीस्केलिंग इकाई की स्थापना; और सीएसडब्ल्यू प्लांट के वॉशिंग सर्किट में संशोधन; दल्ली माइंस में बिल्ड–ओन–ऑपरेट (बीओओ) आधार पर 1.0 एमटीपीए पेलेट प्लांट की स्थापना।
- ब्लास्ट फर्नेस नंबर 4 में चौथे स्टोव की स्थापना; व्हील एवं एक्सल संयंत्र में एनडीटी सुविधाओं की स्थापना; नए 1250 टीपीडी बीओओ ऑक्सीजन संयंत्र के लिए विद्युत संवर्धन योजना; नए गैस चालित बॉयलर की स्थापना; जीआईएस द्वारा मौजूदा 33 KV एमआरएस इंडोर स्विचबोर्ड का प्रतिस्थापन; आउटफ़ॉल 1, 2 और 3 के लिए संपूर्ण अपशिष्ट जल उपचार; नए कोक ओवन गैस होल्डर की स्थापना; बीओओ आधार पर 1250 टीपीडी ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना; कोक ओवन बैटरी–4 का पुनर्निर्माण; सीसीपी में बिलेट्स और ब्लूम्स के

भंडारण और प्रेषण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एफजी बे और अन्य संबद्ध सुविधाओं का विस्तार; और दुर्गापुर स्टील प्लांट में 1.0 मीट्रिक टन कोयला रसायन संयंत्र में नए बिजली से चलने वाले एग्जॉस्टर की स्थापना।

- जेडएलडी के कार्यान्वयन के लिए उपचार प्रणाली–1 की स्थापना; कोक हैंडलिंग और गैस हैंडलिंग सुविधा में वृद्धि के साथ कोक ओवन बैटरी नंबर 2 का पुनर्निर्माण; एसएमएस–2 में लैडल फर्नेस के साथ चौथे स्लैब कास्टर की स्थापना; निर्माण, संचालन और रखरखाव (सीओएम) आधार पर 1000 टीपीडी ऑक्सीजन संयंत्र के लिए बिजली आपूर्ति पैकेज की स्थापना; आरएसपी टाउनशिप में 30 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण; और राउरकेला स्टील प्लांट में COM आधार पर 1000 टीपीडी ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना।
- 6 लाइम भट्ठा के ईएसपी का अपग्रेडेशन; नया सिंटर प्लांट; बीएसएल और टाउनशिप से दामोदर नदी से कच्चे पानी की निकासी के लिए वैकल्पिक प्रणाली का विकास; एसडब्ल्यूएस (स्टील वर्क्स स्टेशन) पर मौजूदा आरआरआई (रूट रिले इंटरलॉकिंग) सिस्टम को एसएसआई (सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग) सिस्टम से बदलना; प्रस्तावित 2000 टीपीडी ऑक्सीजन के लिए विद्युत आपूर्ति व्यवस्था; बीओओ आधार पर 2000 टीपीडी ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना; हॉट स्ट्रिप मिल की ऑटोमेशन प्रणाली का अपग्रेडेशन; डीवीसी के सीटीपीएस से एमआरएस के बीच 220 केवी की तीसरी लाइन की स्थापना; टर्बो ब्लोअर नंबर 5 के लिए टर्बाइन और सहायक उपकरणों को बदलना; ब्लास्ट फर्नेस नं. 2 में अप्रयुक्त स्टोव नं. 4 का पुनर्निमाण; ब्लास्ट फर्नेस नंबर 3 का पुनरुद्धार; कोक ओवन बैटरी नं. 6 का पुनर्निर्माण; और बोकारो स्टील प्लांट में कंप्रेस्ड एयर स्टेशन की स्थापना करके सेंट्रल कंप्रेसर प्लांट्स (सीसीपी–1 और सीसीपी–2) का प्रतिस्थापन।
- पावर एवं ब्लोइंग स्टेशन नंबर 2 से कोक ओवन बैटरी नंबर 10 तक नई स्टीम पाइप लाइन बिछाना; और आईआईएससीओ स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस नंबर 5 में चौथे स्टोव की स्थापना।

इसके अलावा, उपरोक्त में से, वर्ष 2023–24 के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपये की निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं:

- दल्ली माइंस के सीएसडब्ल्यू प्लांट के वाशिंग सर्किट में संशोधन।
- बीएसएल में 6 लाइम किल्न के ईएसपी का अपग्रेडेशन।
- आरएसपी में 'जेडएलडी के कार्यान्वयन' के अंतर्गत उपचार प्रणाली–1 की स्थापना।

ञ. इन-हाउस डिज़ाइन और इंजीनियरिंग

सैंटर फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीईटी), जो आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित सेल की इन–हाउस डिजाइन है, और सेल की इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी इकाई है, कंपनी के संयंत्रों और इकाइयों की स्थिरता, उन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक परियोजनाओं के लिए निवेश प्रस्ताव तैयार करती है ताकि कार्बन की उपस्थिति को कम करने के उपाय किए जा सके और पर्यावरणीय मानदंडों की अनुपालना की जा सके। सीईटी खानों से लेकर फिनिशिंग तक इस्पात व्यवसाय प्रक्रियाओं की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कैपेक्स परियोजनाओं के लिए परामर्श प्रदान करता है। योग्यता का प्रमुख क्षेत्र खनन योजना, विकास और खानों की क्षमता विस्तार, खनिज लाभकारिता, लोडिंग और परिवहन, लौह अयस्क पेलेटाइजेशन, खनन के क्षेत्र में सामग्री प्रबंधन; सीडीआई इंजेक्शन, स्टोव, गैस क्लीनिंग प्लांट, टॉप रिकवरी टर्बाइन, स्लैग ग्रेनुलेशन प्लांट इत्यादि जैसी संबंधित सुविधाओं के साथ सिंटर प्लांट, पेलेट प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस के लिए निवेश प्रस्ताव और डिजाइन और इंजीनियरिंग परामर्श तैयार करने में है। आयरन और स्टील निर्माण के क्षेत्र में लैडल फर्नेस, कैस्टर और थिन स्लैब कास्टिंग और डायरेक्ट रोलिंग (टीएससीडीआर) जैसी संबंधित सुविधाओं के साथ स्टील मेल्टिंग शॉप, रोलिंग मिल्स और रिहीटिंग फर्नेस, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रोजेक्ट्स, ऑक्सीजन प्लांट, पावर जैसी उपयोगिता परियोजनाएं, संयंत्र, प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाएं, अग्नि रोधक संयंत्र, स्वचालन परियोजनाएं, विद्युत आपूर्ति और वितरण परियोजनाएं, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, और संयंत्र और उपकरण का संतुलन।

सीईटी के पास सेल संयंत्रों में ब्राउन फील्ड परियोजनाओं में काम करने की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है और इसने ग्रीन फील्ड परियोजनाओं को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। सीईटी ने (क) कच्चे स्टील के 2.2 एमटीपीए से 3.09 एमटीपीए तक डीएसपी के ब्राउनफील्ड विस्तार के लिए समग्र परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट और (ख) कच्चे स्टील के 4.66 एमटीपीए से 7.16 एमटीपीए तक बीएसएल के ब्राउनफील्ड विस्तार के लिए पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। सीईटी आईएसपी, बीएसएल और डीएसपी के विस्तार के लिए मालिकों का सलाहकार भी है।

सीईटी द्वारा संभाली जा रही वर्तमान प्रमुख परियोजनाओं में ब्राउनफील्ड के साथ–साथ ग्रीनफील्ड परियोजनाएं भी शामिल हैं और इसमें डीएसपी और आरएसपी का ब्राउन फील्ड विस्तार शामिल है; ओपन कास्ट कोयला खदानों के लिए तसरा में और लौह अयस्क खदानों के लिए तालडीह में एमडीओ की नियुक्ति; सेल लौह अयस्क खदानों में विभिन्न खनन पट्टों के विकास के लिए खनन योजनाएं; ओएचपी–ए, बीएसपी का उन्नयन; सीडीसीपी इकाइयों के साथ आरएसपी और आईएसपी पर नई स्टांप चार्ज्ड कोक ओवन बैटरी (सेल में पहली ऐसी कोक ओवन बैटरी) की स्थापना; बीएसएल और डीएसपी में कोक ओवन बैटरी का पुनर्निर्माण; डीएसपी में ब्लास्ट फर्नेस 3 का उन्नयन; बीएसएल में बीएफ–3 की उप–प्रणालियों का पुनरुद्धार; डीएसपी, बीएसएल, आरएसपी और आईएसपी में ब्लास्ट फर्नेस के लिए नए हॉट ब्लास्ट स्टोव; बीएसएल के बीएफ–3 और 4 के लिए पीसने, सुखाने और इंजेक्शन सुविधा के साथ नया सीडीआई कॉम्प्लेक्स; बीएसपी में बीएफ–7 में सीडीआई का विस्तार; आरएसपी और बीएसपी के बीएफ पर टीआरटी की स्थापना; आरएसपी में चौथे कास्टर की स्थापना; बीएसपी में कनवर्टर शेल बदल रहा है; बीएसपी और आईएसपी में लैडल फर्नेस; नई यूनिवर्सल रेल एवं स्ट्रक्चरल मिल, बीएसपी की स्थापना; डीएसपी में नई बार मिल; बीएसपी के यूनिवर्सल रेल मिल में रेल के लिए मिल कॉम्प्लेक्स का नवीनीकरण और बीएसपी में रेल के लिए हेड हार्डनिंग सुविधा; बीएसएल में फिनिशिंग मिलों और हॉट स्ट्रिप मिल की रिहीटिंग फर्नेस के स्वचालन का उन्नयन; आरएसपी में एनपीएम और एचएसएम के लिए नई उत्पाद परीक्षण प्रयोगशाला; डीएसपी में पहियों और बीएसपी में लंबी रेल के लिए गैर–विनाशकारी परीक्षण सुविधाएं; डीएसपी, आरएसपी और बीएसएल में ऑक्सीजन प्लांट; आईएसपी, डीएसपी और आरएसपी की जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) परियोजनाएं; डीएसपी, आरएसपी में बिजली निकासी परियोजनाएं; सिंटर प्लांट, बीएसएल के सामग्री वितरण संयंत्र (एमडीपी) के साथ मशीन बिल्डिंग (सिंटर बैंड–1, 2 और 3) की ईएसपी आधारित एरिया डी–डस्टिंग की स्थापना शामिल हैं।

ठ. अनुसंधान एवं विकास

कंपनी का लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केंद्र (आरडीसीआईएस) लौह धातुकर्म के क्षेत्र में भारत का प्रमुख अनुसंधान संगठन है। यह मानते हुए कि नई प्रौद्योगिकियों और प्रक्रिया नवाचारों का विकास और समावेशन सतत विकास के लिए बुनियादी सिद्धांत हैं, सेल ने रांची में स्थित अपने सुसज्जित अनुसंधान एवं विकास केंद्र के माध्यम से अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों पर जोर दिया है। इसमें पंद्रह प्रमुख प्रयोगशालाओं



के अंतर्गत तीन सौ से अधिक नैदानिक उपकरण और पर्याप्त पायलट सुविधाएं हैं। केंद्र कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक लौह और इस्पात के संपूर्ण स्पेक्ट्रम को शामिल करते हुए अनुसंधान परियोजनाएं चलाता है। वर्ष 2023–24 में, कंपनी को पर्याप्त लाभ के साथ 49 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं पूरी की गईं।

आरडीसीआईएस अनुप्रयोग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन के लक्ष्य के साथ बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट उत्पादों के विकास के क्षेत्र में भी अग्रणी कार्य करता है। वर्ष 2023–24 के दौरान, चौबीस उत्पाद विकसित किए गए हैं और विनिर्माण संयंत्र के साथ कुछ उल्लेखनीय उत्पादों में आईएस 2062 ई450 हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल (डीएसपी); आईएस 7904 हाई कार्बन वायर रॉड (एचसी38 से एचसी80 (बीएसपी); एसएसपी में इंटर प्लांट ट्रांसफर के लिए अल्ट्रा लो एनबी स्लैब, (एसएसपी पर रोल किए गए ई350 ग्रेड के एचआर कॉइल्स) (बीएसपी); एचएसएफक्यू 550 ग्रेड और सेलफॉर्मिंग 410/450 (आरएसपी); एपीआई एक्स70 एचआर कॉइल (आरएसपी); एएसटीएम ए516 जीआर; आईएस 5986 आईएसएच490एस > 5 मिमी (बीएसएल); और आईएस 2062 ई350 यूएलएनबी एचआर कॉइल्स (बीएसएल) शामिल हैं। विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए आरडीसीआईएस ने विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान संस्थानों और शिक्षा संस्थानों के साथ समझौता किया है।

आरडीसीआईएस इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के प्रयासों का परिणाम 2023–24 के दौरान 17 पेटेंट और 13 कॉपीराइट (सेल संयंत्रों के सहयोग से) दाखिल करने में मिला है। सेमिनारों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों में 76 तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए गए और 65 पेपर प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए।

ड. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के निम्नलिखित व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त और कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ हैं:

- संचालन की दक्षता।
- संसाधनों का न्यायिक उपयोग एवं संरक्षण।
- वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता और तत्परता।
- निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन।
- विभिन्न कानूनों और विनियमों का अनुपालन।

सेल में, आंतरिक ऑडिट एक बहु–विषयक कार्य है जो कंपनी की विभिन्न प्रणालियों, प्रक्रियाओं/नीतियों की समीक्षा, मूल्यांकन और मापन करता है और सार्थक और उपयोगी सुधारों का सुझाव देता है। यह अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन की दिशा में जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार के लिए एक व्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण लाकर प्रबंधन को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है। कंपनी आंतरिक ऑडिट कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार उपाय कर रही है। आंतरिक ऑडिट बोर्ड स्तरीय ऑडिट समिति द्वारा पर्यवेक्षित समग्र नियंत्रण वातावरण के अधीन है, जो आंतरिक ऑडिट कार्य को स्वतंत्रता प्रदान करता है, सिस्टम में पारदर्शिता पर जोर देता है और आंतरिक ऑडिट कर्मियों के उचित कौशल–मिश्रण के साथ आंतरिक नियंत्रण आदि पर जोर देता है। सिस्टम/प्रक्रिया ऑडिट और संयंत्रों/इकाइयों में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं की बेंचमार्किंग पर जोर देने के साथ प्रमुख जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान के आधार पर ऑडिट योजना बनाई जाती है और बोर्ड की ऑडिट समिति द्वारा अनुमोदित की जाती है ताकि लागत बचत और राजस्व सृजन, इन्वेंट्री और खाली सम्पत्ति की समीक्षा, प्रणाली सुधार, नितियों और प्रक्रियाओं आदि की अनुपालना की जा सके।

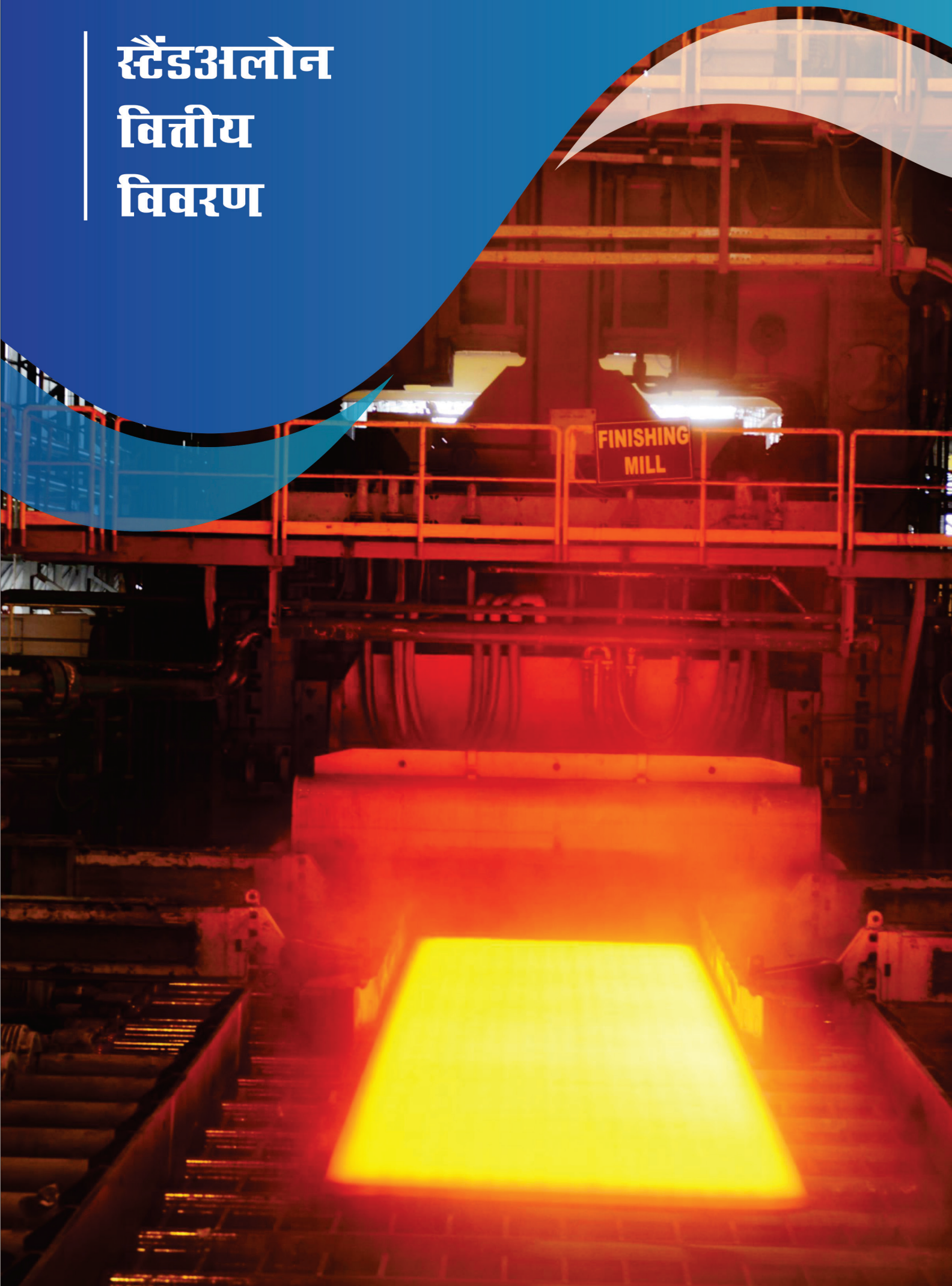
आंतरिक ऑडिट अधिकारियों का प्रशिक्षण और विकास, लेखापरीक्षितियों के बीच जागरूकता लाना, आंतरिक ऑडिट की सक्रिय भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना वर्ष के दौरान अन्य फोकस क्षेत्र रहे। ऑडिट समिति कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ अपनी बैठकों में कंपनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता और वित्तीय रिपोर्टों पर उनकी टिप्पणियों पर उनके विचार भी सुनिश्चित करती है।

आंतरिक ऑडिट प्रणाली को अच्छी तरह से प्रलेखित नीतियों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं द्वारा पूरक किया गया है और आंतरिक ऑडिट विभाग द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है। निपटान/अपडेट स्थिति के साथ महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों वाली रिपोर्ट समय–समय पर बोर्ड की प्रबंधन और ऑडिट समिति को प्रस्तुत की जाती है।

चेतावनी कथन

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों का वर्णन करने वाले कुछ कथन भविष्योन्मुखी बयान हैं और लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में प्रगतिशील हैं। आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों और अन्य आकस्मिक कारकों के आधार पर वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण





स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

स्टैंडअलोन तुलन पत्र

31 मार्च 2024 को

(₹ करोड़)

	नोट सं.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
संपत्तियां			
गैर चालू संपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4	**65396.59**	67091.46
(ख) चालू पूंजीगत कार्य	5	**6140.57**	4891.36
(ग) संपत्ति उपयोग का अधिकार	4a	**5521.17**	4910.24
(घ) निवेश संपत्ति	6	**0.99**	1.03
(ड़) अन्य अमूर्त संपत्ति	7	**1488.84**	1521.02
(च) मालसूची	7a	**4625.29**	4635.29
(छ) वित्तीय संपत्तियां			
(i) निवेश	8	**1694.07**	1672.67
(ii) व्यापारिक प्राप्य	9	**-**	-
(iii) ऋण	10	**877.30**	655.19
(iv) अन्य वित्तीय संपत्तियां	11	**444.24**	370.01
(ज) आयकर संपत्तियां (शुद्ध)	13	**374.70**	595.41
(झ) अन्य गैर–चालू संपत्तियां	14	**3086.55**	3612.02
		89650.31	**89955.70**
चालू संपत्तियां			
(क) मालसूची	15	**32645.58**	27716.27
(ख) वित्तीय संपत्तियां			
(i) व्यापारिक प्राप्य	16	**8308.72**	5362.48
(ii) नकदी और नकदी समकक्ष	17 (i)	**13.73**	6.44
(iii) उक्त (ii) के अलावा बैंक बैलेंस	17 (ii)	**527.87**	391.51
(iv) ऋण	18	**28.31**	35.29
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	19	**1368.66**	1229.32
(ग) आयकर संपत्ति		**433.11**	-
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	20	**4541.05**	2988.70
		47867.03	**37730.01**
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां	21	**15.11**	29.28
कुल संपत्ति		**137532.45**	**127714.99**
इक्विटी और देयता			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	22	**4130.53**	4130.53
(ख) अन्य इक्विटी	23	**50000.01**	48008.65
		54130.54	**52139.18**
देनदारियां			
गैर चालू देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	24	**9568.21**	6112.58
(i क) लीज देनदारियां		**5235.24**	4737.11
(ii) व्यापार देय	25		
(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		**-**	-
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के बकाया देय के अतिरिक्त क्रेडिटरों का कुल बकाया देय		**-**	-
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	26	**1410.52**	1389.66
(ख) प्रावधान	27	**5723.77**	5603.61
(ग) आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)	12	**6178.20**	5747.17
(घ) अन्य गैर चालू देनदारियां	28	**1860.49**	2680.21
		29976.43	**26270.34**
चालू देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	29	**21025.11**	19549.20
(i क) लीज देनदारियां		**486.41**	374.50
(ii) व्यापार देय	30		
(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		**498.06**	448.62
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का बकाया देय के अतिरिक्त क्रेडिटरों का कुल बकाया देय		**14834.33**	13890.25
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	31	**10517.18**	10130.61
(ख) अन्य चालू देनदारियां	32	**4565.19**	3533.01
(ग) प्रावधान	33	**1290.37**	1379.28
(घ) चालू कर देनदारियां (शुद्ध)	34	**208.83**	-
		53425.48	**49305.47**
कुल इक्विटी और देनदारियां		**137532.45**	**127714.99**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	3		

संलग्न नोट इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए/तरफ से

(एम.बी. बालाकृष्णन)
कंपनी सचिव
एम.नं. ए17770

(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08896653

उक्त तिथि को हमारी रिपोर्ट के संबंध में

वॉकर चांडियोक एण्ड कम्पनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. 001076एन/एन500013

(नलिन जैन)
पार्टनर
एम.नं. 503498

जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 006569सी/डब्ल्यु100892

(देवेन्द्र उपाध्याय)
पार्टनर
एम.नं. 076727

एस पी ए आर के एंड एसोसिएट्स अकाउंटेंटस एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 005313सी/सी400311

(निलेश गुप्ता)
पार्टनर
एम.नं. 406020

विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.
005826सी/सी400276

(विनोद कुमार सिंघल)
पार्टनर
एम.नं. 074391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 20 मई, 2024

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

(₹ करोड़)

	नोट सं.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
आय			
संचालन से राजस्व	35	**105374.59**	104447.36
अन्य आय	36	**1148.06**	1354.84
कुल आय		**106522.65**	**105802.20**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	37	**57618.84**	62091.10
तैयार माल की सूची में परिवर्तन, चालू कार्य ओर उप–उत्पाद	38	**(3352.92)**	(5160.14)
कर्मचारी लाभ व्यय	39	**11747.92**	12053.62
वित्त लागत	40	**2473.81**	2037.47
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		**5277.45**	4962.52
अन्य व्यय	41	**28229.04**	27438.71
कुल खर्च		**101994.14**	**103423.28**
असाधारण मदें और कर से पहले लाभ		**4528.51**	**2378.92**
जमा / (घटा): असाधारण आइटम	41क	**(840.84)**	257.99
कर देने से पूर्व लाभ		**3687.67**	**2636.91**
कर व्यय			
चालू कर		**605.54**	118.37
आस्थगित कर		**349.02**	615.47
कुल कर व्यय		**954.56**	733.84
इस वर्ष का मुनाफा		**2733.11**	**1903.07**
अन्य व्यापक आय			
क (i) आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन		**(196.62)**	(633.77)
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट इक्विटी उपकरणों में निवेश से लाभ और हानि		**73.90**	66.94
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		**0.55**	128.22
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि)		**(122.17)**	(438.61)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		**2610.94**	**1464.46**
प्रति इक्विटी शेयर आय			
इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर)		**4130525289**	4130525289
प्रतिशेयर मूल और सुस्त आय (₹)	41ख	**6.62**	4.61
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	3		

सलंग्न नोट इस स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एक अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए/तरफ से

(एम.बी. बालाकृष्णन)
कंपनी सचिव
एम.नं. ए17770

(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष
डीआईएन: 08896653

उक्त तिथि को हमारी रिपोर्ट के संबंध में

वॉकर चांडियोक एण्ड कम्पनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. 001076एन/एन500013

(नलिन जैन)
पार्टनर
एम.नं. 503498

जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 006569सी/डब्ल्यु100892

(देवेन्द्र उपाध्याय)
पार्टनर
एम.नं. 076727

एस पी ए आर के एंड एसोसिएट्स अकाउंटेंटस एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 005313सी/सी400311

(निलेश गुप्ता)
पार्टनर
एम.नं. 406020

विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.
005826सी/सी400276

(विनोद कुमार सिंघल)
पार्टनर
एम.नं. 074391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 20 मई, 2024



स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
स्टैंडअलोन इक्विटी में परिवर्तन के विवरण
31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी (₹ करोड़)

विवरण	1 अप्रैल, 2023 को शेष	इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2024 को शेष
मताधिकार के साथ इक्विटी शेयर	4130.42	-	4130.42
बिना मताधिकार के इक्विटी शेयर	0.11	-	0.11
कुल	**4130.53**	**-**	**4130.53**

विवरण	1 अप्रैल, 2022 को शेष	इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2023 को शेष
मताधिकार के साथ इक्विटी शेयर	4130.42	-	4130.42
बिना मताधिकार के इक्विटी शेयर	0.11	-	0.11
कुल	**4130.53**	**-**	**4130.53**

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	रिजर्व और अधिशेष					अन्य व्यापक आय-रिजर्व	कुल
	पूंजी रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य रिजर्व	बॉड मोचन रिजर्व	आरक्षित आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	**1.75**	**235.10**	**5095.13**	**373.71**	**42150.48**	**152.48**	**48008.65**
इस वर्ष का मुनाफा	-	-	-	-	2733.11	-	2733.11
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (कर का शुद्ध)	-	-	-	-	(179.16)	56.99	(122.17)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**2553.95**	**56.99**	**2610.94**
बांड मोचन रिजर्व से स्थानांतरण	-	-	-	(249.93)	249.93	-	-
इक्विटी लाभांश	-	-	-	-	(619.58)	-	(619.58)
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**1.75**	**235.10**	**5095.13**	**123.78**	**44334.78**	**209.47**	**50000.01**
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	**1.75**	**235.10**	**5095.13**	**530.97**	**41922.80**	**100.86**	**47886.61**
इस वर्ष का मुनाफा	-	-	-	-	1903.07	-	1903.07
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (हानि) (कर का शुद्ध)	-	-	-	-	(490.23)	51.62	(438.61)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**1412.84**	**51.62**	**1464.46**
बांड मोचन रिजर्व से स्थानांतरण	-	-	-	(157.26)	157.26	-	-
इक्विटी लाभांश	-	-	-	-	(1342.42)	-	(1342.42)
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**1.75**	**235.10**	**5095.13**	**373.71**	**42150.48**	**152.48**	**48008.65**

सलंग्न नोट इस स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एक अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए/तरफ से

(एम.बी. बालाकृष्णन)
कंपनी सचिव
एम.नं. ए17770

(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष
डीआईएन: 08896653

उक्त तिथि को हमारी रिपोर्ट के संबंध में

वॉकर चांडियोक एण्ड कम्पनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. 001076एन/एन500013

(नलिन जैन)
पार्टनर
एम.नं. 503498

जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 006569सी/डब्ल्यु100892

(देवेन्द्र उपाध्याय)
पार्टनर
एम.नं. 076727

एस पी ए आर के एंड एसोसिएट्स अकाउंटेंटस एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 005313सी/सी400311

(निलेश गुप्ता)
पार्टनर
एम.नं. 406020

विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.
005826सी/सी400276

(विनोद कुमार सिंघल)
पार्टनर
एम.नं. 074391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 20 मई, 2024

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
क.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	कर से पूर्व लाभ	**3687.67**	2636.91
	निम्न के लिए समायोजन:		
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**5277.45**	4953.42
	हानि	**-**	9.10
	अचल संपत्तियों के निपटान पर लाभ (शुद्ध)	**(130.00)**	(49.50)
	ब्याज से आय	**(306.45)**	(282.09)
	लाभांश आय	**(168.81)**	(419.64)
	वित्त लागत	**2473.81**	2037.47
	संदिग्ध ऋणों, ऋणों और अग्रिमों के लिए भत्ता	**62.90**	115.16
	अन्य भत्ते	**148.67**	237.64
	दावा न किए गए शेष और अतिरिक्त भत्ते जो वापस लिखे गए	**(328.85)**	(403.00)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	**10716.39**	**8835.47**
	संपत्ति और देनदारियों में परिवर्तन:		
	व्यापार प्राप्तियां	**(2979.91)**	(724.29)
	ऋण, अन्य वित्तीय संपत्तियां और अन्य संपत्तियां	**(1501.21)**	(887.67)
	व्यापार देय	**993.52**	(2333.67)
	अन्य वित्तीय देनदारियाँ	**974.11**	(1301.58)
	प्रावधान	**(165.37)**	(152.37)
	माल सूची	**(5010.90)**	(8422.78)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के बाद परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**3026.63**	**(4986.89)**
	भुगतान किया गया आयकर (शुद्ध)	**(93.44)**	(419.60)
	परिचालन गतिविधियों में उत्पन्न शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त) (क)	**2933.19**	**(5406.49)**
ख	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (चल रहे पूंजीगत कार्य सहित) और अमूर्त वस्तुओं की खरीद	**(4863.09)**	(4314.51)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री/निपटान से प्राप्त आय	**502.85**	399.55
	सावधि जमा में उतार–चढ़ाव (शुद्ध)	**(280.94)**	(20.31)
	प्राप्त ब्याज	**192.11**	282.09
	प्राप्त हुआ लाभांश	**168.81**	419.64
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी (ख)	**(4280.26)**	**(3233.54)**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	लंबी अवधि के उधार से प्राप्त आय	**5000.00**	-
	दीर्घकालिक उधारों का पुनर्भुगतान	**(2494.93)**	(1278.57)
	अल्पकालिक उधार की आय/(चुकौती) (शुद्ध)	**2426.47**	13554.70
	पट्टे संबंधी देनदारियां	**(801.03)**	(267.04)
	भुगतान की गई वित्त लागत	**(2156.57)**	(2079.96)
	भुगतान किया गया लाभांश	**(619.58)**	(1342.42)
	वित्त पोषण गतिविधियों में उत्पन्न शुद्ध नकदी (ग)	**1354.36**	**8586.71**
घ	नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध परिवर्तन (क+ख+ग)	**7.29**	(53.32)
	वर्ष की शुरूआत में नकद और नकद समकक्ष	**6.44**	**59.76**
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष*	**13.73**	**6.44**

*इसमें बैंकों के चालू खातों में शेष राशि, हाथ में चेक और हाथ में स्टाम्प शामिल हैं।
उधार में ₹ 1.72 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 18.71 करोड़) की विदेशी मुद्रा हानि के कारण गैर नकद मद शामिल है।
नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखांकन मानक–7, नकदी प्रवाह विवरण, में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया गया है।
संलग्न नोट इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए/तरफ से

(एम.बी. बालाकृष्णन)
कंपनी सचिव
एम.नं. ए17770

(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष
डीआईएन: 08896653

उक्त तिथि को हमारी रिपोर्ट के संबंध में

वॉकर चांडियोक एण्ड कम्पनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. 001076एन/एन500013

(नलिन जैन)
पार्टनर
एम.नं. 503498

जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 006569सी/डब्ल्यु100892

(देवेन्द्र उपाध्याय)
पार्टनर
एम.नं. 076727

एस पी ए आर के एंड एसोसिएट्स अकाउंटेंटस एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 005313सी/सी400311

(निलेश गुप्ता)
पार्टनर
एम.नं. 406020

विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.
005826सी/सी400276

(विनोद कुमार सिंघल)
पार्टनर
एम.नं. 074391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 20 मई, 2024



31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट

1. कॉर्पोरेट और सामान्य जानकारी

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे यहां पर 'कंपनी' के रूप में संदर्भित किया जाएगा), एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसका मुख्यालय और निगमन भारत में है। भारत सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्राप्त यह कंपनी देश की सबसे बड़ी स्टील उत्पादकों में से एक है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में स्थित है। कंपनी की प्रतिभूतियाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड और लंदन स्टॉक एक्सचेंज पीएलसी में सूचीबद्ध हैं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों ('वित्तीय विवरण') को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और 20 मई, 2024 को आयोजित उनकी बैठक में जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक 110 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण भी तैयार किए हैं और उन्हें 20 मई, 2024 को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए भी अधिकृत किया गया था।

2. तैयारी करने का आधार

2.1 अनुपालन का विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (भारतीय लेखा मानकों) के अनुसार लेखांकन के उपार्जन आधार पर तैयार किए गए हैं, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाता है। कंपनी ने प्रस्तुत अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों को समान रूप से लागू किया है।

2.2 माप का आधार

निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों को छोड़ कर, जिन्हें प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताओं के अनुसार उचित मूल्य पर मापा गया है, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए जाते हैं:

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ जिन्हें लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया गया है;
- बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ, वहन राशि और उचित मूल्य में से जो भी कम हो उसे बेचने की लागत से घटा दिया जाता है;
- परिभाषित लाभ योजनाएँ और योजना परिसंपत्तियाँ।

2.3 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

₹ में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को करोड़ के निकटतम दो दशमलव तक पूर्णांकित किया गया है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.4 अनुमानों, मान्यताओं और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानक और कंपनी की लेखा नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन को अनुमान, मान्यताएँ और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर रिपोर्ट की गई आय, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा और साथ में प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। निर्णयों, अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधनों को भावी रूप से मान्यता दी जाती है। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

2.5 चालू और गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रस्तुत करती है। किसी परिसंपत्ति को चालू परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उसे:

- कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद हो;
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर प्राप्त होने की उम्मीद हो; या
- नकद या नकद समतुल्य जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विनिमय या देयता का निपटान करने के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

देयता को चालू देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब:

- कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में इसका निपटान होने की उम्मीद है;
- इसे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा जाता है;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर इसका निपटान किया जाना है; या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देनदारियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन चक्र प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी और नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को केवल गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में लगातार लागू किया गया है।

3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

3.1.1 मान्यता और मापन

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 (संक्रमण तिथि) को मान्यता प्राप्त अपनी संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के वहन मूल्य को जारी रखने का चुनाव किया है, जिसे पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है और उस वहन मूल्य को भारतीय लेखा मानक 101 के पैरा घ 7 कक के अनुसार संक्रमण तिथि को मान्य लागत के रूप में इस्तेमाल किया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है यदि यह संभावना है कि वस्तु के संबंध में भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और

इसकी लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। यह मान्यता सिद्धांत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए शुरू में किए गए खर्चों पर लागू होता है। उत्पादन या/और माल या सेवाओं की आपूर्ति, या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, लागत पर माने गए हैं, संचित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो, को घटाया गया है। अर्जित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की नकद मूल्य तुल्यता पर प्रारंभिक लागत में आयात शुल्क, गैर–वापसी योग्य खरीद कर, परिसंपत्तियों को उसकी कार्यशील स्थिति और स्थान पर लाने की कोई भी सीधे तौर पर जिम्मेदार लागत और उसके इच्छित उपयोग के लिए किसी भी अनिवार्य डीकमीशनिंग लागत का वर्तमान मूल्य शामिल है।

निर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड्स का आवंटन, प्रत्यक्ष रूप से उधार लेने की लागत षामिल है।

परीक्षण के दौरान उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय, परीक्षण की लागत से अधिक होने पर, यदि कोई हो, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत के भाग के रूप में मानी जाने वाली प्रत्यक्ष रूप से देय लागतों से घटा दी जाएगी।

एक वर्ष से अधिक उपयोगी जीवन वाले और प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य वाले उपकरणों को उपयोग के लिए उपलब्ध होने पर संबंधित हैड के अंतर्गत पूंजीकृत किया गया है। जहां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु में अलग–अलग उपयोगी जीवन वाले प्रमुख घटक शामिल हैं, वहां इन घटकों को अलग–अलग मदों के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

निर्माण के दौरान चल रहे पूंजीगत कार्य में उत्पादन और/या माल या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त हानि को घटाकर लागत पर रखा जाता है। उस बिंदु पर जब कोई परिसंपत्ति प्रबंधन द्वारा इच्छित रूप से संचालित हो रही होती है, तो निर्माण की लागत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयुक्त श्रेणी में स्थानांतरित कर दी जाती है। किसी परिसंपत्ति के चालू होने से जुड़ी लागतों को पूंजीकृत किया गया है, जहां परिसंपत्ति प्रबंधन द्वारा इच्छित रूप से उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु को निपटान के समय या जब परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ होने की उम्मीद न हो, तब मान्यता से हटा दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के निपटान या सेवानिवृत्ति पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया गया है और इसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

परिसमाप्त क्षति के दावों का हिसाब तब लगाया जाता है जब इन्हें कंपनी द्वारा वसूली योग्य माना जाता है।

यदि निर्माण किसी सहमत तिथि तक पूरा नहीं होता है, या यदि परिसंपत्ति अनुबंध में उल्लिखित कुछ प्रदर्शन या अन्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, तो कुछ निर्माण समझौते निर्माणाधीन परिसंपत्ति के लिए ठेकेदार द्वारा कंपनी को परिसमाप्त क्षति के भुगतान का प्रावधान करते हैं। परिसमाप्त क्षति देरी या अपेक्षित प्रदर्शन से कम होने से जुड़ी कंपनियों की लागत के उचित अनुमान के लिए मुआवजे का प्रतिनिधित्व करती है। ठेकेदार से कंपनी द्वारा प्राप्त भुगतान को निर्मित की जा रही परिसंपत्ति की लागत में कमी माना जाता है, जहां तक परिसमाप्त क्षति, ठेकेदार के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा वहन की गई प्रत्यक्ष और वृद्धिशील लागतों की प्रतिपूर्ति है, उसे परिसंपत्ति में जमा किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा अन्य मामलों में, परिसमापन क्षति के लिए दावा लाभ और हानि के विवरण में जमा किया गया है।

आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के मूल्य वृद्धि के दावों को कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाने की सीमा तक हिसाब में लिया जाता है।

3.1.2 अनुवर्ती लागत

अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है या उचित रूप से एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, केवल तभी जब यह संभावना हो कि किए गए खर्च से प्राप्त भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित आइटम की वहन राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की 50 लाख रुपये या उससे अधिक की किसी भी मरम्मत को संबंधित आइटम की वहन राषि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना हो कि किए गए खर्च के भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे। प्रतिस्थापित आइटम की वहन राशि अमान्य कर दी जाती है।

3.2 मूल्यह्रास

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास, संपत्ति की लागत के 5 प्रतिशत के अवशिष्ट मूल्य को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्दिष्ट संपत्ति के उपयोगी जीवन पर, सरल रेखा पद्धति पर प्रदान किया गया है, निम्नलिखित श्रेणी की संपत्तियों के मामले को छोड़कर, जहां उपयोगी जीवन तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किया गया है। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

परिसंपत्ति श्रेणी	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में)
कारखाना भवन	35 से 40
संयंत्र और मशीनरी	10 से 40
जल आपूर्ति और सीवरेज	25 से 40
रेलवे लाइन और साइडिंग	35 से 40

बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, इन श्रेणियों की परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी का मानना है कि ऊपर दिए गए उपयोगी जीवनकाल उस अवधि को सबसे अच्छी तरह दर्शाते हैं, जिसके दौरान कंपनी इन परिसंपत्तियों का उपयोग करने की उम्मीद करती है। इसलिए, इन परिसंपत्तियों के लिए उपयोगी जीवन, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II के भाग–ग के अंतर्गत निर्धारित उपयोगी जीवन से अलग हैं।

फ्रीहोल्ड भूमि का मूल्यह्रास नहीं किया गया है।



मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की प्रत्येक वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है, जिसमें अनुमानों में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को भावी आधार पर ध्यान में रखा जाता है।

जहां किसी मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्ति की ऐतिहासिक लागत में परिवर्तन होता है, वहां संशोधित अपरिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति के अवशिष्ट उपयोगी जीवन पर प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान जोड़ने/हटाने पर मूल्यह्रास जोड़ने/हटाने के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया गया है। ₹ 5000/– तक की लागत वाली परिसंपत्तियों का उस वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यह्रास किया गया है, जिसमें उनका उपयोग किया गया है।

पूंजीगत पुर्जों पर मूल्यह्रास पुर्जे के उपयोगी जीवन या मूल परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर, जैसा कि पुनर्मूल्यांकित किया गया है, जो भी कम हो, प्रदान किया गया है।

3.3 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 (संक्रमण तिथि) को मान्यता प्राप्त अपनी अमूर्त परिसंपत्तियों के वहन मूल्य को जारी रखने का चुनाव किया है, जिसे पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है और उस वहन मूल्य को भारतीय लेखा मानक 101 के पैरा घ 7कक के अनुसार संक्रमण तिथि पर अपनी मानी गई लागत के रूप में उपयोग किया है।

खनन अधिकार

खनन अधिकारों को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में माना गया है और उनसे संबंधित सभी लागतों को वाणिज्यिक रूप से वसूली योग्य भंडार पर उत्पादन आधार की इकाई का उपयोग करके परिशोधित किया गया है। यदि खनन अधिकारों का नवीनीकरण नहीं किया गया है, तो भुगतान की गई शेष संबंधित लागत को गैर–नवीकरण के निर्णय के वर्ष में राजस्व में चार्ज किया गया है।

अधिग्रहण लागत अर्थात् लाइसेंसों के अधिग्रहण से जुड़ी लागत, तथा संबंधित व्यावसायिक शुल्क सहित अन्वेषण के अधिकार, वैधानिक वानिकी मंजूरी के लिए भुगतान, जब भी व्यय होता है, उसे खनन अधिकारों के अतिरिक्त माना जाता है।

अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों को लाभ की अपेक्षित अवधि में सरल रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है। सॉफ्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को अमूर्त परिसंपत्ति माना जाता है और पाँच वर्ष की अवधि या उसके लाइसेंस अवधि, जो भी कम हो, पर परिशोधित किया गया है।

अनुसंधान और विकास

विकास व्यय को तभी पूंजीकृत किया गया है, जब इसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सके और संबंधित परिसंपत्ति और प्रक्रिया पहचान योग्य हो और कंपनी द्वारा नियंत्रित हो। अनुसंधान और अन्य विकास व्यय को राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब भी खर्च किया गया है।

3.3.1 अनुवर्ती लागत

उत्तरवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया गया है, जब यह उस विशिष्ट परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों को बढ़ाता है, जिससे यह संबंधित है। अन्य सभी व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

3.3.2 अमूर्त परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर या जब उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता रद्द कर दी जाती है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने से होने वाले लाभ या हानि, शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापी जाती है, जब परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त हो जाती है, तो लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.4 मलबा हटाने की लागत

सतही खदान के उत्पादन चरण के दौरान मलबा हटाने की लागत को खनन परिसंपत्ति के एक घटक के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि ऐसी लागत भविष्य की अवधि में अयस्क तक बेहतर पहुंच के संदर्भ में लाभ प्रदान करती है और निम्नलिखित मानदंड पूरे होते हैं:

- यह संभावना है कि मलबा हटाने की गतिविधि से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ (अयस्क निकाय तक बेहतर पहुंच) इकाई को मिलेंगे।
- इकाई अयस्क निकाय के उस घटक की पहचान कर सकती है जिसके लिए पहुंच में सुधार किया गया है, और
- उस घटक तक बेहतर पहुंच से संबंधित लागतों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

खदानों के लिए पांच वर्षीय खनन योजना के अनुसार स्ट्रिपिंग अनुपात के आधार पर अयस्क तक पहुंचने के लिए किए जाने वाले व्यय को राजस्व में प्रभारित किया गया है, कोयला खद्यानों को छोड़कर जो परियोजना रिपोर्ट पर आधारित है।

3.5 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर अपनी परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करती है, ताकि हानि संकेतकों, यदि कोई हो, का पता लगाया जा सके, तो पूरे एक संयंत्र की परिसंपत्तियों को नकद उत्पादक इकाई (सीजीयू) के रूप में माना जाता है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है, जो भी शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य में से अधिक होता है। जब भी किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो हानि के रूप में माना जाता है।

प्रत्येक बैलेंस शीट की तिथि पर यह निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन किया गया है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि पहले मान्यता प्राप्त हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। पहले पहचानी गई हानि को केवल तभी उलटा जाता है जब पिछली हानि की पहचान के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाओं में कोई बदलाव हुआ हो।

3.6 उधार लेने की लागत

योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण से सीधे संबंधित उधार लेने की लागत, जिसमें पर्याप्त समय लगता है, उस अवधि के दौरान उस परिसंपत्ति की लागत के एक हिस्से के रूप में दर्ज की जाती है, जो परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए पूरा करने और तैयार करने के लिए आवश्यक होती है। उधार लेने की लागत में विनिमय अंतर भी शामिल होता है, जिसे उधार लेने की लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

कंपनी बारह महीने या उससे अधिक की अवधि को पर्याप्त समय अवधि मानती है।

दीर्घकालिक उधार के संबंध में लेन–देन की लागत को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके संबंधित ऋणों की अवधि में परिशोधित किया गया है और उधार लेने की लागत में शामिल किया गया है। अन्य सभी उधार लेने की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है जिसमें ये खर्च किए जाते हैं।

3.7 इन्वेंटरी

कच्चे माल, स्टोर और स्पेयर और तैयार/अर्ध–तैयार उत्पाद (प्रक्रिया स्क्रैप सहित) का मूल्यांकन संबंधित संयंत्रों/इकाइयों की वस्तुओं की लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से कम पर किया गया है। पहचाने गए अप्रचलित/अतिरिक्त/अचल आइटम के मामले में, आवश्यक प्रावधान किया गया है और राजस्व में प्रभारित किया गया है। आंशिक रूप से तैयार विशेष उत्पादों का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जिसका मूल्य केवल तैयार अवस्था में ही प्राप्त किया जा सकता है, लागत के साथ तुलना के उद्देश्य से अनुमानित किया गया है।

अमूर्त उप–उत्पाद, अवशेष उत्पाद और अन्य स्क्रैप का मूल्यांकन अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

लागत का निर्धारण निम्न के आधार पर किया गया है:

कच्चा माल – आवधिक भारित औसत लागत

लघु कच्चा माल – गतिशील भारित औसत लागत

भंडार और पुर्जे – गतिशील भारित औसत लागत

पारगमन में सामग्री – लागत पर

कंपनी की कैप्टिव खदानों में समय के साथ उत्पन्न सब–ग्रेड लौह अयस्क फाइन्स और टेलिंग्स को क्रमशः 01.04.2019 और 01.04.2020 से इन्वेंट्री के रूप में माना गया है और इसे अमूर्त उप–उत्पादों के रूप में मानते हुए खातों की पुस्तकों में मूल्य निर्धारित किया गया है।

डी–सिल्टिड टेलिंग्स (स्लाइम) को टेलिंग्स में एम्बेडिड लौह अयस्क की प्रतिशत आयु मात्रा की सीमा तक इन्वेंट्री के रूप में पहचाना गया है और पहचान के वर्ष में न्यूनतम लागत घटा लाभकारी शुल्क और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।

बीएफ स्लैग में एम्बेडिड आयरन स्क्रैप की लागत की गणना हॉट मेटल की परिवर्तनीय लागत का 75 प्रतिशत घटा पहचान के वर्ष में स्क्रैप के निष्कर्षण की लागत पर गई है तथा इसका मूल्यांकन आइटम की न्यूनतम लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य पर किया गया है।

एलडी स्लैग में एम्बेडिड स्टील स्क्रैप की लागत की गणना क्रूड स्टील की परिवर्तनीय लागत का 75 प्रतिशत घटा मान्यता के वर्ष में स्क्रैप के निष्कर्षण की लागत पर गई है तथा इसका मूल्यांकन आइटम की न्यूनतम लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य पर किया गया है।

तैयार/आंशिक रूप से तैयार उत्पाद–खरीद की लागत, रूपांतरण की लागत तथा उन्हें उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में किए गए विनिर्माण ओवरहेड सहित लागतों का अन्य उचित हिस्सा।

3.8 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों की पहचान उस समय की जाती है जब यह उचित आश्वासन हो कि कंपनी उनसे संबंधित शर्तों का अनुपालन करेगी तथा अनुदान प्राप्त किए जाएंगे।

सरकारी अनुदानों की पहचान लाभ और हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान की गई है जिसमें कंपनी उन संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देती है जिनकी क्षतिपूर्ति अनुदानों से अपेक्षित है। जहां अनुदान किसी परिसंपत्ति के मूल्य से संबंधित है, उसे आस्थगित आय के रूप में दर्ज गया है, तथा परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया गया है। अन्य अनुदानों को लाभ एवं हानि विवरण में उन व्ययों के साथ पहचाना गया है, जिनसे ऐसे अनुदान संबंधित हैं/जिन्हें कवर करना अपेक्षित है।

जहां कंपनी को गैर–मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है, वहां परिसंपत्ति और अनुदान को उचित मात्रा में सकल रूप से दर्ज किया गया है तथा अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ के उपभोग के पैटर्न और अपेक्षित उपयोगी जीवन पर आय विवरण में जारी किया गया है।

3.9 विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में अनुवादित किया गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दरों पर पुनः अनुवादित किया गया है।

गैर–मौद्रिक मदों का अवधि के अंत में पुनः अनुवाद नहीं किया गया है तथा उन्हें ऐतिहासिक लागत (लेन–देन की तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग करके अनुवादित) पर मापा जाता है, गैर–मौद्रिक मदों को छोड़ कर जिन्हें उचित मूल्य निर्धारित किए जाने की तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग करके अनुवादित किया गया है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2009 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा मानक–11 (संशोधित) से संबंधित कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम, 2009 (29 दिसंबर, 2011 को संशोधित) के अनुरूप दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों का लेखांकन करने का विकल्प चुना, जो 31 मार्च, 2016 तक सभी पूर्व–मौजूदा दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के लिए भारतीय लेखा मानक 101 के अनुसार जारी रहेगा। तदनुसार, 31 मार्च, 2016 से पहले लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए, मूल्यह्रास योग्य अचल संपत्तियों के कारण दीर्घकालिक मौद्रिक मदों से संबंधित विनिमय दर भिन्नताओं से उत्पन्न समायोजनों को पूंजीकृत किया गया है। 31 मार्च 2016 के बाद लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए, दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के निपटान या अनुवाद पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

अन्य मौद्रिक मदों के पुनः अनुवाद या निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

3.10 कर्मचारी लाभ

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना एक रोजगार–पश्चात लाभ योजना है जिसके अंतर्गत कंपनी एक अलग इकाई को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है। जब कर्मचारी योगदान के लिए पात्र होते हैं तो परिभाषित अंशदान लाभ योजनाओं के लिए भुगतान की पहचान व्यय के रूप में की



जाती है। पेंशन निधि के लिए अंशदान उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में चार्ज किया गया है जिसमें निधि में अंशदान देय होता है।

परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजनाएँ लाभ की वह राशि है जो किसी कर्मचारी को सेवा की अवधि, अंतिम आहरित वेतन या ऐसे लाभों से संबंधित प्रत्यक्ष लागतों के संदर्भ में सेवाओं के पूरा होने पर प्राप्त होगी। ऐसे लाभों के लिए कानूनी और/या रचनात्मक दायित्व कंपनी के पास रहता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए मान्यता प्राप्त देयता रिपोर्टिंग तिथि पर परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है जिसमें योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है, साथ ही अपरिचित बीमांकिक लाभ या हानि और पिछली सेवा लागतों के लिए समायोजन भी शामिल है। प्रबंधन, प्रक्षेप्ति यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक स्वतंत्र एक्चुअरी द्वारा मूल्यांकन के माध्यम से सालाना डीबीओ के वर्तमान मूल्य का अनुमान लगाता है। एक्चुरियल लाभ और हानि को वर्ष के लाभ और हानि या अन्य व्यापक आय के विवरण में शामिल किया गया है।

पुनर्मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि, परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन का प्रभाव (यदि लागू हो) और योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज को छोड़कर) शामिल है, बैलेंस शीट में उस अवधि में अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त चार्ज या क्रेडिट के साथ परिलक्षित होता है जिसमें वे घटित होते हैं। अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन तुरंत प्रतिधारित आय में परिलक्षित होता है और इसे लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ में वेतन, बोनस, अनुग्रह राशि, वार्षिक अवकाश और बीमारी अवकाश जैसी कर्मचारी लागतें शामिल हैं जो उस वर्ष में अर्जित हुई हैं जिसमें कंपनी के कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देनदारियों का मूल्यांकन संबंधित सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अपेक्षित लाभों की छूट रहित राशि के आधार पर किया गया है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर किए गए व्यय को तुरंत लाभ और हानि विवरण में चार्ज किया गया है।

3.11 राजस्व की पहचान

कंपनी स्टील और अन्य उत्पादों की एक श्रृंखला बनाती और बेचती है।

माल की बिक्री

बिक्री में माल और सेवा कर (जीएसटी), छूट और मूल्य रियायतें शामिल नहीं हैं। बिक्री को तब मान्यता दी जाती है जब यह वादा किए गए माल या सेवाओं (अर्थात परिसंपत्तियों) को ग्राहकों को हस्तांतरित करके प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है और ग्राहक उन वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। जहां सरकारी एजेंसियों के साथ अनुबंध की कीमतों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, वहां बिक्री को अनंतिम आधार पर दर्ज किया गया है। भारतीय रेलवे को आपूर्ति की गई रेल के मामले में, बिक्री का हिसाब रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंतिम मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। हालाँकि, इसके अभाव में, कंपनी के पास उपलब्ध नवीनतम मूल्य अर्थात रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनंतिम मूल्य, या मुख्य सलाहकार–लागत के कार्यालय द्वारा अनुशंसित उचित मूल्य, या संयुक्त मूल्य निर्धारण समिति (जेपीसी) द्वारा अनुशंसित मूल्य पर बिक्री पर विचार किया गया है।

समुद्री निर्यात बिक्री की पहचान निम्न पर की गई है:

i) बिल ऑफ लैडिंग जारी करने पर, या

ii) जहाज की अनुमानित अवधि की समाप्ति पर निर्यात बिलों पर समझौता, ऐसे मामलों में जहां शिपमेंट के बिना भौतिक मूल्य की प्राप्ति संबंधित अनुबंधों के क्रेडिट पत्र में प्रदान की जाती है, जो भी पहले हो।

अन्य परिचालन आय

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहनों की पहचान 'अन्य परिचालन आय' के रूप में की गई है जब प्रोत्साहन प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है और इसकी प्राप्ति अत्यधिक संभावित मानी जाती है।

अन्य आय

ब्याज और लाभांश आय

ब्याज आय बकाया मूल राशि और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में समय अनुपात के आधार पर अर्जित की जाती है।

ग्राहकों से बकाया की प्राप्ति पर ब्याज का हिसाब तब लगाया जाता है, जब प्राप्ति सुनिश्चित होती है और इसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

3.12 पट्टे

अनुबंध के आरंभ में, कंपनी यह आकलन करती है कि अनुबंध पट्टा है या नहीं, या इसमें पट्टा निहित है या नहीं, जो इस आधार पर होता है कि क्या अनुबंध के बदले में किसी निश्चित अवधि के लिए पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी, बारह महीने या उससे कम अवधि के अल्पकालिक पट्टों और ऐसे पट्टों को छोड़कर, जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है, पट्टा आरंभ तिथि पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टा देयता को मान्यता देती है, जिन्हें पट्टा अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में सरल रेखा के आधार पर व्यय किया गया है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि, साथ ही कोई भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को नष्ट करने और हटाने या अंतर्निहित परिसंपत्ति या जिस स्थान पर यह स्थित है, उसे पुनर्स्थापित करने की लागत का अनुमान, प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटाकर शामिल किया गया है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को बाद में आरंभ तिथि से उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत या पट्टा अवधि के अंत तक सरल रेखा पद्धति का उपयोग करके मूल्यह्रास किया गया है। कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टा अवधि बढ़ाने के विकल्प शामिल हैं। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और पट्टे की देनदारियों में ये विकल्प शामिल होते हैं, जब यह यथोचित रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के समान ही निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की समय–समय पर हानि के संकेतकों के लिए समीक्षा की जाती है और हानि, यदि कोई हो, को घटाया गया है और पट्टे की देनदारी के पुनर्मापन के लिए समायोजित किया गया है।

पट्टे की देनदारी को शुरू में पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जो कि आरंभ की तिथि पर भुगतान नहीं किया गया है, पट्टे में निहित ब्याज दर के आधार पर छूट दी जाती है या यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी की वृद्धिशील उधार दर पर मापा जाता है।

पट्टे की देनदारी को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसे तब फिर से मापा जाता है जब सूचकांक या दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भावी पट्टा भुगतान में कोई परिवर्तन होता है, यदि अवशिष्ट मूल्य गारंटी के अंतर्गत देय होने वाली अपेक्षित राशि के कंपनी के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है, या यदि कंपनी अपने इस आकलन में परिवर्तन करती है कि वह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

जब पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है, तो उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहन राशि में एक संगत समायोजन किया गया है, या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहन राशि शून्य हो जाती है, तो इसे लाभ या हानि में दर्ज किया गया है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्तीय पट्टे

पट्टे जो पट्टेदार को पट्टे पर दी गई वस्तु के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से हस्तांतरित करते हैं, उन्हें वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हिसाब में लिया जाता है। पट्टे के किराये की प्राप्तियों को निहित रिटर्न की दर के आधार पर वित्त आय और पूंजी पुनर्भुगतान के बीच विभाजित किया गया है। आकस्मिक किराए को उस अवधि में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे अर्जित किए जाते हैं।

परिचालन पट्टे

पट्टे जिसमें कंपनी किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संबंधित पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर बैलेंस शीट में शामिल किया गया है। किराये की आय को पट्टे की अवधि के दौरान सरल रेखा के आधार पर पहचाना जाता है, छोड़कर उस स्थिति को जहां किराए में अनुसूचित वृद्धि कंपनी को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागतों के साथ क्षतिपूर्ति करती है।

3.13 बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्तियां

कंपनी एक गैर–चालू संपत्ति को बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत करती है यदि इसकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। यह शर्त तभी पूरी मानी जाती है जब परिसंपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना हो।

बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत बंद परिचालनों सहित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों को वहन राशि और उचित मूल्य में से कम बिक्री लागत पर मापा जाता है और वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया गया है। एक बार बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत होने के बाद, वे मूल्यह्रास या परिशोधन के अधीन नहीं होती हैं।

बिक्री या बंद परिचालनों के पुनर्मापन से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में सिंगल लाइन मद के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

3.14 खदान बंद करना

खदान बंद करने के प्रावधान में बुनियादी ढांचे का विघटन और विध्वंस, अवशिष्ट सामग्रियों को हटाना और खदानों के लिए अशांत क्षेत्रों का उपचार शामिल है। यह प्रावधान सभी विनियामक आवश्यकताओं और सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर संबंधित अनुमानित लागत पर आधारित है। खदान बंद करने की लागत लेखांकन अवधि में प्रदान की जाती है जब संचालन के जीवन और बंद होने के बाद होने वाली बहाली की अनुमानित भविष्य की लागतों के शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर दायित्व उत्पन्न होता है।

3.15 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ

प्रावधान तब माना जाता है जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है और यह संभावना होती है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जहाँ धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को सभी प्रावधानों की समीक्षा की गई है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया गया है।

जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभों को किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की उम्मीद की जाती है, तो प्राप्य को एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह लगभग निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्य राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। आकस्मिक देयता अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होने वाला एक संभावित दायित्व है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्टि होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं या एक वर्तमान दायित्व जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन मान्य नहीं है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्वों की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में जहां वर्तमान दायित्व के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों के संभावित बहिर्वाह को असंभव या दूरस्थ माना जाता है, किसी प्रावधान को मान्य नहीं किया गया है या उसका प्रकटीकरण नहीं किया गया है।



आकस्मिक संपत्तियां

आकस्मिक संपत्तियां आमतौर पर अनियोजित या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं जो आर्थिक लाभों के अंतर्वाह की संभावना को जन्म देती हैं। आकस्मिक संपत्तियों की पहचान नहीं की गई है और उनका प्रकटीकरण केवल तभी किया गया है जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित हो।

3.16 आयकर

लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कर व्यय में आस्थगित कर और वर्तमान कर का योग शामिल होता है, छोड़ कर उस सीमा के जब कर उन मदों से संबंधित होता है जिन्हें सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) या इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जिस स्थिति में संबंधित कर को सीधे ओसीआई या इक्विटी में मान्यता दी गई है।

वर्तमान आयकर को भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। कंपनी वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देनदारियों को तब ऑफसेट करती है जब ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद होता है और उन्हें एक साथ शुद्ध या वसूल किया जाना होता है।

आस्थगित आयकर की गणना बैलेंस शीट देयता पद्धति/उपागम का उपयोग करके की गई है। आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पूर्ण रूप से मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान इस सीमा तक की गई है कि यह संभावित है कि अंतर्निहित कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट या कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग भविष्य की कर योग्य आय के विरुद्ध किया जाएगा। प्रत्येक बैलेंस शीट की तिथि को आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की गई है और इस सीमा तक घटा दिया गया है कि यह अब संभावित नहीं है कि पूर्ण या आंशिक आस्थगित कर सम्पत्ति का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस वर्श लागू होने की उम्मीद है जब परिसंपत्ति वास्तव में प्राप्त होती है या देयता का निपटान किया गया है, जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होती है।

कंपनी आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब ऑफसेट करती है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद होता है और उन्हें एक साथ निपटाना या वसूलना प्रत्याशित है।

3.17 वित्तीय साधन

मान्यता, प्रारंभिक माप और अमान्य करना

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का पक्ष बन जाती है और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या जारी करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेन–देन लागतें प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के साथ समायोजित की जाती हैं, उन लागतों को छोड़कर जिन्हें शुरू में लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वर्गीकृत किया गया है,

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब अमान्य कर दिया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या स्थानांतरित हो जाते हैं, और कंपनी ने स्वामित्व के सभी पर्याप्त जोखिम और लाभ स्थानांतरित कर दिए हैं। एक वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता का एक हिस्सा) तब अमान्य कर दिया जाता है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व समाप्त हो जाता है या छोड़ दिया जात है या रद्द कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और बाद में मापन

बाद में मापन के उद्देश्य से, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीओसीआई)

एफवीटीपीएल को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के लिए समीक्षा के अधीन हैं।

परिशोधित लागत

यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, तो प्रभावी ब्याज दरों का उपयोग करके एक वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

क. वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंदर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना है; और

ख. वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं।

कंपनी की नकदी और नकदी समकक्ष, व्यापार प्राप्य और अधिकांश अन्य प्राप्य वित्तीय साधनों की इस श्रेणी में आते हैं।

एफवीटीपीएल में वित्तीय संपत्तियां

एफवीटीपीएल की वित्तीय परिसंपत्तियों में ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधन लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या जो व्यापार के लिए रखे गए इक्विटी उपकरण हैं या जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामित की जाती हैं। सभी व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण भी इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी की परिसंपत्तियों को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या जहां कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है, वहां मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं,

एफवीओसीआई में वित्तीय संपत्ति

एफवीटीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियां या तो ऋण उपकरण हैं जिन्हें व्यवसाय मॉडल को संग्रहित करने और बेचने के लिए होल्ड के अंतर्गत प्रबंधित किया गया है या गैर–व्यापारिक इक्विटी उपकरण हैं जो इस श्रेणी के लिए अपरिवर्तनीय रूप से नामित हैं।

एफवीटीओसीआई वित्तीय संपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है, ब्याज और लाभांश आय, हानि हानि और मौद्रिक परिसंपत्तियों पर विदेशी मुद्रा अंतर को छोड़कर, जिन्हें लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण और बाद में मापन

वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है, व्यापार के लिए रखी गई या एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों को छोड़कर, जिन्हें बाद में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा गया है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों का हिसाब एफवीटीपीएल में किया गया है।

एम्बेडिड डेरिवेटिव

कुछ हाइब्रिड वित्तीय देयता अनुबंधों में डेरिवेटिव और गैर–डेरिवेटिव दोनों घटक होते हैं। ऐसे मामलों में, डेरिवेटिव घटक को एम्बेडिड डेरिवेटिव कहा जाता है, जिसमें गैर–डेरिवेटिव घटक होस्ट वित्तीय देयता अनुबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यदि एम्बेडिड डेरिवेटिव की आर्थिक विशेषताएं और जोखिम मेजबान अनुबंध की विशेषताओं और जोखिम के साथ निकटता से संबंधित नहीं हैं और अनुबंध को एफवीटीपीएल पर नहीं मापा जाता है, तो एम्बेडिड डेरिवेटिव को विभाजित किया गया है और उचित मूल्य पर रिपोर्ट किया गया है, जिसमें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय सम्पत्तियों/देनदारियों को मान्यता दी गई है। होस्ट वित्तीय देयता का लेखा उपयुक्त भारतीय लेखा मानक के अनुसार किया गया है।

उचित मूल्य पर मापन

कंपनी अपने वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को उनके मूल्यांकन में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर निम्नलिखित पदानुक्रम में वर्गीकृत करती है:

1) **स्तर 1:** सक्रिय बाजारों में उद्धृत वित्तीय साधनों का उचित मूल्य बैलेंस शीट तिथि पर उनके उद्धृत समापन मूल्य पर आधारित है।
2) **स्तर 2:** सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य अवलोकनीय बाजार डेटा का उपयोग करके मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया गया है। ऐसी मूल्यांकन तकनीकों में छूट वाले नकदी प्रवाह, ब्याज दरें, उपज वक्र या विदेशी मुद्रा दरों के लिए बाजार मापदंडों पर आधारित मानक मूल्यांकन मॉडल, समान उपकरणों के लिए डीलर उद्धरण और तुलनीय निकटता के आधार पर लेनदेन का उपयोग शामिल हैं।
3) **स्तर 3:** वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो अवलोकनीय बाजार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित इनपुट का उपयोग करके इकाई विशिष्ट मूल्यांकन के आधार पर मापा गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी परिशोधित लागत पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति से होने वाली हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है।

ईसीएल का अर्थ है अनुबंध के अनुसार कंपनी को देय सभी संविदात्मक नकदी प्रवाह और कंपनी द्वारा प्राप्त होने की उम्मीद वाले सभी नकदी प्रवाह के बीच भारित औसत अंतर।

व्यापार प्राप्य

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार व्यापार प्राप्य को शुरू में विनिमय की गई राशि के आधार पर उचित मूल्य पर और बाद में परिशोधित लागत में से किसी भी हानि को घटाकर मान्यता दी गई है।

वित्तीय साधनों का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन बैलेंस शीट में रिपोर्ट की गई शुद्ध राशि के साथ तभी किया गया है, जब मान्यता प्राप्त राशियों का समायोजन करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो और शुद्ध आधार पर निपटान करने या परिसंपत्ति को प्राप्त करने और देयता को एक साथ निपटाना प्रत्याषित हो। कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए और इसे व्यवसाय के सामान्य क्रम में और प्रतिपक्ष के डिफॉल्ट, दिवालियापन या दिवालियापन की स्थिति में लागू किया जाना चाहिए।

3.18 सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगी कम्पनियों और इक्विटी में निवेश

सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश, भारतीय लेखा मानक–27, 'अलग वित्तीय विवरण' के अनुसार कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लागत घटा संचित हानि, यदि कोई हो, पर किया गया है।

इक्विटी उपकरणों में निवेश, जहां कंपनी ने अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऐसे उपकरणों को वर्गीकृत करने का विकल्प चुना है, उन्हें अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से पी एंड एल में राशियों का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालांकि, कंपनी इक्विटी के अंदर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसे निवेशों पर लाभांश को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

3.19 खंड रिपोर्टिंग

खंडों की पहचान इस आधार पर की गई है कि मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता ('सीओडीएम') किस तरह से संसाधन आवंटन के बारे में निर्णय लेता है और कार्यप्रदर्शन की समीक्षा करता है। सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड परिणामों में सीधे खंड से संबंधित आइटम शामिल होते हैं और साथ ही वे आइटम भी शामिल होते हैं जिन्हें उचित आधार पर आवंटित किया जा सकता है। खंड पूंजीगत व्यय संपत्ति और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए अवधि के दौरान किया गया कुल खर्च है।

कंपनी के आठ परिचालन खंड हैं: पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र और तीन मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, जो अलग–अलग विनिर्माण इकाइयाँ होने के कारण, रिपोर्ट करने योग्य परिचालन खंड माने गए हैं। इन परिचालन खंडों की पहचान करने में प्रबंधन आम तौर पर कंपनी के अलग–अलग पहचाने जाने योग्य विनिर्माण परिचालनों पर विचार करता है जो इसके मुख्य परिचालनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इनमें से प्रत्येक परिचालन खंड को अलग–अलग प्रबंधित किया गया है क्योंकि प्रत्येक की प्रौद्योगिकी, कच्चे माल और



अन्य संसाधनों के मामले में अलग–अलग आवश्यकताएँ होती हैं। सभी अंतर–खंड हस्तांतरण समान वस्तुओं या सेवाओं की स्टैंडअलोन बिक्री में असंबंधित ग्राहकों से ली जाने वाली कीमतों के आधार पर निकटता के अनुसार कीमतों पर किए जाते हैं।

इसके अलावा, कॉर्पोरेट परिसंपत्तियाँ जो किसी भी परिचालन खण्ड की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं हैं, उन्हें किसी खण्ड में आवंटित नहीं किया गया है। यह मुख्य रूप से कंपनी के प्रशासनिक मुख्यालय और खनन परिचालनों पर लागू होता है।

रिपोर्ट किए गए खण्ड लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली माप विधियों में पिछली अवधियों से कोई बदलाव नहीं हुआ है।

3.20 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी धारकों को वर्ष के लिए लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। आंशिक रूप से चुकता शेयरों को अंश चुकता के अनुसार पूर्ण रूप से चुकता समकक्षों के रूप में शामिल किया गया है।

प्रति शेयर डायल्यूटिड आय की गणना भारित औसत संख्या के शेयरों और डायल्यूटिड संभावित शेयरों का उपयोग करके की जाती है, छोड़कर इसके कि परिणाम एंटी–डायल्यूटिड हो।

3.21 लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय, धारणाएँ और अनुमान

3.21.1 पट्टे

कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टे के योग्य है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी पट्टे की अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय का उपयोग करती है।

3.21.2 समापन और बहाली दायित्व

समापन और बहाली लागत खनन या उत्पादन का सामान्य परिणाम है, और समापन और बहाली व्यय का अधिकांश हिस्सा खदान के बंद होने के बाद के वर्षों में किया जाता है। हालाँकि अंतिम लागत अनिश्चित है, कंपनी संभावना और भविष्य की लागतों के बारे में धारणाओं के अलावा वैज्ञानिक और कानूनी डेटा और मौजूदा तकनीक की वर्तमान व्याख्या के आधार पर अपनी लागतों का अनुमान लगाती है।

3.21.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को किस सीमा तक मान्यता दी जा सकती है, यह कंपनी की भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी भी कानूनी या आर्थिक सीमा के प्रभाव का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

3.21.4 इन्वेंटरी

कंपनी सबसे विश्वसनीय साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इन्वेंटरी की लागत का अनुमान लगाती है, जैसे कि सामग्री की लागत और उत्पादन की वास्तविक लागत सहित ऐसे इन्वेंटरी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार ओवरहेड्स आदि। प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इन्वेंटरी के शुद्ध वसूली योग्य मूल्यों का भी अनुमान लगाता है। कंपनी की इन्वेंटरी की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी और वाणिज्यिक निर्णयों की आवश्यकता होती है। इन इन्वेंटरी की भविष्य की प्राप्ति भविष्य की तकनीक या अन्य बाजार–संचालित परिवर्तनों से प्रभावित हो सकती है जो भविष्य की बिक्री कीमतों को कम कर सकते हैं।

3.21.5 परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)

कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरें शामिल हैं, साथ ही छूट दरों में भविष्य के विकास, चिकित्सा लागत प्रवृत्तियों, भविष्य में वेतन वृद्धि की प्रत्याशा और मुद्रास्फीति दर से संबंधित मान्यताएँ भी शामिल हैं। कंपनी मानती है कि उसके दायित्वों को मापने के लिए प्रयोग की गई मान्यताएँ उचित हैं। हालाँकि, इन मान्यताओं में कोई भी बदलाव परिणामी गणनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

3.21.6 उचित मूल्य माप

कंपनी वित्तीय साधनों (जहाँ सक्रिय बाज़ार उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं) और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है। इसमें साधन की कीमत तय करने के लिए बाज़ार सहभागियों के अनुरूप अनुमान और मान्यताएँ विकसित करना शामिल है। कंपनी की मान्यताएँ जहाँ तक संभव हो, अवलोकनीय डेटा पर आधारित हैं, अन्यथा उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित हैं। अनुमानित उचित मूल्य रिपोर्टिंग तिथि को निकटता के आधार पर लेनदेन में प्राप्त वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकते हैं।

3.21.7 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन भारतीय लेखा मानक 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ' के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन संभावित हानि के जोखिम की संभावना के संबंध में प्रबंधन द्वारा सर्वोत्तम निर्णय लागू किया गया है।

3.21.8 खदान को बंद करने और बहाली के दायित्व

पर्यावरणीय देयताएँ और परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति दायित्व (एआरओ): पर्यावरणीय देयताओं और एआरओ के आकलन के लिए संभावना और भविष्य की लागतों के बारे में मान्यताओं के अलावा वैज्ञानिक और कानूनी डेटा की व्याख्या की आवश्यकता होती है।

3.21.9 मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों (मूर्त और अमूर्त) का उपयोगी जीवन

प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएं वास्तविक सामान्य टूट–फूट से संबंधित हैं जो संयंत्र और उपकरणों की उपयोगिता को बदल सकती हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

4: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित ह्रास/परिशोधन/हानि					शुद्ध ब्लॉक
	31 मार्च, 2023 को	योजन/ समायोजन	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 तक	वर्ष के लिए	निपटारा/ समायोजन	हानि	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2024 को
क. संयंत्र, खदानें और अन्य										
भूमि										
- पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	358.42	3.91	0.04	362.29	0.81	-	-	-	0.81	361.48
भवन और संबंधित उपकरण	5324.00	32.72	(24.43)	5381.15	2426.48	121.20	0.05	-	2547.63	2833.52
प्लांट और मशीनरी										
- स्टील प्लांट	102581.72	2469.64	537.69	104513.67	43117.62	4197.19	273.86	-	47040.95	57472.72
- अन्य	3673.64	285.41	54.83	3904.22	2430.41	156.67	57.44	-	2529.64	1374.58
फर्नीचर और फिक्सचर	151.57	6.76	0.68	157.65	127.53	5.35	0.44	-	132.44	25.21
वाहन	1611.22	79.78	10.25	1680.75	1118.73	75.89	5.52	-	1189.10	491.65
कार्यालय उपकरण	62.91	2.70	2.54	63.07	54.66	1.92	2.34	-	54.24	8.83
विविध वस्तुएं	439.60	38.67	1.55	476.72	287.98	21.50	1.38	-	308.10	168.62
सड़क, पुल और नाले	554.18	62.30	0.01	616.47	406.52	32.22	-	-	438.74	177.73
जल आपूर्ति और सिवरेज	822.28	108.03	(5.93)	936.24	509.36	28.34	0.37	-	537.33	398.91
ईडीपी उपकरण	478.64	59.74	4.77	533.61	409.75	19.83	10.05	-	419.53	114.08
रेलवे लाइनें और साइडिंग	1098.69	21.77	7.84	1112.62	377.07	34.30	0.11	-	411.26	701.36
'क' का योग	**117156.87**	**3171.43**	**589.84**	**119738.46**	**51266.92**	**4694.41**	**351.56**	**-**	**55609.77**	**64128.69**
ख. सामाजिक सुविधाएं										
भूमि										
- पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	10.89	0.01	-	10.90	-	-	-	-	-	10.90
भवन और संबंधित उपकरण	1149.75	19.60	0.09	1169.26	499.25	21.53	0.04	-	520.74	648.52
प्लांट और मशीनरी	261.79	33.68	2.87	292.60	140.84	11.26	2.31	-	149.79	142.81
फर्नीचर ओर फिक्सचर	29.28	3.49	0.52	32.25	25.00	1.32	0.29	-	26.03	6.22
वाहन	11.93	0.67	0.47	12.13	9.79	0.56	0.52	-	9.83	2.30
कार्यालय उपकरण	4.22	1.60	0.01	5.81	3.69	0.37	-	-	4.06	1.75
विविध वस्तुएं	328.72	30.72	7.54	351.90	188.28	24.81	4.25	-	208.84	143.06
सड़क, पुल और नाले	200.09	92.55	7.51	285.13	132.76	24.19	1.58	-	155.37	129.76
जल आपूर्ति और सिवरेज	313.12	2.90	0.81	315.21	167.41	8.26	0.48	-	175.19	140.02
ईडीपी उपकरण	12.01	0.30	0.36	11.95	10.56	0.54	0.30	-	10.80	1.15
'ख' का योग	**2321.80**	**185.52**	**20.18**	**2487.14**	**1177.58**	**92.84**	**9.77**	**-**	**1260.65**	**1226.49**
ग. संपत्ति, प्लांट और सक्रीय प्रयोग से सेवानिवृत उपकरण										
सक्रिय प्रयोग से सेवानिवृत संपत्ति	**57.29**	**25.44**	**41.32**	**41.41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.41**
कुल (क+ख+ग)	**119535.96**	**3382.39**	**651.34**	**122267.01**	**52444.50**	**4787.25**	**361.33**	**-**	**56870.42**	**65396.59**



स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

4: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित ह्रास/परिशोधन/हानि					शुद्ध ब्लॉक
	31 मार्च, 2022 को	योजन/ समायोजन	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 तक	वर्ष के लिए	निपटारा/ समायोजन	हानि	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2023 को
क. संयंत्र, खदान और अन्य										
भूमि										
- पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	354.30	4.16	0.04	358.42	0.81	-	-	-	0.81	357.61
- लीज पर ली गई भूमि	2.16	-	2.16	-	0.30	0.02	0.32	-	-	-
भवन और संबंधित उपकरण	5257.55	67.46	1.01	5324.00	2300.68	122.79	0.81	(3.82)	2426.48	2897.52
प्लांट और मशीनरी								-		
- स्टील प्लांट	100625.13	2667.15	710.56	102581.72	39568.64	3963.83	420.13	(5.28)	43117.62	59464.10
- अन्य	3453.18	253.56	33.10	3673.64	2323.28	136.80	29.67	-	2430.41	1243.23
फर्नीचर और फिक्सचर	147.30	6.59	2.32	151.57	122.61	4.94	0.02	-	127.53	24.04
वाहन	1424.38	196.72	9.88	1611.22	1055.59	72.37	9.23	-	1118.73	492.49
कार्यालय उपकरण	61.18	2.08	0.35	62.91	53.32	1.65	0.31	-	54.66	8.25
विविधि वस्तुएं	417.42	24.65	2.47	439.60	273.39	18.99	4.40	-	287.98	151.62
सड़क, पुल और नाले	533.58	20.62	0.02	554.18	376.47	30.08	0.03	-	406.52	147.66
जल आपूर्ति और सिवरेज	764.52	58.54	0.78	822.28	463.90	45.50	0.04	-	509.36	312.92
ईडीपी उपकरण	452.30	37.65	11.31	478.64	406.13	14.08	10.46	-	409.75	68.89
रेलवे लाइनें और साइडिंग	1048.67	50.02	-	1098.69	343.75	33.31	(0.01)	-	377.07	721.62
'क' का योग	**114541.67**	**3389.20**	**774.00**	**117156.87**	**47288.87**	**4444.36**	**475.41**	**(9.10)**	**51266.92**	**65889.95**
ख. सामाजिक सुविधाएं										
भूमि										
- पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	10.88	0.01	-	10.89	-	-	-	-	-	10.89
भवन और संबंधित उपकरण	1144.09	5.76	0.10	1149.75	470.76	28.91	0.42	-	499.25	650.50
प्लांट और मशीनरी	200.35	64.02	2.58	261.79	131.72	9.31	0.19	-	140.84	120.95
फर्नीचर और फिक्सचर	28.51	0.84	0.07	29.28	24.10	0.96	0.06	-	25.00	4.28
वाहन	10.87	1.19	0.13	11.93	9.68	0.23	0.12	-	9.79	2.14
कार्यालय उपकरण	4.13	0.10	0.01	4.22	3.58	0.12	0.01	-	3.69	0.53
विविध वस्तुएं	272.11	59.32	2.71	328.72	177.43	13.36	2.51	-	188.28	140.44
सड़क, पुल और नाले	167.13	33.25	0.29	200.09	124.80	12.91	4.95	-	132.76	67.33
जल आपूर्ति और सिवरेज	310.49	2.85	0.22	313.12	160.43	7.18	0.20	-	167.41	145.71
ईडीपी उपकरण	12.19	0.12	0.30	12.01	10.07	0.78	0.29	-	10.56	1.45
'ख' का योग	**2160.75**	**167.46**	**6.41**	**2321.80**	**1112.57**	**73.76**	**8.75**	**-**	**1177.58**	**1144.22**
ग. संपत्ति, प्लांट और सक्रिय प्रयोग से सेवानिवृत उपकरण										
सक्रिय प्रयोग से सेवानिवृत संपत्ति	**61.74**	**44.47**	**48.92**	**57.29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57.29**
कुल (क+ख+ग)	**116764.16**	**3601.13**	**829.33**	**119535.96**	**48401.44**	**4518.12**	**484.16**	**(9.10)**	**52444.50**	**67091.46**

4: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी है....)

नोट: पीपीई, आरओयू परिसंपत्तियों, अमूर्त परिसंपत्तियों और निवेश संपत्ति के मूल्यह्रास का आवंटन

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(क) लाभ और हानि खाते में	**5277.45**	4962.52
(ख) निर्माण के दौरान व्यय पर प्रभार	-	-
	5277.45	4962.52

(i) संविदात्मक दायित्व

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के प्रकटीकरण के लिए नोट 48.1 (क) देखें।

(ii) भूमि:

(क) इसमें 61235.48 एकड़ (31 मार्च, 2023 तक 55854.89 एकड़) शामिल है, जो कंपनी के स्वामित्व में है/कब्जे में है/पट्टे पर ली गई है, जिसके संबंध में अधिकार पट्टा विलेख पंजीकरण के लिए लंबित हैं।

(ख) इसमें 32082.45 एकड़ (31 मार्च, 2023 तक 31397.15 एकड़) शामिल है, जिसके संबंध में अधिकार पर विवाद है।

(ग) 5052.34 एकड़ (31 मार्च, 2023 तक 8873.81 एकड़) विभिन्न संयुक्त उद्यमों/केंद्रीय/राज्य/अर्ध–सरकारी प्राधिकरणों को हस्तांतरित/हस्तांतरित करने के लिए सहमत या निपटान के लिए उपलब्ध कराई गई, जिसके संबंध में हस्तांतरण विलेख निष्पादित/पंजीकृत होना बाकी है।

(घ) 6062.72 एकड़ (31 मार्च, 2023 तक 6114.59 एकड़) विभिन्न एजेंसियों/कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों को पट्टे पर दी गई।

(ड़) इसमें अनधिकृत कब्जे के अंतर्गत 4896.70 एकड़ (31 मार्च, 2023 तक 4435.60 एकड़) शामिल हैं।

(च) 8870.84 एकड़ (31 मार्च, 2023 तक 2371.10 एकड़) भूमि जो वास्तविक कब्जे में नहीं है, जिसे कथित रूप से कब्जे में दिखाया गया है।

(छ) वर्ष 2007 के दौरान पहले से अधिग्रहीत भूमि (31 मार्च, 2023 तक 56.72 करोड़ रुपये) के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बोकारो के पास भूमि खोने वालों को देय मुआवजे के रूप में 59.23 करोड़ रुपये जमा हैं।

(ज) भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिग्रहण की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1309(ई) दिनांक 08.06.2012 और संख्या एस.ओ. 2484 (ई) दिनांक 13.10.2012 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) ने 34.471 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि का अधिग्रहण किया था। झारखंड सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या 42 और 43 दिनांक 26 अगस्त, 2009 के अंतर्गत अधिग्रहण के लिए भी अधिसूचित किया गया। उक्त भूमि के मूल्यांकन के संबंध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(झ) 525.43 एकड़ भूमि में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिभोग अधिकारों के अंतर्गत दी गई 500 एकड़ भूमि शामिल है, जो कंपनी द्वारा सहमत शर्तों के अनुसार संपत्ति हस्तांतरण पर अर्जित वृद्धि के भुगतान के लिए सहमत प्रतिबंधों के अधीन है।

(ञ) इसमें झारखंड सरकार द्वारा 26 अगस्त, 2009 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 42 और 43 के अंतर्गत अधिग्रहण के लिए अधिसूचित 21.13 एकड़ भूमि में से 5.51 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि शामिल है, जो विवादित है, जिसके लिए आरडीसीआईएस–सेल के पक्ष में कोई मुआवजा तय नहीं किया गया था। शेष 15.62 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि के लिए ₹ 13.07 करोड़ की राशि के मुआवजे पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए विचार किया गया है। ₹ 13.07 में से, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 50 प्रतिशत की दर से ₹ 6.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(ट) वर्ष 2013 के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेलम के पास भूमि खोने वालों को देय मुआवजे के लिए ₹ 0.06 करोड़ जमा (पहले से अधिग्रहित भूमि के संबंध में) पड़े हुए हैं।

(iii) अन्य परिसंपत्तियां:

(क) इसमें 6536 (31 मार्च, 2023 तक 7207) अनधिकृत कब्जे वाले आवासीय क्वार्टर/मकान शामिल हैं।

(iv) कंपनी के नाम पर नहीं रखे गए अधिकार विलेख के लिए नोट संख्या 48.1 (ख) को देखें

4 क: उपयोग का अधिकार संपत्तियां*

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित ह्रास/परिशोधन/हानि				शुद्ध ब्लॉक
	31 मार्च, 2023 को	योजन/ समायोजन	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 तक	वर्ष के लिए	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2024 को
उपयोग का अधिकार संपत्तियां	7093.39	1111.55	61.37	8143.57	2183.15	440.52	1.27	2622.40	5521.17
कुल	**7093.39**	**1111.55**	**61.37**	**8143.57**	**2183.15**	**440.52**	**1.27**	**2622.40**	**5521.17**

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित ह्रास/परिशोधन/हानि				शुद्ध ब्लॉक
	31 मार्च, 2022 को	योजन/ समायोजन	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 तक	वर्ष के लिए	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2023 को
उपयोग का अधिकार संपत्तियां	5985.00	1480.20	371.81	7093.39	2150.96	399.12	366.93	2183.15	4910.24
कुल	**5985.00**	**1480.20**	**371.81**	**7093.39**	**2150.96**	**399.12**	**366.93**	**2183.15**	**4910.24**

* संपत्ति के उपयोग के अधिकार के विस्तृत प्रकटीकरण के लिए, नोट 49.8 देखें।



चालू पूंजीगत कार्य*

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
इस्पात संयंत्र और इकाइयाँ	**5988.82**		4875.28	
टाउनशिप	**342.76**		186.87	
अयस्क खदानें और खदानों	**243.30**		210.73	
	6574.88		5272.88	
घटा: भत्ते	**469.63**	**6105.25**	428.54	4844.34
निर्माण भंडार और पुर्जे	**40.17**		52.43	
घटा: गैर चालू वस्तुओं के लिए भत्ते	**4.85**	**35.32**	5.41	47.02
लंबित आवंटन के दौरान व्यय (नोट 5.1)		-		-
		6140.57		**4891.36**

* जीवनकाल वृद्धि और पूर्णता अनुसूची के लिए नोट 48.2 देखें।

5.1: निर्माण के दौरान व्यय लंबित आबंटन

प्रारंभिक शेष	(क)		-	0.22
वर्ष के दौरान प्राप्त व्यय				
कर्मचारियों का मानेदय और लाभ				
वेतन और श्रम	**88.20**		98.11	
भविष्य निधि में कंपनी का योगदान	**2.22**		3.50	
यात्रा छूट	**0.23**		2.00	
कल्याण व्यय	**0.42**		0.24	
भविष्य निधि	**0.50**	**91.57**	0.99	104.84
अन्य व्यय				
तकनीकी परामर्शदाता का शुल्क और ज्ञान	**6.45**		7.45	
ऊर्जा और ईंधन	**25.86**		9.53	
अन्य व्यय	**5.73**		5.02	
ब्याज और वित्तीय प्रभार	**183.38**	**221.42**	211.06	233.06
		312.99		337.90
घटा: वसूली				
किराया शुल्क				
विविध	**0.17**	**0.17**	0.37	0.37
वर्ष के दौरान शुद्ध व्यय	**(ख)**	**312.82**		337.53
कुल (क+ख)		**312.82**		337.75
घटा: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/चालू संपत्ति को आबंटित राशि		**312.82**		337.75
आगे लाया गया शेष		-		-

6: निवेश संपत्ति

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित ह्रास/परिशोधन/हानि				शुद्ध ब्लॉक
	31 मार्च, 2023 को	योजन/ समायोजन	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 तक	वर्ष के लिए	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 को
क. भवन									
भवन	2.06	-	-	2.06	1.03	0.04	-	1.07	0.99
कुल	**2.06**	**-**	**-**	**2.06**	**1.03**	**0.04**	**-**	**1.07**	**0.99**

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित ह्रास/परिशोधन/हानि				शुद्ध ब्लॉक
	31 मार्च, 2022 को	योजन/ समायोजन	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 तक	वर्ष के लिए	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2023 को
क. भवन									
भवन	2.06	-	-	2.06	1.00	0.03	-	1.03	1.03
कुल	**2.06**	**-**	**-**	**2.06**	**1.00**	**0.03**	**-**	**1.03**	**1.03**

(i) संविदात्मक देनदारियां

निवेश संपत्ति की खरीद, निर्माण या विकास या उसकी मरम्मत, रखरखाव या वृद्धि के लिए कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है।

(ii) निवेश संपत्तियों के लिए लाभ और हानि में मान्यताप्राप्त राशि

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
किराए से आय	**1.83**	1.77
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिससे किराये की आय उत्पन्न हुई*	**-**	-
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिनसे किराये की आय उत्पन्न नहीं हुई*	**-**	-
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्तियों को पट्टे पर देने से लाभ	**1.83**	1.77
मूल्यह्रास	**0.04**	0.03
निवेश संपत्तियों को पट्टे पर देने से लाभ	**1.79**	1.74

* निवेश संपत्तियों के संबंध में प्रत्यक्ष खर्चों को अलग से पहचाना नहीं जा सकता है और उनके महत्वहीन होने की उम्मीद है।

(iii) पट्टे की व्यवस्था

कुछ निवेश संपत्तियों को मासिक देय किराये के साथ दीर्घकालिक परिचालन पट्टों के तहत किरायेदारों को पट्टे पर दिया जाता है। निवेश संपत्ति के रद्द न करने योग्य पट्टों के तहत प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतान इस प्रकार है:

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
एक साल के अंदर	**1.22**	1.14
एक वर्ष से बाद में लेकिन 5 वर्ष से पहले	**0.61**	1.21
5 वर्ष से बाद में	**-**	-
	1.83	2.35

(iv) उचित मूल्य

31 मार्च, 2024 तक निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य ₹ 20.60 करोड़ (31 मार्च, 2023 तक ₹ 19.12 करोड़) है।

(v) उचित मूल्य का अनुमान

उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण समान संपत्तियों के लिए सक्रिय बाज़ार में मौजूदा कीमते हैं। जहां ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है, कंपनी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर विचार करता है, जिनमें निम्न शामिल हैं:

क) विभिन्न प्रकृति की संपत्तियों के लिए सक्रिय बाजार में मौजूदा कीमतें या कम सक्रिय बाजारों में समान संपत्तियों की हाल की कीमतें, उन अंतरों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित की गई हैं।

ख) भविष्य के नकदी प्रवाह के विश्वसनीय अनुमानों के आधार पर रियायती नकदी प्रवाह अनुमान।

ग) राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई संपत्ति की सर्किल दर।



7: अमूर्त संपत्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित ह्रास/परिशोधन/हानि**				शुद्ध ब्लॉक
	31 मार्च, 2023 को	योजन/ समायोजन	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 तक	वर्ष के लिए	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2024 को
क. प्लांट, खदान एवं अन्य									
कंप्युटर सॉफ्टवेयर*	126.47	9.65	0.04	136.08	116.01	6.81	0.51	122.31	13.77
खनन अधिकार	2015.40	27.57	24.36	2018.61	504.87	42.77	1.15	546.49	1472.12
'क' का कुल योग	**2141.87**	**37.22**	**24.40**	**2154.69**	**620.88**	**49.58**	**1.66**	**668.80**	**1485.89**
ख. सामाजिक सुविधाएं									
कंप्युटर सॉफ्टवेयर*	0.49	2.98	-	3.47	0.46	0.06	-	0.52	2.95
'ख' का कुल योग	**0.49**	**2.98**	**-**	**3.47**	**0.46**	**0.06**	**-**	**0.52**	**2.95**
कुल योग ('क'+'ख')	**2142.36**	**40.20**	**24.40**	**2158.16**	**621.34**	**49.64**	**1.66**	**669.32**	**1488.84**

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित ह्रास/परिशोधन/हानि**				शुद्ध ब्लॉक
	31 मार्च, 2022 को	योजन/ समायोजन	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 तक	वर्ष के लिए	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2023 को
क. प्लांट, खदान एवं अन्य									
कंप्युटर सॉफ्टवेयर*	122.28	4.58	0.39	126.47	111.24	5.16	0.39	116.01	10.46
खनन अधिकार	1913.06	102.34	-	2015.40	464.80	40.07	-	504.87	1510.53
'क' का कुल योग	**2035.34**	**106.92**	**0.39**	**2141.87**	**576.04**	**45.23**	**0.39**	**620.88**	**1520.99**
ख. सामाजिक सुविधाएं									
कंप्युटर सॉफ्टवेयर*	0.49	-	-	0.49	0.44	0.02	-	0.46	0.03
'ख' का कुल योग	**0.49**	**-**	**-**	**0.49**	**0.44**	**0.02**	**-**	**0.46**	**0.03**
कुल योग ('क'+'ख')	**2035.83**	**106.92**	**0.39**	**2142.36**	**576.48**	**45.25**	**0.39**	**621.34**	**1521.02**

* कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पूंजीगत विकास लागत शामिल होती है जो आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्ति होती है।

** सभी परिशोधन शुल्क मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय में शामिल हैं।

7 क: गैर चालू मालसूची

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
स्टोर और स्पेयर्स	-			-
कच्चा माल				
स्लाईम	**305.16**		276.39	
अन्य	-	**305.16**	-	276.39
अन्य-उप उत्पाद				
लौह अयस्क फाइन (सब–ग्रेड)	**3878.05**		3914.55	
तैयार/अर्द्ध तैयार उत्पाद				
स्लैग डम्प (एम्बेडिड स्क्रैप)*	**442.08**	**4320.13**	444.35	4358.90
		4625.29		4635.29

* इसमें 0.53 एमटी मैगनीज स्लैग शामिल है। (पिछले वर्ष 0.46 एमटी) जिसका कीमत ₹ 35.66 करोड़ है। (पिछले वर्ष– ₹ 34.99 करोड़)

8 : निवेश-गैर चालू

(₹ करोड़)

	शेयरों की संख्या		राशि	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
इक्विटी शेयरों में लागत पर किया गया निवेश				
सहायक कंपनियों में (अनउद्धृत)				
सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	100000	100000	0.05	0.05
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	37000	37000	0.04	0.04
			0.09	**0.09**
सहयोगी कंपनी में (अनउद्धृत)				
अल्मोडा मैग्नेसाइट लिमिटेड (अंकित मूल्य– ₹100/शेयर)	40000	40000	0.40	0.40
			0.40	**0.40**
संयुक्त उद्यमों में (अनउद्धृत)				
एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड	490250050	490250050	490.25	490.25
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	124025000	124025000	124.03	124.03
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	98718048	98718048	52.51	52.51
सेल–बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	3200000	3200000	3.20	3.20
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	4000000	4000000	4.00	4.00
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्रा. लिमिटेड	698371832	698371832	698.37	698.37
सेल–एससीएल केरल लिमिटेड#	13017801	13017801	18.75	18.75
सेल राइटस बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्रा. लिमिटेड	24000000	24000000	24.00	24.00
सेल–कोबे आयरन इंडिया प्रा. लिमिटेड	250000	250000	0.25	0.25
प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	4680000	4680000	4.68	4.68
रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड	63000	63000	0.06	0.06
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	35232600	35232600	35.23	35.23
वीएसएल–सेल जेवीसी लिमिटेड	1297780	1297780	1.30	1.30
जेडकोल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2600000	2600000	2.60	2.60
			1459.23	**1459.23**
कुल (क)			**1459.72**	**1459.72**
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया गया निवेश				
अउद्धृत इक्विटी				
टीआरएल क्रोसाकी रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	2203150	2203150	97.32	76.87
इंडियन पोटाश लिमिटेड	720000	720000	207.46	154.24
हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	5000000	5000000	5.55	5.31
सीमेंट एवं संबद्ध उत्पाद (बिहार) लिमिटेड	2	2	-	-
रसायन एवं उर्वरक निगम (बिहार) लिमिटेड	1	1	-	-
भिलाई पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड	5	5	-	-
इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड (परिसमापन के तहत)#	3000000	3000000	3.00	3.00
यूईसी सेल सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड*	180000	180000	0.18	0.18
बिहार राज्य वित्त निगम (अंकित मूल्य ₹ 100/शेयर)	500	500	0.01	0.01
			313.52	239.61
सहकारी समिति में				
बोकारो स्टील कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसायटी	116500	116500	0.12	0.12
बोकारो स्टील सिटी सेंट्रल उपभोक्ता सहकारी समिति	250	250	0.00	0.00
एनएमडीसी मेघाहातुबुरु कर्मचारी सहकारी समिति (अंकित मूल्य ₹ 100/शेयर)	25	25	0.00	0.00
डीएसपी कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 100/शेयर)	1377	1377	0.01	0.01
बोलानी ओर कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 25/शेयर)	200	200	0.00	0.00
इस्को कर्मचारी प्राथमिक सहकारी समिति (अंकित मूल्य ₹ 20/शेयर)	23000	23000	0.05	0.05
			0.18	**0.18**
कुल (ख)			**313.70**	**239.79**
कुल योग (क+ख)			**1773.42**	**1699.51**
निवेश के मूल्य में हानि के लिए भत्ता			79.35	26.84
शुद्ध निवेश			1694.07	1672.67
उद्धृत न किए गए निवेशों की कुल राशि			1773.42	1699.51
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि			79.35	26.84
			1694.07	**1672.67**

जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, सभी इक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य ₹ 10 है।
*इकाई परिसमापन के अधीन है, इसलिए शेयरधारकों के बीच संयुक्त समझौते के बावजूद इसे संयुक्त उद्यम नहीं माना जाता है।
इकाई परिसमापन के अधीन है इसलिए कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।



(₹ करोड)

		31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को
9: व्यापार प्राप्य- गैर चालू*				
अच्छा और – सुरक्षित		-		-
अच्छा – असुरक्षित		-		-
प्राप्य – हानि क्रेडिट		**132.59**		16.94
		132.59		16.94
कमः ऋण हानि के लिए भत्ता		**132.59**		16.94
		-		-

*कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से देय प्राप्य राशि शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)

10: ऋण-गैर चालू *

अच्छा माना गया-असुरक्षित				
कर्मचारियों को ऋण	**25.09**		34.05	
अन्य को ऋण**	**854.06**	**879.15**	621.16	655.21
		879.15		655.21
कमः ऋण हानि के लिए भत्ता		**1.85**		0.02
		877.30		**655.19**

* मूल कंपनी के निदेशकों से देय प्राप्य राशि शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)
** रावघाट रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे को दिया गया।
इन वित्तीय साधनों से संबंधित वित्तीय जोखिमों और उचित मूल्य माप के जोखिम का वर्णन नोट 43 में किया गया है।

11: अन्य वित्तीय संपत्तियां-गैर चालू

सुरक्षा जमा		**261.99**		228.71
वसूली योग्य दावा		**10.31**		10.36
व्यापार के अलावा अन्य प्राप्य		**68.37**		68.14
पट्टा समकारी आरक्षित		**1.34**		1.44
कर्मचारियों से प्राप्य		**1.33**		1.31
प्राप्य अन्य*		**96.80**		94.64
संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम (नोट 51.2 देखें)	**14.05**		14.05	
घटाः संदिग्ध संबंधित पार्टी अग्रिमों के लिए भत्ता	**14.05**	-	14.05	-
निर्धारित शेष				
12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा		**51.58**		10.78
		491.72		415.38
घटाः संदेहास्पद संपत्तियों के लिए अंश		**47.48**		45.37
		444.24		**370.01**

* बिजली कंपनी के पास जमा राशि और टाउनशिप बकाया के लिए बाहरी लोगों से प्राप्त होने वाला राजस्व।
इन वित्तीय साधनों से संबंधित वित्तीय जोखिमों और उचित मूल्य माप के जोखिम का वर्णन नोट 43 में किया गया है।

12 : आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)

आस्थगित कर दायित्वों में शामिल आइटमों का कर प्रभाव				
संपत्ति, प्लांट और उपकरण से संबंधित	**8366.64**		8047.67	
ओसीआई के माध्यम से निवेश के समायोजन का मूल्य	**69.51**	**8436.15**	52.61	8100.28
आस्थगित कर दायित्वों में शामिल आइटमों का कर प्रभाव				
भुगतान के आधार पर घटाने योग्य राशि	**1268.55**		1274.02	
अन्य	**989.40**	**2257.95**	1079.09	2353.11
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)		**6178.20**		**5747.17**

12 : आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) (जारी है....)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर घाटे से उत्पन्न होने वाले आस्थगित करों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़)

आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)	31 मार्च, 2023 को	लाभ और हानि में मान्य	अन्य व्यापक आय में मान्य	31 मार्च, 2024 को
आस्थगित कर देनदारियों में शामिल आइटमों का कर प्रभाव				
संपत्ति, प्लांट और उपकरण से संबंधित	8047.67	318.97	-	8366.64
ओसीआई के माध्यम से निवेश के समायोजन का मूल्य	52.61	-	16.90	69.51
	8100.28	**318.97**	**16.90**	**8436.15**
आस्थगित कर दायित्वों में शामिल आइटमों का कर प्रभाव				
भुगतान के आधार पर घटाने योग्य राशि	1274.02	(5.47)	-	1268.55
अन्य	1079.09	(107.14)	17.45	989.40
	2353.11	**(112.61)**	**17.45**	**2257.95**
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	**5747.17**	**431.58***	**(0.55)**	**6178.20**

* इस राशि में पिछले वर्षों का कर प्रभाव ₹ 82.56 करोड़ शामिल है। लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त शुद्ध राशि ₹ 349.02 करोड़ है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अस्थायी अंतर और प्रयुक्त कर घाटे से उत्पन्न होने वाले आस्थगित करों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

आस्थगित कर देनदारियाँ	31 मार्च, 2022 को	लाभ और हानि में मान्य	अन्य व्यापक आय में मान्य	31 मार्च, 2023 को
आस्थगित कर देनदारियों में शामिल आइटमों का कर प्रभाव				
संपत्ति, प्लांट और उपकरण से संबंधित	7471.62	576.05	-	8047.67
ओसीआई के माध्यम से निवेश के समायोजन का मूल्य	37.29	-	15.32	52.61
	7508.91	**576.05**	**15.32**	**8100.28**
आस्थगित कर देनदारियों में शामिल आइटमों का कर प्रभाव				
भुगतान के आधार पर घटाने योग्य राशि	1238.04	35.98	-	1274.02
भावी कर योग्य आय के विरुद्ध ओफसेटिंग के लिए उपलब्ध हानियां	133.24	(133.24)	-	-
अन्य	877.70	57.84	143.54	1079.09
	2248.98	**(39.42)**	**143.54**	**2353.11**
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	**5259.93**	**615.47**	**(128.22)**	**5747.17**

(₹ करोड़)

	As at 31st March, 2024	As at 31st March, 2023
13: चालू कर संपत्तियां (शुद्ध)		
चालू कर संपत्तियां		
अग्रिम आय कर (अंशों का शुद्ध)	**374.70**	595.41
	374.70	595.41
14: अन्य संपत्तियां-गैर चालू		
अनुबंधकर्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	**64.92**	61.83
सरकारी प्राधिकारों के पास जमा*	**3008.56**	3570.59
पूर्वभुगतान व्यय	**14.86**	21.48
पूर्वभुगतान व्यय	**238.38**	132.85
घटाः संदेहास्पद पूंजी अग्रिमों के लिए अंश	**5.02** **233.36**	5.34 127.51
	3321.70	3781.41
घटाः संदेहास्पद पूंजी अग्रिमों के लिए अंश	**235.15**	169.39
* प्रवेश कर और मध्यस्थता मामले शामिल हैं।	**3086.55**	**3612.02**



(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
15: मालसूची *				
भण्डार				
उत्पादन	**4022.46**		3515.87	
ईंधन भंडार	**214.34**		138.17	
अन्य	**32.17**		30.74	
	4268.97		3684.78	
जमाः पारगमन में	**239.97**		247.07	
	4508.94		3931.85	
घटाः गैर प्रचलित/पुराने आइटमों के लिए अंश	**295.01**	**4213.93**	281.81	3650.04
कच्चा माल				
कच्चा माल**	**7673.38**		6987.60	
जमाः पारगमन में	**5050.57**		4764.16	
	12723.95		11751.76	
घटाः अनुपयोगी सामग्री के लिए भत्ता	**13.49**	**12710.46**	15.03	11736.73
तैयार/अर्ध-तैयार उत्पाद				
तैयार माल***	**11292.02**		8162.22	
चालू कार्य	**4195.80**	**15487.82**	3899.83	12062.05
अन्य - उप-उत्पाद (उप-ग्रेड फाइन)		**233.37**		267.45
		32645.58		**27716.27**

*लेखानीति संख्या 308 के अनुसार मूल्यांकित
**इसमें ₹ 29.34 करोड़ पिछले वर्ष – ₹ 26.40 करोड़) की स्लाइम की सूची शामिल है।
***₹ 43.42 करोड़ (पिछले वर्ष–₹ 50.99 करोड़) के स्लैग डंप में एम्बेडेड लोहे और स्टील स्क्रैप की सूची शामिल है।
***इसमें ₹ 6.69 करोड़ (पिछले वर्ष–₹ 6.57 करोड़) मूल्य का 0.06 मीट्रिक टन (पिछले वर्ष–0.06 मीट्रिक टन) मैंगनीज स्लैग शामिल है।

16: कर प्राप्य-चालू*

असुरक्षित				
अच्छा माना गया		**8308.72**		5362.48
खराब क्रेडिट		**275.30**		302.18
		8584.02		5664.66
संदिग्ध प्राप्य के लिए अंश		**275.30**		302.18
		8308.72		**5362.48**

* कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से देय प्राप्य राशि शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)
* नोट 43 और 48.4 (ख) देखें–अपेक्षित ऋण हानि और एजिंग शेड्यूल के आकलन के लिए वित्तीय साधन।

17 (i): नकद और नकद समकक्ष

हाथ में नकद और स्टांप		**0.11**		0.26
हाथ में चेक		**11.55**		3.93
बैंकों में बैलेंस				
चालू खाते	**2.07**		1.47	
3 माह तक मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा	-		0.51	
3 माह तक मूल परिपक्वता के साथ न्यायालय के आदेशानुसार सावधि जमा	-	**2.07**	0.27	2.25
		13.73		**6.44**

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2024 को	
17 (ii): उक्त 17 (i) के अलावा बैंक बैलेंस				
निर्धारित बैंक शेष				
न्यायालय के आदेश के अनुसार सावधि जमा	**441.34**		197.56	
बैंक ग्रहणधिकार/ऋण के बदले गिरवी के अंतर्गत सावधि जमा	-		7.01	
निर्धारित सावधि जमा	**34.59**	**475.93**	33.36	237.93
अवैतनिक लाभांश खाता		**17.62**		9.00
अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संतुलन		**34.32**		-
लाभांश खाता		-		144.58
		527.87		**391.51**
18: ऋण-चालू*				
अच्छा माना गया-असुरक्षित				
कर्मचारियों को ऋण	**29.06**		36.02	
अन्य को ऋण	**1.10**	**30.16**	1.12	37.14
		30.16		37.14
घटा: ऋण हानि के लिए भत्ता		**1.85**		1.85
		28.31		35.29
19: अन्य वित्तीय संपत्तियां-चालू				
सुरक्षा जमा		**17.87**		15.84
वसूली योग्य दावा		**787.20**		839.33
प्राप्य – अन्य*		**489.01**		473.07
कर्मचारियों से प्राप्य		**17.65**		18.72
भविष्यनिधि ट्रस्ट से वसूली योग्य राशि		**452.41**		212.93
संबंधित पक्षों को अग्रिम	**71.22**		80.61	
घटा: संदिग्ध संबंधित पक्षों के अग्रिमों के लिए अंश	**7.27**	**63.95**	7.27	73.34
		1828.09		1633.23
घटा: संदिग्ध संपत्तियों के लिए अंश		**459.43**		403.91
		1368.66		1229.32
20: अन्य संपत्तियां-चालू				
पास में सोने के सिक्के		**0.14**		0.14
ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	**676.79**		578.56	
दूसरों को अग्रिम*	**2923.93**	**3600.72**	1991.4	2569.96
सरकारी प्राधिकारों के पास जमा		**57.58**		23.46
जमा जीएसटी		**1.43**		1.18
जीएसटी प्राप्य–इनपुट सेवा		**5.16**		3.74
जीएसटी प्राप्य		**716.36**		337.77
जीएसटी पर ग्राहकों द्वारा काटा गया टीडीएस		**0.16**		0.05
पूर्व भुगतान खर्चे		**75.20**		76.57
प्राप्य दावे		**75.61**		134.40
निर्यात प्रोत्साहन प्राप्य		**37.53**		42.79
		4569.89		3190.06
घटा: अन्य संदिग्ध संपत्तियों के लिए अंश		**28.84**		201.36
		4541.05		**2988.70**

* प्राप्य में निदेशकों से देय राशियाँ शामिल हैं – शून्य (पिछले वर्ष–शून्य)

* इसमें कर्मचारियों और बाहरी लोगों से प्राप्त होने वाला किराया, बिजली, अस्पताल और पानी का शुल्क आदि शामिल है।

* इसमें डीवीसी, रॉयल्टी और सरकारी विभागों आदि को दिया गया अग्रिम शामिल है।



(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को

21: बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत संपत्ति

बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां	**15.11**	29.28
	15.11	**29.28**

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं की बिक्री के लिए निविदा जारी करने पर, यह अत्यधिक संभावना मानी जाती है कि ऐसी संपत्ति अगले 12 महीनों कें अंदर बेची जाएगी और ऐसी संपत्ति को 'बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में माना जाता है।

(ii) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री के लिए रखे गए वर्गीकृत संयंत्र और मशीनरी को पुनवर्गीकरण के बेचने की लागत को घटाकर उसकी वहन राशि और उचित मूल्य के निचले स्तर पर मापा गया था। तुलनीय मूल्य दृष्टिकोण का उपयोग करके संयंत्र और मशीनरी का उचित मूल्य निर्धारित किया गया था। उचित मूल्य माप प्रकटीकरण में निर्धारित उचित मूल्य पदानुक्रम के अनुसार यह स्तर 3 माप है। इस दृष्टिकोण के तहत प्रमुख इनपुट बाजार में धातु की कीमत है। मूल्य माप प्रकटीकरण में निर्धारित उचित मूल्य पदानुक्रम के अनुसार यह स्तर 3 माप है। इस दृष्टिकोण के तहत प्रमुख इनपुट बाजार में धातु की कीमत है।

22: इक्विटी शेयर पूंजी

अधिकृत पूंजी

₹10 प्रति के इक्विटी शेयर		
(₹10 प्रति के 5000000000 इक्विटी शेयर)	**5000.00**	5000.00

जारी और सब्सक्राइब्ड पूंजी और पूर्ण रूप से चुकता

(₹ 10 प्रति के पूर्ण रूप से चुकता 4130525289 इक्विटी शेयर)	**4130.53**	4130.53

वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों पर समाधान

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वोटिंग अधिकार के साथ इक्विटी शेयर				
साल की शुरूआत में बैलेंस	4130414299	4130.42	4130414299	4130.42
वर्ष के दौरान वोटिंग अधिकार वाले शेयरों में बदले गए शेयर को	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि #	**4130414299**	**4130.42**	**4130414299**	**4130.42**
वोटिंग अधिकार के बिना इक्विटी शेयर *				
साल की शुरूआत में बैलेंस	110990	0.11	110990	0.11
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के दौरान शेयरों का वोटिंग अधिकार वाले शेयरों में बदल दिया गया	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**110990**	**0.11**	**110990**	**0.11**
वर्ष में बकाया कुल इक्विटी शेयर	**4130525289**	**4130.53**	**4130525289**	**4130.53**

i) *1996 में जारी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट (जीडीआर) में 110990 शेयरों की वर्तमान होल्डिंग द्वारा प्रति शेयर 29.55 अमेरिकी डॉलर की कुल राशि के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रतिनिधित्व किया गया।

ii) #इसमें आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित 4187222 शेयर (पिछले वर्ष 4193693 शेयर) शामिल हैं, जिन पर वोटिंग अधिकार प्रतिबंधित किए हुए हैं।

iii) कंपनी के परिसमापन की स्थिति में पूंजी के पुनर्भुगतान के संबंध में सभी शेयरों की रैंक समान है।

iv) कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है।

(v) मूल कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयर धारक का नाम	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2024 को	
	धारित किए गए कुल शेयर	धारण का %	कुल शेयर	धारण का %
भारत के राष्ट्रपति	**2684714550**	**65.00**	2684714550	65.00
भारतीय जीवन बीमा निगम	**350544700**	**8.49**	286403775	6.93

(vi) वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण

प्रोमोटर का नाम	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को		वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	धारित किए गए कुल शेयर	धारण का %	धारित किए गए कुल शेयर	धारण का %	
भारत के राष्ट्रपति	**2684714550**	**65.00**	2684714550	65.00	-

(vii) कंपनी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान न तो बोनस शेयर जारी किए हैं और न ही कोई शेयर वापस खरीदा है।

23: अन्य इक्विटी

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
आरक्षित एवं अधिशेष				
संपत्ति कोष				
प्रारंभिक जमा	**1.75**		1.75	
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	**-**	**1.75**	-	1.75
प्रतिभूति प्रीमियम				
प्रारंभिक जमा	**235.10**		235.10	
वर्ष के दौरान परिवर्तन	**-**	**235.10**	-	235.10
बांड मोचन रिजर्व				
प्रारंभिक जमा	**373.71**		530.97	
बरकार रखी गई कमाई में स्थानांतरण	**249.93**	**123.78**	157.26	373.71
सामान्य रिजर्व				
प्रारंभिक जमा	**5095.13**		5095.13	
कम: वर्ष के दौरान उपयोग	**-**	**5095.13**	-	5095.13
प्रतिधारित कमाई				
प्रारंभिक जमा	**42150.48**		41922.80	
जमा: वर्ष के लिए शुद्ध लाभ	**2733.11**		1903.07	
जमा: अन्य व्यापक आय / (हानि)	**(179.16)**		(490.23)	
-परिभाषित लाभ योजनाओं के लाभ / (हानि) का पुनर्मूल्यांकन				
जमा: बांड मोचन रिजर्व से स्थानांतरण	**249.93**		157.26	
घटा: भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	**206.53**		929.37	
घटा: अंतरिम लाभांश का भुगतान	**413.05**	**44334.78**	413.05	42150.48
अन्य व्यापक आय				
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण				
प्रारंभिक जमा	**152.48**		100.86	
एफवीओसीआई इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन	**73.90**		66.94	
आस्थगित कर	**(16.91)**	**209.47**	(15.32)	152.48
कुल अन्य इक्विटी		**50000.01**		**48008.65**

अन्य भंडारों की प्रकृति और उद्देश्य

संपत्ति कोष

पूंजी आरक्षित निधि का निर्माण पूंजीगत लाभ से किया जाता है, इसका निर्माण पूंजीगत प्रकृति के कुछ विशिष्ट लेनदेन से अर्जित लाभ से किया जाता है। शेयरधारकों को वितरण के लिए पूंजी आरक्षित उपलब्ध नहीं है।

प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूमि प्रीमियम रिजर्व शेयरों के जारी हाने पर प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

बांड मोचन आरक्षित

कंपनी को लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध मुनाफे में से कंपनी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार बांड मोचन रिजर्व बनाने की आवश्यकता है। बांड के मोचन तक रिजर्व को बनाए रखा जाता है।

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) आरक्षित

कंपनी ने अन्य व्यापक आय में इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में बदलाव को पहचानने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के अंदर एफवीओसीआई इक्विटी निवेश रिजर्व में जमा होते हैं। जब प्रासंगिक इक्विटी प्रतिभूतियों को मान्यता रद्द कर दी जाती है, तो कंपनी इस रिजर्व से राशि को बरकरार रखी गई आय में स्थानांतरित कर देती है।



24. उधार-गैर चालू

(₹ करोड़)

				31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
सुरक्षित					
प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय बांड					
ब्याज दर	**परिपक्वता तिथि**	**मांग/मंदी विकल्प (वर्ष)**	**प्रतिभूति संदर्भ**		
9.35%	9-सितंबर-2026	12/शून्य	(क)	-	455.00
8.80%	26-अक्टूबर-2025		(क, ख)	14.00	28.00
9.00%	14-अक्टूबर-2024		(क)	-	1000.00
8.75%	15-सितंबर-2024		(क)	-	50.00
कुल बांड (क)				**14.00**	**1533.00**
बैंकों से आवधिक ऋण					
रुपए में ऋण					
ब्याज दर	**बैंक का नाम**				
7.27%	बैंक ऑफ इंडिया		(च)	4100.00	4100.00
7.40%	साउथ इंडियन बैंक		(छ)	300.00	-
7.65%	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया		(ज)	4700.00	-
बैंकों से आवधिक ऋण (ख)				**9100.00**	**4100.00**
कुल सुरक्षित ऋण (क+ख)				**9114.00**	**5633.00**
असुरक्षित					
विदेशी मुद्रा में ऋण					
1	केएफडब्ल्यू, जर्मनी		(c)	**247.08**	270.96
2	नेटेक्स बैंक		(d)	**2.97**	4.46
इस्पात विकास निधि			(e)	**204.16**	204.16
				454.21	479.58
कुल गैर चालू ऋण				**9568.21**	**6112.58**

निदेशकों और अन्य लोगों द्वारा किसी ऋण की गारंटी नहीं दी गई है।

उधार और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में तुलन पत्र की तिथि को कोई चूक नहीं की गई है।

जब तक अन्यथा न कहा जाए, सभी बांड परिपक्वता तिथि पर चुकाने योग्य होते हैं।

संबंधित सुविधाओं के संबंध में उधार निम्नलिखित तरीके से सुरक्षित किए जाते हैं:

क) सिटी तालुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात के मौजे–वाडेज में सभी वर्तमान और भविष्य की अचल संपत्ति और कंपनी के संयंत्र और मशीनरी, जिसमें वह जमीन भी शामिल है जिस पर यह स्थापित है, इस्को स्टील प्लांट (आईएसपी) से संबंधित सभी वर्तमान और भविष्य की अचल संपत्ति पर समान रूप से रैंकिंग वाले शुल्कों द्वारा सुरक्षित।

ख) 26 अक्टूबर, 2014 से ₹14 करोड़ की 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय। 26 अक्टूबर, 2024 को देय किस्त को वर्तमान उधार में लाइन आइटम 'दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता' के अंतर्गत दिखाया गया है।

ग) ऋण का सॉफ्ट आधार 8.75 प्रतिषत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 1(क), 1(ख) और 1(ग) के रूप में दर्शाए गए 3 किस्तों में निकाला गया था। 1(क) पर ब्याज 0.75 प्रतिशत वार्षिक है और शेष 8 प्रतिशत विनिमय उतार–चढ़ाव (4 प्रतिशत) और प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं (4 प्रतिशत) को पूरा करने के लिए है। 1(ख) के मामले में ब्याज 0.75 प्रतिशत वार्षिक है और शेष 8.0 प्रतिशत वार्षिक परिधि विकास के लिए है। किश्त 1(ग) का पूरा भुगतान कर दिया गया है। मूलधन और ब्याज की राशि छमाही आधार पर चुकाई जानी है। ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है।

घ) ऋण 2030 तक चुकाया जाना है। मूलधन और ब्याज का भुगतान छमाही आधार पर किया जाता है, जिसकी गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है।

ड़) पुनर्भुगतान की शर्तें एसडीएफ प्रबंधन समिति द्वारा तय की जानी हैं।

(च) ब्याज दर रेपो दर +0.77 प्रतिशत प्रति वर्ष है, अर्थात बकाया ऋण राशि पर 7.27 प्रतिशत (6.50 प्रतिशत+0.77 प्रतिशत)। ऋण की अवधि 10 वर्ष है, जिसमें 4 वर्ष की स्थगन अवधि और 6 वर्ष की चुकौती अवधि है। ऋण 5वें वर्ष से शुरू होकर 10 वर्ष तक 4 वर्ष की स्थगन अवधि के बाद 12 अर्धवार्षिक समान किस्तों में देय है। पहली किस्त अप्रैल, 2025 में देय है।

(छ) ऋण की सीमा तक बीएसएल के वर्तमान और भविष्य के चल संयंत्र और मशीनरी पर समान रैंकिंग शुल्क द्वारा सुरक्षित। ब्याज दर रेपो दर +0.90 प्रतिशत प्रति वर्ष है, अर्थात बकाया ऋण राशि पर 7.40 प्रतिशत (6.50 प्रतिशत+0.90 प्रतिशत)। ऋण की अवधि 4 वर्ष है, जिसमें ढाई वर्ष की स्थगन अवधि और डेढ़ वर्ष की चुकौती अवधि है। ऋण ढाई वर्ष की स्थगन अवधि के बाद 6 त्रैमासिक समान किस्तों में चुकाया जाएगा। पहली किस्त 01.05.2026 को देय है।

(ज) ऋण की सीमा तक बीएसएल के वर्तमान और भविष्य के चल संयंत्र और मशीनरी पर समान रैंकिंग शुल्क द्वारा सुरक्षित। ब्याज दर 3एम टी–बिल + 0.75 प्रतिशत से जुड़ी है, जिसे हर तिमाही के अंतिम कार्य दिवस पर रीसेट किया जाता है। 31.03.2024 तक, दर 7.65 प्रतिशत प्रति वर्ष है (अर्थात 3एम टी–बिल 6.90 प्रतिशत + 0.75 प्रतिशत)। ऋण की अवधि 4 वर्ष है जिसमें ढाई साल की स्थगन अवधि और डेढ़ साल की चुकौती अवधि है। 2.5 साल की स्थगन अवधि के बाद ऋण 6 त्रैमासिक समान किस्तों में देय है। पहली किस्त 01.05.2026 को देय है।

(झ) लाइन मद 'दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता' के अंतर्गत चालू उधारों में स्थानांतरित दीर्घकालिक उधारों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता का विवरण

(₹ करोड़)

विवरण	परिपक्वता तिथि	2023-24	2022-23
प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय बांड			
8.80%	26-अक्टूबर-2023/24	14.00	14.00
9.00%	14-अक्टूबर-2024	1000.00	-
8.75%	15-सितंबर-2024	50.00	-
8.30%	3-अगस्त-2023	-	800.00
8.30%	1-अगस्त-2023	-	1200.00
असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण			
केएफडब्ल्यू, जर्मनी		25.23	25.10
नेटेक्स बैंक		1.73	2.42
कुल		**1090.96**	**2041.52**

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
25: व्यापार देय-गैर चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को देय (नोट 48.3 देखें)	-	-
ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/अन्य को देय राशि	-	-
	-	-
26: अन्य वित्तीय दायित्व-गैर चालू		
कर्मचारियों से संबंधित देय	**738.19**	710.39
अर्जित ब्याज लेकिन उधार पर देय नहीं	**400.12**	422.39
अन्य देनदारियां*	**272.21**	256.88
	1410.52	**1389.66**
27: प्रावधान - गैर चालू		
उपार्जित अवकाश देयता के लिए प्रावधान	**3372.60**	3399.42
सेवानिवृत्त के बाद चिकित्सा एवं निपटान लाभ के लिए प्रावधान	**1807.66**	1636.31
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार का प्रावधान	**15.92**	15.45
खदानें बंद करने का प्रावधान	**226.15**	162.03
अन्य प्रावधान*	**301.44**	390.40
	5723.77	**5603.61**
28: अन्य दायित्व-गैर चालू		
आस्थगित आय*	**473.29**	424.12
अन्य देनदारियां**	**1387.20**	2256.09
	1860.49	**2680.21**

* इसमें दुकानदारों, ठेकेदारों आदि से सुरक्षा जमा राशि शामिल है

* खदानों को बंद करने का प्रावधान शामिल है (नोट 51.3 देखें)

***आस्थगित आय में शामिल हैं:**

*इस्पात जनरल अस्पताल, राउरकेला को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अपग्रेड करने के लिए केंद्र सरकार ने ₹ 277.33 करोड़ का अनुदान दिया। कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 20 के अनुरूप ऐसे अनुदानों के लिए सभी शर्तों का अनुपालन किया है।

** प्रवेश कर प्रावधान



(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
29: उधार - चालू		
सुरक्षित		
मांग पर लौटाने योग्य		
बैंकों से*	**3834.15**	3957.68
अन्य ऋण और अग्रिम		
लंबी अवधि के ऋणों की चालू परिपक्वताएं (नोट 24 देखें)	**1090.96**	2041.52
असुरक्षित		
बैंकों से	**16100.00**	13550.00
	21025.11	**19549.20**

31 मार्च 2024 को अल्प अवधि के उधार के बकाया के लिए सुरक्ष की समाप्ति

***निम्न के द्वारा संबंधित सुविधा के संबंध में बैंकों से उधार सुरक्षित है :**

(i) सभी चालू संपत्तियों का उपप्रायधीन

30: व्यापार प्राप्य-चालू		
लघु, छोटे और मध्यम उद्यमों के कारण (नोट 48.3 देखें)	**498.06**	448.62
संबंधित पक्षों को देय राशि	**528.65**	570.78
ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/अन्य को देय राशि	**14305.68**	13319.47
	15332.39	14338.87
31: अन्य वित्तीय देनदारियां-चालू		
कर्मचारी संबंधी बकाया	**255.16**	265.22
ब्याज अर्जित हुआ लेकिन उधार पर देय नहीं	**99.44**	204.04
इस्पात विकास निधि ऋण पर अर्जित और देय ब्याज	**344.00**	312.00
अन्य देनदारियां–देनदार बैकिंग व्यवस्था	**139.94**	124.23
दावा न की गई परिपक्व जमाराशियों और उस पर अर्जित ब्याज	**1.01**	1.01
सुरक्षा जमा	**1897.13**	1697.28
अवैतनिक लाभांश	**17.62**	9.00
अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संतुलन	**112.57**	51.73
पूंजीगत कार्यों हेतु देय	**2066.95**	2053.97
अन्य देनदारियां*	**5583.36**	5412.13
	10517.18	**10130.61**

*अन्य भुगतानों में वेतन और पारिश्रमिक, रॉयल्टी, पेंशन और कर्मचारी कल्याण आदि की देनदारी शामिल है।

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
32: अन्य दायित्व - चालू				
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम आय	**1513.21**		1472.27	
अग्रिम प्राप्त आय – अन्य	**80.42**		98.11	
आस्थगित आय	**22.30**		22.38	
जीएसटी देय	**1566.14**		1019.23	
जीएसटी पर ब्याज के लिए दायित्व	**4.04**		3.15	
जीएसटी पर आपूर्तिकर्ताओं से काटा गया टीडीएस	**41.00**		39.52	
अन्य देनदारियां*	**1338.08**		878.35	
	4565.19		**3533.01**	

* इसमें कर्मचारियों, सरकारी विभागों आदि से काटा गया टीडीएस शामिल है।

33: प्रावधान - चालू

उपार्जित अवकाश देनदारी के लिए प्रावधान	**382.07**		364.63	
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा एवं निपटान लाभ के लिए प्रावधान	**288.45**		253.94	
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार का प्रावधान	**2.20**		2.10	
प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रावधान	**45.84**		45.58	
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव के लिए प्रावधान	**36.66**		28.19	
खदान वनरोपण/पुररुद्धार आदि के लिए प्रावधान	**161.16**		169.37	
अन्य प्रावधान*	**373.99**		515.47	
	1290.37		1379.28	

* डीवीसी, रेलवे, अन्य संपत्तियां आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

34: चालू कर दायित्व

प्रारंभिक शेष	-		-	
जमाः वर्ष के दौरान प्रावधान	**608.28**		118.37	
घटाः वर्ष के दौरान भुगतान/हस्तांतरित राशि	**399.45**		118.37	
घटाः वर्ष के दौरान वापस लिखा गया प्रावधान	-	**208.83**	-	-
		208.83		-



(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
35: संचालनों से प्राप्त राजस्व		
उत्पादों से बिक्री		
घरेलू	**102857.85**	101089.74
निर्यात	**1687.24**	2638.89
उपकुल (क)	**104545.09**	103728.63
सेवाओं की बिक्री		
सेवा प्रभार	**19.93**	20.22
उपकुल (ख)	**19.93**	20.22
अन्य संचालन राजस्व		
निर्यात प्रोत्साहन	**25.72**	38.91
सामाजिक सुविधाएं–वसूली	**346.29**	322.78
खाली आदि की बिक्री	**121.75**	86.41
विविध	**315.81**	250.41
उपकुल (ग)	**809.57**	698.51
कुल (क+ख+ग)	**105374.59**	104447.36

कोई भी ग्राहक 10 प्रतिशत से अधिक राजस्व का योगदान नहीं करता है।

माल की बिक्री पर क्रेडिट अवधि 0 से 120 दिनों तक होती है, चाहे वह सुरक्षा के साथ हो या उसके बिना।

जहां ग्राहक को किसी निश्चित अवधि के अंदर उत्पाद वापस करने का अधिकार है, कंपनी उस राशि के लिए धनवापसी देयता को मान्यता देती है जिसके लिए इकाई को हकदार होने की उम्मीद नहीं है। कंपनी लौटाए गए माल को वापस पाने के अधिकार को भी मान्यता देती है। धनवापसी देयता और उत्पादों को वापस पाने की लागत महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं है।

राजस्व का पृथक्करण

माल और सेवाओं की प्रकृति

कंपनी लौह और इस्पात उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है और लौह और इस्पात उत्पादों की बिक्री से राजस्व उत्पन्न करती है और वही मूल कंपनी का एकमात्र रिपोर्ट योग्य खंड है।

(1) प्राथमिक भौगोलिक बाजार		
भारत के अंदर	**102857.85**	101089.74
भारत के बाहर	**1687.24**	2638.89
कुल	**104545.09**	103728.63
(2) प्रमुख उत्पाद		
लोहा और इस्पात	**100984.80**	99813.35
अन्य द्वितीयक और उप–उत्पाद	**3560.29**	3915.28
कुल	**104545.09**	103728.63

अनुबंध मूल्य के साथ राजस्व का मिलान		
कुल राजस्व	**107193.41**	106819.31
घटाः छूट और छूट आदि।	**2648.32**	3090.68
शुद्ध राजस्व को मान्यता दी गई	**104545.09**	103728.63

अनुबंध शेष

निम्नलिखित तालिका ग्राहक प्राप्य के साथ अनुबंधों से प्राप्तियों, अनुबंध परिसंपत्तियों और अनुबंध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है जिन्हें 'व्यापार प्राप्य' में शामिल किया गया है।

व्यापार प्राप्य	**8308.72**	5362.48
अनुबंध देयताए*	**1513.21**	1472.27

*ऊपर दर्शाई गई अनुबंध देनदारियों को 31 मार्च, 2025 तक मान्यता दिए जाने की उम्मीद है।

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
36. अन्य आय		
ब्याज से आय*		
ग्राहक	**182.38**	198.04
कर्मचारी	**9.83**	5.77
बैंक में जमा	**3.35**	0.66
अन्य	**110.89**	77.62
कुल (क)	**306.45**	282.09
लाभांश से आय**		
निवेश से लाभांश	**6.08**	12.52
निवेश से लाभांश**	**162.73**	407.12
कुल (ख)	**168.81**	419.64
निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ कुल (ग)	**-**	-
अन्य गैर-परिचालन आय		
सब्सिडी, राहत और छूट	**0.10**	0.10
सरकार से प्राप्त	**5.58**	5.77
अलाउंस जिन्हें अब वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है	**201.10**	52.48
वापस लिखी गई अन्य देनदारियां	**127.75**	350.52
परिसमापन भरपाई	**80.38**	103.57
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	**130.00**	49.50
अन्य	**128.31**	92.75
	673.22	654.69
घटाः गैर–परिचालन आय के कारण होने वाले व्यय	**0.42**	1.58
उप योग (घ)	**672.80**	653.11
कुल (क+ख+ग+घ)	**1148.06**	1354.84

*ब्याज आय परिशोधित लागत पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर आय का प्रतिनिधित्व करती है।

**ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए निवेश से लाभांश शामिल है: ₹ 5.52 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 5.15 करोड)

37 : खपत की गई सामग्री की लागत

लौह अयस्क	**10324.00**	8871.00
कोयला	**45918.51**	50993.38
कोक	**1328.60**	480.44
चूना पत्थर	**2428.05**	2287.51
डोलोमाइट	**747.62**	768.52
फैरो मैंगनीज	**362.48**	331.76
फेरो सिलिकॉन	**485.21**	548.94
सिलिको मैंगनीज	**1951.91**	2260.30
जस्ता	**107.71**	146.89
एल्युमीनियम	**616.39**	584.67
अन्य	**2708.54**	2796.19
	66979.02	70069.60
घटाः खातों में समायोजन	**9360.18**	7978.50
	57618.84	**62091.10**



(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
38 : तैयार माल, प्रगति पर कार्य और उप-उत्पादों की मालसूची में परिवर्तन		
प्रारंभिक स्टॉक		
तैयार माल	**8606.57**	4880.55
प्रगति पर कार्य	**3899.83**	2397.75
लौह अयस्क फाइन (उप–ग्रेड)	**4182.00**	4249.96
	16688.40	**11528.26**
घटा बंद हुआ स्टॉक		
तैयार माल	**11734.10**	8606.57
प्रगति पर कार्य	**4195.80**	3899.83
लौह अयस्क फाइन (उप–ग्रेड)	**4111.42**	4182.00
	20041.32	16688.40
(अभिवृद्धि)/स्टॉक में कमी	**(3352.92)**	**(5160.14)**
39: कर्मचारी लाभ व्यय*		
वेतन–मजदूरी	**8733.45**	8826.81
अवकाश नकदीकरण	**791.81**	1075.80
भविष्य निधि और अन्य निधियों में कंपनी का योगदान	**1436.56**	1285.83
यात्रा छूट	**-**	103.92
कल्याण व्यय	**558.48**	541.61
उपहार	**227.62**	219.65
	11747.92	12053.62
***कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभों पर व्यय ऊपर शामिल नहीं है और इस पर लगाया गया है:**		
निर्माण के दौरान व्यय	**91.57**	104.84
परिभाषित लाभ दायित्व के प्रकटीकरण पर वर्णनात्मक नोट्स के लिए, नोट 50.1 देखें		
40: वित्तीय लागत		
ब्याज लागत		
वित्तीय मुद्रा ऋण	**25.30**	26.32
गैर परिवर्तनीय बांड	**101.49**	243.80
बैंक उधार–क्रियाशील पूंजी	**18.55**	12.20
इस्पात विकास निधि ऋण	**9.29**	3.61
अन्य बैंक उधार और वाणिज्यिक पत्र	**2256.76**	1601.80
आयकर अधिनियम के तहत ब्याज	**2.74**	-
अन्य उधार लागत	**59.68**	149.74
	2473.81	**2037.47**
ब्याज और वित्तीय प्रभारों पर वयय उक्त में शामिल नहीं है और निर्माण के दौरान व्यय में प्रभारित किया गया है		
गैर परिवर्तनीय बांड	**70.94**	127.40
इस्पात विकास निधि ऋण–ब्याज	**0.44**	0.99
अन्य बैंक उधार	**112.00**	82.67
	183.38	**211.06**

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
41: अन्य व्यय				
स्टोर और स्पेयर्स की खपत				
खपत	**6489.26**		6286.65	
घटा: विभागीय रूप से निर्मित स्टोर	**634.23**		713.73	
घटा: स्टोर और स्पेयर्स के रूप में आंतरिक रूप से खपत किए गए तैयार	**792.34**	**5062.69**	804.73	4768.19
रिपेयर और रखरखाव				
भवन	**311.16**		282.73	
संयंत्र और मशीनरी	**1463.44**		1314.59	
अन्य	**508.66**	**2283.26**	422.18	2019.50
हैंडलिंग व्यय				
कच्चा माल	**906.76**		647.64	
स्क्रैप बसूली	**307.43**	**1214.19**	312.59	960.23
लेखापरीक्षकों को मानदेय				
ऑडिट शुल्क	**2.73**		3.00	
कर ऑडिट शुल्क	**0.77**		0.86	
अन्य सेवाओं में	**1.76**		1.76	
तुरंत देय व्यय	**0.65**	**5.91**	1.05	6.67
प्रावधान				
संदिग्ध ऋण, लोन और अग्रिम	**62.90**		115.16	
निवेश	**52.51**		18.75	
स्टोर, स्पेयर्स और विविध	**96.16**	**211.57**	218.89	352.80
ऊर्जा और ईंधन		**7534.99**		7703.71
विदेशी बहिर्वाह		**3171.71**		3024.29
रॉयल्टी और उपकर		**5577.16**		4520.86
रूपांतरण शुल्क		**204.28**		197.76
विलंब शुल्क और घाट शुल्क		**88.59**		87.03
जल प्रभार और जल प्रदूषण पर उपकर		**179.60**		154.20
बीमा		**87.24**		82.16
पोस्टेज, टेलीग्राम और टेलीफोन		**20.31**		18.29
प्रिंटिंग और स्टेशनरी		**12.53**		11.41
दरें और कर		**47.32**		44.51
किराया		**2.51**		5.22
सुरक्षा व्यय		**825.32**		821.58
यात्रा व्यय		**78.45**		99.61
कानूनी शुल्क		**29.07**		29.76
प्रशिक्षण व्यय		**91.32**		80.85
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों पर व्यय (नोट 49.6 देखें)		**161.93**		162.46
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव (शुद्ध)		**181.17**		963.87
लागत लेखा शुल्क और व्ययों का वितरण		**0.12**		0.04
बट्टा खाता–विविध		**8.09**		0.10
हैंडलिंग व्यय–तैयार माल		**268.10**		236.43
क्षति के कारण हानि		**-**		9.10
बिक्री एजेंट को कमीशन		**9.62**		8.24
निर्यात बिक्री व्यय		**34.65**		145.27
विविध		**837.34**		924.57
		28229.04		**27438.71**



41क: असाधारण मदें*

'विवाद से विश्वास योजना II' के तहत संविदात्मक निपटान	**394.39**	-
प्रवेश कर के निपटान हेतु प्रावधान	**446.45**	-
अचल संपत्तियों की बिक्री	**-**	(301.34)
अन्य	**-**	43.35
	840.84	**(257.99)**

* नोट 49.14 देखें

41ख: प्रति शेयर आय

वर्ष के लिए लाभ ₹ करोड़ में)	**2733.11**	1903.07
इक्विटी शेयरों की संख्या	**4130525289**	4130525289
प्रति शेयर आय – आधारभूत और मिश्रित (₹)	**6.62**	4.61
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹)	**10.00**	10.00

42: वित्तीय उपकरण

i) उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय स्थिति के विवरण में उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्ति देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। माप में महत्वपूर्ण इनपुट के अवलोकन के आधार पर तीन स्तरों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

स्तर-1: वित्तीय साधनों के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धत कीमतें (असमायोजित)।

स्तर-2: सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार में डेटा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और इकाई विशिष्ट अनुमानों पर जितना संभव हो उतना कम भरोसा करते हैं।

स्तर-3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ii) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्ति और देनदारियां - आवर्ती उचित मूल्य माप

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2024 को	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय संपत्तियां				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
डेरिवेटिव वित्तीय संपत्तियां			-	-
एफवीओसीआई में निवेश				
इक्विटी उपकरण				
उद्धरित			-	-
अनुद्धरित			313.70	313.70
कुल वित्तीय संपत्तियां			**313.70**	**313.70**
वित्तीय दायित्व				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
डेरिवेटिव दायित्व			-	-
कुल वित्तीय दायित्व			**-**	**-**

उचित मूल्य-आवर्तक उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय संपत्तियां और दायित्व

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2023 को	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय संपत्तियां				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्तियां	-	-	-	-
एफवीओसीआई में निवेश				
इक्विटी उपकरण				
उद्धरित	-	-	-	-
अनुउद्धरित	-	-	239.79	239.79
कुल वित्तीय संपत्तियां	**-**	**-**	**239.79**	**239.79**
वित्तीय दायित्व				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न	-	-	-	-
कुल वित्तीय दायित्व	**-**	**-**	**-**	**-**

iii) वित्तीय संपत्तियां और देनदारियां - जिनके लिए उचित मूल्यों को प्रकटीकरण किया गया है (₹ करोड़)

	स्तर	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
		वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय संपत्तियां					
ऋण	स्तर-3	**905.61**	**1021.86**	690.48	800.71
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्ति	स्तर-2	-	-	-	-
इक्विटी उपकरण					
उद्धरित	स्तर-1	-	-	-	-
अनुउद्धरित*	स्तर-3	**313.70**	**313.70**	239.79	239.79
कुल वित्तीय संपत्तियां		**1219.31**	**1335.56**	930.27	1040.50
वित्तीय दायित्व					
उधार (लीज दायित्व सहित)	स्तर-3	**37298.47**	**37041.52**	31836.05	31683.48
अन्य देय	स्तर-3	**10944.20**	**10953.95**	10457.61	10517.82
व्युत्पन्न दायित्व	स्तर-2	-	-	-	-
कुल वित्तीय दायित्व		**48242.67**	**47995.47**	42293.66	42201.30

*पहले से ही उचित मूल्य पर

(iv) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया और तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्य निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में शामिल हैं:

(क) ब्याज स्वैप का उचित मूल्य समान उपकरणों के लिए डीलर या प्रतिपक्ष उद्धरण के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(ख) फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा अनुबंध और प्रिंसिपल स्वैप का उचित मूल्य बैलेंस शीट की तिथि को फॉरवर्ड दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

(ग) परिवर्तनीय ब्याज दर वाले उधारों का वहन मूल्य उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।

(घ) 12 महीने से कम परिपक्वता वाली वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का वहन मूल्य उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।

(ड़) परिशोधित लागत (पट्टा दायित्वों सहित) पर निर्धारित ब्याज दर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार समान परिसंपत्तियां और देनदारियों पर लागू ब्याज दर के बराबर छूट दर का उपयोग करके नकदी प्रवाह में छूट द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(v) अघोषित निवेश: अघोषित इक्विटी निवेशों के उचित मूल्य अनुमान स्तर–3 में शामिल किए गए हैं और निवेशित कंपनी के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं। कंपनी को निवेश के उचित मूल्य में कोई संवेदनशीलता की उम्मीद नहीं है। सहकारी समितियों में निवेश के लिए, कंपनी ने निर्धारित किया है कि लागत उचित मूल्य का उचित अनुमान है, इसलिए, उचित मूल्यों के कारण कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

vi) निम्न तालिका स्तर 3 इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधनों के मूल्य में परिवर्तन प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड)

गैर सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां	
31 मार्च, 2022 तक	**172.85**
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त लाभ	66.94
31 मार्च, 2023 तक	**239.79**
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त लाभ	73.91
31 मार्च, 2024 तक	**313.70**

43: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(i) श्रेणी वार वित्तीय उपकरण (₹ करोड)

विवरण	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधन लागत	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधन लागत
वित्तीय पूंजी						
निवेश						
इक्विटी उपकरण*	-	313.70	-	-	239.79	-
व्यापार प्राप्तियां	-	-	8308.72	-	-	5362.48
नकद और नकद समकक्ष	-	-	13.73	-	-	6.44
अन्य बैंक शेष	-	-	527.87	-	-	391.51
ऋण	-	-	905.61	-	-	690.48
अन्य प्राप्य	-	-	1812.90	-	-	1599.33
कुल	**-**	**313.70**	**11568.83**	**-**	**239.79**	**8050.24**
वित्तीय देनदारियां						
उधार (पट्टा दायित्व सहित)	-	-	37298.47	-	-	31836.05
व्यापार देय	-	-	15332.39	-	-	14338.87
अन्य देनदारियां	-	-	10944.20	-	-	10457.61
कुल	**-**	**-**	**63575.06**	**-**	**-**	**56632.53**

*संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों की इक्विटी में निवेश भारतीय लेखा मानक 27 'अलग वित्तीय विवरण' के अनुसार लागत पर किया गया है और इसलिए यहां प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ii) जोखिम प्रबंधन: कंपनी को वित्तीय साधनों के संबंध में विभिन्न जोखिम हैं। कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति और देनदारियों को श्रेणी के अनुसार नोट 43 (i) में संक्षेपित किया गया है। जोखिमों के मुख्य प्रकार बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और दिवालियापन जोखिम हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन इसके मुख्यालय में निदेशक मंडल के साथ घनिष्ठ सहयोग में समन्वित किया जाता है, और अस्थिर वित्तीय बाजारों के जोखिम को कम करके कंपनी के अल्प से मध्यम अवधि के नकदी प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। दीर्घकालिक वित्तीय निवेशों को स्थायी रिटर्न उत्पन्न करने के लिए प्रबंधित किया जाता है। कंपनी सट्टा उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के व्यापार में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होती है और न ही यह विकल्प लिखती है। कंपनी को होने वाले सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे किया गया है।



क) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसमें प्रतिपक्ष कंपनी के प्रति दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है। कंपनी विभिन्न वित्तीय साधनों के लिए इस जोखिम के संपर्क में है, उदाहरण के लिए ग्राहकों को ऋण और प्राप्य राशि प्रदान करना, जमा करना, आदि। कंपनी का क्रेडिट जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम निम्न प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि तक सीमित है।

- नकद और नकद समकक्ष
- व्युत्पन्न वित्तीय साधन
- व्यापार प्राप्य
- परिशोधन लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी लगातार ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों की चूक की निगरानी करती है, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा पहचाना जाता है, और इस जानकारी को अपने क्रेडिट जोखिम नियंत्रण में शामिल करती है। जहाँ उचित लागत पर उपलब्ध हो, ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग और/या रिपोर्ट प्राप्त की जाती हैं और उनका उपयोग किया जाता है। कंपनी की नीति केवल क्रेडिट योग्य प्रतिपक्षों के साथ ही व्यवहार करने की है।

क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्ष से संबंधित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन केवल उच्च रेटिंग वाले बैंकों को स्वीकार करके और देश भर के विभिन्न बैंकों में बैंक जमा और खातों में विविधता लाकर किया जाता है।

डेरिवेटिव वित्तीय साधन

डेरिवेटिव वित्तीय साधनों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन भी केवल उच्च रेटिंग वाले बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ प्रतिपक्ष के रूप में ऐसी व्यवस्था करके किया जाता है। कंपनी कई प्रतिपक्षों के साथ अपनी होल्डिंग्स में विविधता लाती है।

व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य से संबंधित ऋण जोखिम को उन ग्राहकों से बैंक गारंटी लेकर कम किया जाता है, जहाँ ऋण जोखिम अधिक होता है। कंपनी देनदारों की ऋण–योग्यता पर बारीकी से नज़र रखती है और केवल ऋण–योग्य पक्षों को ही माल बेचती है। कंपनी की आंतरिक प्रणाली ग्राहकों की ऋण सीमा निर्धारित करने के लिए कॉन्फ़िगर की गई है, जिससे ऋण जोखिम को पूर्व–गणना की गई राशियों तक सीमित किया जा सके।

परिशोधन लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय संपत्तियाँ

परिशोधन लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय संपत्तियों में कर्मचारियों और अन्य लोगों को दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं। इन अन्य वित्तीय संपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम को ऐसी राशियों की वसूली की निरंतर निगरानी करके प्रबंधित किया जाता है, जबकि साथ ही आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राशियाँ निर्धारित सीमाओं के अंदर हों।

ख) अपेक्षित ऋण हानियाँ

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानियाँ प्रदान करती है;

व्यापार प्राप्य

कंपनी सरलीकृत उपागम का उपयोग करके व्यापार प्राप्य पर आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों की पहचान करती है और व्यापार प्राप्य की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रासंगिक हानि प्रतिशत की गणना करने के लिए ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग करती है।

व्यापार प्राप्य आयु पर वर्णनात्मक नोट के लिए, नोट 48.4 (ख) देखें।

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी किसी भी ऋण हानि की अपेक्षा के लिए व्यक्तिगत वित्तीय साधनों का आकलन करके 'ऋण अग्रिम और व्यापार प्राप्य के अलावा' पर अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान करती है। चूँकि, इस श्रेणी में विभिन्न प्रकृति और उद्देश्य के ऋण और प्राप्य शामिल हैं, इसलिए ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है जिसे कंपनी पूरी आबादी पर निरंतर लागू करने के लिए तैयार कर सके। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, कंपनी की नीति में प्रारंभिक मान्यता पर 12 महीने की अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान करना और ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि पर आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान करना शामिल है। कंपनी ने ऐसी परिसंपत्तियों पर उनकी कम ऋण जोखिम प्रकृति को देखते हुए कोई अपेक्षित हानि आधारित हानि को मान्यता नहीं दी है, यद्यपि ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक उप–श्रेणी के अंतर्गत उपगत हानि भत्ते का प्रकटीकरण किया गया है।

ख) विघटन जोखिम

विवेकपूर्ण विघटन जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता से है। व्यवसाय की प्रकृति के कारण, कंपनी प्रतिबद्ध सुविधाओं के अंतर्गत उपलब्धता बनाए रखकर वित्तपोषण में लचीलापन बनाए रखती है। प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति और नकदी और नकदी समकक्षों के रोलिंग पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। कंपनी उस बाजार की तरलता को ध्यान में रखती है जिसमें इकाई काम करती है। इसके अलावा, कंपनी की तरलता प्रबंधन नीति में प्रमुख मुद्राओं में नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना और इन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्तियों के स्तर पर विचार करना, आंतरिक और बाहरी नियामक आवश्यकताओं के विरुद्ध बैलेंस शीट विघटन अनुपात की निगरानी करना और ऋण वित्तपोषण योजनाओं को बनाए रखना शामिल है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिकाएँ सभी गैर–डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वताओं के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता कंपनी में कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण करती हैं और तालिका में दर्शाई गई राशियाँ संविदात्मक छूटरहित नकदी प्रवाह हैं। 12 महीनों के अंदर देय शेष राशि उनके अग्रणीत शेष के बराबर होती है, क्योंकि छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होता है।

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2024 को वित्तीय दायित्वों की अनुबंधात्मक परिपक्वता	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-डेरिवेटिव उधार					
उधार	21474.30	1320.89	4521.17	5386.14	32702.50
व्यापार देय	15061.59	58.74	49.77	162.29	15332.39
अन्य देनदारियां	7011.54	133.60	115.96	423.77	7684.87
कुल	**43547.43**	**1513.23**	**4686.90**	**5972.20**	**55719.76**
डेरिवेटिव					
डेरिवेटिव दायित्व (शुद्ध निपटान)	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

31 मार्च, 2023 को वित्तीय दायित्वों की अनुबंधात्मक परिपक्वता	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-डेरिवेटिव					
उधार	19804.09	2437.65	911.79	5312.62	28466.15
व्यापार देय	13879.36	234.82	3.73	219.00	14336.91
अन्य देनदारियां	6160.57	135.39	227.78	894.48	7418.22
कुल	**39844.02**	**2807.86**	**1143.30**	**6426.10**	**50221.28**
डेरिवेटिव					
डेरिवेटिव दायित्व	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

ग) बाजार जोखिम

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी के अधिकांश लेन–देन भारतीय रुपये में किए जाते हैं। मुद्रा विनिमय दरों के लिए जोखिम कंपनी की विदेशी उधार व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं, जो मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) में मूल्यांकित होते हैं।

कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम के जोखिम को कम करने के लिए, गैर–INR नकदी प्रवाह की निगरानी की जाती है और कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार अग्रिम विनिमय अनुबंध किए जाते हैं। आम तौर पर, कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ अल्पकालिक विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह (6 महीने के अंदर देय) को दीर्घकालिक नकदी प्रवाह (6 महीने के बाद देय) से अलग करती हैं। जहाँ किसी विशिष्ट मुद्रा में भुगतान की जाने वाली और प्राप्त की जाने वाली राशियों के एक–दूसरे से बड़े पैमाने पर ऑफसेट होने की उम्मीद होती है, वहाँ कोई और हेजिंग गतिविधि नहीं की जाती है। अग्रिम विनिमय अनुबंध मुख्य रूप से महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जोखिमों के लिए किए जाते हैं, जिनकी अन्य समान–मुद्रा लेनदेन द्वारा ऑफसेट किए जाने की उम्मीद नहीं होती है।

विदेशी मुद्रा जोखिम एक्पोज़र:

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए महत्वपूर्ण जोखिम ₹ करोड़ में व्यक्त किए गए हैं:

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	यूएस डॉलर	यूरो	यूएस डॉलर	यूरो
वित्तीय पूंजी				
व्यापार प्राप्तियां	87.46	-	32.77	-
नकद और नकद समकक्ष	-	-	-	-
अन्य बैंक शेष	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्ति (सकल रकम, उधार लेने के लिए)	-	-	-	-
अन्य प्राप्य	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा जोखिम में शुद्ध जोखिम संपत्तियां	**87.46**	**-**	**32.77**	**-**
वित्तीय देनदारियां				
उधार	-	277.01	-	302.95
व्यापार देय	9728.38	60.11	8412.14	51.58
अन्य देनदारियां	101.72	179.99	152.01	216.87
विदेशी मुद्रा जोखिम में शुद्ध जोखिम (देनदारियां)	**9830.10**	**517.11**	**8564.15**	**571.40**

संवेदनशीलता: निम्न तालिका 'अन्य सभी चीजें समान होने पर' कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों तथा अमरीकी डालर/भारतीय रुपया विनिमय दर और यूरो/भारतीय रुपया विनिमय दर के संबंध में लाभ और इक्विटी की संवेदनशीलता को दर्शाती है। इसमें 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रुपया/अमरीकी डालर विनिमय दर में +/– 2.02 प्रतिशत परिवर्तन माना गया है (2023:4.93 प्रतिशत)। आईएनआर/यूरो विनिमय दर (2023 : 8.75 प्रतिशत) के लिए +/– 5.77 प्रतिशत परिवर्तन पर विचार किया गया है। ये दोनों प्रतिशत पिछले 12 महीनों में विनिमय दरों में औसत बाजार अस्थिरता के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। संवेदनशीलता विश्लेषण प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी के विदेशी मुद्रा वित्तीय उपकरणों पर आधारित है और इसमें मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को ऑफसेट करने वाले फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंधों को भी ध्यान में रखा गया है।

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
यूएसडी संवेदनशीलता		
आईएनआर/यूएसडी– 2.02 प्रतिशत की वृद्धि (31 मार्च 2024)	**196.80**	-
आईएनआर/यूएसडी – 2.02 प्रतिशत की कमी (31 मार्च 2024)	**(196.80)**	-
आईएनआर/यूएसडी – 4.93 प्रतिशत की वृद्धि (31 मार्च 2023)	-	420.60
आईएनआर/यूएसडी – 4.93 प्रतिशत की कमी (31 मार्च 2023)	-	(420.60)
यूरो संवेदनशीलता		
आईएनआर/यूरो– 5.77 प्रतिशत की वृद्धि (31 मार्च 2024)	**29.84**	-
आईएनआर/यूरो – 5.77 प्रतिशत की कमी (31 मार्च 2024)	**(29.84)**	-
आईएनआर/यूरो – 8.75 प्रतिशत की वृद्धि (31 मार्च 2023)	-	50.00
आईएनआर/यूरो – 8.75 प्रतिशत की कमी (31 मार्च 2023)	-	(50.00)

ख) ब्याज दर जोखिम: कंपनी की नीति दीर्घकालिक वित्तपोषण पर ब्याज दर नकदी प्रवाह जोखिम को कम करना है। इसलिए दीर्घकालिक उधार आमतौर पर निश्चित दरों पर होते हैं। 31 मार्च, 2024 को, कंपनी को परिवर्तनीय ब्याज दरों पर बैंक उधार के माध्यम से बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन का जोखिम है। अन्य उधार निश्चित ब्याज दरों पर हैं। बॉन्ड में कंपनी के सभी निवेश निश्चित ब्याज दरों का भुगतान करते हैं। कंपनी के मनी मार्केट फंड के लिए ब्याज दरों के जोखिम को महत्वहीन माना गया है। निम्न तालिका लाभ और इक्विटी की +/– 1 प्रतिशत (2023: +/– 1 प्रतिशत) की ब्याज दरों में उचित रूप से संभावित परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। वर्तमान बाजार स्थितियों के अवलोकन के आधार पर इन परिवर्तनों को उचित रूप से संभव माना जाता है। गणना प्रत्येक अवधि के लिए औसत बाजार ब्याज दर में परिवर्तन और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर रखे गए वित्तीय साधनों पर आधारित है जो ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। अन्य सभी चर स्थिर हैं।



i) देनदारियां

कंपनी की नीति दीर्घकालिक वित्तपोषण पर ब्याज दर नकदी प्रवाह जोखिम को कम करना है। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी को परिवर्तनीय ब्याज दरों पर बैंक उधार के माध्यम से बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन का जोखिम है।

ब्याज दर जोखिम

नीचे ब्याज दर जोखिम के लिए कंपनी का समग्र जोखिम दर्शाया गया है:

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
परिवर्तनीय दर पर उधार (डेरिवेटिव द्वारा ऑफसेट किए गए जोखिम को छोड़कर)	**29034.15**	21607.68
स्थिर दर उधार	**1559.17**	4054.10
कुल उधार	**30593.32**	**25661.78**

संवेदनशीलता

नीचे ब्याज दरों में लाभ या हानि और इक्विटी परिवर्तन की संवेदनशीलता दी गई है।

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
ब्याज दर संवेदनशीलता		
ब्याज दरें–100 आधार अंकों की वृद्धि	**290.34**	216.08
ब्याज दरें–100 आधार अंकों की कमी	**(290.34)**	(216.08)

ii) परिसंपत्तियाँ

कंपनी की सावधि जमाराशियाँ परिशोधित लागत पर रखी गई हैं और ये निश्चित दर वाली जमाराशियाँ हैं। इसलिए वे भारतीय लेखा मानक 107 में परिभाषित ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा।

ब्याज दर जोखिम जोखिम

नीचे वित्तीय परिसंपत्तियों का समग्र जोखिम दिया गया है:

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
परिवर्तनीय दर पर जमा/ऋण	-	-
स्थिर दर पर जमा/ऋण	**1433.48**	1081.99
कुल जमा	**1433.48**	**1081.99**

ग) मूल्य जोखिम

एक्सपोजर

कंपनी को अन्य कंपनियों के अपने निवेश शेयरों के संबंध में अन्य मूल्य जोखिम है (नोट 8 देखें)। कंपनी शेयरों में अपने निवेश के मूल्य में परिवर्तन को महत्वपूर्ण नहीं मानती है, इसलिए बैलेंस शीट की तिथि पर बकाया जोखिमों पर मूल्य जोखिम नहीं है।

44: पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- कंपनी को चालू उपक्रम के रूप में जारी रहने की क्षमता सुनिश्चित करना
- शेयरधारकों को पर्याप्त रिटर्न प्रदान करना

कंपनी बैलेंस शीट के मुखपृष्ठ पर प्रस्तुत इक्विटी घटा नकदी और नकद समकक्षों की वहन राशि के आधार पर पूंजी की निगरानी करती है।

प्रबंधन अत्यधिक उत्तोलन से बचते हुए एक कुशल समग्र वित्तपोषण संरचना को बनाए रखने के लिए कंपनी की पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है। इसमें कंपनी के विभिन्न ऋण वर्गों के अधीनस्थ स्तरों को ध्यान में रखा जाता है। कंपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन और अंतर्निहित परिसंपत्तियों की जोखिम विशेषताओं के प्रकाश में इसमें समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को दिए जाने वाले लाभांश की राशि को समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकती है, नए शेयर जारी कर सकती है, या ऋण कम करने के लिए परिसंपत्तियों को बेच सकती है।

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
शुद्ध ऋण	37284.74	31829.61
कुल इक्विटी	54130.54	52139.18
शुद्ध ऋण से इक्विटी अनुपात	**0.69**	**0.61**

लाभांश

(₹ crore)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
इक्विटी शेयर		
(i) चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर अंतरिम लाभांश	**413.05**	413.05
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्य नहीं किया गया अंतिम लाभांश	**413.05**	206.53

45: गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
चालू		
इन्वेंट्री और व्यापार प्राप्य (गिरवी रखी गई सीमा तक)	**3834.15**	3957.68
गैर चालू		
प्लांट और मशीनरी (वर्तमान और भविष्य की चल संपत्तियां)– आरएसपी	**4100.00**	4100.00
प्लांट एवं मशीनरी (वर्तमान एवं भविष्य की चल संपत्तियां) – बीएसएल (गिरवी रखी गई सीमा तक)	**5000.00**	-
गुजरात के अहमदाबाद जिले के सिटी तालुका के मौजे–वाडेज में भूमि तथा प्लांट एवं मशीनरी – आईएसपी, जिसमें वह भूमि भी शामिल है जिस पर यह स्थित है।	**14.00**	1533.00

46: प्रभावी कर मिलान

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
कर से पहले लाभ	**3687.67**	2636.91
घरेलू कर दर	**25.168%**	25.168%
अपेक्षित कर व्यय (क)	**928.11**	663.66
कर–मुक्त आय/गैर–कटौती योग्य व्यय के लिए समायोजन	**4.18**	46.85
अंतर कर दर मदों के लिए समायोजन	**-**	(6.89)
पिछले वर्षों से संबंधित कर	**(82.56)**	18.25
अन्य	**104.83**	11.97
कुल समायोजन (ख)	**26.45**	70.18
वास्तविक कर व्यय (ग= क+ख)	**954.56**	733.84
कर व्यय में शामिल निम्न शामिल हैं:		
वर्तमान कर व्यय	**605.54**	118.37
स्थगित कर प्रभार	**349.02**	615.47
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कर व्यय	**954.56**	733.84



47.1 आकस्मिक देनदारियां

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(i)	अपीलीय/न्यायिक निर्णयों के लंबित रहने तक कंपनी के विरुद्ध दावे:		
	क) उत्पाद शुल्क और सेवा कर	**5549.64**	6154.00
	ख) संयंत्रों से स्टॉकयार्ड में अंतर–राज्यीय स्टॉक स्थानांतरण पर बिक्री कर*	**934.34**	958.56
	ग) अन्य बिक्री कर मामले	**167.71**	206.43
	घ) आयकर	**1413.20**	1478.26
	ङ) अन्य शुल्क, उपकर और लेवी	**10323.12**	9738.31
	च) सिविल मामले **	**4612.93**	5528.84
	छ) प्रवेश कर	**990.24**	1536.37
	ज) विविध **	**12337.38**	12317.18
	* कोई देयता उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अंतिम बिक्री पर बिक्री कर का भुगतान किया गया है।		
(ii)	कंपनी के विरुद्ध अन्य दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:		
	क) बिक्री कर	**69.96**	347.56
	ख) शुल्क, उपकर और लेवी	**373.87**	109.10
	ग) सिविल मामले	**29.37**	34.93
	घ) विविध ***	**2353.03**	2190.55
	*** कुछ दावे जिनके विरुद्ध प्रति–दावे किए गए हैं।		
(iii)	संयुक्त उद्यम कंपनियों पर विवादित आयकर/सेवा कर/अन्य मांग जिसके लिए कंपनी संयुक्त उद्यम समझौते के अंतर्गत आकस्मिक रूप से देनदार हो सकती है।	**58.59**	48.72
(iv)	ग्राहकों को जारी और बैंकों में भुनाए गए बिल।	-	212.99
(v)	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मूल्य वृद्धि के दावे और कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे।	-	310.18

47.2 क) (i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 11 नवंबर, 2016 के अपने आदेश के माध्यम से विभिन्न राज्यों द्वारा पारित प्रवेश कर कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। हालांकि, पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कुछ अन्य मामले, जैसे कि भेदभावपूर्ण दरों के कारण प्रवेश कर से संबंधित मामला, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1092.28 करोड़ की प्रवेश कर देयता हुई, जिसमें भिलाई–दुर्ग क्षेत्र में लौह अयस्क और कोकिंग कोयले पर 6 प्रतिशत की दर लागू की गई, जबकि छत्तीसगढ़ के बाकी क्षेत्रों में कोकिंग कोयले पर 1 प्रतिशत और लौह अयस्क पर 3 प्रतिशत की कम दर लागू थी और अन्य राज्यों से झारखंड के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले माल पर ₹ 98.83 करोड़ की राशि के प्रवेश कर से संबंधित मामला आदि मामलों की सुनवाई करने वाली नियमित पीठों द्वारा निर्णय किया जा सकता है। वर्ष के दौरान, छत्तीसगढ़ सरकार ने वैट, प्रवेश कर और सीएसटी आदि के पुराने मामलों के निपटारे के लिए एक समझौता योजना (छत्तीसगढ़ कर, ब्याज और दंड के बकाया का निपटान अधिनियम, 2023) को अधिसूचित किया, जिसके अंतर्गत दर में भेदभाव से संबंधित प्रवेश कर विवाद के निपटारे के लिए मूल्यांकन वर्ष–वार आवेदन दायर किए गए। दायर नौ आवेदनों में से, चार आवेदनों को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा निपटाया गया। शेष पांच आवेदनों के लिए विवादित राशि ₹ 762.91 करोड़ है। योजना के अनुसार शेष पांच आवेदनों के लिए निपटान राशि ₹ 137.72 करोड़ है, जिसके लिए 31 मार्च, 2024 तक निश्चित देयता निर्धारित की गई है। शेष राशि ₹ 625.19 करोड़ को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है। 31 मार्च 2024 तक, इस संबंध में मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय/क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों/नामित अधिकारियों/वाणिज्यिक कर विभाग की नियमित पीठों के समक्ष लंबित हैं। अन्य न्यायालयों द्वारा निर्णय लंबित होने तक, ₹ 724.02 करोड़ की विवादित प्रवेश कर देनदारियों को कंपनी द्वारा आकस्मिक देयता (31 मार्च, 2023 तक– ₹ 1184.81 करोड़) के रूप में माना गया है और उपरोक्त नोट संख्या 47.1 (i) (छ) में शामिल किया गया है।

(ii) राउरकेला स्टील प्लांट की औद्योगिक टाउनशिप में प्रवेश कर लगाने के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 नवंबर, 2022 के अपने निर्णय के माध्यम से निर्णय लिया था कि राउरकेला स्टील प्लांट औद्योगिक टाउनशिप के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर लगाया जा सकता है। हालाँकि, उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2021 को सुनाए गए निर्णय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2022 के अपने आदेश के माध्यम से उसे बरकरार रखे जाने के कारण, मूल मूल्यांकन के अभाव में उड़ीसा प्रवेश कर अधिनियम, 1999 की धारा 10 के अंतर्गत उठाई गई पुनर्मूल्यांकित माँगें अस्वीकार किए जाने योग्य हैं। 31 मार्च, 2024 तक ऐसे निर्णय के लंबित रहने तक, ₹138.48 करोड़ (31 मार्च 2023– ₹ 213.00 करोड़) की इन माँगों को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है और उपरोक्त नोट संख्या 47.1 (i) (ज) में शामिल किया गया है।

ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18 जनवरी, 2017 के आदेश के अनुसार 2009–2014 के लिए बिजली शुल्क की अनंतिम टैरिफ याचिका से संबंधित दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के साथ विवाद के संबंध में कंपनी द्वारा दायर एसएलपी को खारिज कर दिया, जिससे कानूनी प्रश्न खुला रह गया। याचिका संख्या 275/जीटी/2012 के विरुद्ध 2009–2014 के टैरिफ से संबंधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के दिनांक 7–8–2013 के आदेश को विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) (अपील संख्या 18/2014) के समक्ष चुनौती दी गई है, जिसमें कंपनी ने

भी हस्तक्षेप किया है और एपीटीईएल का आदेश लंबित है। इसके अलावा, दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 से 2008–09 के टैरिफ से संबंधित विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के आदेश के विरुद्ध दायर की गई सिविल अपील के संबंध में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर, 2018 के अपने आदेश के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया, जिसका टैरिफ निर्धारण के लिए कुछ मापदंडों पर विचार करने के दृष्टिगत भविष्य के टैरिफ आदेशों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तदनुसार, राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) एपीटीईएल द्वारा निर्देशित खुदरा टैरिफ को अंतिम रूप देगा, जिसका वित्तीय निहितार्थ एसईआरसी द्वारा टैरिफ निर्धारण के बाद ही पता लगाया जा सकता है। झारखंड राज्य के लिए जहां ₹ 587.72 करोड़ का विवाद उत्पन्न हुआ है, डीवीसी ने नवंबर, 2020 में झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) के समक्ष 2006–07 से 2011–12 की अवधि के लिए वार्षिक राजस्व मांग के लिए आवेदन के साथ अपना खुदरा टैरिफ आवेदन दायर किया है और 2012–13 से 2014–15 की अवधि में राजस्व अंतर/अधिशेष के समायोजन की मांग भी की है। कंपनी ने 28 दिसंबर, 2020 को डीवीसी के उपरोक्त आवेदन पर अपनी आपत्तियां भी दर्ज की हैं। जेएसईआरसी ने 31 अक्टूबर, 2023 के आदेश के अनुसार वित्त वर्ष 2006–07 से वित्त वर्ष 2011–12 की अवधि के लिए डीवीसी के श्रेणीवार खुदरा आपूर्ति टैरिफ को अंतिम रूप दिया। एपीटीईएल ने 5 फरवरी, 2024 के अपने आदेश के माध्यम से डीवीसी की अपील को स्वीकार कर लिया और आयोग से अनुरोध किया कि वह जल्द से जल्द एक नया आदेश पारित करे। ऐसे बिजली शुल्कों के निर्धारण तक, 31 मार्च 2024 तक डीवीसी की ₹ 587.72 करोड़ की विवादित मांगों (31 मार्च, 2023 तक, ₹ 587.72 करोड़) को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है। उक्त दावों के विरुद्ध, पूरी राशि डीवीसी को भुगतान कर दी गई है और अग्रिम के रूप में रख ली गई है। इसके अलावा 1 अप्रैल, 2017 से पूर्ण चालान मूल्य का भुगतान किया जा रहा है और राजस्व में प्रभारित किया जा रहा है।

47.3 झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत झारखंड राज्य सरकार ने कोयला, लोहा और इस्पात वस्तुओं के लेनदेन मूल्य पर 'बाजार शुल्क' के लिए 31 मार्च, 2024 तक 5387.70 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2023 तक 5037.29 करोड़ रुपये) की मांग की है। चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए राशि को उपरोक्त नोट संख्या 47.1(i)(ड़) में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियमावली 2015 ('एमएमजीसी नियमावली') भारत सरकार द्वारा 03.12.2015 को अधिसूचित की गई थी। यद्यपि उक्त नियमों में पट्टों के विस्तार के लिए किसी भी धनराशि की वसूली का कोई प्रावधान नहीं किया गया था, फिर भी गुआ के दुआरगैबुरू पट्टे, किरीबुरू–मेघाहातुबुरू के समामेलित पट्टों और चिरिया के धोबिल पट्टे के संबंध में एमएमजीसी नियमावली 2015 के अंतर्गत भुगतान की मांग जिला खनन अधिकारी (डीएमओ), चाईबासा, झारखंड द्वारा उठाई गई थी। नोटिस के विरुद्ध भुगतान की सामूहिक मांग लगभग ₹ 2980.00 करोड़ थी। सेल ने मार्च 2019 में झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके मांग नोटिस को चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.12.2019/20.12.2019 के आदेश के अंतर्गत ऐसे मांग नोटिस पर रोक लगा दी। इस बीच, झारखंड सरकार ने खान मंत्रालय, भारत सरकार से खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियमावली, 2015 (एमएमजीसी) के नियम 5 के अंतर्गत मांग उठाने के अधिकार/दावे के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। खनन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 29.01.2021 के पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि एमएमजीसी नियमावली, 2015 में सरकारी कंपनी को दिए गए खनन पट्टों के विस्तार के लिए अतिरिक्त राशि के भुगतान का प्रावधान नहीं है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा मामले के निपटान तक, 5959.14 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2023 तक 5241.88 करोड़ रुपये) की राशि को उपरोक्त नोट संख्या 47.1(i)(ज) में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

47.4 अपने फैसले में, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), कोलकाता ने निर्देश दिया है कि इस्पात मंत्रालय संशोधित भत्तों और सुविधाओं के बकाया के भुगतान के पहलू पर विचार करेगा और 26.11.2008 से 4.10.2009 तक की अवधि के लिए अधिकारियों को 309.34 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष: 309.34 करोड़ रुपये) के संशोधित भत्तों और सुविधाओं के भुगतान के लिए उचित निर्णय लेगा। इस्पात मंत्रालय ने 7.12.2016 को मामले की सूचना कंपनी को दी। इस मामले में एक याचिका 22.12.2016 को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई और वर्ष के दौरान इसका निपटारा कर दिया गया। मामले पर प्रशासनिक निर्णय लंबित होने तक, राशि को उपरोक्त नोट संख्या 47.1(ii)(घ) में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

47.5 (i) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या–11–599/2014–एफसी दिनांक 1 अप्रैल 2015 के माध्यम से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफसी अधिनियम) के अंतर्गत गैर–वनीय उद्देश्य के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। इन संशोधित दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि मौजूदा खनन पट्टों के मामले में जिनमें वन भूमि (आंशिक रूप से या पूरी तरह से) है, जहां एफसी अधिनियम के अंतर्गत केवल वन भूमि के एक हिस्से के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है, केंद्र सरकार ने एफसी अधिनियम की धारा–2(iii) के अंतर्गत शेष क्षेत्र को भी वन भूमि होने के लिए सामान्य अनुमोदन दिया, जो कुछ शर्तों के अधीन है, जिसमें खनन पट्टे में आने वाली पूरी वन भूमि के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) वसूलना शामिल है, यदि ऐसी वन भूमि का एनपीवी पहले से वसूल नहीं किया गया है।

इस मामले में, कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, एफसी अधिनियम, 1980 की धारा 2 (iii) सरकारी निगम पर लागू नहीं होगी और एनपीवी का भुगतान केवल उस सीमित क्षेत्र के लिए किया जाना आवश्यक है, जिसे एमओईएफ और सीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है और जिसमें खनन गतिविधियां प्रस्तावित हैं, न कि पूरे वन क्षेत्र के लिए। संपूर्ण वन भूमि के लिए एनपीवी के प्रयोग के मामले को कंपनी ने झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में इस मामले को इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष रखने का निर्देश दिया है।

छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय से 2017–18 के दौरान प्राप्त 96.28 करोड़ रुपये की मांग के विरुद्ध छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। कंपनी ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के पास 96.28 करोड़ रुपये जमा किए हैं और छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर



की गई है। विवादित राशि 96.28 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष: 96.28 करोड़ रुपये) को नोट क्रमांक 47.1.(i)(ड़) में आकस्मिक देयता के अंतर्गत प्रकट किया गया है।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य ने छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया और छत्तीसगढ़ राज्य में निकाले गए खनिज पर उपकर लगाया। बीएसपी ने इस अधिनियम को अल्ट्रा वायर्स के रूप में चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। हालांकि, बीएसपी ने मार्च, 2024 तक विरोध के अंतर्गत 235.71 करोड़ रुपये जमा किए हैं और सरकारी विभाग के पास जमा के रूप में दिखाया है। कुल विवादित राशि ₹ 235.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 212.96 करोड़) नोट संख्या 47.1.(i) (ड़) में आकस्मिक देयता के अंतर्गत प्रकट की गई है।

47.6 अवैध खनन से संबंधित कॉमन कॉज मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 अगस्त, 2017 के निर्णय के अनुसरण में, खनन एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के अंतर्गत पर्यावरण मंजूरी के बिना और उसके बाद उत्पादित खनिजों, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन मंजूरी और संचालन की सहमति की सीमा के बाद अतिरिक्त उत्पादन के मूल्य की वसूली के लिए मांग/कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। कंपनी ने झारखंड और ओडिशा उच्च न्यायालय के समक्ष कथित मांग को चुनौती दी है और मांग पर स्थगन प्राप्त किया है।

(क) चूंकि मामला अंतिम निर्धारण के लिए लंबित है और मौजूदा मुकदमे के निहितार्थ पर विचार करते हुए, कंपनी:

(i) लौह अयस्क के संबंध में, ओडिशा सरकार और झारखंड सरकार द्वारा क्रमशः ₹ 419.68 करोड़ और ₹ 3122.00 करोड़ (31 मार्च, 2023 तक ₹ 386.33 करोड़ और ₹ 2847.52 करोड़) (ब्याज सहित)। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी ने अनुमानित आधार पर 329.67 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2023 तक 329.67 करोड़ रुपये) की राशि प्रदान की है। शेष राशि 3212.01 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2023 तक 2904.18 करोड़ रुपये) (ब्याज सहित) को नोट संख्या 47.1(i)(ज) में आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

(ii) फ्लक्स के संबंध में, झारखंड और ओडिशा सरकार द्वारा 66.15 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023 तक 59.03 करोड़ रुपये) (ब्याज सहित) की राशि। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी ने अनुमानित आधार पर 6.86 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023 तक 6.86 करोड़ रुपये) की राशि प्रदान की है। शेष 59.29 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023 तक 52.17 करोड़ रुपये) (ब्याज सहित) को उपरोक्त नोट संख्या 47.1(i)(ज) में आकस्मिक देयता माना गया है।

(iii) कोयले के संबंध में, झारखंड सरकार द्वारा ₹ शून्य करोड़ (31 मार्च 2023 तक 755.90 करोड़ रुपये) (ब्याज सहित) की राशि के लिए, खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) की धारा 30 के साथ पठित खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 55 (5) के अंतर्गत संशोधन आवेदन दायर किया गया है। कोयला मंत्रालय के संशोधन प्राधिकरण ने कंपनी को स्थगन दे दिया है। तदनुसार, निपटान लंबित रहने तक, ₹ शून्य करोड़ (31 मार्च 2023 तक ₹ 755.90 करोड़) (ब्याज सहित) की राशि को उपरोक्त नोट संख्या 47.1(i)(ज) में आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

47.7 मेसर्स जेएससी क्रायोजेनमैश ने अनुबंध से उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए सेल/भिलाई स्टील प्लांट के विरुद्ध इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष मामला दायर किया है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने 20.07.2018 को सेल/भिलाई स्टील प्लांट के विरुद्ध 106.92 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है।

इस फैसले के विरुद्ध प्रबंधन ने दिल्ली में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अपील के निपटारे तक, 171.22 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष: 160.37 करोड़ रुपये) (ब्याज सहित) की राशि को उपरोक्त नोट संख्या 47.1(ii) (घ) में आकस्मिक देयता के अंतर्गत प्रकट किया गया है।

47.8 5.545 एकड़ भूमि 12.07.1966 से 30 वर्ष के लिए डीवीसी को दीर्घकालिक पट्टे के आधार पर आवंटित की गई थी। एएसपी के लाभ के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत सब–स्टेशन की स्थापना के लिए डीवीसी को भूमि दी गई थी। बाद की अवधि के लिए, अर्थात 13/07/1996 से कोई पट्टा समझौता नहीं था। किसी भी समझौते के अभाव में, उक्त अवधि के लिए देय राशि का उचित निश्चितता के साथ पता नहीं लगाया जा सका। इसका हिसाब निपटान के वर्ष में लगाया जाएगा।

47.9 माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप, होरोमोटो में भूमि के पट्टे के नवीकरण के लिए कंपनी का (नोट संख्या 4.(ii)(ख) के अंतर्गत प्रकट 2599.54 एकड़ का कुल क्षेत्रफल) दावा, 222.54 एकड़ के सतही क्षेत्र को छोड़कर, अस्वीकार कर दिया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार को कानून के प्रावधानों के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया गया है।

47.10 मेसर्स गोयल एमजी गैसेज प्राइवेट लिमिटेड (दावाकर्ता) और सेल/अलॉय स्टील्स प्लांट, दुर्गापुर (प्रतिवादी) के बीच मध्यस्थता से उत्पन्न एक निर्णय स्कोप, नई दिल्ली पत्र दिनांकित 18.05.2020 के माध्यम से 22.05.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें ₹116.86 करोड़ का दावा किया गया है।

उपर्युक्त आदेश द्वारा, न्यायाधिकरण ने दावेदार के दावा संख्या 1 और 2 को डीएसपी बीओओ प्लांट से एएसपी तक आर्गन के परिवहन शुल्क से संबंधित अंतर राशि के संबंध में और कुल दावा की गई राशि में से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन की व्यापारिक बाजार बिक्री के कारण दावेदार के बिलों से एएसपी द्वारा रोकी गई/काटी गई राशि को लागू ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया।

विविध मध्यस्थता मामला संख्या 8 (नए नियमों के अंतर्गत मामला संख्या विविध मध्यस्थता 12/2024 के रूप में पुनः दायर) में सेल एएसपी माननीय वाणिज्यीक न्यायालय के समक्ष दावा संख्या 1 और 2 को चुनौति दे चका था। दोनों पक्षों की मौखिक दलीलें सुनी गईं और दोनों पक्षों द्वारा दलीलों के लिखित नोट भी दाखिल किए गए, जिसके बाद 06.03.2024 को मुआवजा वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा आदेश सुरक्षित रखा गया और मामले की सुनवाई 16.04.2024 के लिए तय की गई। हालांकि मैसर्स गोयल एमजी गैसेज द्वारा सीमा के संबंध में अतिरिक्त लिखित नोट दाखिल करने के कारण फैसला नहीं सुनाया गया और अब 07.05.2024 को सुनवाई के लिए तय किया गया है। मुआवजा न्यायालय ने उक्त तिथि को उपरोक्त दावों पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश को रद्द कर दिया।

उपर्युक्त के दृष्टिगत और न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित राशि के आधार पर, 31 मार्च, 2024 तक ब्याज सहित 7.54 करोड़ रुपये की शुद्ध विवादित देयता (पिछले वर्ष: 6.56 करोड़ रुपये) उपरोक्त नोट क्रमांक 47.1(i)(ख) में आकस्मिक देयता के अंतर्गत दिखाई गई है।

48.1 **(क)** निष्पादित किये जाने हेतु शेष तथा प्रावधान नहीं किये गये अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों को घटाकर) इस प्रकार है:

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
पूंजी प्रतिबद्धताएँ	**7397.48**	4821.58
अन्य प्रतिबद्धताएँ	**10878.60**	6365.38

(ख) निम्नलिखित अचल संपत्तियों (लाइन आइटम 'संपत्ति संयंत्र और उपकरण' और 'उपयोग के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार' के अंतर्गत शामिल) के अधिकार विलेख/लीज समझौते कंपनी के नाम पर नहीं हैं।

31 मार्च, 2024 को

क्र. सं.	बैलेंसशीट में लाइन आइटम	सम्पत्ति की प्रकृति	सकल मूल्य (₹करोड़)	जिसके नाम अधिकार विलेख है	क्या अधिकार विलेख धारक एक प्रोमोटर/ निदेशक आदि है (हां/नहीं)	तिथि/माह/वर्ष जब से सम्पत्ति धारित है	कम्पनी के नाम पर न होने का कारण
1	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	16.80	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट	नहीं	07-05-2014	पंजीकरण लंबित है
2	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	11.97	विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	27-07-2004	पंजीकरण लंबित है
3	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	0.91	जम्मू और कश्मीर सरकार	नहीं	05-07-1968	पंजीकरण लंबित है
4	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.13	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड	नहीं	25-02-1970	पंजीकरण लंबित है
5	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	0.67	कानपुर विकास प्राधिकरण	नहीं	1986	पंजीकरण लंबित है
6	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.06	दक्षिणी रेलवे	नहीं	31-03-1984	पंजीकरण लंबित है
7	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	23.04	कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण	नहीं	09-10-2009	पंजीकरण लंबित है
8	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भवन	0.28	अशोक शंकर भटनागर (एचयूएफ)	नहीं	01-08-2019	पंजीकरण लंबित है
9	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	0.38	पारादीप पोर्ट ट्रस्ट	नहीं	17-08-2019	पंजीकरण लंबित है
10	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	0.20	मेकॉन लिमिटेड	नहीं	1979-1980	मेकॉन लिमिटेड द्वारा धारित (1978 के अधिनियम संख्या 16 के अनुसार)
11	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.01	एशियन रिफ्रैक्टरीज	नहीं	05-04-63	बिहार सरकार के उद्योग विभाग की ओर से पुनर्वास
12	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.12	असम सिलिमिनाइट्स एंड भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड	नहीं	11-02-1976 और 30-04-1978	उद्योग विभाग की ओर से पुनर्वास
13	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.13	इंडिया फायरब्रिक्स एंड इंसुलेशन कंपनी लिमिटेड	नहीं	15-09-60	उद्योग विभाग की ओर से पुनर्वास
14	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.08	राज्य सरकार	नहीं	1956-57	अधिकारों के अभिलेख (आरओआर) की प्राप्ति लंबित है
15	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	147.81	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी)	नहीं	01-02-2009	यूपीएसआईडीसी, यूपी के साथ मुकदमा चल रहा है
16	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	3.28	ओडिशा सरकार	नहीं	01-10-1959	अधिकारों के अभिलेख (आरओआर) की प्राप्ति लंबित है
17	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	75.26	ओडिशा सरकार	नहीं	01-10-1959	ओडिशा सरकार के साथ पट्टा समझौता नहीं हुआ है
18	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	0.10	ओडिशा सरकार	नहीं	01-10-1959	ओडिशा सरकार के साथ पट्टा समझौता नहीं हुआ है
19	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	15.81	ओडिशा सरकार	नहीं	29-11-1997	ओडिशा सरकार के साथ पट्टा समझौता नहीं हुआ है
20	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	126.24	झारखंड राज्य सरकार	नहीं	1960 से	झारखंड सरकार और सेल/ बोकारो स्टील प्लांट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं
21	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	10.29	विभिन्न पक्ष	नहीं	1986 से 2008	नामांतरण लंबित है



31 मार्च, 2024 को

क्र. सं.	बैलेंसशीट में लाइन आइटम	सम्पत्ति की प्रकृति	सकल मूल्य (₹करोड़)	जिसके नाम अधिकार विलेख है	क्या अधिकार विलेख धारक एक प्रोमोटर/निदेशक आदि है (हां/नहीं)	तिथि/माह/वर्ष जब से सम्पत्ति धारित है	कम्पनी के नाम पर न होने का कारण
22	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.09	विभिन्न पक्ष	नहीं	1954-1974	नामांतरण लंबित है
23	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.02	पश्चिमी बंगाल सरकार	नहीं	1963	20.05 एकड़ के लिए पंजीकरण लंबित है
24	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	7.55	तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए अधिकार विलेख निष्पादित नहीं किया गया	नहीं	1972 से 1980	तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया है

31 मार्च, 2023 को

क्र. सं.	बैलेंसशीट में लाइन आइटम	सम्पत्ति की प्रकृति	सकल मूल्य (₹करोड़)	जिसके नाम अधिकार विलेख है	क्या अधिकार विलेख धारक एक प्रोमोटर/निदेशक आदि है (हां/नहीं)	तिथि/माह/वर्ष जब से सम्पत्ति धारित है	कम्पनी के नाम पर न होने का कारण
1	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	15.07	छत्तीसगढ़ सरकार	नहीं	01-03-2013	संबंधित अधिकारियों के साथ मामला उठाया गया
2	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	16.80	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट	नहीं	07-05-2014	पंजीकरण लंबित है
3	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	11.97	विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	27-07-2004	पंजीकरण लंबित है
4	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	0.91	जम्मू और कश्मीर सरकार	नहीं	05-07-1968	पंजीकरण लंबित है
5	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.13	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड	नहीं	25-02-1970	पंजीकरण लंबित है
6	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	0.67	कानपुर विकास प्राधिकरण	नहीं	1986	पंजीकरण लंबित है
7	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.06	दक्षिणी रेलवे	नहीं	31.03.1984	पंजीकरण लंबित है
8	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	23.04	कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण	नहीं	09.10.2009	पंजीकरण लंबित है
9	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भवन	0.28	अशोक शंकर भटनागर (एच.यू.एफ.)	नहीं	01.08.2019	पंजीकरण लंबित है
10	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	0.20	मेकॉन लिमिटेड	नहीं	1979-1980	मेकॉन लिमिटेड द्वारा आयोजित (1978 के अधिनियम संख्या 16 के अनुसार)
11	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.01	एशियन रिफ्रैक्टरीज	नहीं	05-04-1963	बिहार सरकार के उद्योग विभाग की ओर से पुनर्वास
12	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.12	असम सिलिमिनाइट्स एंड भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड	नहीं	11-02-1976 और 30-04-1978	उद्योग विभाग की ओर से पुनर्वास
13	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.13	इंडिया फायरब्रिक्स एंड इंसुलेशन कंपनी लिमिटेड	नहीं	15-09-1960	उद्योग विभाग की ओर से पुनर्वास
14	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.10	राज्य सरकार	नहीं	सितंबर'1958	अधिकारों के अभिलेख (आरओआर) की प्राप्ति लंबित है
15	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	147.81	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यू.पी.एस. आई.डी.सी.)	नहीं	01-02-2009	यूपीएसआईडीसी, यूपी के साथ मुकदमा चल रहा है
16	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे की भूमि	3.28	ओडिशा सरकार	नहीं	01-10-1959	ओडिशा सरकार के साथ पट्टा समझौते पूर्ण नहीं हुआ है
17	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	126.24	झारखंड राज्य सरकार	नहीं	1960 से	झारखंड सरकार और सेल/बोकारो स्टील प्लांट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की औपचारिकताएं लंबित हैं

31 मार्च, 2023 को

क्र. सं.	बैलेंसशीट में लाइन आइटम	सम्पत्ति की प्रकृति	सकल मूल्य (₹ करोड़)	जिसके नाम अधिकार विलेख है	क्या अधिकार विलेख धारक एक प्रोमोटर/निदेशक आदि है (हां/नहीं)	तिथि/माह/वर्ष जब से सम्पत्ति धारित है	कम्पनी के नाम पर न होने का कारण
18	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	10.29	विभिन्न पक्ष	नहीं	1986 से 2008	नामांतरण लंबित है
19	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.09	विभिन्न पक्ष	नहीं	1954-1974	नामांतरण लंबित है
20	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.96	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	1963	पंजीकरण लंबित है
21	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	7.56	राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए अधिकार विलेख निष्पादित नहीं किया गया	नहीं	1972 से 1980	भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी

48.2 (क) सीडब्ल्यूआईपी एजिंग अनुसूची

बैलेंस शीट में प्रारंभिक मान्यता से 31 मार्च, 2024 तक सीडब्ल्यूआईपी की राशि

(₹ करोड़)

क्र. सं.	सीडबल्युआईपी	0-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक	कुल
1	चल रही परियोजनाएँ	1786.66	872.23	641.73	2795.28	6095.90
2	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	67.37	8.73	2.25	440.80	519.15
	सकल सीडब्ल्युआईपी	**1854.03**	**880.96**	**643.98**	**3236.08**	**6615.05**
					घटा: प्रावधान	**474.48**
					कुल	**6140.57**

बैलेंस शीट में प्रारंभिक मान्यता से 31 मार्च, 2023 तक सीडब्ल्यूआईपी की राशि (₹ करोड़)

क्र. सं.	सीडब्ल्युआईपी	0-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक	कुल
1	चल रही परियोजनाएँ	1419.38	552.79	450.91	2464.40	4887.48
2	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	11.00	15.70	26.59	358.06	411.35
	सकल सीडब्ल्युआईपी	**1430.38**	**568.49**	**477.50**	**2822.46**	**5298.83**
					घटा: प्रावधान	**407.47**
					कुल	**4891.36**

(ख) लंबित परियोजनाओं के लिए सीडब्ल्यूआईपी पूर्ण होने का शेड्यूल

31 मार्च, 2024 को

(₹ करोड़)

क्र. सं.	सीडब्ल्युआईपी	पूर्ण होने का समय			
		0-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक
	चालू परियोजनाएँ				
1	11 केवी स्विच बोर्ड–पीएमडी के लिए मृदा सर्वेक्षण और मानचित्रण	0.19	-	-	-
2	बीएफ–4 के एसजीपी के लिए संरचना की बहाली	4.01	-	-	-
3	ब्लास्ट फर्नेस 4 में चौथे स्टोव की स्थापना	33.42	-	-	-
4	एमओईएफसीसी–मेकॉन से ईसी के लिए परामर्श सेवाएँ	1.11	-	-	-
5	सीओसीसी में नमक हैंडलिंग का पुनर्निर्माण	4.08	-	-	-
6	रेलवे रोलिंग स्टॉक की खरीद–जीपीडब्ल्यूआईएस	2.06	-	-	-
7	डीएसपी में तीसरे बीएफ गैस फ्लेयर की स्थापना	8.31	-	-	-
8	बीएफ के एसजीपी में रिकवरी पिट वाटर का पुनःपरिसंचरण	2.03	-	-	-
9	आपातकालीन जल टैंक का संशोधन	2.32	-	-	-
10	सीओसीसी में कूलिंग टॉवर का पुनरुद्धार	3.66	-	-	-
11	पावर प्लांट में 2 अतिरिक्त दबाव पीआरडीयू की स्थापना	1.82	-	-	-
12	एनएलसीपी का स्टैक उत्सर्जन नियंत्रण	3.80	-	-	-



48.2 (ख) (जारी है...)

क्र. सं.	सीडब्ल्युआईपी	पूर्ण होने का समय			
		0-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक
13	पावर प्लांट में 1 टर्बो ब्लोअर की खरीद	12.77	-	-	-
14	ऑक्सीजन प्लांट में पावर वृद्धि योजना	37.05	-	-	-
15	सीओसीसी में पारंपरिक खराद मशीन	0.34	-	-	-
16	दुर्गापुर स्टील प्लांट और एएसपी का डिजिटल मानचित्र	0.00	-	-	-
17	डब्ल्यूएपी में एनडीटी सुविधा	47.71	-	-	-
18	पीएमडी का 11 केवी वीसीबी आधारित स्विचबोर्ड	10.32	-	-	-
19	इस्पात भवन परिसर में इमारतों की फेस–लिफ्टिंग	0.39	-	-	-
20	मुख्य अस्पताल में नवीनीकरण और संशोधन कार्य	5.47	-	-	-
21	25 टन ईओटी क्रेन सिंटर फैन हाउस एसपी 1 का प्रतिस्थापन	1.11	-	-	-
22	डीएसपी के मुख्य अस्पताल में 5 लिफ्ट/एलेवेटर	0.01	-	-	-
23	फायर डिटेक्शन, अलार्म, दमन प्रणाली पीएमडी	3.78	-	-	-
24	उन्नयन मिल स्टैंड मोटर पीएलसी– मर्चेंट मिल	1.98	-	-	-
25	बीओएफ लैब के लिए सहायक उपकरण के साथ ओएनएच विश्लेषक	0.71	-	-	-
26	सेल नंबर 2, 3–1.8 एमटी पीसीआईडी का पुनरुद्धार। कूलिंग टॉवर	2.58	-	-	-
27	बैडमिंटन प्रैक्टिस हॉल	3.36	-	-	-
28	डीएसपी टाउनशिप में नाली का पुनर्निर्माण	2.92	-	-	-
29	कैट–3 और उससे ऊपर के घरों का पुनर्निर्माण	25.39	-	-	-
30	टाउनशिप में कैट–1 के घरों का पुनर्निर्माण	20.38	-	-	-
31	टाउनशिप में कैट–2 के घरों का पुनर्निर्माण	22.99	-	-	-
32	संपर्क रहित बायोमेट्रिक सिस्टम	2.68	-	-	-
33	प्राथमिक और द्वितीयक स्क्रीन का प्रतिस्थापन – आरएमएचपी	1.27	-	-	-
34	बंकरों में लाइनर और एयर ब्लास्टर का प्रतिस्थापन	2.64	-	-	-
35	पीएफआर और डीएफआर की तैयारी के लिए सलाहकार	0.90	-	-	-
36	ओपन गैंट्री सीई के लिए स्ट्रक्चरल शेड का निर्माण	1.29	-	-	-
37	डीएसपी टाउनशिप में मुख्य सड़कों का पुनर्निर्माण	0.06	-	-	-
38	प्रोजेक्ट बिल्डिंग में बुनियादी ढांचे का विकास	0.00	-	-	-
39	पर्यावरण मंजूरी में संशोधन के लिए परामर्श	0.29	-	-	-
40	सीएनसी सीमेंस 802 डीएसएल एनसी नियंत्रक का उन्नयन	0.17	-	-	-
41	डब्लूआरएस की पुरानी खाड़ी में स्ट्रक्चरल शेड का विस्तार	1.62	-	-	-
42	एमएसएम का तकनीकी–व्यावसायिक मूल्यांकन	1.95	-	-	-
43	इलेक्ट्रो स्लैग रीमेल्टिंग यूनिट	3.07	-	-	-
44	ओटिस एलिवेटर	0.43	-	-	-
45	बॉन्ड वर्क इंडेक्स (बीडब्ल्यूआई) मापने वाली बॉल मिल	0.10	-	-	-
46	डिप टाइप तापमान माप, हॉट मेटल तापमान के लिए सिस्टम	0.03	-	-	-
47	इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग और दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (ईडीडीएमएस)	0.58			
48	एमटीआई में स्विमिंग पूल का निर्माण	0.82	0.00		
49	फ्लाईओवर का निर्माण	37.17			
50	बीओएफ और सीसीपी क्षेत्र (ई 031) के लिए माल ढुलाई एवं यात्री लिफ्ट	1.73			
51	एसआरयू बीआरपी में वर्टिकल ग्राइंडर जीबीएस 30	0.40			
52	एसआरयू आईएफआईसीओ में डी–डस्टिंग सिस्टम– एयरकॉन सिस्टम	0.96			
53	एसआरयू आईएफआईसीओ में नया शेड	0.70			
54	आरआरपी में इनवर्ड रोड	0.10			
55	जीसी शॉप नॉर्थ बेस की फ़्लोरिंग		0.37		

48.2 (ख) (जारी है...)

क्र. सं.	सीडब्ल्युआईपी	पूर्ण होने का समय			
		0-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक
	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-
1	एसपीएनओ 3 की स्थापना–सर्वेक्षण कार्य	-	-	-	0.01
2	डब्ल्यूआईपी–संशोधन 200टी टीमिंग क्रेन–ब्लूम कास्टर	-	-	-	2.82
3	रेलवे को 2 प्रतिशत कोडल शुल्क का जमा करना	-	-	-	4.99
4	रोजगार को सक्षम बनाना–रोलिंग मिल्स–3.0 एमटी विस्तार	-	-	-	6.66
5	डीएसपी का 3 एमटी विस्तार–सर्वेक्षण कार्य	-	-	-	0.10
6	डीएसपी/जियोटेक्निक का 3 एमटी विस्तार, जांच कार्य	-	-	-	0.20
7	बिजली आपूर्ति का निर्माण– 3.0 एमटी विस्तार	-	-	-	5.27
8	डीएसपी में रेलवे/यातायात अवसंरचना सुविधाओं का उन्नयन	-	-	-	2.25
9	विस्तार योजना–मेकॉन के लिए परामर्श सेवा	-	-	-	24.34
10	नया सिंटर प्लांट–III – निराकरण कार्य	-	-	-	4.05
11	अवसंरचना सुविधाएं – विस्तार	-	-	-	1.04
12	रीसर्किल जल आपूर्ति प्रणाली रिम स्प्रे क्वेंच डब्ल्यूएपी	-	-	-	0.42
13	डीएसपी के डब्ल्यूएंडए में रेलवे पहियों के लिए डायनामिक बैलेंसिंग मशीन	2.45	-	-	-
14	डायनेमिक व्हील बैलेंसिंग के लिए व्हील हैंडलिंग सिस्टम	0.69	-	-	-
15	डीएसपी टाउन में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति लाइनें	6.36	-	-	-
16	गांधी मोड़ पर सर्विस नाले का निर्माण	0.04	-	-	-
17	रोड ओवरब्रिज का निर्माण				6.17
18	एसएमएस में नाइट्रोजन गैस पंपिंग				0.56
19	रिफ्रेक्टरी स्टोर का स्थानांतरण				1.29
20	पीबीएस 2 से सीओबी 8 और 10 तक पाइपलाइन				11.63
21	सीवेज उपचार संयंत्र				2.42
22	दक्षिण यार्ड में 2 नंबर 150 टी वेब्रिज की स्थापना				0.31
23	टाउनशिप में बिजली आपूर्ति का विस्तार				0.52
24	फर्नेस की स्थापना				0.82

विलंबित परियोजनाओं के लिए सीडब्ल्युआईपी पूर्णता अनुसूची
31 मार्च, 2023 को

(₹ करोड़)

क्र. सं.	सीडब्ल्युआईपी	पूर्ण होने का समय			
		0-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक
	चालू परियोजनाएँ				
1	सीईएम में प्लेट बेंडिंग मशीन का प्रतिस्थापन	1.21	-	-	-
2	बीएफ–4 के एसजीपी के लिए संरचना की बहाली	3.37	-	-	-
3	ब्लास्ट फर्नेस 4 में चौथे स्टोव की स्थापना	24.85	-	-	-
4	सीओसीसी में नमक हैंडलिंग का पुनर्निर्माण	2.63	-	-	-
5	रेलवे रोलिंग स्टॉक की खरीद – जीपीडब्ल्यूआईएस	1.79	-	-	-
6	डीएसपी में तीसरे बीएफ गैस फ्लेयर की स्थापना	5.79	-	-	-
7	कोक ओवन में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का कार्यान्वयन	3.15	-	-	-
8	बीएफ के एसजीपी में रिकवरी पिट वाटर का पुनःपरिसंचरण	1.63	-	-	-
9	आपातकालीन जल टैंक का संशोधन	1.76	-	-	-
10	सब–स्टेशन के 11 केवी स्विचबोर्ड का प्रतिस्थापन	5.92	-	-	-



48.2 (ख) (जारी है...)

क्र. सं.	सीडब्ल्युआईपी	पूर्ण होने का समय			
		0-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक
11	पावर में 2 अतिरिक्त प्रेशर पीआरडीयू की स्थापना	1.42			
12	कोक ओवन 2 में इलेक्ट्रिक लोको का प्रतिस्थापन	5.59			
13	भूमि रिकॉर्ड सूचना प्रणाली की स्थापना	0.38			
14	सीओसीसी में एएसपी गैस बूस्टर की स्थापना	1.01			
15	एनएलसीपी का स्टैक उत्सर्जन नियंत्रण	2.95			
16	बीओएफ में शीतलन जल पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन	0.02			
17	बीओएफ में स्टेक उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली का उन्नयन	2.87			
18	रोलिंग मिलों में एक नए गैस बूस्टर की स्थापना	9.80			
19	सीओसीसी में कन्वेयर नियंत्रण की स्वचालन प्रणाली	6.80			
20	पावर प्लांट में रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट की स्थापना	6.21			
21	1 नंबर पावर प्लांट में टर्बो ब्लोअर की खरीद	0.01			
22	दुर्गापुर स्टील प्लांट और एएसपी का डिजिटल मानचित्र	0.00			
23	प्रक्रिया नियंत्रण के लिए अपग्रेडेशन–पीएलसी–सिंटर प्लांट 1	0.59			
24	आपातकालीन पावर बैकअप – लोड लिफ्टिंग मैग्नेट सीसीपी	0.89			
25	बिलेट कास्टर में टंडिश कार वजन प्रणाली	0.27			
26	रिप्लेसमेंट 25 टन ईओटी क्रेन सिंटर फैन हाउस एसपी1	0.15			
27	एचटी–13 सबस्टेशन पीएमडी में 3.3 केवी स्विचबोर्ड का विस्तार	0.77			
28	एम एंड एचएस के लिए 1 पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन	0.00			
29	इलेक्ट्रो स्लैग रीमेल्टिंग यूनिट	1.57	-	-	-
30	पोर्टेबल ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर	0.41	-	-	-
31	एंटरप्राइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम	0.47	-	-	-
32	वैक्यूम एआरसी डिगैसिंग यूनिट	1.50	-	-	-
33	हाइड्रोजन एटमॉस्फियर एनीलिंग फर्नेस	2.78			
34	इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (ईडीडीएमएस)	0.58			
35	एसआरयू आरआरआरपी में हैवी मोल्ड हैंडलिंग सिस्टम	2.32	-	-	-
36	एसआरयू भिलाई में डी–डस्टिंग सिस्टम	1.24			
37	एसआरयू भंडारीदाह में आरएम शेड	0.62			
38	एसआरयू आईएफआईसीओ में पीजीपी	1.93			
39	अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण – ऑक्सीजन प्लांट (3094)	11.35			
40	फ्लाईओवर का निर्माण (एम 250)	29.50			
41	अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण – बीओएफ/बीएफ (3095)	11.30			
42	लिफ्ट (ई 031)	1.73			
43	हाइड्रोलिक प्रयोगशाला (एम 043)	1.77			
44	रोटरी हर्थ फर्नेस प्रौद्योगिकी का विकास	1.48			

48.2 (ख) (जारी है...)

क्र. सं.	सीडब्ल्युआईपी	पूर्ण होने का समय			
		0-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक
	परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित				
1	इंस्ट्यूट ऑफ एसपीएनओ 3–सर्वेक्षण कार्य		-	-	0.01
2	डब्ल्यूआईपी–संशोधन 200टी टाइमिंग क्रेन–ब्लूम कास्टर		-	-	2.82
3	रेलवे को 2 प्रतिशत कोडल फीस जमा करना		-	-	4.99
4	रोजगार को सक्षम बनाना–रोलिंग मिल्स–3.0 मीट्रिक टन विस्तार				6.66
5	डीएसपी का 3 मीट्रिक टन विस्तार–सर्वेक्षण कार्य।				0.10
6	डीएसपी/जियोटेक्नोलॉजी 3 मीट्रिक टन विस्तार– जांच कार्य				0.20
7	बिजली आपूर्ति का निर्माण– 3.0 मीट्रिक टन विस्तार				5.27
8	डीएसपी में रेलवे/यातायात अवसंरचना सुविधाओं का उन्नयन				2.25
9	विस्तार योजना–मेकॉन के लिए परामर्श सेवा				24.34
10	नया सिंटर प्लांट–III – समापन कार्य				4.05
11	अवसंरचना सुविधाएं – विस्तार				1.04
12	रीसर्किल जल आपूर्ति प्रणाली रिम स्प्रे क्वेंच डब्ल्यूएपी				0.42
13	रेलवे पहियों के लिए डायनामिक संतुलन मशीन	2.45			
14	डायनामिक पहिया संतुलन के लिए पहिया हैंडलिंग प्रणाली	0.66			
15	डीएसपी टाउन में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति लाइनें	6.36			
16	एम139		-	-	6.17
17	2009		-	-	0.56
18	एम024		-	-	1.29
19	2848				11.63
20	एम104				2.42
21	1367				0.31
22	1368				0.05
23	1318				0.52
24	अन्य				1.28

48.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि (जैसा कि नोट संख्या 30 व्यापार देयताओं में बताया गया है) का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई सीमा तक किया गया है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
i.	वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई मूल राशि।	**498.06**	448.62
ii.	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की राशि जिसका भुगतान वर्ष के अंत में नहीं किया गया।	-	-
iii.	धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से, लघु उद्यमों को उपरोक्त ब्याज देय राशि का वास्तव में भुगतान किए जाने की तिथि तक, अगले वर्ष में भी बकाया और देय ब्याज की राशि।	-	-
iv.	वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को बकाया ब्याज।	-	-
		समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2024 को	**31 मार्च, 2023 को**
v.	धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
vi.	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान की गई है) लेकिन अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को नहीं जोड़ा गया है।	-	-



48.4 (क) व्यापार देय एजिंग शेड्यूल

(₹ करोड़)

भुगतान की अंतिम तिथि से 31 मार्च 2024 तक बकाया								
क्र. सं.	विवरण	बिल नहीं किए गए देय	जो देय नहीं हैं	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
1	एमएसएमई – विवादित	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69
2	एमएसएमई – अविवादित	186.56	302.81	0.00	0.00	0.00	0.00	489.37
	उप-योग - क	**186.56**	**311.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**498.06**
3	अन्य – विवादित	3.68	140.41	8.15	1.82	3.57	52.26	209.89
4	अन्य – अविवादित	1536.23	1582.97	10939.32	163.13	115.86	286.93	14624.44
	उप-योग - ख	**1539.91**	**1723.38**	**10947.47**	**164.95**	**119.43**	**339.19**	**14834.33**
	कुल योग (क+ख)	**1726.47**	**2034.88**	**10947.47**	**164.95**	**119.43**	**339.19**	**15332.39**

(₹ करोड़)

भुगतान की अंतिम तिथि से 31 मार्च 2023 तक बकाया								
क्र. सं.	विवरण	बिल नहीं किए गए देय	जो देय नहीं हैं	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
1	एमएसएमई – विवादित	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68
2	एमएसएमई – अविवादित	139.27	298.67	0.00	0.00	0.00	0.00	437.94
	उप-योग - क	**139.27**	**309.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**448.62**
3	अन्य – विवादित	3.52	129.18	0.78	0.27	0.29	44.06	178.10
4	अन्य – अविवादित	1476.11	1645.65	9900.21	330.47	25.88	333.85	13712.16
	उप-योग - ख	**1479.63**	**1774.83**	**9900.99**	**330.74**	**26.17**	**377.91**	**13890.25**
	कुल योग (क+ख)	**1618.90**	**2084.18**	**9900.99**	**330.74**	**26.17**	**377.91**	**14338.88**

(ख) अपेक्षित ऋण हानियाँ

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानियाँ प्रदान करती है:
कंपनी सरलीकृत उपागम का उपयोग करके व्यापार प्राप्तियों पर आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों को पहचानती है और व्यापार प्राप्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रासंगिक हानि प्रतिशत की गणना करने के लिए ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग करती है:

व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2024 तक व्यापार प्राप्य की आयु									
विवरण	बिल नहीं किए गए देय	जो देय नहीं हैं	0-3 माह	3-6 माह	6-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक	कुल
सकल वहन राशि									
(क) चालू:									
निर्विवाद–अच्छा माना जाता है	1575.46	4292.50	2134.58	138.95	91.52	33.31	24.07	18.31	8308.70
विवादित – अच्छा	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	1575.46	**4292.50**	**2134.59**	**138.96**	**91.52**	**33.31**	**24.07**	**18.31**	**8308.72**
निर्विवाद – खराब ऋण	0.00	0.00	25.73	1.24	1.25	0.29	0.09	204.04	232.64
विवादित – खराब ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.66	42.66
	0.00	**0.00**	**25.73**	**1.24**	**1.25**	**0.29**	**0.09**	**246.70**	**275.30**
कुल चालू	**1575.46**	**4292.50**	**2160.32**	**140.20**	**92.77**	**33.60**	**24.16**	**265.01**	**8584.02**
(ख) गैर-चालू:									
निर्विवाद – अच्छा माना गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विवादित – अच्छा माना गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
निर्विवाद – खराब ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विवादित – खराब ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.59	132.59
कुल गैर-चालू:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132.59**	**132.59**
कुल योग	**1575.46**	**4292.50**	**2160.32**	**140.20**	**92.77**	**33.60**	**24.16**	**397.60**	**8716.61**
अनुमानित हानि (%)			1.19%	0.88%	1.35%	0.86%	0.37%	95.39%	4.68%
क्रेडिट हानि भत्ता	0.00	0.00	25.73	1.24	1.25	0.29	0.09	379.29	407.89
शुद्ध वहन मूल्य	**1575.46**	**4292.50**	**2134.59**	**138.96**	**91.52**	**33.31**	**24.07**	**18.31**	**8308.72**

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2023 तक व्यापार प्राप्य की आयु									
विवरण	बिल नहीं किए गए देय	जो देय नहीं हैं	0-3 माह	3-6 माह	6-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक	कुल
सकल वहन राशि									
(क) चालू:									
अविवादित – अच्छा माना गया	0.00	4040.12	702.98	338.26	166.52	51.85	45.06	17.66	5362.44
विवादित – अच्छा माना गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04
	0.00	**4040.12**	**702.98**	**338.26**	**166.52**	**51.89**	**45.06**	**17.66**	**5362.48**
निर्विवाद – खराब ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.15	265.15
विवादित – खराब ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.15	46.15
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.29	311.29
कुल चालू	**0.00**	**4040.12**	**702.98**	**338.26**	**166.52**	**51.89**	**45.06**	**328.95**	**5673.77**
(ख) गैर-चालू:									
अविवादित – अच्छा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विवादित – अच्छा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निर्विवाद – खराब ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विवादित – खराब ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83	7.83
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83	7.83
कुल गैर-चालू	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7.83**	**7.83**
सकल योग	**0.00**	**4040.12**	**702.98**	**338.26**	**166.52**	**51.89**	**45.06**	**336.78**	**5681.60**
अनुमानित हानि (प्रतिशत)	-	-	-	-	-	-	-	94.76	5.62
क्रेडिट हानि भत्ता	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**319.12**	**319.12**
शुद्ध वहन मूल्य	**0.00**	**4040.12**	**702.98**	**338.26**	**166.52**	**51.89**	**45.06**	**17.66**	**5362.48**

अनुमानित क्रेडिट हानि भत्ते का मिलान

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	राशि
	31 मार्च, 2022 को	**268.44**
	भत्ते में परिवर्तन	50.68
	31 मार्च, 2023 को	**319.12**
	भत्ते में परिवर्तन	88.77
	31 मार्च, 2024 को	**407.89**

48.5 कुछ व्यापारिक प्राप्तियों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य भुगतानों की शेष राशि पुष्टि/मिलान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। मिलान निरंतर आधार पर किए जाते हैं। जहाँ भी आवश्यक समझा गया, प्रावधान किए गए हैं। हालाँकि, प्रबंधन को ऐसी लंबित पुष्टि/मिलान से कोई भौतिक वित्तीय प्रभाव होने की उम्मीद नहीं है।

49.1 भारतीय लेखा मानक 115–ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व के अनुसार, 18052.27 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष+ 18071.67 करोड़ रुपये) की जीएसटी राशि परिचालन से प्राप्त राजस्व में शामिल नहीं है।

49.2 **(क)** कुछ सरकारी एजेंसियों के साथ बिक्री की शर्तों के अनुसार, इन एजेंसियों को चालान अनंतिम कीमतों पर किया जाता है, जब तक कि अंतिम मूल्य पर बाद में सहमति नहीं हो जाती। उपर्युक्त अनंतिम कीमतों के आधार पर मान्यता प्राप्त राजस्व निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 तक संचयी	31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 तक संचयी
3826.88**	11162.37#**	25661.61*#**	2305.64	8688.65*	29182.75*

*इसमें 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी अनंतिम रेल कीमतों में संशोधन के कारण ₹ 489.32 करोड़ की राशि शामिल है।

**इसमें 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी अनंतिम रेल कीमतों में ऊपर की ओर संशोधन के कारण ₹1714.03 करोड़ की राशि और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए रेल कीमतों के लिए संयुक्त मूल्य निर्धारण समिति (जेपीसी) की सिफारिश के अनुसार प्रदान किए गए ₹185.16 करोड़ की राशि शामिल है, जो रेलवे बोर्ड के अनुमोदन के लिए लंबित है।

इसमें वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार (लागत) के कार्यालय की 26 अक्टूबर, 2023 की सिफारिश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए रेल मूल्य संशोधन के लिए 30 सितंबर, 2023 को समाप्त दूसरी तिमाही के दौरान मान्यता प्राप्त ₹1749.30 करोड़ शामिल हैं।



49.3 लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी को अधिशासी कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का 30 प्रतिशत तक योगदान करना आवश्यक है, जिसमें अंशदायी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ शामिल हो सकते हैं। तदनुसार कंपनी ने अधिशासी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2007 से वेतन का 9 प्रतिशत और 1 अप्रैल, 2015 से वेतन का 3 प्रतिशत पेंशन लाभ का प्रावधान किया है। इसके अलावा, गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2012 से वेतन का 6 प्रतिशत और 1 अप्रैल, 2015 से वेतन का 2 प्रतिशत पेंशन लाभ प्रदान किया गया है। वेतन संशोधन के बाद, गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ 1 जनवरी, 2021 से वेतन का 9 प्रतिशत प्रदान किया गया है।

पेंशन योजना को 9 फरवरी, 2017 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में इस संशोधन के साथ मंजूरी दी गई थी कि वित्तीय वर्ष 2015–16 और उसके बाद से पेंशन में योगदान को औसत नेट–वर्थ में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) के प्रतिशत के रूप में मापा जाएगा। यदि औसत नेट–वर्थ में पीबीटी का प्रतिशत 8 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो पेंशन योगदान की राशि अधिकारियों के लिए मूल वेतन जमा डीए के 9 प्रतिशत और गैर–कार्यकारी के लिए मूल वेतन जमा डीए के 6 प्रतिशत तक सीमित होगी (1 नवंबर, 2021 से 9 प्रतिशत), अन्यथा पेंशन के लिए योगदान की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। हालांकि, वित्तीय वर्ष के दौरान नुकसान के मामले में भी कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए मूल वेतन जमा डीए के क्रमशः 3 प्रतिशत और 2 प्रतिशत (1 नवंबर, 2021 से 3 प्रतिशत) की दर से न्यूनतम पेंशन योगदान रखा जाएगा। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान सभी कर्मचारियों के लिए 9 प्रतिशत की दर से पेंशन का प्रावधान किया गया है।

कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए संचयी देयता, ₹ 714.00 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹ 597.12 करोड़) और ₹ 61.03 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹ 3.50 करोड़) क्रमशः 'कर्मचारी लाभ व्यय' और 'निर्माण के दौरान व्यय' पर प्रभारित की गई है। वर्ष के दौरान पेंशन फंड में ₹ 630.99 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ₹ 77.82 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है और पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारियों द्वारा ₹ शून्य करोड़ की राशि जमा की गई है। 49.4 लाभ–हानि विवरण में लगाए गए अनुसंधान एवं विकास व्यय तथा वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों/पूंजीगत चालू कार्य (शुद्ध) को आवंटित राशि क्रमशः ₹ 239.47 करोड़ (पिछले वर्ष के दौरान ₹ 397.60 करोड़) तथा ₹ 67.61 करोड़ (पिछले वर्ष के दौरान ₹ 32.88 करोड़) है। अनुसंधान एवं विकास पर किए गए राजस्व व्यय की कुल राशि संबंधित लेखा शीर्ष में दर्शाई गई है। राशि का विवरण इस प्रकार है:

49.4 लाभ–हानि विवरण में प्रभारित किए गए अनुसंधान एवं विकास व्यय तथा वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्य (शुद्ध) को आवंटित राशि क्रमशः ₹ 239.47 करोड़ (पिछले वर्ष के दौरान ₹ 397.60 करोड़) तथा ₹ 67.61 करोड़ (पिछले वर्ष के दौरान ₹ 32.88 करोड़) है। अनुसंधान एवं विकास पर व्यय किए गए राजस्व की कुल राशि संबंधित लेखा शीर्ष में दर्शाई गई है। राशि का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़)

लेखा मद	समाप्त होने वाला वर्ष	
	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
कच्चा माल	**75.72**	217.91
कर्मचारी लाभ व्यय	**80.49**	88.79
भंडार और स्पेयर पार्ट्स की खपत	**6.10**	7.04
बिजली और ईंधन	**6.94**	16.30
मरम्मत और रखरखाव	**5.06**	6.56
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**8.22**	11.63
अन्य व्यय	**55.30**	45.40
वित्त लागत	**1.64**	3.97
कुल	**239.47**	397.60

49.5 कंपनी एक पूरे संयंत्र की परिसंपत्तियों को नकदी उत्पादक इकाई (सीजीयू) मानती है। कंपनी आंतरिक रूप से समीक्षा करती है कि क्या ऐसे कोई संकेतक हैं कि सीजीयू की परिसंपत्तियों की वहन राशि में प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि को हानि हो सकती है। यदि ऐसे कोई संकेतक मौजूद हैं, तो परिसंपत्ति वसूली योग्य राशि का अनुमान शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य में से अधिक में लगाया जाता है। उपयोग में मूल्य किसी परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग और उसके उपयोगी जीवन के अंत में उसके निपटान से उत्पन्न होने वाले अनुमानित भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर आधारित है। जब भी किसी सीजीयू की परिसंपत्तियों की वहन राशि परिसंपत्ति वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो एक हानि को मान्यता दी जाती है। आंतरिक मूल्यांकन के अलावा, कंपनी एक स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा सीजीयू की परिसंपत्तियों का शुद्ध बिक्री मूल्य भी निर्धारित करती है, जिसमें ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है।

रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी द्वारा अपने विभिन्न सीजीयू में किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, कोई हानि प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रकटीकरण

49.6 **(क)** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को वर्ष 2023–24 के लिए ₹158.75 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 157.95 करोड़) खर्च करने की आवश्यकता है। कंपनी ने वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर ₹ 161.93 करोड़ (पिछले वर्ष के दौरान ₹162.46 करोड़) का व्यय निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया है: –

(₹ करोड़)

विवरण	समाप्त होने वाला वर्ष	
	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
शिक्षा	**43.98**	30.41
स्वास्थ्य सेवा	**26.40**	30.31
आजीविका सृजन	**13.63**	12.18
महिला सशक्तिकरण	**3.76**	3.56
पेयजल	**2.41**	4.50
स्वच्छता	**2.40**	5.39
खेल	**30.69**	15.03
कला और संस्कृति	**2.20**	11.92
ग्रामीण विकास	**22.75**	15.06
सामाजिक सुरक्षा	**4.72**	6.57
पर्यावरण स्थिरता	**6.10**	21.10
आपदा राहत	**-**	0.24
परियोजना पहचान और निगरानी	**1.01**	0.09
कार्मिकों का क्षमता निर्माण	**1.90**	6.11
कुल	**161.93**	162.46

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रशासनिक ओवरहेड्स के रूप में ₹1.90 करोड़ की राशि दर्ज की है (पिछले वर्ष के दौरान ₹ 6.11 करोड़)।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान संपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण पर ₹ 11.87 करोड़ की राशि खर्च की है (पिछले वर्ष के दौरान ₹ 6.74 करोड़)।

(घ) ₹ 161.93 करोड़ (पिछले वर्ष– ₹ 162.46 करोड़) में से, ₹ 78.26 करोड़ (पिछले वर्ष– ₹ 51.73 करोड़) की राशि 'अव्ययित सीएसआर बैंक खाते' में स्थानांतरित कर दी गई है। इसके लिए देयता को नोट संख्या 31 के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जिसमें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत व्यय दर्ज किया गया है:

(₹ करोड़)

विवरण	2022-23 के दौरान अव्ययित सीएसआर			2023-24 के दौरान अव्ययित सीएसआर
	1 अप्रैल 2023	2023-24 के दौरान खर्च	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024
शिक्षा	3.41	1.89	1.52	10.24
स्वास्थ्य सेवा	10.89	4.28	6.62	15.20
आजीविका सृजन	1.58	0.86	0.72	2.76
महिला सशक्तिकरण	1.64	0.85	0.79	1.59
पेयजल	2.18	1.19	0.99	1.77
स्वच्छता	1.08	0.57	0.51	1.70
खेल	6.39	1.98	4.41	21.16
कला और संस्कृति	0.44	0.32	0.12	0.90
ग्रामीण विकास	4.76	2.97	1.79	16.14
सामाजिक सुरक्षा	3.04	1.36	1.68	2.95
पर्यावरण स्थिरता	16.26	3.55	12.71	3.43
परियोजना पहचान और निगरानी	0.04	0.01	0.03	0.44
कुल	**51.73**	**19.83**	**31.90**	**78.26**



(ङ) उपर्युक्त बिंदु संख्या (घ) के संबंध में खोले गए अव्ययित सीएसआर बैंक खाते का विवरण:

(₹ करोड़)

क्रम	वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल 2023 को	2023-24 के दौरान खर्च	31 मार्च 2024
1.	वित्त वर्ष 2022-23	51.73	19.84	34.32*
2.	वित्त वर्ष 2023-24	-	-	78.26**

* अंतिम शेष में 2.42 करोड़ रुपये अर्जित ब्याज शामिल है (पिछले वर्ष: शून्य करोड़ रुपये)

** वित्त वर्ष 2024–25 में नया खाता खोला जाएगा

49.7 सामान्य वित्तीय नियम 238(5) और (6) के अनुपालन में, पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात मंत्रालय से प्राप्त अनुदान और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए इसके उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

वर्ष	केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान	उपयोग किया गया अनुदान (प्रारंभिक शेष और चालू वर्ष से)
2023-24	0.00	0.00
2022-23	0.00	0.39
2021-22	0.00	0.26

49.8 'पट्टों' के संबंध में भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 116 के अनुसार जानकारी:

(I) कंपनी के पास भूमि, कार्यालय भवन, संयंत्र और उपकरण, गोदाम और संबंधित सुविधाएं और वाहन हैं। अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों के अपवाद के साथ, प्रत्येक पट्टे को बैलेंस शीट पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टा देयता के रूप में दर्शाया जाता है। परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें पट्टा देयता और उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के प्रारंभिक माप से बाहर रखा जाता है। कंपनी अपनी उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुरूप वर्गीकृत करती है।

प्रत्येक पट्टे में आम तौर पर एक प्रतिबंध लगाया जाता है कि, जब तक कि कंपनी के पास किसी अन्य पक्ष को परिसंपत्ति को उप–पट्टे पर देने का संविदात्मक अधिकार न हो, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का उपयोग केवल कंपनी द्वारा ही किया जा सकता है। कुछ पट्टों में आगे की अवधि के लिए बढ़ाने का विकल्प होता है। कंपनी को अंतर्निहित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को सुरक्षा के रूप में बेचने या गिरवी रखने से प्रतिबंधित किया गया है। कार्यालय भवनों और अन्य परिसरों पर पट्टे के लिए कंपनी को उन संपत्तियों को अच्छी स्थिति में रखना होगा और पट्टे की समाप्ति पर संपत्तियों को उनकी मूल स्थिति में वापस करना होगा। इसके अलावा, कंपनी को पट्टे के अनुबंधों के अनुसार रखरखाव शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

उपयोग के अधिकार वाली सम्पत्तियां

नीचे उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि (नोट 4क देखें) तथा अवधि के दौरान उनकी गतिविधियां दर्शाई गई हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	पट्टे पर	संयंत्र और उपकरण	वाहन	भवन	उपयोग के अधिकार वाली सम्पत्तियों का कुल योग
1 अप्रैल, 2023 तक	730.60	4171.35	3.10	5.19	4910.23
अतिरिक्त / निपटान	90.90	960.96	7.46	0.26	1059.58
मूल्यह्रास व्यय	62.22	382.63	2.32	1.49	448.64
31 मार्च, 2024 को	**759.28**	**4749.68**	**8.24**	**3.96**	**5521.17**

पट्टा देयताएँ

नीचे पट्टा देयताओं की वहन राशि (ब्याज सहित ऋण और उधार के अंतर्गत शामिल) और वर्ष के दौरान होने वाली गतिविधियाँ दी गई हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	पट्टे से संबंधित देयताएं
1 अप्रैल, 2023 तक	5111.61
अतिरिक्त योजन	998.96
अर्जित ब्याज	412.14
भुगतान	801.03
समायोजन	0.00
31 मार्च, 2024 को	**5721.67**
चालू	486.41
गैर–चालू	5235.24

क. पट्टा देयता के मापन में शामिल न किए गए पट्टा भुगतान

पट्टा देयता के मापन में शामिल न किए गए भुगतानों से संबंधित व्यय इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
अल्पकालिक पट्टे	0.32	0.36
कम मूल्य की संपत्तियों के पट्टे	0.00	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान	1038.97	18.76
अन्य	0.00	-

ख. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह 801.03 करोड़ रुपये है (पिछले वर्ष: 1550.79 करोड़ रुपये)।

ग. 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के पास अल्पावधि पट्टों के लिए कुल प्रतिबद्धता शून्य करोड़ रुपये है (पिछले वर्ष: 0.47 करोड़ रुपये)।

घ. पट्टा देनदारियों की परिपक्वता

पट्टे की देनदारियाँ संबंधित अंतर्निहित परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित हैं। भविष्य के न्यूनतम पट्टे भुगतान इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2024 तक न्यूनतम पट्टा भुगतान देय			
	1 वर्ष के अंदर	1-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
पट्टा भुगतान	789.16	3007.88	5445.54	9242.58
ब्याज व्यय	340.34	1334.15	1846.44	3520.93
शुद्ध वर्तमान मूल्य	**448.82**	**1673.73**	**3599.10**	**5721.65**

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2023 तक न्यूनतम पट्टा भुगतान देय			
	1 वर्ष के अंदर	1-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
पट्टा भुगतान	669.62	2369.71	5365.23	8404.56
ब्याज व्यय	318.50	1106.53	1867.92	3292.94
शुद्ध वर्तमान मूल्य	**351.12**	**1263.18**	**3497.31**	**5111.61**

ड. परिवर्तनशील लीज़ भुगतान उस अवधि में व्यय माने जाते हैं, जिसमें वे किए जाते हैं। 31 मार्च, 2024 तक अपेक्षित भावी नकद बहिर्वाह ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ शून्य करोड़) है।

च. विस्तार और समाप्ति विकल्पों के बारे में जानकारी :

उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियाँ	पट्टों की संख्या	शेष अवधि की सीमा	शेष पट्टे की औसत अवधि	विस्तार विकल्प वाले पट्टों की संख्या	समाप्ति विकल्प वाले पट्टों की संख्या
पट्टे पर भूमि	26	1-86	23.61	18	1
संयंत्र और उपकरण	13	0-17.18	5.87	12	2
वाहन	17	0-4.92	2.98	4	4
इमारतें	14	0.33-45.78	4.81	0	14

छ. 31 मार्च, 2024 तक कुल भावी नकद बहिर्वाह, उन पट्टों के लिए जो अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं, 0.88 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपये) (कार्यालय परिसर) है।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

पट्टादाता के रूप में परिचालन पट्टा

कंपनी ने बैंकों, हाउसिंग सोसाइटी, अस्पतालों, मोबाइल टावरों के भूखंडों और कर्मचारी क्वार्टर/फ्लैट स्थानों आदि जैसे स्थानों के लिए पट्टा समझौते किए हैं।

ऐसे पट्टों की अवधि प्रत्येक पट्टा समझौते की शर्तों और नियमों के आधार पर 11 महीने से 50 वर्ष तक होती है।



परिचालन पट्टे के अंतर्गत प्राप्त होने वाले भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
(क) एक वर्ष से कम	**27.42**	26.04
(ख) एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से कम	**74.10**	65.53
(ख) पांच वर्ष से अधिक	**96.32**	93.92
कुल	**197.84**	185.49

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल परिचालन पट्टा किराया आय ₹ 83.62 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 29.71 करोड़) है।

पट्टादाता के रूप में वित्त पट्टा

कंपनी के पास फ्रीहोल्ड भूमि है जिसे वित्त पट्टा व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न पक्षों को पट्टे पर दिया गया है।

वित्त पट्टे के अंतर्गत प्राप्त होने वाले भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
(क) एक वर्ष से कम	**0.72**	0.73
(ख) एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से कम	**2.27**	0.84
(ग) पांच वर्ष से अधिक	**8.91**	8.79
कुल छूट रहित पट्टा भुगतान	**11.90**	10.36
अनर्जित वित्त आय	**8.82**	9.27
पट्टे में शुद्ध निवेश	**3.08**	1.09

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल वित्त पट्टा किराया आय 1.03 करोड़ रुपये है। (पिछले वर्ष: 0.54 करोड़ रुपये)।

(II) प्रमुख पट्टा व्यवस्थाओं का विवरण

पावर प्लांट

कंपनी ने आपूर्तिकर्ता के साथ बिजली खरीद समझौते के आधार पर भारतीय लेखा मानक 17 के परिशिष्ट–ग के अंतर्गत कुछ बिजली संयंत्रों को वित्त पट्टे के रूप में दर्ज किया है। बिजली खरीद समझौते की शर्तों के अंतर्गत, कंपनी तब तक बिजली खरीदती रहेगी जब तक कि पक्ष समझौते को समाप्त करने का फैसला नहीं करते, जिसे परिसंपत्ति की विशेष प्रकृति और स्थान पर विचार करते हुए एक गैर–आर्थिक प्रस्ताव माना गया है। किसी भी नए पट्टे का लेखाजोखा भारतीय लेखा मानक 116 अनुसार किया गया है।

ऑक्सीजन प्लांट

कंपनी ने आपूर्तिकर्ता के साथ ऑक्सीजन खरीद समझौते के आधार पर भारतीय लेखा मानक 17 के परिशिष्ट–ग के अंतर्गत कुछ ऑक्सीजन संयंत्रों को वित्त पट्टे (या परिचालन पट्टे) के रूप में दर्ज किया है। ऑक्सीजन खरीदने का समझौता 15 साल का निष्चित अवधि का समझौता है। भारतीय लेखा मानक 116 – 'लीज' में कोई बदलाव नहीं किया है।

खनन भूमि

कंपनी ने नवीनीकरण के लिए अधिकार/आर्थिक बाध्यता पर विचार करने के बाद लीज समझौते के अंतर्गत अपने अधिकारों के आधार पर खनन के लिए लीजहोल्ड भूमि को वित्त पट्टे के रूप में दर्ज किया है। भारतीय लेखा मानक 116–लीज के अंतर्गत उपचार में कोई बदलाव नहीं है।

49.9 वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2021–22 तक की अवधि के लिए राजहरा से रावघाट तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए रेलवे अधिकारियों को नकद और वस्तु के रूप में किए गए योगदान को रावघाट खदानों से सुनिश्चित यातायात के शुरू होने और पूरा होने के बाद सेल के अंशदान के मोचन के लिए कुल योगदान पर 37 वर्षों के लिए 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से नकद में वसूल किया जाएगा। प्रबंधन का विचार है कि समझौता ज्ञापन में निर्धारित मानदंडों को पूरा किया जाएगा और निवेश की तिथि से ब्याज अर्जित होगा। वापसी राशि में मूलधन और ब्याज तत्व शामिल हैं। तदनुसार, ब्याज तत्व की गणना की गई है और वर्ष के दौरान ₹ 61.90 करोड़ (आज तक ₹ 311.82 करोड़) की आय के रूप में मान्यता दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार, समय अनुपात के आधार पर ऐसी मान्यता उचित है।

49.10 कंपनी की कैप्टिव खदानों में उत्पन्न सब–ग्रेड लौह अयस्क फाइन्स की सूची को 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक कंपनी की लेखा पुस्तकों में कोई मूल्य नहीं दिया गया था, क्योंकि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 19 सितंबर 2012 ने सभी कैप्टिव खनिकों को ऐसे सब–ग्रेड फाइन्स को बेचने से प्रतिबंधित कर दिया था।

भारत सरकार के आदेश संख्या एफ.सं.16/30/2019–एम–VI दिनांक 16 सितंबर 2019 के बाद सब–ग्रेड लौह अयस्क फाइन्स की बिक्री की अनुमति देने के बाद, कंपनी के पास सब–ग्रेड फाइन्स की सूची ने आर्थिक मूल्य प्राप्त किया। इस संबंध में, कंपनी ने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के साथ–साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) से भी राय प्राप्त की। उपर्युक्त राय के आधार पर, कंपनी ने 31 मार्च 2020 तक इन इन्वेंटरी को उप–उत्पाद इन्वेंटरी के रूप में मान्यता दी। चूंकि, ये इन्वेंटरी कई वर्षों में तैयार की गई थी, जिससे वास्तविक मूल्यांकन का पता लगाना अव्यावहारिक हो गया, इसलिए कंपनी ने पिछले 36 महीनों में समान सब–ग्रेड फाइन्स के औसत विक्रय मूल्य के आधार पर ऐसी इन्वेंटरी का मूल्यांकन किया, जैसा कि भारत सरकार के संगठन भारतीय खनन ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा घोषित किया गया था और रॉयल्टी और अन्य विक्रय लागतों के लिए समायोजित किया गया था।

कंपनी ने पर्यावरण मंजूरी और भारत सरकार के खान सुरक्षा महानिदेशक से मंजूरी सहित सभी मंजूरी प्राप्त कर ली है। इसके अलावा, ओडिशा राज्य सरकार से प्रक्रियात्मक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। झारखंड राज्य के संबंध में, डुआरगुइबुरु पट्टे से डंप किए गए फाइन्स की निकासी कैप्टिव उपयोग के लिए वित्त वर्ष 2023–24 में शुरू हो गई है। बिक्री के संबंध में, देरी प्रक्रियात्मक है और प्रबंधन को उम्मीद है कि उचित समय पर मंजूरी मिल जाएगी।

प्रबंधन कुछ स्थानों पर ऐसे भंडारों को बेचने में सक्षम रहा है। जबकि, चालू और पिछले वर्ष के दौरान समग्र आधार पर, ऐसे भंडारों की मात्रा में 2.10 मिलियन टन की हलचल हुई है, सब–ग्रेड फाइन्स की बाजार में महत्वपूर्ण मांग है और हाल ही में बिक्री मूल्य के रुझान ऐसे भंडारों के वहन मूल्य से ऊपर काफी मार्जिन का संकेत देते हैं। प्रबंधन ने भविष्य में लाभकारी संयंत्र और पेलेट बनाने की सुविधाएं स्थापित करने की भी योजना बनाई है, जो सालाना सब–ग्रेड फाइन्स की महत्वपूर्ण मात्रा का उपभोग करेंगे। तदनुसार, प्रबंधन के अनुसार, इस स्तर पर इन भंडारों के वहन मूल्य में कोई समायोजन आवश्यक नहीं है।

इन्वेंट्री की पर्याप्त मात्रा को ध्यान में रखते हुए, अगले एक वर्ष के अंदर बेची/खपत की जाने वाली अनुमानित मात्रा को चालू माना गया है और शेष को गैर–चालू इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास 40.88 मीट्रिक टन (31 मार्च 2023 तक: 41.55 मीट्रिक टन) की सब–ग्रेड आयरन–ओर फाइन्स इन्वेंट्री है, जिसका मूल्य ₹ 3932.35 करोड़ है (31 मार्च 2023 तक ₹ 3995.75 करोड़) जिसमें 38.73 मीट्रिक टन शामिल है, जिसका मूल्य ₹ 3749.00 करोड़ है, जिसे इसकी विभिन्न खदानों में गैर–चालू इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसी तरह, कंपनी

- के पास अपने बरसुआ और दल्ली खदानों में 10.84 मीट्रिक टन की टेलिंग की इन्वेंट्री है, जिसका मूल्य ₹ 513.57 करोड़ है (31 मार्च 2023 तक 10.27 मीट्रिक टन जिसका मूल्य ₹ 491.98 करोड़ है) जिसमें 9.34 मीट्रिक टन शामिल है, जिसका मूल्य ₹ 434.21 करोड़ है, जिसे गैर–चालू इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- कम्पनी के पास अपने भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट में 0.45 मीट्रिक टन के बीएफ स्लैग और एलडी स्लैग में एम्बेडेड एक्सट्रैक्टेबल आयरन और स्टील स्क्रैप की इन्वेंट्री है, जिसका मूल्य ₹ 449.84 करोड़ है (31 मार्च 2023 तक 0.47 मीट्रिक टन, जिसका मूल्य ₹ 460.35 करोड़ है) जिसमें 0.41 मीट्रिक टन शामिल है, जिसका मूल्य ₹ 406.42 करोड़ है, जिसे गैर–चालू इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इसके चंद्रपुर फेरो अलॉयज प्लांट में दानेदार उच्च मैंगनीज अयस्क (एचएमएनओ स्लैग और 0.59 मीट्रिक टन स्लैग फाइन्स का भंडार है, जिसकी कीमत 42.35 करोड़ रुपये है (31 मार्च 2023 तक: 0.52 मीट्रिक टन जिसकी कीमत 41.56 करोड़ रुपये है) जिसमें 0.53 मीट्रिक टन शामिल है, जिसकी कीमत 35.66 करोड़ रुपये है, जिसे गैर–वर्तमान इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी इन इन्वेंटरी के निपटान/उपभोग के लिए एक विस्तृत योजना तैयार कर रही है।

बाजार की अस्थिरता, इस्पात बाजार की गतिशीलता, देश में इस्पात और पेलेट बनाने की क्षमता में भविष्य में वृद्धि की संभावना को ध्यान में रखते हुए, जिससे इन सामग्रियों की मांग में वृद्धि हो सकती है, गैर–वर्तमान इन्वेंटरी के वहन मूल्य को भविष्य की कीमतों में किसी भी अप्रत्याशित परिवर्तन के लिए समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, प्रबंधन के दृष्टिकोण से, उपर्युक्त इन्वेंटरी के वहन मूल्य इस स्तर पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर सबसे अच्छे अनुमान हैं।

49.11 आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 27 अक्टूबर, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की तीन इकाइयों अर्थात विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसपी), भद्रावती, कर्नाटक, सेलम स्टील प्लांट (एसएसपी), तमिलनाडु और अलॉय स्टील प्लांट (एएसपी), पश्चिम बंगाल के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी थी। इसके बाद, भारत सरकार की 'सैद्धांतिक' मंजूरी के अनुरूप, सेल बोर्ड ने 9 फरवरी, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में एएसपी, वीआईएसपी और एसएसपी के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दे दी। कंपनी ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभिन्न सलाहकार नियुक्त किए। रणनीतिक विनिवेश की पूरी प्रक्रिया की निगरानी एक अंतर–मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा की जा रही है। आईएमजी की अध्यक्षता सचिव, लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा की जाती है और इसके सह–अध्यक्ष सचिव (इस्पात) होते हैं।

प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम)/रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई), एएसपी, एसएसपी और वीआईएसपी के अनुरोध 4 जुलाई 2019 को जारी किए गए और ईओआई बोलियाँ 10 सितंबर 2019 को खोली गईं। ईओआई केवल सलेम स्टील प्लांट (एसएसपी) और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसपी), भद्रावती के लिए प्राप्त हुए। वीआईएसपी और एसएसपी की मौजूदा रुचि की अभिव्यक्ति को रद्द कर दिया गया क्योंकि शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं ने रुचि दिखाई और वैकल्पिक तंत्र को मंजूरी दे दी गई है।



वर्तमान स्थिति और चल रही विभिन्न विनिवेश प्रक्रियाओं को देखते हुए, इस स्तर पर इन वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन आवश्यक नहीं माना जाता है।

49.12 वर्ष के अंत में आईयूसीए (अंतर–इकाई चालू खाते) में असंगत शेष राशि को अन्य इक्विटी (नोट संख्या 23) शीर्षक के अंतर्गत आईयूसीए रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है। सेल की सभी इकाइयों के लिए आईयूसीए रिजर्व की राशि शून्य है।

49.13 अन्य आय में 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही में संयंत्र के एक स्थान पर अप्रचलित संयंत्र और मशीनरी (एसएमएस–1) की बिक्री पर ₹ 278.82 करोड़ का लाभ शामिल है।

49.14 अपवाद मदों में निम्न शामिल हैं:

(I) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए:

क. विवाद से विश्वास योजना II के अंतर्गत संविदा संबंधित विवादों के निपटान के लिए ₹ 394.39 करोड़ का प्रावधान।
ख. छत्तीसगढ़ कर, ब्याज और दंड बकाया निपटान अधिनियम 2023 के अंतर्गत प्रवेश कर विवाद के निपटान के लिए ₹ 446.45 करोड़ का प्रावधान।

(II) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए:

(i) डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) को भूमि के एक हिस्से की बिक्री के कारण अचल संपत्तियों की बिक्री पर ₹ 301.34 करोड़ का लाभ।

(ii) एकमुश्त निपटान योजना के अंतर्गत ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्मेशन हानि पर बिजली शुल्क की लंबे समय से लंबित मांग के निपटान के लिए ₹ 38.91 करोड़ की राशि और 2000–01 के दौरान अंतिम रूप दिए गए अनुबंध से उत्पन्न विवाद के लिए ₹ 4.44 करोड़ की राशि।

49.15 इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी के आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1977 के नियम 20 के उप–नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 जनवरी 2024 के अपने पत्रों के माध्यम से कंपनी के कुछ कर्मचारियों और दो निदेशकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निलंबन कंपनी की कुछ नीति/मूल्य निर्धारण निर्णयों के संबंध में प्राप्त आरोपों पर केंद्रीय सतर्कता अधिकारी द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के आधार पर किया गया है। हालांकि यह मामला वर्तमान में भारत के लोकपाल के 10 जनवरी 2024 के आदेश के अनुसार बाहरी जांच एजेंसियों द्वारा जांच के अधीन है, लेकिन प्रबंधन के मद्देनजर, उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, इस मामले का कंपनी के संचालन और/या इन वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

49.16 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान पेड–अप इक्विटी शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत की दर से अंतरिम लाभांश घोषित किया (अर्थात ₹ 10/– प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹ 1.00)। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की पेड–अप शेयर पूंजी पर ₹ 1/– प्रति इक्विटी शेयर अर्थात 10 प्रतिशत की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

49.17 सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/डीडीएचएस–आरएसीपीओडीआई/पी/सीआईआर/2023/172 दिनांक 19 अक्टूबर 2023 के अनुसार, और एनएसई और बीएसई से प्राप्त ईमेल संचार के अनुसार, 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बकाया योग्य उधार और वृद्धिशील योग्य उधार का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
1	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बकाया योग्य उधार (₹ करोड़)	8154.10
2	वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया योग्य उधार (₹ करोड़)	10659.17
3	क्रेडिट रेटिंग (एक से अधिक रेटिंग के मामले में उच्चतम)	इंडिया रेटिंग्स और केयर रेटिंग्स द्वारा AA (आउटलुक: स्थिर)
4	वर्ष के दौरान की गई वृद्धिशील उधारी (योग्य उधार) (₹ करोड़)	2505.07
5	वर्ष के दौरान ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम से उधार (₹ करोड़)	शून्य

50.1 परिभाषित लाभ योजनाएँ

50.1.1 परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण:

ग्रेच्युटी	:	5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा देने वाले पात्र कर्मचारियों को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर अलग होने पर भुगतान योग्य (30 वर्ष से अधिक की सेवा के लिए, 30 वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने का वेतन)। 1 जुलाई, 2014 को या उसके बाद शामिल हुए अधिकारियों और गैर–कार्यकारी अधिकारियों के लिए अधिकतम राशि 20 लाख है। 1 जुलाई, 2014 से पहले शामिल हुए गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए, वेतन संशोधन के लागू होने की तिथि अर्थात 18.10.2021 को पूर्व संशोधित मूल वेतन और डीए पर अर्जित ग्रेच्युटी या 20 लाख जो भी अधिक हो, को बीमांकिक मूल्यांकन के लिए माना गया है।
अवकाश नकदीकरण	:	अर्जित और आंशिक वेतन अवकाश एकत्रित करने वाले पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर देय, अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश के लिए संयुक्त रूप से अधिकतम 300 दिनों की सीमा के अधीन। वित्तीय वर्ष में एक बार 30 दिनों तक संचित अर्जित अवकाश का नकदीकरण भी किया जा सकता है।
भविष्य निधि	:	कंपनी द्वारा भविष्य निधि ट्रस्ट में मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत योगदान दिया जाता है।
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	:	कंपनी के अस्पतालों और/या स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।
सेवानिवृत्ति के बाद निपटान लाभ	:	सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके गृह नगर में बसने के लिए देय।
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	:	न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा प्रदान करने और सेवानिवृत्ति पर भी देय।

50.1.2 परिभाषित लाभ दायित्वों के संबंध में 'कर्मचारी लाभ' पर भारतीय लेखा मानक 19 के अंतर्गत अपेक्षित अन्य प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

(क) परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का मिलान* :

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभे	सेवानिवृत्ति के बाद निपटान लाभ	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	भविष्य निधि ट्रस्ट@
i)	वर्ष की शुरुआत में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य।	5595.83 (5523.12)	3764.05 (3527.05)	1737.45 (1467.26)	152.80 (135.86)	17.55 (21.18)	24832.99
ii)	सेवा लागत	273.53 (277.47)	524.03 (511.25)	- (-)	- (-)	0.87 (0.67)	746.39
iii)	ब्याज लागत	381.46 (364.64)	247.14 (220.55)	117.08 (95.75)	10.83 (9.35)	1.03 (1.40)	1937.97
iv)	बीमांकिक लाभ(–)/ हानियाँ (+)	-99.06 (205.34)	22.93 (347.07)	369.23 (411.55)	8.46 (15.37)	1.85 (-2.29)	65.51
v)	निपटान/हस्तांतरण	-	-	-	-	-	1001.54
vi)	योजना प्रतिभागियों द्वारा योगदान	-	-	-	-	-	1663.05
vii)	पिछली सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	-
viii)	भुगतान किए गए लाभ	811.25 (774.74)	803.47 (841.90)	289.10 (237.14)	10.65 (7.78)	3.22 (3.38)	4191.50
ix)	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii+iv+v+vi-viii)	5340.52 (5595.83)	3754.67 (3764.05)	1934.66 (1737.45)	161.44 (152.80)	18.08 (17.55)	26055.95

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े हैं



(ख) परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का मिलान

ग्रेच्युटी ट्रस्ट

कंपनी ने एक अलग ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से ग्रेच्युटी देयता को वित्तपोषित किया है। ग्रेच्युटी की योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य मुख्य रूप से बीमा कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है, जिनके माध्यम से फंड द्वारा निवेश किया गया है।

पीएफ ट्रस्ट

कंपनी अलग–अलग ट्रस्टों को पूर्व–निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करते हैं। कंपनी का दायित्व है कि वह सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर प्रतिफल सुनिश्चित करे। तदनुसार, कंपनी ने बीमांकिक रिपोर्ट प्राप्त की है, जिसके आधार पर प्रत्येक ट्रस्ट में कुल ब्याज आय और संचयी अधिशेष प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए वैधानिक ब्याज भुगतान आवश्यकता से अधिक है।

ग्रेच्युटी फंड/भविष्य निधि ट्रस्ट की परिसंपत्तियों के उचित मूल्य और परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी/भविष्य निधि दायित्वों का मिलान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी ट्रस्ट		भविष्य निधि ट्रस्ट@
		2023-24	2022-23	2023-24
i)	वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5808.77	5936.04	25052.83
ii)	एक्चुरियल लाभ/हानि(–)	73.58	-16.88	-
iii)	वास्तविक कंपनी का योगदान	294.90	242.77	746.39
iv)	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	426.94	421.45	2303.93
v)	लाभ भुगतान	811.25	774.74	4191.50
vi)	वित्त वर्ष 2023–24 में योजना परिसंपत्तियों का पुनर्आवंटन**	-	-	-
vii)	कर्मचारी योगदान	-	-	1663.05
viii))	निपटान/स्थानांतरण	-	-	1001.54
ix)	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5792.92	5808.77	26576.24
x)	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य ((50.1.2)(क)(ix))	5340.52	5595.84	26055.95
xi)	बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता (ग)–(ix)*	-452.41	-212.93	-

*कंपनी को निवेश पर रिटर्न पर विचार करने के बाद वर्ष 2024–25 के दौरान ग्रेच्युटी फंड/प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट के खर्चों के लिए कोई राशि योगदान करने की उम्मीद है/नहीं है।

ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड के अलावा परिभाषित लाभ दायित्व गैर–वित्तपोषित हैं।
**सेल के लिए शुद्ध प्रभाव शून्य

(ग) वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय* : (₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति के बाद निपटान लाभ	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	भविष्य निधि ट्रस्ट@
i)	सेवा लागत	273.53 (277.47)	524.03 (511.25)	- (-)	- (-)	0.87 (0.67)	746.39
ii)	ब्याज लागत	-45.48 (-56.82)	247.14 (220.55)	117.08 (95.75)	10.83 (9.35)	1.03 (1.40)	-
iii)	बीमांकिक लाभ (–) / हानि	-99.06 (205.34)	22.93 (347.07)	369.23 (411.55)	8.46 (15.37)	1.85 (-2.29)	300.45
iv)	पिछली सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	-
v)	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	73.58 (-16.88)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	-
vi)	कुल (i+ii+iii+iv-v)	55.42 (442.87)	794.10 (1078.87)	486.31 (507.30)	19.29 (24.72)	3.75 (-0.21)	1046.84
vii)	कर्मचारियों के लाभ व्यय:						
	क) लाभ एवं हानि खाते पर प्रभारित (नोट 39)	227.62 (219.66)	791.81 (1075.78)	117.08 (95.75)	10.16 (8.76)	3.75 (-0.21)	746.39
	ख) निर्माण के दौरान व्यय का शुल्क लिया गया (नोट 5.1)	0.50 (0.99)	2.29 (3.09)	(-)			-
	ग) ओसीआई को प्रभारित**	-172.63 (222.22)	-	369.23 (411.55)	-	-	#
	लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित – अन्य व्यय	-0.07 (-)			9.13 (15.96)		-
viii)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	500.52 (404.60)					

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े हैं

**परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ / (हानि) को पुनर्वर्गीकृत किया गया है और प्रतिधारित आय (नोट संख्या 23) के अंतर्गत दिखाया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को योजना से वापसी के रूप में या बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित शुद्ध अधिशेष के लिए योजना में कम भविष्य के योगदान के रूप में लाभ का कोई अधिकार नहीं है। तदनुसार, कंपनी ने परिसंपत्तियों के अधिशेष और पुनर्मापन लाभ / हानि को 'अन्य व्यापक आय' में मान्यता नहीं दी है, क्योंकि ये भविष्य निधि ट्रस्टों से संबंधित हैं न कि कंपनी से।

@वित्त वर्ष 2023–24 में पहली बार पीएफ ट्रस्टों का मूल्यांकन किया गया।

(घ) कर्मचारी लाभ योजनाओं पर छूट दर में आधे प्रतिशत परिवर्तन का प्रभाव (₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	छूट दर में 0.5 प्रतिशत की कमी	छूट दर में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि
i)	ग्रेच्युटी	157.79	-148.57
ii)	अवकाश	133.12	-125.64
iii)	सेवानिवृत्ति के बाद का लाभ	106.01	-97.54
iv)	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	0.33	-0.32
v)	सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	15.11	-15.21
vi)	भविष्य निधि ट्रस्ट	4.65	-4.38

(ङ) वेतन वृद्धि दर में आधा प्रतिशत परिवर्तन का कर्मचारी लाभ योजनाओं पर प्रभाव (₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	वेतन वृद्धि दर में एक प्रतिशत की कमी	वेतन वृद्धि दर में एक प्रतिशत की वृद्धि
i)	ग्रेच्युटी	-53.23	53.35
ii)	अवकाश	-111.86	118.78



(च) सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ योजना के अंतर्गत लाभों के मूल्यांकन के मामले में चिकित्सा लागत दर में आधा प्रतिशत परिवर्तन का प्रभाव।

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वेतन वृद्धि दर में एक प्रतिशत की कमी	वेतन वृद्धि दर में एक प्रतिशत की वृद्धि
i)	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	73.97	-83.30

(छ) ग्रेच्युटी ट्रस्ट का निवेश

विवरण	निवेश का प्रतिशत	
	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
बीमा निवेश	**97.00**	96.95
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	**1.48**	1.51
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	**0.46**	0.47
पीएसयू बांड	**1.00**	0.97
बैंक में नकदी	**0.06**	0.10
कुल	**100.00**	100.00

(ज) बीमांकिक धारणाएँ

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
i)	छूट दर (प्रति वर्ष)	7.21	7.35
ii)	मृत्यु दर	आईएएलएम (2012–14) अंतिम	आईएएलएम (2012–14) अंतिम
iii)	निकासी दर (प्रति वर्ष)	कार्यकारी और गैर–कार्यकारी–आयु के आधार पर 0.01 प्रतिशत से 0.10 प्रतिशत	कार्यकारी और गैर–कार्यकारी–आयु के आधार पर 0.01 प्रतिशत से 0.10 प्रतिशत
iv)	चिकित्सा लागत प्रवृत्ति दर (प्रति वर्ष)	अस्पताल लागत के लिए 5 प्रतिशत और मेडी–क्लेम प्रीमियम के लिए शून्य	अस्पताल लागत के लिए 5 प्रतिशत और मेडी–क्लेम प्रीमियम के लिए शून्य
v)	योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की अनुमानित दर	7.21%	7.35%
vi)	वेतन वृद्धि	कार्यकारी: 6 प्रतिशत प्रति वर्ष गैर–कार्यकारी: 6 प्रतिशत प्रति वर्ष सभी कर्मचारी–2017 से शुरू होने वाली प्रत्येक 10 वर्ष की सेवा के बाद 6 प्रतिशत की वृद्धि।	कार्यकारी: 6 प्रतिशत प्रति वर्ष गैर–कार्यकारी: 6 प्रतिशत प्रति वर्ष सभी कर्मचारी–2017 से शुरू होने वाली प्रत्येक 10 वर्ष की सेवा के बाद 6 प्रतिशत की वृद्धि।
		बीमांकिक मूल्यांकन में भविष्य में वेतन वृद्धि का अनुमान लगाते समय मुद्रास्फीति दर, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।	

(i) परिभाषित लाभ दायित्वों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल

(₹ करोड़)

अवधि	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1 वर्ष तक	**698.41**	766.47
1 से 2 वर्ष के बीच	**657.65**	689.10
2 से 3 वर्ष के बीच	**652.32**	644.82
3 से 4 वर्ष के बीच	**700.21**	642.11
4 से 5 वर्ष के बीच	**690.61**	690.53
5 से 10 वर्ष के बीच	**2541.14**	2871.06
10 वर्ष से अधिक	**2392.83**	2513.48
पिछली सेवा से संबंधित कुल छूट रहित भुगतान	**8333.15**	8826.55
घटाएँ: ब्याज के लिए छूट	**2992.61**	3230.74
अनुमानित लाभ दायित्व	**5340.54**	5595.83

51. सामान्य

51.1 खंड रिपोर्टिंग

व्यावसायिक खंड: पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र और तीन मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, विनिर्माण इकाइयाँ होने के नाते, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक 108–'संचालन खंड' के अंतर्गत रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक व्यावसायिक खंड माने गए हैं।

51.2 संबंधित पक्ष

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक 24–'संबंधित पक्ष प्रकटीकरण' के अनुसार, संबंधित पक्षों के नाम नीचे दिए गए हैं:

क. संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति
सहायक कंपनिया सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड
संयुक्त उद्यम कंपनियाँ एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड सेल एससीएल केरल लिमिटेड सेल–राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड रोमेल्ट–सेल (इंडिया) लिमिटेड बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड जीईडीसीओएल सेल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
सहयोगी कंपनी अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड
अन्य कंपनियाँ आईसीवीएल मॉरीशस रिवरडेल माइनिंग (पीटीवाई) लिमिटेड (आरएमएल) मिनास डी बंगा आईसीवीएल ज़ाम्बेज़ मॉरीशस लिमिटेड बेंगा पावर प्लांट (मॉरीशस) लिमिटेड आईआईएससीओ उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड यूईसी–सेल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड
रोजगार के बाद लाभ योजनाएं एचएसएल बीएसपी भविष्य निधि, भिलाई डीएसपी भविष्य निधि, दुर्गापुर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड अंशदायी भविष्य निधि, राउरकेला बोकारो स्टील कर्मचारी भविष्य निधि, बोकारो आईआईएससीओ लिमिटेड भविष्य निधि संस्थान, बर्नपुर कोल भविष्य निधि ट्रस्ट, कोलियरीज आईआईएससीओ लिमिटेड वर्क्स भविष्य निधि, बर्नपुर सेल एएसपी भविष्य निधि, दुर्गापुर सलेम स्टील भविष्य निधि, सेलम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट, भद्रावती सेल भविष्य निधि, नई दिल्ली हिंदुस्तान स्टील भविष्य निधि, रांची हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, केंद्रीय खरीद संगठन, बिक्री और परिवहन, कलकत्ता भविष्य निधि भारत रिफ्रैक्टरीज भविष्य निधि, बोकारो आईएफआईसीओ भविष्य निधि, रामगढ़ सीसीएसओ भविष्य निधि, धनबाद सेल आरएमडी स्थापना और प्रशासनिक कार्यालय कर्मचारी भविष्य निधि, कोलकाता बोलानी अयस्क खान भविष्य निधि, बोलानी सेल कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ निधि सेल ग्रेच्युटी निधि सेल पेंशन निधि



ख. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री अमरेंदु प्रकाश
श्रीमती सोमा मंडल
श्रीमती सुकृति लिखी
श्री अभिजीत नरेंद्र
श्री ए.के. त्रिपाठी
श्री कन्हैया सारदा
श्रीमती नीलम सोनकर
श्री जे एस कुट्टप्पन
श्री केवीआर सागी
डॉ. जी एस भाटी
श्री ए.दासगुप्ता
श्री वी एस चक्रवर्ती
श्री अतानु भौमिक
श्री ए.के तुल्सीआनी
श्री बी.पी सिंह
श्री के के सिंह
श्री ए के सिंह
श्री जगदीश अरोड़ा
श्री एस सुब्बाराज
श्री निर्विक बनर्जी
श्री एम बी बालाकृष्णन
श्री सुभाशीष सेनगुप्ता
श्री एस के वर्मा
श्री संजीव कुमार
श्री अशीष चक्रवर्ती
श्री वी के पांडे
श्री ए के चक्रवर्ती
श्री के रामाकृष्णन
श्री पी के रथ
श्री देवव्रत दत्ता
श्री बी.एल चांदवानी
श्री तरुण मिश्रा

ग. वर्ष के दौरान कंपनी और संबंधित पक्षों के बीच लेन-देन का ब्यौरा

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	सकायक/ सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	कुल	नोट संख्या और लेखा मद
i)	निवेश	-		-	8 : निवेश
ii)	शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम राशि	- (-3.52)		- (-3.52)	11/19 : अन्य वित्तीय सम्पत्तियां
iii)	प्रदान की गई सेवाएँ	13.53 (18.98)		13.53 (18.98)	36: अन्य आय
iv)	किराये की आय	0.13 (0.06)		0.13 (0.06)	
v)	प्राप्त लाभांश	163.29 (414.79)		163.29 (414.79)	
vi)	माल की बिक्री	62.74 (37.59)		62.74 (37.59)	35: संचालनों से आय
vii)	अन्य परिचालन राजस्व	22.99 (18.37)		22.99 (18.37)	35: संचालनों से आय
viii)	माल की खरीद	1437.24 (2075.54)		1437.24 (2075.54)	25/30: व्यापार देय
ix)	बिजली की खरीद	3065.83 (3085.72)		3065.83 (3085.72)	41: अन्य व्यय
x)	प्राप्त सेवाएँ	63.93 (56.25)		63.93 (56.25)	41: अन्य व्यय
				2.54 (1.88)	5: पूंजी डब्ल्युआईपी

क्र. सं.	विवरण	सकायक/ सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	कुल	नोट संख्या और लेखा मद
xi)	रूपांतरण शुल्क	15.33		15.33	
xii)	पीएफ ट्रस्ट में योगदान	746.39 (1024.53)		746.39 (1024.53)	39: कर्मचारी लाभ व्यय
xiii)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक**		18.49 (15.84)	18.49 (15.84)	39: कर्मचारी लाभ व्यय

*संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन निष्पक्ष आधार पर किया जाता है।
** इसमें रोजगार के बाद और सेवा समाप्ति के लाभ शामिल हैं

घ. वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों के पास शेष राशि (₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	कुल	नोट संख्या और लेखा मद
i)	निवेश	1459.72 (1459.72)	8: निवेश
ii)	निवेश के लिए प्रावधान	76.28 (23.77)	
iii)	अन्य ऋण और अग्रिम	99.19 (107.40)	11/18/19: ऋण
iv)	ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	23.11 (15.95)	
v)	शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम	- (-)	11/19 : अन्य वित्तीय सम्पत्तियां
vi)	व्यापार प्राप्य	115.54 (8.41)	9/16 : व्यापार प्राप्य
vii)	व्यापार देय	537.58 (591.67)	25/30 : व्यापार देय
viii)	सुरक्षा जमा	0.06 (0.37)	26/31: अन्य वित्तीय देनदारियां

ङ. संबंधित पक्षों के साथ भौतिक लेनदेनों का प्रकटीकरण (₹ करोड़)

कम्पनी का नाम	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	नोट संख्या और लेखा मद
लाभांश आय सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एनटीपीसी–सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड सेल राइट्स बंगाल वैगन प्राइवेट लिमिटेड	**6.08** **31.00** **75.00** **50.00** **1.20**	12.52 66.97 325.00 10.00	36: अन्य आय
निवेश आईसीवीएल एस एंड टी माइनिंग कंपनी लिमिटेड			8: निवेश
शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम राशि आईसीवीएल सेल एससीएल केरल लिमिटेड एस एंड टी माइनिंग कंपनी लिमिटेड		-3.52	11/19: अन्य वित्तीय सम्पत्तियां
माल की बिक्री भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड सेल राइट्स बंगाल वैगन प्राइवेट लिमिटेड एनटीपीसी–सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड	**0.06** **3.26** **73.73** **4.79**	0.06 2.35 30.69 4.49	35: संचालनों से आय
अन्य परिचालन राजस्व एनटीपीसी–सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड आईसीवीएल सेल राइट्स बंगाल वैगन प्राइवेट लिमिटेड	**22.81** **0.06** **0.12**	18.37	35: संचालनों से आय
माल की खरीद सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड मिनास डी बंगा	**163.12** **6.60** **1267.09**	197.15 6.11 1872.28	25/30: व्यापार देय



कम्पनी का नाम	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	नोट संख्या और लेखा मद
बिजली की खरीद बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एनटीपीसी–सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड	**942.51** **2123.32**	1022.55 2063.17	41 : अन्य व्यय
प्रदान की गई सेवाएँ भिलाईजेपी सीमेंट लिमिटेड एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड सेल–बंसल सर्विसेज सेंटर लिमिटेड बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एनटीपीसी सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड आईसीवीएल सेल राइट्स बंगाल वैगन प्राइवेट लिमिटेड	**0.73** **0.33** **0.07** **0.19** **7.87** **1.21** **0.07** **3.13**	3.21 0.09 0.08 0.29 10.87 1.48	36: अन्य आय
नीलामी सेवाएँ एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	**63.10** **2.54**	56.25 1.88	41: अन्य व्यय 5: पूंजी डब्ल्युआईपी
पीएफ ट्रस्ट	**746.39**	1024.53	39: कर्मचारी लाभ व्यय

*** संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन निकटता के आधार पर किया गया है।**

च. वर्ष के दौरान, बिक्री और व्यापार प्राप्तियों में केंद्र सरकार (भारतीय रेलवे सहित) के साथ लेनदेन के लिए ₹ 10941.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 10739.35 करोड़ रुपये) और ₹ 3192.83 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष ₹ 1429.92 करोड़) शामिल हैं।

छ. दिए गए ऋणों और अग्रिमों का विवरण जो निम्न हैं:

(i) मांग पर चुकाने योग्य, या

(ii) बिना किसी शर्त या चुकौती की अवधि निर्दिष्ट किए (₹ करोड़)

क्र. सं.	उधार का प्रकार	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
		बकाया राशि	कुल का प्रतिशत	बकाया राशि	कुल का प्रतिशत
1	प्रमोटर	शून्य			
2	निदेशक (नाम बताएं)				
3	केएमपीएस (नाम बताएं)				
4	संबंधित पक्ष				
	(पक्ष–वार)				
	कुल				

ज. हटा दी गई कम्पनियों के साथ संबंध (₹ करोड़)

क्र.सं.	हटा दी गई कम्पनी का नाम	लेनदेन का प्रकार	संबंध	शेष	
				31-03-2024	31-03-2023
1	मेटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जॉब कार्य	विक्रेता	**0.00**	0.01
2	हाइवेल फोर्जिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	ग्राहक	**0.00**	0.00
3	विस्मया मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	ग्राहक	**0.40**	0.40
4	मद्रास ऑथो कपलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	ग्राहक	**0.00**	0.00
5	ऑटो फील्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	ग्राहक	**0.00**	0.00
6	रॉयल टायर्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00
7	सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	निवेश	संयुक्त उद्यम	**0.00**	0.00
8	सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	निवेश	संयुक्त उद्यम	**0.00**	0.00
9	उत्तर बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड	निवेश	संयुक्त उद्यम	**0.00**	0.00
10	एनएमडीसी सेल लिमिटेड	निवेश	संयुक्त उद्यम	**0.00**	0.00

क्र.सं.	हटा दी गई कम्पनी का नाम	लेनदेन का प्रकार	संबंध	शेष	
				31-03-2024	31-03-2023
11	सेल मोइल फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	निवेश	संयुक्त उद्यम	**0.00**	0.00
12	सेल बंगाल अलॉय कास्ट (प्रा) लिमिटेड	निवेश	संयुक्त उद्यम	**0.00**	0.00
13	सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	निवेश	संयुक्त उद्यम	**0.00**	0.00
14	एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	निवेश	संयुक्त उद्यम	**0.00**	0.00
15	स्प्रेइंग सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड। डेक्कन स्मिथ प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00
16	स्विंग स्टेटर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	देय	ग्राहक	**0.11**	0.11
17	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	देय	ग्राहक	**0.22**	0.05
18	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	देय	ग्राहक	**0.01**	0.01
19	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	देय	ग्राहक	**0.72**	0.59
20	आकाश इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	देय	ग्राहक	**0.05**	0.05
21	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	देय	ग्राहक	**0.00**	0.11
22	अपर्णा मेडिट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	ग्राहक	**0.02**	0.02
23	पैनेशिया न्यूट्रिशन वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00
24	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	देय	विक्रेता	0.00	0.00
25	सैफोनिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	0.00	0.00
26	स्प्रेइंग सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	0.00	0.00
27	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	देय	विक्रेता	0.00	0.00
28	प्राइम फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	0.00	0.00
29	एगेट इलेक्ट्रो इंसुलेंट्स (प्रा.) लिमिटेड	देय	ब्नेजवउमत	0.00	0.00
30	क्लेरिपैक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	0.00	0.00
31	हंटिंग हॉक्स सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी सर्विस लिमिटेड	प्राप्य	ग्राहक	0.00	0.00
32	जमशेदपुर एलॉयज (प्रा.) लिमिटेड	देय	विक्रेता	0.59	0.01
33	प्रेडिक्ट टेक्नोलॉजीज इंडिया (प्रा.) लिमिटेड	देय	विक्रेता	0.00	0.00
34	संगनील (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	0.00	0.00
35	स्वमुक्त एनवायर्न प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	0.00	0.00
36	इयांस पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	0.00	0.00
37	सैफोनिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	0.00	0.00
38	स्प्रेइंग सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	0.00	0.00
39	स्प्रेइंग सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	0.00	0.00
40	टाइटन बायोटेक लिमिटेड	देय	विक्रेता	0.00	0.00
41	मेटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड	देय	विक्रेता	0.00	0.00

* संख्याएं करोड़ में पूर्णांकित की गई हैं



51.3 भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां' द्वारा अपेक्षित प्रावधानों का प्रकटीकरण।

प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण:

खदानों में वनरोपण की लागत	खनन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए खदानों में वनरोपण लागत के लिए सरकारी प्राधिकारियों को खनन पट्टों के नवीकरण (मान्य नवीकरण सहित)/वन मंजूरी पर देय।
खदान बंद करने की लागत	खदानों के बंद होने के लिए अनुमानित देयता, खनन गतिविधियों की समाप्ति के समय वहन की जाएगी।
अतिभार बैकलॉग हटाने की लागत	भावी वर्ष में खदानों में अतिभार बैकलॉग को हटाने के लिए वहन की जाएगी।

(₹ करोड़)

प्रावधानों की गतिशीलता	खानों में वनीकरण की लागत	खानों को बंद करने की लागत	अतिभार हटाने की लागत	कुल
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	35.95	162.02	133.42	331.39
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	86.78	16.16	102.94
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशियाँ	10.47	22.66	13.89	47.02
वर्ष के दौरान वापस की गई अप्रयुक्त राशि	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**25.48**	**226.15**	**135.69**	**387.32**

51.4

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 34(3) की प्रकटीकरण आवश्यकता के अनुसार ऋण और अग्रिमों के संबंध में विवरण:

सहायक कम्पनी का नाम*	वर्ष के अंत में बकाया ऋण के रूप में ऋण और अग्रिम	वर्ष के दौरान बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम की अधिकतम राशि
इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)	2.53* (2.53)*	2.53 (2.53)

* 2.53 करोड़ रुपये (2.53 करोड़ रुपये) की वसूली संदिग्ध होने के कारण लेखा पुस्तकों में इसका प्रावधान किया गया है।

ii) ऐसा कोई ऋण नहीं दिया गया है (कर्मचारियों को दिए गए ऋण के अलावा), जिसमें कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है या पुनर्भुगतान सात वर्ष से अधिक है; और

फर्मों/कंपनियों को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया गया है, जिसमें निदेशकों की रुचि हो

51.5 वार्षिक स्टॉक/प्राप्ति विवरण का मिलान

(₹ करोड़)

समाप्त होने वाला वर्ष	बैंक का नाम	प्रदान की गई सुरक्षा का विवरण	वार्षिक रिटर्न में रिपोर्ट की गई राशि	खाता पुस्तकों के अनुसार राशि	अंतर की राशि	भौतिक त्रुटियों के लिए कारण
मार्च 24	एसबीआई	इन्वेंटरी	32997	32646	351	दाखिल किए जाने की तिथि को अनंतिम आंकड़े
मार्च 24	एसबीआई	व्यापार प्राप्य	7275	8309	-1034	दाखिल किए जाने की तिथि को अनंतिम आंकड़े
दिसम्बर 23	एसबीआई	इन्वेंटरी	29394	29187	207	दाखिल किए जाने की तिथि को अनंतिम आंकड़े
दिसम्बर 23	एसबीआई	व्यापार प्राप्य	5166	6886	-1720	दाखिल किए जाने की तिथि को अनंतिम आंकड़े
सितम्बर 23	एसबीआई	इन्वेंटरी	27955	24846	3109	दाखिल किए जाने की तिथि को अनंतिम आंकड़े
सितम्बर 23	एसबीआई	व्यापार प्राप्य	5053	6675	-1622	दाखिल किए जाने की तिथि को अनंतिम आंकड़े
जून 23	एसबीआई	इन्वेंटरी	32017	28658	3359	दाखिल किए जाने की तिथि को अनंतिम आंकड़े
जून 23	एसबीआई	व्यापार प्राप्य	5569	5136	433	दाखिल किए जाने की तिथि को अनंतिम आंकड़े

51.6 वित्तीय अनुपात

क्रम	विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	भिन्नता (प्रतिशत)	कारण
1.	चालू अनुपात (चालू संपत्ति/चालू देनदारियाँ)	0.90:1	0.77:1	+17%	
2.	ऋण–इक्विटी अनुपात (कुल उधारी/कुल इक्विटी)	0.67:1	0.59:1	-14%	
3.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (कई बार) (ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय/ऋण सेवा लागत)	2.08	2.66	-22%	
4.	इक्विटी पर रिटर्न (:) (कर के बाद शुद्ध लाभ/औसत नेट वर्थ)	5.14	3.65	+41%	लाभ में वृद्धि
5.	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात (दिनों की संख्या) (औसत इन्वेंटरी/संचालन से राजस्व)*365	121	99	-22%	
6.	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (दिनों की संख्या) (औसत देय व्यापार/माल की खरीद)*365	24	18	-33%	कर्जदारों में वृद्धि
7.	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (दिनों की संख्या) (औसत देय व्यापार/माल की खरीद)*365	80	76	+5%	
8.	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (परिचालन/कार्यशील पूंजी से राजस्व)*365	*	*		
9.	शुद्ध लाभ अनुपात (%) (टैक्स के बाद शुद्ध लाभ/परिचालन से राजस्व)	2.59	1.82	+42%	लाभ में वृद्धि
10.	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%) (ब्याज और कर/नियुक्त पूंजी से पहले कमाई)	7.25	4.98	+46%	लाभ में वृद्धि
11.	निवेश पर प्रतिफल (%) (निवेशित निधियों से उत्पन्न आय/औसत निवेशित निधि)	10.03	25.45	-61%	लाभांश आय में कमी

* कार्यशील पूंजी ऋणात्मक है

51.7 **(क)** कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('मध्यस्थ') शामिल हैं, कोई भी निधि अग्रिम या ऋण या निवेशित नहीं की गई है (चाहे उधार ली गई निधियों या प्रतिभूति प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ('अंतिम लाभार्थी') को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश नहीं करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगा।

(ख) कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('फंडिंग पार्टियां') शामिल हैं, कोई भी निधि इस समझ के साथ प्राप्त नहीं की गई है, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई सुविधा प्रदान करेगी। संशोधित अनुसूची III के अनुसार अनुपात।

51.8 वित्तीय वर्ष के दौरान:

(क) कंपनी के पास बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी के पास वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।

(घ) कंपनी ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के अंतर्गत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

(ङ) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अंतर्गत किसी भी व्यवस्था योजना में प्रवेश नहीं किया है।

(च) कंपनी के पास आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में कोई अघोषित आय नहीं है।

(छ) कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कारोबार नहीं किया है।



52: परिचालन खंड सूचना

(₹ करोड़)

विवरण	बीएसपी	डीएसपी	आरएसपी	बीएसएल	आईएसपी	एएसपी	एसएसपी	वीआईएसएल	अन्य	अंतर खण्ड बिक्री	कुल
राजस्व											
- बाहरी बिक्री											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	30702.12	11486.84	24534.09	22091.69	12390.21	889.51	2371.51	54.63	24.49	-	104545.09
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	28667.66	12126.00	24077.71	23146.14	12995.31	731.60	1798.55	144.00	41.66	-	103728.63
- अंतर खंड बिक्री											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	2417.64	883.25	1546.34	3403.64	267.76	294.06	23.87	102.34	1344.03	(10282.93)	-
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	1693.79	1062.64	1380.61	2938.16	494.31	258.54	76.36	161.36	1356.57	(9422.34)	-
- उत्पादों की बिक्री से कुल राजस्व											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	33119.76	12370.09	26080.43	25495.33	12657.97	1183.57	2395.38	156.97	1368.52	(10282.93)	104545.09
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	30363.82	13195.85	25471.07	26094.06	13496.44	990.14	1874.91	305.36	1398.23	(9422.34)	103728.63
परिणाम											
- ब्याज और असाधारण मदों से पहले परिचालन लाभ/(हानि)											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	3548.54	564.60	1415.53	1365.89	295.25	(71.55)	(227.36)	(48.57)	159.99	-	7002.32
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	954.33	502.49	1191.23	1218.79	558.03	(121.79)	(203.06)	(50.57)	366.94	-	4416.39
- वित्त लागत											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष											2473.81
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष											2037.47
- असाधारण मदें											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष											840.84
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष											(257.99)
- कर व्यय											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष											954.56
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष											733.84
- वर्ष के लिए लाभ											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष											2733.11
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष											1903.07
अन्य जानकारी											
- खंड परिसंपत्तियाँ - गैर चालू											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	26545.18	6084.35	21951.33	16713.50	13415.63	108.48	1437.05	97.94	3296.85		89650.31
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	26924.78	5546.81	22194.62	16424.09	13875.27	113.77	1532.88	107.11	3232.39		89951.72
- खंड परिसंपत्तियाँ - चालू											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	9398.77	2783.29	7598.61	6484.55	2567.99	585.69	1361.07	126.91	16960.15		47867.03
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	7269.86	1890.14	5997.69	5762.73	1991.41	504.51	982.96	131.15	13203.54		37733.99
- बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	0.24	1.20	10.65	1.04	1.19	0.79	-	-	-		15.11
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	8.45	3.16	12.02	3.62	1.16	0.87	-	-	-		29.28
- खंड देयताएँ - गैर चालू											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	2931.50	1703.16	4763.89	2167.07	249.35	141.10	107.10	56.30	17856.96		29976.43
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	4260.76	1779.95	4972.95	1408.34	(22.35)	93.46	113.10	(21.21)	13685.34		26270.34
- खंड देयताएँ - चालू											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	5473.42	1610.84	4786.11	3766.86	1335.61	179.85	515.34	68.95	35688.50		53425.48
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	5039.85	1767.13	4230.51	4657.33	1625.05	164.57	388.36	81.66	31351.01		49305.47
- पूंजीगत व्यय											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	1482.72	869.84	1472.08	1483.16	389.40	3.91	10.74	0.65	70.85		5783.35
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	1030.31	865.13	2011.35	1047.64	338.94	1.45	12.58	3.45	58.80		5369.65
- मूल्यह्रास											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	1333.67	327.15	1567.81	1078.96	806.28	8.73	97.90	6.49	50.46		5277.45
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	1242.26	292.98	1528.47	923.53	810.93	8.56	96.68	6.42	52.69		4962.52
- गैर नकद व्यय के अलावा											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	29.39	17.28	51.48	42.81	21.51	2.14	0.34	0.03	46.59		211.57
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	124.97	33.26	31.44	23.78	14.19	17.19	8.34	3.97	95.66		352.80

कोई भी ग्राहक राजस्व में 10 प्रतिशत से अधिक का योगदान नहीं देता है। कंपनी लौह और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण में लगी हुई है और लौह और इस्पात उत्पादों की बिक्री से राजस्व उत्पन्न करती है और यह कंपनी का केवल रिपोर्ट करने योग्य खंड है।		
प्राथमिक भौगोलिक बाज़ार		
भारत के अंदर		102857.85
भारत के बाहर		1687.24
कुल		**104545.09**

53. पिछली अवधियों के आंकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत किया गया है, ताकि वर्तमान अवधियों के वर्गीकरण के अनुरूप बनाया जा सके।

वित्तीय विवरणों पर किसी भी पुनः समूहीकरण/पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव महत्वहीन है।

निदेशक मंडल के लिए/तरफ से

(एम.बी. बालाकृष्णन)
कंपनी सचिव
एम.नं. ए17770

(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08896653

उक्त तिथि को हमारी रिपोर्ट के संबंध में

वॉकर चांडियोक एण्ड कम्पनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. 001076एन/एन500013

(नलिन जैन)
पार्टनर
एम.नं. 503498

जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 006569सी/डब्ल्यु100892

(देवेन्द्र उपाध्याय)
पार्टनर
एम.नं. 076727

एस पी ए आर के एंड एसोसिएट्स अकाउंटेंटस एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 005313सी/सी400311

(निलेश गुप्ता)
पार्टनर
एम.नं. 406020

विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.
005826सी/सी400276

(विनोद कुमार सिंघल)
पार्टनर
एम.नं. 074391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 20 मई, 2024



1.	**वॉकर चंडियोक एंड कंपनी एलएलपी** एल–41, कॉनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001	2.	**जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी** 202, प्रसिद्ध रेजीडेंसी, साउथ ऑफ बरियातू हाउसिंग कॉलोनी, रानी बागान, रांची–834009	3.	**एसपीएआरके एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एलएलपी** 403ए, चौथी मंजिल, रवि भवन, जय स्तंभ चौराहा, गांधी चौक के पास, रायपुर–446143	4.	**विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी** ए–301, श्री नंद रानी निवास, आरा मिल्स के सामने, वीर कुंवर सिंह कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, हिनू, रांची–834002

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को प्रेसित

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की ऑडिट पर रिपोर्ट **योग्य राय** 1. हमने **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड** के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है। ('कंपनी'), जिसमें 31 मार्च 2024 तक की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह का विवरण और उसी वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीति जानकारी और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, जिसमें समान तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रिटर्न शामिल हैं, जो कंपनी की शाखाओं/इकाइयों/विपणन क्षेत्रों के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किए गए हैं, जैसा कि परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है।	
2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और नीचे पैराग्राफ 17 में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के विचार के आधार पर, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप 31 मार्च 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और इसका लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इसके नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।	
योग्य राय के लिए आधार 3. जैसा कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 47.2(क)(i) में संदर्भित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश कर अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है और प्रवेश कर लगाने से संबंधित मामले अब सर्वोच्च न्यायालय/क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों/वाणिज्यिक कर विभाग/नियुक्त अधिकारियों की नियमित पीठों के समक्ष लंबित हैं। अन्य उपरोक्त न्यायालयों में निर्णय लंबित होने तक, प्रबंधन का विचार है कि 31 मार्च 2024 तक विभिन्न राज्यों में विवादित प्रवेश कर वसूली के लिए समूह के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है, जिसकी राशि ₹ 724.02 करोड़ (उक्त नोट में बताए अनुसार चल रही निपटान कार्यवाही के आधार पर देयता के रूप में निर्दिष्ट ₹137.72 करोड़ में से शुद्ध राशि) है। हालांकि, प्रबंधन के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उचित साक्ष्य के अभाव में, हमारा विचार है कि समेकित वित्तीय विवरणों में प्रवेश कर देयता के लिए प्रावधान को मान्यता दी जानी चाहिए।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 11 नवंबर, 2016 के अपने आदेश के माध्यम से विभिन्न राज्यों द्वारा पारित प्रवेश कर कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। हालांकि, पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कुछ अन्य मामले, जैसे कि भेदभावपूर्ण दरों के कारण प्रवेश कर से संबंधित मामला, जिसके परिणामस्वरूप भिलाई–दुर्ग क्षेत्र में लौह अयस्क और कोकिंग कोल पर 6 प्रतिशत की दर से ₹ 762.91 करोड़ की प्रवेश कर देयता हुई, जबकि छत्तीसगढ़ के बाकी क्षेत्रों में कोकिंग कोल पर दर 1 प्रतिशत और लौह अयस्क पर 3 प्रतिशत की कम है, झारखंड के स्थानीय क्षेत्र में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले माल पर ₹ 98.83 करोड़ की प्रवेश कर राशि जैसे मामलों की सुनवाई करने वाली नियमित पीठों द्वारा निर्धारित की जा सकती है। वर्ष के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य में दर भेदभाव से संबंधित प्रवेश कर विवाद के निपटारे के लिए समझौता योजना (छत्तीसगढ़ कर, ब्याज और दंड के बकाया का निपटान अधिनियम, 2023) के अंतर्गत आवेदन दायर किए गए। ₹ 762.91 करोड की राशि विवादित है, जिसके लिए योजना के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक ₹137.72 करोड़ की निपटान राशि प्रदान की गई है। तदनुसार, सेल द्वारा उठाए गए विभिन्न मामले क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों/निर्दिष्ट प्राधिकरणों/वाणिज्यिक कर विभाग के पास लंबित हैं। न्यायालयों द्वारा निर्णय लंबित रहने तक, ₹724.02 करोड़ की विवादित प्रवेश कर देनदारियों को कंपनी द्वारा आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
4. जैसा कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण के नोट 47.2(ख) में संदर्भित है, चालू संपत्तियों में 2010–11 से 2016–2017 की अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए जारी किए गए बिलों के विरुद्ध दामोदर घाटी निगम को विरोध के अंतर्गत भुगतान किए गए ₹ 587.72 करोड़ का अग्रिम भुगतान शामिल है। मामला न्यायालयधीन है और वर्तमान में टैरिफ को अंतिम रूप देने के लिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) के समक्ष लंबित है। प्रबंधन का मानना है कि विरोध के अंतर्गत भुगतान की गई राशि पूरी तरह से वसूली योग्य है और इस प्रकार, संलग्न समेकित वित्तीय विवरण में कोई समायोजन आवश्यक नहीं है। हालांकि, इन शेष राशि की वसूली योग्य होने के प्रबंधन के दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उचित सबूतों के अभाव में, हमारा मानना है कि इस तरह के अग्रिम वसूली न होने की संभावना के लिए समायोजन संलग्न समेकित वित्तीय विवरण में किया जाना चाहिए।	कंपनी का विचार है कि ये मामले विचाराधीन हैं और लंबे समय से विभिन्न न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष निर्णय के लिए लंबित हैं। इसके अलावा, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के आदेश के खिलाफ 2004–09 के टैरिफ से संबंधित डीवीसी द्वारा दायर सिविल अपील को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर, 2018 के अपने आदेश के अंतर्गत खारिज कर दिया है। तदनुसार, राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) एपीटीईएल के निर्देशानुसार खुदरा टैरिफ को अंतिम रूप देगा, जिसके वित्तीय निहितार्थ का पता एसईआरसी द्वारा टैरिफ निर्धारण के बाद ही लगाया जा सकता है। डीवीसी ने नवंबर, 2020 में झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) के समक्ष 2006–07 से 2011–12 की अवधि के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता के लिए आवेदन के साथ अपना खुदरा टैरिफ आवेदन दायर किया और 2012–13 से 2014–15 की अवधि में राजस्व अंतर/अधिशेष के समायोजन की भी मांग कर रहे हैं। कंपनी ने 28 दिसंबर, 2020 को डीवीसी के उपरोक्त आवेदन पर अपनी आपत्तियां भी दर्ज की हैं। जेएसईआरसी ने 31 अक्टूबर, 2023 के आदेश के अंतर्गत वित्त वर्ष 2006–07 से वित्त वर्ष 2011–12 की अवधि के लिए डीवीसी के श्रेणीवार खुदरा आपूर्ति टैरिफ को अंतिम रूप दिया। हालांकि, डीवीसी ने टैरिफ आदेश में समग्र रूप से गैर–टैरिफ आय पर विचार करने के संबंध में जेएसईआरसी के आदेश के खिलाफ माननीय एपीटीईएल के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी है। एपीटीईएल ने 5 फरवरी, 2024 के अपने आदेश के अंतर्गत डीवीसी की अपील को अनुमति दी और आयोग से जल्द से जल्द एक आदेश पारित करने का अनुरोध किया। (3) और (4) में बताई गई उपरोक्त विवादित मांगों को, वैध और वास्तविक आधार पर चुनौती दी गई है, उन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया है क्योंकि यह संभव नहीं है कि वर्तमान दायित्व 31 मार्च, 2024 तक अस्तित्व में हों।
5. 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उक्त सभी योग्यताओं का समेकित वित्तीय विवरणों पर प्रभाव नीचे दिया गया है: (राशि ₹करोड़ में) **विवरण** / **31 मार्च 2024 को** / **रिपोर्ट किए गए शेष** / **मात्रा निर्धारित की गई सभी योग्यताओं के प्रभाव के बाद शेष राशि** अन्य इक्विटी — 50,000.01 — 49,018.41 आस्थगित कर देयता — 6,178.20 — 5,848.06 अन्य चालू सम्पत्तियां — 4,541.05 — 3,953.33 अन्य चालू देनदारियां — 4,565.19 — 5,289.21 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर ऑडिट रिपोर्ट को भी उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित किया गया था।	
6. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट ऑडिट मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के ऑडिट अनुभाग के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी आचार संहिता और उन नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार जो अधिनियम के प्रावधानों और उनके अंतर्गत नियमों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं, के अनुसार समूह, उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यमों से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, तथा शाखा लेखापरीक्षकों सहित अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य, जिनका उल्लेख नीचे अन्य मामलों के अनुभाग के पैराग्राफ 17 में किया गया है, हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।	



टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब

ध्यान दिए जाने वाले मामले

7. हम आपका ध्यान निम्नलिखित मामलों की ओर आकर्षित करते हैं:

   क. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 49.2 में बताया गया है कि परिचालन से प्राप्त राजस्व में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सरकारी एजेंसियों को कुल ₹ 11,162.37 करोड़ की बिक्री शामिल है (31 मार्च 2024 तक संचयी ₹ 25,661.61 करोड़) जिसे ऐसी सरकारी एजेंसियों के साथ बिक्री की शर्तों के अनुसार अनंतिम कीमतों के आधार पर मान्यता दी गई है।

   ख. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का नोट 49.15, में इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के आधार पर कंपनी के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के निलंबन और कंपनी की नीति/मूल्य निर्धारण निर्णयों से संबंधित कुछ मामलों पर बाहरी जांच एजेंसियों द्वारा की जाने वाली संबंधित जांच के बारे में बताया गया है। प्रबंधन के अनुसार, उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, इस मामले का कंपनी के संचालन और/या इन वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

   इन मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है।

प्रमुख ऑडिट मामले

8. मुख्य ऑडिट मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, और नीचे पैराग्राफ 17 में संदर्भित शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के विचार के आधार पर, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।

9. योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के अतिरिक्त, हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में दर्शाया गया है जिन्हें प्रमुख ऑडिट मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र. सं.	प्रमुख ऑडिट मामला	हमारे ऑडिट ने प्रमुख ऑडिट मामले को कैसे संबोधित किया
1.	**चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ** कंपनी कई कानूनी, विनियामक और कर मामलों के अधीन है, जिनके अंतिम परिणाम की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से महत्वपूर्ण देनदारियाँ हो सकती हैं। चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों के संबंध में प्रबंधन के खुलासे कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 47.1 में प्रस्तुत किए गए हैं। कंपनी द्वारा अपनाई गई संबंधित सामग्री लेखांकन नीति जानकारी के लिए नोट 3.15 देखें। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी देयता को प्रावधान के रूप में मान्यता दी गई है या आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है, इसका आकलन स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक है और व्यवसाय से नकदी बहिर्वाह के निर्धारण, लागू कानूनों और विनियमों की व्याख्या और नियामक प्राधिकरणों के विभिन्न स्तरों पर लंबित मूल्यांकनों की सावधानीपूर्वक जाँच में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता है। चूँकि इसमें शामिल राशियाँ महत्वपूर्ण हैं और संभावित परिणामों की सीमा के कारण उच्च अनुमान और अनिश्चितता होती है जिसके लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन और लेखा परीक्षक निर्णय की आवश्यकता होती है, इस मामले को चालू वर्ष की लेखा परीक्षा के लिए एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना जाता है।	हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल थे: कंपनी के कानूनी और वित्त कर्मियों के साथ आयोजित विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से, चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों की पहचान और मूल्यांकन की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की। लंबित मुकदमों के परिणाम के आकलन के संबंध में प्रबंधन द्वारा लगाए गए नियंत्रणों के डिजाइन का मूल्यांकन और परिचालन प्रभावशीलता की जांच की। मुकदमे के मामलों के सारांश का निरीक्षण किया और कंपनी के कानूनी और वित्त कर्मियों के साथ वर्ष के दौरान प्रमुख विकास पर चर्चा की। कंपनी द्वारा मांगी गई बाहरी कानूनी और/या नियामक सलाह का निरीक्षण और मूल्यांकन किया, जहाँ लागू होता है। कुछ महत्वपूर्ण चल रहे मुकदमों के लिए डीलिंग वकीलों से सीधे पुष्टि प्राप्त की। कुछ महत्वपूर्ण मामलों में उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता की संभावना, मूल्यांकन और लेखांकन के प्रबंधन के आकलन पर चर्चा की और उस पर टिप्पणियां दी। तदनुसार, हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए मान्यता प्राप्त प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों की मात्रा की समीक्षा की और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को शामिल करते हुए ऐसे निष्कर्षों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए अपने पेशेवर निर्णय का प्रयोग किया। लागू लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटन की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया गया।

टिप्पणियाँ			प्रबंधन के जवाब
क्र. सं.	प्रमुख ऑडिट मामला	हमारे ऑडिट ने प्रमुख ऑडिट मामले को कैसे संबोधित किया	
2.	**संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियाँ (चालू पूंजी कार्य सहित)** 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण ('पीपीई'), अमूर्त परिसंपत्ति ('आईए') और चालू पूंजीगत कार्य ('सीडब्ल्यूआईपी') हैं, जिनका वहन मूल्य क्रमशः ₹ 65,396.59 करोड़, ₹ 1488.84 करोड़, ₹ 6140.57 करोड़ है, जैसा कि सलंग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 4, नोट 7 और नोट 5 में वर्णित है। ऐसी गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की पहचान और मूल्यांकन के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की जानकारी के लिए नोट 3.1 देखें। पीपीई, आईए और सीडब्ल्यूआईपी के वहन मूल्यों और उनके संबंधित मूल्यह्रास और परिशोधन राशियों के निर्धारण के लिए काफी प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है। इनमें भारतीय लेखा मानक 16–संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और भारतीय लेखा मानक 38–अमूर्त संपत्ति ('भारतीय लेखा मानक 38') की आवश्यकताओं के अनुसार लागतों को पूंजीकृत करने या व्यय करने के निर्णय, वार्षिक परिसंपत्ति के जीवनकाल की समीक्षा, परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की समयबद्धता और सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के निर्धारण और मूल्यांकन के लिए प्रबंधन की धारणाओं और अनुमानों का उपयोग शामिल है। सीडब्ल्यूआईपी के वहन मूल्य में दीर्घकालिक परियोजनाओं से संबंधित शेष राशि भी शामिल है, जिसके लिए ऐसी परियोजनाओं की निरंतरता और व्यवहार्यता की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता होती है। कंपनी की बैलेंस शीट के संदर्भ में शामिल राशियों के महत्व और आवश्यक निर्णयों और अनुमानों के स्तर को ध्यान में रखते हुए, हम इसे चालू वर्ष की लेखापरीक्षा में एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला मानते हैं।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल थे: कंपनी द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय से संबंधित लेनदेन को दर्ज करने की प्रबंधन की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की और भारतीय लेखा मानक 16 और भारतीय लेखा मानक 38 की आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों का मूल्यांकन किया। डिजाइन का मूल्यांकन किया और उक्त प्रक्रिया के संबंध में प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता की जांच की। वर्ष के दौरान नमूना आधार पर पूंजीकृत राशियों का परीक्षण किया गया, सहायक दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया तथा मूल्यांकन किया गया कि क्या पूंजीकृत परिसंपत्तियां मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं तथा क्या उन्हें सही अवधि में तथा सही मात्रा में सटीक रूप से मान्यता दी गई है। निर्दिष्ट गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों के अग्रणीत मूल्यों के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई, जिसमें पूंजीकृत अंतर्निहित लागतों की प्रकृति, सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण, प्रबंधन और बाह्य तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्यह्रास की गणना में लागू उपयोगी जीवन की उपयुक्तता, जहां आवश्यक हो, तथा दीर्घकालिक परियोजनाओं से संबंधित दीर्घकालिक सीडब्ल्यूआईपी शेष की उपयुक्तता का मूल्यांकन शामिल है। लागू लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की उपयुक्तता और पर्याप्तता का मूल्यांकन किया गया।	



टिप्पणियाँ			प्रबंधन के जवाब
3.	**उप-उत्पाद सूची** 31 मार्च 2024 तक ₹ 4938.11 करोड़ की राशि के उप–उत्पादों के मूल्यांकन के लिए सामग्री लेखांकन नीति सूचना और अन्य व्याख्यात्मक सूचना के सारांश के नोट 3.7 और उससे संबंधित महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, अनुमान और धारणाएं और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 3.21.4 को संदर्भित करें। उप–उत्पादों के भंडार में मुख्य रूप से निम्न–श्रेणी के चूर्ण, बी.एफ. स्लैग और एल.डी. स्लैग और स्लाइम में समाहित लौह और इस्पात स्क्रैप, तथा लौह अयस्क चूर्ण युक्त अवशेष शामिल होते हैं, जो स्टॉक के ढेर में जमा हो जाते हैं। इसके अलावा, जैसा कि नोट 49.10 में स्पष्ट किया गया है, खान मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 16 सितम्बर 2019 के आदेश के अनुसरण में, कुछ उप–उत्पादों को बेचने की अनुमति दी गई थी और इसलिए, पिछले वर्षों में पहली बार उनका मूल्यांकन किया गया था। कंपनी के प्रबंधन ने उप–उत्पाद सूची की पहचान और माप पर आईसीएआई की विषेशज्ञ सलाहकार समिति ('ईएसी राय') की राय भी मांगी। ऐसी वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए प्रबंधन को इन वस्तुओं की मात्रा, गुणवत्ता और मूल्यांकन दर के निर्धारण के लिए अनुमानों के उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, अपेक्षित भावी बिक्री योग्यता और ऐसे उप–उत्पाद इन्वेंटरी की कैप्टिव खपत की योजनाओं के आधार पर, प्रबंधन ने बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने के बाद बेची/खपत की जाने वाली अपेक्षित इन्वेंटरी को, जो कि कंपनी का परिचालन चक्र है, गैर–वर्तमान इन्वेंटरी के रूप में वर्गीकृत किया है। ऐसे उप–उत्पादों की सूची की बिक्री/खपत में नगण्य हलचल, उसके वहन मूल्य की महत्वपूर्ण ता और ऊपर चर्चा की गई जटिलताओं के कारण, हमने चालू वर्ष की ऑडिट में इस क्षेत्र को एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में माना है। इसके अलावा, नोट 49.10 में वर्णित पूर्वोक्त इन्वेंट्री के वर्गीकरण और मूल्यांकन के प्रबंधन के आकलन को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की समझ के लिए मूल माना जाता है।	हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल थे: प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों की समझ प्राप्त की, जिसमें सब ग्रेड फाइन्स, बीएफ स्लैग और एलडी स्लैग में सन्निहित लौह और इस्पात स्क्रैप तथा लौह अयस्क फाइन्स (उप–उत्पाद) युक्त स्लाइम की पहचान से संबंधित नियंत्रण शामिल हैं। प्रबंधन द्वारा प्राप्त ईएसी राय के साथ भारतीय लेखा मानक 2, इन्वेंटरी की आवश्यकताओं के अनुसार उप–उत्पाद इन्वेंटरी के मूल्यांकन के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति का मूल्यांकन किया गया। उप–उत्पादों के मूल्य के प्रबंधन के आकलन में, हमने मूल्यांकन के लिए विचार किए गए उप–उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता (ग्रेडेशन सहित) का पता लगाने में अपनाई गई प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रबंधन के साथ विस्तार से चर्चा की। भारतीय खनन ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) के संदर्भ में एनआरवी के प्रबंधन के अनुमान की पुष्टि की गई। हमने उप–उत्पादों की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा मांगी गई बाहरी विशेषज्ञों से तकनीकी विश्लेषण रिपोर्ट और फाइन्स की गुणवत्ता (ग्रेडेशन सहित) का पता लगाने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट भी प्राप्त की। वर्तमान और गैर–वर्तमान के बीच उप–उत्पाद सूची के वर्गीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमानित भावी बिक्री/खपत के प्रबंधन के कार्य को प्राप्त किया, और ऐसे उप–उत्पादों की मांग की उपलब्धता पर प्रबंधन के अनुमानों के मूल्यांकन के अलावा ऐसी सूची की बिक्री के लिए आवश्यक प्रसंस्करण और आगे के अनुमोदन की हमारी समझ के आधार पर अंतर्निहित मान्यताओं का परीक्षण किया। लागू लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की उपयुक्तता और पर्याप्तता का मूल्यांकन किया गया।	

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

10. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी भी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या ऑडिट में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत प्रतीत होती है।

वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ते हुए यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारी लोगों को सूचित करना होगा।

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
प्रबंधन और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए शासन का प्रभार संभालने वाले व्यक्तियों की जिम्मेदारियां 11. संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी के निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, जो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में हैं, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक हैं जो एक सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त हैं। 12. स्वतंत्र वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में संचालन जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का प्रकटन करने तथा लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का उद्देश्य नहीं रखते हों, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो। 13. निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।	
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की ऑडिट के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां 14. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि ऑडिट के मानकों के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलतबयानी के होने का पता लगाएगा। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की संभावना हो।	
15. अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्दिष्ट ऑडिट मानकों के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्न कार्य भी करते हैं: • वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और उनका पालन करना, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है; • ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं ताकि ऐसी ऑडिट प्रक्रियाएं पूरी की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या होल्डिंग कंपनी के पास समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।; • उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं; • लेखा–जोखा के लिए निदेशक मंडल द्वारा चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं तथा प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो समूह तथा उसकी सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों की चालू व्यवसाय के रूप में संचालन जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह तथा उसके सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों को चालू व्यवसाय को बंद करना पड़ सकता है; • प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुती प्राप्त हो सके; और	



टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
• प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करते हैं, तथा यह देखते हैं कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं; वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के अंदर संस्थाओं, और उसकी सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों की वित्तीय जानकारी/वित्तीय विवरणों के बारे में पर्याप्त उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की ऑडिट के निर्देश, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं और शाखाओं के लिए, जिनका अन्य लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक और शाखा लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए ऑडिट के निर्देश, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी ऑडिट राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। 16. हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं; 17. हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।	
18. शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख ऑडिट मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को प्रतिबंधित नहीं करता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।	
अन्य मामले 19. हमने कम्पनी के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल होल्डिंग कंपनी की 11 (ग्यारह) शाखाओं/इकाइयों/विपणन क्षेत्रों के वार्षिक वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया, जिनकी वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2024 तक ₹ 64,560.81 करोड़ की कुल संपत्ति और ₹ 40,094.16 करोड़ का कुल राजस्व, ₹ 49.65 करोड़ का कर के बाद कुल शुद्ध घाटा और ₹ 109.03 करोड़ का कुल व्यापक घाटा और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए ₹ 4.29 करोड़ का नकदी प्रवाह (शुद्ध) दर्शाती है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरण में माना गया है। इन वार्षिक वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है, और हमारी राय, जहां तक यह इन शाखाओं/इकाइयों/विपणन क्षेत्रों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है और जहां तक कथित शाखाओं का संबंध है, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) के संबंध में हमारी रिपोर्ट एक मात्र इस प्रकार के शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी उपरोक्त राय, तथा अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी नीचे दी गई रिपोर्ट, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और उनकी रिपोर्टों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।	
20. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का पूर्ववर्ती लेखा परीक्षकों मेसर्स तेज राज एंड पाल, मेसर्स एस. जयकिशन, मेसर्स वॉकर चंडियोक एंड कंपनी एलएलपी और मेसर्स केएएसजी एंड कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से ऑडिट किया गया था, जिन्होंने 25 मई 2023 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से उन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय व्यक्त की है। **अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट** 21. हमारी ऑडिट के आधार पर, तथा ऊपर पैराग्राफ 17 में उल्लिखित शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, हम रिपोर्ट करते हैं कि अधिनियम की अनुसूची–V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कंपनी अधिनियम की धारा 2(45) के अंतर्गत परिभाषित एक सरकारी कंपनी है। तदनुसार, धारा 197(16) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है। 22. अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की आवश्यकता के अनुसार हम अनुलग्नक–I में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण प्रदान करते हैं, जहां तक लागू हो। 23. अनुलग्नक–I में हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त, जैसा कि अधिनियम की धारा143(3) द्वारा हमारी ऑडिट के आधार पर अपेक्षित है, तथा ऊपर अनुच्छेद 17 में संदर्भित शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करते हुए, हम, जहां तक लागू हो, रिपोर्ट करते हैं कि: (क) हमने योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों को छोड़कर, सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे; (ख) हमारी राय में, जहां तक उन खातों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे हमारी ऑडिट के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं, योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर और कंपनी (ऑडिट और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 (छ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 21(i)(vi) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर। (ग) शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से कार्यवाही की गई है;	

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
(घ) इस रिपोर्ट में शामिल स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण लेखा पुस्तकों तथा उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्न से मेल खाते हैं, जहां हम नहीं गए हैं; (ड.) योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक का अनुपालन करते हैं; (च) अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी अधिनियम की धारा 2(45) के अंतर्गत परिभाषित एक सरकारी कंपनी है; (छ) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित योग्यता/संशोधन योग्य राय के आधार अनुभाग के पैराग्राफ 3 में, अधिनियम की धारा 143(3)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर ऊपर पैराग्राफ 21(ख) और कंपनी (ऑडिट और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 (छ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 21 (i)(vi) में वर्णित हैं; (ज) 31 मार्च 2024 तक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक–II में हमारी अलग रिपोर्ट देखें जिसमें हमने एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की है; और (झ) कंपनी (ऑडिट और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014, (संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और ऊपर पैराग्राफ 17 में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर: i. योग्य राय के आधार अनुभाग के पैराग्राफ 3 में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 47.1 में विस्तृत है, 31 मार्च 2024 तक अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है; ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए 31 मार्च 2024 तक कोई भी महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित घाटा हो; iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी, सिवाय ₹1.0 करोड़ की राशि के जो अघोषित परिपक्व जमा से संबंधित है, जिसे 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में जमा किया जाना आवश्यक था और जिसे 31 मार्च 2024 तक जमा नहीं किया गया है;	परिपक्व जमाराशि पर व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों/रिश्तेदारों द्वारा पहले ही दावा किया जा चुका है, लेकिन दावेदारों द्वारा कानूनी उत्तराधिकारी के प्रमाण के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मामला लंबित है। कानूनी उत्तराधिकारियों को परिपक्व जमाराशि वापस करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।
iv. (क) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 51.7 (क) में बताया गया है, कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है। (उधार ली गई धनराशि या प्रतिभूतियों के प्रीमियम से या कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को किसी भी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि में से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी तरफ से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या इकाईयों में निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की तरफ से कोई गारंटी, प्रतिभूति प्रदान करेगा। (ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 51.7(ख) में प्रकट किया गया है, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (वित्तपोषण पक्ष) शामिल हैं, लिखित या अन्यथा किसी ऐसे अनुबंध के अंतर्गत कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से मनोनित किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह का कोई अन्य काम करेगी; तथा (ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप–खण्ड (क) और (ख) के अंतर्गत प्रबंधन के अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी है।	
v. पिछले वर्ष के लिए घोषित ऐसे लाभांश के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान किया गया अंतरिम/अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जहां तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है। जैसा कि साथ में दिए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 49.16 में बताया गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।	



टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नीचे उल्लिखित उदाहरण को छोड़कर जांच शामिल थी, कंपनी ने 1 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के संबंध में अपने खातों की पुस्तकों के रखरखाव के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष इसे संचालित किया गया है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला, सिवाय नीचे दिए गए अपवाद के परिणामी प्रभाव के।	
देखे गए अपवाद की प्रकृति / अपवाद का विवरण	2024–25 की पहली तिमाही में ऑडिट ट्रेल सुविधा एक संयंत्र में लागू की गई है और शीघ्र ही दूसरे संयंत्र में भी लागू की जाएगी।
खाता बही के रखरखाव के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर के उदाहरण जिनमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं थी / कंपनी के दो संयंत्रों की लेखा पुस्तकों के रखरखाव के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ लेखांकन सॉफ्टवेयर की ऑडिट ट्रेल सुविधा में ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं है।	
लेखा पुस्तकों के रखरखाव के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर के उदाहरण जिनके लिए सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) दर्ज करने की सुविधा पूरे वर्ष संचालित नहीं की गई थी। / कॉर्पोरेट कार्यालय में, जो एक इकाई है, पांच विपणन क्षेत्रों और सात संयंत्रों के लिए कुछ लेखांकन सॉफ्टवेयरों के लिए डेटाबेस स्तर पर ऑडिट ट्रेल सुविधा सक्षम नहीं थी, जिससे किसी भी प्रत्यक्ष डेटा परिवर्तन को लॉग किया जा सके, जिसका उपयोग इन कॉर्पोरेट कार्यालय/इकाई/विपणन क्षेत्रों संयंत्रों द्वारा सभी लेखांकन रिकॉर्डों के रखरखाव के लिए किया जाता है।	चालू वर्ष में आवश्यक कार्रवाई के लिए मामले की समीक्षा की जा रही है।
24. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षा के अनुसार, हम कंपनी के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण 'अनुलग्नक–III' में दिया है।	

वॉकर चांडियोक एण्ड कम्पनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001076एन/एन500013

सी.ए. नलिन जैन
पार्टनर
एम.नं. 503498
यूडीआईएनः 23503498बीजीआरजीबीएक्स1676

जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 006569सी/डब्ल्यु100892

सी.ए. देवेन्द्र उपाध्याय
पार्टनर
एम.नं. 076727
यूडीआईएनः 24076727बीकेएफयूसीएन4486

एस पी ए आर के एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड के लिए
अकाउंटेंट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 005313सी/सी400311

सीए निलेश गुप्ता
पार्टनर
एम.नं.: 406020
यूडीआईएनः 24406020 बीकेएफटीटीओ1496

विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 005826सी/सी400276

सीए विनोद कुमार सिंघल
पार्टनर
एम.नं.: 074391
यूडीआईएनः 24074391बीकेजेआरवाईजी8434

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षरकर्ता
(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष

दिनांक: 20 मई 2024
स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 8 अगस्त 2024
स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक-I

शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं/इकाइयों/विपणन क्षेत्रों की सूची

1. केंद्रीय विपणन संगठन – दक्षिणी क्षेत्र
2. केंद्रीय विपणन संगठन – पश्चिमी क्षेत्र
3. केंद्रीय विपणन संगठन – पूर्वी क्षेत्र
4. केंद्रीय विपणन संगठन – परिवहन और शिपिंग
5. अनुसंधान एवं विकास केंद्र, रांची
6. राउरकेला स्टील प्लांट
7. इस्को स्टील प्लांट, बर्नपुर
8. सेलम स्टील प्लांट
9. विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट
10. सेल रिफ्रैक्टरीज यूनिट
11. चंद्रपुर फेरो मिश्र धातु संयंत्र

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 20 में संदर्भित अनुलग्नक-I

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
हमारे द्वारा मांगी गई सूचना और कंपनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण तथा ऑडिट के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांची गई खाता बहियों और अभिलेखों के आधार पर तथा शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:	
(i) (क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, चालू पूंजीगत कार्य, निवेश संपत्ति और उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के प्रासंगिक विवरणों सहित मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड को बनाए रखा है, सिवाय कुछ भूमि के संबंध में जहां क्षेत्र और स्थान को अचल संपत्ति रजिस्टर में अपडेट करने की आवष्यकता है। इसके अलावा, इन भूमियों के संबंध में क्षेत्र को संबंधित राज्यों में अधिकारियों के रिकॉर्ड के साथ मिलान करने की आवश्यकता है और जहां देरी प्रक्रियात्मक मामलों के कारण है, जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया है।	अचल सम्पत्ति रजिस्टर में संबंधित संयंत्रों के स्थान एवं क्षेत्रफल की सीमा को अद्यतन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यह एक सतत प्रक्रिया है।
(ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।	
(ख) कंपनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, चालू पूंजीगत कार्य, निवेश संपत्ति और उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के प्रासंगिक विवरणों के महत्वपूर्ण सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत परिसंपत्तियों का महत्वपूर्ण सत्यापन तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से किया जाता है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए उचित है। इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति और उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के प्रासंगिक विवरणों का सत्यापन किया गया और ऐसे सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गईं/ऐसे सत्यापन में महत्वपूर्ण विसंगतियां पाई गईं, जिनका लेखा–जोखा पुस्तकों में उचित तरीके से निपटारा किया गया है। हालाँकि, कुछ भूमि और इमारतें हैं जो अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जे में हैं और इसलिए, उनका महत्वपूर्ण सत्यापन नहीं किया गया।	अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जे वाली भूमि एवं भवन से कब्जाधारियों को बेदखल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
(ग) कंपनी द्वारा धारित सभी अचल संपत्तियों (निवेश संपत्तियों सहित) के स्वामित्व विलेख (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं), जिनका प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 4,4 क और 48.1 (ख) में किया गया है, निम्नलिखित संपत्तियों को छोड़कर, जिनके लिए कंपनी का प्रबंधन कंपनी के नाम पर पंजीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया में है:	

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर है	क्या प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी है	अवधि जब से नाम पर है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.11	असम सिलिमनाइट और भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड	नहीं	11-02-1976 और 30-04-1978	लागू नहीं है
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.01	एशियन रिफ्रैक्टरीज	नहीं	05-04-1963	उद्योग विभाग, बिहार सरकार की ओर से पुनर्वास
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.02	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	1963	लंबित पंजीकरण
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.08	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	1956-57	राज्य सरकार से "अधिकार का अभिलेख" (आर ओआर) प्राप्त होना लंबित है। जैसा कि सूचित किया गया है, उक्त सरकार के साथ मामला उठाया गया है
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.13	इंडिया फाय्ररब्रिक्स एंड इंसुलेशन कंपनी लिमिटेड	नहीं	15.09.1960	लागू नहीं है



टिप्पणियाँ						प्रबंधन के जवाब
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	126.24	झारखंड राज्य सरकार	नहीं	1960 से	झारखंड राज्य सरकार और सेल/ बोकारो स्टील प्लांट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की औपचारिकताएं प्रतीक्षा में हैं।	
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	7.55	तमिलनाडु राज्य सरकार	लागू नहीं	1972-1980	तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा निजी भूमि स्वामियों से भूमि अधिग्रहित की गई तथा राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि भी सलेम स्टील प्लांट को हस्तांतरित कर दी गई। अधिग्रहित भूमि के लिए टाइटल डीड निष्पादित नहीं किया गया है, लेकिन राज्य सरकार के भूमि अभिलेखों में यह भूमि सलेम स्टील प्लांट के नाम पर पंजीकृत है।	
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.06	दक्षिण पश्चिम रेलवे	नहीं	31.03.1984 से रिपोर्टिंग तिथि तक	निर्दिष्ट भूमि रेलवे की है। अब इस लेन का उपयोग टाटा, केएसआईडीसी और सेल द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। सीमांकन और पंजीकरण के लिए मामले को रेलवे के साथ संयुक्त रूप से उठाया गया है।	
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	10.29	विभिन्न पार्टियाँ	नहीं	1986-2008	म्यूटेशन लंबित है,	
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.09	विभिन्न पार्टियाँ	नहीं	1954-1974	विवादित है	
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.13	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड–इलाहाबाद	नहीं	25-02-1970	म्यूटेशन लंबित है,	
इमारत	0.28	अशोक संकट भटनागर(एचयूएफ)	नहीं	01-08-2019	विवादित है	

जिन संपत्तियों में कंपनी पट्टेदार है, उनके लिए पट्टा अनुबंध कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर:

संपत्ति का विवरण	परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार मूल्य	स्थान	पट्टादाता का विवरण	अवधि
पट्टा–भूमि	0.20	रांची	मेकॉन लिमिटेड	1979-80 से
पट्टा–भूमि	147.81	राउरकेला	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी)	01-02-2009
पट्टा–भूमि	75.26	राउरकेला	ओडिशा सरकार	01-10-1959
पट्टा–भूमि	0.10	राउरकेला	ओडिशा सरकार	01-10-1959
पट्टा–भूमि	15.81	राउरकेला	ओडिशा सरकार	29-11-1957
पट्टा–भूमि	16.80	कोलकाता	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट	07-05-2004

टिप्पणियाँ					प्रबंधन के जवाब
पट्टा–भूमि	11.97	विशाखापत्तनम	विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	27-07-2004	
पट्टा–भूमि	0.91	जम्मू	जम्मू और कश्मीर सरकार	05-07-1968	
पट्टा–भूमि	0.67	कानपुर	कानपुर विकास प्राधिकरण	1986	
पट्टा–भूमि	23.04	कोलकाता	कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण	09-10-2009	
पट्टा–भूमि	0.38	कोलकाता	पारादीप पोर्ट ट्रस्ट	17-08-2019	

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) (क) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का महत्वपूर्ण सत्यापन किया है, परिवहन के अंतर्गत माल और तीसरे पक्ष के पास पड़ी इन्वेंट्री को छोड़कर। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है और बुक रिकॉर्ड की तुलना में इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10 प्रतिशत या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई। तीसरे पक्ष के पास पड़ी इन्वेंट्री के संबंध में, इनकी पुष्टि तीसरे पक्ष द्वारा की गई है और परिवहन के अंतर्गत माल के संबंध में, इनकी पुष्टि संबंधित रसीद और/या प्रेषण इन्वेंट्री रिकॉर्ड से की गई है।

(ख) जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 51.5 में बताया गया है, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों द्वारा ₹ 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की गई है। कार्यशील पूंजी सीमाओं के संबंध में तिमाही विवरण कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों के साथ दाखिल किए गए हैं और ये विवरण संबंधित अवधि के लिए कंपनी की खाता बहियों के साथ मेल खाते हैं जो समीक्षा के अधीन थे, निम्नलिखित को छोड़ करः

(₹ करोड़)

बैंक/वित्तीय संस्था का नाम	स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमा	सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत चालू परिसंपत्तियों की प्रकृति	तिमाही	रिटर्न के अनुसार दी की गई जानकारी	लेखा पुस्तकों के अनुसार जानकारी	अंतर	टिप्पणी
भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों का संघ	10,000	स्टॉक और व्यापार प्राप्य	30 जून 2023	37,586	33,794	3,792	जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, बैंकों को दी गई जानकारी अनंतिम आंकड़ों पर आधारित थी।
			30 सितम्बर 2023	33,008	31,521	1487	
			31 दिसम्बर 2023	34,560	36,073	(1513)	
			31 मार्च 2024	40,272	40,955	(683)	

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या किसी अन्य पक्ष को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में सुरक्षित या असुरक्षित कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(iv) हमारी राय में, तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किए गए निवेशों और उसके द्वारा प्रदान की गई गारंटी और सुरक्षा के संबंध में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जैसा कि लागू होता है। इसके अलावा, कंपनी ने धारा 185 के अंतर्गत आने वाले किसी भी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है, कोई जमा स्वीकार नहीं किया है या ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा स्वीकृति) नियम, 2014 (संशोधित) के अर्थ में जमा माना गया हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।



टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब

(v) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है या ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा स्वीकृति) नियम, 2014 (संशोधित) के अर्थ में जमा माना गया हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3(V) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्दिष्ट किया है। हमने कंपनी द्वारा लागत अभिलेखों के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार बनाए गए खातों की पुस्तकों की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और अभिलेख बनाए गए हैं और उनका रखरखाव किया गया है। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए लागत अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक या पूर्ण हैं या नहीं।

(vii)(क) हमारी राय में, तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक बकाया सहित अविवादित वैधानिक बकाया, जैसा भी लागू हो, आम तौर पर कंपनी द्वारा उचित अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया जाता रहा है, हालांकि कुछ मामलों में थोड़ी देरी हुई है। इसके अलावा, इसके संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि वर्ष के अंत में देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, उप–खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई भी वैधानिक बकाया नहीं है, जो किसी विवाद के कारण उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया हो, निम्नलिखित को छोड़कर

(₹ करोड़)

क़ानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	सकल राशि	विरोध के अंतर्गत भुगतान की गई राशि	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
केंदीय सीमा शुल्क अधिनियम 1944	सीमा शुल्क	250.39	1.5	2000-2002 2011-2016 2019-2020	सर्वोच्च न्यायालय
		38.43	-	1997-1998 2000-2012	उच्च न्यायालय
		2,601.75	43.50	1999-2019	ट्रिब्यूनल
		52.00	0.59	1988-2018	आयुक्त(अपील)
		2,761.91	1.19	1993-1994 2004-2018	आयुक्त
		1.56	-	2001-04	सहायक आयुक्त
छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम, 1956	समेकित कर	0.72	0.72	2001-2010	उच्च न्यायालय
छत्तीसगढ़ उपकार (संशोधन) अधिनियम, 2004	समेकित कर	2.77	0.15	2021-2022	उच्च न्यायालय
	प्रवेश विकास उपकर	254.45	-	2006-2007	सर्वोच्च न्यायालय
		235.71	235.71	2006-2023	उच्च न्यायालय
कर्मचारी प्रदत्त निधि अधिनियम	कर्मचारी भविष्य निधि	2.3	-	1966-2019	ट्रिब्यूनल
कर्मचारी राज्य बीमा	कर्मचारी राज्य बीमा	67.85	-	1990 1999-2007	कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय
प्रवेश कर कानून	प्रवेश कर	2,653.85	1,538.81	2008-2018	उच्च न्यायालय
		164.92	108.16	2004-2017	ट्रिब्यूनल

टिप्पणियाँ						प्रबंधन के जवाब
		99.79	-	2010-11 2014-15	अपर आयुक्त अपील	
		115.02	21.35	2006-2008 2010 2013-14	अपर आयुक्त	
वित्त अधिनियम	सेवा कर	19.94	-	2004-2005	उच्च न्यायालय	
		92.90	1.41	2011-2022	ट्रिब्यूनल	
		18.31	0.21	2002-2023	आयुक्त (अपील)	
		0.25	-	2014-2018	आयुक्त	
वन संरक्षण अधिनियम 1980	रॉयल्टी	96.28	96.28	2017-18	उच्च न्यायालय	
		36.77	0.95	2017-2018	उच्च न्यायालय	
		32.26	1.49	2017-2022	आयुक्त (अपील)	
		0.72	-	2017-2018	आयुक्त	
		5.48	-	2017-2023	अपर आयुक्त	
		4.68	-	2017-2018	सहायक आयुक्त	
		0.04	-	2022-23	एओ	
		4.64	-	2019-20	दायर किया जाना है	
हिमाचल प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 2010	प्रवेश कर	2.47	0.25	2010-11	आयुक्त (अपील)	
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	1,45.92	-	1988-2012	उच्च न्यायालय	
		7,24.31	38.35	2010-2013	आईटीएटी	
		9,73.23	-	2014-2021	आयुक्त अपील	
		60.81	-	2013-14	सीआईइटी	
		40.94	-	2005-06, 2013-14, 2017-18	एओ	
झारखण्ड प्रवेश कर	प्रवेश कर	98.83	-	2001-2002, 2012-2018	उच्च न्यायालय	
ओडिशा प्रवेश कर 1999	प्रवेश कर	18.97	-	2005-2010	बिक्री कर आयुक्त	
अन्य	मध्यस्थता	0.26	-	2013	सिविल कोर्ट	
	सिविल मामला	9.41	-	2009-2010	उच्च न्यायालय	
		2.39	-	2001-2016	विभाग	



टिप्पणियाँ						प्रबंधन के जवाब
	चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण बकाया	1.17	-	1986-2018	उच्च न्यायालय	
	कर्मचारी भत्ते	6.01	-	2007-2008	उच्च न्यायालय	
	वन कर	5.01	-	2010-2011	सर्वोच्च न्यायालय	
		2.5	-	2003-2004	ट्रिब्यूनल	
	नगर निगम	2.20	-	2008	उच्च न्यायालय	
	चुंगी	21.77	-	वित्तीय वर्ष 1992-93 से 1999-2000	उच्च न्यायालय	
	मिश्रित	3.14	-	विभिन्न	सिविल कोर्ट	
	रॉयल्टी	0.17	-	2003	सिविल कोर्ट	
	स्टांप शुल्क	2,320.4	-	1990-2013	उच्च न्यायालय	
	टर्मिनल कर	1.99	-	2001-02	उच्च न्यायालय	
	ट्रांजिट पास	154.15	128.52	2001-02, 2022-23	उच्च न्यायालय	
संपत्ति कर	संपत्ति कर	1,289.97	-	2015-2023	उच्च न्यायालय	
बिक्री कर कानून	बिक्री कर कानून और वैट	3.09	-	1989-1992	सुप्रीम कोर्ट	
		338.01	13.13	1989-1993, 1996-1998, 2008-2016	उच्च न्यायालय	
		624.97	56.00	1987-2017	ट्रिब्यूनल	
		114.05	53.88	1984-1985, 1987-1994, 1998-1999, 2000-2001, 2005-2014	अपर आयुक्त (अपील)	
		3.82	2.46	1994-1996 2005-2007 2009-2013 2016-2018	अपर आयुक्त (अपील)	
		10.44	1.40	1987-1988 2008-2020	आयुक्त	
		11.94	1.64	विभिन्न वर्ष	संयुक्त आयुक्त (अपील)	
		1.62	0.22	1998-2000	अपर आयुक्त	
		0.08	-	2017-2018	मूल्यांकन अधिकारी	
सीमा शुल्क अधिनियम 1962	सीमा शुल्क	1.65	-	2008	उच्च न्यायालय	
		8.89	-	2009-2010 2017-2021	ट्रिब्यूनल	
		11.18	-	2023-2024	आयुक्त (अपील)	

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र माल प्रवेश कर अधिनियम, 2007	प्रवेश कर	0.71	-	2008-2014	उच्च न्यायालय
		10.31	-	2009-2013	ट्रिब्यूनल
		0.83	-	2013-2014	आयुक्त (अपील)

(viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान कोई भी ऐसा लेन–देन आय के रूप में समर्पित या प्रकट नहीं किया गया, जिसे पहले लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया हो।

(ix) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को अपने ऋण या उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य उधारदाताओं से प्राप्त पुष्टियों और कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन सहित हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए इसे प्राप्त किया गया था।

(घ) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा अल्पावधि आधार पर जुटाई गई धनराशि का प्रथम दृष्टया दीर्घकालिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

(ई) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

(च) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है।

(x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या (पूरी तरह, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xi) (क) हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी ऑडिट द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए अभ्यावेदन सहित हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी (ऑडिट और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 12 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट हमारी ऑडिट द्वारा कवर की गई अवधि के लिए दायर नहीं की गई है।

(ग) कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए अभ्यावेदन सहित हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल–ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है और निधि नियम, 2014 इस पर लागू नहीं होते। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेन–देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहाँ लागू हो। इसके अलावा, ऐसे संबंधित पक्ष लेन–देन का विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, जैसा कि अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत भारतीय लेखा मानक 24, कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 में निर्दिष्ट संबंधी पक्ष की घोषणाओं में निर्दिष्ट किया गया है।

(xiv) (क) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास एक आंतरिक ऑडिट प्रणाली है जो अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है, सिवाय इसके कि आंतरिक ऑडिट कार्य द्वारा किए गए परीक्षण के दस्तावेज़ीकरण को बढ़ाने की आवश्यकता है।

(ख) हमने ऑडिट अवधि के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा आज तक जारी रिपोर्टों पर विचार किया है।



टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और तदनुसार, अधिनियम की धारा 192 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में आदेश के खंड 3(xv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है। (xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1ए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(क), (ख) और (ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है। (xvii) कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष के साथ–साथ तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है। (xviii) वर्ष के दौरान किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xviii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है। (xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को चुकाने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हमारा कहना है कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। इसके अलावा हमारा कहना हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा। (xx) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के अंत तक चल रही परियोजनाओं के अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कोई भी राशि खर्च नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है। (ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने चालू परियोजना के संबंध में अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए शेष अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के अंदर अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है। (xxi) आदेश के खंड 3(xxi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की ऑडिट के संबंध में लागू नहीं है। तदनुसार, इस रिपोर्ट के अंतर्गत उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।	

वॉकर चांडियोक एण्ड कम्पनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001076एन/एन500013

जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 006569सी/डब्ल्यु100892

सी.ए. नलिन जैन
पार्टनर
एम.नं. 503498
यूडीआईएन: 23503498बीजीआरजीबीएक्स1676

सी.ए. देवेन्द्र उपाध्याय
पार्टनर
एम.नं. 076727
यूडीआईएन: 24076727बीकेएफयूसीएन4486

एस पी ए आर के एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड के लिए
अकाउंटेंट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 005313सी/सी400311

विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 005826सी/सी400276

सीए निलेश गुप्ता
पार्टनर
एम.नं.: 406020
यूडीआईएन: 24406020बीकेएफटीटीओ1496

सीए विनोद कुमार सिंघल
पार्टनर
एम.नं.: 074391
यूडीआईएन: 24074391बीकेजेआरवाईजी8434

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षरकर्ता
(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष

दिनांक: 20 मई 2024
स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 8 अगस्त 2024
स्थान: नई दिल्ली

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक II

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के संयोजन में, हमने समान तिथि तक कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है। **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारियां** 2. कंपनी का निदेशक मंडल, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उनका रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता, और अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है। **वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी** 3. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी किए गए ऑडिट मानकों के अनुसार, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और उसे निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे। 4. हमारे ऑडिट में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी ऑडिट में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। 5. हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे अन्य मामले पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में प्राप्त ऑडिट साक्ष्य, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। **वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ** 6. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं; (2) जो उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। **वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं** 7. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है। **राय** 8. हमारी राय में, कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और इस तरह के नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंडों पर आधारित है, जिनमें भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया जाता है।	



टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
अन्य मामले 9. हमने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट नहीं की, जहां तक यह 11 (ग्यारह) शाखाओं/इकाइयों/विपणन क्षेत्रों से संबंधित है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2024 तक ₹ 64,560.81 करोड़ की कुल संपत्ति और ₹ 40,094.16 करोड़ का कुल राजस्व, ₹ 49.65 करोड़ का कर के बाद कुल शुद्ध घाटा और ₹ 109.03 करोड़ का कुल व्यापक घाटा और समाप्त वर्ष के लिए ₹ 4.29 करोड़ का नकदी प्रवाह (शुद्ध) दर्शाती है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना जाता है। जहां तक ऐसी शाखाओं/इकाइयों/विपणन क्षेत्रों से संबंधित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा ऑडिट की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक इन शाखाओं/इकाइयों/विपणन क्षेत्रों से संबंधित है, अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत कंपनी के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी रिपोर्ट पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है। इस मामले में शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और उनकी रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।	

वॉकर चांडियोक एण्ड कम्पनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001076एन/एन500013

सी.ए. नलिन जैन
पार्टनर
एम.नं. 503498
यूडीआईएनः 23503498बीजीआरजीबीएक्स1676

एस पी ए आर के एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड के लिए
अकाउंटेंट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 005313सी/सी400311

सीए निलेश गुप्ता
पार्टनर
एम.नं.: 406020
यूडीआईएनः 24406020बीकेएफटीटीओ1496

जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 006569सी/डब्ल्यु100892

सी.ए. देवेन्द्र उपाध्याय
पार्टनर
एम.नं. 076727
यूडीआईएनः 24076727बीकेएफयूसीएन4486

विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 005826सी/सी400276

सीए विनोद कुमार सिंघल
पार्टनर
एम.नं.: 074391
यूडीआईएनः 24074391बीकेजेआरवाईजी8434

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षरकर्ता
(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष

दिनांक: 20 मई 2024
स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 8 अगस्त 2024
स्थान: नई दिल्ली

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक III

टिप्पणियां			प्रबंधन के जवाब
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 5 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले मामले। कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन तथा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:			
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश			
क्र. सं.	**मामले**	**लेखापरीक्षक की टिप्पणियां**	
1.	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की विश्वसनीयता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।	कंपनी ने पांच एकीकृत संयंत्रों, केंद्रीय विपणन संगठन और कॉर्पोरेट कार्यालय में लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए एसएपी सॉफ्टवेयर स्थापित किया है। अन्य संयंत्रों/इकाइयों/खानों आदि के संबंध में, कंपनी लिगेसी सॉफ्टवेयर प्रणालियों का उपयोग करती है। शाखा कार्यालयों के लेखापरीक्षकों से प्राप्त ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर जहां भी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के बाहर कार्यप्रणाली के आधार पर आईटी प्रणालियों के माध्यम से संसाधित किया जाता है, खातों की विश्वसनीयता में कमी और किसी भी वित्तीय निहितार्थ का कोई मामला नोट/रिपोर्ट नहीं किया गया है।	
2.	कंपनी के किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने का मामला बनाया गया है ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए	प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या ऋण/उधार/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं दिखाई दिया।	
3.	क्या केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? उल्लंघन के मामलों की सूची बनाइए।	वर्ष के दौरान केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई या प्राप्त होने वाली नहीं है।	

वॉकर चांडियोक एण्ड कम्पनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001076एन/एन500013

सी.ए. नलिन जैन
पार्टनर
एम.नं. 503498
यूडीआईएनः 23503498बीजीआरजीबीएक्स1676

जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 006569सी/डब्ल्यु100892

सी.ए. देवेन्द्र उपाध्याय
पार्टनर
एम.नं. 076727
यूडीआईएनः 24076727बीकेएफयूसीएन4486

एस पी ए आर के एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड के लिए
अकाउंटेंट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 005313सी/सी400311

सीए निलेश गुप्ता
पार्टनर
एम.नं. 406020
यूडीआईएनः 24406020बीकेएफटीटीओ1496

विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 005826सी/सी400276

सीए विनोद कुमार सिंघल
पार्टनर
एम.नं.: 074391
यूडीआईएनः 24074391बीकेजेआरवाईजी8434

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षरकर्ता
(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष

दिनांक: 20 मई 2024
स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 8 अगस्त 2024
स्थान: नई दिल्ली



बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II

सी एंड एजी की टिप्पणियां

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के जवाब।

विवरण		प्रबंधन का जवाब
कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसका उल्लेख उनके द्वारा 20 मई 2024 की ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है। मैंने, अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का एक पूरक ऑडिट किया है। यह पूरक ऑडिट वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य पत्रों की उपलब्धता के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के अधिकारियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चुनिंदा जांच तक सीमित है। ऑडिट के बाद, 24 जुलाई 2024 को सी एंड एजी की टिप्पणियां जारी की गईं। इसके बाद, कंपनी द्वारा संशोधित जवाब प्रस्तुत किए गए और संशोधित जवाबों के आधार पर कैग की टिप्पणियों को संशोधित किया गया है। अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं।		
क.	**लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ** i. **लाभ और हानि का विवरण** **नोट-39: कर्मचारी लाभ व्यय: ₹ 11747.92 करोड** उपर्युक्त में 26 नवंबर 2008 से 4 अक्टूबर 2009 (11 महीने) तक कंपनी के कर्मचारियों को देय अनुलाभों और भत्तों से संबंधित ₹ 309.34 करोड़ शामिल नहीं हैं। 1 जनवरी 2007 से प्रभावी सीपीएसई के वेतनमानों के संशोधन पर डीपीई कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26 नवंबर 2008 के अनुसार। भत्ते और भत्तों का भुगतान 5 अक्टूबर 2009 से अर्थात राष्ट्रपति के निर्देशों की तिथि से किया जाना था। स्टील एक्जीक्यूटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 26 नवंबर 2008 से 4 अक्टूबर 2009 की अवधि के लिए सेल के अधिकारियों को अनुलाभ और भत्तों के भुगतान के लिए 2014 में सीएटी में एक याचिका दायर की थी। सीएटी, कोलकाता ने (फरवरी 2016) इस्पात मंत्रालय को संशोधित अनुलाभ और भत्तों के बकाया भुगतान के मुद्दे पर पुनर्विचार करने और उक्त अवधि के लिए अधिकारियों को संशोधित अनुलाभ और भत्तों के भुगतान के लिए उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में सीएटी के आदेश के विरुद्ध सेल द्वारा 22 दिसंबर 2016 को दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया (13 सितंबर 2023)। मामले पर प्रशासनिक निर्णय लंबित होने तक, राशि को ₹ 309.34 करोड़ की आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। सेल ने उच्च कानूनी फोरम में कोई अपील दायर नहीं की है। इसलिए, कंपनी को कार्यकारी कर्मचारियों को देय उपरोक्त राशि आकस्मिक देनदारियों के अंतर्गत दर्शाने के बजाय के लिए फर्म देयता बनानी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और कर्मचारी व्यय को कम दर्शाया गया तथा ₹ 309.34 करोड़ का लाभ अधिक दर्शाया गया।	मंत्रियों की समिति की सिफारिश के बाद कैबिनेट की मंजूरी के आधार पर इस संबंध में डीपीई का दिनांक 02.04.2009 का कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि "यदि संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से एक महीने के अंदर राष्ट्रपति के निर्देश जारी किए जाते हैं, तो भत्ते संशोधित करने की प्रभावी तारीख 26.11.2008 मानी जा सकती है, जो डीपीई द्वारा पहला कार्यालय ज्ञापन जारी करने की तिथि है। हालांकि, जहां राष्ट्रपति के निर्देश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से एक महीने के अंदर जारी नहीं किए जाते हैं तो संशोधित भत्ते केवल राष्ट्रपति के निर्देश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। भत्तों की प्रभावी तिथि किसी भी मामले में 26.11.2008 से पहले नहीं हो सकती है। (दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन का पैरा 17 संदर्भित है) इस्पात मंत्रालय ने दिनांक 5.10.2009 के पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति के निर्देश जारी करते समय भत्तों और सुविधाओं के प्रभावी होने की तिथि 05.10.2009 दर्शाई थी। इसलिए, सेल में 05.10.2009 से संशोधित भत्तों और सुविधाओं का भुगतान किया गया। इसके विरुद्ध, सेल एक्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसईएफआई) ने 26.11.2008 से 04.10.2009 तक अधिकारियों को भत्तों और सुविधाओं के भुगतान के लिए माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) में मामला दायर किया। सीएटी ने दिनांक 15.02.2016 के आदेश के तहत इस्पात मंत्रालय को उपरोक्त मामले पर विचार करने का निर्देश दिया। मंत्रालय ने दिनांक 07.12.2016 के पत्र के माध्यम से सेल को उच्च न्यायालय में सीएटी के आदेश को चुनौती देने का निर्देश दिया। कंपनी ने दिनांक 20.12.2023 के पत्र के माध्यम से इस्पात मंत्रालय से इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। अंतिम टिप्पणियाँ जारी होने की तिथि तक मंत्रालय से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बाद, मंत्रालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त हुए हैं और तदनुसार वित्त वर्ष 2024–25 की पहली तिमाही में लेखांकन किया गया है।

	विवरण	प्रबंधन का जवाब
ii.क.	**नोट संख्या 41: अन्य व्यय: ₹ 28229.04 करोड़** उपर्युक्त में मेसर्स शापूरजी पलोनजी एंड कंपनी लिमिटेड (एसपीसीपीएल) और हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी) को राउरकेला स्टील प्लांट में अयस्क बेडिंग और सम्मिश्रण संयंत्र के विस्तार के लिए निष्पादित कार्य से संबंधित ₹ 28.18 करोड़ का भुगतान शामिल नहीं है, जो मार्च 2015 में पूरा हो गया था। विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए गठित दो–स्तरीय समापन समिति ने ₹ 144.47 करोड़ के भुगतान की सिफारिश की (मई 2022)। उपरोक्त में से, ₹ 26.17 करोड़ का भुगतान जनवरी 2021 तक एसपीसीपीएल को पहले ही किया जा चुका है। सेल ने एसपीसीपीएल और एचईसी के साथ अनुबंध को समाप्त करने के लिए मार्च 2024 में दो निपटान समझौते किए। शुद्ध देय राशि ₹ 118.30 करोड़ थी। आरएसपी ने 2023–24 के दौरान पार्टियों को 90.12 करोड़ रुपये का भुगतान किया। हालांकि, राजस्व मद से देय शेष ₹ 28.18 करोड़ का न तो भुगतान किया गया और न ही खातों में प्रावधान किया गया, बल्कि इसे आकस्मिक देनदारियों के तहत दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप अन्य खर्चों को कम करके दिखाया गया और आकस्मिक देनदारियों और लाभ को ₹ 28.18 करोड़ से अधिक दिखाया गया।	राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) प्रबंधन समझौता राशि स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है। आरएसपी और मैसर्स शापूरजी पलोनजी एंड कंपनी लिमिटेड और एचईसी के बीच विवाद को निपटाने के लिए गठित समझौता समिति ने मई 2022 में ₹ 144.47 करोड़ के भुगतान की सिफारिश की थी। उस समय भी राशि को आकस्मिक देयता के रूप में माना जा रहा था। उपरोक्त में से, जनवरी 2021 तक एसपीसीपीएल को ₹ 26.17 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। शेष ₹118.30 करोड़ के भुगतान के लिए, समझौता समिति की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए 05.06.2023 को कॉर्पोरेट कार्यालय (सीओ) को भेज दी गई थी। सीओ ने यह कहते हुए प्रस्ताव वापस कर दिया कि जो भी अनुबंधात्मक देय है, उसे स्थानीय स्तर पर निपटाया जा सकता है। तदनुसार, अनुबंध संबंधी दावों के लिए कंसोर्टियम के सदस्यों को ₹ 90.12 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। शेष राशि ₹ 28.18 करोड़, जो अनुबंध की शर्तों में शामिल नहीं है, को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए 13.06.2024 को कॉर्पोरेट कार्यालय को भेजा गया है। मैसर्स शापूरजी पलोनजी एंड कंपनी लिमिटेड के साथ समापन समझौते में यह भी उल्लेख किया गया है कि शेष भुगतान नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को सेल के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन जारी किया जाएगा। चूंकि ₹ 28.18 करोड़ का भुगतान सशर्त और स्वीकृति के अधीन है, इसलिए इसे आकस्मिक देयता के तहत दिखाया गया है।
ii.ख.	उपरोक्त में रावघाट खदानों में विश्वास निर्माण उपायों के लिए किए गए ₹ 37.39 करोड़ शामिल नहीं हैं। विश्वास निर्माण उपायों के तहत गतिविधियों में स्कूल संचालन, रामकृष्ण मिशन आश्रम, खेल मेला आयोजित करना आदि शामिल हैं। भारतीय लेखा मानक 16 के पैरा 16 के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में संपत्ति को स्थापित करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल है। उपरोक्त व्यय केवल कल्याणकारी उपाय हैं और किए गए व्यय रावघाट खदान क्षेत्र में अयस्क के निष्कर्षण से संबंधित नहीं हैं। इसलिए, इसे लाभ और हानि के विवरण में चार्ज किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्ययों को कम दर्शाया गया है तथा प्रगतिरत पूंजीगत कार्य और लाभ को 37.39 करोड़ रुपये अधिक दर्शाया गया है।	रावघाट खदानों में विश्वास निर्माण उपायों पर 2010 से व्यय किया जा रहा है और इसे चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है तथा लाभ और हानि विवरण में नहीं जोड़ा जाता है। स्वीकृत 125 करोड़ रुपये के कुल बजट में से, बजट का एक हिस्सा रावघाट क्षेत्र के आसपास के गांवों में विश्वास निर्माण उपायों के लिए निर्धारित किया गया था। विश्वास निर्माण पर व्यय दीर्घकालिक उपाय है और खदानों को खोलने के लिए सहायक है।
ii.ग.	उपरोक्त में सेल/भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा देय वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए अंतर संपत्ति और समेकित कर के रूप में ₹ 9 करोड़ की राशि शामिल नहीं हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र और भिलाई नगर निगम ने आपसी सहमति से (17 मई 2022) यह निर्णय लिया कि भिलाई इस्पात संयंत्र वर्ष 2016–17 से शैक्षणिक उपकर और समेकित कर सहित संपत्ति कर के रूप में प्रति वर्ष ₹ 13.75 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र ने वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए स्व–मूल्यांकन के आधार पर प्रति वर्ष केवल ₹ 9.25 करोड़ का भुगतान किया, जो सहमत राशि से कम था। हालांकि शेष ₹ 9 करोड़ (₹ 13.75 करोड़–₹ 9.25x2 करोड़) की देयता प्रदान नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों को कम करके दिखाया गया और लाभ को ₹ 9 करोड़ अधिक दर्शाया गया।	संपत्ति कर का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) और भिलाई नगर निगम (बीएनएन) ने आपसी सहमति से निर्णय लिया है कि एमओयू पर हस्ताक्षर होने और कोर्ट केस वापस लेने की शर्त पर वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2026–27 तक बीएसपी द्वारा बीएनएन को प्रति वर्ष 13.75 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी है। लेकिन 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बीएनएन से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार वित्त वर्ष 22–23 और 23–24 के दौरान संपत्ति कर का भुगतान 9.25 करोड़ रुपये के दर से स्व–मूल्यांकन के आधार पर होता रहा। हालांकि प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2024–25 की पहली तिमाही में 9 करोड़ रुपये की देनदारी दर्ज की है।



iii.	**अन्य व्यापक आय** भारतीय लेखा मानक 12 के पैरा 61क के अनुसार, 'वर्तमान कर और आस्थगित कर को लाभ या हानि से बाहर माना जाएगा, यदि कर उन मदों से संबंधित है जिन्हें उसी या किसी अन्य अवधि में लाभ या हानि के बाहर माना गया है। इसलिए, वर्तमान कर और आस्थगित कर जो उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें उसी या किसी अन्य अवधि में अन्य व्यापक आय में माना गया है, उन्हें 'अन्य व्यापक आय' में शामिल किया जाएगा।' कंपनी ने (–) ₹ 196.621 करोड़ को 'वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा'–'परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन' के अंतर्गत लेखांकित किया है। 8.88 प्रतिशत की कर दर (आस्थगित कर के लिए दर पर विचार करते हुए) पर विचार करते हुए उपरोक्त पर आयकर ₹ 17.45 करोड़ का हिसाब लगाया गया है। भारतीय लेखा मानक 12 के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, 'परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन' के लिए कर की गणना 25.168 प्रतिशत की दर से 49.48 करोड़ रुपये होनी चाहिए, जिसमें अन्य व्यापक आय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल है। हालांकि प्रबंधन ने लाभ और हानि विवरण में अन्य व्यापक आय से संबंधित 16.29 प्रतिशत अर्थात (–) 32.03 करोड़ रुपये पर विचार नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्यापक हानि को 32.03 करोड़ रुपये कम करके दिखाया गया है और इस प्रकार 'अन्य इक्विटी' को कम करके दिखाया गया है और उसी राशि से 'आस्थगित कर देनदारियों' को अधिक करके दिखाया गया है।	अन्य इक्विटी और आस्थगित कर देनदारियों को वित्त वर्ष 2024–25 में समायोजित किया गया है।
ख i.	**प्रकटन पर टिप्पणियाँ** **लेखा नोट** **नोट संख्या 49.10** नोट में 31 मार्च 2024 तक झारखंड (गुआ माइंस–32.92 मिलियन टन, मूल्य ₹ 3189.02 करोड़), उड़ीसा (तालडीह, काल्टा और बोलानी माइंस–6.34 मिलियन टन, मूल्य ₹ 554.02 करोड़) और छत्तीसगढ़ (राजहरा–1.62 मिलियन टन, मूल्य ₹ 189.31 करोड़ रुपये) स्थित सेल की कैप्टिव खदानों में पड़े ऐसे 40.88 मिलियन टन (एमटी) महीन सामग्री के मूल्य ₹ 3932.35 करोड़ का विवरण दिया गया है। भारत सरकार के 16 सितंबर 2019 के आदेश के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों को सेल की खदानों में पड़े सब ग्रेड महीन कोयले की बिक्री की अनुमति देनी थी। कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष से वित्तीय विवरणों में एक अलग लाइन आइटम के रूप में इसे दर्शाते हुए शुद्ध प्राप्य मूल्य पर सब ग्रेड महीन कोयले की इन्वेंट्री का मूल्यांकन किया है। झारखंड सरकार द्वारा सब ग्रेड महीन कोयले को बेचने की अनुमति अभी तक नहीं दी गई थी। झारखंड में स्थित खदानों से सामग्री की कोई बिक्री नहीं हुई, उड़ीसा की खदानों से केवल 0.50 मिलियन टन की बिक्री हुई और 2023–24 के दौरान छत्तीसगढ़ की खदानों से 0.11 मिलियन टन का उपयोग किया गया। इस संबंध में प्रबंधन द्वारा दिया गया नोट पर्याप्त नहीं है।	सब ग्रेड फाइन्स (एसजीएफ) पर नोट स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट (एसएफएस) के नोट नंबर 49.10 में दर्शाया गया है। नोट में निम्नलिखित शामिल हैं: • मूल्यांकन का आधार। • इन्वेंट्री की आवाजाही। • लेखांकन उपचार। • चिंताएँ और उन्हें दूर करने के उपाय। कंपनी की राय है कि प्रकटन पर्याप्त है। हालाँकि, इस पर वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान ऑडिट के साथ चर्चा की जाएगी।
ii.क	**नोट संख्या 47.1 आकस्मिक देयता** उपर्युक्त में सिंटर प्लांट II पैकेज के लिए कार्य के विरुद्ध भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा किए गए वृद्धि, विस्तार लागत, भुगतान में देरी और ब्याज के विभिन्न दावों के लिए ₹ 160.55 करोड़ शामिल नहीं हैं। सेल द्वारा इस मामले को नवंबर 2022 में गठित बाहरी विशेषज्ञ समिति को भेजा गया है। चूंकि दावा विवादित है और यह विवाद समाधान फोरम में लंबित है, इसलिए विवादित राशि को आकस्मिक देयता में शामिल किया जाना चाहिए था। उपर्युक्त को शामिल न करने के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं को ₹ 160.55 करोड़ कम करके दर्शाया गया है।	मैसर्स बीईसी ने 160.55 करोड़ रुपये का दावा किया है, जिसमें से 123.05 करोड़ रुपये पार्टी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य की राशि से संबंधित हैं और शेष 37.00 करोड़ रुपये पार्टी द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए हैं। पार्टी ने वैकल्पिक विवाद समाधान के एक भाग के रूप में *संविदात्मक/वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए सेल की योजना के माध्यम से मामले को बाहरी विशेषज्ञ समिति (ओईसी)* को भेजा था, जो एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है और इसके आधार पर दावे को आकस्मिक देयता के रूप में मानना आवश्यक नहीं है।
ii.ख	प्रभागीय वन अधिकारी, सारंडा ने 38710 वृक्षों के वनीकरण योजना के लिए 19.50 करोड़ रुपये तथा 8520 वृक्षों के वनीकरण योजना के लिए 4.29 करोड़ रुपये की मांग उठाई (30 अक्टूबर 2023)। उक्त मांग के विरुद्ध प्रबंधन ने माननीय उच्च न्यायालय, रांची में रिट याचिका दायर की। चूंकि डीएफओ, सारंडा द्वारा उठाई गई मांग न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए आकस्मिक देयता के अंतर्गत इसका खुलासा किया जाना आवश्यक था।	प्रभागीय वन अधिकारी, सारंडा ने 38710 वृक्षों की वनीकरण योजना के लिए ₹ 19.50 करोड़ और 8520 वृक्षों की वनीकरण योजना के लिए ₹ 4.29 करोड़ की मांग (30.10.2023) उठाई। चूंकि तत्काल मामला विचाराधीन है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2024–25 की पहली तिमाही के दौरान आकस्मिक देयता में प्रकटन के लिए इस पर विचार किया जा रहा है।

ii.ग	उपरोक्त में 759.55 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं, जो राउरकेला स्टील प्लांट की हॉट स्ट्रिप मिल–2 के पूरा होने में देरी के कारण अतिरिक्त लागतों के लिए मेसर्स मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, जापान (लीडर) और मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, कोलकाता के कंसोर्टियम द्वारा दावा किया गया है। कंसोर्टियम ने सुलह (नवंबर 2020) का हवाला दिया और मामला सौहार्दपूर्ण समाधान के अंतर्गत लंबित था। इसलिए, आकस्मिक देयता के तहत 759.55 करोड़ रुपये की दावा राशि को दर्शाया जाना चाहिए था। उपरोक्त को न दर्शाए जाने के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयता को 759.55 करोड़ रुपये कम करके आंका गया है।	टर्नकी आधार पर 'नई हॉट स्ट्रिप मिल की स्थापना' के कार्य के लिए मेसर्स एलएंडटी और मेसर्स मित्सुबिशी के कन्सोर्टियम को अनुबंध प्रदान किया गया था। अनुबंध के निष्पादन के दौरान, विलंब विश्लेषण, परिसमापित क्षति का अधिरोपण, अतिरिक्त मदों के निष्पादन आदि के संबंध में कुछ मतभेद और विवाद उत्पन्न हुए। दोनों पक्षों ने सुलह का सहारा लिया लेकिन 10.11.2022 को सुलह विफल हो गई क्योंकि दावेदार ने सुलह कार्यवाही समाप्त कर दी थी। इसके बाद, कन्सोर्टियम ने 18.11.2022 को एक पत्र लिखकर ₹ 759.55 करोड़ की राशि का दावा किया है। चूंकि संघ ने अभी तक मध्यस्थता परिषद/अन्य कानूनी मंच में कोई मामला दायर नहीं किया है, इसलिए आकस्मिक देयता के तहत इसका प्रकटन नहीं किया गया है। अब दोनों पक्षों के बीच विवाद को निपटाने की प्रक्रिया चल रही है। 18 जून से 21 जून 2024 तक ठेकेदारों के साथ हुई चर्चाओं के बाद, कंसोर्टियम ने उनके दावे को काफी हद तक कम कर दिया है और अभी भी दावे की राशि को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। दावे की राशि पर आपसी सहमति बनने के बाद, इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा और आवश्यक लेखा समायोजन किया जाएगा।
ग i.	**लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ** **स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट** **अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:** **कम्पनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट आदेश (सीएआरओ) अनुलग्नक-I (vii)** कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (दुर्गापुर स्टील प्लांट, अलॉय स्टील्स प्लांट और केंद्रीय विपणन संगठन के मामले में) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग के **अनुलग्नक-I** (vii) (ख) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें बताया गया है कि 31 मार्च 2024 तक, कुछ वैधानिक बकाया उचित अधिकारियों के पास जमा नहीं किए गए हैं क्योंकि विवाद लंबित है। यह बताया गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, 2001–02 से 2009–10 की अवधि से संबंधित 43.62 करोड़ रुपये के हाउस परिलब्धि पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के संबंध में विवाद कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित है। सीएआरओ, 2020 के तहत एसए की रिपोर्टिंग गलत है क्योंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 18 फरवरी 2015 को इस मामले को पहले ही खारिज कर दिया है इसके अलावा, कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 के तहत **अनुलग्नक I** (vii) (क) में की गई रिपोर्टिंग में भी तदनुसार संशोधन की आवश्यकता है।	रिपोर्ट की गई स्थिति प्रबंधन द्वारा लेखा परीक्षकों को बता दी गई है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2024–25 में लेखा परीक्षकों को विवरण देते समय इसका ध्यान रखा जाएगा।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ताक्षरकर्ता
(जितेंद्र सुधाकर करापे)
ऑडिट महानिदेशक (स्टील), रांची

स्थान: रांची
दिनांक: 30 अगस्त 2024

निदेशक बोर्ड की तरफ से

हस्ताक्षरकर्ता
(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 2 सितम्बर 2024



बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक-III

सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1) और कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और मानदेय) नियमावली 2014 के नियम 9 के अनुसार)

प्रेषित
सदस्यगण
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे यहां सेल/कंपनी कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरह से किया गया कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ। सेल की पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत पुस्तक, फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा तैयार अन्य अभिलेख और सचिवीय ऑडिट के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद् द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि, हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की ऑडिट अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, उल्लेख किए गए तरीके से और इसके अधीन उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र मौजूद हैं:

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सेल द्वारा रखी गई पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत पुस्तक, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश, जैसा लागू हो –

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियमन, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियमन, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2021;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियमन, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियमन, 2021;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018;

(vi) कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आवधिक प्रमाण–पत्र के आधार पर निम्नलिखित विशिष्ट लागू कानूनों (जैसा कि उद्योग पर लागू होता है) के अंतर्गत कंपनी के लिए अनुपालन/प्रक्रिया/प्रणालियों पर भरोसा किया जा रहा है:

(क) खान अधिनियम, 1952

(ख) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948

(घ) विस्फोटक अधिनियम, 1884

(ङ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(च) वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

(छ) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(ज) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

(झ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी तथा समय–समय पर संशोधित सचिवीय मानक–जिनका सामान्यतः अनुपालन किया जाता है।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015।

(ग) सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

I. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) के अनुसरण में, 01.04.2023 से 30.04.2023 की अवधि के दौरान बोर्ड में गैर–कार्यकारी निदेशकों की संख्या पचास प्रतिशत से कम थी।

II. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के अनुसरण में, 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों के पचास प्रतिशत से कम थी।

III. *केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 के अनुसरण में, कंपनी के बोर्ड में कार्यात्मक निदेशकों की संख्या केवल 01.04.2023 से 30.04.2023 की अवधि के दौरान बोर्ड की वास्तविक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक थी, और उसके बाद 01.05.2023 से उक्त सीमा का अनुपालन किया गया।*

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

सामान्यतः, बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट भेजे गए तथा बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और निदेशकों से बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड/समिति की बैठक में लिए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मति से किए गए तथा असहमति, यदि कोई हो, को संबंधित कार्यवृत्त में विधिवत शामिल किया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं, जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करती हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1) के अंतर्गत गैर–अनुपालन के लिए मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 5,31,000/– रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है और जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 5,36,900/– रुपये का जुर्माना और दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 5,42,800/– रुपये का जुर्माना लगाया है और बीएसई लिमिटेड ने विनियमन 23(9) के अंतर्गत मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 70,800/– रुपये और विनियमन 17(1) के अंतर्गत 5,42,800/– रुपये और विनियमन 54(2) के अंतर्गत सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 38,940/– रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसके खिलाफ कंपनी ने कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने और कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं करने के अनुरोध के साथ जवाब प्रस्तुत किया है। हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयां हुईं:

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयां हुईं:

i. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने 27 सितंबर, 2023 की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तारीख से एक वर्ष के दौरान 2,500 करोड़ रुपये तक के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से धन जुटाने के लिए सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर जारी करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी ली।

ii. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया, अर्थात कंपनी द्वारा बनाए गए मौजूदा भार, बंधक और दृष्टिबंधक के अतिरिक्त कंपनी की किसी भी चल और/या अचल संपत्ति पर, जहां कहीं भी स्थित हो, वर्तमान और भविष्य दोनों में और कंपनी के पूरे या काफी हद तक पूरे उपक्रम या उपक्रमों को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थानों, किराया खरीद/लीज कंपनियों, निगमित निकायों, डिबेंचर/बांड/अन्य उपकरणों/प्रतिभूतियों के धारकों के ट्रस्टियों या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में ऐसे नियमों और शर्तों और अनुबंधों पर, जैसा कि बोर्ड या उसकी कोई समिति या ऐसा अन्य प्राधिकारी, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, समय–समय पर डिबेंचर/बांड आदि जारी करने के माध्यम से प्राप्त या प्राप्त किए जाने वाले धन के उधार को सुरक्षित करने के लिए ठीक समझे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, चूंकि निजी प्लेसमेंट के माध्यम से सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर जारी नहीं किया गया था, इसलिए कंपनी द्वारा किसी भी चल और/या अचल संपत्ति पर मौजूदा शुल्क, बंधक और दृष्टिबंधक के अलावा कोई शुल्क, दृष्टिबंधक, बंधक, गिरवी नहीं रखा गया था।

iii. इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1977 के नियम 20 के उप–नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पत्र दिनांक 19 जनवरी, 2024 के माध्यम से श्री वी.एस. चक्रवर्ती, निदेशक (वाणिज्यिक) और श्री ए.के. तुल्सीआनी, (निदेशक) वित्त को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 19 जनवरी, 2024 का अनुपालन करते हुए, कंपनी ने कंपनी के कुछ बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जिनमें श्री एस.के. शर्मा, ईडी (एफ एंड ए), सीएमओ; श्री विनोद गुप्ता, ईडी (वाणिज्यिक); श्री अतुल माथुर, ईडी (बिक्री और आईटीडी) इसके बाद, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय ने 28 जून, 2024 के आदेशों के अंतर्गत श्री वी.एस. चक्रवर्ती, निदेशक (वाणिज्यिक) और श्री ए.के. तुल्सीआनी, निदेशक (वित्त) का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसके अलावा, कंपनी ने कंपनी के बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है, जिसमें श्री एस.के. शर्मा, ईडी (एफ एंड ए), सीएमओ; श्री विनोद गुप्ता, ईडी (वाणिज्यिक); श्री अतुल माथुर, ईडी (बिक्री और आईटीडी) और श्री आर.एम. सुरेश, ईडी (विपणन सेवाएँ) शामिल हैं।

अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स के लिए,
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई
यूनिक कोडः पी2003डीई049100
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्याः 2725/2022

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सचिन अग्रवाल
पार्टनर
एफसीएस संख्या:5774
सीपी संख्याः 5910

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 18.07.2024

यूडीआईएनः एफ005774एफ000774355

इस रिपोर्ट को हमारे सम तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो **'अनुलग्नक ए'** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।



सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट का ''अनुलग्नक क''

प्रेषित
सदस्यगण,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

इस पत्र के साथ पढ़ी जाने वाली हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर एक राय व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हुए हैं। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।

4. जहाँ भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों, घटनाओं के होने आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी और हमारी राय देने के लिए कि क्या कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र मौजूद हैं या नहीं।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स के लिए,
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई यूनिक कोडः पी2003डीई049100
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्याः 2725/2022

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सचिन अग्रवाल
पार्टनर
एफसीएस संख्या:5774
सीपी संख्याः 5910

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 18.07.2024

कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट

कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीतियों, नियमों, प्रक्रियाओं, प्रक्रियाओं और प्रथाओं की प्रणाली है जिसके द्वारा किसी कंपनी को सभी हितधारकों अर्थात सरकार, निवेशक, शेयरधारक, ग्राहक, विक्रेता, कर्मचारी, पर्यावरण और बड़े पैमाने पर समाज के लिए मूल्य को अधिकतम करने के अंतिम उद्देश्य से प्रशासित, निर्देशित या नियंत्रित किया जाता है। एक कंपनी के लिए सुशासन उपाय अभिन्न होने के नाते, कंपनी के संबंधित अधिकारी अपने द्वारा लिए गए निर्णयों में पारदर्शिता, निष्पक्षता, नैतिकता और पेशेवर दृष्टिकोण के संदर्भ में अपने हितधारकों के प्रति जवाबदेह हैं।

(क) कंपनी का दर्शन

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में कंपनी का दर्शन पारदर्शिता, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है जो डीपीई दिशानिर्देशों और वर्षों से तैयार की गई मजबूत नीतियों सहित कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों की पूरी तरह से पुष्टि करता है और पूरे संगठन में नैतिक आचरण को बढ़ावा देता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना है, जबकि एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होना है। आपकी कंपनी देश में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों की पुष्टि करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह मान्यता देता है कि बोर्ड सभी शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह है और बोर्ड के प्रत्येक सदस्य का पहला कर्तव्य कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना है।

(ख) निदेशक मंडल

निदेशक मंडल हमारे कॉर्पोरेट प्रशासन के मूल में है और इसे कंपनी के प्रबंधन, दिशा प्रदर्शन और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हितधारकों के दीर्घकालिक हितों की रक्षा की जाए और हितधारकों के मूल्य में वृद्धि की जाए। बोर्ड प्रबंधन की रणनीतिक योजनाओं और व्यावसायिक उद्देश्यों की समीक्षा करता है और उन्हें मंजूरी देता है और कंपनी की रणनीतिक दिशा की निगरानी करता है। निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशा–निर्देशों और भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों के अंतर्गत सौंपी गई शक्तियों के अनुसार कार्य करता है, जो कंपनी पर लागू होते हैं।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के अंतर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड की क्षमता छह निदेशकों से कम या चौबीस निदेशकों से अधिक नहीं होगी। कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। बोर्ड के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, 25 सितंबर, 2020 के पत्र संख्या 3(4)/2007–सेल (पीसी)(पीटी) के माध्यम से, भारत सरकार (जीओआई), इस्पात मंत्रालय (एमओएस) ने निदेशक मंडल की स्वीकृत क्षमता निम्नानुसार है:

(i) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित नौ कार्यात्मक निदेशक और एकीकृत इस्पात संयंत्रों के लिए चार निदेशक प्रभारी;

(ii) दो सरकारी नामित निदेशक; और

(iii) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार ग्यारह स्वतंत्र निदेशक।

बोर्ड का आकार और संरचना: 31 मार्च, 2024 तक, निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 7 पूर्णकालिक निदेशक (यानी कार्यकारी निदेशक) और 8 गैर–कार्यकारी निदेशक (2 सरकारी नामित निदेशक और 6 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं) शामिल हैं। वर्ष के दौरान, 17 अप्रैल, 2023, 28 अप्रैल, 2023, 25 मई, 2023, 14 जून, 2023, 21 जुलाई, 2023, 10 अगस्त, 2023, 25 सितंबर, 2023, 10 नवंबर, 2023, 28 दिसंबर, 2023, 8 जनवरी, 2024, 12 फरवरी, 2024 और 20 मार्च, 2024 को 12 बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। किसी भी दो बोर्ड बैठकों के बीच का अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था और वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित सभी बैठकों में अपेक्षित कोरम मौजूद था।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कोई भी निदेशक उन सभी सूचीबद्ध संस्थाओं में 10 से अधिक समितियों में सदस्य या 5 से अधिक समितियों में अध्यक्ष नहीं थे, जहां वे निदेशक थे। इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जहाँ बोर्ड ने किसी बोर्ड उप–समिति की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया हो। इसके अलावा, बोर्ड के निदेशकों के बीच कोई अंतः संबंध नहीं हैं।

वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकें: निदेशक(कों) के नाम, 2023–24 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक(कों) में उनकी उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम बैठक में उनकी उपस्थिति और उनमें से प्रत्येक द्वारा धारित अन्य निदेशक पदों की संख्या निम्नानुसार है:



निदेशक का नाम	निदेशन की श्रेणी	2023-24 में बोर्ड की बैठकों की संख्या		पिछली एजीएम में उपस्थिति	अन्य निदेशकों की संख्या*		अध्यक्ष/ सदस्य के रूप में बोर्ड समिति (यां)**
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		कुल	सूचीबद्ध कम्पनियों में	
1. श्रीमती सोमा मंडल (30 अप्रैल, 2023 तक)	कार्यकारी अध्यक्ष	2	2	लागू नहीं है	-	-	-
2. श्री अमरेंदु प्रकाश (31 मई, 2023 से)#	कार्यकारी अध्यक्ष	12	12	हां	1	-	-
3. श्रीमती सुकृति लिखी	गैर–कार्यकारी निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित)	12	9	नहीं	5	3	-
4. श्री अभिजीत नरेन्द्र	गैर–कार्यकारी निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित)	12	11	नहीं	2	2	-
5. श्री अनिर्बान दासगुप्ता	कार्यकारी निदेशक	12	12	हां	3	-	सदस्य–2
6. श्री अशोक कुमार त्रिपाठी	स्वतंत्र निदेशक	12	12	हां	.	-	सदस्य–1
7. श्री कन्हैया सारदा	स्वतंत्र निदेशक	12	12	हां	2	-	सदस्य–1
8. श्रीमती नीलम सोंनकर	स्वतंत्र निदेशक	12	12	हां	.	-	अध्यक्ष–1 सदस्य–1
9. श्री सागी काशी विश्वनाथं राजू	स्वतंत्र निदेशक	12	12	हां	3	-	अध्यक्ष–1 सदस्य–1
10. डॉ. गोपाल सिंह भाटी	स्वतंत्र निदेशक	12	12	हां	.	-	-
11.श्री विजेंडला श्रीनिवासा चक्रवर्थी$	निदेशक (वाणिज्यीक)	10	9	हां	.	-	-
12. श्री अतानु भौमिक	निदेशक (प्रभारी–आरएसपी) निदेशक (प्रभारी–बीएसएल) का अतिरिक्त प्रभार	12	11	हां	1	-	-
13. श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह	निदेशक (प्रभारी–आईएसपी और डीएसपी तथा एएसपी)	12	12	हां	-	-	-
14. प्रो. (डॉ.) के. जयप्रसाद	स्वतंत्र निदेशक	12	12	हां	-	-	सदस्य–1
15. श्री अनिल कुमार तुल्सीआनी$	निदेशक (वित्त)	10	10	हां	1	-	अध्यक्ष–1 सदस्य–1
16. श्री कृष्ण कुमार सिंह	निदेशक (कार्मिक) एवं एलओएफडी	12	12	हां	-	-	सदस्य–1
17. श्री अरविन्द कुमार सिंह	निदेशक (तकनीकी, परियोजनाएं एवं कच्चा माल) एवं एलओसीडी	12	12	हां	-	-	-

* स्थिति 31 मार्च, 2024 तक की है और इसमें निजी कंपनियों में निदेशक पद भी शामिल है।

** स्थिति 31 मार्च, 2024 तक की है और इस उद्देश्य के लिए केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारकों के संबंध समिति पर विचार किया गया है।

एम = सदस्य, सी = अध्यक्ष।

31 मई, 2023 से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति से पहले, श्री अमरेंदु प्रकाश निदेशक (प्रभारी–बीएसएल) थे।

$ चूंकि इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने 19 जनवरी, 2024 के पत्रों के माध्यम से श्री वी.एस. चक्रवर्थी, निदेशक (वाणिज्यिक) और श्री ए.के. तुल्सीआनी, निदेशक (वित्त) को निलंबित कर दिया था, इसलिए श्री के. के. सिंह, निदेशक (कार्मिक) और श्री ए.के. सिंह, निदेशक (तकनीकी, परियोजनाएं और कच्चा माल) अगले आदेश तक क्रमशः वित्त निदेशालय और वाणिज्यिक निदेशालय के लिए लिंक अधिकारी थे। तत्पश्चात, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 28 जून, 2024 के आदेश के अनुसरण में, श्री वी.एस. चक्रवर्थी और श्री ए.के. तुल्सीआनी का निलंबन रद्द कर दिया गया है।

श्रीमती सुकृति लिखी और श्री अभिजीत नरेंद्र के अलावा उपरोक्त कोई भी निदेशक 2023–24 के दौरान सेल के अलावा किसी अन्य सूचीबद्ध इकाई के बोर्ड में शामिल नहीं थे। श्रीमती सुकृति लिखी एनएमडीसी लिमिटेड, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड और केआईओसीएल लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में थीं। श्री अभिजीत नरेंद्र एनएमडीसी लिमिटेड और एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में शामिल थे।

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची–II के भाग–क के साथ पठित विनियमन 17(7) के अंतर्गत आवश्यक जानकारी बोर्ड के समक्ष रखी जाती है। कंपनी पर लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट सहित एजेंडा, व्याख्यात्मक नोट के साथ बोर्ड के सदस्यों को अग्रिम रूप से प्रदान किया जाता है और सदस्यों को मांगी गई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। बोर्ड उप–समिति की बैठकों की सिफारिशें आवश्यक अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखी जाती हैं। बैठक के बाद प्रभावी अनुवर्ती प्रणाली के रूप में, इसके निर्णयों पर की गई कार्रवाई से बोर्ड को अवगत कराया जाता है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियमावली 2015 के विनियमन 17 (1) (क) के अनुसरण में, 1 अप्रैल, 2023 से 30 अप्रैल 2023 की अवधि के दौरान बोर्ड में गैर–कार्यकारी निदेशकों की संख्या 50 प्रतिशत से कम थी। परिणामस्वरूप, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 के अनुसार, कंपनी के बोर्ड पर कार्यात्मक निदेशकों की संख्या 1 अप्रैल, 2023 से 30 अप्रैल, 2023 की अवधि के

दौरान बोर्ड की वास्तविक संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक थी।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियमावली 2015 के विनियम 17 (1) (ख) और केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के अनुसार, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बोर्ड के सदस्यों की संख्या का 50 प्रतिशत से कम थी।

(ग) ऑडिट समिति:

(i) संदर्भ शर्तें:

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची–II के भाग ग के साथ पठित विनियम 18(3) के अनुरूप सेल बोर्ड की ऑडिट समिति की संदर्भ की शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं: वित्तीय रिपोर्टों की समीक्षा करके निदेशक मंडल को अपनी निगरानी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करने का प्राथमिक कार्य; कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन प्रणाली, लेखांकन और कानूनी अनुपालन जिन्हें प्रबंधन और बोर्ड ने स्थापित किया है; कंपनी की संबंधित पार्टी लेनदेन नीति के अनुसार संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा; और आम तौर पर कंपनी की लेखा परीक्षा, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया।

लेखा परीक्षा समिति आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा करती है, वैधानिक लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों से बैठक करती है, लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता, प्रदर्शन और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा करती है, उनके निष्कर्षों, सुझावों और अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा करती है और कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों की समीक्षा करती है। लेखापरीक्षा समिति प्रबंधन के साथ तिमाही और वार्षिक स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पर चर्चा की जाती है और उनका संज्ञान लिया जाता है।

(ii) संरचना:

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन शुरू में 1998 में किया गया था और समय–समय पर इसका पुनर्गठन किया गया है। 31 मार्च, 2024 तक, लेखा परीक्षा समिति में श्री सागी कासी विश्वनाथ राजू, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष); श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, स्वतंत्र निदेशक; श्रीमती नीलम सोनकर, स्वतंत्र निदेशक; श्री कन्हैया सारदा, स्वतंत्र निदेशक और निदेशक (प्रभारी–बीएसपी) शामिल थे। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, समिति की 8 बार बैठक हुई: 25 मई, 2023, 20 जुलाई, 2023, 10 अगस्त, 2023, 21 सितंबर, 2023, 19 अक्टूबर, 2023, 9 नवंबर, 2023, 12 फरवरी, 2024 और 19 मार्च, 2024 को और बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष	अध्यक्ष	8	8
श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	8	8
श्री कन्हैया सारदा, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	8	8
श्रीमती नीलम सोंनकर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	8	8
श्री अनिर्बान दासगुप्ता, निदेशक (प्रभारी–बीएसपी)	सदस्य	8	7

(घ) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

(i) सेल एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके निदेशकों की नियुक्ति के लिए नामांकन और नियम एवं शर्तों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। हालाँकि, कंपनी ने एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया है, जिसके संदर्भ की शर्तों में, अन्य बातों के साथ–साथ, विभिन्न मानव संसाधन मुद्दों, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी विनियमों के अंतर्गत निर्धारित मामलों पर विचार करना; केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के अधिकारियों के लिए प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) को अंतिम रूप देना; आदि शामिल हैं।

31 मार्च, 2024 तक, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष); श्री अमरेंदु प्रकाश, अध्यक्ष, सेल; श्री अभिजीत नरेंद्र, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय (सरकारी नामित निदेशक); श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू, डॉ. गोपाल सिंह भाटी और प्रो. (डॉ.) के. जयप्रसाद, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य के रूप में शामिल थे। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, 9 जून, 2023 और 9 नवंबर, 2023 को आयोजित एनआरसी की 2 बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	2	2
श्रीमती सोमा मंडल, अध्यक्ष (30 अप्रैल, 2023 तक)	सदस्य	-	-
श्री अमरेन्दु प्रकाश, अध्यक्ष, (31 मई, 2023 से)	सदस्य	2	2
श्री अभिजीत नरेंद्र, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय	सदस्य	2	2
श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2
डॉ. गोपाल सिंह भाटी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2
प्रो. (डॉ. के. जयप्रसाद), स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2



कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ऐसे व्यक्तियों की पहचान करेगी जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, बोर्ड को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करेगी और बोर्ड, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन के प्रभावी मूल्यांकन के तरीके को निर्दिष्ट करेगी। मूल्यांकन या तो बोर्ड, एनआरसी या किसी स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाता है और एनआरसी मूल्यांकन प्रणाली के कार्यान्वयन और अनुपालन की समीक्षा करेगी। इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 17(10) और 25(4) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(8) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता में स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है ताकि उनके बने रहने या अन्यथा का फैसला किया जा सके। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों से छूट दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में धारा 178 की उप धाराएँ (2), (3) और (4) सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होंगी। सेल के बोर्ड में कार्यात्मक निदेशकों के साथ–साथ अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की नियुक्ति भारत सरकार (जीओआई) द्वारा नामांकन/नियुक्ति के आधार पर की जाती है। नियुक्ति की शर्तें और नियम तथा सभी निदेशकों का कार्यकाल भी भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कार्यात्मक निदेशकों और सीएमडी के मूल्यांकन के लिए एक अच्छी तरह से निर्धारित प्रक्रिया है। इसके अलावा, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के जरिए स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में संशोधनों को अधिसूचित किया है, जिसमें सरकारी कंपनियों के लिए गैर–स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष और बोर्ड के प्रदर्शन के मूल्यांकन से संबंधित खंडों को छूट दी गई है।

(ii) **निदेशकों का पारिश्रमिक:** वित्त वर्ष 2023–24 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	वेतन	अनुलाभ	कुल (₹)
श्रीमती सोमा मंडल (30 अप्रैल, 2023 तक)	83,37,628	8,22,397	91,60,025
श्री अमरेंदु प्रकाश	67,31,024	15,78,554	83,09,578
श्री अनिर्बान दासगुप्ता	75,11,030	23,73,685	98,84,715
श्री विजेन्डला श्रीनिवासा चक्रवर्थी	60,63,750	17,76,487	78,40,237
श्री अतानु भौमिक	78,86,673	14,09,059	92,95,732
श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह	76,09,213	17,87,544	93,96,757
श्री अनिल कुमार तुल्सीआनी	61,74,494	18,20,313	79,94,807
श्री कृष्ण कुमार सिंह	73,18,916	18,19,949	91,38,865
श्री अरविंद कुमार सिंह	73,51,312	21,16,798	94,68,110
कुल	**6,49,84,040**	**1,55,04,786**	**8,04,88,826**

(iii) गैर–कार्यकारी निदेशकों (सरकार द्वारा नामित निदेशकों के अलावा) को उनके द्वारा भाग ली गई प्रत्येक बोर्ड/बोर्ड उप–समिति की बैठक के लिए केवल भाग लेने की फीस का भुगतान किया जाता है। 31 जनवरी, 2022 को आयोजित अपनी 485वीं बैठक में निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार, भाग ली गई प्रत्येक बोर्ड बैठक के लिए 30,000/– रुपये और भाग ली गई प्रत्येक बोर्ड उप–समिति बैठक और स्वतंत्र निदेशकों की बैठक के लिए 25,000/– रुपये के शुल्क का भुगतान किया जाता है।

(iv) पूर्णकालिक निदेशकों का वेतन सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी वेतनमान और नियमों द्वारा शासित होता है। निदेशकों को डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक आधार पर भुगतान किए जाने वाले कार्य प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) को छोड़कर कोई परिवर्तनीय प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कोई बोनस, समापन शुल्क और स्टॉक विकल्प का भुगतान नहीं किया गया।

(v) **नियम और शर्तें**

पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पाँच वर्ष की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नामित किया जाता है। उन्हें शुरू में निदेशक मंडल द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और उसके बाद, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अगली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा नियुक्त किया जाता है। हालाँकि, नियुक्ति को किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने के नोटिस पर या उसके बदले में तीन महीने के वेतन के भुगतान पर समाप्त किया जा सकता है।

(ड़) हितधारक संबंध समिति

(i) एक हितधारक संबंध समिति जिसमें श्रीमती नीलम सोंनकर, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष; श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू, स्वतंत्र निदेशक; प्रो. (डॉ.) के. जयप्रसाद, स्वतंत्र निदेशक और दो पूर्णकालिक निदेशक, यानी निदेशक (वित्त) और निदेशक (कार्मिक) शामिल हैं, जो कंपनी प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार करने और उनका समाधान करने के लिए कार्य कर रही है, जिनमें बैलेंस शीट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होना, शेयरों का हस्तांतरण/संचरण आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। वर्ष के दौरान, हितधारक संबंध समिति की एक बैठक 27 मार्च, 2024 को आयोजित की गई और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्रीमती नीलम सोंनकर, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	1	1
प्रो. (डॉ.) के. जयप्रसाद, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1	1
श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1	1
श्री अनिल कुमार तुल्सीआनी, निदेशक (वित्त)	सदस्य	-	-
श्री कृष्ण कुमार सिंह, निदेशक (कार्मिक) एवं वित्त निदेशालय के लिंक अधिकारी	सदस्य	1	1
श्री अनिर्बान दासगुप्ता, निदेशक (प्रभारी–बीएसपी)	सदस्य	1	1

(ii) **अनुपालन अधिकारी का नाम:** श्री एम. बी. बालाकृष्णन, कार्यकारी निदेशक (एफ एंड ए) एवं कंपनी सचिव।

(iii) **निवेशकों की शिकायतें:** 31 मार्च, 2024 तक निवारण के लिए कोई शिकायत लंबित नहीं थी। 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक वर्ष के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या 28 थी। सभी 28 शिकायतों का समाधान कर दिया गया और 31 मार्च, 2024 तक निवारण के लिए कोई शिकायत लंबित नहीं थी। प्राप्त और हल की गई शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

जिनसे शिकायतें प्राप्त हुई	शिकायतों की संख्या
सेबी	7
बीएसई	0
एनएसई	19
सीपीग्राम्स	1
सीवीओ	1
कुल	**28**

(च) जोखिम प्रबंधन समिति: कंपनी ने सेबी के नियमों के अनुरूप सेल जोखिम प्रबंधन समिति (एसआरएमसी) का गठन किया है और कंपनी के मुख्य जोखिम अधिकारी समिति के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष एसआरएमसी के अध्यक्ष हैं और सदस्य कंपनी के बोर्ड में निदेशक हैं। कंपनी ने विभिन्न प्रकार के जोखिमों से निपटने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। नीति कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है। जोखिम प्रबंधन नीति व्यापक है और गतिशील कारोबारी माहौल में जोखिम अपडेट करने की प्रक्रिया को तेज करती है। एसआरएमसी नीति निर्माण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करके सेल में जोखिम प्रबंधन कार्य की देखरेख करती है और साथ ही इसके निरंतर प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए जोखिम प्रबंधन कार्य का मूल्यांकन करती है। समिति के विचारार्थ विषयों में मुख्य रूप से जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना; जोखिम प्रबंधन नीति का निर्माण, उसे स्वीकार करना और कार्यान्वयन करना; जोखिम दस्तावेजीकरण के लिए मानक निर्धारित करना; इसके निरंतर प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करना; उभरते मुद्दों की निगरानी करना और जोखिम प्रबंधन की देखरेख करना शामिल है। 31 मार्च, 2024 तक, एसआरएमसी में श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष शामिल थे; श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, स्वतंत्र निदेशक; निदेशक (तकनीकी, परियोजनाएँ और कच्चा माल); निदेशक (वित्त); निदेशक (वाणिज्यिक); और निदेशक (कार्मिक) सदस्य हैं। वर्ष के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की तीन बैठकें 19 अप्रैल, 2023, 6 अक्टूबर, 2023 और 24 नवंबर, 2023 को आयोजित की गईं। वित्त वर्ष 2023–24 में आयोजित बैठकों के दौरान समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	3	3
श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2
श्री विजेन्डला श्रीनिवासा चक्रवर्थी, निदेशक (वाणिज्यिक)	सदस्य	3	1
श्री अनिल कुमार तुल्सीआनी, निदेशक (वित्त)	सदस्य	3	3
श्री कृष्ण कुमार सिंह, निदेशक (कार्मिक)	सदस्य	3	3
श्री अरविंद कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी, परियोजनाएं और कच्चा माल)	सदस्य	3	2

(छ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कंपनी का विज़न है, जो नई सीएसआर पहलों को बढ़ावा देने और नैतिक, पारदर्शी, जवाबदेह और ध्वनि शासन प्रथाओं के माध्यम से समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और स्थायी सीएसआर पहलों में एक कॉर्पोरेट लीडर के रूप में जाना जाने के लिए उत्कृष्टता के लिए प्रयास करता है। यह कंपनी की अपने हितधारकों के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से व्यवसाय करने की प्रतिबद्धता है, जिससे संगठन अपनी गतिविधियों के प्रभाव की जिम्मेदारी लेते हुए समाज के हितों की सेवा करते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुरूप कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है और कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को भी मंजूरी दी है। नीति कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है। 31 मार्च, 2024 तक, प्रो. (डॉ.) के. जयप्रसाद, स्वतंत्र निदेशक, समिति के अध्यक्ष थे। अन्य सदस्यों में डॉ. गोपाल सिंह भाटी, स्वतंत्र निदेशक; श्री कन्हैया सारदा, स्वतंत्र निदेशक; श्री कृष्ण कुमार सिंह, निदेशक (कार्मिक) और वित्त निदेशालय के लिंक अधिकारी' और श्री अतानु भौमिक, निदेशक (प्रभारी–आरएसपी) शामिल थे। वर्ष के दौरान, सीएसआर समिति की तीन बैठकें 13 जून, 2023, 20 जुलाई, 2023 और 16 मार्च, 2024 को आयोजित की गईं और सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें भाग लिया
प्रो. (डॉ.) के. जयप्रसाद, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	3	3
डॉ. गोपाल सिंह भाटी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	3	3
श्री कन्हैया सारदा, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	3	3
श्री अनिल कुमार तुल्सीआनी, निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2
श्री कृष्ण कुमार सिंह, निदेशक (कार्मिक) एवं एलओएफडी	सदस्य	3	3
श्री अतानु भौमिक, निदेशक (प्रभारी–आरएसपी) अतिरिक्त निदेशक (प्रभारी–बीएसएल) का प्रभार संभाल रहे हैं (3 फरवरी, 2024 से)	सदस्य	1	1



(ज) निदेशक मंडल की अन्य समितियाँ: वर्ष के दौरान, बीएससी के गठन की समीक्षा की गई और कुछ बीएससी का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में, अनिवार्य समितियों के अलावा, कंपनी द्वारा निम्नलिखित बीएससी का गठन किया गया है ताकि बोर्ड द्वारा विचार किए जाने से पहले महत्वपूर्ण मुद्दों की विस्तार से जाँच की जा सके। 31 मार्च, 2024 तक इन बीएससी का उद्देश्य और संरचना नीचे दी गई है:

क्र.सं.	बोर्ड उपसमिति	बीएससी का संक्षिप्त उद्देश्य	31 मार्च 2024 को बीएससी की संरचना
1.	**रणनीतिक मुद्दे और संयुक्त उद्यम समिति**	कंपनी के रणनीतिक गठबंधनों और संयुक्त उद्यमों के गठन से संबंधित मुद्दों की जांच करना और बोर्ड को सिफारिश करना तथा उनके निष्पादन की समीक्षा करना।	• श्री कन्हैया सारदा, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष) • श्री अभिजीत नरेंद्र, संयुक्त सचिव, एमओएस एवं निदेशक, सेल • श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू, स्वतंत्र निदेशक • श्रीमती नीलम सोंनकर, स्वतंत्र निदेशक • डॉ. गोपाल सिंह भाटी, स्वतंत्र निदेशक • प्रो. (डॉ.) के. जयप्रसाद, स्वतंत्र निदेशक • श्री कृष्ण कुमार सिंह, निदेशक (कार्मिक) एवं वित्त निदेशालय के लिंक अधिकारी • श्री अनिर्बान दासगुप्ता, निदेशक (प्रभारी–बीएसपी) • श्री अतानु भौमिक, निदेशक (प्रभारी–आरएसपी) निदेशक (प्रभारी–बीएसएल) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं
2.	**परियोजना समिति**	नई परियोजनाएं शुरू करने, अनुमोदित योजना के अनुरूप प्रमुख पूंजी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी आदि से संबंधित मामलों की निगरानी करना तथा बोर्ड को सिफारिश करना।	• श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष) • श्री अभिजीत नरेंद्र, संयुक्त सचिव, एमओएस एवं निदेशक, सेल • डॉ. गोपाल सिंह भाटी, स्वतंत्र निदेशक • श्री कन्हैया सारदा, स्वतंत्र निदेशक • प्रो. (डॉ.) के. जयप्रसाद, स्वतंत्र निदेशक • श्री अरविंद कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी, परियोजनाएं एवं कच्चा माल) • श्री कृष्ण कुमार सिंह, निदेशक (कार्मिक) एवं वित्त निदेशालय के लिंक अधिकारी • श्री अतानु भौमिक, निदेशक (प्रभारी–आरएसपी) निदेशक (प्रभारी–बीएसएल) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं
3.	**स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण समिति**	संयंत्रों एवं खानों के संबंध में स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण संबंधी मामलों पर नीति, प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों तथा उनके अनुपालन की समीक्षा करना।	• डॉ. गोपाल सिंह भाटी, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष) • श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, स्वतंत्र निदेशक • श्रीमती नीलम सोंनकर, स्वतंत्र निदेशक • श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू, स्वतंत्र निदेशक • श्री अरविंद कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी, परियोजनाएं और कच्चा माल) और वाणिज्यिक निदेशालय के लिए लिंक अधिकारी • श्री कृष्ण कुमार सिंह, निदेशक (कार्मिक) और वित्त निदेशालय के लिए लिंक अधिकारी • श्री अतानु भौमिक, निदेशक (प्रभारी–आरएसपी) निदेशक (प्रभारी–बीएसएल) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं
4.	**शेयर हस्तांतरण समिति**	हस्तांतरण, अस्वीकृति, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र और विभाजित शेयर प्रमाणपत्र जारी करने पर विचार करना।	• श्री अरविंद कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी, परियोजनाएं और कच्चा माल) और वाणिज्यिक निदेशालय के लिए लिंक अधिकारी • श्री कृष्ण कुमार सिंह, निदेशक (कार्मिक) और वित्त निदेशालय के लिए लिंक अधिकारी
5.	**परिचालन मुद्दों पर समिति**	उत्पादन, बिक्री और विपणन, खान और कोयला खदानों के क्षेत्रों में समय–समय पर प्रदर्शन की समीक्षा करना। संयंत्रों और केंद्रीय विपणन संगठन के बीच समन्वय की समीक्षा करना।	• प्रो. (डॉ.) के. जयप्रसाद, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष) • श्री अभिजीत नरेंद्र, संयुक्त सचिव, एमओएस एवं निदेशक, सेल • श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, स्वतंत्र निदेशक • श्री कन्हैया सारदा, स्वतंत्र निदेशक • श्रीमती नीलम सोंनकर, स्वतंत्र निदेशक • श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू, स्वतंत्र निदेशक • (तकनीकी, परियोजनाएं एवं कच्चा माल) एवं वाणिज्यिक निदेशालय के लिए लिंक अधिकारी • श्री बी.पी. सिंह, निदेशक (प्रभारी–आईएसपी एवं डीएसपी)

(झ) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित विभिन्न बोर्ड उप-समितियों की बैठकों और उनमें निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

बोर्ड की उपसमिति	लेखापरीक्षा समिति की बैठक		परियोजना समिति की बैठकें		रणनीतिक मुद्दों एवं संयुक्त उद्यमों पर समिति की बैठकें		नामांकन और मानदेय समिति की बैठकें		कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठकें		स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण समिति की बैठकें		हितधारक संबंध समिति की बैठकें		संरचनात्मक मुद्दों पर समिति की बैठकें		शेयर हस्तांतरण समिति की बैठकें	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	जिनमें भाग लिया	कार्यकाल के दौरान आयोजित	जिनमें भाग लिया	कार्यकाल के दौरान आयोजित	जिनमें भाग लिया	कार्यकाल के दौरान आयोजित	जिनमें भाग लिया	कार्यकाल के दौरान आयोजित	जिनमें भाग लिया	कार्यकाल के दौरान आयोजित	जिनमें भाग लिया	कार्यकाल के दौरान आयोजित	जिनमें भाग लिया	कार्यकाल के दौरान आयोजित	जिनमें भाग लिया	कार्यकाल के दौरान आयोजित	जिनमें भाग लिया
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10	
2023-24 में आयोजित	**8**		**11**		**2**		**2**		**3**		**4**		**1**		**4**		**11**	
निदेशकों की उपस्थिति																		
श्रीमती सोमा मंडल (30 अप्रैल, 2023 तक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्री अमरेंदु प्रकाश (31 मई, 2024 से अध्यक्ष)	-	-	1	1	1	1	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
श्रीमती सुकृति लिखी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्री अभिजीत नरेंद्र	-	-	12	12	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-
श्री अनिर्बान दासगुप्ता	8	7	-	-	2	2	-	-	-	-	4	3	1	1	-	-	-	-
श्री अशोक कुमार त्रिपाठी	8	8	12	12	-	-	2	2	-	-	4	4	-	-	4	4	-	-
श्री कन्हैया सारदा	8	8	12	12	2	2	-	-	3	3	-	-	-	-	4	4	-	-
श्रीमती नीलम सोंनकर	8	8	-	-	2	1	-	-	-	-	4	4	1	1	4	3	-	-
श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू	8	8	-	-	2	2	2	2	-	-	4	4	1	1	4	4	-	-
डॉ. गोपाल सिंह भाटी	-	1*	12	12	2	2	2	2	3	3	4	4	-	-	-	-	-	-
श्री विजेन्डला श्रीनिवासा चक्रवर्थी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	7
श्री अतानु भौमिक	-	-	11	11	1	0	-	-	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-
श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
प्रो. (डॉ.) के. जयप्रसाद	-	-	12	12	2	2	2	2	3	3	-	-	1	1	4	4	-	-
श्री अनिल कुमार तुल्सीआनी	-	-	10	10	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3	3	8	7
श्री कृष्ण कुमार सिंह	-	-	2	2	-	-	-	-	3	3	4	4	1	1	-	-	11	11
श्री अरविंद कुमार सिंह	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	4	4	11	10

नोटः बैठकों में 'आमंत्रित'के रूप में भाग लेने वाले कार्यकारी निदेशकों को उपस्थिति में शामिल नहीं किया गया है।

'डॉ. गोपाल सिंह भाटी ने 'आमंत्रित' के रूप में लेखा परीक्षा समिति की बैठक में भाग लिया।

(ञ) उपरोक्त के अलावा, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 29 जून, 2023 को स्वतंत्र निदेशकों की 1 बैठक आयोजित की गई।

(ट) आम सभा की बैठकें:

(i) स्थान और समय जहाँ पिछली तीन एजीएम आयोजित की गईः

वित्त वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2022-23	27.09.2023	10.30 प्रातः	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से
2021-22	28.09.2022	10.30 प्रातः	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से
2020-21	28.09.2021	10.30 प्रातः	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से

(ii) पिछले तीन वर्षों में, छह विशेष प्रस्ताव डाक मतपत्र के माध्यम से और एक वार्षिक आम बैठक में पारित किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	पास किए गए विशेश प्रस्तावों की संख्या
2022-23	1
2021-22	6
2020-21	शून्य

iii) पोस्टल बैलेट

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई भी व्यवसाय नहीं किया गया और 31 मार्च, 2024 तक, पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई भी समाधान प्रस्तावित नहीं है।



(ठ) **प्रकटीकरण:**

(i) **आर्थिक संबंध:** कंपनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों, रिश्तेदारों आदि के साथ कोई भी भौतिक प्रकृति का लेन–देन नहीं किया गया, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करने के बारे में घोषणा और पुष्टि पर ध्यान दिया है। गैर–कार्यकारी निदेशकों का वर्ष के दौरान कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं था, सिवाय बोर्ड/बोर्ड उप–समिति/स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई बैठक शुल्क की रसीद के। श्री कन्हैया सारदा, स्वतंत्र निदेशक, जिनके पास 2500 इक्विटी शेयर हैं, को छोड़कर किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक के पास कंपनी का कोई शेयर/परिवर्तनीय वित्तीय उपकरण नहीं है।

(ii) **स्वतंत्र निदेशक का अधिकतम कार्यकाल:** सेल एक सरकारी कंपनी है, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए नियमों और शर्तों का नामांकन और निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

(iii) **स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति पत्र:** सेल एक सरकारी कंपनी है, इसके बोर्ड में निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नामित/नियुक्त किया जाता है। स्वतंत्र निदेशक को नामित करते समय भारत सरकार द्वारा उल्लिखित नियमों और शर्तों के आधार पर भूमिकाओं, कर्तव्यों, जिम्मेदारियों को सूचित करने वाला नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को उनकी भूमिकाओं, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में सूचित किया जाता है और निदेशकों के लिए आचार संहिता की प्रतियां प्रदान की जाती हैं। हालांकि, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा कोई स्वतंत्र निदेशक नामित नहीं किया गया था।

(iv) **स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम:** स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के समय उनके लिए एक परिचय सह परिचय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जहाँ कंपनी का एक समग्र दृष्टिकोण उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ संगठनात्मक संरचना, कंपनी के संयंत्र और इकाइयाँ, उत्पाद पोर्टफोलियो, वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन, आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम आदि का विवरण शामिल है। कंपनी परिचालन के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए निदेशकों के लिए कंपनी के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों का दौरा भी आयोजित करती है। इसके अलावा, निदेशकों को कॉर्पोरेट प्रशासन आदि से संबंधित मुद्दों पर डीपीई, स्कोप, आईओडी और अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को दिए जाने वाले परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है।

(v) **व्हिसल ब्लोअर नीति:** कंपनी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की व्हिसल ब्लोअर नीति को अपनाया है और इसने किसी भी मुद्दे पर लेखा परीक्षा समिति/प्रबंधन से संपर्क करने के लिए किसी भी कार्मिक को प्रवेश से वंचित नहीं किया है। व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है। कंपनी ने व्यावसायिकता, ईमानदारी, निष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मामलों का संचालन करने के लिए एक सतर्कता तंत्र भी तैयार किया है। कंपनी के सभी कर्मचारी और कंपनी के बोर्ड के निदेशक इस तंत्र के अंतर्गत आते हैं। यह तंत्र कर्मचारियों द्वारा अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए स्थापित किया गया है। यह तंत्र उन कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा भी प्रदान करता है जो तंत्र का लाभ उठाते हैं और असाधारण मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच की अनुमति देते हैं। सतर्कता तंत्र को कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर पोस्ट किया गया है।

(vi) कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनिवार्य आवश्यकताओं और भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान चार से पांच स्वतंत्र निदेशकों की कमी थी। सेल एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा नामांकन के आधार पर की जाती है। सेल के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को नामित करने का मामला इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष उठाया गया था। इसके अलावा, कंपनी ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और उसके संशोधनों की गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरी तरह से नहीं अपनाया है।

(vii) 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के बोर्ड में एक गैर–कार्यकारी सरकार द्वारा नामित महिला निदेशक और एक स्वतंत्र महिला निदेशक थीं।

(viii) सेल में बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के वेतनमानों में संशोधन के लिए राष्ट्रपति के निर्देश इस्पात मंत्रालय द्वारा 18 नवंबर, 2021 के पत्र के माध्यम से 1 जनवरी, 2017 से जारी किए गए थे। कंपनी ने इसका और एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का भी अनुपालन किया है। गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के मामले में, 18 नवंबर, 2021 को इस्पात मंत्रालय की मंजूरी से राष्ट्रीय इस्पात उद्योग संयुक्त समिति (एनजेसीएस) के द्विपक्षीय मंच में वेतन को अंतिम रूप दिया गया/संशोधित किया

गया। इसके बाद, गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए 3 अगस्त, 2022 को भत्तों/भत्तों के लिए संशोधित वेतनमान और कैफेटेरिया उपागम भी लागू किया गया।

(ix) लेखा पुस्तकों में व्यय की कोई भी मद डेबिट नहीं की गई है जो व्यवसाय के उद्देश्य से नहीं है। निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए कोई भी व्यय, जो व्यक्तिगत प्रकृति का है, नहीं किया गया है।

(x) प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 2023–24 के दौरान कुल व्यय का 0.43 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 0.39 प्रतिशत था।

(xi) **स्वतंत्रता की घोषणा:** स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के साथ सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 25(8) के अंतर्गत आवश्यक स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्तुत की है, जिसमें कहा गया है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप–धारा (6) के साथ सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 16(1) (ख) में दिए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्होंने पुष्टि की है कि वे किसी भी ऐसी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं हैं जो मौजूद है या उचित रूप से प्रत्याशित हो सकती है जो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने की उनकी क्षमता को ख़राब या प्रभावित कर सकती है। इसे बोर्ड द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया है।

(xii) **आचार संहिता:** कंपनी ने कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाने के उद्देश्य से निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता निर्धारित की है। यह संहिता सरकारी नामिती(ओं) और स्वतंत्र निदेशकों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों सहित सभी बोर्ड सदस्यों पर लागू है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से संहिता के अनुपालन की पुष्टि प्राप्त हो गई है। आचार संहिता को कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर डाला गया है।

(xiii) **संबंधित पक्ष लेनदेन पर नीति:** लिस्टिंग समझौते के संदर्भ में, कंपनी के निदेशक मंडल ने संबंधित पक्ष लेनदेन पर एक नीति अपनाई है। नीति को कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर डाला गया है। ऐसा कोई संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं था, जिससे कंपनी के हितों के साथ कोई संभावित टकराव हो सकता हो।

(xiv) **महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों पर नीति:** कंपनी के निदेशक मंडल ने महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए एक नीति अपनाई है। नीति को कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर प्रदर्शित किया गया है। 2023–24 के दौरान कंपनी की कोई भी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं थी।

(xv) **लाभांश वितरण नीति:** सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 43ए के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने लाभांश वितरण नीति अपनाई है और इसे कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर अपलोड किया गया है।

(xvi) वित्तीय विवरणों पर कंपनी के अध्यक्ष और निदेशक (वित्त) द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, जो कंपनी के क्रमशः सीईओ और सीएफओ हैं। 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरणों पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो निदेशक (वित्त) के पद का प्रभार संभाल रहे थे।

(xvii) **निदेशकों की मुख्य योग्यता:** स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात इस्पात मंत्रालय के नियंत्रण में एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के सभी निदेशक अर्थात पूर्णकालिक, स्वतंत्र निदेशक, नामित निदेशक इस्पात मंत्रालय द्वारा नियुक्त/नामांकित किए जाते हैं। कंपनी से संबंधित व्यवसाय और क्षेत्रों के संदर्भ में आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसके अलावा, सेल के बोर्ड में निदेशकों का चयन भारत सरकार/इस्पात मंत्रालय द्वारा उनकी परिभाषित प्रक्रियाओं और प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाता है। इस संबंध में, 31 मार्च, 2024 तक सेल के बोर्ड में निदेशकों के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता का उल्लेख नीचे किया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद	वर्तमान कौशल/विशेषज्ञता/निपुणता
1	श्री अमरेन्दु प्रकाश	अध्यक्ष	बीई/बी.टेक. (धातुकर्म); परियोजना कार्यान्वयन; रणनीतिक योजना; संचालन;
2	श्रीमती सुकृति लिखी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	आईएएस; बीए ऑनर्स–अर्थशास्त्र; एमए–समाजशास्त्र; प्रशासन; वित्त;
3	श्री अभिजीत नरेंद्र	सरकार द्वारा नामित निदेशक	आईआरटीएस; बीएससी; एलएलबी; बुनियादी ढांचा विकास; रसद; उत्पादन; बिक्री;
4	श्री अनिर्बान दासगुप्ता	निदेशक (प्रभारी–बीएसपी)	बीटेक (धातुकर्म); प्रौद्योगिकी; संचालन; परियोजना प्रबंधन; कॉर्पोरेट योजना;
5	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी	स्वतंत्र निदेशक	आईएएस; बीएससी–भौतिकी ऑनर्स; एमएससी–भौतिकी; एलएलबी–कानून; प्रशासन;
6	श्री कन्हैया सारदा	स्वतंत्र निदेशक	पीजीडीबीएम (वित्त, व्यापार कानून, बिक्री और विपणन, व्यापार प्रशासन, अनुसंधान, कॉर्पोरेट प्रशासन, तकनीकी संचालन); वित्त;
7	श्रीमती नीलम सोंनकर	स्वतंत्र निदेशक	बीए; एमए; प्रशासन;



क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद	वर्तमान कौशल/विशेषज्ञता/निपुणता
8	श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू	स्वतंत्र निदेशक	पब्लिक प्रशासन, राजनीति, समाजशास्त्र में बी.ए; वित्त और मानव संसाधन में एमबीए; प्रशासन; वित्त; प्रबंधन;
9	डॉ. गोपाल सिंह भाटी	स्वतंत्र निदेशक	एमबीबीएस; रेडियोलॉजी में डीएमआरडी; चिकित्सा और स्वास्थ्य; प्रबंधन; प्रशासन;
10	श्री विजेन्डला श्रीनिवासा चक्रवर्थी	निदेशक (वाणिज्यिक)	बी.टेक. (केमिकल); मार्केटिंग;
11	श्री अतानु भौमिक	निदेशक प्रभारी–आरएसपी जो निदेशक (प्रभारी–बीएसएल) का अतिरिक्त प्रभार संभालते हैं	बी.ई./बी.टेक. (धातुकर्म); एमबीए (एचआर); परियोजनाएं; संचालन;
12	श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह	निदेशक (प्रभारी, आईएसपी और डीएसपी एवं एएसपी)	बी.टेक. (खनन इंजीनियरिंग); संचालन; खनन और खनिज;
13	प्रो. (डॉ.) के. जयप्रसाद	स्वतंत्र निदेशक	एम.ए. राजनीति विज्ञान; पीएच.डी. राजनीति विज्ञान; प्रशासन;
14	श्री अनिल कुमार तुल्सीआनी	निदेशक (वित्त)	बी.कॉम; सीएमए; एमबीए (वित्त); बजट; वित्त प्रबंधन; परियोजना वित्त; लेखा;
15	श्री कृष्ण कुमार सिंह	निदेशक (कार्मिक)	बी.ई./बी.टेक. (इलेक्ट्रॉनिक); पीजीडी (एचआरएम); मानव संसाधन विकास
16	श्री अरविंद कुमार सिंह	निदेशक (टी,पी एवं आरएम)	बी.ई. (धातुकर्म); तकनीकी प्रबंधन; संघर्ष प्रबंधन; व्यापार वार्ता;

(xviii) वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, तरजीह आवंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई गई है।

(xix) **निदेशकों की योग्यता का प्रमाण पत्र:** सेबी (सूचीबद्ध ता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड 10(i) के अनुसार, मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज ने प्रमाणित किया है कि 31 मार्च, 2024 तक सेल के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी अन्य ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स ने यह भी कहा है कि इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1977 के नियम 20 के उप–नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पत्र दिनांक 19 जनवरी, 2024 के माध्यम से श्री वी.एस. चक्रवर्थी, निदेशक (वाणिज्यिक) जिनका डीआईएन 09370715 है और श्री ए.के. तुल्सीआनी, निदेशक (वित्त) जिनका डीआईएन 08742907 है, को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निदेशकों की अयोग्यता के प्रमाण पत्र की एक प्रति इसके साथ संलग्न है।

(xx) **सांविधिक लेखा परीक्षकों को कुल शुल्क:** कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क के रूप में 5.93 करोड़ रुपये की राशि, समेकित आधार पर, सांविधिक लेखा परीक्षकों और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई में सभी संस्थाओं को भुगतान की गई है/देय है, जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक हिस्सा हैं।

(xxi) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया है। ये समितियाँ यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए गठित की गई हैं। कंपनी के सभी कर्मचारी इन नियमों के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए यौन उत्पीड़न की शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	शिकायतों की संख्या
1 अप्रैल, 2023 तक लंबित शिकायतों की संख्या	2
वित्त वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	3
वित्त वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	3
31 मार्च, 2024 तक लंबित शिकायतों की संख्या	2

(xxii) वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा नहीं दिया है।

(xxiii) श्री कन्हैया सारदा, स्वतंत्र निदेशक; श्री अनिर्बान दासगुप्ता, निदेशक (प्रभारी–बीएसपी); और श्री अतानु भौमिक, निदेशक (प्रभारी–आरएसपी) 31 मार्च, 2024 तक क्रमशः सेल के 2500, 100 और 148 इक्विटी शेयर धारण कर रहे हैं।

(xxiv) वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त क्रेडिट रेटिंग और उसमें कोई संशोधन निम्नानुसार है:

क. भारतीय रेटिंग	₹ करोड़ में	चालू रेटिंग		पिछली रेटिंग
विवरण	रेटिड राशि	5 सितम्बर 2023	स्थिति	6 सितम्बर 2022
दीर्घ अवधि बांड	1547^	इंड एए स्थिर आउटलुक	पुष्टि की गई	इंड एए स्थिर आउटलुक
अल्प अवधि (सीपी)	8000	इंडिया ए 1+	पुष्टि की गई	इंडिया ए 1+
निधि–आधारित कार्यशील पूंजी आधारित सीमाएँ	10000	इंडिया एए स्थिर / इंडिया ए1+	पुष्टि की गई	इंडिया एए स्थिर / इंडिया ए1+
गैर–निधि–आधारित कार्यशील पूंजी सीमाएँ	5000	इंडिया ए 1+	पुष्टि की गई	इंडिया ए 1+
गैर–निधि–आधारित सीमाएँ	5000	इंडिया एए स्थिर आउटलुक	पुष्टि की गई	इंडिया एए स्थिर आउटलुक
प्रस्तावित बैंक ऋण #	2000	इंडिया एए स्थिर आउटलुक	पुष्टि की गई	इंडिया एए स्थिर आउटलुक
सार्वजनिक जमा	1000	इंडिया एए स्थिर आउटलुक	पुष्टि की गई	इंडिया एए स्थिर आउटलुक

^ रेटिंग के समय बकाया

अनाबंटित

ख. केयर रेटिंग	₹ करोड़ में	चालू रेटिंग		पिछली रेटिंग
विवरण	रेटिड राशि	3 अगस्त 2023	स्थिति	4 अगस्त 2022
दीर्घ अवधि बांड कार्यक्रम	1092*	केयर एए आउटलुक स्टेबल	पुनः पुष्टि	केयर एए आउटलुक स्टेबल
दीर्घ अवधि सार्वजनिक जमा	1000	केयर एए आउटलुक स्टेबल	पुनः पुष्टि	केयर एए आउटलुक स्टेबल
अल्प अवधि सीपी / आईसीडी कार्यक्रम	8000	केयर ए1+	पुनः पुष्टि	केयर ए1+
दीर्घ अवधि बैंक सुविधाएं (अवधि ऋण)	10,500.00* (8,500.00 से बढ़ाकर)	केयर एए आउटलुक स्टेबल	पुनः पुष्टि	केयर एए आउटलुक स्टेबल
फंड–आधारित–एसटी– कार्यशील पूंजी सीमाएँ	35,000.00* (30,000.00 से बढ़ाकर)	केयर ए1+	पुनः पुष्टि	केयर ए1+
अतिरिक्त रेटिंग		27 अक्टूबर 2023		6 अप्रैल 2023

* 19.10.2023 तक अतिरिक्त रेटिंग के समय बकाया

(xxv) **सामग्री के संबंध में जोखिम:** 15 नवंबर, 2018 के परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2018 / 0000000141 के अनुसरण में, सेल सामग्री के संबंध में कोई जोखिम नहीं देखता है, क्योंकि इसने प्रमुख सामग्रियों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। हालांकि, आयातित कोकिंग कोयले के मामले में, आपूर्ति में रुकावट का जोखिम है क्योंकि विक्रेताओं की संख्या सीमित है और एक भौगोलिक क्षेत्र से थोक आपूर्ति की जाती है। ईओआई रूट के माध्यम से विक्रेता आधार बढ़ाने और रूस, मंगोलिया आदि जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से नए कोयला उत्पादक देशों की खोज करके कोयला बास्केट बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लौह अयस्क के लिए, सेल के पास अपनी स्वयं की कैप्टिव लौह अयस्क खदानें हैं जो इसकी आवश्यकता को पूरा करती हैं। इसी तरह, रिफ्रैक्टरीज और फेरो–मिश्र धातुओं के लिए, सेल के पास अपने स्वयं के कैप्टिव प्लांट हैं और सेल दीर्घकालिक समझौते के अंतर्गत चूना पत्थर की खरीद कर रहा है।

(xxvi) वित्त वर्ष 2023–24 में, बीएसई और एनएसई दोनों ने विनियमन 17(1) के संबंध में गैर–अनुपालन के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 5,31,000 / – रुपये का जुर्माना लगाया है। 30 जून, 2023 और 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाहियों के संबंध में, एनएसई और बीएसई दोनों ने विनियमन 17(1) के गैर–अनुपालन के लिए क्रमशः 5,36,900 / – रुपये और 5,42,800 / – रुपये का जुर्माना लगाया है। 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के संबंध में, बीएसई ने 5,42,800 / – रुपये का जुर्माना लगाया है। बीएसई और एनएसई को जुर्माना माफ करने के लिए एक प्रतिनिधित्व दिया गया है क्योंकि बोर्ड स्तर की नियुक्तियां सेल बोर्ड के दायरे में नहीं हैं और कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय द्वारा की जाती है।

इसके अलावा, बीएसई ने विनियमन 54(2) का अनुपालन न करने के लिए 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 38,940 रुपये का जुर्माना लगाया है। बीएसई को जवाब दिया गया है कि सुरक्षा कवर की जानकारी वित्तीय परिणामों के एक भाग के रूप में प्रस्तुत की गई थी।

31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए, बीएसई ने विनियमन 23(9) का अनुपालन न करने के लिए 70,800 रुपये का जुर्माना लगाया है। बीएसई को जवाब दिया गया कि कंपनी के संबंधित पार्टी लेन–देन के संबंध में विवरण 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय परिणामों के साथ पीडीएफ प्रारूप में प्रस्तुत किए गए थे।

(xxvii) **फर्म / कंपनियों को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम:** वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, उन फर्मों / कंपनियों को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया गया है जिनमें निदेशक रुचि रखते हैं।

(ड़) संचार के साधन:

तिमाही परिणाम आवश्यकतानुसार प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में निम्नलिखित तिथियों पर प्रकाशित किए गए हैं:



समाप्त तिमाही	30 जून 2023	30 सितम्बर 2023	31 दिसम्बर 2023	31 मार्च 2024
प्रकाशन की तिथि	**11 अगस्त 2023**	**11 नवम्बर 2023**	**13 फरवरी 2024**	**21 मई 2024**
अखबार का नाम ई–अंग्रेजी एच – हिंदी	फायनैंशियल एक्सप्रेस (ई) जनसत्ता (एच)	बिजनेस स्टैंडर्ड (ई) द स्टेट्समैन (ई) बिजनेस स्टैंडर्ड (एच)	फायनैंशियल एक्सप्रेस (ई) बिजनेस स्टैंडर्ड (ई) जनसत्ता (एच) बिजनेस स्टैंडर्ड (एच)	हिंदुस्तान टाइम्स (ई) द स्टेट्समैन (ई) दैनिक उत्तम हिंदू (एच) हिंदुस्तान (एच)

तिमाही/वार्षिक परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। कंपनी अपनी वेबसाइट पर आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति भी प्रदर्शित करती है।

कंपनी तिमाही/वार्षिक वित्तीय प्रदर्शन के संबंध में कॉन्फ्रेंस कॉल आयोजित करती है। इसके अलावा, संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं और वे कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध हैं।

(ढ) सामान्य शेयरधारकों की जानकारी:

i. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी लागू परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक 26 सितंबर, 2024 को सुबह 1030 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जानी है। एमसीए के लागू परिपत्रों के अनुसार आवश्यक सार्वजनिक सूचनाएँ जारी की गई हैं।

ii. वित्तीय वर्ष: 1 अप्रैल, 2023 – 31 मार्च, 2024

iii. **बुक क्लोजर की तिथि:** एजीएम के उद्देश्य से 20 सितंबर, 2024 से 26 सितंबर, 2024 (दोनों दिन मिलाकर)। एजीएम की सूचना में निर्धारित निर्णयों पर ई–वोटिंग प्रक्रिया के दौरान अपना वोट डालने और एजीएम में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट–ऑफ तिथि 19 सितंबर, 2024 (व्यावसायिक घंटों के अंदर) तय की गई है।

(iv) **लाभांश का भुगतान:** अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर स्रोत पर आयकर की कटौती (टीडीएस) के अधीन भुगतान किया जाएगा। अंतिम लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा। सेबी ने 03 नवंबर, 2021 के अपने परिपत्र (बाद में 14 दिसंबर, 2021, 16 मार्च, 2023 और 17 नवंबर, 2023 के परिपत्रों द्वारा संशोधित) के माध्यम से अनिवार्य किया कि सुरक्षा धारक (भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले), जिनके फोलियो में पैन या नामांकन का विकल्प या संपर्क विवरण या मोबाइल नंबर या बैंक खाता विवरण या नमूना हस्ताक्षर अपडेट नहीं हैं, ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन सहित किसी भी भुगतान के लिए 01 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पात्र होंगे। सूचीबद्ध कंपनी द्वारा सुरक्षा धारक को एक सूचना भेजी जाएगी कि ऐसा भुगतान देय है और उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुपालन पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। 12 फरवरी, 2024 को निदेशक मंडल द्वारा घोषित अंतरिम लाभांश का भुगतान पात्र शेयरधारकों को फरवरी/मार्च, 2024 में किया गया था।

(v) **स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता:** कंपनी के शेयरों का सक्रिय रूप से कारोबार होता है और वे निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

बीएसई लिमिटेड,
फिरोज जीजीभॉय टावर्स,
दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुंबई–400001
(स्टॉक कोड संख्या 500113)

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई–400051 (कोड: सेल)

कंपनी द्वारा 1996 में जारी जीडीआर लंदन स्टॉक एक्सचेंज, 10 पैटरनोस्टर स्क्वायर, लंदन ईसी4एम 7एलएस, यूके में सूचीबद्ध हैं।

2023–24 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को भुगतान किया गया है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी की प्रतिभूतियों को व्यापार से निलंबित नहीं किया गया था।

(vi) **बाजार मूल्य डेटा:** बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में वित्त वर्ष 2023–24 में प्रत्येक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों के मासिक उच्च और निम्न भाव नीचे दिए गए हैं:

माह और वर्ष	सेनसेक्स		बीएसई में सेल (₹)		निफ्टी		एनएसएई में सेल (₹)	
	उच्चतम	निम्नतम	उच्चतम	निम्नतम	उच्चतम	निम्नतम	उच्चतम	निम्नतम
अप्रैल, 2023	61209.46	58793.08	84.30	80.75	18089.15	17312.75	84.35	80.75
मई, 2023	63036.12	61002.17	86.59	80.50	18662.45	18042.40	86.60	80.45
जून, 2023	64768.58	62359.14	87.05	81.85	19201.70	18464.55	87.05	81.80
जुलाई, 2023	67619.17	64836.16	95.09	85.60	19991.85	19234.40	95.10	85.60
अगस्त, 2023	66658.12	64723.63	96.14	83.90	19795.60	19223.65	96.15	83.90
सितंबर, 2023	67927.23	64818.37	103.59	90.90	20222.45	19255.70	103.65	90.85
अक्टूबर, 2023	66592.16	63092.98	94.05	81.85	19849.75	18837.85	94.00	81.80
नवंबर, 2023	67069.89	63550.46	92.45	82.60	20158.70	18973.70	92.50	82.60
दिसंबर, 2023	72484.34	67149.07	125.74	92.20	21801.45	20183.70	125.75	92.20
जनवरी, 2024	73427.59	70001.6	126.90	107.50	22124.15	21137.20	126.90	107.50
फरवरी, 2024	73413.93	70809.84	150	116.15	22297.50	21530.20	150	116
मार्च, 2024	74245.17	71674.42	145	117.05	22526.60	21710.20	145	117.35

(vii) **रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट:** मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ–65, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–I, नई दिल्ली–110020
फोन नंबर 011–41406149

(viii) **शेयर ट्रांसफर सिस्टम:**

कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार अनिवार्य रूप से डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में किया जाता है। बोर्ड की शेयर ट्रांसफर कमेटी नियमित अंतराल पर बैठक करती है, ताकि हस्तांतरण, अस्वीकृति, डुप्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट और स्प्लिट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के अनुरोधों पर विचार किया जा सके। वर्ष के दौरान, शेयर हस्तांतरण समिति की 11 बार बैठकें हुईं: 17 अप्रैल, 2023, 30 जून, 2023, 21 जुलाई, 2023, 6 सितंबर, 2023, 25 अक्टूबर, 2023, 28 नवंबर, 2023, 13 दिसंबर, 2023, 8 जनवरी, 2024, 12 फरवरी, 2024, 19 फरवरी, 2024 और 4 मार्च, 2024।

(ix) **31 मार्च, 2024 तक शेयरधारिता का वितरण:**

शेयरधारिता	शेयरधारक		राशि	
	संख्या	कुल का प्रतिशत	रुपये में	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
500 तक	1482758	90.24	1305168840	3.16
501 - 1000	81468	4.90	648042350	1.56
1001 - 2000	40540	2.47	61016288	1.48
2001 - 3000	13377	0.81	34300873	0.83
3001 - 4000	6123	0.37	22076855	0.53
4001 - 5000	5132	0.31	24388272	0.59
5001 - 10000	7802	0.47	57954372	1.40
10001 - 50000	5873	0.36	3735467510	90.43
50001 - 100000	1482758	90.24	1305168840	3.16
100000 ऊपर	81468	4.90	648042350	1.56
कुल	**1643073**	**100.00**	**41305252890**	**100.00**

(x) **31 मार्च 2024 को शेयरहोल्डिंग का पैटर्न**

क्र. सं.	श्रेणी	धारण किए गए शेयरों की संख्या	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
क	**प्रमोटरों की होल्डिंग**		
1	प्रमोटर		
	-भारतीय प्रमोटर्स अर्थात भारत सरकार	2684714550	65.00
	- विदेशी प्रमोटर्स	-	-
2	सहयोग से कार्य करने वाले व्यक्ति	-	-
	उप-योग	**2684714550**	**65.00**
ख	**गैर-प्रवर्तक होल्डिंग**		
3	संस्थागत निवेशक		
क	म्युचुअल फंड और यूटीआई	259975047	6.29
ख	बैंक और वित्तीय संस्थान	398166	0.01
ग	बीमा कंपनियाँ	388954866	9.42
घ	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)	131272665	3.18
	उप-योग	**780600744**	**18.90**
4	अन्य		
क	निजी कॉर्पोरेट निकाय	75174207	1.82
ख	भारतीय सार्वजनिक	557626916	13.50
ग	ट्रस्ट और सोसायटी, आदि	2900363	0.07
घ	एनआरआई/ओसीबी	25210297	0.61
ड़	जीडीआर	110990	0.00
च	आईईपीएफ	4187222	0.10
	उप-योग	**665209995**	**16.10**
	कुल योग	**4130525289**	**100.00**

(xi) **31 मार्च, 2024 तक डीमैटेरियलाइजेशन की स्थिति**

विवरण	शेयरों की संख्या	पूंजी का प्रतिशत	खातों की संख्या
एनएसडीएल	3784781080	91.63	434973
सीडीएसएल	343331946	8.31	1234410
कुल डीमैटेरियलाइज्ड	**4128113026**	**99.94**	**1669383**
भौतिक	2412263	0.06	13369
कुल	**4130525289**	**100.00**	**1682752**

भारत सरकार के शेयर डीमैट फॉर्म में रखे जाते हैं।

(xii) कंपनी के संयंत्र/इकाइयां/सहायक कंपनियां निम्न स्थानों पर स्थित हैं:



स्टील प्लांट

- भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई–490001, छत्तीसगढ़
- दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर–713203, पश्चिम बंगाल
- राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला–769011, ओडिशा
- बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील सिटी–827001, झारखंड
- आईआईएससीओ स्टील प्लांट, बर्नपुर–713325, पश्चिम बंगाल
- एलॉय स्टील प्लांट, दुर्गापुर–713208, पश्चिम बंगाल
- सेलम स्टील प्लांट, सेलम–636013, तमिलनाडु
- विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, भद्रावती–577031, कर्नाटक
- चंद्रपुर फेरो अलॉय प्लांट, चंद्रपुर, महाराष्ट्र
- **यूनिट्स**
- सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गनाइजेशन, इस्पात भवन, 40, जवाहर लाल नेहरू रोड, कोलकाता–700 071, पश्चिम बंगाल।
- इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, रांची–834002, झारखंड।
- पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग, सेल हाउस, तीसरी मंजिल, 50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता–700071, पश्चिम बंगाल।
- सेल ग्रोथ वर्क्स, कुल्टी, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल।
- प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, रांची–834002, झारखंड।
- रसद और अवसंरचना विभाग, इस्पात भवन, 40, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता–700071
- खान डिवीजन, सेल ऑफिसर्स कॉलोनी, चसनाल्ला, धनबाद, झारखंड–828135
- लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केंद्र, रांची–834002, झारखंड।
- सेल परामर्श प्रभाग, 16–20 मंजिल, स्कोप मीनार, उत्तरी टॉवर, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली–110092
- सेल सुरक्षा संगठन, रांची–834002, झारखंड।
- सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट, बोकारो–827004, झारखंड।
- सेल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिवीजन, रांची।

सहायक कंपनिया

- इस्को–उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड, कोलकाता (परिसमापन के अधीन)
- सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड, सेलम–636013, तमिलनाडु
- छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड, भिलाई, छत्तीसगढ़
- सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड, नई दिल्ली–110003 (समाप्त)
- सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, चसनाला–828135, झारखंड (समाप्त)

(xiii) **शेयरधारकों से प्रश्नों/शिकायतों, यदि कोई हो, के लिए पत्राचार का पता:**

मेसर्स. एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,
एफ–65, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I,
नई दिल्ली–11 0020 फोन नंबर 91–11–41406149,
फैक्स नंबर 91–11–41709881
ई–मेलः admin@mcsregistrars.com

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरकर्ता

(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 3 सितंबर, 2024

अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

डी–427, दूसरा तल, पालम एक्स., रामफल चौक,
सेक्टर 7, द्वारका, नई दिल्ली–110075
ईमेल आईडीः asacs2022@gmail.com
फोन नं. 011–45052182

निदेशकों की योग्यता का प्रमाणपत्र
(सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा ग खण्ड (10)(i) के अनुसार)

प्रेसित,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
इस्पात भवन, लोधी रोड़, नई दिल्ली - 110003

हमने कम्पनी द्वारा रखे गए संबंधित रजिस्टरों, अभिलेखों, फार्मों, रिटर्न और **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड** के निदेशकों, जिसका सीआईएनः एल 27109डीएल1973जीओआई006454 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय **इस्पात भवन, लोधी रोड़, नई दिल्ली 11000 है** (जिसे यहां पर 'कम्पनी' के रूप में संदर्भित किया गया है, से प्राप्त प्रकटीकरणों का अवलोकन किया है, जिसे सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा ग खण्ड (10)(i) के अनुसार यह प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया था।

हमारी राय में और हमारे सर्वश्रेठ ज्ञान और सत्यापन (जिसमें निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति जो पोर्टल www.mca.gov.in पर उपलब्ध है) जिसे आवश्यक माना जाता है, और कम्पनी और इसके निदेशक/अधिकारियों द्वारा हमें प्रदान की गई व्याख्याओं/प्रतिवेदनों के अनुसार, हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी के बोर्ड में निम्नलिखित निदेशकों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या अन्य संवैद्यानिक प्राधिकार द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्ति से प्रतिबंधित या अयोग्य नहीं किया गया है।

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	डीआईएन	कम्पनी में नियुक्ति की तिथि
1.	अमरेंदु प्रकाश	08896653	28/09/2020
2.	सुकृति लिखी	01525997	23/04/2021
3.	अभिजीत नरेंद्र	07851224	27/04/2022
4.	अनिर्बान दासगुप्ता	06832231	01/02/2020
5.	अशोक कुमार त्रिपाठी	02485365	08/11/2021
6.	कन्हैया सारदा	06792668	12/11/2021
7.	नीलम सोनकर	03111659	15/11/2021



8.	सागी कासी विश्वनाथ राजु	00434656	16/11/2022
9.	गोपाल सिंह भाटी	09406763	18/11/2022
10.	अतानु भौमिक	08891338	11/02/2022
11.	बृजेंद्र सिंह	08665585	19/04/2022
12.	जयप्रसाद कुट्टप्पन	09585722	26/04/2022
13.	कृष्ण कुमार सिंह	09310667	25/08/2022
14.	अरविंद कुमार सिंह	09725842	02/09/2022

इसके अलावा हमारा कहना है कि इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांकित 19 जनवरी 2024 के माध्यम से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की व्यवहार, अनुशासन और अपील नियमावली 1977 के नियम 20 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वीएस चक्रवर्ती, निदेशक (वाणिज्यीक) जिनका डीआईएन 09370715 है और श्री एके तुल्सीआनी, निदेशक (वित्त) जिनका डीआईएन 08742907 है को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निदेशक बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता की योग्यता को सुनिश्चित करना कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर अपनी राय व्यक्त करना है। यह प्रमाणपत्र न तो कम्पनी की भविष्य की व्यवहार्यता की गारंटी देता है और न ही उस योग्यता और प्रभावशीलता की गारंटी देता है जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी के मामलों का संचालन किया है।

अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स,
कम्पनी सचिव,
आईसीएसआई यूनीक कोडः पी2003डीई049100
सहयोगी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या 2725/2022

GARIMA GROVER
Digitally signed by GARIMA GROVER
Date: 2024.06.21 10:56:58 +05'30'

गरिमा ग्रोवर
पार्टनर

एसीएस नं. 27100
सीपी नं. 23626

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 21.06.2024
यूडीआईएनः ए027100एफ000598385

1.	**वॉकर चंडियोक एंड कंपनी एलएलपी** एल–41, कॉनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001	2.	**जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी** 202, प्रसिद्ध रेजीडेंसी, साउथ ऑफ बरियातू हाउसिंग कॉलोनी, रानी बागान, रांची–835009	3.	**स्पार्क एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एलएलपी** 403ए, चौथी मंजिल, रवि भवन, जय स्तंभ चौराहा, गांधी चौक के पास, रायपुर–446143	4.	**विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी** ए–301, श्री नंद रानी निवास, आरा मिल्स के सामने, वीर कुंवर सिंह कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, हिनू, रांची–834002

कॉर्पोरेट प्रशासन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

प्रेसित

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्य

1. यह प्रमाणपत्र 3 नवंबर, 2023 के हमारे अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार जारी किया जाता है।
2. हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि विनियमन 17 से 27, विनियमन 46(2) के खंड (ख) से (झ) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') की अनुसूची V के पैराग्राफ ग, घ और ड़ में निर्दिष्ट है और जैसा कि सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों ("डीपीई दिशानिर्देश") में निर्दिष्ट है।

प्रबंधन का दायित्व

3. कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता को डिजाइन करना, लागू करना और बनाए रखना शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

4. लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार, हमारी जिम्मेदारी एक राय के रूप में एक उचित आश्वासन व्यक्त करना है कि क्या कंपनी ने ऊपर पैराग्राफ 2 में बताए अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है। हमारी जिम्मेदारी कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।
5. हमने भारत में लागू सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रमाणन पर मार्गदर्शन नोट, और आईसीएआई द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों के लिए रिपोर्ट या प्रमाणपत्रों पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार कंपनी के प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच की है, जिसके लिए आवश्यक है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें।
6. हमने गुणवत्ता नियंत्रण (एसक्यूसी) 1, ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा और समीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा अनुबंधों पर मानक की प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

योग्य राय

7. हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का सभी भौतिक मामलों में अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित के अधीन है:

   क. विनियमन 17(1)(क): 1 अप्रैल, 2023 से 30 अप्रैल, 2023 तक निदेशक मंडल की संरचना में गैर–कार्यकारी निदेशकों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता।

   ख. विनियमन 17(1)(ख): 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता।

हमारा कहना है कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

उपयोग पर प्रतिबंध

8. यह प्रमाणपत्र केवल उपरोक्त विनियमों के अनुपालन के उद्देश्य से जारी किया गया है और हो सकता है कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हो।

वॉकर चांडियोक एण्ड कम्पनी एलएलपी के लिए चार्टर्ड अकाउंटैंट्स फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 001076एन/एन500013	**जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी के लिए** चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 006569सी/डबल्यु100892	**एस पी ए आर के एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड के लिए** अकाउंटेंट्स एलएलपी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या 005313सी/सी400311	**विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी के लिए** चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 005826सी/सी400276
हस्ता. **सी.ए. नलिन जैन** पार्टनर एम.नं. 503498 यूडीआईएनः 23503498 बीजीआरजीबीएक्स1676 स्थानः नई दिल्ली	हस्ता. **सीए अकांश गुप्ता** पार्टनर एम.संख्याः 456312 यूडीआईएनः 24456312 बीकेएएसएनपी6346 स्थानः नई दिल्ली	हस्ता. **सीए रोहित खंडेलवाल** पार्टनर एम.संख्याः 417967 यूडीआईएनः 24417967 बीकेबीएफडब्ल्यूएम8483 स्थानः नई दिल्ली	हस्ता. **सीए शिवानी गुप्ता** पार्टनर एम.संख्याः 078389 यूडीआईएनः 24078389 बीकेजीआरएलसी1930 स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 22 अगस्त, 2024



बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक-V

व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं चिरस्थायीत्व रिपोर्ट (बीआरएसआर)

खण्ड-क. सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण:

1.	कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L27109DL1973GOI 006454
2.	कंपनी का नाम	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
3.	निगमित किए जाने का वर्ष	1973
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
5.	कॉर्पोरेट कार्यालय का पता	
6.	ई-मेल	investor.relation@sail.in
7.	टेलीफ़ोन	011-24367481
8.	वेबसाइट	https://sail.co.in
9.	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	2023-24
10.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई'), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ('बीएसई') और लंदन स्टॉक एक्सचेंज ('एलएसई')
11.	प्रदत्त पूंजी	₹ 41,30,52,52,890
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	श्री एम. बी. बालाकृष्णन कार्यकारी निदेशक (एफ एंड ए) एवं कंपनी सचिव, कॉर्पोरेट कार्यालय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड secy.sail@sail.in 011–24300237
13	रिपोर्टिंग सीमा	व्यावसायिक उत्तरदायित्व से संबंधित डेटा स्टैंडअलोन आधार पर है। इसमें सहायक कंपनियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों को छोड़कर संपूर्ण सेल इकाई शामिल है। रिपोर्टिंग सीमा में निम्नलिखित शामिल हैं: क. **एकीकृत इस्पात संयंत्र:** भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, इस्को इस्पात संयंत्र ख. **विशेष इस्पात संयंत्र:** मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, सेलम इस्पात संयंत्र, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र ग. **इकाइयां:** चंद्रपुर फेरो मिश्र धातु संयंत्र, केंद्रीय विपणन संगठन, लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट, सेल सुरक्षा संगठन, सेल ग्रोथ वर्क्स कुल्टी, पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र घ. **खदानें (संचालन)** • झारखंड खान समूह: किरीबुरू लौह अयस्क खदानें, मेघाहातुबुरू लौह अयस्क खदानें, गुआ लौह अयस्क खदानें, मनोहरपुर लौह अयस्क खदानें • ओडिशा खान समूह: बोलानी अयस्क खदानें, बरसुआ लौह खदान, तालडीह लौह अयस्क खदान, काल्टा लौह खदान • बीएसपी खान समूह: लौह अयस्क परिसर, राजहरा, रावघाट डिपॉज़िट–एफ, नंदनी चूना पत्थर खदान, कुटेश्वर चूना पत्थर खदान, हिर्री डोलोमाइट खदान
14	आश्वासन प्रदाता का नाम	मेसर्स एसआर एशिया
15	प्रदान किये गए आश्वासन का प्रकार	उचित

II. उत्पाद/सेवाएं

16. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण:

क्र.सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के टर्नओवर का प्रतिशत
1.	लोहा एवं इस्पात का विनिर्माण	लोहा एवं इस्पात का विनिर्माण	100%

17. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं

क्र.सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का % योगदान
1.	लोहा एवं इस्पात का विनिर्माण	241	100%

III. संचालन

18. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	9	103	112
अंतरराष्ट्रीय	0	1	1

कंपनी का कारोबार और परिचालन पूरे देश में फैला हुआ है। संयंत्र के स्थानों का विवरण नीचे दिया गया है:

संयंत्र का स्थान

क. भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और बर्नपुर में पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र

ख. दुर्गापुर, सेलम और भद्रावती में तीन विशेष इस्पात संयंत्र।

कार्यालयों की संख्या: कंपनी के कार्यालय पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

19. इकाई द्वारा पूर्ति किए गए

क. **स्थानों की संख्या**

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	राज्य–28, केंद्र शासित प्रदेश–8
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	6

ख. इकाई के कुल कारोबार में निर्यात का योगदान प्रतिशत के रूप में क्या है?

वित्त वर्ष 2023–24 में इकाई के कुल कारोबार में निर्यात का योगदान 1.61 प्रतिशत रहा।

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर संक्षिप्त जानकारी

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनियों में से एक है जो विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की मांगों को पूरा करती है। ग्राहकों में विभिन्न सरकारी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी कंपनियाँ, वितरक, पुनर्विक्रेता आदि शामिल हैं।

IV. कर्मचारी

20. वित्तीय वर्ष के अंत तक विवरण:

a. कर्मचारी एवं श्रमिक (दिव्यांगों सहित):

क्र.सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	प्रतिशत (ख/क)	सं. (ग)	प्रतिशत (ग/क)
	कर्मचारी*					
1.	स्थायी (घ)	55989	52466	94%	3523	6%
2.	स्थायी के अलावा (ड़)	शून्य				
3.	**कुल कर्मचारी (घ+ड़)**	**55989**	**52466**	**94%**	**3523**	**6%**
	श्रमिक #					
4.	स्थायी (च)	शून्य				
5.	स्थायी के अलावा (छ)	72141*	67021	93%	5120	7%
6.	**कुल श्रमिक (च+छ)**	**72141***	**67021**	**93%**	**5120**	**7%**

*कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कार्मिक शामिल हैं

श्रमिकों में संयंत्रों/इकाइयों द्वारा विभिन्न कार्य अनुबंधों के अंतर्गत नियोजित ठेका श्रमिक शामिल है

ख. दिव्यांग कर्मचारी और श्रमिक:

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी के विभिन्न विभागों में 772 दिव्यांग कर्मचारी हैं।

क्र.सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	प्रतिशत (ख/क)	सं. (ग)	प्रतिशत (ग/क)
	दिव्यांग कर्मचारी *					
1.	स्थायी (च)	772	713	92%	59	8%
2.	स्थायी के अलावा (छ)	शून्य				
3.	**कुल कर्मचारी (घ+ड़)**	**772**	**713**	**92%**	**59**	**8%**
	दिव्यांग श्रमिक #					
4.	स्थायी (च)	शून्य				
5.	स्थायी के अलावा (छ)	लागू नहीं है#				
6.	**कुल श्रमिक (च+छ)**					

* श्रमिकों में संयंत्रों/इकाइयों द्वारा विभिन्न कार्य अनुबंधों के अंतर्गत नियोजित ठेका श्रमिक शामिल हैं

उपलब्ध नहीं है

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेश/प्रतिनिधित्व

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत	
			संख्या (ख)	प्रतिशत (ख/क)
1.	निदेशक मंडल	16	2	12.5%
2.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	14	0	0%



22. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारियों	7%	0.4%	6.9%	6.3%	0.4%	6.7%	6.3%	0.3%	6.7%
स्थायी श्रमिकों	लागू नहीं है #								

लागू नहीं है

I. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

23. (क) होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. सं.	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (ए)	बताएं कि क्या यह होल्डिंग/ सहायक/सहयोगी/	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों का नाम (ए)
1.	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	सहायक	100.00	हाँ
2.	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	सहायक	74.00	नहीं
3.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	संबद्ध करना	20.00	नहीं
4.	एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी	संयुक्त उद्यम	50.00	नहीं
5.	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी	संयुक्त उद्यम	50.00	नहीं
6.	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	12.00	नहीं
7.	रोमेल्ट–सेल इंडिया लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	15.00	नहीं
8.	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50.00	नहीं
9.	सेल बंसल सर्विस सेंटर	संयुक्त उद्यम	40.00	नहीं
10.	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26.00	नहीं
11.	GEDCOL सेल पावर कॉर्पोरेशन	संयुक्त उद्यम	26.00	नहीं
12.	अंतर्राष्ट्रीय कोयला उद्यम	संयुक्त उद्यम	47.82	नहीं
13.	सेल–एससीएल केरल लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	49.26	नहीं
14.	सेल–राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज	संयुक्त उद्यम	50.00	नहीं
15.	सेल–कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50.00	नहीं
16.	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	20.58	नहीं
17.	अभिनव–सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26.00	नहीं
18.	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26.00	नहीं

V. सीएसआर विवरण

24. (i) **क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है? (हां/नहीं)**

हां, सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है।

(ii) **31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का टर्नओवर** ₹ 1,04,545.09 करोड़

(iii) **31 मार्च 2024 तक कंपनी की कुल संपत्ति** – ₹ 54,130.54 करोड़

VI. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) के अंतर्गत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1-9 से) पर शिकायतें।

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र लागू है (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	हां। जन शिकायतें सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा रही हैं। यह पोर्टल भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। लिंक pgportal.gov.in है।	577	36	ये प्राप्त और निपटाई गई कुल शिकायतें हैं। इस आंकड़े में उल्लिखित विषयों से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।	432	8	ये प्राप्त और निपटाई गई कुल शिकायतें हैं। इस आंकड़े में उल्लिखित विषयों से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र लागू है (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)'		लागू नहीं है	लागू नहीं है		लागू नहीं है	लागू नहीं है	
शेयरधारक	कंपनी द्वारा प्राप्त निवेशक शिकायतों का विवरण तिमाही आधार पर और छमाही आधार पर सेबी के समक्ष स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाता है।	28	0		62	0	
कर्मचारी और श्रमिक	हां, शिकायत निवारण तंत्र संयंत्र/इकाई स्तर पर मौजूद है, और यह विकेंद्रीकृत है। अधिकांश शिकायतों का निपटारा ऑफ़लाइन मोड में किया जाता है।	273	32	अधिकांश शिकायतें सेवा संबंधी मामलों से संबंधित हैं	126	11	अधिकांश शिकायतें सेवा संबंधी मामलों से संबंधित हैं
ग्राहक	हाँ। सेल में ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए मजबूत प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं। सेल लगातार उपभोक्ताओं से फीडबैक एकत्र करने और उनकी चिंताओं, यदि कोई हो, का समय पर समाधान करने के लिए संपर्क करता है। ग्राहक गुणवत्ता शिकायत (क्यूसी) दर्ज कर सकते हैं जिसके बाद क्यूसी के अंतर्गत सामग्री का शाखा कार्यकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो सेल क्षेत्रीय एई (एप्लीकेशन इंजीनियर) या संबंधित प्लांट की सहायता शाखा कार्यकारी को देता है ताकि प्रक्रिया में सहायता और तेजी लाई जा सके।	1871	26		1793	9	
वैल्यू चेन हिस्सेदार	मूल्य श्रृंखला भागीदार सरकार के चैंपियंस पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। लिंक– https://champions.gov.in/Ministry-%20MSME/industry,enterprise,unit/bharat-sarkar-kendra/grievance-redressal/official_Portal.htm	5	0		10	0	

* लागू नहीं है

ख. इकाई के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण मुद्दों का अवलोकन

सेल ने अपने संयंत्र और कॉर्पोरेट कार्यालय में कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर एक सर्वेक्षण आयोजित किया। आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और स्थिरता पहलुओं से पहचाने गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित हैं।

क्र. सं.	चिन्हित किए गए महत्वपूर्ण मुद्दे	बताएं कि जोखिम है या अवसर जोखिम/अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
पर्यावरण					
1	पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा जल संरक्षण	जोखिम	सेल में उत्पादन प्रक्रियाओं में विभिन्न स्रोतों से पानी की खपत शामिल है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका उचित उपयोग हो तथा नियामक आवश्यकताओं के संबंध में कोई गैर–अनुपालन न हो, हम इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में पहचानते हैं।	सभी सेल संयंत्रों में, संयंत्र सीमा पर निकास के माध्यम से छोड़े जा रहे अपशिष्ट के पर्याप्त उपचार और पुनर्चक्रण के माध्यम से "शून्य तरल निर्वहन" के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निवेश किया जा रहा है।	नकारात्मक
2	ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और कार्बन पदचिह्न	जोखिम	कम कार्बन स्टील बनाने की ओर कदम बढ़ाना कंपनी की दीर्घकालिक सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण भौतिक मुद्दे के रूप में पहचाना गया है।	कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में पर्याप्त कमी लाने तथा नवीकरणीय/अपारम्परिक ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ–साथ 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है।	नकारात्मक



क्र. सं.	चिन्हित किए गए महत्वपूर्ण मुद्दे	बताएं कि जोखिम है या अवसर जोखिम/ अवसर	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
सामाजिक					
3	परिचालन और आपूर्ति श्रृंखला में मानवाधिकार	जोखिम	एक स्टील निर्माण कंपनी के रूप में, जिसके कई स्थानों पर संयंत्र संचालित हैं, सेल के पास मानव संसाधनों का एक विशाल भंडार है। इसके परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्गत मानदंडों के अनुपालन में सभी स्थानों पर मानवाधिकार संबंधी सभी चिंताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी प्रकार का उलंघन कंपनी के लिए प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।	-	नकारात्मक
4	उचित एवं समान वेतन	अवसर	सेल में कर्मचारियों के साथ जाति, धर्म, रंग या लिंग के बावजूद समान व्यवहार किया जाता है। सेल में हमारे सभी कर्मचारियों के लिए निष्पक्ष और समान व्यवहार महत्वपूर्ण है और इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण भौतिक मुद्दे के रूप में पहचाना जाता है।	-	सकारात्मक
5	प्राकृतिक आपदाओं, चिकित्सा आपात स्थितियों (कोविड–19) आदि के दौरान कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा।	जोखिम	सेल के संयंत्र कई स्थानों पर संचालित हैं। संयंत्र की परिचालन दक्षता के लिए कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण में निवेश करना महत्वपूर्ण है। सुरक्षा घटनाओं में वृद्धि नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है, इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण भौतिक मुद्दे के रूप में पहचाना गया है।	सेल ने व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली अर्थात आईएसओ 45001: 2018 प्रमाणन लागू किया है। कंपनी कार्यस्थल से जुड़ी सभी बीमारियों और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करती है। आंतरिक और निगरानी ऑडिट और मूल्यांकन नियमित आधार पर किए जाते हैं, जिससे सुरक्षा प्रणालियों, मानकों और प्रदर्शन में निरंतर सुधार होता है। उपरोक्त सभी की निगरानी स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण पर बोर्ड उप–समिति द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है। रिपोर्ट में बाद में अधिक विवरण दिए गए हैं।	नकारात्मक
शासन					
6	नैतिकता / आचार संहिता	जोखिम	यह सुनिश्चित करना कि सभी व्यावसायिक संचालन नैतिक तरीके से कार्य करें, कंपनी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी अनैतिक व्यवहार व्यवसाय की लाभप्रदता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।	सेल के पास अपने सभी निदेशकों, केएमपी, कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए आचार संहिता पर एक नीति है। यह कंपनी के संचालन के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी आचरण के लिए एक मार्गदर्शक मार्ग के रूप में कार्य करता है।	नकारात्मक
7	डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा	जोखिम	साइबर सुरक्षा विश्वास सुनिश्चित करने और डेटा की सुरक्षा करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। एक सूचना सुरक्षा नीति की उपस्थिति जिसके द्वारा कंपनी डेटा गोपनीयता, सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा पर संचालित होती है, व्यवसाय के लिए शासन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।	सेल के पास सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा पर एक नीति है जिसके द्वारा कंपनी डेटा गोपनीयता, सूचना संरक्षण और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसने सेल को किसी भी प्रकार के डेटा उल्लंघन को रोकने और डेटा गोपनीयता और प्रबंधन को मजबूत करने में सहायता की है।	नकारात्मक

खण्ड ख. प्रबंधन और प्रक्रिया का प्रकटीकरण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) में नौ सिद्धांतों की वकालत की गई है, जिन्हें पी 1–पी 9 के रूप में नीचे संदर्भित किया गया है:

पी 1	व्यवसायों को ईमानदारी के साथ तथा नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपना संचालन करना चाहिए
पी 2	व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे तरीके से उपलब्ध कराना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो
पी 3	व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल सभी कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए
पी 4	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए
पी 5	व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए
पी 6	व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करने चाहिए
पी 7	व्यवसायों को सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करते समय ऐसा जिम्मेदारीपूर्ण और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।
पी 8	व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए
पी 9	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ									
1. क. क्या आपकी संस्था की नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मुख्य तत्वों को कवर करती हैं। (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	नीतियों के लिए वेब लिंक https://www.sail.co.in								
2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है। (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4. आपके निकाय द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणपत्र/लेबल/मानकों (जैसे, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रूस्टी) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) के नाम और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किए गए।	सेल की विनिर्माण सुविधाओं में सुपरिभाषित पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा (ईएचएस) तथा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां मौजूद हैं और ये ईएमएस के लिए आईएसओ 14001, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ 9000, व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ओएचएसएएस 18001, सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए एसए 8000 तथा रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ 37001 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।								
5. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और टारगेट के प्रति इकाई का प्रदर्शन तथा इनके पूरा न होने का कारण।	1. पी6: सीओपी 26 में भारत सरकार की बढ़ी हुई महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप, सेल ने 2030 तक सीओ 2 उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने और नवीकरणीय/गैर–पारंपरिक ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ–साथ 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। 2. पी6: संयंत्र सीमा पर निकास के माध्यम से निर्वहन किए जा रहे अपशिष्ट के पर्याप्त उपचार और पुनर्चक्रण के माध्यम से सभी सेल संयंत्रों में "शून्य तरल निर्वहन" प्राप्त करना।								
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और टारगेट के संबंध में इकाई का प्रदर्शन तथा इनके पूरा न होने का कारण।	1. एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, सेल ने कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति के अनुरूप अपना पर्यावरण विज़न तैयार किया है, जो न केवल निर्धारित मानदंडों के अनुपालन की आवश्यकता को संबोधित करता है बल्कि इससे आगे जाने के प्रयास पर भी जोर देता है। सेल के संयंत्र और खदानें पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़े बिना अपनी प्रक्रियाओं का संचालन करते हुए, बिगड़े हुए पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और पुनर्वास करने तथा जैव विविधता को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए सभी उचित उपाय भी कर रही है। इनमें खनन क्षेत्रों की पारिस्थितिक बहाली, नए सिरे से वृक्षारोपण, कार्बन डाइऑक्साइड का जैविक पृथक्करण, कचरे का उपयोग बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग आदि शामिल हैं। सेल के संयंत्रों और खदानों में हर साल संरचित वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सेल के संयंत्र और खदानें प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों/सुविधाओं का कुशलतापूर्वक संचालन कर रही हैं और उनका नियमित रूप से जीर्णोद्धार/नवीनीकरण/पुनरोद्धार और उन्नयन करके उनका रखरखाव कर रही हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, ठोस अपशिष्ट उपयोग, विशिष्ट जल खपत, विशिष्ट पीएम उत्सर्जन भार, विशिष्ट अपशिष्ट निर्वहन, विशिष्ट अपशिष्ट भार आदि जैसे सभी स्थिरता मापदंडों में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है। 2. सेल सही मार्ग पर चल रहा है और उसने जल उपचार प्रक्रिया को लागू कर दिया है, जिसे सिस्टम से सभी तरल अपशिष्ट को हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है								
शासन, नेतृत्व और निगरानी									
7. व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के संबंध में लचीलापन है)। कृपया रिपोर्ट के लिए अध्यक्ष द्वारा शेयरधारकों को लिखे गए पत्र को संदर्भित करें									
8. व्यवसाय उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	बोर्ड सेल में गवर्नेंस फ्रेमवर्क के शीर्ष पर है। आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। प्लांट/इकाई प्रमुख एजेंडा पेपर्स के साथ मिलकर स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा और निगरानी करते हैं। ये रिपोर्ट संबंधित विभागों/डिवीजनों द्वारा कानूनी अनुपालन सहित आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन पर दिए गए मूल्यवान इनपुट के साथ तैयार की जाती हैं और नियमित रूप से और व्यवस्थित रूप से बोर्ड उप समितियों के समक्ष जांच, टिप्पणियों और सिफारिशों के लिए रखी जाती हैं। बोर्ड उप समितियों के इनपुट और टिप्पणियों की जांच और विश्लेषण शीर्ष प्रबंधन द्वारा किया जाता है। बोर्ड को इन टिप्पणियों के बारे में सूचित किया जाता है जो बाद में व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायता करता है।								
9. क्या संस्था के पास स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।	• हां। स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने/निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड की निम्नलिखित समितियाँ अपने विशिष्ट संदर्भ शर्तों के साथ मौजूद हैं– • कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति • स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण समिति • हितधारक संबंध समिति • परिचालन मुद्दे समिति • परियोजना समिति • सेल जोखिम प्रबंधन समिति								

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

समीक्षा का विषय	बताएं कि क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									आवृत्ति(वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/ कोई अन्य; कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के अनुरूप निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	आवश्यकता आधार पर								
सिद्धांतों से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, तथा किसी भी गैर–अनुपालन का प्रमाणन	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	आवश्यकता आधार पर								



11. क्या संस्था ने अपनी नीतियों के कामकाज का किसी बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन करवाया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।

पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नहीं, सेल ने किसी भी बाहरी एजेंसी से अपनी नीतियों के कामकाज का कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन नहीं कराया है। सेल, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, संगठन के विभिन्न क्षेत्रों/कार्यों में भारत के सीएजी द्वारा समीक्षा और लेखा परीक्षा के अधीन है, जिसमें एनजीआरबीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न नीतियां शामिल हैं। प्रक्रियाओं और अनुपालन की समीक्षा आंतरिक लेखा परीक्षकों और नियामक अनुपालन द्वारा की जाती है, जैसा लागू हो। इसके अलावा, सेल के पास अपने परिचालन के क्षेत्र में समृद्ध तकनीकी विशेषज्ञता है और तदनुसार उनके अन्य संयंत्रों द्वारा समकक्ष समीक्षा की जा रही है। सर्वोत्तम प्रथाओं के परिप्रेक्ष्य के साथ–साथ जोखिम के परिप्रेक्ष्य से, नीतियों का समय–समय पर मूल्यांकन और अद्यतन किया जाता है। नीतियों के कामकाज का आंतरिक आकलन नियमित अंतराल पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सेल ने भिलाई, राउरकेला और बोकारो में अपने संयंत्रों में सुरक्षा संस्कृति परिवर्तन के लिए सुरक्षा प्रबंधन सलाहकार को नियुक्त किया है।								

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर 'नहीं' है, अर्थात सभी सिद्धांत पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो कारण बताएं:

प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
संस्था अपने व्यवसाय के लिए सिद्धांतों को महत्वपूर्ण नहीं मानती (हां/नहीं)	लागू नहीं है								
संस्था उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार करने और उन्हें लागू करने की स्थिति में हो (हां/नहीं)									
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय या/और मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)									
इसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है (हां/नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

एन/एः लागू नहीं है

सिद्धांत अनुसार पॉलिसी

पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
आचार संहिता बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए	सतत विकास नीति	सुरक्षा नीति	शिकायत निवारण तंत्र	आचार संहिता बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए	कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति	नागरिक चार्टर	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति	गुणवत्ता नीति
रिश्वत विरोधी प्रबंधन नीति	कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति	सेल मेडिक्लेम सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए योजना	आचार संहिता कॉर्पोरेट निष्पक्ष प्रकटीकरण प्रथाएँ इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए	भर्ती एवं पारिश्रमिक	सतत विकास नीति	पर्यावरण और स्थिरता नीति		सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की प्रतिभूतियों के लेन–देन में अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आंतरिक आचार संहिता	उद्योग में अंतर–संयंत्र मानकीकरण	मानव संसाधन नीति	स्टॉक एक्सचेंज (जों) को प्रकटीकरण के लिए घटनाओं/ सूचना के महत्व को निर्धारित करने की नीति	मानव संसाधन नीति		आचार संहिता		
नियम एवं शर्तें स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति हेतु		एचआईवी/ एड्स नीति		सेल समान अवसर नीति				
व्हिसिल ब्लोअर नीति		सेल समान अवसर नीति		यौन उत्पीड़न की रोकथाम				
स्टॉक एक्सचेंज (जों) को प्रकटीकरण के लिए घटनाओं/सूचना के महत्व को निर्धारित करने की नीति		यौन उत्पीड़न की रोकथाम		मानवाधिकार नीति				

खण्ड-ग: सिद्धांत अनुसार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को मुख्य प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में सहायता करना है। मांगी गई जानकारी को 'आवश्यक' और 'नेतृत्व' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि आवश्यक संकेतकों को इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक इकाई द्वारा प्रकट किए जाने की उम्मीद है, नेतृत्व संकेतक उन संस्थाओं द्वारा स्वेच्छा से प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर पर प्रगति की आकांक्षा रखते हैं।

सिद्धांत 1: व्यवसायों को ईमानदारी के साथ तथा नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपना संचालन और संचालन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज का प्रतिशत:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/ सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
निदेशक मंडल	01	ईएसजी और बीआरएसआर	88%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	02	विषय–1. भारत के इस्पात उद्योग में डीकार्बोनाइजेशनः चुनौतियां, उपकरण और समाधान 2. बीआरएसआर और ईएसजी	प्रतिभागियों के रूप में 244 किलोमीटर लंबी दूरी तय की
		सिद्धांत–1,2,3,4	

खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
निदेशक मण्डल और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	34	विषय–ग्राहक अभिविन्यास, निवारक सतर्कता, ईएसजी, कार्बन न्यूनीकरण, एबीएमएस, जलवायु परिवर्तन और कार्बन फुटप्रिंट कम करना, पर्यावरण संरक्षण और कार्बन न्यूनीकरण के लिए नवाचार आदि। सिद्धांत- 1,2,3,4,5,9	819 प्रतिभागियों को शामिल किया गया
श्रमिक #	-	आरपीएल सुरक्षा प्रबंधन के लिए पूर्व शिक्षा का सम्मान है जो श्रमिकों को दिया जाता है (सिद्धांत 3 और सिद्धांत 5)	-

* कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं

श्रमिकों में संविदाकर्मी आदि शामिल हैं।

सेल के कर्मचारियों के लिए आयोजित निवारक सतर्कता कार्यक्रम से संबंधित डेटा ऊपर दी गई तालिका में दिया गया है। इसके अलावा, एमटीआई द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी अनिवार्य और योग्यता–आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुशासन प्रबंधन और संगठनात्मक प्रणालियों और प्रक्रियाओं पर संरचित इनपुट प्रदान किए जाते हैं।

*वित्त वर्ष 2023–24 में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 5559 कर्मचारियों (निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा) को विभिन्न संचार अभ्यास में शामिल किया गया।

2. वित्तीय वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाही में (इकाई या निदेशकों/केएमपी द्वारा) भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/पुरस्कार/संयोजी शुल्क/निपटान राशि का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में।

शून्य

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में उजागर किए गए मामलों में, उन मामलों में प्रस्तुत अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई के लिए अपील की गई है।

लागू नहीं है

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हाँ। स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अपने सभी संयंत्रों/इकाइयों में रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएमएस) लागू करने वाली पहली महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र इकाई बनने का गौरव प्राप्त किया है। एबीएमएस एक प्रबंधन प्रणाली है जिसे आईएसओ 37001:2016 के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है ताकि किसी संगठन को रिश्वतखोरी को रोकने, उसका पता लगाने और उस पर कार्रवाई करने में सहायता मिल सके।

वेब–लिंक: https://sail.co.in/sites/default/files/Comp_policies/2022-04/ABMS.pdf

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:

नोट: सेल विजिलेंस केवल सीबीआई से संबंधित डेटा रखता है और डेटा की रिपोर्टिंग के लिए सीबीआई को कानून प्रवर्तन एजेंसी माना है, अर्थात अभियोजन के लिए मंजूरी दी गई है।

	वित्त वर्ष 2023-24 चालू वित्त वर्ष	वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष
निदेशक	0	0
केएमपी	0	0
कर्मचारी (ई–9 तक के सभी अधिकारी)	1	0
श्रमिक (गैर–कार्यकारी)	0	0

6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरण:

	वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2022-23	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	-	शून्य	-
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	-	शून्य	-

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा जुर्माना/दंड/की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

चूंकि भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा कोई जुर्माना/दंड/कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।



8. देय खातों के दिनों की संख्या ((देय खाते *365)/खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत) निम्नलिखित प्रारूप में:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
देय खातों के दिनों की संख्या	80.32	75.97

9. व्यापार का खुलापन

व्यावसायिक घरानों, निवेशकों और संबंधित शेयरों के साथ खरीद और बिक्री के संकेन्द्रण का विवरण, साथ ही संबंधित लक्ष्यों के साथ ऋण और आय और निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	मेट्रिक्स	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
खरीदारी का संकेंद्रण	क. कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीद	शून्य	शून्य
	ख. व्यापारिक घरानों की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग. शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीद, व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में	लागू नहीं	लागू नहीं
बिक्री का संकेन्द्रण	क. डीलरों/वितरकों को कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में बिक्री	13.26%	7.82%
	ख. डीलरों/वितरक की संख्या जिनको बिक्री की जाती है	194	201
	ग. डीलरों/वितरकों से कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरक को बिक्री	28.67%	38.14%
आरपीटी का हिस्सा	क. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद)	6.66%	6.87%
	ख. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री)	0.06%	0.04%
	ग. ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम/कुल ऋण/अग्रिम)	1.15%	1.81%
	घ. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/कुल किया गया निवेश)	81.66%	85.85%

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला सहभागी के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
एमएसई के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम–20 एससी/एसटी और महिला एमएसई के लिए विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम–18	**कवर किया गया सिद्धांत: सिद्धांत 8 -** व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए। सेल की खरीद में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जिला उद्योग केंद्र/खादी उद्योग केंद्र और क्षेत्रीय राष्ट्रीय एससी/एसटी हब कार्यालयों के सहयोग से एमएसई विक्रेताओं और एससी/एसटी एवं महिला एमएसई विक्रेताओं के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) और विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम (एसवीडीपी) आयोजित किए जाते हैं।	वित्त वर्ष 2023–24: एमएसई खरीद: ₹ 2919.87 करोड़ (कुल खरीद का 29.28 प्रतिशत) एससी/एसटी एमएसई से खरीद: ₹ 7.65 करोड़ (0.08 प्रतिशत) महिला एमएसई से खरीद: ₹ 120.21 करोड़ (1.21 प्रतिशत)

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से संबंधित हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।

हाँ। सेल के पास संबंधित पक्ष लेनदेन पर एक नीति है जो लागू कानूनों के अनुसार 'संबंधित पक्ष लेनदेन' के संचालन और रिपोर्टिंग में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की पारदर्शिता को नियंत्रित करती है। यह नीति निदेशक और सभी केएमपी पर लागू होती है और वे कंपनी को किसी भी संभावित 'संबंधित पक्ष लेनदेन' की सूचना देने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें उनके या उनके रिश्तेदारों से संबंधित लेनदेन के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी शामिल है। नीति हितों के टकराव के मामलों से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रिया स्थापित करती है।

नीति का लिंक – संबंधित पक्ष लेनदेन नीति

सिद्धांत 2: व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे तरीके से प्रदान करना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो

आवश्यक संकेतक

1. उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमशः इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश में।

	चालू वित्तीय वर्ष (2023-2024)	पिछला वित्तीय वर्ष (2022-2023)	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
अनुसंधान एवं विकास	10.63 %	9.02 %	अपने पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए, सेल कई प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान को आगे बढ़ा रहा है: कोयला मिश्रण को अनुकूलित करना, सिंटर की गुणवत्ता को बढ़ाना, सभी प्रक्रियाओं में उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देना, और रणनीतिक उत्पादों का विकास करना अदि। कंपनी री–हीटिंग भट्टियों और कोक ओवन बैटरियों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, अपशिष्ट पुनर्चक्रण में सुधार, पेलेट उपयोग को अधिकतम करने, अपशिष्ट उपचार को परिष्कृत करने और रिफ्रैक्टरी लाइनिंग को उन्नत करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।
कैपेक्स	5646 करोड़	5474 करोड़	पूंजीगत व्यय में सामाजिक और पर्यावरण संबंधी पहलों/परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि शामिल है, जिसका अलग से आकलन नहीं किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए, बोर्ड रिपोर्ट के **अनुलग्नक XI** को संदर्भित करें जिसका शीर्षक है "ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण", वार्षिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023–24।

2. क. क्या संस्था के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं?

यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट टिकाऊ तरीके से प्राप्त किए गए?

हाँ। सेल देश में इस्पात उद्योग में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) की स्थापना में अग्रणी रहा है। सेल के सभी एकीकृत इस्पात संयंत्र, प्रमुख खदानें/इकाइयाँ और गोदाम ईएमएस आईएसओः 14001 मानक के अनुरूप हैं। इसके अलावा, सभी खदानें आईएसओ–9001, आईएसओ–14001 और आईएसओ–18001 के अंतर्गत सभी पहलुओं को मिलाकर एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) से मान्यता प्राप्त हैं। खदानों को आईबीएम स्टार रेटिंग भी मिली हुई है। कोयले की अधिकांश खरीद उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के अंतरराष्ट्रीय बाजार से की जाती है जो वैश्विक संधारणीय मानकों के अनुरूप हैं। लौह अयस्क, चूना पत्थर आदि जैसे अन्य इनपुट सभी मजबूत ईएसजी प्रथाओं वाले संगठनों से प्राप्त किए जाते हैं।

ऊपर वर्णित सभी प्रथाओं ने हमें टिकाऊ सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करने में सक्षम बनाया है।

3. अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और जीवन के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए मौजूद प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट।

लागू नहीं

4. क्या इकाई की गतिविधियों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे संबोधित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विवरण दें।

हां, ईपीआर सेल की गतिविधियों पर लागू होता है। सेल के सभी इस्पात संयंत्रों ने सीपीसीबी पोर्टल पर पंजीकरण कराया है और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन), नियम–2022 के संशोधित अनुसूची–2 नियम के अनुसार ईपीआर पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

ईपीआर व्यवस्था के अनुसार, उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (पीआईबीओ) की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या जीवन–अंत निपटान (जैसे सह–प्रसंस्करण/अपशिष्ट से ऊर्जा/प्लास्टिक से तेल/सड़क निर्माण/औद्योगिक खाद) के माध्यम से प्रसंस्करण सुनिश्चित किया है।

सेल संयंत्रों में अधिकांश आयातित वस्तुओं को नमी के प्रवेश को रोकने और/या क्षति को रोकने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग में लपेटा जाता है, जिसके लिए संयंत्र को सीमा शुल्क पोर्टल पर अपना ईपीआर पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड करना आवश्यक होता है, जिसके बिना माल की निकासी की अनुमति नहीं होती है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें।

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	कुल कारोबार का प्रतिशत योगदान	वह सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन आयोजित किया गया था	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए जाएंगे
24105	1. बीएसपी का बीओएफ स्लैब 2. आरएसपी और बीएसएल, बीएसपी से प्लेटें 3. बीएसपी से वायर रॉड 4. आरएसपी से हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड कॉइल 5. एचडीजी 6. बीएसएल से एफसीआरसी और पीएचआरसी 7. बीएसएल से एचआर कॉइल	-	कच्चे माल की हैंडलिंग से लेकर तैयार उत्पाद परिवहन सहित।	हां	



2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम उत्पन्न होते हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ उनका संक्षेप में वर्णन करें।

उत्पाद/सेवा का नाम	जोखिम/चिंता का विवरण	कार्रवाई की
क) बीएसपी का बीओएफ स्लैब ख) आरएसपी और बीएसएल, बीएसपी से प्लेट ग) बीएसपी से वायर रॉड घ) आरएसपी से हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड कॉइल ड़) एचडीजी च) बीएसएल से एफसीआरसी और पीएचआरसी छ) बीएसएल से एचआर कॉइल	किसी महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता और जोखिम की पहचान नहीं की गई	-

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में प्रयुक्त कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकृत या पुन:प्रयुक्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

इनपुट सामग्री इंगित करें	कुल सामग्री के लिए पुनर्चक्रित या पुन: उपयोग की गई इनपुट सामग्री	
	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
बीओएफ स्लैग, बीएफ फ्लू डस्ट, बीओएफ स्लज, लाइम/डोलो फाइन्स, मिल स्केल, ईएसपी (आरएमपी) डस्ट, सिंटर प्लांट डस्ट, कोक ब्रीज और स्क्रैप	6%	8%

4. उत्पादों और पैकेजिंग की जीवन अवधि के अंत में पुन: प्राप्त, पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और सुरक्षित रूप से निपटान की गई मात्रा (मीट्रिक टन में), निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार:

	वित्त वर्ष 23-24 चालू वित्तीय वर्ष			वित्त वर्ष 22-23 चालू वित्तीय वर्ष		
	पुन: उपयोग किया गया	पुनर्नवीनीकरण	सुरक्षित रूप से निपटान किया गया	पुन: उपयोग किया गया	पुनर्नवीनीकरण	सुरक्षित रूप से निपटान किया गया
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	लागू नहीं है*					
ई–कचरा						
खतरनाक अपशिष्ट						
अन्य अपशिष्ट						

*लागू नहीं है: सेल के पास उत्पादों को पुनः प्राप्त करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। फिर भी, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि सभी उप–उत्पादों को सावधानी से संभाला जाए और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना उनका निपटान किया जाए।

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुन: प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

उत्पाद श्रेणी बताएं	संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के प्रतिशत के रूप में पुन: प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री
	लागू नहीं है*

*लागू नहीं है: स्टील उत्पादक होने के कारण, हम स्टील स्क्रैप को अपशिष्ट नहीं मानते बल्कि नए स्टील के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। स्टील एक भारी सामग्री है, इसलिए अंतिम उत्पाद की पैकेजिंग न्यूनतम होती है। इसलिए, पैकेजिंग सामग्री का पुनः दावा लागू नहीं है।

सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल सभी कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

वर्ग	इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का %										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा $		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (क)	प्रतिशत (ख/क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग/क)	संख्या (घ)	प्रतिशत (घ/क)	संख्या (ड़)	प्रतिशत (ड़/क)	संख्या (च)	प्रतिशत (च/क)
स्थायी कर्मचारी *											
पुरुष	52466	52466	100%	52466	100%	लागू नहीं है**	52466	100%	-	-	
महिला	3523	3523	100%	3523	100%	3523	100%	लागू नहीं है**	-	-	
कुल	55989	55989	100%	55989	100%	3523	100%	52466	100%	-	-

उपरोक्त के अतिरिक्त कंपनी के कर्मचारियों को कर्मचारी परिवार लाभ योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है।
$ स्वास्थ्य बीमा में कंपनी के अस्पतालों में मुफ्त उपचार और कर्मचारियों द्वारा किए गए अस्पताल में भर्ती खर्च की प्रतिपूर्ति शामिल है।
* कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं
** लागू नही

ख. श्रमिकों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

वर्ग	शामिल किये गए श्रमिकों का प्रतिशत									
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (क)	प्रतिशत (ख/क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग/क)	संख्या (घ)	प्रतिशत (घ/क)	संख्या (ड)	प्रतिशत (ड/क)	संख्या (च)	प्रतिशत (च/क)
स्थायी कर्मचारी #											
पुरुष	लागू नहीं है**										
महिला											
कुल											
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य#											
सभी लाभ क़ानून के अनुसार दिए जाते हैं											

श्रमिकों में संयंत्रों/इकाइयों द्वारा विभिन्न कार्य अनुबंधों के अंतर्गत नियोजित अनुबंधित श्रमिक शामिल हैं

**लागू नहीं

उत्तर क और ख): सेल में कोई सामान्य समूह दुर्घटना बीमा योजना (जीपीएआईएस) नहीं है। हालांकि, संयंत्र/इकाइयां नियमित कर्मचारियों की संख्या, स्थान और सुरक्षा चिंताओं के आधार पर स्थानीय स्तर पर जीपीएआईएस चला रही हैं। ये योजनाएं स्वैच्छिक प्रकृति की हैं और संबंधित कर्मचारी बीमा के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं।

ग. कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और गैर-स्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर निम्नलिखित प्रारूप में व्यय:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय	1.46%	1.49%

2. चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या*	कुल श्रमिकों # के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हां/नहीं/लागू नहीं है)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या*	कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हां/नहीं/लागू नहीं है)
पीएफ	100%	-	हां, प्रत्येक संयंत्र/इकाई में सेल पीएफ ट्रस्ट में	100%	-	हां, सेल पीएफ ट्रस्ट में
उपहार	100%	-	लागू नही है**	100%	-	लागू नही है**
ईएसआई	शून्य					
नकदीकरण अवकाश	100%	-	लागू नही है**	100%	-	लागू नही है**
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	100%	-	लागू नही है**	100%	-	लागू नही है**
सेवानिवृत्ति के बाद निपटान लाभ	100%	-	लागू नही है**	100%	-	लागू नही है**

*कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं

#श्रमिकों में संविदाकर्मी आदि शामिल हैं।

**उपलब्ध नहीं है

3. कार्यस्थलों की पहुंच

क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं।

हां, हमारे सभी कार्यालय परिसर दिव्यांग कर्मचारियों के लिए सुलभ हैं। सेल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बुनियादी ढांचे की पहुंच में सुधार करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है।

4. क्या संस्था के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हां, सेल के पास समान अवसर नीति है। अधिक जानकारी के लिए कृपया SAIL-Equal-Opportunity-Policy.pdf लिंक देखें।

5. स्थायी कर्मचारियों और पैतृक अवकाश लेने वाले श्रमिकों की काम पर वापसी और रिटेंशन दर।



लिंग	स्थायी कर्मचारी*		स्थायी कर्मचारी	
	कार्य पर वापसी दर	अवधारण दर	कार्य पर वापसी दर	अवधारण दर
पुरुष	100%	100%	लागू नही है**	
महिला	100%	100%		
कुल	**100%**	**100%**		

*कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं

**लागू नहीं

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई प्रणाली उपलब्ध है? यदि हाँ, तो संक्षेप में प्रणाली का विवरण दें।

	हां/नहीं (यदि हां, तो संक्षेप में प्रणाली का विवरण दें)
स्थायी कर्मचारी	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य	हां, सेल संयंत्रों और इकाइयों में कर्मचारियों के लिए प्रभावी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र विकसित और स्थापित किया गया है। शिकायतें सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा रही हैं। सेल संयंत्रों/इकाइयों में शिकायत निवारण प्रणाली लागू है और कर्मचारियों को वेतन अनियमितताओं, कार्य स्थितियों, स्थानांतरण, छुट्टी, कार्य आवंटन और कल्याण सुविधाओं आदि जैसे सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों को उठाने के लिए हर स्तर पर अवसर दिया जाता है। इस्पात संयंत्रों में मौजूद सहभागितापूर्ण वातावरण को देखते हुए अधिकांश शिकायतों का अनौपचारिक रूप से निवारण किया जाता है। यह प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने में कारगर साबित हुई है।
स्थायी कर्मचारी*	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए संयंत्रों/इकाइयों में अलग से शिकायत समितियां मौजूद हैं।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	लागू नहीं

*कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	संबंधित श्रेणी (क) में कुल कर्मचारी*/श्रमिक #	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों*/श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन(नों) या यूनियन (ख) का हिस्सा हैं	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी (क) में कुल कर्मचारी*/श्रमिक#	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों*/श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन(एसोसिएशनों) या यूनियन (ख) का हिस्सा हैं	% (घ/ग)
स्थायी कर्मचारी और श्रमिक						
पुरुष	52,466	52,466	100%	55,568	55,568	100%
महिला	3,523	3,523	100%	3,618	3,618	100%
कुल	**55,989**	**55,989**	**100%**	**59,186**	**59,186**	**100%**

नोट: ट्रेड यूनियनों को संबंधित संयंत्रों/इकाइयों द्वारा मान्यता प्राप्त है। सेल के लगभग सभी कर्मचारी या तो ट्रेड यूनियनों या अधिकारी संघों के सदस्य हैं।

*कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं

#श्रमिकों में संविदाकर्मी आदि शामिल हैं।

8. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023-24 चालू वित्तीय वर्ष					वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष				
	कुल (क)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल विकास पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल विकास पर	
		संख्या (ख)	प्रतिशत (ख/क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग/क)		संख्या (ङ)	प्रतिशत (ङ/घ)	संख्या (च)	प्रतिशत (च/घ)
कर्मचारी										
पुरुष										
महिला										
कुल	**45314**	**18397**	**40.6%**	**15716**	**34.7%**	**46818**	**18011**	**38%**	**19301**	**41%**
श्रमिक										
पुरुष										
महिला										
कुल	**72141**	**72141**	**100%**	**NA***	**NA***	**65938**	**65938**	**100%**	**NA***	**NA***

*लागू नहीं

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण:

वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	कुल (क)	संख्या (ख)	प्रतिशत (ख/क)	संख्या (ग)	संख्या (घ)	प्रतिशत (घ/ग)
कर्मचारी						
पुरुष	52,466	52,466	100%	55,568	55,568	100%
महिला	3,523	3,523	100%	3,618	3,618	100%
कुल	**55,989**	**55,989**	**100%**	**59,186**	**59,186**	**100%**
श्रमिक						
पुरुष	लागू नहीं**					
महिला						
कुल						

*कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं

#श्रमिकों में संविदाकर्मी आदि शामिल हैं।

लागू नहीं**

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां/नहीं) यदि हां, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज क्या है?

हाँ। सेल ने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की है। सेल का लक्ष्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए किसी भी नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने और उससे आगे निकलने के लिए आवश्यक उच्चतम मानक स्थापित करना है। सेल के अधिकांश संयंत्रों और इकाइयों के पास आईएसओ 45001:2018 प्रमाणन है, और कवरेज सिस्टम द्वारा अपेक्षित है। वैधानिक आवश्यकताओं/नियमों/दिशानिर्देशों/नीतियों के अनुरूप, सेल कार्यस्थल से संबंधित सभी बीमारियों और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करता है। तदनुसार, स्वास्थ्य और सुरक्षा इसके सभी परिचालनों के महत्वपूर्ण घटक हैं। यह जोखिम मूल्यांकन में सहायता करता है और परिचालन और गतिविधियों में स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। आंतरिक और निगरानी ऑडिट और मूल्यांकन नियमित आधार पर किए जाते हैं, जिससे सुरक्षा प्रणालियों, मानकों और प्रदर्शन में निरंतर सुधार किया जाता है।

ख. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने तथा संस्था द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं?

हां। एक अच्छी तरह से परिभाषित जोखिम पहचान और जोखिम मूल्यांकन (एचआईआरए) प्रक्रिया मौजूद है। इसके अलावा, खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य उपकरण और तकनीकें इस प्रकार हैं:

क. मात्रात्मक जोखिम मूल्यांकन और एचएजेडओपी अध्ययन

ख. निरीक्षण

ग. ऑडिट

घ. सुरक्षा अवलोकन और व्यवहार हस्तक्षेप दौर

ड. रोको–टोको ड्राइव और अभियान

ग. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए कार्य-संबंधी खतरों की रिपोर्ट करने तथा ऐसे जोखिमों से खुद को दूर रखने की प्रक्रियाएं हैं। (हां/नहीं)

हाँ। कंपनी के पास नियमित और गैर–नियमित दोनों तरह के कामों के लिए एक स्थापित खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन (एचआईआरए) प्रक्रिया है, जिसके आधार पर विभाग स्तर पर एसओपी और एसएमपी तैयार किए गए हैं और लोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से प्रमुख सुरक्षा पहलुओं के बारे में जागरूक किया जाता है। इन प्रक्रियाओं की समय–समय पर समीक्षा की जाती है और और खास तौर पर किसी भी घटना के बाद उन्हें अपडेट किया जाता है।

मूल कारण की पहचान करने के लिए घटना की रिपोर्टिंग और जांच की प्रक्रिया लागू है और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी संयंत्रों में समान रूप से सिफारिशें लागू की जाती हैं। गंभीर चोटों को रोकने के लिए संयंत्र और कॉर्पोरेट स्तर पर घटनाओं (बाल–बाल बचना) की रिपोर्टिंग के लिए प्रेरक योजनाएँ भी लागू हैं। कार्यस्थल के खतरों/घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए सुरक्षा पोर्टल, व्हाट्सएप ग्रुप, मोबाइल ऐप आदि जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, सभी कर्मचारियों/ठेका श्रमिकों को सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए चल रहे सुरक्षा प्रबंधन परामर्श कार्य के अंतर्गत 'शून्य सहनशीलता नियम' और 'जीवन रक्षक नियम' तैयार किए गए हैं/किए जा रहे हैं।

घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/श्रमिकों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? (हां/नहीं)

हां, सभी संयंत्रों और इकाइयों को साइट पर या नजदीकी प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थाओं के साथ गठजोड़ के माध्यम से गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है। साथ ही, कर्मचारियों/श्रमिकों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं कंपनी द्वारा संचालित अस्पतालों/स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है।



11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

सुरक्षा घटना/संख्या	वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
लोस्ट टाइम की चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति–घंटे कार्य)*	कर्मचारी	0.02	0.02
	श्रमिक	0.12	0.13
कुल रिकॉर्ड योग्य कार्य–संबंधी चोटें**	कर्मचारी	33	28
	श्रमिक	42	35
मृतकों की संख्या	कर्मचारी	1	1
	श्रमिक	7	10
उच्च परिणाम वाली कार्य–संबंधित चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	लागू नहीं है ***	लागू नहीं है ***
	श्रमिक	लागू नहीं है ***	लागू नहीं है ***

*आरएलटीआईएफआर (रिपोर्ट योग्य खोया समय चोट आवृत्ति दर)

**रिपोर्ट योग्य और गैर–रिपोर्ट योग्य दुर्घटनाएं शामिल हैं

***उपलब्ध नहीं है

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन करें।

सेल ने 'सुरक्षा नीति' अपनाई है जो अपने कर्मचारियों और इससे जुड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिसमें संयंत्रों/इकाइयों/खानों के पड़ोस में रहने वाले लोग भी शामिल हैं। स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण मामलों पर नीति, प्रक्रियाओं और प्रणालियों की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (बीएससी ऑन एचएसई) पर एक समर्पित बोर्ड उप–समिति मौजूद है। कॉर्पोरेट स्तर पर, सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ) सुरक्षा प्रयासों में संयंत्रों और इकाइयों की केंद्रीय रूप से निगरानी और मार्गदर्शन करता है। प्रत्येक संयंत्र/इकाई में प्रत्येक सोमवार को उच्चतम स्तर पर सुरक्षा मापदंडों पर प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, सुरक्षा के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया गया है और कार्यस्थल के खतरों की पहचान की गई है, जोखिमों का आकलन किया गया है और तदनुसार, जोखिम को स्वीकार्य स्तर पर लाने के लिए निरंतर आधार पर नियंत्रण उपाय किए जाते हैं। इस्पात उद्योग से अच्छे सुरक्षा अभ्यास (जी–एसएपी) की पहचान की जाती है और उन्हें विभिन्न स्तरों पर लागू किया जाता है कुछ पहल इस प्रकार हैं:

क. ओएचएस नीति

ख. विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा प्रदर्शन की निगरानी एवं समीक्षा (एचएसई, कॉर्पोरेट एवं संयंत्र स्तर पर बोर्ड/बोर्ड उप–समिति)

ग. सुरक्षा समितियां

घ. वैधानिक अनुपालन

ड़. सुरक्षा परिचय, कार्यस्थल पर पुर्नश्चर्या प्रशिक्षण और एलईओ (एक दूसरे से सीखना) कार्यशालाएं

च. मानक परिचालन एवं रखरखाव प्रक्रियाएं (एसओपी एवं एसएमपी)

छ. जी. सुरक्षा वार्ता और टूलबॉक्स वार्ता

ज. कार्य परमिट एवं प्रोटोकॉल प्रणाली का पालन।

झ. उच्च जोखिम मानकों और MoS सुरक्षा दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन (ऊंचाई पर कार्य, PTW, सीमित स्थान, विद्युत सुरक्षा, गैस सुरक्षा, कन्वेयर बेल्ट सुरक्षा, रेल और सड़क सुरक्षा, आदि)

ञ. उच्च खतरनाक प्रक्रियाओं का सुरक्षित प्रबंधन (एचएजेडओपी, बो टाई, आदि)

ट. ओएचएस ऑडिट और निरीक्षण

ठ. थीम आधारित अभियान एवं अभियान

ड. औजार, टैकल और उपकरणों का निरीक्षण/प्रमाणन

ढ़. घटना की रिपोर्टिंग, जांच और विश्लेषण

ण. आपातकालीन योजना एवं प्रक्रिया तथा आवधिक मॉक ड्रिल के माध्यम से पूर्वाभ्यास

त. वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन और नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों का व्यापक उपयोग

थ. सुरक्षा संवर्धनात्मक एवं प्रेरक कार्यक्रम

द. सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयंत्र परिसर के अंदर वाहनों की गति की निगरानी और जांच

ध. औद्योगिक स्वच्छता सर्वेक्षण (शोर, धूल, रोशनी, आदि), प्रारंभिक एवं आवधिक चिकित्सा परीक्षण

सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, सेल ने अपने भिलाई, राउरकेला, बोकारो और आईएसपी, बर्नपुर इस्पात संयंत्रों और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में सुरक्षा संस्कृति परिवर्तन के लिए प्रतिष्ठित सुरक्षा प्रबंधन सलाहकारों को नियुक्त किया है, जो मौजूदा सुरक्षा सुधार प्रयासों को और गति प्रदान करेंगे।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या।

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
काम करने की स्थिति	लागू नहीं है	लागू नहीं है	-	लागू नहीं है	लागू नहीं है	-
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	लागू नहीं है	लागू नहीं है	-	लागू नहीं है	लागू नहीं है	-

*लागू नहीं है

14. वर्ष के लिए मूल्यांकन

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	100%
काम करने की स्थिति	100%

15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं का विवरण प्रदान करें।

सुरक्षा संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए उठाए गए कुछ सुधारात्मक उपाय इस प्रकार हैं:

क) सभी सुरक्षा संबंधी घटनाओं की जांच की जाती है और जांच से प्राप्त जानकारी को संगठन में साझा किया जाता है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। सुरक्षा ऑडिट के दौरान सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता की जांच की जाती है।

ख) जहां घटना घटित हुई है, संबंधित क्षेत्र या कार्य के एसओपी एवं एसएमपी, सुरक्षा मैनुअल की समीक्षा/पुनरीक्षण किया जाता है।

ग) स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिम/चिंताओं को निम्नलिखित जोखिम नियंत्रण पदानुक्रम के माध्यम से संबोधित किया जाता है, अर्थात उन्मूलन, प्रतिस्थापन, इंजीनियरिंग नियंत्रण (प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग, डिजिटलीकरण आदि), प्रशासनिक नियंत्रण (सुरक्षा क्षमता निर्माण, निगरानी और पर्यवेक्षण, दृश्य प्रदर्शन आदि) और पीपीई का उपयोग।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (क) कर्मचारियों (हां/नहीं) (ख) श्रमिकों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है।

क	कर्मचारी*	हां
ख	श्रमिक#	हां

*कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं

#श्रमिकों में संविदा कर्मी आदि शामिल हैं–संयंत्र परिसर के अंदर कार्य से संबंधित मृत्यु पर

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, इकाई द्वारा किए गए उपायों की जानकारी प्रदान करें।

कंपनी समय–समय पर लागू आयकर, भविष्य निधि, व्यावसायिक कर, ईएसआईसी आदि के लिए कर्मचारियों के वैधानिक बकाया का अनुपालन करती है। अनुबंध के अनुसार मूल्य श्रृंखला भागीदार भी इसका अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

3. ऐसे कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या बताएं, जिन्हें कार्य-संबंधी गंभीर चोट/बीमारी/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है।

	प्रभावित कर्मचारियों*/श्रमिकों की कुल संख्या #		उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है	
	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कर्मचारी*	लागू नहीं			
श्रमिक #				

*कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं

#श्रमिकों में संविदा कर्मी आदि शामिल हैं

4. क्या संस्था निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां/नहीं)

सेल में अपनी सेवा अवधि पूरी करने के बाद अधिकांश कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हालाँकि, उनकी निरंतर रोजगार क्षमता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कोई सहायता कार्यक्रम नहीं हैं, लेकिन सेवानिवृत्त जीवन के दौरान चिकित्सा संबंधी समस्याओं के प्रबंधन और देखभाल के लिए सहायता कार्यक्रम हैं। हालाँकि, सेल के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भारत सरकार की सीआरआर (परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियुक्ति) योजना का लाभ दिया जाता है। सीआरआर योजना का उद्देश्य और दायरा आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और जनशक्ति पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बेकार हो चुके सीपीएसई के तर्कसंगत कर्मचारियों को परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियुक्ति के अवसर प्रदान करना है।



5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य श्रृंखला हिस्सेदारों का प्रतिशत (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	0%
काम करने की स्थिति	0%

कंपनी अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों से अपेक्षा करती है कि वे स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों सहित मौजूदा विनियमों का पालन करें, जो अनुबंध दस्तावेज़ में निर्दिष्ट हैं। नौकरी की सुरक्षा आवश्यकताओं को अनुबंध की शर्तों और नियमों में परिभाषित किया गया है, जिनका मूल्यांकन समय–समय पर साइट निरीक्षणों के माध्यम से किया जाता है। सुरक्षा उल्लंघनों और समय की हानि की घटनाओं से निपटने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित परिणाम प्रबंधन प्रणाली भी मौजूद है।

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

सिस्टम को मजबूत करने के उपाय के रूप में, तैनात सुरक्षा प्रबंधन सलाहकारों के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में संयंत्रों में एक संरचित 'ठेकेदार सुरक्षा प्रबंधन मानक' पर काम चल रहा है। साइट निरीक्षण के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण खतरे/जोखिम के पाए जाने पर तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

सेल मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए कई दिशानिर्देशों का पालन करता है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

1. कंपनी सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है जिसमें सुरक्षा पर फिल्म शो, सुरक्षा प्रतियोगिता/क्विज़ का आयोजन शामिल है– हर तीन महीने में एक बार।
2. कंपनी के पास स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों को रेटिंग प्रदान करने का एक ढांचा है। उच्च रेटिंग वाले मूल्य श्रृंखला भागीदारों को अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय कुछ लाभ प्रदान किए जाते हैं।
3. प्लांट स्तर पर सुरक्षित हैंडलिंग प्रक्रियाओं पर भौतिक प्रदर्शन जैसे–क्या करें और क्या न करें, तस्वीरों के साथ गोदामों के अंदर रणनीतिक बिंदुओं पर प्रदर्शित किया जा रहा है। हर छह महीने में भौतिक प्रदर्शन भी किया जा रहा है।
4. नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच शिविर और नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन करना।
5. अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्निशामक यंत्रों की स्थापना और मॉकड्रिल का लाइव प्रदर्शन किया गया।

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

1. हितधारक कंपनी की विकास रणनीति का अभिन्न अंग हैं। जोखिमों की पहचान करने और कंपनी के व्यवसाय मॉडल में एकीकरण के लिए प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए हितधारकों के साथ जुड़ाव महत्वपूर्ण है। सेल में, एक कठोर हितधारक जुड़ाव दृष्टिकोण का पालन किया जा रहा है, जिसमें हितधारकों की पहचान करना और उन्हें शामिल करना; उनके विचारों का आकलन और मूल्यांकन करना; प्रमुख भौतिक मुद्दों को प्राथमिकता देना; स्थिरता संकेतकों की पहचान करना; कार्य योजनाएँ तैयार करना; कार्यान्वयन और संचार करना शामिल है।
2. विभिन्न हितधारकों की पहचान मुख्य रूप से कंपनी की व्यावसायिक रणनीति और स्थिरता दृष्टि पर उनके भौतिक प्रभाव पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, डेस्क रिसर्च (दस्तावेजी विश्लेषण), समुदाय की ज़रूरत का आकलन, साथियों के मुक़ाबले बेंचमार्किंग और संगठन के टंदर प्रमुख कर्मियों के साथ साक्षात्कार भी कमज़ोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों की पहचान करने के लिए किए जाते हैं।

2. अपनी इकाई के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची प्रदान करें और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ सहभागिता की आवृत्ति बताएं।

हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं हाशिए रहने वाले समूह के रूप में पहचाना गया है (हां/नहीं)	संचार के चैनल	प्रत्येक हितधारक समूह के साथ सहभागिता की आवृत्ति	सहभागिता का उद्देश्य और दायरा, जिसमें ऐसे सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताएं शामिल हैं
शेयरधारक	नहीं	1. वार्षिक आम बैठकें 2. शेयरधारकों को त्रैमासिक और अर्ध–तिमाही रिपोर्ट 3. शेयरधारक संबंध बैठकें 4. निवेशक सर्वेक्षण	वार्षिक/तिमाही/अर्ध तिमाही	1. कंपनी की लाभप्रदता 2. धन का सृजन 3. स्टॉक मूल्य 4. शिकायतें और शिकायतें
कर्मचारी	हां	1. श्रमिक संघ, द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकें 2. विभागीय एवं क्षेत्रीय समिति की बैठक 3. संवाद और संचार के लिए विभिन्न मंच 4. सीईओ इंटरैक्शन, 5. कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण, 6. वार्षिक मूल्यांकन 7. आंतरिक समाचार पत्र आदि	दैनिक	1. सुरक्षा और स्वस्थ कार्य स्थितियां 2. अच्छा पारिश्रमिक पैकेज 3. व्यावसायिक विकास 4. जीवन की गुणवत्ता 5. कल्याणकारी उपाय 6. प्रशिक्षण और 7. कैरियर विकास

हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं हाशिए रहने वाले समूह के रूप में पहचाना गया है (हां/नहीं)	संचार के चैनल	प्रत्येक हितधारक समूह के साथ सहभागिता की आवृत्ति	सहभागिता का उद्देश्य और दायरा, जिसमें ऐसे सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताएं शामिल हैं
आपूर्तिकर्ता	हाँ	1. विक्रेता बैठकें 2. आपूर्तिकर्ताओं के साथ बैठकें 3. सहायक एसोसिएशन की बैठकें 4. आपूर्तिकर्ता संबंध प्रबंधन	तिमाही एवं आवश्यकतानुसार	1. मूल्य सृजन के साथ साझेदारी 2. समय पर भुगतान 3. अधिक स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करना 4. आपूर्तिकर्ता संतुष्टि
ग्राहक	नहीं	1. क्षेत्रीय ग्राहक बैठकें 2. संयंत्र का दौरा, ग्राहक समूहों के साथ निदेशक सम्मेलन 3. ग्राहकों से मुलाकात और ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 4. वर्चुअल मीटिंग, ग्राहकों का आना–जाना 5. टेलीफोनिक वार्तालाप ईमेल 6. एआई चौटबॉट	सतत आधार	1. मूल्य सृजन के साथ साझेदारी 2. उत्पाद की गुणवत्ता 3. डिलीवरी 4. अनुपालन, ग्राहक 5. संतुष्टि 6. शिकायतों का समाधान।
समुदाय	हाँ	1. सामुदायिक बैठकें 2. नगर पालिकाओं के साथ बातचीत 3. नगर प्रशासनिक समिति 4. स्थानीय समाज के कार्यों में भागीदारी	जब भी आवश्यकता हो	1. जीवन की गुणवत्ता 2. नौकरी के अवसर 3. शिक्षा 4. कल्याणकारी उपाय 5. चिकित्सा सुविधाएं 6. सतत आजीविका
गैर सरकारी संगठन	नहीं	1. पौधों का दौरा 2. सेमिनार 3. सम्मेलन 4. बातचीत, आदि	त्रैमासिक और आवश्यकतानुसार	1. पर्यावरण गुणवत्ता 2. मानवाधिकार 3. संघ बनाने की स्वतंत्रता 4. विनियमों का अनुपालन
नियामक	नहीं	1. केन्द्र एवं राज्य सरकार/इस्पात मंत्रालय/व्यापार निकायों के साथ बैठकें 2. उद्योग संघ 3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 4. अन्य वैधानिक निकाय, आदि	प्रतिवर्ष जब भी आवश्यक हो	1. आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक अनुपालन 2. मानवाधिकार 3. सुरक्षा 4. आईएलओ कन्वेंशनों का अनुपालन
प्रतियोगी	नहीं	1. ज्ञान साझा करना, मूल्य सृजन के साथ साझेदारी, प्रतिस्पर्धा–विरोधी व्यवहार 2. उपभोक्ता गोपनीयता	जब भी आवश्यकता हो	1. निष्पक्ष व्यापार 2. साझेदारी 3. सार्वजनिक नीति वकालत
उद्योग संघ	नहीं	1. सम्मेलन 2. कार्यशालाएं 3. सेमिनार	प्रतिवर्ष जब भी आवश्यक हो	4. उद्योग नीति, विनियमन 5. प्रौद्योगिकी 6. पर्यावरण 7. सीएसआर 8. व्यावसायिक उत्कृष्टता
शैक्षणिक निकाय	नहीं	1. सम्मेलन 2. कार्यशालाएं 3. सेमिनार	जब भी आवश्यकता हो	1. ज्ञान प्रबंधन गतिविधियाँ 2. मूल्य सृजन के लिए साझेदारी
पेशेवर/सलाहकार	नहीं	1. पौधों का दौरा 2. सेमिनार 3. सम्मेलन, बातचीत	जब भी आवश्यकता हो	1. मूल्य सृजन के साथ साझेदारी 2. प्रशिक्षण और विकास
मिडिया	नहीं	1. प्रेस मीट, संयंत्रों के साथ बातचीत और कॉर्पोरेट संचार	जब भी आवश्यकता हो	1. आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन उपलब्धियां

नेतृत्व संकेतक

1. आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो ऐसे परामर्शों से प्राप्त फीडबैक बोर्ड को कैसे प्रदान किया जाता है।

सेल का मानना है कि समावेशी विकास के लिए हितधारकों की प्रभावी भागीदारी आवश्यक है। कंपनी का लक्ष्य सरकार, शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, सलाहकारों, प्रतिस्पर्धियों और वित्तीय संस्थानों जैसे प्रमुख हितधारकों के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करना है।

सेल विभिन्न माध्यमों से हितधारकों से जुड़ता है, कर्मचारियों के साथ दैनिक बातचीत से लेकर वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) तक। कंपनी के पास आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों से निपटने के लिए समर्पित बोर्ड उपसमितियाँ भी हैं। ये उपसमितियाँ पहचाने गए मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए नियमित रूप से मिलती हैं। उपसमिति की बैठकों से प्राप्त अनुशंसाएँ अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, और एक प्रभावी अनुवर्ती तंत्र बोर्ड को की गई कार्रवाइयों से अवगत कराता रहता है।

स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट मैट्रिक्स में एक प्रभावी एंगेजमेंट तंत्र शामिल किया गया है। यह मैट्रिक्स निम्नलिखित सिद्धांतों पर स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट को आधार प्रदान करता है:



संपूर्णता: हितधारकों की प्रमुख चिंताओं और उनकी अपेक्षाओं को समझना, तथा पारदर्शी एवं संतुलित रिपोर्टिंग।

भौतिकता: हितधारकों के साथ–साथ संगठन के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार।

प्रतिक्रियाशीलता: ऐसे मुद्दों और चिंताओं पर सुसंगत और पारदर्शी तरीके से प्रतिक्रिया देना।

इन सिद्धांतों के अलावा, सेल अपने आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़ने के लिए कई तरीकों का उपयोग करता है और सचेत रूप से उनकी अपेक्षाओं को पूरा करता है। हितधारकों, विशेष रूप से आपूर्तिकर्ताओं के साथ लगातार बातचीत, कंपनी को फोकस क्षेत्रों को पहचानने और उनके साथ संबंधों को मजबूत करने की अनुमति देती है। कंपनी ने हितधारकों की प्रतिक्रिया को मापने और उसे मापने के लिए कुछ मीट्रिक और पद्धतियों के रूप में ग्राहक संतुष्टि सूचकांक और कर्मचारी संतुष्टि को अपनाया है। प्राप्त फीडबैक के परिणामों को संगठन की मध्यम और दीर्घकालिक रणनीति और योजना में एकीकृत किया जाता है। कंपनी कंपनी और समाज के साझा विकास के लिए पहचाने गए लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करती है।

ग्राहक प्रतिक्रिया, उत्पाद सुधार, उत्पाद और सेवा विकास का आधार तैयार करने में भी सहायक होती है, जो ग्राहक प्रतिधारण, बाजार में पैठ और विकास के लिए आवश्यक है।

2. क्या पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारकों से परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसे उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया।

हां, पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है।

सेल में हमने कर्मचारियों के लिए हितधारक जुड़ाव और भौतिकता मूल्यांकन आयोजित किया है। हितधारक जुड़ाव स्थिरता रणनीति के लिए एक आवश्यक तत्व है जो कंपनी को जोखिमों की पहचान करने और उन्हें प्रबंधित करने, विश्वास और मजबूत संबंध बनाने और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के तरीकों की पहचान करने के लिए अपने हितधारकों से सीखने में सहायता करता है। हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के हितधारकों की स्थिरता प्राथमिकताओं के साथ व्यावसायिक हित कहाँ ओवरलैप होते हैं। सर्वेक्षणों के आधार पर हमने भौतिकता विषयों पर प्रकाश डाला है और उन पर विचार कर रहे हैं।

हम इन्हें अपनी नीतियों और गतिविधियों में शामिल करने की प्रक्रिया में भी हैं। इसमें नई नीतियां और प्रक्रियाएं विकसित करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और हमारी प्रगति पर रिपोर्ट करना शामिल है।

3. जोखिमपूर्ण/हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई और उनके साथ सहभागिता के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।

सेल संयंत्र लगातार विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) आयोजित करके एमएसई विक्रेताओं के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की दिशा में लक्षित विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय एससी एसटी हब कार्यालय (एनएसएसएचओ) के सहयोग से दलित भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल और टीआईसीसीआई (आदिवासी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल) की भागीदारी के साथ आयोजित किए गए, जहाँ खरीद प्रक्रिया और विक्रेता पंजीकरण प्रक्रियाओं को लक्षित लाभार्थियों को समझाया गया।

इन बैठकों के दौरान, विक्रेताओं को सेल की आवश्यकताओं, एससी/एसटी/महिला विक्रेताओं के लिए आरक्षित वस्तुओं, पंजीकरण प्रक्रियाओं, एससी/एसटी और महिला एमएसई को उपलब्ध लाभों आदि के बारे में भी जानकारी दी जाती है। सेल एससी एसटी उद्यमियों के लिए एनएसएसएचओ द्वारा आयोजित सम्मेलनों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है।

कुछ एसवीडीपी में इनवॉइस मार्ट के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता है, ताकि प्रतिभागियों को टीआरईडीएस के माध्यम से बिल डिस्काउंटिंग के लाभों के बारे में जानकारी दी जा सके। सेल ने वित्त वर्ष 2023–24 में 20 वीडीपी और 18 एसवीडीपीएस आयोजित किए हैं। सेल संयंत्र स्थानीय एमएसई को सलाह, प्रशिक्षण, सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करके सहायता भी प्रदान करते हैं। सेल स्थानीय एमएसएमई (हमारे 5 आईएसपी के समान जिले में स्थित) को उचित वाणिज्यिक शर्तों के साथ सस्ती और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर स्टील उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि क्षेत्र के औद्योगिक विकास में तेजी आए।

सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी और श्रमिक जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों और इकाई की नीतियों पर प्रशिक्षण दिया गया है:

वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	कुल (क)	कवर किए गए कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या (ख)	प्रतिशत (ख/क)	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या (घ)	प्रतिशत (घ/ग)
कर्मचारी*						
स्थायी						
स्थायी के अलावा						
कुल कर्मचारी	**55989**	**18799**	**34%**	**46818**	**18676**	**40%**
श्रमिक#						
स्थायी						
स्थायी के अलावा	72141	3635	5%	65938	1389	2%

*कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कार्मिक शामिल हैं। # श्रमिकों में संविदा कर्मचारी आदि शामिल हैं।

आरपीएल का मतलब है पूर्व शिक्षा की मान्यता। यह देखा गया है कि अनुबंधित श्रमिकों को उनके अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण सबसे अधिक चोटें लगती हैं। प्लांट में प्रवेश करने से पहले अनुबंधित श्रमिकों की क्षमता और कौशल विकास के लिए आरपीएल की शुरुआत हुई। यह प्लांट परिसर के बाहर एक प्रशिक्षण और कौशल विकास केंद्र है जिसे कौशल विकास मिशन और संबंधित प्लांट द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है, जहाँ श्रमिकों को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठेकेदारों को आरपीएल प्रमाणित श्रमिकों को लेना चाहिए, जिसे प्लांट एचआरडी विभाग द्वारा चलाया जाता है। यह सेल में ठेकेदार सुरक्षा प्रबंधन (सीएसएम) प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है।

सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं के साथ–साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम, सतर्कता तंत्र, आचार संहिता और व्यावसायिक नैतिकता संहिता जैसे अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह उन्हें बदलते नियमों से अवगत रखने और नैतिक निर्णय लेने और किसी भी गलत काम के परिणामों को समझने में सहायता करने के लिए है। सेल नियमित रूप से इस तरह के प्रशिक्षण प्रदान करके अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को अद्यतन रखने का प्रयास करता है।

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24					वित्त वर्ष 2022-23				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		सं. (ख)	प्रतिशत (ख/क)	सं. (ग)	प्रतिशत (ग/क)		सं. (ख)	प्रतिशत (ख/क)	सं. (ग)	प्रतिशत (ग/क)
कर्मचारी*										
स्थायी										
पुरुष	52,466	शून्य	शून्य	52,466	100%	55,568	शून्य	शून्य	55,568	100%
महिला	3,523	शून्य	शून्य	3,523	100%	3,618	शून्य	शून्य	3,618	100%
स्थायी के अलावा	लागू नहीं है**									
पुरुष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रमिक#										
स्थायी										
पुरुष	लागू नहीं है**									
महिला										
स्थायी के अलावा ##										
पुरुष	67,021	शून्य		67,021	100%	62,641	शून्य		62,641	100%
महिला	5,120			5,120	100%	3,296			3,296	100%

*कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं #श्रमिकों में संविदाकर्मी आदि शामिल हैं। **लागू नहीं

3. क. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)		71.32 लाख		22.72 लाख
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		67.80 लाख		0
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारी (कार्यकारी)		14.74 लाख		36.07 लाख
श्रमिक	लागू नहीं है			

ख. संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी, निम्नलिखित प्रारूप में:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को दिया गया सकल वेतन	6.37%	6.24%

4. क्या आपके पास कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है? (हां/नहीं)

सेल के कारोबार से कोई मानवाधिकार संबंधी समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के रूप में सेल सरकारी नियमों और नीतियों का कड़ाई से पालन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हमारी कारोबारी प्रथाएं उच्चतम मानवाधिकार मानकों को बनाए रखें। हम नैतिक संचालन के लिए प्रतिबद्ध हैं जो हमारी गतिविधियों से शामिल या प्रभावित सभी व्यक्तियों का सम्मान और सुरक्षा करता है, और किसी भी चिंता का तुरंत समाधान करने के लिए मजबूत तंत्र है। श्रम कानूनों, स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों और पर्यावरण मानकों का हमारा अनुपालन सुनिश्चित करता है कि हम मानवाधिकारों के उल्लंघन में योगदान नहीं करते हैं। हम उचित वेतन, सुरक्षित कार्य स्थितियां और समान अवसर प्रदान करते हैं, जिससे सम्मान और गरिमा की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी पहल सामुदायिक विकास का समर्थन करती है और मानवाधिकारों और नैतिक आचरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।



5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

सेल में, हमने मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए व्यापक आंतरिक तंत्र स्थापित किए हैं, जिससे त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित होता है। इन तंत्रों में विभिन्न स्तरों पर समर्पित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ और समितियाँ शामिल हैं, जहाँ कर्मचारी गोपनीय रूप से अपनी चिंताओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। कर्मचारियों को उनके अधिकारों और शिकायत निवारण के लिए उपलब्ध चैनलों के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, हम शिकायत दर्ज करने वालों के लिए गोपनीयता और प्रतिशोध के खिलाफ सुरक्षा बनाए रखते हैं। यह संरचित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सभी मानवाधिकार चिंताओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संबोधित किया जाता है, जिससे नैतिक प्रथाओं और कर्मचारी कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कायम रहती है।

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	चालू वित्तीय वर्ष			पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
यौन उत्पीड़न	3	2		7	2	-
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	-	0	0	-
बाल श्रम	0	0	-	0	0	-
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	0	0	-	0	0	-
वेतन	13	0		3	0	
अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे	0	0	-	0	0	-

7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज शिकायतें

	वित्त वर्ष 2023-24 चालू वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	3	7
पीओएसएच पर महिला कर्मचारियों/श्रमिकों की शिकायतों का प्रतिशत	0.085%	0.19%
पीओएसएच पर बरकरार रखी गई शिकायतें	0	3

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए, सेल ने कई मजबूत तंत्र लागू किए हैं। हम शिकायतकर्ता की पहचान और मामले के विवरण की गोपनीयता सुनिश्चित करते हैं ताकि उनकी गोपनीयता की रक्षा हो और प्रतिशोध को रोका जा सके। हम शिकायतकर्ताओं को स्थिति से निपटने में सहायता करने के लिए परामर्श और कानूनी सलाह सहित सहायता सेवाएँ प्रदान करते हैं। सभी शिकायतों की निष्पक्ष, गहन और तुरंत जाँच की जाती है। सम्मानजनक कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रतिशोध के डर के बिना सुरक्षित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए व्हिसलब्लोअर सुरक्षा तंत्र मौजूद हैं। इन उपायों के माध्यम से, सेल सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और सहायक कार्य वातावरण बनाए रखने का प्रयास करता है।

नीति में इस तंत्र को अच्छी तरह से स्थापित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए, नीति लिंक (https://sail.co.in/sites/default/files/upload/2023-06/Policy-for-Prohibition-Prevention-Redressal-of-Sexual-Harassment-of-Women-at-Workplace.pdf) देखें।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां/नहीं)

सेल कंपनी की व्यावसायिक आचार संहिता और नैतिकता का पालन करता है, जो उन सिद्धांतों को रेखांकित करता है जिनका सभी कर्मचारियों से पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इन सिद्धांतों में मानव अधिकारों का सम्मान शामिल है, जैसे बाल श्रम, जबरन या अनिवार्य श्रम का निषेध, और स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक। सेल कर्मचारियों से यह भी अपेक्षा करता है कि वे संघ की स्वतंत्रता, गैर–भेदभाव, अनुशासनात्मक प्रथाओं, सुरक्षा प्रथाओं, कार्य घंटों, मुआवजा प्रथाओं, आपूर्ति श्रृंखला प्रथाओं और प्रबंधन प्रणालियों के सिद्धांतों को बनाए रखें। व्यावसायिक आचार संहिता और नैतिकता के अलावा, सेल GEM पोर्टल के अनुसार सेवा आदेशों में शामिल दिशानिर्देशों का भी पालन करता है।

हाल ही में, सेल पी 1 नीति को अद्यतन किया गया है और यह सेल निविदा वेबसाइट पर उपलब्ध है।

खरीद के लिए अनुबंध की सामान्य शर्तें (सेल पी1) अक्टूबर 2023 को अपडेट की गई थी और यह सेल टेंडर्स वेबसाइट https://sailtenders.co.in/STDocs/DynamicPages/FileSDPchild9827711.pdf पर उपलब्ध है। सेल पी1 का बिंदु 38 व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता से संबंधित है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

38. व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता: सेल में, हम उस महत्वपूर्ण भूमिका को गहराई से महत्व देते हैं जो कंपनियाँ दीर्घकालिक रूप से मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन में निभा सकती हैं। हम मानवाधिकारों की भावना को बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी को पहचानते हैं, जैसा कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मानकों, जैसे कि सार्वभौमिक घोषणा और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मौलिक मानवाधिकार सम्मेलनों में उल्लिखित है। सेल अपने आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षा करता है कि वे अपने व्यवसाय में सभी मानवाधिकारों

को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित और लागू करें और अपने आपूर्तिकर्ताओं को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। हमारा मानवाधिकार चार्टर https://sail.co.in/sites/default/files/2023&09/Human&Rights&Charter.pdf पर उपलब्ध है।

10. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

यद्यपि हमारे संयंत्रों और कार्यालयों का कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है, लेकिन कॉर्पोरेट कार्यालय के संयंत्र प्रमुख और मानव संसाधन विभाग यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मानवाधिकार पहलू का उल्लंघन न हो। मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्राप्त किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाता है, और दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	सेल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण सरकारी निर्देशों द्वारा शासित है।
जबरन/अनैच्छिक श्रम	
यौन उत्पीड़न	POSH समिति उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जांच करती है।
कार्य स्थल पर भेदभाव	सेल एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते समान अवसर से संबंधित विभिन्न विनियमों और दिशानिर्देशों द्वारा शासित है।
वेतन	ठेका श्रमिकों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के लिए सरकारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है।
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-

11. उपरोक्त प्रश्न 10 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

कोई महत्वपूर्ण जोखिम या चिंता नहीं थी (प्रश्न 10 पर विचार करते हुए)

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण

मानव अधिकार मुद्दों/शिकायतों, यदि कोई हो, के समाधान के लिए आवश्यकतानुसार नीतियों और प्रणालियों में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं, उदाहरण के लिए सेल मानवाधिकार चार्टर तैयार और जारी किया गया है।

2. किसी भी मानवाधिकार संबंधी उचित परिश्रम के दायरे और कवरेज का विवरण

यद्यपि अभी तक कोई समुचित तत्परता नहीं बरती गई है, फिर भी सेल ने एक व्यापक और प्रभावी नीति विकसित की है जो मानवाधिकार पहलुओं के दायरे, कवरेज, प्रशासन और निवारण तंत्र को संबोधित करते हुए अपने सभी हितधारकों के मानवाधिकारों की रक्षा करेगी।

3. क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?

हां। कार्यालय और संयंत्र परिसर दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ हैं।

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य श्रृंखला साझेदारों का प्रतिशत (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
बाल श्रम	0%
जबरन/अनैच्छिक श्रम	0%
यौन उत्पीड़न	0%
कार्यस्थल पर भेदभाव	0%
वेतन	0%
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	0%

हालाँकि हमारे मूल्य श्रृंखला भागीदारों का कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारे सभी मूल्य श्रृंखला भागीदारों से मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक घोषणापत्र है। किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप मूल्य श्रृंखला भागीदार के साथ व्यापार लेनदेन रद्द हो जाता है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक कोयला कंपनियों के रूप में हमारे प्रमुख आपूर्तिकर्ता पहले से ही मानवाधिकार पहलुओं के पालन के उच्च मानकों का पालन करते हैं।

5. उपरोक्त प्रश्न 4 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

चूंकि मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।



सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा और पुर्नस्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

पैरामीटर	इकाई	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
नवीकरणीय स्रोतों से #			
कुल बिजली खपत (क)	टीजे	266	230
कुल ईंधन खपत (ख)	टीजे		
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (ग)	टीजे		
नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (क+ख+ग)*	टीजे	266	230
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से #			
कुल ईंधन खपत (ई)	टीजे	469,777	449,756
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (एफ)	टीजे	678.5	916
गैर–नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (डी़ईएफ)		613,900	590,917
कुल ऊर्जा खपत (A+B+C+D+E+F)	टीजे	614,166	591,147
प्रति रुपया कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/परिचालन से राजस्व)	जीजे/₹	0.560	0.570
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार की ऊर्जा तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा खपत/परिचालन से राजस्व)**	पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व का जीजे/₹	11.32	11.78
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता	टीजे/टीसीएस	0.0320	0.0323
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक)–प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है			

#इसमें सेल के एकीकृत इस्पात संयंत्रों, विशेष इस्पात संयंत्रों, एसआरयू और खानों में ऊर्जा खपत शामिल है।

* इसमें खरीदी गई नवीकरणीय ऊर्जा भी शामिल है।

**विश्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर पीपीपी के लिए राजस्व समायोजित किया गया।

नोटः बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं।

2. क्या इकाई के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ता (डीसी) के रूप में पहचाने गए कोई स्थल/सुविधाएँ हैं? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य हासिल नहीं किए गए हैं, तो क्या कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, यदि कोई हो।

हमारे सभी 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा नामित उपभोक्ता के रूप में चिन्हित किया गया है।

3. जल से संबंधित निम्नलिखित खुलासों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)			
(i) सतही जल	केएल	57396487	55285451
(ii) भूजल		-	-
(iii) तीसरे पक्ष का पानी		-	-
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल		-	-
(v) अन्य		-	-
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i+ii+iii+iv+v)	**केएल**	**57396487**	**55285451**
जल की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	**केएल**	57396487	**55285451**
प्रति रुपया कारोबार पर जल तीव्रता (कुल जल खपत/परिचालन से राजस्व) (किलोग्राम/करोड़ रुपये)	**एल/₹**	**0.05**	**0.05**
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार पर जल तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल जल खपत/परिचालन से राजस्व)	पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व का एल/₹	**1.058**	**1.094**

पैरामीटर	इकाई	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)			
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में जल की तीव्रता		-	-
जल तीव्रता (वैकल्पिक)–प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है (एम 3 / टीसीएस)			
जल तीव्रता (वैकल्पिक)–प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है (एम 3 / टीसीएस)	**एम³/टीसीएस**	3.02	3.06

नोटः बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हां / नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं।

4. निस्सरित जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023
गंतव्य के अनुसार जल निर्वहन और उपचार का स्तर			
(i) सतही जल को	केएल	22985600	22363784
- कोई इलाज नहीं			
- उपचार के साथ–कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें			
(ii) भूजल को			
- कोई इलाज नहीं			
- उपचार के साथ–कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें			
(iii) समुद्री जल को			
- कोई इलाज नहीं			
- उपचार के साथ–कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें			
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया			
- कोई इलाज नहीं			
- उपचार के साथ–कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें			
(v) अन्य			
- कोई इलाज नहीं			
- उपचार के साथ–कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें			
कुल छोड़ा गया जल (किलोलीटर में)	**केएल**	**22985600**	**22363784**

नोटः बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हां / नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं।

5. क्या संस्था ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

सेल ने अपने इस्पात संयंत्रों के लिए 'शून्य तरल उत्सर्जन (जेडएलडी)' का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों में उपयुक्त उपचार के बाद औद्योगिक अपशिष्ट का उपयोग करने के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं।

सेल संयंत्रों में कुल लगभग 123 मिलियन घनमीटर वर्ष अपशिष्ट जल का उपचार किया जा रहा है और आगे के उपयोग के लिए पुनःपरिसंचरण किया जा रहा है। जेडएलडी प्राप्त करने के लिए कई योजनाएँ अपनाई गई हैं और वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 2023–24 के दौरान, 2235 घनमीटर / घंटा की कुल क्षमता वाली अपशिष्ट उपचार सुविधाएँ स्थापित की गई हैं और वे चालू हैं। उपरोक्त के अलाव, आरएसपी में लैगून की क्षमता को डी–सिल्टिंग के माध्यम से 3 लाख घनमीटर तक बढ़ाया गया है।

आगे चलकर, सेल संयंत्रों में सभी आगामी इकाइयों को जेडएलडी अवधारणा पर परिकल्पित किया गया है।

6. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
एनओएक्स (एनओ 2)	किलोग्राम / टीसीएस	0.76	-
एसओएक्स (एसओ 2)	किलोग्राम / टीसीएस	1.10	-
कण पदार्थ (पीएम) (पीएम 10)	किलोग्राम / टीसीएस	0.58	0.57
स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी) (बेंजो–ए–पाइरीन)		-	-
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)		-	-
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)		-	-
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		-	-



नोटः बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं।

7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी का CO_2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	टन CO_2	52622079	47603938
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी का CO_2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	टन CO_2	2446630	3020822
प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/परिचालन से राजस्व)	टन/₹ करोड़ में	502	488
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व)	पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से प्राप्त राजस्व का टन/₹	0.001	0.001
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता			
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक)– प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है–**कच्चा इस्पात उत्पादन**	टन/कच्चे इस्पात का टन	2.90	2.80

नोटः बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं।

8. क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

परियोजना का विवरण
वार्षिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023–24 से "ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण" अध्याय देखें

9. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएं:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
(i) प्लास्टिक अपशिष्ट (क)	0.42	2260
(ii) ई–कचरा (ख)	37	33
(iii) जैव चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	0	141
(iv) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (घ)	9063	नाम मात्र
(v) बैटरी अपशिष्ट (ड़)	228	
(vi) रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	0	लागू नहीं है
(vii) अन्य खतरनाक अपशिष्ट (छ)	162006	172388
(viii) अन्य गैर–खतरनाक अपशिष्ट (ज)	13833695	12549470
कुल (क+ख+ग+घ+ड़+च+छ+ज)	**14005029.42**	**12724292**
प्रति रुपया कारोबार पर अपशिष्ट तीव्रता (टी/रुपये में) (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/परिचालन से राजस्व)	128	122
टन में क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपए में अपशिष्ट तीव्रता/पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व का (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व)	0.00025	0.00025
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता	-	-
अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक)–प्रासंगिक मीट्रिक को इकाई (टी/टीसीएस) द्वारा चुना जा सकता है	0.74	0.71
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रित	3144716	3140793
(ii) पुनः उपयोग	8673	
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति विकल्प (बेचे गए)	11216850	9765888
कुल	**14370239**	**12906681**
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	0	35
(ii) लैंडफिलिंग	2358	3529
(iii) अन्य निपटान विकल्प	0	107
कुल	**2358**	**3671**

नोटः बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं।

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विशैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

सेल अपनी कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति में स्रोत–वार ठोस अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करने और इसके उपयोग को 100 प्रतिशत तक अधिकतम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेल ने उद्योग की स्थिरता के साथ–साथ चक्रीयता को बढ़ावा देने के लिए अपनी सभी प्रक्रियाओं में "4Rs नीति" (कम करें, पुनर्प्राप्त करें, पुनर्चक्रण करें और पुनः उपयोग करें) को अपनाया है।

आयरन स्लैग और स्टील स्लैग ठोस अपशिष्ट उत्पादन में दो प्रमुख योगदानकर्ता हैं। सीमेंट उद्योगों में इसके दानेदार बनाने और उपयोग के माध्यम से आयरन स्लैग का 100 प्रतिशत उपयोग प्राप्त किया जा रहा है। दूसरी ओर, स्टील स्लैग का उपयोग मुख्य रूप से आंतरिक रूप से ब्लास्ट फर्नेस और स्टील मेल्टिंग शॉप में चूना पत्थर के आंशिक प्रतिस्थापन के रूप में और बेस–मिक्स के रूप में सिंटर बनाने में पुनर्चक्रण के माध्यम से किया जाता है। मिल स्केल और चूना/डोलो फाइन जैसे ठोस अपशिष्टों को पूरी तरह से सिंटर बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से पुनर्चक्रित किया जाता है। अपशिष्ट दुर्दम्य ईंटों का पूर्ण उपयोग या तो बाहरी एजेंसियों को बेचकर या आंतरिक रूप से पुनः उपयोग करके किया जाता है।

स्टील स्लैग के उपयोग को बढ़ाने के लिए संभावित अवसरों की खोज हेतु सेल द्वारा अपने आंतरिक अनुसंधान विंग के माध्यम से अथवा अन्य प्रतिष्ठित अनुसंधान केंद्रों अथवा राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से विभिन्न अनुसंधान एवं विकास आधारित अध्ययन किए जा रहे हैं।

जो अपशिष्ट अपनी भौतिक और/या रासायनिक विशेषताओं के कारण खतरनाक होते हैं, उन्हें "खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवागमन) नियमावली 2016" के नियमों के अनुसार सुरक्षित तरीके से निपटाया जाता है, या तो कैप्टिव सुरक्षित लैंडफिल सुविधा (एसएलएफ) में या खतरनाक अपशिष्टों के उपचार, भंडारण और निपटान से निपटने वाले अधिकृत रीसाइकिलर्स के माध्यम से। कुछ खतरनाक अपशिष्टों का पुनः उपयोग/सह–प्रसंस्करण किया जाता है।

ई–कचरे का पुनर्चक्रण/निपटान अधिकृत ई–कचरा पुनर्चक्रकों के माध्यम से किया जा रहा है।

बैटरी अपशिष्ट का पुनर्चक्रण पंजीकृत विक्रेताओं के माध्यम से किया जाता है।

कभी–कभी कुछ संयंत्रों में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट की नगण्य मात्रा उत्पन्न होती है, जिसका आंतरिक उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से पुरानी संरचनाओं/इमारतों के विध्वंस/विघटन के दौरान, अपशिष्ट की एक महत्वपूर्ण मात्रा उत्पन्न होती है जिसका निपटान बाहरी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

11. यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/आसपास परिचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें: (वित्त वर्ष 2023-24, चालू वित्तीय वर्ष)

सेल का कोई भी संयंत्र पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के निकट नहीं है।

12. चालू वित्त वर्ष 2023-24 में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या (ईसी पहचान संख्या)	तारीख	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए (हां नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
सेल ने 2023–24 के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की आवश्यकता वाली कोई नई परियोजना शुरू नहीं की।					

13. क्या कंपनी भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों, जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों का अनुपालन करती है (हां/नहीं बताएं)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रदान करें:

क्र. सं.	उस कानून/विनियम/दिशानिर्देश को निर्दिष्ट करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालय जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा लगाया गया कोई जुर्माना/दंड/कार्रवाई	यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो, तो
1	जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम	इस्को स्टील प्लांट में पर्यावरण मानकों का पालन न होना	पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और अनुपालन के लिए बाद में उन्हें लागू किया गया है। इसके अलावा, पर्यावरण पदचिह्न में और सुधार करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना भी बनाई गई है।
2	जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम	विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट में पर्यावरण मानकों का पालन न किया जाना	कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी	सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और अनुपालन के लिए उन्हें लागू किया गया है। इसके अलावा, पर्यावरण पदचिह्न में और सुधार के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना भी तैयार की गई है।



क्र. सं.	उस कानून/विनियम/ दिशानिर्देश को निर्दिष्ट करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालय जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा लगाया गया कोई जुर्माना/दंड/कार्रवाई	यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो, तो
3	जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम	चंद्रपुर फेरोएलॉय प्लांट में पर्यावरण मानकों का पालन न किया जाना	महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और अनुपालन के लिए उन्हें लागू किया गया है। इसके अलावा, पर्यावरण पदचिह्न में और सुधार के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना भी तैयार की गई है।

नेतृत्व संकेतक

1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करः

(i) क्षेत्र का नाम

(ii) परिचालन की प्रकृति

(iii) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहनः

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	लागू नहीं	
(ii) भूजल		
(iii) तीसरे पक्ष का पानी		
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
प्रति रुपया कारोबार में जल की तीव्रता (पानी की खपत/कारोबार)		
जल तीव्रता (वैकल्पिक)-प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल में	लागू नहीं	
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ–कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल में		
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ–कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल में		
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ–कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ–कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ–कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
कुल छोड़ा गया जल (किलोलीटर में)		

नोटः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

नहीं

2. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (जीएचजी का CO_2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	समतुल्य टन CO_2	-5300064	-5620400
प्रति रुपए टर्नओवर पर कुल स्कोप 3 उत्सर्जन	टन/₹करोड़ में	48.3	54.2
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	टन/₹करोड़ में		

नोटः स्कोप 3 उत्सर्जन आंशिक रूप से कवर किया गया है

नोटः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं। नहीं। हालांकि, डेटा की गणना विश्व इस्पात संघ (डब्ल्यूएसए) पद्धति के अनुसार की जा रही है।

3. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव के विवरण के साथ-साथ रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

4. यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन/उत्सर्जित अपशिष्ट/अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इसके विवरण के साथ-साथ ऐसी पहलों के परिणाम भी प्रदान करें:

क्रम सं.	पहल की गई		पहल का विवरण (यदि कोई हो तो वेब-लिंक सारांश सहित उपलब्ध कराया जाए)	पहल का परिणाम
1	भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में 'सेल ग्रीन टाइल्स प्लांट' स्थापित किया गया		CO2 उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से, बीएसपी ने एक हरित पहल की और स्टील स्लैग का उपयोग करके प्रतिदिन 1000 पेवर ब्लॉक/टाइल्स के निर्माण की क्षमता के साथ 'सेल ग्रीन टाइल्स प्लांट' की स्थापना की।	स्टील स्लैग उपयोग में वृद्धि, जिससे ठोस अपशिष्ट उपयोग में वृद्धि होगी।
2	अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) की स्थापना	राउरकेला स्टील प्लांट	घनमीटर/घंटा अपशिष्ट जल का उपचार और पुनःपरिसंचरण	सतही जल प्रदूषण की रोकथाम और जल संरक्षण।
		दुर्गापुर स्टील प्लांट	घनमीटर/घंटा अपशिष्ट जल का उपचार और पुनःपरिसंचरण	
		इस्को स्टील प्लांट	घनमीटर/घंटा अपशिष्ट जल का उपचार और पुनःपरिसंचरण	
3	30 से नीचे पीएम उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए दुर्गापुर स्टील प्लांट में वायु प्रदूषण नियंत्रण (एपीसी) उपकरण की स्थापना	- कैल्सीनेशन प्लांट के सभी भट्टों के लिए नए बैग फिल्टर की स्थापना। - एसएमएस के लेडल फर्नेस–1 और 2 में एपीसी प्रणाली की स्थापना - सिंटर प्लांट–2 में ईएसपी का उन्नयन		पर्यावरण पदचिह्न में सुधार

5. क्या संस्था के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेब लिंक में विवरण दें।

सेल की इकाइयां सभी लागू सुरक्षा और विनियामक कानूनों का पालन करती हैं, जिससे एक मजबूत व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना सुनिश्चित होती है। सेल के पास अपने कॉर्पोरेट स्तर और इकाई स्तर पर, व्यवसायिक अनिश्चितताओं से संबंधित किसी भी स्थिति का प्रबंधन करने और बड़े पैमाने पर कामगारों और समाज की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है।

आपदा प्रबंधन और आपातकालीन तैयारी योजनाएं बाहरी विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई हैं और बाद में मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा अनुमोदित की गई हैं।

आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्यः

संगठनात्मक कार्यों को सूचीबद्ध करना जिससे संगठन निम्न के लिए तेजी से और प्रभावी कदम उठा सके –

- प्लांट के अंदर कर्मियों और बाहर जनता की सुरक्षा के लिए
- घायलों के बचाव और उपचार हेतु
- संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा करना।
- घटना को नियंत्रण में लाना तथा आपातकाल के बाद सामान्य परिचालन की तेज रिकवरी सुनिश्चित करना।

सभी 'ऑन–साइट' और 'ऑफ–साइट' आपात स्थितियों को मैनुअल में शामिल किया गया है। जोखिमों को कम करने के उपायों की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं। आवश्यक कच्चे माल के न्यूनतम बफर स्टॉक के साथ आपातकालीन संसाधनों/उपकरणों की एक सूची हमेशा बनाए रखी जाती है। किसी भी आपदा/आपातकाल के प्रभाव को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए तैयारी, प्रबंधन और साथ ही साथ उसे कम करने के लिए पूरे वर्ष नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।



राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा नियमित ऑडिट किए जाते हैं, जो कार्यस्थल को सुरक्षित, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के प्रयासों को विकसित करने और उनका नेतृत्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख निकाय है। ये ऑडिट सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रमाणित करते हैं। हमारी योजना में व्यापक जोखिम आकलन, आपातकालीन प्रतिक्रिया रणनीतियाँ और कर्मचारियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण शामिल हैं। हम व्यवधानों को कम करने के लिए एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला, प्रभावी संचार प्रोटोकॉल और अनावश्यक सिस्टम बनाए रखते हैं। सुरक्षा और तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देकर, हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे संचालन स्थिर रहें और किसी भी अप्रत्याशित घटना से जल्दी से उबर सकें।

6. इकाई की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।

हमने सेल की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव की पहचान नहीं की है।

7. मूल्य श्रृंखला साझेदारों का प्रतिशत (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया।

हमने अपने मूल्य श्रृंखला साझेदारों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन नहीं किया है।

सिद्धांत 7: व्यवसायों को सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करते समय ऐसा जिम्मेदाराना और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. व्यापार एवं उद्योग चैम्बरों/एसोसिएशनों से संबद्धता की संख्या।

सेल विभिन्न सरकारी और विनियामक प्राधिकरणों से जुड़ा हुआ है जो कंपनी को अपने मूल्यों का पालन करने और ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने में सहायता करते हैं। हमारे हितधारक हमारे लिए मूल्यवान हैं, और हम इन संघों के माध्यम से अपने हितधारकों के लिए सार्वजनिक भलाई से संबंधित मामलों में संलग्न हैं। वित्त वर्ष 2023–2024 के दौरान, कंपनी के पास व्यापार और उद्योग चैंबर संघों के साथ 19 सक्रिय संबद्धताएँ हैं।

ख. उन शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चैंबरों/एसोसिएशनों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जिनकी संस्था सदस्य है/संबद्ध है।

क्र.सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों/एसोसिएशनों का नाम	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की)	राष्ट्रीय
2	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय
3	भारतीय इस्पात संघ (आईएसए)	राष्ट्रीय
4	विश्व इस्पात संघ और अंतर्राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील फोरम (आईएसएसएफ)	अंतरराष्ट्रीय
5	भारतीय लौह एवं इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद (आईआईएसएसएससी)	राष्ट्रीय
6	अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए)	राष्ट्रीय
7	सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं का मंच (डब्ल्यूआईपीएस)	राष्ट्रीय
8	विश्व उत्पादकता विज्ञान परिसंघ (डब्ल्युपीसीएस)	राष्ट्रीय
9	संगठन विकास केंद्र (सीओडी)	राष्ट्रीय
10	भारतीय धातु संस्थान, कोलकाता (आईआईएमके)	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

सेल ने किसी भी प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण में भाग नहीं लिया है। इसलिए, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण

क्र. सं.	नीति की वकालत	वकालत की विधि	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में है (हाँ/नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/ अन्य -कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक यदि उपलब्ध हो
1.	वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 के लिए लोक सभा सचिवालय द्वारा जारी दिनांक 04.05.2023 के कार्यालय ज्ञापन पर विशेष रूप से वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 की धारा 2(iii) पर टिप्पणियां प्रदान की गईं।	15.05.2023 को जेसीएफसीएबी सेल, लोकसभा सचिवालय भारत सरकार को ईमेल के माध्यम से	नहीं	बोर्ड तिमाही आधार पर सेल की खदानों और कोलियरियों के संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, एआईआर (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करता है।	लागू नहीं है
2.	दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) और लिथियम के संबंध में रॉयल्टी की दर निर्दिष्ट करने के लिए एमएमडीआर अधिनियम की दूसरी अनुसूचियों में संशोधन के लिए खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 18.05.2023 के कार्यालय ज्ञापन पर टिप्पणियां/सुझाव प्रदान किए गए।	26.05.2023 को खान मंत्रालय, भारत सरकार को ईमेल के माध्यम से	नहीं		लागू नहीं है
3.	एएसपी की गणना में रॉयल्टी को शामिल करने के कारण रॉयल्टी के दोहरे प्रभाव के मुद्दे पर खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियम, 2016 में संशोधन के लिए खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 02.06.2023 के कार्यालय ज्ञापन पर दी गई टिप्पणियाँ।	19.06.2023को खान मंत्रालय, भारत सरकार को ईमेल के माध्यम से	नहीं		लागू नहीं है
4.	औसत बिक्री मूल्य की गणना में रॉयल्टी को शामिल करने के प्रभाव को हटाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत नियमों में संशोधन के लिए खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 12.12. 2023 के कार्यालय ज्ञापन पर टिप्पणियां प्रदान की गईं।	26.12.2023 को खान मंत्रालय, भारत सरकार को ईमेल के माध्यम से	नहीं		लागू नहीं है
5.	देश में लौह अयस्क के एएसपी की गणना के लिए वैकल्पिक तंत्र सुझाने के लिए खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 03.01.2024 को जारी मसौदा रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ प्रदान की गईं।	खनन मंत्रालय, भारत सरकार को ईमेल के माध्यम से दिनांक 04.01.2024 को	नहीं		लागू नहीं है

सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का ब्यौरा।

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक

चालू वित्त वर्ष के लिए लागू नहीं

2. उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है।

क्र. सं.	आर एंड आर के लिए परियोजना का नाम	राज्य	जिला	परियोज राज्य ना प्रभावित परिवारों की संख्या (पीएएफ)	पुनर्वास एवं पुनर्वास के अंतर्गत कवर किए गए परियोजना प्रभावित परिवारों का प्रतिशत	परियोजना प्रभावित परिवारों को भुगतान की गई राशि	वर्ष
1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2023–24 में कोई भूमि अधिग्रहित नहीं की गई, इसलिए कोई नया परियोजना प्रभावित क्षेत्र नहीं बनाया गया और परियोजना प्रभावित क्षेत्र को कोई भुगतान नहीं किया गया।

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के तंत्र का वर्णन करें।

सेल के पास समुदायों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक विविध और बहुआयामी दृष्टिकोण है, जिसके अंतर्गत नियमित सामुदायिक बैठकें, नगर पालिकाओं और नगर प्रशासनिक समितियों के साथ आवधिक बातचीत और स्थानीय समाज के साथ सक्रिय भागीदारी की जाती है, ताकि यह समझा जा सके कि हस्तक्षेपों से संबंधित उनके पास कोई विचार, मुद्दे, शिकायतें और कष्ट हैं या नहीं।

केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) नागरिकों के लिए 24x7 उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिस पर वे सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक प्राधिकरणों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सीपीजीआरएएमएस नागरिकों के लिए स्टैंडअलोन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी सुलभ है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और मोबाइल एप्लीकेशन को उमंग के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

सीपीजीआरएएमएस में दर्ज शिकायत की स्थिति को शिकायतकर्ता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई विशिष्ट पंजीकरण आईडी से ट्रैक किया जा सकता है। सीपीजीआरएएमएस नागरिकों को अपील की सुविधा भी प्रदान करता है यदि वे शिकायत अधिकारी द्वारा समाधान से संतुष्ट नहीं हैं। शिकायत बंद होने के बाद यदि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रतिक्रिया दे सकता है। यदि रेटिंग 'खराब' है तो अपील दायर करने का विकल्प सक्षम है। अपील की स्थिति को शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पंजीकरण संख्या के साथ भी ट्रैक किया जा सकता है।

वे मुद्दे जिनका निवारण नहीं किया जाता:

- आरटीआई मामले
- न्यायालय से संबंधित/न्यायालयीन मामले
- धार्मिक
- सुझाव
- अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि सहित सेवा मामलों से संबंधित सरकारी कर्मचारियों की शिकायतें।



4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट)।

	वित्त वर्ष 2023-24 चालू वित्त वर्ष	वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष
एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त	एमएसई खरीदः ₹ 2919.87 करोड़ (कुल खरीद का 29.28)	एमएसई खरीदः ₹ 3110.30 करोड़ (कुल खरीद का 32.71 प्रतिशत)
जिले के अंदर और पड़ोसी जिलों से सीधे प्राप्त	कंपनी ने हमेशा परिधीय क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी है। 1950 के दशक से संचालित सेल के इस्पात संयंत्रों और इकाइयों ने दूर–दराज के गांवों को बड़े औद्योगिक केंद्रों में बदलते देखा है। इस संबंध में, उपलब्धता और व्यवहार्यता के अधीन स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता दी गई है।	

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन - निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर–स्थायी/अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का खुलासा कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में करें

स्थान	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
ग्रामीण	5.76	5.64
अर्ध शहरी	0.15	0.16
शहरी	88.84	89.13
महानगर	5.26	5.07

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1)

लागू नहीं

2. सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए आकांक्षी जिलों में आपकी इकाई द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: वित्तीय वर्ष 2023-24

सेल ने झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के 7 महत्वाकांक्षी जिलों में सीएसआर कार्यक्रम चलाए हैं। इन जिलों में नक्सल प्रभावित क्षेत्र और राजनांदगांव, नारायणपुर, कांकेर, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, रांची और बांका जैसे जिले शामिल हैं।

क्र. सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	सेल सीएसआर व्यय राशि (करोड़ रुपये में)
1	छत्तीसगढ	राजनांदगांव, नारायणपुर, कांकेर	21.31 करोड़
2	झारखंड	बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, रांची	27.35 करोड़
3	बिहार	बांका	0.148 करोड़

3. क. क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जिसके अंतर्गत आप हाशिए पर पड़े/कमजोर समूहों के आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नहीं):

हाँ। सेल एमएसई विक्रेताओं, एससी/एसटी और महिला उद्यमियों से खरीद के माध्यम से समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देता है। ऐसे माध्यमों से खरीद वित्त वर्ष 2021–22 में 2233.72 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में 2919.87 करोड़ रुपये हो गई है। सेल कई हितधारकों के साथ सहयोग करने और उभरते बाजारों के लिए उनकी क्षमता निर्माण में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ख. आप किस हाशिए पर पड़े/कमजोर समूह से सामान खरीदते हैं?

एमएसई जिसमें एससी/एसटी और महिला एमएसई शामिल हैं।

ग. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यह कुल खरीद (मूल्य के हिसाब से) का कितना प्रतिशत है?

वित्त वर्ष 2023–24:

एमएसई खरीदः ₹ 2919.87 करोड़ (कुल खरीद का 29.28 प्रतिशत)

एससी/एसटी एमएसई से खरीदः ₹ 7.67 करोड़ (0.08 प्रतिशत)

महिला एमएसई से खरीदः ₹ 120.21 करोड़ (1.21 प्रतिशत)

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी संस्था के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण (चालू वित्तीय वर्ष में)

क्र. सं.	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अधिग्रहित (हां या नहीं)	लाभ साझा किया गया (हाँ या नहीं)	लाभ हिस्सेदारी की गणना का आधार
कोई नहीं				

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल हो।

प्राधिकरण का नाम	प्राधिकरण का संक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
कोई नहीं		

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

विवरण के लिए, कृपया वित्त वर्ष 2023–24 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट (वार्षिक रिपोर्ट), का 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' खण्ड देखें।

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों के लाभार्थियों का प्रतिशत
1	देश भर में दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल, मोटर चालित वाहन, कैलीपर्स, श्रवण यंत्र, स्मार्ट फोन, स्मार्ट केन आदि सहायक उपकरण वितरित किए गए। सेल का यह प्राथमिकता कार्यक्रम 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत देश भर में कई स्थानों पर लागू किया गया है।	लगभग 3,000 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों से लाभान्वित किया गया	लागू नहीं है
2	स्वास्थ्य शिविरों और मोबाइल मेडिकल इकाइयों से ग्रामीणों को उनके घर पर लाभ मिला है और संयंत्रों में सेल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों को मुफ्त चिकित्सा देखभाल और दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।	लगभग 1.80 लाख ग्रामीणों और 84,000 से अधिक रोगियों को लाभ मिला	
3	सेल **अक्षय पात्र फाउंडेशन** के सहयोग से भिलाई और राउरकेला के 600 स्कूलों को दोपहर का भोजन और सूखा राशन किट उपलब्ध कराकर सहायता कर रहा है।	लगभग 60,000 छात्र	
4	सीएसआर के तहत एकीकृत इस्पात संयंत्र के स्थानों पर बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने वाले 22 विशेष विद्यालय (कल्याण, मुकुल और डीएवी विद्यालय) चलाए जा रहे हैं, जिनमें निःशुल्क शिक्षा, दोपहर का भोजन, जूते सहित यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी आइटम, स्कूल बैग और पानी की बोतलें आदि जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।	लगभग 12026 बीपीएल श्रेणी के छात्र	
5	सारंडा सुवन छात्रावास और केंद्रीय विद्यालय, किरीबुरू; ज्ञानोदय छात्रावास, बीएसपी स्कूल राजहरा, भिलाई; ज्ञानज्योति योजना, बोकारो डीएवी स्कूल–नंदिनी और कुटेश्वर माइंस, और अन्य स्कूलों में आदिवासी और नक्सल प्रभावित/आकांक्षी जिलों के बच्चों को निशुल्क व्यापक शैक्षिक सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे कि स्कूली शिक्षा, भोजन, गणवेश, पाठ्यपुस्तकें, आवास और बुनियादी ढांचा आदि।	आदिवासी और नक्सल प्रभावित/आकांक्षी जिलों के 450 से अधिक बच्चे	
6	**ज्ञान ज्योति योजना:** बोकारो स्टील प्लांट विलुप्त होने के कगार पर खड़ी बिरहोर जनजाति के 15 बच्चों को शिक्षा और समग्र विकास की सुविधा प्रदान कर रहा है। बच्चों को अनुकूल माहौल में मुफ्त शिक्षा के साथ–साथ भोजन, स्वस्थ भोजन, कपड़े, चिकित्सा उपचार, खेल और सांस्कृतिक अवसर प्रदान किए गए। वे अपने समुदाय के पहले दसवीं और 12वीं पास हैं। कौशल विकास और बेहतर रोजगार के लिए, ज्ञान ज्योति योजना के तहत गोद लिए गए 9 दसवीं पास बिरहोर लड़कों को बोकारो प्राइवेट आईटीआई में वजीफा, आवास और भोजन के साथ 'वेल्डर ट्रेड' में आईटीआई प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया था।	15 बिरहोर बच्चों ने सफलतापूर्वक 12वीं कक्षा की शिक्षा पूरी की और आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनकी उपलब्धियों से प्रेरित होकर, 15 बिरहोरों के दूसरे बैच ने अपनी शिक्षा और आईटीआई प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। 12 बिरहोर बच्चों के तीसरे बैच को गोद लिया गया है।	
7	**महिला सशक्तिकरण और सतत आय सृजन:** महिलाओं और युवाओं को नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, एलएमवी ड्राइविंग, कंप्यूटर, मोबाइल मरम्मत, वेल्डर, फिटर और इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। उन्नत कृषि, मशरूम की खेती, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, अचार/पापड़/अगरबती/मोमबत्ती बनाना, स्क्रीन प्रिंटिंग, हथकरघा, रेशम उत्पादन, सूत बुनाई, सिलाई, सिलाई और कढ़ाई, दस्ताने, मसाले, तौलिए, बोरे, कम लागत वाले सैनिटरी नैपकिन, मिठाई बॉक्स, बांस/जूट शिल्प, धुआं रहित चूल्हा बनाना आदि।	2369 महिलाओं और 1578 युवाओं को स्थायी आय सृजन हेतु व्यावसायिक और विशिष्ट कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है।	
8	**आईटीआई प्रशिक्षण:** आईटीसी बोलानी, बड़गांव, बलियापुर, बोकारो प्राइवेट आईटीआई और राउरकेला आदि में परिधीय युवाओं के लिए आईटीआई प्रशिक्षण का समर्थन किया गया है। बोलानी और बुरसुआ में आईटीआई को सेल/आरएसपी खानों द्वारा उन्नयन और संचालन के लिए अपनाया गया है। इसके अलावा, बोकारो प्राइवेट आईटीआई में परिधि के युवाओं को इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और फिटर की धाराओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है।	आईटीसी में आईटीआई प्रशिक्षण के लिए लगभग 490 युवाओं को सहायता प्रदान की गई है	
9	बोकारो स्टील प्लांट ने राष्ट्रीय खेल तैयारी प्रशिक्षण शिविरों के तहत स्पेशल ओलंपिक भारत (एसओबी) का आयोजन किया और बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक समर वर्ल्ड गेम्स 2023 (एसओएसडब्ल्यूजी 2023) के लिए चयनित/प्रशिक्षित दिव्यांग एथलीटों की भागीदारी व्यय का भी समर्थन किया।	लगभग 596 दिव्यांग एथलीटों ने बोकारो में प्रारंभिक खेल प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया।	



सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारी से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।

उपभोक्ता शिकायतों को दूर करना: सेल में ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए मजबूत सिस्टम बनाए गए हैं। ग्राहक गुणवत्ता शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद क्यूसी के तहत सामग्री का निरीक्षण शाखा कार्यकारी द्वारा किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो प्रक्रिया में सहायता और तेजी लाने के लिए सेल शाखा कार्यकारी को क्षेत्रीय एई (एप्लीकेशन इंजीनियर) या संबंधित प्लांट की सहायता प्रदान करता है। शिकायत की वास्तविकता के आधार पर, ग्राहकों का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक को वापसी आदेश और बाद में रिफंड जारी किया जाता है।

प्रतिक्रिया देना: ग्राहकों और विजिटरों के लिए आसान नेविगेशन और सूचना उपलब्धता की सुविधा के लिए एआई आधारित चैटबॉट **'सेल सारथी'** की शुरुआत की गई है। सेल ने व्हाट्सएप पर एक सत्यापित व्यवसाय खाता खोला है। व्हाट्सएप अकाउंट सेल सारथी ऐप के साथ एकीकृत है।

सीएमओ द्वारा "सेल ग्राहक संपर्क" नाम से एक ग्राहक संपर्क ऐप लॉन्च किया गया है, ताकि सीएमओ अधिकारियों द्वारा ग्राहक बैठकों को सुव्यवस्थित, व्यवस्थित और इष्टतम बनाया जा सके।

2. सभी उत्पादों/सेवाओं से टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिसमें उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंडों, सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग, रीसाइक्लिंग और/या सुरक्षित निपटान के बारे में जानकारी प्रदान की गई हो।

कंपनी लागू क़ानून के तहत आवश्यक सभी उत्पादों के लिए निर्धारित जानकारी प्रदान करती है।

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2023-24		टिप्पणी	वित्त वर्ष 2022-23		टिप्पणी
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डेटा गोपनीयता	0	0		0	0	
विज्ञापन	0	0		0	0	
साइबर–सुरक्षा	0	0		0	0	
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	0	0		0	0	
प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार	0	0		0	0	
व्यापार का अनुचित व्यवहार	0	0		0	0	
अन्य (ग्राहकों से गुणवत्ता संबंधी शिकायत का निपटान)	1871	26	1871 में से 1845 का निपटान उसी वित्तीय वर्ष में किया गया। शेष का निपटान अगले वित्तीय वर्ष में किया गया	1793	9	1793 में से 1784 का निपटान उसी वित्तीय वर्ष में किया गया। शेष का निपटान अगले वित्तीय वर्ष में किया गया

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण:

	संख्या	वापस बुलाने के कारण
स्वैच्छिक कॉल	शून्य। उत्पाद वापस मंगाने का कोई मामला सामने नहीं आया है।	
बाध्यतावश कॉल		

5. क्या कंपनी/संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

सेल की सूचना प्रौद्योगिकी नीति में आईटी से संबंधित मामलों के प्रति एक मजबूत दृष्टिकोण है। इसमें सूचना संवेदनशीलता, स्वीकार्य उपयोग नीति, सर्वर सुरक्षा नीति, नेटवर्क अवसंरचना सुरक्षा नीति, डेटाबेस पासवर्ड नीति, एक्स्ट्रानेट नीति, स्वीकार्य एन्क्रिप्शन नीति, डायल–इन एक्सेस सुरक्षा नीति और एंटी–वायरस नीति से संबंधित मामले शामिल हैं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया आईटी सुरक्षा नीति लिंक देखें।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर उठाए गए या चल रहे किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी के मामलों की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक अधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई।

चूंकि विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों के लिए कोई शिकायत नहीं थी; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी के मामलों की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक अधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई, इसके लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करे

क. डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्याः कोई डेटा उल्लंघन नही

ख ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशतः लागू नहीं है

ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई होः लागू नहीं है

* चूँकि कोई डेटा उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए (ख) और (ग) लागू नहीं हैं।

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहाँ इकाई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।

वे प्लेटफ़ॉर्म जहाँ इकाई के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती हैः

1) वेबसाइट- www.sail.co.in
2) फ़ेसबुक- www.facebook.com./SAILsteelofficial
3) ट्विटर- www.twitter.com/SAILSteel
4) इंस्टाग्राम- www.instagram.com/steelauthority

2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

लागू नहीं

3. आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद हैं।

आवश्यक सेवा में व्यवधान की स्थिति में, सेल अपने उपभोक्ताओं को अपनी वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज अधिसूचनाओं और या अन्य सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से सूचित करता है। इसके अलावा, हमारी मार्केटिंग और ग्राहक प्रबंधन टीम नियमित रूप से हमारे सभी ग्राहकों और डीलरों के साथ बातचीत करती है और सेवा के किसी भी प्रकार से बंद होने के बारे में सूचना देती है।

4. क्या संस्था स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अलावा उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी संस्था ने संस्था के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, संस्था के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से संस्था से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां/नहीं)

हांः टीएमटी बार के मामले में, सेल ने प्रत्येक बंडल में स्टड वेल्डिड टैग पर क्यूआर कोडिंग शुरू की है। यह उत्पाद के बारे में जानकारी देता है और एक प्लांट के मामले में इसे ऐप के माध्यम से स्कैन करने पर रासायनिक और भौतिक गुणों से जोड़ता है। साथ ही पीएम प्लेट जैसे उत्पादों में उत्पाद पर आकार ग्रेड और तकनीकी डिलीवरी की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा, सेल ने 4 नवंबर 2023 को मेड इन इंडिया ब्रांडिंग और लेबलिंग योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। तदनुसार, अपने उत्पादों पर मानक लेबलिंग के अलावा, सेल एक क्यूआर कोड भी रखता है, जिसे स्कैन करने पर, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए सुरक्षित थर्ड पार्टी सर्वर पर विशेष आइटम को प्रमाणित किया जाता है। यह न केवल सामग्री की प्रामाणिकता की पुष्टि करता है बल्कि उत्पाद विवरण जैसे कि उत्पादन संयंत्र, आकार, ग्रेड, हीट नंबर आदि को भी सत्यापित करता है, जिससे ग्राहकों और अन्य हितधारकों के लिए आश्वासन का एक अतिरिक्त स्तर जुड़ जाता है।

हां। सभी प्रमुख खाता ग्राहकों से मासिक ग्राहक संतुष्टि रिपोर्ट ली जाती है। इसके अलावा, गोदामों जैसे सर्विसिंग पॉइंट पर मासिक आधार पर सेवा प्रदर्शन फीडबैक लिया जाता है। इसके अलावा, ग्राहक फीडबैक फॉर्म सेल की वेबसाइट https://www.sail-steel.com/cust_enq/feedback.jsp. पर भी उपलब्ध है। उत्पाद (अर्थात् गुणवत्ता, आयामी टोलरेंस, सतह की फिनिश और पैकिंग) और सेवा की गुणवत्ता (अर्थात् डिलीवरी ऑर्डर जारी करने से संबंधित सेवा, पूछताछ, क्रेडिट नोट जारी करना, गोदाम में ट्रक के आने में लगने वाला समय) के संबंध में ऑनलाइन फीडबैक लिया जाता है।



सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एशिया (एसआर एशिया)
(आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित)

यूनीक आईडीः एसआरए/आईपीआरएएस/003/2024

स्वतंत्र अभ्यासकर्ताओं का औचित्य आश्वासन कथन

प्रेसित
निदेशक एवं प्रबंधन
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
इस्पात भवन, लोधी रोड़,
नई दिल्ली – 110003, भारत

एसआर एशिया एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो स्थिरता और आश्वासन सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है और कई देशों में मौजूद है। हम अनुसंधान, सीएसआर परियोजना कार्यान्वयन, विकास परियोजनाओं, परियोजना प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों, एकीकृत और स्थिरता रिपोर्टिंग, ईएसजी रिपोर्टिंग, क्षमता निर्माण और तृतीय–पक्ष आश्वासन सेवाओं के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। एसआर एशिया को अकाउंटेबिलिटी यूके द्वारा लाइसेंस प्राप्त है।

कार्य का क्षेत्र

एसआर एशिया को सेल ('कंपनी') द्वारा सेबी परिपत्र (सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–एसईसी–2/पी/सीआईआर/2023/122) दिनांक 12 जुलाई 2023 के अनुसार 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की रिपोर्टिंग अवधि के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) कोर अनुलग्नक–I (जिसे 'आश्वासित स्थिरता सूचना' (एएसआई–1) कहा गया है) में स्थिरता प्रकटीकरण का एक स्वतंत्र आश्वासन देने के लिए नियुक्त किया गया था।

हमने इस बात पर उचित आश्वासन दिया है कि क्या बीआरएसआर कोर (अनुलग्नक–1) में कंपनी के स्थिरता प्रकटीकरण रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार तैयार किए गए हैं (नीचे दी गई तालिका देखें)।

'आश्वासित स्थिरता सूचना' (आईएस) जो आश्वासन के अधीन है	आश्वासन के अधीन अवधि	रिपोर्टिंग मापदण्ड
बीआरएसआर कोर (अनुलग्नक 1 देखें)	01.04.2023 से 31.03.2024	– सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर प्रारूप और बीआरएसआर कोर के लिए मार्दर्शन बीआरएसआर कोर के लिए मार्गदर्शन नोट – भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ (सेबी एलओडीआर) का विनियमन 34 (2) (च)

सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एशिया (एसआर एशिया)

(आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित)

यूनीक आईडीः एसआरए/आईपीआरएएस/003/2024

इस कार्य में कंपनी में दस्तावेज़ीकरण और सूचना प्रणाली की समीक्षा करके रिपोर्टिंग सीमा, सिस्टम और प्रक्रियाओं को समझना, परियोजना आरंभ बैठक, आश्वासन पद्धति साझा करना, परिपक्वता विश्लेषण, बीआरएसआर कोर डेटा की ऑनलाइन समीक्षा, संकेतक अनुसार अंतर विश्लेषण रिपोर्ट और समापन बैठक शामिल थी।

यह सहभागिता आश्वासन चिकित्सकों, इंजीनियरों, पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं के पेशेवरों सहित एक बहु–विषयक टीम द्वारा आयोजित की गई थी।

हम वित्त वर्ष 2023–24 के लिए बीआरएसआर रिपोर्ट में शामिल किसी भी अन्य जानकारी या स्थिरता सूचना से या वार्षिक रिपोर्ट 2024 से जुड़ी किसी भी विज्ञापन, दावे, चित्र, ऑडियो फ़ाइल या एम्बेडेड वीडियो सहित किसी भी अन्य जानकारी के संबंध में आश्वासन राय व्यक्त नहीं करते हैं।

मूल्यांकन मानदंड और संदर्भ

हमने अपना सहभागिता आश्वासन सहभागिता पर अंतर्राष्ट्रीय मानक (आईएसएई) 3000 (संशोधित) के अनुसार आयोजित की।

हमने बीआरएसआर कोर मापदंडों पर एक उचित आश्वासन सहभागिता की है और 03.09.2024 को एक स्वतंत्र आश्वासन कथन जारी किया है। एसआर एशिया अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईक्यूएमएस), गुणवत्ता प्रबंधन फर्मों को लागू करता है जो गैर–वित्तीय विवरणों की ऑडिट या समीक्षा करते हैं, या आईएएएसबी द्वारा जारी अन्य आश्वासन या संबंधित सेवा अनुबंध करते हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता की स्वतंत्रता और अन्य नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

प्रयोजन या उद्देश्य

एएसआई और हमारा उचित आश्वासन कथन उन उपयोगकर्ताओं के लिए है, जिन्हें बीआरएसआर कोर विशेषताओं, रिपोर्टिंग मानदंडों और रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक संबंधित संदर्भों का उचित ज्ञान है।

कंपनी का प्रबंधन इसके लिए अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है और समझता हैः

- बीआरएसआर रिपोर्ट की तैयारी के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों को डिजाइन करना, लागू करना और बनाए रखना जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हो।
- रिपोर्टिंग से संबंधित लागू कानूनों और विनियमों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार मुख्य पहलुओं की पहचान, हितधारकों के साथ जुड़ाव, सामग्री, तैयारी और प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार करने के लिए उपयुक्त मानदंडों का चयन या स्थापना करना।
- प्रासंगिक रिपोर्ट/विवरण तैयार करने के लिए प्रयुक्त लागू मानदंडों का प्रकटीकरण।
- रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार डेटा और आंकड़ों को तैयार करना/उचित रूप से गणना करना।
- सुनिश्चित करना कि रिपोर्टिंग मानदंड प्रासंगिक स्पष्टीकरण के साथ इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो।



- व्यक्तिपरक लक्ष्य, उद्देश्य और अन्य प्रदर्शन मापदंड स्थापित करना, और ऐसे लक्ष्य, उद्देश्य और प्रदर्शन मापदंड प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करना।
- रिपोर्ट में प्रकटीकरण का स्वामित्व लेने वाले प्रबंधन कर्मियों का विवरण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार।
- कानून, विनियमन या लागू अनुबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- परिस्थितियों में उचित निर्णय और अनुमान लगाना।
- रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार आश्वासन के अधीन सूचना के मापन या मूल्यांकन में किसी भी अंतर्निहित सीमाओं की पहचान करना और उनका वर्णन करना।
- धोखाधड़ी को रोकना और उसका पता लगाना।
- बीआरएसआर रिपोर्ट की सामग्री का चयन करना, जिसमें इच्छित उपयोगकर्ताओं की पहचान करना और उनकी सूचना आवश्यकताओं को समझने के लिए उनके साथ जुड़ना शामिल है।
- बीआरएसआर रिपोर्ट के साथ शामिल की जाने वाली अन्य जानकारी के बारे में हमें सूचित करना।

आश्वासन कथन तैयार करने में अंतर्निहित सीमाएँ

कंपनी की बीआरएसआर सूचना तैयार करने के लिए प्रबंधन को वस्तुनिष्ठ लक्ष्य निर्धारित करने या आधारभूत डेटा के संबंध में मानदंड की व्याख्या करने, शामिल की जाने वाली सूचना की प्रासंगिकता के बारे में निर्धारण करने तथा रिपोर्ट की गई सूचना को प्रभावित करने वाले अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है।

- आश्वासन टीम ने बीआरएसआर और राउरकेला स्टील प्लांट, कॉर्पोरेट कार्यालय दिल्ली और क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता के बीआरएसआर कोर डेटा की ऑनलाइन समीक्षा की।
- कार्बन उत्सर्जन निकालते समय, कंपनी ने डबल्युएसए उत्सर्जन कारक और आंतरिक रूप से व्युत्पन्न उत्सर्जन कारक का उपयोग किया है।
- जीएचजी डेटा और जीएचजी उत्सर्जन के अलावा अन्य डेटा को मोटे तौर पर पांच एकीकृत स्टील प्लांट (भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, आईआईएससीओ, राउरकेला) के लिए रिपोर्ट किया गया था।
- जीएचजी लेखांकन प्रक्रिया आईएसओ 14064–1/2/3 वर्ष 2018/19 के अनुसार मानकीकृत नहीं है। डेटा की वैधता स्थापित नहीं की जा सकी क्योंकि जीएचजी डेटा एक्सेल प्रारूपों में समान रूप से एकत्र, संकलित और रिपोर्ट नहीं किए गए थे।
- कुछ मापदंडों या डेटा बिंदुओं और बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स का मापन, उपयोग किए जाने वाले परिमाणीकरण मॉडल, मान्यताओं या डेटा रूपांतरण कारक में सीमाओं के अधीन है या परिणामों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा के अनुमान में मौजूद हो सकता है। हमारी राय का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उचित साक्ष्य प्राप्त करना उपरोक्त सीमाओं को कम नहीं करता है।

सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एशिया (एसआर एशिया)
(आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित)

यूनीक आईडीः एसआरए/आईपीआरएएस/003/2024

हमारी जिम्मेदारियाँ

हम निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैं:

- बीआरएसआर कोर में स्थिरता प्रकटीकरण पर उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए कार्य की योजना बनाना और उसका पालन करना। बीआरएसआर कोर या सहायक दस्तावेजों में मौजूद सभी त्रुटियों, चूक या गलत बयानों का पता लगाने के लिए इस स्वतंत्र कथन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
- हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं और हमारे द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एक स्वतंत्र राय बनाना, और सेल के निदेशकों को हमारी उचित आश्वासन राय को रिपोर्ट करना।
- सेल के निदेशकों को हमारी उचित आश्वासन राय की रिपोर्ट करना।
- एसआर एशिया इस आश्वासन कथन के आधार पर किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा लिए जाने वाले किसी भी निर्णय के लिए किसी भी दायित्व या सह–जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है।

अपवर्जन

- हमारे आश्वासन के क्षेत्र में में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं और इसलिए हम निम्नलिखित पर कोई राय व्यक्त नहीं करेंगे:
- एएसआई–1 के अलावा डेटा/सूचना (गुणात्मक या मात्रात्मक)।
- परिभाषित रिपोर्टिंग अवधि के बाहर डेटा और जानकारी, अर्थात 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक।
- कंपनी द्वारा प्रदान की गई राय, विश्वास, आकांक्षा, अपेक्षा, उद्देश्य या भविष्य के उद्देश्यों की अभिव्यक्ति का वर्णन करने वाले कथन।

हमारी राय के आधार के रूप में हमारे द्वारा किए गए कार्य का सारांश

हमने पेशेवर निर्णय लिया और पूरे जुड़ाव के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखा।

हमने अपने उचित आश्वासन की राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित किया।

उचित आश्वासन राय

हमने उचित आश्वासन के अधीन सूचना से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ हासिल की ताकि ऐसी प्रक्रियाएँ डिज़ाइन की जा सकें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों लेकिन आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं। अपने कार्य को पूरा करने में, हमने:

- उचित आश्वासन जानकारी तैयार करने में कंपनी द्वारा डेटा और प्रकटीकरण का मूल्यांकन किया।



- उचित आश्वासन के अधीन सूचना की तैयारी में उपयोग की जाने वाली रिपोर्टिंग नीतियों, परिमाणीकरण विधियों और कंपनी द्वारा किए गए अनुमानों की उचितता का मूल्यांकन किया; और
- उचित आश्वासन के अधीन सूचना की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन किया।

स्वतंत्रता, निष्पक्षता और क्षमता का कथन

एसआर एशिया इस बात की पुष्टि करता है कि आश्वासनकर्ता टीम और ग्राहकों के बीच कोई ऐसा संबंध नहीं है जो मूल्यांकन करने और कथन तैयार करने के लिए उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। आश्वासनकर्ता टीम को अपनी निष्पक्षता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष आश्वासन प्रोटोकॉल और पेशेवर नैतिक आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है। हमने आश्वासन कार्य शुरू करने से पहले नियुक्ति से पूर्व एक मूल्यांकन किया ताकि कार्य के जोखिमों के साथ–साथ टीम की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सत्यापित किया जा सके। आश्वासनकर्ता टीम के सदस्यों को बीआरएसआर कोर, आईएसओ 26000, आईएसएई 3000 मानकों और सिद्धांतों का ज्ञान है, और एनवीजीआरबीसी के विभिन्न रिपोर्टिंग विनियमों, मानकों और सिद्धांतों के आधार पर स्थिरता रिपोर्ट मूल्यांकन में अनुभव है।

एएसआई–1
बीआरएसआर कोर मैट्रिक्स

आश्वासित स्थिरता सूचना	आश्वासन का प्रकार
पी6 ई1– कुल ऊर्जा खपत का विवरण (जूल या गुणकों में)	उचित
पी6 ई1– कुल ऊर्जा तीव्रता का विवरण	उचित
पी6 ई3– स्रोत द्वारा जल निकासी का विवरण	उचित
पी6 ई4– निस्सृत जल का विवरण	उचित
पी6 ई3– जल खपत का विवरण	उचित
पी6 ई7– ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का विवरण (स्कोप 1)	उचित
पी6 ई7– ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का विवरण (स्कोप 2)	उचित
पी6 ई7– ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2) तीव्रता का विवरण	उचित
पी6 ई9– अपशिष्ट की श्रेणी के अनुसार उत्पन्न अपशिष्ट से संबंधित विवरण	उचित
पी6 ई9– पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त अपशिष्ट से संबंधित विवरण	उचित
पी6 ई9– निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाए गए अपशिष्ट से संबंधित विवरण	उचित

SR Asia sustainability defined

सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एशिया (एसआर एशिया)

(आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित)

यूनीक आईडीः एसआरए/आईपीआरएएस/003/2024

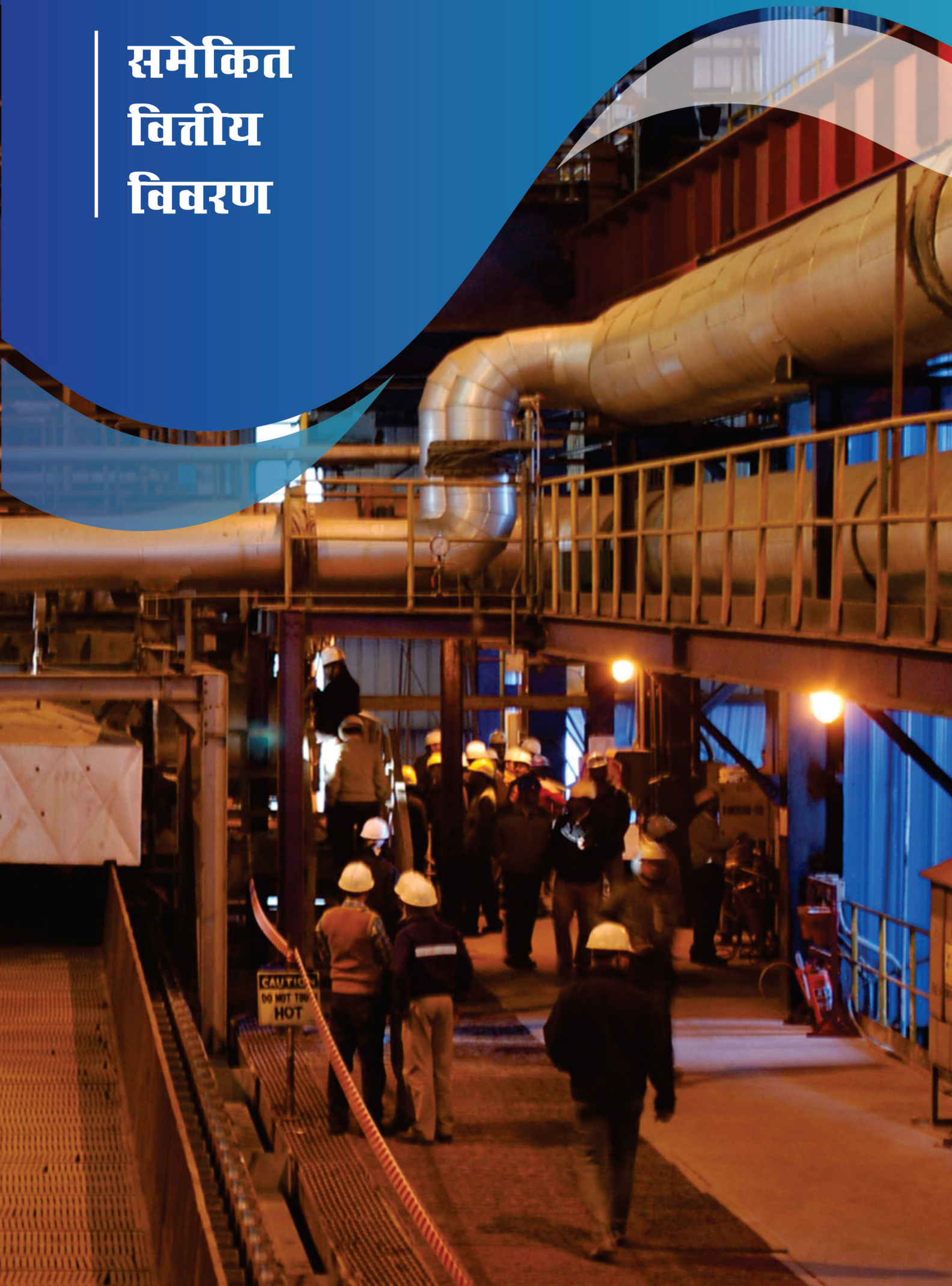
पी3 ई11– चोट की आवृत्ति दर, रिकॉर्ड करने योग्य कार्य–संबंधी चोटों सहित सुरक्षा संबंधी दुर्घटनाओं की संख्या	उचित
पी9 ई7– कुल डेटा उल्लंघनों या साइबर सुरक्षा घटनाओं के प्रतिशत के रूप में ग्राहकों के डेटा की हानि/उल्लंघन से जुड़े मामले	उचित
पी5 ई7– कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत दर्ज की गई शिकायतें, जिनमें रिपोर्ट की गई शिकायतें, महिला कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शिकायतें और सही पाई गई शिकायतें शामिल हैं	उचित
पी1 ई9– व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के ऋण और अग्रिमों तथा संबंधित पक्षों के साथ निवेश के साथ की गई खरीद और बिक्री का संकेन्द्रण (खरीद, बिक्री, ऋण और अग्रिमों और निवेशों में आरपीटी का हिस्सा)	उचित
पी1 ई8– देय खातों के दिनों की संख्या	उचित
पी8 ई5– छोटे शहरों में रोजगार सृजन	उचित
पी3 ई1ग– कर्मचारियों और श्रमिकों की कल्याण के उपायों पर खर्च – कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में वहन की गई लागत	उचित
पी5 ई3ख– भुगतान किए गए श्रम के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को दिया जाने वाला सकल वेतन	उचित
पी8 ई4 – कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त इनपुट सामग्री – सीधे एमएसएमई/छोटे उत्पादकों और भारत के अंदर से प्राप्त	उचित



बीरेंद्र रतूड़ी
निदेशक/टीम लीड
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एशिया (एसआर एशिया)
दिनांकः 3 सितंबर 2024
स्थानः नई दिल्ली भारत


CAUTION
DO NOT TOUCH
HOT

समेकित वित्तीय विवरण





स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च 2024 को

(₹ करोड़)

	नोट सं.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
संपत्तियां			
गैर चालू संपत्तियां			
(क) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4	**65415.07**	67110.71
(ख) पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	5	**6140.57**	4891.36
(ग) संपत्ति को प्रयोग करने का अधिकार	4a	**5521.19**	4910.28
(घ) निवेश संपत्ति	6	**0.99**	1.03
(ड़) अमूर्त संपत्ति	7	**1488.86**	1521.04
(च) इक्विटी विधि को प्रयोग करने के लिए निवेश		**4278.55**	3967.50
(छ) माल सूचीयां	7a	**4625.29**	4635.29
(ज) वित्तीय संपत्तियां			
(i) निवेश	8	**310.47**	217.75
(ii) व्यापार प्राप्य	9	**-**	-
(iii) ऋण	10	**877.37**	655.26
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	**444.96**	370.73
(झ) वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)	13	**374.78**	595.49
(झ) अन्य गैर–चालू संपत्तियां	14	**3092.79**	3614.01
		92570.89	**92490.45**
चालू संपत्तियां			
(क) माल सूचीयां	15	**32721.45**	27764.90
(ख) वित्तीय संपत्तियां			
(i) व्यापारिक प्राप्य	16	**8355.37**	5389.97
(ii) नकदी और नकदी समकक्ष	17 (i)	**69.38**	57.09
(iii) उक्त (ii) के अलावा बैंक बैलेंस	17 (ii)	**603.57**	493.55
(iv) ऋण	18	**28.31**	35.29
(v) अन्य वित्तीय संपत्तियां	19	**1369.07**	1229.83
(ग) आयकर संपत्ति		**433.11**	-
(घ) अन्य चालू सपंत्तियां	20	**4542.32**	2990.73
		48122.58	**37961.36**
बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां	21	**15.11**	29.28
कुल संपत्तियां		**140708.58**	**130481.09**
इक्विटी और देयता			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	22	**4130.53**	4130.53
(ख) अन्य इक्विटी	23	**52970.69**	50616.14
(ग) गैर–नियंत्रित ब्याज		**0.01**	0.01
		57101.23	**54746.68**
देनदारियां			
गैर चालू देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	24	**9568.21**	6112.58
(ika) लीज देनदारियां		**5235.25**	4737.13
(ii) व्यापार देय	25		
(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		**-**	-
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के बकाया देय के अतिरिक्त क्रेडिटरों का कुल बकाया देय		**6.07**	3.31
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	26	**1449.99**	1429.00
(ख) प्रावधान	27	**5737.42**	5616.63
(ग) आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)	12	**6285.50**	5821.27
(घ) अन्य गैर चालू देनदारियां	28	**1860.49**	2680.21
		30142.93	**26400.13**
चालू देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	29	**21032.76**	19549.20
(ika) लीज देनदारिया		**486.43**	374.52
(ii) व्यापार देय	30		
(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		**498.06**	448.62
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के बकाया देय के अतिरिक्त क्रेडिटरों का कुल बकाया देय		**14834.33**	13893.08
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	31	**10543.57**	10150.20
(ख) अन्य चालू देनदारियां	32	**4565.97**	3533.85
(ग) प्रावधान	33	**1294.11**	1381.68
(घ) चालू कर देनदारियां (शुद्ध)	34	**209.19**	3.13
		53464.42	**49334.28**
कुल इक्विटी और देनदारियां		**140708.58**	**130481.09**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	3		

संलग्न नोट इन समेकित वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए/तरफ से

(एम.बी. बालाकृष्णन)
कंपनी सचिव
एम.नं. ए17770

(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08896653

उक्त तिथि को हमारी रिपोर्ट के संबंध में

वॉकर चांडियोक एण्ड कम्पनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. 001076एन/एन500013

(नलिन जैन)
पार्टनर
एम.नं. 503498

जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 006569सी/डब्ल्यु100892

(देवेन्द्र उपाध्याय)
पार्टनर
एम.नं. 076727

एस पी ए आर के एंड एसोसिएट्स अकाउंटेंटस एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 005313सी/सी400311

(निलेश गुप्ता)
पार्टनर
एम.नं. 406020

विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.
005826सी/सी400276

(विनोद कुमार सिंघल)
पार्टनर
एम.नं. 074391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 20 मई, 2024

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

लाभ और हानि का समेकित विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

(₹ करोड़)

	नोट सं.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
आय			
संचालन से आय	35	**105378.33**	104447.72
अन्य आय	36	**1066.96**	950.36
कुल आय		**106445.29**	**105398.08**
व्यय			
उपयोग की गई सामग्री की लागत	37	**57709.26**	62179.91
तैयार माल, प्रगतिरत कार्य और उप–उत्पादों की सूची में परिवर्तन	38	**(3354.77)**	(5154.71)
कर्मचारी लाभ व्यय	39	**11765.72**	12071.53
वित्त लागत	40	**2473.86**	2037.47
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		**5278.37**	4963.54
अन्य व्यय	41	**28108.81**	27311.56
कुल व्यय		**101981.25**	**103409.30**
असाधारण मदों से पहले लाभ, इक्विटी विधि का उपयोग और कर से प्राप्त निवेश के शुद्ध लाभ का हिस्सा		**4464.04**	**1988.78**
इक्विटी पद्धति का उपयोग करने से प्राप्त निवेश में लाभ का हिस्सा		**438.61**	645.67
असाधारण मदों और कर से पहले लाभ		**4902.65**	**2634.45**
जमा / (घटा): असाधारण आइटम	41क	**(840.84)**	257.99
कर देने से पूर्व लाभ		**4061.81**	**2892.44**
कर व्यय			
चालू कर		**612.79**	125.47
आस्थगित कर		**382.35**	590.44
कुल कर व्यय		**995.14**	715.91
इस साल का मुनाफा		**3066.67**	**2176.53**
अन्य व्यापक आय			
क (i) आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन		**(196.64)**	(634.43)
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट इक्विटी उपकरणों में निवेश से लाभ और हानि		**73.90**	66.94
अन्य		**0.00**	0.00
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		**0.55**	128.39
ख (i) आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			
सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के ओसीआई का हिस्सा इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है		**29.65**	139.98
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		**-**	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि)		**(92.54)**	(299.12)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		**2974.13**	**1877.41**
निम्न के कारण होने वाला वाला लाभ			
पैरेंट के स्वामी		**3066.67**	2176.53
अनियंत्रित ब्याज		**-**	-
		3066.67	**2176.53**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय			
माता–पिता के स्वामी		**2974.13**	1877.41
अनियंत्रित ब्याज		**-**	-
		2974.13	**1877.41**
प्रति इक्विटी शेयर आय			
इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)		**4130525289**	4130525289
प्रति शेयर मूल और विभाजित आय (₹ में)	41ख	**7.42**	5.27
सामग्री लेखांकन नीतियां	3		

संलग्न नोट इन समेकित वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए/तरफ से

(एम.बी. बालाकृष्णन)
कंपनी सचिव
एम.नं. ए17770

(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष
डीआईएन: 08896653

उक्त तिथि को हमारी रिपोर्ट के संबंध में

वॉकर चांडियोक एण्ड कम्पनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. 001076एन/एन500013

(नलिन जैन)
पार्टनर
एम.नं. 503498

जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 006569सी/डब्ल्यु100892

(देवेन्द्र उपाध्याय)
पार्टनर
एम.नं. 076727

एस पी ए आर के एंड एसोसिएट्स अकाउंटेंटस एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 005313सी/सी400311

(निलेश गुप्ता)
पार्टनर
एम.नं. 406020

विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.
005826सी/सी400276

(विनोद कुमार सिंघल)
पार्टनर
एम.नं. 074391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 20 मई, 2024



स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
समेकित इक्विटी में परिवर्तन के विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

(₹ करोड़)

क. इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

विवरण	1 अप्रैल, 2023 को शेष	इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2024 को शेष
मतदान अधिकार के साथ इक्विटी शेयर	4130.42	-	4130.42
मतदान अधिकार के बिना साथ इक्विटी शेयर	0.11	-	0.11
कुल	**4130.53**	**-**	**4130.53**

विवरण	1 अप्रैल, 2022 को शेष	इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2023 को शेष
मतदान अधिकार के साथ इक्विटी शेयर	4130.42	-	4130.42
मतदान अधिकार के बिना साथ इक्विटी शेयर	0.11	-	0.11
कुल	**4130.53**	**-**	**4130.53**

ख. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष					अन्य व्यापक आय-आरक्षित		कुल अन्य इक्विटी	अनियंत्रित ब्याज	कुल
	संपत्ति कोष	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य रिजर्व	बांड मोचन रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	इक्विटी विधि के रूप में लेखा जोखा किया गया निवेश			
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	511.67	235.10	5112.67	373.71	43863.48	152.48	367.03	50616.14	0.01	50616.15
इस साल का मुनाफा	-	-	-	-	3066.67	-	-	3066.67	-	3066.67
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (कर का शुद्ध)	-	-	-	-	(179.18)	56.99	29.65	(92.54)	-	(92.54)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**2887.49**	**56.99**	**29.65**	**2974.13**	**-**	**2974.13**
बांड मोचन रिजर्व से स्थानांतरण	-	-	-	(249.93)	249.93	-	-	-	-	-
जनरल रिजर्व में स्थानांतरण	-	-	2.02	-	(2.02)	-	-	-	-	-
मालिकों के साथ मालिकों की हैसियत से लेन-देन										
इक्विटी लाभांश	-	-	-	-	(619.58)	-	-	(619.58)	-	(619.58)
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**511.67**	**235.10**	**5114.69**	**123.78**	**46379.30**	**209.47**	**396.68**	**52970.69**	**0.01**	**52970.70**
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	511.67	235.10	5110.90	530.97	43364.60	100.86	227.05	50081.15	0.01	50081.16
इस साल का मुनाफा	-	-	-	-	2176.53	-	-	2176.53	-	2176.53
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (कर का शुद्ध)	-	-	-	-	(490.72)	51.62	139.98	(299.12)	-	(299.12)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**1685.81**	**51.62**	**139.98**	**1877.41**	**-**	**1877.41**
बांड मोचन रिजर्व से स्थानांतरण	-	-	-	(157.26)	157.26	-	-	-	-	-
जनरल रिजर्व में स्थानांतरण			1.77		(1.77)	-	-	-	-	-
मालिकों के साथ मालिकों की हैसियत से लेन-देन										
इक्विटी लाभांश	-	-	-	-	(1342.42)	-	-	(1342.42)	-	(1342.42)
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**511.67**	**235.10**	**5112.67**	**373.71**	**43863.48**	**152.48**	**367.03**	**50616.14**	**0.01**	**50616.15**

संलग्न नोट इन समेकित वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए/तरफ से

(एम.बी. बालाकृष्णन)
कंपनी सचिव
एम.नं. ए17770

(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08896653

उक्त तिथि को हमारी रिपोर्ट के संबंध में

वॉकर चांडियोक एण्ड कम्पनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. 001076एन/एन500013

(नलिन जैन)
पार्टनर
एम.नं. 503498

जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 006569सी/डब्ल्यु100892

(देवेन्द्र उपाध्याय)
पार्टनर
एम.नं. 076727

एस पी ए आर के एंड एसोसिएट्स अकाउंटेंटस एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 005313सी/सी400311

(निलेश गुप्ता)
पार्टनर
एम.नं. 406020

विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.
005826सी/सी400276

(विनोद कुमार सिंघल)
पार्टनर
एम.नं. 074391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 20 मई, 2024

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

(₹ करोड़)

		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
क.	**परिचालन गतिविधियों से नदकी प्रवाह**		
	कर देने से पूर्व लाभ	**4061.81**	2892.44
	इसके लिए समायोजन:		
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**5278.37**	4963.54
	हानि क्षति	**-**	9.10
	अचल संपत्तियों के निपटान पर हानि/(शुद्ध)	**(130.00)**	(49.50)
	ब्याज से आय	**(316.52)**	(290.07)
	लाभांश से आय	**(5.52)**	(5.15)
	वित्त लागत	**2473.86**	2037.47
	संदिग्ध ऋणों, ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान	**63.07**	116.47
	अन्य प्रावधान	**149.27**	239.40
	संयुक्त उद्यम से लाभ का हिस्सा	**(438.61)**	(645.67)
	दावा न किए गए शेष और अतिरिक्त प्रावधान जो वापस लिखे गए	**(471.71)**	(405.03)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	**10664.02**	**8863.00**
	संपत्ति और देनदारियों में परिवर्तन		
	व्यापार प्राप्तियां	**(2999.24)**	(718.04)
	ऋण, अन्य वित्तीय संपत्तियां और अन्य संपत्तियां	**(1422.58)**	(797.69)
	देय व्यापार	**993.45**	(2334.69)
	अन्य वित्तीय देनदारियां और अन्य देनदारियां	**980.98**	(1295.79)
	प्रावधान	**(163.42)**	(150.68)
	सूची	**(5038.74)**	(8434.91)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के बाद परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**3014.47**	**(4868.80)**
	भुगतान किया गया आयकर (शुद्ध)	**(103.59)**	(421.35)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क)	**2910.88**	**(5290.15)**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य सहित) और अमूर्त वस्तुओं की खरीद	**(4710.69)**	(3921.64)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री/निपटान से प्राप्त आय	**503.16**	399.55
	चालू और गैर–चालू निवेशों की खरीद	**(254.60)**	(55.90)
	प्राप्त ब्याज	**196.07**	201.86
	प्राप्त हुआ लाभांश	**5.52**	5.15
	निवेश गतिविधियों से प्रयुक्त शुद्ध नकदी (ख)	**(4260.54)**	**(3370.98)**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	लंबी अवधि के उधार से प्राप्त आय	**5000.00**	-
	दीर्घकालिक उधारों का पुनर्भुगतान	**(2494.93)**	(1278.57)
	अल्पकालिक उधार से आय/(चुकौती) (शुद्ध)	**2434.12**	13554.70
	पट्टे की देनदारियां	**(801.03)**	(267.07)
	वित्त लागत का भुगतान	**(2156.63)**	(2079.96)
	प्रदान किया गया लाभांश	**(619.58)**	(1342.42)
	वित्त पोषण गतिविधियों में उत्पन्न शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त) (ग)	**1361.95**	**8586.68**
घ	**नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध परिवर्तन (क+ख+ग)**	**12.29**	(74.45)
	वर्ष की शुरूआत में नकद और नकद समकक्ष	**57.09**	131.54
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष*	**69.38**	**57.09**

* इसमें बैंकों के चालू खातों में शेष राशि, हाथ में चेक और हाथ में स्टाम्प शामिल हैं।

उधार में ₹ 1.72 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 18.71 करोड़) की विदेशी मुद्रा हानि के कारण गैर नकद मद शामिल है।

नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखांकन मानक–7, नकदी प्रवाह विवरण, में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया गया है।

संलग्न नोट इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए/तरफ से

(एम.बी. बालाकृष्णन)
कंपनी सचिव
एम.नं. ए17770

(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08896653

उक्त तिथि को हमारी रिपोर्ट के संबंध में

वॉकर चांडियोक एण्ड कम्पनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. 001076एन/एन500013

(नलिन जैन)
पार्टनर
एम.नं. 503498

जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 006569सी/डब्ल्यु100892

(देवेन्द्र उपाध्याय)
पार्टनर
एम.नं. 076727

एस पी ए आर के एंड एसोसिएट्स अकाउंटेंटस एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 005313सी/सी400311

(निलेश गुप्ता)
पार्टनर
एम.नं. 406020

विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 005826सी/सी400276

(विनोद कुमार सिंघल)
पार्टनर
एम.नं. 074391

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 20 मई, 2024



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

1. कॉर्पोरेट जानकारी

संचालन की प्रकृति

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ('सेल' या 'मूल कंपनी'), भारत सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्राप्त एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसकी सहायक कंपनियाँ (मूल कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को सामूहिक रूप से 'समूह' कहा जाता है), इसके संयुक्त उद्यम और इसकी सहयोगी कम्पनियां देश में मुख्य रूप से इस्पात निर्माण व्यवसाय में लगे हुए हैं।

सामान्य जानकारी और भारतीय लेखा मानक के अनुपालन का विवरण

समूह और संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियों के समेकित वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (भारतीय लेखा मानकों) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) समूह ने प्रस्तुत अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों को समान रूप से लागू किया है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इन समेकित वित्तीय विवरणों ('वित्तीय विवरण') को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा 20 मई, 2024 को आयोजित उनकी बैठक में जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

क) समग्र विचार

समेकित वित्तीय विवरण नीचे संक्षेपित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा माप आधारों का उपयोग करके तैयार किए गए हैं, जिन्हें प्रस्तुत अवधि के दौरान समान रूप से लागू किया गया था:

तैयारी का आधार

समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार के अंतर्गत चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित परिसंपत्तियों तथा देनदारियों के जिन्हें प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताओं के अनुसार उचित मूल्य पर मापा गया है:

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियाँ तथा देनदारियाँ जिन्हें लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है;
- बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ, वहन राशि तथा उचित मूल्य में से कम पर बिक्री लागत घटाई गई;
- परिभाषित लाभ योजनाएँ–योजना परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य पर मापी गईं।

समेकन का आधार

सहायक कंपनियां

सहायक कंपनियाँ वे सभी इकाइयाँ (संरचित इकाइयाँ सहित) हैं जिन पर समूह का नियंत्रण होता है। समूह किसी इकाई को तब नियंत्रित करता है जब समूह इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनशील रिटर्न का जोखिम होता है या उसके पास अधिकार होते हैं और इकाई की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की अपनी शक्ति के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सहायक कंपनियाँ उस तिथि से पूरी तरह समेकित हो जाती हैं जिस दिन नियंत्रण समूह को हस्तांतरित किया जाता है। वे उस तिथि से विसंकलित हो जाती हैं जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अवधि के दौरान अधिग्रहित या निपटाए गए सहायक कंपनियों के लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय ('ओसीआई') को अधिग्रहण की प्रभावी तिथि से, या निपटान की प्रभावी तिथि तक, जैसा भी लागू हो, मान्यता दी गई है। सभी समेकित सहायक कंपनियों की रिपोर्टिंग तिथि 31 मार्च, 2021 है।

समूह मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को संपत्ति, देनदारियों, इक्विटी, आय और व्यय की मदों को एक साथ जोड़कर लाइन के आधार पर समेकित करता है। समूह कंपनियों के बीच लेन–देन पर अंतर–कंपनी लेनदेन, शेष राशि और अप्राप्त लाभ को समाप्त कर दिया गया है। अवास्तविक घाटे को भी समाप्त कर दिया गया है, जब तक कि लेन–देन हस्तांतरित परिसंपत्ति की हानि का सबूत न दे। समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ संगतता सुनिश्चित करने के लिए सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों को जहाँ आवश्यक हो, बदला गया है।

इक्विटी के हिस्से के रूप में प्रस्तुत गैर–नियंत्रक हित, सहायक कंपनी के लाभ और हानि और शुद्ध परिसंपत्तियों के विवरण के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समूह द्वारा नहीं रखा गया है। लाभ/(हानि) और ओसीआई के प्रत्येक घटक को मूल कंपनी के इक्विटी धारकों और गैर–नियंत्रक हितों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, भले ही इसके परिणामस्वरूप गैर–नियंत्रक हितों में घाटा शेष हो। समूह मूल कंपनी के मालिकों और गैर–नियंत्रक हितों के बीच सहायक कंपनियों की कुल व्यापक आय या हानि को उनके संबंधित स्वामित्व हितों के आधार पर प्रदर्शित करता है।

समूह गैर–नियंत्रित हित वाले लेन–देन को समूह के इक्विटी मालिकों के साथ लेन–देन के रूप में मानता है, जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण की हानि नहीं होती है। स्वामित्व हित में इस तरह के बदलाव के परिणामस्वरूप सहायक कंपनी में उनके सापेक्ष हितों को दर्शाने के लिए नियंत्रण और गैर–नियंत्रक हितों की वहन राशि के बीच समायोजन होता है। गैर–नियंत्रक हितों के समायोजन की राशि और भुगतान या प्राप्त किसी भी प्रतिफल के बीच के किसी भी अंतर को इक्विटी के अंतर्गत मान्यता दी गई है।

सहयोगी और संयुक्त उद्यम

सहयोगी उद्यम

ऐसी इकाई में निवेश जिसमें महत्वपूर्ण प्रभाव मौजूद है, लेकिन कोई नियंत्रक हित नहीं है, इक्विटी पद्धति के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है, अर्थात निवेश को शुरू में लागत पर दर्ज किया जाता है, जिसमें अधिग्रहण के समय उत्पन्न होने वाली किसी भी ख्याति/पूंजी रिजर्व की पहचान की जाती है, जैसा भी मामला हो, जो निवेश में निहित होगी। निवेश की वहन राशि उसके बाद निवेशिती की शुद्ध परिसंपत्तियों के हिस्से में अधिग्रहण के बाद के परिवर्तन के लिए समायोजित की जाती है, जहाँ समूह की लेखांकन नीतियों के साथ संगतता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, समायोजित की जाती है। लाभ और हानि के समेकित विवरण में निवेशिती के संचालन के परिणामों में समूह का हिस्सा शामिल है। सहयोगी उद्यमों से प्राप्त या प्राप्य लाभांश को निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में पहचाना जाता है। समूह और सहयोगियों के बीच लेन–देन पर अवास्तविक लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं।

संयुक्त उद्यम

संयुक्त व्यवस्थाओं में निवेश को संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था की कानूनी संरचना के बजाय प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों पर निर्भर करता है।

- **संयुक्त उद्यम –** संयुक्त उद्यम में ब्याज को आरंभ में लागत पर मान्यता दिए जाने के पश्चात इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखाबद्ध किया जाता है। निवेश की अग्रणीत राशि को उसके पश्चात निवेशिती की शुद्ध परिसंपत्तियों के हिस्से में अधिग्रहण के पश्चात परिवर्तन के लिए समायोजित किया जाता है, जिसे समूह की लेखा नीतियों के साथ संगति सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो, समायोजित किया जाता है। लाभ और हानि के समेकित विवरण में निवेशिती के परिचालनों के परिणामों में समूह का हिस्सा शामिल होता है। संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्य लाभांश को निवेश की अग्रणीत राशि में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है। समूह और संयुक्त उद्यमों के बीच लेन–देन पर अवास्तविक लाभ को इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त कर दिया जाता है।
- **संयुक्त संचालन –** समूह संयुक्त संचालन की परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्ययों पर अपने प्रत्यक्ष अधिकार और संयुक्त रूप से धारित या व्यय की गई किसी भी परिसंपत्ति, देनदारियों, राजस्व और व्यय में अपने हिस्से को मान्यता देता है। इन्हें उपयुक्त शीर्षक के अंतर्गत वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है।

  जब इक्विटी–लेखा निवेश में समूह का घाटा हिस्सा इकाई में उसके हित के बराबर या उससे अधिक होता है, जिसमें कोई अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य शामिल हैं, तो समूह तब तक आगे घाटे को मान्यता नहीं देता है, जब तक कि उसने अन्य इकाई की ओर से दायित्व नहीं लिया हो या भुगतान नहीं किया हो।

ख) व्यावसायिक संयोजन

समूह व्यावसायिक संयोजनों के लिए लेखांकन में अधिग्रहण पद्धति को लागू करता है। किसी सहायक कंपनी का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए समूह द्वारा हस्तांतरित प्रतिफल की गणना अधिग्रहण तिथि पर हस्तांतरित परिसंपत्तियों के उचित मूल्यों, वहन की गई देनदारियों और समूह द्वारा जारी इक्विटी हितों के योग के रूप में की जाती है, जिसमें आकस्मिक प्रतिफल व्यवस्था से उत्पन्न किसी भी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य शामिल होता है। अधिग्रहण लागतों को व्यय के रूप में व्यय किया जाता है।

पहचान योग्य अर्जित परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ तथा किसी व्यावसायिक संयोजन में ग्रहण की गई आकस्मिक देनदारियाँ अधिग्रहण तिथि पर उनके उचित मूल्यों पर शुरू में मापी जाती हैं।

शुरुआत में ख्याति को लागत पर मापा जाता है, जो हस्तांतरित प्रतिफल और गैर–नियंत्रक हितों के लिए मान्यता प्राप्त राशि, और किसी भी पिछले हित के योग से अधिक होती है, जो अर्जित शुद्ध पहचान योग्य परिसंपत्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों से अधिक होती है। यदि अर्जित शुद्ध परिसंपत्तियों का उचित मूल्य हस्तांतरित कुल प्रतिफल से अधिक है, तो सौदेबाजी खरीद पर परिणामी लाभ को OCI में मान्यता दी जाती है और पूंजी आरक्षित के रूप में इक्विटी में संचित किया जाता है। हालांकि, यदि सौदेबाजी खरीद का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, तो इकाई लाभ को बिना इसे ओसीआई के माध्यम से रूट किए सीधे इक्विटी में पूंजी रिजर्व के रूप में मान्यता देती है।

जहां नकद प्रतिफल के किसी भी हिस्से का निपटान स्थगित किया जाता है, भविष्य में देय राशि को विनिमय की तिथि के अनुसार उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है। उपयोग की जाने वाली छूट दर समूह की वृद्धिशील उधार दर है, जो वह दर है जिस पर समान शर्तों और शर्तों के अंतर्गत एक स्वतंत्र वित्तपोषक से समान उधार प्राप्त किया जा सकता है।

आकस्मिक प्रतिफल को इक्विटी या वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत राशि को बाद में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन के साथ उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है।

सामान्य नियंत्रण के अंतर्गत संस्थाओं या व्यवसायों को शामिल करने वाले व्यावसायिक संयोजनों को ब्याज की पूलिंग पद्धति का उपयोग करके हिसाब में लिया गया है। संयोजन करने वाली संस्थाओं की संपत्ति और देनदारियों को उनकी वहन राशि पर दर्शाया गया है। लेखांकन नीतियों को सुसंगत बनाने के लिए किए गए परिवर्तनों को छोड़कर उचित मूल्यों को दर्शाने या किसी भी नई संपत्ति या देनदारियों को पहचानने के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है।

ग) चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

समूह चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रस्तुत करता है। किसी परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह:

- सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद हो;
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर प्राप्त होने की उम्मीद हो; या
- नकद या नकद समतुल्य जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विनिमय या देयता का निपटान करने के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एक देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब:

- इसे सामान्य परिचालन चक्र में निपटान किए जाने की उम्मीद हो;
- इसे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा गया हो;
- इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर निपटान किया जाना है; या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देनदारियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन चक्र प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी और नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच का समय होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर–चालू परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.1 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो समूह की कार्यात्मक मुद्रा है। ₹ में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को करोड़ के निकटतम दो दशमलव तक पूर्णांकित किया गया है, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।



2.2 अनुमानों, मान्यताओं और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानक और समूह की लेखा नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन को अनुमान, मान्यताएँ और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर रिपोर्ट की गई आय, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा और साथ में प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। निर्णयों, अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधनों को भावी रूप से मान्यता दी जाती है। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

3 महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसी के बारे में जानकारी

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में लगातार लागू किया गया है।

3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

3.1.1 मान्यता और माप

समूह ने 1 अप्रैल, 2015 (परिवर्तन तिथि) को मान्यता प्राप्त अपनी संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के वहन मूल्य को जारी रखने का विकल्प चुना है, जिसे पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है और उस वहन मूल्य को भारतीय लेखा मानक 101 के पैरा D7AA के अनुसार संक्रमण तिथि पर अपनी मानी गई लागत के रूप में इस्तेमाल किया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को मिलेंगे और इसकी लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। यह मान्यता सिद्धांत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए शुरू में किए गए खर्चों पर लागू होता है। वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या/और आपूर्ति में या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, लागत पर दर्शाए गए हैं, जिसमें से संचित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो, घटाई गई है। अर्जित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की नकद मूल्य समतुल्यता पर आरंभिक लागत में आयात शुल्क, गैर–वापसी योग्य खरीद कर, परिसंपत्तियों को उसकी कार्यशील स्थिति और स्थान पर लाने की कोई भी प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागत और उसके इच्छित उपयोग के लिए किसी भी अनिवार्य डीकमीशनिंग लागत के चालू मूल्य सहित उसका क्रय मूल्य शामिल है।

निर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड्स का आवंटन, प्रत्यक्ष रूप से आरोपित उधार लागत शामिल हैं।

परीक्षण की लागत, यदि कोई हो, पर परीक्षण के दौरान उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय की अधिकता को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत के भाग के रूप में मानी जाने वाली प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागतों से घटाया जाएगा। एक वर्ष से अधिक के उपयोगी जीवन वाले और प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य वाले पुर्जों को उपयोग के लिए उपलब्ध होने पर संबंधित शीर्षों के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाता है। जहाँ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु में अलग–अलग उपयोगी जीवन वाले प्रमुख घटक शामिल होते हैं, इन घटकों को अलग–अलग मदों के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

पूंजीगत कार्य–प्रगति में उत्पादन और/या माल या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए निर्माण के दौरान संपत्तियाँ शामिल होती हैं, जिन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त हानि को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। उस बिंदु पर जब कोई संपत्ति प्रबंधन द्वारा इच्छित रूप से संचालित होती है, तो निर्माण की लागत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयुक्त श्रेणी में स्थानांतरित कर दी जाती है। किसी संपत्ति के चालू होने से जुड़ी लागतों को पूंजीकृत किया जाता है, जहाँ संपत्ति प्रबंधन द्वारा इच्छित रूप से उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को निपटान पर या जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ होने की उम्मीद नहीं होती है, तब उसे मान्यता से हटा दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के निपटान या सेवानिवृत्ति पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

परिसमापन क्षतियों के दावों का हिसाब तब लगाया जाता है जब उन्हें समूह द्वारा वसूली योग्य माना जाता है।

यदि निर्माण कार्य किसी सहमत तिथि तक पूरा नहीं होता है, या यदि परिसंपत्ति अनुबंध में उल्लिखित कुछ प्रदर्शन या अन्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, तो कुछ निर्माण समझौते निर्माणाधीन परिसंपत्ति के लिए ठेकेदार द्वारा समूह को परिसमाप्त क्षति के भुगतान का प्रावधान करते हैं।

परिसमापन क्षति देरी या अपेक्षित प्रदर्शन से कम के साथ जुड़ी कंपनियों की लागत के उचित अनुमान के लिए प्रतिपूर्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ठेकेदार से समूह द्वारा प्राप्त भुगतान को निर्माण की जा रही परिसंपत्ति की लागत में कमी माना जाता है, इस सीमा तक परिसमापन क्षति ठेकेदार के उल्लंघन के परिणामस्वरूप समूह द्वारा उठाए गए प्रत्यक्ष और वृद्धिशील लागतों की प्रतिपूर्ति है जो परिसंपत्ति में जमा की जाती है।

उपरोक्त के अलावा अन्य मामलों में, परिसमापन क्षति के लिए दावा लाभ और हानि के विवरण में जमा किया जाता है।

मूल्य वृद्धि के लिए आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के दावों का हिसाब इस सीमा तक रखा जाता है जिस सीमा तक दावे समूह द्वारा स्वीकार किए जाते हैं।

3.1.2 अनुवर्ती लागत

उत्तरवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है या उचित रूप से एक अलग परिसंपत्ति के रूप में केवल तभी मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि किए गए खर्च से प्राप्त भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को मिलेंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित मद(दों) की वहन राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की 50 लाख रुपये या उससे अधिक की किसी भी मरम्मत को संबंधित मद की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना हो कि किए गए खर्च के भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को मिलेंगे। प्रतिस्थापित मद(दों) की वहन राशि को अमान्य कर दिया गया है।

3.2 मूल्यह्रास

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति की लागत के 5 प्रतिषत के अवशिष्ट मूल्य पर विचार करते हुए, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट अनुसार, परिसंपत्ति की निम्नलिखित श्रेणी के मामले को छोड़कर, जहां उपयोगी जीवन तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

सम्पत्ति वर्गीकरण	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में)
फैक्ट्री बिल्डिंग	35 से 40
प्लांट और मशीनरी	10 से 40
जलापूर्ति और सीवरेज	25 से 40
रेलवे लाइन और साइडिंग	35 से 40

इन श्रेणियों की परिसंपत्तियों के लिए, बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, समूह का मानना है कि ऊपर दिए गए उपयोगी जीवन उस अवधि को सबसे अच्छी तरह दर्शाते हैं, जिसके दौरान समूह इन परिसंपत्तियों का उपयोग करने की उम्मीद करता है। इसलिए, इन परिसंपत्तियों के लिए उपयोगी जीवन, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग ग के अंतर्गत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हैं।

स्वामित्व वाली भूमि का मूल्यह्रास नहीं माना गया है।

मूल्य ह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की प्रत्येक वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है, जिसमें अनुमानों में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को भावी आधार पर ध्यान में रखा जाता है।

जहां किसी मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्ति की ऐतिहासिक लागत में परिवर्तन होता है, वहां संशोधित अपरिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति के अवशिष्ट उपयोगी जीवन पर प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान जोड़ने/हटाने पर मूल्यह्रास जोड़ने/हटाने के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है। 5000/– रुपये तक की लागत वाली परिसंपत्तियों का उस वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यह्रास किया जाता है, जिसमें उनका उपयोग किया जाता है।

पूंजीगत अतिरिक्त वस्तुओं पर मूल्यह्रास अतिरिक्त वस्तु के उपयोगी जीवन काल या मूल परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन काल, जैसा कि पुनर्मूल्यांकित किया गया हो, जो भी कम हो, पर लगाया जाता है।

3.3 अमूर्त संपत्तियाँ

समूह ने 1 अप्रैल, 2015 (संक्रमण तिथि) को मान्यता प्राप्त अपनी अमूर्त संपत्तियों के वहन मूल्य को जारी रखने का चुनाव किया है, जिसे पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है और उस वहन मूल्य को भारतीय लेखा मानक 101 के पैरा D7AA के अनुसार परिवर्तन तिथि पर अपनी मानी गई लागत के रूप में उपयोग किया है।

खनन अधिकार

खनन अधिकारों को अमूर्त संपत्ति माना जाता है और उनसे संबंधित सभी लागतों को वाणिज्यिक रूप से वसूली योग्य भंडारों पर उत्पादन आधार की इकाई का उपयोग करके परिशोधित किया जाता है। यदि खनन अधिकारों का नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो भुगतान की गई शेष संबंधित लागत को गैर–नवीनीकरण के निर्णय के वर्ष में राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

अधिग्रहण लागत अर्थात लाइसेंस के अधिग्रहण से जुड़ी लागत, और संबंधित पेशेवर शुल्क सहित अन्वेषण के अधिकार, वैधानिक वानिकी मंजूरी के लिए भुगतान, जब भी खर्च किया जाता है, खनन अधिकारों के अतिरिक्त माना जाता है।

अन्य अमूर्त संपत्तियाँ

अन्य अमूर्त संपत्तियों को लाभ की अपेक्षित अवधि पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है। सॉफ्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को अमूर्त परिसंपत्ति माना जाता है और पांच वर्ष की अवधि या उसके लाइसेंस अवधि, जो भी कम हो, पर परिशोधित किया जाता है।

अनुसंधान और विकास

विकास व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और संबंधित परिसंपत्ति और प्रक्रिया समूह अनुसंधान द्वारा पहचाने जाने योग्य और नियंत्रित हैं और अन्य विकास व्यय को राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

3.3.1 अनुवर्ती लागत

अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह उस विशिष्ट परिसंपत्ति में निहित भविष्य के आर्थिक लाभों को बढ़ाता है जिससे यह संबंधित है। अन्य सभी व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.3.2 अमूर्त परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर या जब उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है, तब मान्यता रद्द कर दी जाती है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने से होने वाले लाभ या हानि, शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापी जाती है, जब परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त हो जाती है, तो लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

3.4 स्ट्रिपिंग लागत

सतही खदान के उत्पादन चरण के दौरान होने वाली स्ट्रिपिंग लागत को खनन परिसंपत्ति के एक घटक के रूप में मान्यता दी गई है, यदि ऐसी लागत भविष्य की अवधि में अयस्क तक बेहतर पहुंच के संदर्भ में लाभ प्रदान करती है और निम्नलिखित मानदंड पूरे होते हैं:

- यह संभावना है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ (अयस्क निकाय तक बेहतर पहुंच) इकाई को मिलेंगे,
- इकाई अयस्क निकाय के उस घटक की पहचान कर सकती है जिसके लिए पहुंच में सुधार किया गया है, और
- उस घटक तक बेहतर पहुंच से संबंधित लागतों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

खदानों के लिए पांच वर्षीय खनन योजना के अनुसार स्ट्रिपिंग अनुपात के आधार पर अयस्क तक पहुंचने के लिए किए जाने वाले व्यय को राजस्व में लगाया जाता है, सिवाय खानों के जो परियोजना रिपोर्ट पर आधारित है।

3.5 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

समूह प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर अपनी परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करता है, ताकि हानि संकेतकों का पता लगाया जा सके, यदि कोई हो, तो पूरे एक संयंत्र की परिसंपत्तियों को नकद उत्पादक इकाई (सीजीयू) के रूप में माना जाता है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है, जो शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य में से अधिक है। जब भी किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी



वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो हानि को मान्यता दी जाती है।

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर यह निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि पहले मान्यता प्राप्त हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो समूह परिसंपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। पहले मान्यता प्राप्त हानि को केवल तभी उलट दिया जाता है जब पिछली हानि मान्यता प्राप्त होने के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाओं में कोई बदलाव हुआ हो।

3.6 उधार लेने की लागत

योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण से सीधे संबंधित उधार लेने की लागत, जिसमें पर्याप्त समय लगता है, उस परिसंपत्ति की लागत के एक हिस्से के रूप में पूंजीकृत की जाती है, उस अवधि के दौरान जो परिसंपत्ति को पूरा करने और उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक होती है। उधार लेने की लागत में विनिमय अंतर भी शामिल होता है, जिसे उधार लेने की लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

समूह बारह महीने या उससे अधिक की अवधि को पर्याप्त समय अवधि मानता है।

दीर्घकालिक उधार के संबंध में लेन–देन की लागत को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके संबंधित ऋणों की अवधि में परिशोधित किया जाता है और उधार लेने की लागत में शामिल किया जाता है। अन्य सभी उधार लेने की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें ये खर्च किए जाते हैं।

3.7 इन्वेंटरी

कच्चे माल, स्टोर और स्पेयर और तैयार/अर्ध–तैयार उत्पाद (प्रक्रिया स्क्रैप सहित) का मूल्यांकन संबंधित संयंत्रों/इकाइयों की वस्तुओं की लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है। पहचाने गए अप्रचलित/अतिरिक्त/स्थायी वस्तुओं के मामले में, आवश्यक प्रावधान किया जाता है और राजस्व में जोड़ा जाता है। अर्ध–तैयार विशेष उत्पादों का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जिसका केवल तैयार चरण में ही वसूली योग्य मूल्य होता है, लागत के साथ तुलना के उद्देश्य से अनुमानित किया जाता है।

अमूर्त उप–उत्पाद, अवशेष उत्पाद और अन्य स्क्रैप का मूल्यांकन अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

लागत निर्धारित करने का आधार निम्न प्रकार से है:

कच्चा माल – गतिशील भारित औसत लागत

लघु कच्चा माल – गतिशील भारित औसत लागत

भंडार और पुर्जे – गतिशील भारित औसत लागत

पारगमन में सामग्री – लागत पर

समूह की कैप्टिव खदानों में समय के साथ उत्पन्न उप–ग्रेड लौह अयस्क फाइन्स और टेलिंग्स को क्रमशः 01.04.2019 और 01.04.2020 से इन्वेंट्री के रूप में माना गया है और इसे अमूर्त उप–उत्पादों के रूप में मानते हुए खातों की पुस्तकों में मूल्य निर्धारित किए गए हैं।

डी–सिल्टेड टेलिंग्स (स्लाइम) को टेलिंग्स में निहित लौह अयस्क की प्रतिशत मात्रा की सीमा तक इन्वेंटरी के रूप में माना गया है और मान्यता के वर्ष में कम लागत में से लाभकारी शुल्क घटाकर और शुद्ध प्राप्त करने योग्य मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

बीएफ स्लैग में निहित लौह स्क्रैप की लागत की गणना हॉट मेटल की परिवर्तनीय लागत के 75 प्रतिशत में से मान्यता के वर्ष में स्क्रैप के निष्कर्षण की लागत घटाकर की गई है और इसका मूल्यांकन आइटम की लागत और शुद्ध प्राप्त करने योग्य मूल्य में से कम पर किया गया है। एलडी स्लैग में समाहित स्टील स्क्रैप की लागत की गणना क्रूड स्टील की परिवर्तनीय लागत के 75 प्रतिशत में से मान्यता के वर्ष में स्क्रैप के निष्कर्षण की लागत घटाकर की गई है और इसका मूल्यांकन आइटम की लागत और शुद्ध प्राप्त करने योग्य मूल्य में से कम पर किया गया है।

तैयार/अर्ध–तैयार उत्पाद खरीद की लागत, रूपांतरण की लागत और उन्हें उनके संबंधित वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में हुए विनिर्माण ओवरहेड्स लागतों का अन्य उचित हिस्सा शामिल है।

3.8 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब मान्यता दी जाती है जब यह उचित आश्वासन हो कि समूह उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगा और अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उन अवधियों में मान्यता दी जाती है जिसमें समूह उन संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देता है जिनकी भरपाई करना अनुदान का उद्देश्य है। जहां अनुदान किसी परिसंपत्ति के मूल्य से संबंधित है, उसे आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है, और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है। अन्य अनुदानों को लाभ और हानि विवरण में उन व्ययों के साथ मान्यता दी गई है जिनसे ऐसे अनुदान संबंधित हैं/जिन्हें कवर करने का उद्देश्य है।

जहां समूह को गैर–मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है, परिसंपत्ति और अनुदान को उचित मात्रा में सकल रूप से दर्ज किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ के उपभोग के पैटर्न और अपेक्षित उपयोगी जीवन पर आय विवरण में जारी किया जाता है।

3.9 विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा लेनदेन लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके समूह की कार्यात्मक मुद्रा में अनुवादित किए जाते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दरों पर पुनः अनुवादित किया जाता है।

गैर–मौद्रिक मदों को अवधि के अंत में पुनः अनुवादित नहीं किया जाता है और उन्हें ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है (लेनदेन की तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग करके अनुवादित), उचित मूल्य पर मापी गई गैर–मौद्रिक मदों को छोड़कर, जिन्हें उचित मूल्य निर्धारित किए जाने की तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग करके अनुवादित किया जाता है।

समूह ने 31 मार्च, 2009 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानक–11 (संशोधित) से संबंधित कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम, 2009 के अनुरूप दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों के लेखांकन का विकल्प चुना (जैसा कि 29 दिसंबर, 2011 को संशोधित किया गया), जो 31 मार्च, 2016 तक सभी पूर्व–मौजूदा दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के लिए भारतीय लेखा मानक 101 के अनुसार जारी रहेगा। तदनुसार, 31 मार्च, 2016 से पहले लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए, मूल्यह्रास योग्य अचल संपत्तियों के कारण दीर्घकालिक मौद्रिक मदों से संबंधित विनिमय

दर भिन्नताओं से उत्पन्न समायोजन के लिए पूंजीकरण किया जाता है। 31 मार्च 2016 के बाद लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए, दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के निपटान या अनुवाद पर उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

3.10 कर्मचारी लाभ

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना एक रोजगार–पश्चात लाभ योजना है जिसके अंतर्गत समूह एक अलग इकाई को निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। परिभाषित अंशदान लाभ योजनाओं के लिए भुगतान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी योगदान के लिए पात्र होते हैं। पेंशन फंड के लिए अंशदान उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है जब फंड में अंशदान देय होता है।

परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजनाएँ लाभ की वह राशि है जो किसी कर्मचारी को सेवा की अवधि, अंतिम आहरित वेतन या ऐसे लाभों से संबंधित प्रत्यक्ष लागतों के संदर्भ में सेवाओं के पूरा होने पर प्राप्त होगी। ऐसे लाभों के लिए कानूनी और/या रचनात्मक दायित्व समूह के पास रहता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए मान्यता प्राप्त देयता रिपोर्टिंग तिथि पर परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है जिसमें योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है, साथ ही अपरिचित बीमांकिक लाभ या हानि और पिछली सेवा लागतों के लिए समायोजन भी शामिल है। प्रबंधन, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक स्वतंत्र एक्चुअरी द्वारा मूल्यांकन के माध्यम से डीबीओ के वर्तमान मूल्य का वार्षिक अनुमान लगाता है। बीमांकिक लाभ और हानि को वर्ष के लाभ और हानि विवरण या अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है।

पुनर्मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि, परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन का प्रभाव (यदि लागू हो) और योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज को छोड़कर) शामिल है, बैलेंस शीट में उस अवधि में अन्य व्यापक आय में मान्य प्रभारित या क्रेडिट के साथ परिलक्षित होता है जिसमें वे घटित होते हैं। अन्य व्यापक आय में मान्य पुनर्मापन तुरंत प्रतिधारित आय में परिलक्षित होता है और इसे लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ में वेतन, बोनस, अनुग्रह राशि, वार्षिक अवकाश और बीमारी अवकाश जैसी कर्मचारी लागतें शामिल होती हैं जो उस वर्ष में अर्जित होती हैं जिसमें समूह के कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देनदारियों को संबंधित सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अपेक्षित लाभों की छूट रहित राशि पर मापा जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर किए गए व्यय को तुरंत लाभ–हानि विवरण में शामिल कर लिया जाता है।

3.11 राजस्व मान्यता

समूह स्टील और अन्य उत्पादों की एक श्रृंखला का निर्माण और बिक्री करता है।

माल की बिक्री

बिक्री में माल और सेवा कर (जीएसटी), छूट और मूल्य रियायतें शामिल नहीं हैं। बिक्री को तब मान्यता दी जाती है जब यह वादा किए गए माल या सेवाओं (अर्थात परिसंपत्तियों) को ग्राहकों को हस्तांतरित करके प्रदर्शन दायित्व को पूरा करता है और ग्राहक उन वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। जहां सरकारी एजेंसियों के साथ अनुबंध की कीमतें अंतिम रूप से तय नहीं की जाती हैं, वहां बिक्री का लेखा अनंतिम आधार पर किया जाता है। भारतीय रेलवे को आपूर्ति की गई रेल के मामले में, बिक्री का लेखा रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंतिम मूल्य के आधार पर किया जाता है। हालाँकि, इसके अभाव में, बिक्री को समूह के पास उपलब्ध नवीनतम मूल्य पर माना जाता है, अर्थात रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनंतिम मूल्य, या मुख्य सलाहकार–लागत के कार्यालय द्वारा अनुशंसित उचित मूल्य, या संयुक्त मूल्य निर्धारण समिति (जेपीसी) द्वारा अनुशंसित मूल्य।

समुद्री निर्यात बिक्री को निम्न के आधार पर किया जाता है:

i) बिल ऑफ लैडिंग जारी करने पर, या

ii) लेकेन अवधि की समाप्ति पर निर्यात बिलों का मोलभाव, ऐसे मामलों में जहां शिपमेंट के बिना सामग्री मूल्य की प्राप्ति संबंधित अनुबंधों के क्रेडिट पत्र में प्रदान की जाती है, जो भी पहले हो।

अन्य परिचालन आय

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहनों को 'अन्य परिचालन आय' के रूप में मान्यता दी जाती है, जब प्रोत्साहन प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है और इसकी प्राप्ति अत्यधिक संभावित मानी जाती है।

अन्य आय

ब्याज और लाभांश आय

ब्याज आय बकाया मूल राशि और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में समय अनुपात के आधार पर अर्जित की जाती है।

ग्राहकों से विलंबित प्राप्ति पर ब्याज का हिसाब तब लगाया जाता है, जब प्राप्ति की निश्चितता होती है और इसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है, जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

3.12 पट्टे

अनुबंध की शुरुआत में, समूह यह आकलन करता है कि अनुबंध पट्टा है या नहीं, या इसमें पट्टा शामिल है या नहीं, जो इस आधार पर होता है कि क्या अनुबंध किसी मान्य की गई परिसंपत्ति के उपयोग के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है।



पट्टेदार के रूप में समूह

समूह, बारह महीने या उससे कम अवधि के अल्पकालिक पट्टों और ऐसे पट्टों को छोड़कर, जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है, पट्टे की अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में सीधे आधार पर व्यय किए जाते हैं, पट्टे की शुरुआत की तारीख पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टे की देयता को मान्यता देता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि, साथ ही कोई भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को नष्ट करने और हटाने या अंतर्निहित परिसंपत्ति या जिस साइट पर यह स्थित है, उसे पुनर्स्थापित करने की लागत का अनुमान शामिल है, जिसमें प्राप्त किसी भी पट्टे प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास उसके बाद सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए आरंभ तिथि से उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की समाप्ति या पट्टे की अवधि की समाप्ति तक किया जाता है। कुछ पट्टे व्यवस्थाओं में पट्टे की अवधि बढ़ाने के विकल्प शामिल होते हैं। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और पट्टे की देनदारियों में ये विकल्प शामिल होते हैं, जब यह यथोचित रूप से निश्चित होता है कि उनका प्रयोग किया जाएगा। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के समान ही निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की समय–समय पर हानि के संकेतकों के लिए समीक्षा की जाती है और क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाया जाता है और पट्टे की देनदारी के कुछ पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है।

पट्टे की देनदारी को शुरू में पट्टे के भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जो आरंभ तिथि पर भुगतान नहीं किए जाते हैं, पट्टे में निहित ब्याज दर के आधार पर छूट दी जाती है या यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो समूह की वृद्धिशील उधार दर के आधार पर निर्धारित की जाती है।

पट्टे की देनदारी को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसे तब फिर से मापा जाता है जब सूचकांक या दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भावी पट्टा भुगतानों में परिवर्तन होता है, यदि अवशिष्ट मूल्य गारंटी के अंतर्गत देय होने वाली अपेक्षित राशि के समूह के अनुमान में परिवर्तन होता है, या यदि समूह अपने मूल्यांकन को बदलता है कि वह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगा या नहीं।

जब पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है, तो उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहन राशि में एक संगत समायोजन किया जाता है, या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहन राशि शून्य हो गई है, तो इसे लाभ या हानि में दर्ज किया जाता है।

पट्टादाता के रूप में समूह

वित्तीय पट्ट

पट्टे जो पट्टेदार को पट्टे पर दी गई वस्तु के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से हस्तांतरित करते हैं, उन्हें वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और हिसाब में लिया जाता है। पट्टे के किराये की प्राप्तियों को निहित रिटर्न दर के आधार पर वित्त आय और पूंजी पुनर्भुगतान के बीच विभाजित किया जाता है। आकस्मिक किराए को उस अवधि में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे अर्जित किए जाते हैं।

परिचालन पट्टे

पट्टे जिसमें समूह किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करता है, उसे परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संबंधित पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर बैलेंस शीट में शामिल किया जाता है। किराये की आय को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर पहचाना जाता है, सिवाय इसके कि जहां किराए में अनुसूचित वृद्धि समूह को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागतों के साथ क्षतिपूर्ति करती है।

3.13 बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

समूह एक गैर–चालू परिसंपत्ति को बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत करता है यदि इसकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। यह शर्त तभी पूरी मानी जाती है जब परिसंपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना हो।

बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत बंद परिचालनों सहित गैर–चालू परिसंपत्तियों को वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री की लागत घटाकर मापा जाता है और वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत होने के बाद, वे मूल्यह्रास या परिशोधन के अधीन नहीं होती हैं।

बिक्री या बंद परिचालनों के पुनर्मापन से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में एकल पंक्ति मद के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

3.14खान बंद करना

खान बंद करने के प्रावधान में बुनियादी ढांचे को तोड़ना और ध्वस्त करना, अवशिष्ट सामग्रियों को हटाना और खदानों के लिए अशांत क्षेत्रों का उपचार करना शामिल है। यह प्रावधान सभी विनियामक आवश्यकताओं और सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर संबंधित अनुमानित लागत पर आधारित है। खदान बंद करने की लागत लेखांकन अवधि में प्रदान की जाती है जब संचालन के जीवन और बंद होने के बाद होने वाली बहाली की अनुमानित भविष्य की लागतों के शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर दायित्व उत्पन्न होता है।

3.15प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ

प्रावधान तब माना जाता है जब समूह के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप चालू दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जहाँ धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण होता है। सभी प्रावधानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभों को किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की उम्मीद होती है, तो प्राप्य को एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह लगभग निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्य की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

आकस्मिक दायित्व अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होने वाला एक संभावित दायित्व है और जिसका अस्तित्व केवल

एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्टि होगी जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं हैं या चालू दायित्व जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्वों की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में जहां चालू दायित्व के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों के संभावित बहिर्वाह को असंभव या दूर की बात माना जाता है, कोई प्रावधान मान्यता प्राप्त नहीं है या प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

आकस्मिक संपत्तियां

आकस्मिक संपत्तियां आमतौर पर अनियोजित या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं जो आर्थिक लाभों के अंतर्वाह की संभावना को जन्म देती हैं। आकस्मिक संपत्तियों को मान्यता प्राप्त नहीं है और उनका प्रकटीकरण केवल तभी किया जाता है जब आर्थिक लाभों का अंतर्वाह संभावित हो।

3.16 आयकर

लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कर व्यय में आस्थगित कर और चालू कर का योग शामिल होता है, सिवाय उस सीमा के जब कर उन मदों से संबंधित होता है जिन्हें सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) या इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जिस स्थिति में संबंधित कर को सीधे ओसीआई या इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

वर्तमान आयकर को भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। समूह चालू कर परिसंपत्तियों और चालू कर देनदारियों को तब ऑफसेट करता है जब ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद होता है और उन्हें शुद्ध रूप से निपटाने या एक साथ वसूलने का इरादा होता है।

आस्थगित आयकर की गणना बैलेंस शीट देयता पद्धति/उपागम का उपयोग करके की जाती है। आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पूर्ण रूप से मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि अंतर्निहित कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट या कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग भविष्य की कर योग्य आय के विरुद्ध किया जाएगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर की जाती है और उसे इस सीमा तक घटा दिया जाता है कि अब यह संभव नहीं रह जाता है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या आंशिक भाग का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस वर्ष लागू होने की उम्मीद है जब परिसंपत्ति का एहसास होता है या देयता का निपटान किया जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होती है।

समूह आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब ऑफसेट करता है जब चालू कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद होता है और उन्हें एक साथ निपटाने या वसूलने का उद्देश्य होता है।

3.17 वित्तीय उपकरण

मान्यता, प्रारंभिक माप और मान्यता रद्द करना

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह उपकरण के संविदात्मक प्रावधानों का पक्ष बन जाता है और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या जारी करने के लिए सीधे जिम्मेदार लेन–देन लागत, सिवाय उन लोगों के जो आरंभ में लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत हैं, प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के साथ समायोजित की जाती हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द कर दी जाती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या स्थानांतरित हो जाते हैं, और समूह ने स्वामित्व के सभी पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार स्थानांतरित कर दिए हैं। वित्तीय देयता (या आंशिक वित्तीय देयता) की मान्यता उस समय रद्द कर दी जाती है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व समाप्त हो जाता है या छोड़ दिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और बाद में मापन

बाद में मापन के उद्देश्य से, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एफवीटीपीएल को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के लिए समीक्षा के अधीन हैं।

परिशोधित लागत

यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, तो एक वित्तीय परिसंपत्ति को प्रभावी ब्याज दरों का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

क) वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंदर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना है; और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं।

समूह की नकदी और नकदी समकक्ष, व्यापार प्राप्य और अधिकांश अन्य प्राप्य वित्तीय साधनों की इस श्रेणी में आते हैं।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों में वे वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या जो कारोबार के लिए रखे गए इक्विटी उपकरण हैं या जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं और प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामित हैं। सभी व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण भी इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी की परिसंपत्तियों को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं जहां कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है।



एफवीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एफवीटीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियाँ या तो ऋण उपकरण हैं जिन्हें होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल बिज़नेस मॉडल के अंतर्गत प्रबंधित किया जाता है या वे गैर–व्यापारिक इक्विटी उपकरण हैं जिन्हें इस श्रेणी में अपरिवर्तनीय रूप से नामित किया जाता है।

एफवीटीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। ब्याज और लाभांष आय, हानि हानि और मौद्रिक परिसंपत्तियों पर विदेशी मुद्रा अंतर को छोड़कर, लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त अन्य व्यापक आय में लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण और बाद में मापन

वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है, सिवाय ट्रेडिंग के लिए रखे गए या FVTPL पर नामित वित्तीय देनदारियों के, जिन्हें बाद में लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर ले जाया जाता है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का लेखा एफवीटीपीएल पर किया जाता है।

निहित डेरिवेटिव

कुछ हाइब्रिड वित्तीय देयता अनुबंधों में डेरिवेटिव और गैर–डेरिवेटिव दोनों घटक होते हैं। ऐसे मामलों में, डेरिवेटिव घटक को निहित डेरिवेटिव कहा जाता है, जिसमें गैर–डेरिवेटिव घटक होस्ट वित्तीय देयता अनुबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यदि निहित डेरिवेटिव की आर्थिक विशेषताएं और जोखिम होस्ट अनुबंध से निकटता से संबंधित नहीं हैं और अनुबंध को स्वयं एफवीटीपीएल पर नहीं मापा जाता है, तो निहित डेरिवेटिव को विभाजित किया जाता है और उचित मूल्य पर रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताओं पर शुद्ध लाभ (हानि) में लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है। होस्ट वित्तीय देयता का लेखा–जोखा उपयुक्त भारतीय लेखा मानक के अनुसार किया जाता है।

उचित मूल्य माप

समूह अपने वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को उनके मूल्यांकन में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर निम्नलिखित पदानुक्रम में वर्गीकृत करता है:

i) **स्तर 1:** सक्रिय बाजारों में उद्धृत वित्तीय साधनों का उचित मूल्य बैलेंस शीट तिथि पर उनके उद्धृत समापन मूल्य पर आधारित होता है।

ii) **स्तर 2:** सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य, अवलोकनीय बाजार डेटा का उपयोग करके मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। ऐसी मूल्यांकन तकनीकों में छूट प्राप्त नकदी प्रवाह, ब्याज दरों, उपज वक्र या विदेशी मुद्रा दरों के लिए बाजार मापदंडों पर आधारित मानक मूल्यांकन मॉडल, समान साधनों के लिए डीलर उद्धरण और तुलनीय आर्म्स लेंथ लेनदेन का उपयोग शामिल है।

iii) **स्तर 3:** वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य जो कि ऐसे इनपुट का उपयोग करके इकाई–विशिष्ट मूल्यांकन के आधार पर मापा जाता है जो अवलोकनीय बाजार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं होते हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, समूह परिशोधित लागत पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करता है।

ईसीएल अनुबंध के अनुसार समूह को मिलने वाले सभी संविदात्मक नकदी प्रवाह और सभी नकदी प्रवाह के बीच भारित औसत अंतर है।

व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य को शुरू में विनिमय की गई राशियों के आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार किसी भी हानि को घटाकर परिशोधित लागत पर मान्यता दी जाती है।

वित्तीय उपकरणों का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को बैलेंस शीट में रिपोर्ट की गई शुद्ध राशि के साथ तभी समायोजित किया जाता है, जब मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद हो और शुद्ध आधार पर निपटान करने या परिसंपत्ति को वसूलने और देयता को एक साथ निपटाने का उद्देश्य हो। कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए और इसे व्यवसाय के सामान्य क्रम में और प्रतिपक्ष के डिफ़ॉल्ट, दिवालियापन या दिवालियापन की स्थिति में लागू किया जाना चाहिए।

3.18सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगी कम्पनियों और इक्विटी उपकरणों में निवेश

सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश को भारतीय लेखा मानक–27, 'अलग वित्तीय विवरण' के अनुसार समूह के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लागत घटाकर संचित हानि, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

इक्विटी उपकरण में निवेश, जहां समूह ने अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऐसे उपकरणों को वर्गीकृत करने का विकल्प चुना है, उन्हें अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से पीएण्डएल में राशियों का पुनर्चक्रण नहीं हुआ है। हालाँकि, समूह इक्विटी के अंदर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकता है। ऐसे निवेशों पर लाभांश को लाभ या हानि में मान्यता दी गई है जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

3.19खंड रिपोर्टिंग

खंडों की पहचान इस आधार पर की जाती है कि मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता ('सीओडीएम') किस तरह से संसाधन आवंटन के बारे में निर्णय लेता है और प्रदर्शन की समीक्षा करता है। सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड परिणामों में सीधे खंड से संबंधित आइटम शामिल होते हैं और साथ ही वे आइटम भी शामिल होते हैं जिन्हें उचित आधार पर आवंटित किया जा सकता है। खंड पूंजीगत व्यय संपत्ति और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए अवधि के दौरान किया गया कुल खर्च है।

समूह में आठ परिचालन खंड हैं: पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र और तीन मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, जो अलग–अलग विनिर्माण इकाइयाँ होने के कारण, रिपोर्ट करने योग्य परिचालन खंड माने गए हैं। इन परिचालन खंडों की पहचान करने में, प्रबंधन आम तौर पर समूह के अलग–अलग पहचाने जाने योग्य विनिर्माण परिचालनों पर विचार करता है जो इसके मुख्य परिचालनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इनमें से प्रत्येक परिचालन खंड को अलग–अलग प्रबंधित किया जाता है क्योंकि प्रत्येक की प्रौद्योगिकी, कच्चे माल और अन्य संसाधनों के मामले में अलग–अलग आवश्यकताएँ होती हैं। सभी अंतर–खंड हस्तांतरण समान वस्तुओं या सेवाओं की स्टैंडअलोन बिक्री में असंबंधित ग्राहकों से ली गई कीमतों के आधार पर निकटतम कीमतों पर किए जाते हैं।

इसके अलावा, कॉर्पोरेट संपत्ति जो किसी भी ऑपरेटिंग सेगमेंट की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं हैं, उन्हें किसी सेगमेंट में आवंटित नहीं किया जाता है। यह मुख्य रूप से समूह के प्रशासनिक मुख्यालय और खनन कार्यों पर लागू होता है।

रिपोर्ट किए गए सेगमेंट लाभ या हानि का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली माप विधियों में पिछली अवधियों से कोई बदलाव नहीं हुआ है।

3.20 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी धारकों को वर्ष के लिए लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। आंशिक रूप से चुकता शेयरों को चुकता अंश के अनुसार पूर्ण रूप से चुकता समकक्षों के रूप में शामिल किया जाता है।

प्रति शेयर कमजोर आय की गणना भारित औसत संख्या के शेयरों और कमजोर संभावित शेयरों का उपयोग करके की जाती है, सिवाय इसके कि परिणाम कमजोर न हो।

3.21लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय, धारणाएँ और अनुमान

3.21.1 पट्टे

समूह मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टे के योग्य है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। समूह पट्टे की अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय का उपयोग करता है।

3.21.2 समापन और बहाली दायित्व

समापन और बहाली लागत खनन या उत्पादन का सामान्य परिणाम है, और समापन और बहाली व्यय का अधिकांश हिस्सा खदान के बंद होने के बाद के वर्षों में किया जाता है। हालाँकि अंतिम लागत अनिश्चित है, इसलिए समूह संभावना और भविष्य की लागतों के बारे में मान्यताओं के अलावा वैज्ञानिक और कानूनी डेटा और मौजूदा तकनीक की वर्तमान व्याख्या के आधार पर अपनी लागतों का अनुमान लगाता है।

3.21.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता

जिस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जा सकती है, वह समूह की भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी भी कानूनी या आर्थिक सीमा के प्रभाव का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

3.21.4 इन्वेंटरी

समूह सबसे विश्वसनीय साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इन्वेंटरी की लागत का अनुमान लगाता है, जैसे कि उत्पादन की वास्तविक लागत सहित ऐसी इन्वेंटरी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार मानी जाने वाली सामग्रियों और ओवरहेड्स की लागत आदि। प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इन्वेंटरी के शुद्ध वसूली योग्य मूल्यों का भी अनुमान लगाता है। समूह की इन्वेंटरी की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी और वाणिज्यिक निर्णयों की आवश्यकता होती है। इन इन्वेंटरी की भविष्य की प्राप्ति भविष्य की तकनीक या अन्य बाजार–संचालित परिवर्तनों से प्रभावित हो सकती है जिनसे भविष्य की बिक्री कीमतें कम हो सकती हैं।

3.21.5 परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)

कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरें शामिल हैं, साथ ही छूट दरों, चिकित्सा लागत प्रवृत्तियों, भविष्य में वेतन वृद्धि की प्रत्याशा और मुद्रास्फीति दर में भविष्य के विकास से संबंधित मान्यताएँ भी शामिल हैं। समूह का मानना है कि इसके दायित्वों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मान्यताएँ उचित हैं। हालाँकि, इन मान्यताओं में कोई भी परिवर्तन परिणामी गणनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

3.21.6 उचित मूल्य माप

समूह वित्तीय साधनों (जहां सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं) और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें साधन की कीमत तय करने के लिए बाजार सहभागियों के अनुरूप अनुमान और धारणाएँ विकसित करना शामिल है। समूह की धारणाएँ जहाँ तक संभव हो, अवलोकनीय डेटा पर आधारित हैं, अन्यथा उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी पर। अनुमानित उचित मूल्य रिपोर्टिंग तिथि पर एक निकटता के आधार पर लेनदेन में प्राप्त वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकते हैं।

3.21.7 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन भारतीय लेखा मानकों भारतीय लेखा मानक 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ' के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन संभावित नुकसान के जोखिम की संभावना के बारे में प्रबंधन द्वारा सर्वोत्तम निर्णय लागू किया जाता है।

3.21.8 खदान बंद करने और पुन:स्थापन दायित्व

पर्यावरणीय दायित्व और परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति दायित्व (एआरओ): पर्यावरणीय दायित्वों और एआरओ के आकलन के लिए संभाव्यता और भविष्य की लागतों के बारे में मान्यताओं के अलावा वैज्ञानिक और कानूनी डेटा की व्याख्या की आवश्यकता होती है।

3.21.9 मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों (मूर्त और अमूर्त) का उपयोगी जीवन

प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएं वास्तविक सामान्य टूट–फूट से संबंधित हैं जो संयंत्र और उपकरणों की उपयोगिता को बदल सकती हैं।



4: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित ह्रास/परिशोधन/अक्षमता					शुद्ध ब्लॉक
	31 मार्च, 2023 को	जोड़/ समायोजन	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 तक	वर्ष के लिए	निपटारा/ समायोजन	अक्षमता	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 को
क. संयंत्रों, खदानें और अन्य										
भूमि										
-स्वामित्व वाली भूमि	363.53	3.91	0.04	367.40	0.81	-	-	-	0.81	366.59
भवन एवं संबंधित उपकरण	5327.98	32.72	(24.43)	5385.13	2427.12	121.25	0.05	-	2548.32	2836.81
संयंत्र और मशीनरी										
-स्टील प्लांट	102581.72	2469.64	537.69	104513.67	43117.62	4197.19	273.86	-	47040.95	57472.72
-अन्य	3690.57	285.55	57.18	3918.94	2440.70	157.14	59.60	-	2538.24	1380.70
फर्नीचर व फिक्सचर	151.87	6.88	0.68	158.07	127.67	5.38	0.44	-	132.61	25.46
वाहन	1612.20	79.78	10.37	1681.61	1119.21	75.98	5.52	-	1189.67	491.94
कार्यालय उपकरण	64.44	2.83	2.54	64.73	55.51	2.03	2.34	-	55.20	9.53
विविध वस्तुएं	441.55	38.72	1.55	478.72	288.40	21.64	1.38	-	308.66	170.06
सड़कें, पुल एवं नाले	554.26	62.30	0.01	616.55	406.59	32.22	-	-	438.81	177.74
जल आपूर्ति एवं सीवरेज	822.37	108.03	(5.93)	936.33	509.44	28.34	0.37	-	537.41	398.92
ईडीपी उपकरण	478.86	59.74	4.77	533.83	409.90	19.83	10.05	-	419.68	114.15
रेलवे लाइन और साइडिंग	1098.69	21.77	7.84	1112.62	377.07	34.30	0.11	-	411.26	701.36
उप-जोड़ 'क'	117188.04	3171.87	592.31	119767.60	51280.04	4695.30	353.72	-	55621.62	64145.98
ख. सामाजिक सुविधाएं										
भूमि										
-स्वामित्व वाली भूमि	10.89	0.01	-	10.90	-	-	-	-	-	10.90
भवन एवं संबंधित उपकरण	1150.02	19.60	0.09	1169.53	499.35	21.54	0.04	-	520.85	648.68
संयंत्र और मशीनें	261.79	33.68	2.87	292.60	140.84	11.26	2.31	-	149.79	142.81
फर्नीचर व फिक्सचर	29.28	3.49	0.52	32.25	25.00	1.32	0.29	-	26.03	6.22
वाहन	11.93	0.67	0.47	12.13	9.79	0.56	0.52	-	9.83	2.30
कार्यालय उपकरण	4.22	1.60	0.01	5.81	3.69	0.37	-	-	4.06	1.75
विविध वस्तुएं	328.72	30.72	7.54	351.90	188.28	24.81	4.25	-	208.84	143.06
सड़कें, पुल एवं नाले	200.09	92.55	7.51	285.13	132.76	24.19	1.58	-	155.37	129.76
जल आपूर्ति एवं सीवरेज	313.12	2.90	0.81	315.21	167.41	8.26	0.48	-	175.19	140.02
ईडीपी उपकरण	12.01	0.30	0.36	11.95	10.56	0.54	0.30	-	10.80	1.15
उप-जोड़ 'ख'	**2322.07**	**185.52**	**20.18**	**2487.41**	**1177.68**	**92.85**	**9.77**	**-**	**1260.76**	**1226.65**
ग. सक्रिय उपयोग से बाहर हो चुके संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
सक्रिय उपयोग से बाहर हो चुकी संपत्तियां	**58.32**	**25.44**	**41.32**	**42.44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.44**
कुल ('क'+'ख'+'ग')	**119568.43**	**3382.83**	**653.81**	**122297.45**	**52457.72**	**4788.15**	**363.49**	**-**	**56882.38**	**65415.07**

4: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी है....)

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित ह्रास/परिशोधन/अक्षमता					शुद्ध ब्लॉक
	31 मार्च, 2022 को	जोड़/ समायोजन	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 तक	वर्ष के लिए	निपटारा/ समायोजन	अक्षमता	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2023 को
क. संयंत्रों, खदानें और अन्य										
भूमि										
- स्वामित्व वाली भूमि	359.41	4.16	0.04	363.53	0.81	-	-	-	0.81	362.72
- पटटे की भूमि	2.16	-	2.2	-	0.30	0.02	0.32	-	-	-
भवन एवं संबंधित उपकरण	5261.53	67.46	1.01	5327.98	2301.26	122.85	0.81	(3.82)	2427.12	2900.86
संयंत्र और मशीनरी										
- स्टील प्लांट	100625.13	2667.15	710.56	102581.72	39568.64	3963.83	420.13	(5.28)	43117.62	59464.10
- अन्य	3470.11	253.56	33.10	3690.57	2333.09	137.28	29.67	-	2440.70	1249.87
फर्नीचर व फिक्सचर	147.60	6.59	2.32	151.87	122.72	4.97	0.02	-	127.67	24.20
वाहन	1425.36	196.72	9.88	1612.20	1055.97	72.47	9.23	-	1119.21	492.99
कार्यालय उपकरण	62.71	2.08	0.35	64.44	54.04	1.78	0.31	-	55.51	8.93
विविध वस्तुएं	419.37	24.65	2.47	441.55	273.67	19.13	4.40	-	288.40	153.15
सड़कें, पुल एवं नाले	533.66	20.62	0.02	554.26	376.54	30.08	0.03	-	406.59	147.67
जल आपूर्ति एवं सीवरेज	764.61	58.54	0.78	822.37	463.98	45.50	0.04	-	509.44	312.93
ईडीपी उपकरण	452.51	37.66	11.31	478.86	406.27	14.09	10.46	-	409.90	68.96
रेलवे लाइन और साइडिंग	1048.67	50.02	-	1098.69	343.75	33.31	(0.01)	-	377.07	721.62
उप-जोड 'क'	**114572.83**	**3389.21**	**774.00**	**117188.04**	**47301.04**	**4445.31**	**475.41**	**(9.10)**	**51280.04**	**65908.00**
ख. सामाजिक सुविधाएं										
भूमि										
- स्वामित्व वाली भूमि	10.88	0.01	-	10.89	-	-	-	-	-	10.89
भवन एवं संबंधित उपकरण	1144.36	5.76	0.10	1150.02	470.85	28.92	0.42	-	499.35	650.67
संयंत्र और मशीनें	200.35	64.02	2.58	261.79	131.72	9.31	0.19	-	140.84	120.95
फर्नीचर व फिक्सचर	28.51	0.84	0.07	29.28	24.10	0.96	0.06	-	25.00	4.28
वाहन	10.87	1.19	0.13	11.93	9.68	0.23	0.12	-	9.79	2.14
कार्यालय उपकरण	4.13	0.10	0.01	4.22	3.58	0.12	0.01	-	3.69	0.53
विविध वस्तुएं	272.11	59.32	2.71	328.72	177.43	13.36	2.51	-	188.28	140.44
सड़कें, पुल एवं नाले	167.13	33.25	0.29	200.09	124.80	12.91	4.95	-	132.76	67.33
जल आपूर्ति एवं सीवरेज	310.49	2.85	0.22	313.12	160.43	7.18	0.20	-	167.41	145.71
ईडीपी उपकरण	12.19	0.12	0.30	12.01	10.07	0.78	0.29	-	10.56	1.45
उप-जोड़ 'ख'	**2161.02**	**167.46**	**6.41**	**2322.07**	**1112.66**	**73.77**	**8.75**	**-**	**1177.68**	**1144.39**
ग. सक्रिय उपयोग से बाहर हो चुके संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
सक्रिय उपयोग से बाहर हो चुकी संपत्तियां	**62.77**	**44.47**	**48.92**	**58.32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58.32**
कुल ('क'+'ख'+'ग')	**116796.62**	**3601.14**	**829.33**	**119568.43**	**48413.70**	**4519.08**	**484.16**	**(9.10)**	**52457.72**	**67110.71**



4: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी है....)

पीपीई, अमूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति के मूल्यह्रास का आवंटन (₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(क) लाभ और हानि खाते पर प्रभारित	**5278.37**	4963.54
(ख) निर्माण के दौरान व्यय पर प्रभारित	-	-
	5278.37	4963.54

(i) संविदात्मक दायित्व

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के प्रकटीकरण के लिए नोट 48.1 देखें।

(ii) भूमि:

(क) इसमें 61235.48 एकड़ (31 मार्च, 2023 तक 55854.89 एकड़) शामिल है, जो कंपनी के स्वामित्व में है/कब्जे में है/पट्टे पर ली गई है, जिसके संबंध में शीर्षक/पट्टा विलेख पंजीकरण के लिए लंबित हैं।

(ख) इसमें 32082.45 एकड़ (31 मार्च, 2023 तक 31397.15 एकड़) शामिल है, जिसके संबंध में शीर्षक विवाद में है।

(ग) 5052.34 एकड़ (31 मार्च, 2023 तक 8873.81 एकड़) विभिन्न संयुक्त उद्यमों/केन्द्रीय/राज्य/अर्ध–सरकारी प्राधिकरणों को हस्तांतरित/हस्तांतरित करने के लिए सहमत या निपटान के लिए उपलब्ध कराई गई, जिसके संबंध में हस्तांतरण विलेख निष्पादित/पंजीकृत होना बाकी है।

(घ) 6062.72 एकड़ (31 मार्च, 2023 तक 6114.59 एकड़) विभिन्न एजेंसिया/कर्मचारिया/पूर्व कर्मचारियों को पट्टे पर दी गई।

(ङ) इसमें अनधिकृत कब्जे के अंतर्गत 4896.70 एकड़ (31 मार्च, 2023 तक 4435.60 एकड़) शामिल हैं।

(च) 8870.84 एकड़ (31 मार्च, 2023 तक 2371.10 एकड़) भूमि जो वास्तविक कब्जे में नहीं है, जिसे कथित कब्जे के रूप में दिखाया गया है।

(छ) वर्ष 2007 के दौरान पहले से अधिग्रहीत भूमि (31 मार्च, 2023 तक 56.72 करोड़ रुपये) के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बोकारो के पास भूमि खोने वालों को देय मुआवजे के रूप में 59.23 करोड़ रुपये जमा हैं।

(ज) भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिग्रहण की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1309(ई) दिनांक 08.06.2012 और संख्या एस.ओ. 2484ई दिनांक 13.10.2012 के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लि. एनएचएआई ने 34.471 एकड़ स्वामीत्व वाली भूमि अधिग्रहित की थी। इसे झारखंड सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या 42 और 43 दिनांक 26 अगस्त, 2009 के अंतर्गत अधिग्रहण के लिए भी अधिसूचित किया गया था। उक्त भूमि के मूल्यांकन के संबंध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(झ) 525.43 एकड़ भूमि में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिभोग अधिकारों के अंतर्गत दी गई 500 एकड़ भूमि शामिल है, जो सहमत शर्तों के अनुसार संपत्ति हस्तांतरण पर अनर्जित वृद्धि के भुगतान के लिए कंपनी द्वारा सहमत प्रतिबंधों के अधीन है।

(ञ) झारखंड सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या 42 और 43 दिनांक 26 अगस्त, 2009 के अंतर्गत अधिग्रहण के लिए अधिसूचित 21.13 एकड़ भूमि में से 5.51 एकड़ स्वामित्व वाली भूमि शामिल है, जो विवादित है, जिसके लिए आरडीसीआईएस–सेल के पक्ष में कोई मुआवजा तय नहीं किया गया था। शेष 15.62 एकड़ स्वामीत्व वाली भूमि के लिए ₹ 13.07 करोड़ की राशि के मुआवजे पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए विचार किया गया है। ₹ 13.07 में से, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 50 प्रतिशत की दर से ₹ 6.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(ट) वर्ष 2013 के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सलेम के पास भूमि खोने वालों को देय मुआवजे के लिए ₹ 0.06 करोड़ जमा (पहले से अधिग्रहित भूमि के संबंध में) हैं।

(iii) अन्य संपत्तियां

(क) इसमें 6536 (31 मार्च, 2023 तक 7207) अनधिकृत कब्जे के अंतर्गत आवासीय क्वार्टर/घर शामिल हैं।

(iv) मूल कंपनी के नाम पर न रखे गए स्वामित्व विलेखों के लिए **नोट 48.1 (ख) देखें।**

4क: संपत्ति के उपयोग का अधिकार * (₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित ह्रास/परिशोधन/अक्षमता				शुद्ध ब्लॉक
	31 मार्च, 2023 को	जोड़/समायोजन	निपटारा/समायोजन	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 तक	वर्ष के लिए	निपटारा/समायोजन	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2024 को
उपयोग अधिकार संपत्तियां	7093.49	1111.55	61.37	8143.67	2183.21	440.54	1.27	2622.48	5521.19
उप-जोड़	**7093.49**	**1111.55**	**61.37**	**8143.67**	**2183.21**	**440.54**	**1.27**	**2622.48**	**5521.19**

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित ह्रास/परिशोधन/अक्षमता				शुद्ध ब्लॉक
	31 मार्च, 2022 को	जोड़/समायोजन	निपटारा/समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2022 तक	वर्ष के लिए	निपटारा/समायोजन	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2023 को
उपयोग अधिकार संपत्तियां	5985.10	1480.20	371.81	7093.49	2151.00	399.14	366.93	2183.21	4910.28
उप-जोड़	**5985.10**	**1480.20**	**371.81**	**7093.49**	**2151.00**	**399.14**	**366.93**	**2183.21**	**4910.28**

* संपत्ति के उपयोग के अधिकार के विस्तृत प्रकटीकरण के लिए, नोट 49.8 देखें।

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
5: प्रगति पर पूंजीगत कार्य*				
इस्पात संयंत्र और इकाइयाँ	**5988.82**		4875.28	
टाउनशिप	**342.76**		186.87	
अयस्क खदानें	**243.30**		210.73	
	6574.88		5272.88	
घटा: प्रावधान	**469.63**	**6105.25**	428.54	4844.34
निर्माण भंडार और पुर्जे	**40.17**		52.43	
घटा: स्थिर वस्तुओं के लिए प्रावधान	**4.85**	**35.32**	5.41	47.02
लंबित आवंटन के निर्माण के दौरान व्यय (नोट 5.1)		-		-
		6140.57		**4891.36**
5.1: आबंटन के लिए लंबित निर्माण के दौरान व्यय				
प्रारंभिक शेष (क)		-		0.22
वर्ष के दौरान किया गया व्यय,				
कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ				
वेतन और श्रम	**88.20**		98.11	
भविष्य निधि में कंपनी का योगदान	**2.22**		3.50	
यात्रा छूट	**0.23**		2.00	
कल्याण व्यय	**0.42**		0.24	
उपहार	**0.50**	**91.57**	0.99	104.84
अन्य व्यय				
तकनीकी परामर्श की फीस और ज्ञान	**6.45**		7.45	
बिजली और ईंधन	**25.86**		9.53	
अन्य व्यय	**5.73**		5.02	
ब्याज और वित्तीय प्रभार	**183.38**	**221.42**	211.06	233.06
		312.99		337.90
घटा: वसूली				
विविध	0.17	**0.17**	0.37	0.37
वर्ष के दौरान शुद्ध व्यय (ख)		**312.82**		337.53
कुल (क)+(ख)		**312.82**		**337.75**
घटा: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/प्रगति पर पूंजीगत कार्य		312.82		337.75
आगे लाया गया शेष		-		-

6: निवेश संपत्ति

(₹ करोड)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित ह्रास/परिशोधन/अक्षमता				शुद्ध ब्लॉक
	31 मार्च, 2023 को	जोड़/ समायोजन	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 तक	वर्ष के लिए	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2024 को
क. भवन									
भवन	2.06	-	-	2.06	1.03	0.04	-	1.07	0.99
कुल	**2.06**	**-**	**-**	**2.06**	**1.03**	**0.04**	**-**	**1.07**	**0.99**

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित ह्रास/परिशोधन/अक्षमता				शुद्ध ब्लॉक
	31 मार्च, 2022 को	जोड़/ समायोजन	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 तक	वर्ष के लिए	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2023 को
क. भवन									
भवन	2.06	-	-	2.06	1.00	0.03	-	1.03	1.03
कुल	**2.06**	**-**	**-**	**2.06**	**1.00**	**0.03**	**-**	**1.03**	**1.03**

(i) संविदात्मक दायित्व

निवेश संपत्ति की खरीद, निर्माण या विकास या उसकी मरम्मत, रखरखाव या वृद्धि के लिए कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है।



6: निवेश संपत्ति (जारी ...)

(ii) निवेश संपत्तियों के लिए लाभ और हानि में चिन्हित राशि

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
किराए से आय	**1.83**	1.77
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिससे किराये की आय उत्पन्न हुई*	**-**	-
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिनसे किराये की आय उत्पन्न नहीं हुई*	**-**	-
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्तियों को पट्टे पर देने से लाभ	**1.83**	**1.77**
मूल्यह्रास	**0.04**	0.03
निवेश संपत्तियों को पट्टे पर देने से लाभ	**1.79**	**1.74**

* निवेश संपत्तियों के संबंध में प्रत्यक्ष खर्चों को अलग से पहचाना नहीं जा सकता है और उनके महत्वहीन होने की उम्मीद है।

(iii) पट्टे की व्यवस्था

कुछ निवेश संपत्तियों को मासिक देय किराये के साथ दीर्घकालिक परिचालन पट्टों के अंतर्गत किरायेदारों को पट्टे पर दिया जाता है। निवेश संपत्ति के गैर–समापन योग्य पट्टों के अंतर्गत प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतान इस प्रकार है:

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
एक साल के अंदर	**1.22**	1.14
एक वर्ष से बाद में लेकिन 5 वर्ष से पहले	**0.61**	1.21
5 वर्ष के बाद में	**-**	-
	1.83	**2.35**

(iv) उचित मूल्य

31 मार्च, 2024 तक निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य ₹ 20.60 करोड़ (31 मार्च, 2023 तक ₹ 19.12 करोड़) है।

(v) उचित मूल्य का अनुमान

उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण समान संपत्तियों के लिए सक्रिय बाजार में मौजूदा कीमतें हैं। जहां ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है, समूह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर विचार करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं।

क) विभिन्न प्रकृति की संपत्तियों के लिए सक्रिय बाजार में मौजूदा कीमतें या कम सक्रिय बाजारों में समान संपत्तियों की हाल की कीमतें, उन अंतरों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित की गई हैं।

ख) भविष्य के नकदी प्रवाह के विश्वसनीय अनुमानों के आधार पर रियायती नकदी प्रवाह अनुमान।

ग) राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई संपत्ति की सर्किल दर।

7: अमूर्त संपत्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित ह्रास/परिशोधन/अक्षमता				शुद्ध ब्लॉक
	31 मार्च, 2023 को	जोड़/ समायोजन	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 तक	वर्ष के लिए	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2024 को
क. संयंत्र, खदानें और अन्य									
कंप्युटर सॉफ्टवेयर*	126.92	9.65	0.04	136.53	116.46	6.81	0.51	122.76	13.77
खनन अधिकार	2015.42	27.57	24.36	2018.63	504.87	42.77	1.15	546.49	1472.14
उप-जोड़ 'क'	**2142.34**	**37.22**	**24.40**	**2155.16**	**621.33**	**49.58**	**1.66**	**669.25**	**1485.91**
ख. सामाजिक सुविधाएं									
कंप्युटर सॉफ्टवेयर	0.49	3.0	-	3.47	0.46	0.06	-	0.52	2.95
उप-जोड़ 'ख'	**0.49**	**3.0**	**-**	**3.47**	**0.46**	**0.06**	**-**	**0.52**	**2.95**
कुल ('क'+'ख')	**2142.83**	**40.20**	**24.40**	**2158.63**	**621.79**	**49.64**	**1.66**	**669.77**	**1488.86**

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित ह्रास/परिशोधन/अक्षमता				शुद्ध ब्लॉक
	31 मार्च, 2022 को	जोड़/ समायोजन	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 तक	वर्ष के लिए	निपटारा/ समायोजन	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2023 को
क. संयंत्र, खदानें और अन्य									
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर*	122.73	4.58	0.39	126.92	111.65	5.20	0.39	116.46	10.46
खनन अधिकार	1913.08	102.34	-	2015.42	464.80	40.07	-	504.87	1510.55
उप-जोड़ 'क'	**2035.81**	**106.92**	**0.39**	**2142.34**	**576.45**	**45.27**	**0.39**	**621.33**	**1521.01**
ख. सामाजिक सुविधाएं									
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	0.49	-	-	0.49	0.44	0.02	-	0.46	0.03
उप-जोड़ 'ख'	**0.49**	**-**	**-**	**0.49**	**0.44**	**0.02**	**-**	**0.46**	**0.03**
कुल ('क'+'ख')	**2036.30**	**106.92**	**0.39**	**2142.83**	**576.89**	**45.29**	**0.39**	**621.79**	**1521.04**

*कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पूंजीगत विकास लागत शामिल होती है जो आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्ति होती है।

**सभी परिशोधन शुल्क मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय में शामिल हैं।

7क: गैर चालू सूची (इन्वेंट्री) (₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
भंडार एवं पुर्जे	-			-
कच्चा माल				
स्लाइम	**305.16**		276.39	
अन्य	**-**	**305.16**	-	276.39
अन्य उत्पाद				
लौह अयस्क का फाइन (उप–ग्रेड)	**3878.05**		3914.55	
तैयार/अर्ध-तैयार उत्पाद				
स्लैग डंप (एम्बडेड स्क्रैप)*	**442.08**	**4320.13**	444.35	4358.90
		4625.29		**4635.29**

* इसमें ₹35.66 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹34.99 करोड़) मूल्य का 0.53 मीट्रिक टन (पिछले वर्ष–0.46 मीट्रिक टन) मैंगनीज स्लैग शामिल है।

8 : निवेश-गैर चालू

(₹ करोड़)

	शेयरों की संख्या		राशि	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया गया निवेश				
अउद्धत इक्विटी				
टीआरएल क्रोसाकी रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	**2203150**	2203150	**97.32**	76.87
इंडियन पोटाश लिमिटेड	**720000**	720000	**207.46**	154.24
हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	**5000000**	5000000	**5.55**	5.31
सीमेंट एवं संबद्ध उत्पाद (बिहार) लिमिटेड	**2**	2	**-**	-
रसायन एवं उर्वरक निगम (बिहार) लिमिटेड	**1**	1	**-**	-
भिलाई पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड	**5**	5	**-**	-
इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड (परिसमापन के अंतर्गत)#	**3000000**	3000000	**3.00**	3.00
यूईसी सेल सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड*	**180000**	180000	**0.18**	0.18
बिहार राज्य वित्त निगम (अंकित मूल्य ₹ 100 प्रति शेयर)	**500**	500	**0.01**	0.01
कुल (क)			**313.52**	**239.61**
सहकारी समिति में				
बोकारो स्टील कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसायटी	**116500**	116500	**0.12**	0.12
बोकारो स्टील सिटी सेंट्रल उपभोक्ता सहकारी समिति	**250**	250	**0.00**	0.00
एनएमडीसी मेघाहातुबुरु कर्मचारी सहकारी समिति (अंकित मूल्य ₹ 100 प्रति शेयर)	**25**	25	**0.00**	0.00
डीएसपी कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता सहकारी (अंकित मूल्य ₹ 100 प्रति शेयर)	**1377**	1377	**0.01**	0.01
बोलानी अयस्क कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 25 प्रति शेयर)	**200**	200	**-**	-
इस्को कर्मचारी प्राथमिक सहकारी समिति (अंकित मूल्य ₹ 20 प्रति शेयर)	**23000**	23000	**0.05**	0.05
			0.18	**0.18**
कुल योग (क+ख)			**313.70**	**239.79**
निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान			**3.23**	22.04
शुद्ध निवेश			**310.47**	**217.75**
उद्धत निवेश की कुल राशि (उसका बाजार मूल्य)			**-**	-
उद्धत न किए गए निवेशों की कुल राशि			**313.70**	239.79
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि			**3.23**	22.04
			310.47	**217.75**

जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो सभी इक्विटी शेयरों की अंकित मूल्य ₹ 10 है।

*इकाई परिसमापन के अधीन है, इसलिए शेयरधारकों के बीच संयुक्त समझौते के बावजूद इसे संयुक्त उद्यम नहीं माना जाता है।

इकाई परिसमापन के अधीन है इसलिए मूल कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।



(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2024 को	
9: व्यापार प्राप्य-गैर चालू*				
अच्छा माना गया – सुरक्षित		-		-
अच्छा माना गया –असुरक्षित		-		-
व्यापार प्राप्य – खराब क्रेडिट		**138.44**		22.62
		138.44		22.62
घटाः ऋण हानि के लिए भत्ता		**138.44**		22.62
		-		-
10: ऋण-गैर चालू*				
अच्छा माना गया-असुरक्षित				
कर्मचारियों को ऋण	**25.09**		34.05	
अन्य को ऋण**	**854.13**	**879.22**	621.23	655.28
		879.22		655.28
घटाः ऋण हानि के लिए भत्ता		**1.85**		0.02
		877.37		**655.26**
11: अन्य वित्तीय संपत्तियां-गैर चालू				
सुरक्षा जमा		**262.70**		229.42
वसूली योग्य दावा		**10.56**		10.61
व्यापार के अलावा अन्य प्राप्य		**68.37**		68.14
पट्टा समकक्ष आरक्षित		**1.34**		1.44
कर्मचारियों से प्राप्य		**1.33**		1.31
अन्य प्राप्य*		**96.80**		94.64
संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम	**14.05**		14.05	
घटाः संदिग्ध संबंधित पार्टी अग्रिमों के लिए प्रावधान	**14.05**	-	14.05	-
निर्धारित शेष राशि				
12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा		**51.58**		10.78
		492.68		416.34
घटाः संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान		**47.72**		45.61
		444.96		**370.73**
12 : आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)				
आस्थगित कर देनदारियाँ में शामिल मदों का कर प्रभाव				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित	**8366.64**		8047.67	
ओसीआई के माध्यम से निवेश का उचित मूल्य समायोजन	**69.51**	**8436.15**	52.61	8100.28
आस्थगित कर परिसंपत्तियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
भुगतान के आधार पर कटौती योग्य राशि	**1268.55**		1274.02	
अन्य	**882.10**	**2150.65**	1004.99	2279.01
आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)		**6285.50**		**5821.27**

* मूल कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से देय प्राप्ति राशि शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)

* मूल कंपनी के निदेशकों से बकाया प्राप्य राशि शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)

** रावघाट रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे को दिया गया।

इन वित्तीय उपकरणों से संबंधित वित्तीय जोखिमों और उचित मूल्य माप के जोखिम का वर्णन नोट 43 में किया गया है।

* बिजली कंपनी के पास जमा राशि और टाउनशिप शुल्क के लिए बाहरी लोगों से प्राप्त होने वाला राजस्व।

इन वित्तीय साधनों से संबंधित वित्तीय जोखिमों और उचित मूल्य मापन का विवरण नोट 43 में दिया गया है।

12 : आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) (जारी...)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर हानियों से उत्पन्न होने वाले आस्थगित करों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़)

आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)	31 मार्च, 2023 को	लाभ और हानि में दर्ज	अन्य व्यापक आय में दर्ज	31 मार्च, 2024 को
आस्थगित कर देनदारियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित	8047.67	318.97	-	8366.64
ओसीआई के माध्यम से निवेश का उचित मूल्य समायोजन	52.61	-	16.90	69.51
	8100.28	**318.97**	**16.90**	**8436.15**
आस्थगित कर परिसंपत्तियों में शामिल वस्तुओं का कर प्रभाव				
भुगतान के आधार पर कटौती योग्य राशि	1274.02	(5.47)	-	1268.55
अन्य	1004.99	(140.47)	17.45	882.10
	2279.01	(145.94)	17.45	2150.65
आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)	**5821.27**	**464.91**	**(0.55)**	**6285.50**

* इस राशि में पिछले वर्षों का कर प्रभाव ₹ 82.56 करोड़ शामिल है। लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त शुद्ध राशि ₹ 382.35 करोड़ है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर हानियों से उत्पन्न होने वाले आस्थगित करों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़)

आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)	1 अप्रैल, 2022 को	लाभ और हानि में दर्ज	अन्य व्यापक आय में दर्ज	31 मार्च, 2023 को
आस्थगित कर देनदारियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित	7473.57	574.10	-	8047.67
ओसीआई के माध्यम से निवेश का उचित मूल्य समायोजन	37.29	-	15.32	52.61
	7510.86	**574.10**	**15.32**	**8100.28**
आस्थगित कर परिसंपत्तियों में शामिल वस्तुओं का कर प्रभाव				
भुगतान के आधार पर कटौती योग्य राशि	1238.04	35.98	-	1274.02
भावी कर योग्य आय से भरपाई के लिए उपलब्ध हानियां	133.24	(133.24)	-	-
अन्य	781.16	80.11	143.71	1004.99
	2152.44	**(17.15)**	**143.71**	**2279.01**
आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)	**5358.42**	**591.25**	**(128.39)**	**5821.27**

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
13: चालू कर संपत्तियां (शुद्ध)				
चालू कर संपत्तियां				
अग्रिम आयकर (प्रावधानों का शुद्ध)		**374.78**		595.49
		374.78		**595.49**
14: अन्य परिसंपत्तियां				
ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्त्ताओं को अग्रिम		**68.10**		64.04
सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा*		**3008.56**		3570.59
पूर्व भुगतान व्यय		**14.86**		21.48
अग्रिम पूंजी	**242.75**		132.85	
घटा: संदिग्ध पूंजी अग्रिमों के लिए प्रावधान	**5.02**	**237.73**	5.34	127.51
		3329.25		3783.62
घटा: संदिग्ध अन्य संपत्तियों के लिए प्रावधान		**236.46**		169.61
		3092.79		**3614.01**

* इसमें प्रवेश कर और मध्यस्थता मामले शामिल हैं।



(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
15: सूची*				
स्टोर और स्पेयर				
उत्पादन	**4031.34**		3524.55	
ईंधन स्टोर	**214.98**		140.07	
अन्य	**32.17**		30.74	
	4278.49		3695.36	
जमाः पारगमन में	**239.97**		247.07	
	4518.46		3942.43	
घटाः स्थायी/पुराने आइटमों के लिए प्रावधान	**300.14**	**4218.32**	286.34	3656.09
कच्चा माल				
कच्चा माल**	**7724.50**		7017.55	
जमाः पारगमन में	**5056.45**		4764.16	
	12780.95		11781.71	
घटाः अप्रयुक्त सामग्री के लिए प्रावधान	**13.49**	**12767.46**	15.03	11766.68
तैयार/अर्द्ध तैयार उत्पाद				
तैयार माल***	**11305.24**		8172.54	
प्रगति पर कार्य	**4197.06**	**15502.30**	3902.14	12074.68
अन्य-उप-उत्पाद (उप-ग्रेड का फाइन)		**233.37**		267.45
		32721.45		**27764.90**

*लेखा नीति संख्या 3.8 के अनुसार मूल्यांकित
** इसमें ₹ 29.34 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 29.34 करोड़) की स्लाइम की सूची शामिल है।
*** ₹ 43.42 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 50.99 करोड़) के स्लैग डंप में एम्बेडेड लोहे और स्टील स्क्रैप की सूची शामिल है।
*** इसमें ₹ 6.69 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 6.57 करोड़) मूल्य का 0.06 मिलियन टन (पिछले वर्ष–0.06 मिलियन टन) मैंगनीज स्लैग शामिल है।

16: व्यापार प्राप्य - वर्तमान *				
अच्छा माना गया - सुरक्षित		-		-
असुरक्षित				
अच्छा माना गया		**8355.37**		5389.97
व्यापार प्राप्य –क्रेडिट खराब		**275.30**		302.18
		8630.67		5692.15
ऋण हानि के लिए भत्ता		**275.30**		302.18
		8355.37		**5389.97**

* मूल कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से देय प्राप्य राशि शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)
* नोट 43 और 48.4 (ख) देखें। अपेक्षित क्रेडिट हानि के आकलन के लिए वित्तीय उपकरण।

17 (i): नकद और नकद समकक्ष				
हाथ में नकदी और स्टाम्प		**0.11**		0.26
हाथ में चेक		**11.55**		3.93
बैंकों में शेष राशि				
चालू खाते	**2.65**		17.51	
3 महीने तक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा	**55.07**		35.12	
न्यायालय के आदेश के अनुसार 3 महीने तक की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा	-	**57.72**	0.27	52.90
		69.38		**57.09**

17 (ii): उक्त 17 (i) के अलावा बैंक में शेष				
निर्धारित बैंक शेष				
न्यायालय के आदेश के अनुसार सावधि जमा	**441.34**		197.56	
बैंक ग्रहणाधिकार/ऋण के बदले गिरवी के अंतर्गत सावधि जमा	-		7.01	
निर्धारित सावधि जमा	**34.59**	**475.93**	33.36	237.93
अवैतनिक लाभांश खाते		**17.62**		9.00
लाभांश खाता		-		144.58
अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शेष		**34.35**		-
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा		**75.67**		102.04
		603.57		**493.55**

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
18: ऋण-चालू*				
अच्छा माना गया-असुरक्षित				
कर्मचारियों को ऋण	**29.06**		36.02	
अन्य को ऋण	**1.10**	**30.16**	1.12	37.14
		30.16		37.14
घटाः ऋण हानि के लिए भत्ता		**1.85**		1.85
		28.31		35.29

* मूल कंपनी के निदेशकों से बकाया प्राप्य शून्य है (पिछले साल शून्य था)

19: अन्य वित्तीय संपत्तियां - चालू				
प्रतिभूति जमा		**17.87**		15.84
वसूली योग्य दावा		**787.55**		839.79
प्राप्य अन्य*		**489.01**		473.07
कर्मचारियों से प्राप्य		**17.71**		18.77
ग्रेच्युटी ट्रस्ट से वसूली योग्य राशि		**452.41**		212.93
संबंधित पक्षों को अग्रिम	**71.22**		80.61	
घटाः संदिग्ध संबंधित पक्षों के अग्रिमों के लिए प्रावधान	**7.27**	**63.95**	7.27	73.34
		1828.50		1633.74
घटाः संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान		**459.43**		403.91
		1369.07		**1229.83**

* इसमें किराया, बिजली, अस्पताल और जल शुल्क आदि शामिल है, जो कर्मचारियों और अन्य बाहरी व्यक्तियों से प्राप्य है।

20: अन्य संपत्तियां - चालू				
पास में सोने के सिक्के		**0.14**		0.14
ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	**678.06**		580.59	
अन्य को अग्रिम	**2923.93**	**3601.99**	1991.4	2571.99
सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा		**57.58**		23.46
जमा–जीएसटी		**1.43**		1.18
जीएसटी प्राप्य–इनपुट सेवा		**5.16**		3.74
जीएसटी प्राप्य		**716.36**		337.77
जीएसटी पर ग्राहकों द्वारा काटा गया टीडीएस		**0.16**		0.05
पूर्व भुगतान व्यय		**75.20**		76.57
प्राप्य दावे		**75.61**		134.40
निर्यात प्रोत्साहन प्राप्य		**37.53**		42.79
		4571.16		3192.09
घटाः अन्य सपंत्तियों के लिए संदिग्ध प्रावधान		**28.84**		201.36
		4542.32		**2990.73**

*इसमें डीवीसी, रॉयल्टी और सरकारी विभागों आदि को दिया गया अग्रिम शामिल है।

21: बिक्री के लिए वर्गीकृत संपत्तियां				
बिक्री के लिए वर्गीकृत संपत्तियां		**15.11**		29.28
		15.11		**29.28**

(i) संपत्ति संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं की बिक्री के लिए निविदा जारी करने पर, यह अत्यधिक संभावना मानी जाती है कि ऐसी संपत्ति अगले 12 महीनों के अंदर बेची जाएगी और ऐसी संपत्ति को 'बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत संपत्ति' के रूप में माना जाता है।

(ii) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री के लिए रखे गए संयंत्र और मशीनरी को पुनर्वर्गीकरण के समय बेचने की लागत को घटाकर उसकी वहन राशि और उचित मूल्य के निचले स्तर पर मापा गया था। तुलनीय मूल्य दृष्टिकोण का उपयोग करके संयंत्र और मशीनरी का उचित मूल्य निर्धारित किया गया था। उचित मूल्य गणना प्रकटीकरण में निर्धारित उचित मूल्य पदानुक्रम के अनुसार यह स्तर 3 की गणना है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रमुख इनपुट बाजार में धातु की कीमत है।



22: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अधिकृत पूंजी		
प्रति शेयर ₹ 10 के इक्विटी शेयर		
(प्रति शेयर ₹ 10 के 5000000000 इक्विटी शेयर)	**5000.00**	5000.00
जारी और सब्सक्राइब्ड पूंजी और पूर्ण चूकता		
(प्रति शेयर ₹ 10 के 4130525289 इक्विटी शेयर)	**4130.53**	4130.53

वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
मतदान अधिकार के साथ शेयर				
साल की शुरुआत में शेष	4130414299	4130.42	4130414299	4130.42
वर्ष के दौरान वोटिंग अधिकार वाले शेयरों में बदले गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि #	**4130414299**	**4130.42**	**4130414299**	**4130.42**
बिना मतदान अधिकारों वाले इक्विटी शेयर *				
वर्ष के शुरू में शेष	110990	0.11	110990	0.11
वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वोटिंग अधिकार वाले शेयरों में परिवर्तित शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**110990**	**0.11**	**110990**	**0.11**
वर्ष में बकाया कुल इक्विटी शेयर	**4130525289**	**4130.53**	**4130525289**	**4130.53**

i) *1996 में प्रति शेयर 29.55 अमेरिकी डॉलर की दर पर जारी 125 मिलियन यूएस डॉलर के ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट (जीडीआर) में 110990 शेयरों की वर्तमान होल्डिंग द्वारा प्रतिनिधित्व।

ii) #इसमें आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित 4187222 शेयर (पिछले वर्ष 4193693 शेयर) शामिल हैं, जिन पर वोटिंग अधिकार फ्रिज किए गए हैं

iii) मूल कंपनी के परिसमापन की स्थिति में पूंजी के पुनर्भुगतान के संबंध में सभी शेयरों की रैंक समान है।

(iv) मूल कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	धारित शेयरों की संख्या	धारिता %	धारित शेयरों की संख्या	धारिता %
भारत के राष्ट्रपति	**2684714550**	**65.00**	2684714550	65.00
एलआईसी ऑफ इंडिया	**350544700**	**8.49**	286403775	6.93

(v) वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण

प्रोमोटर का नाम	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को		वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	धारित शेयरों की संख्या	धारिता %	धारित शेयरों की संख्या	धारिता %	
भारत के राष्ट्रपति	**2684714550**	**65.00**	2684714550	65.00	-

(vi) मूल कंपनी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान न तो बोनस शेयर जारी किए हैं और न ही कोई शेयर वापस खरीदा है।

23: अन्य इक्विटी

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
आरक्षित एवं अधिशेष				
संपत्ति कोष				
प्रारंभिक जमा	**511.67**		511.67	
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	**-**	**511.67**	-	511.67
प्रतिभूति प्रीमियम				
प्रारंभिक जमा	**235.10**		235.10	
वर्ष के दौरान परिवर्तन	**-**	**235.10**	-	235.10
बांड मोचन रिजर्व				
प्रारंभिक जमा	**373.71**		530.97	
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	**249.93**	**123.78**	157.26	373.71
सामान्य रिजर्व				
प्रारंभिक जमा	**5112.67**		5110.90	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**2.02**		1.77	
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	**-**	**5114.69**	-	5112.67
प्रतिधारित आय				
प्रारंभिक जमा	**43863.48**		43364.60	
जमा: वर्ष के लिए शुद्ध लाभ	**3066.67**		2176.53	
जमा: अन्य व्यापक आय/(हानि)–परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन लाभ/(हानि)।	**(179.18)**		(490.72)	
जमा: बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व से स्थानांतरण	**249.93**		157.26	
घटा: अंतिम लाभांश	**206.53**		929.37	
घटा: अंतिरम लाभांश का भुगतान	**413.05**		413.05	
घटा: जनरल रिजर्व में स्थानांतरण	**2.02**	**46379.30**	1.77	43863.48
अन्य व्यापक आय				
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण				
प्रारंभिक जमा	**152.48**		100.86	
एफवीओसीआई इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन	**73.90**		66.94	
आस्थगित कर	**(16.91)**	**209.47**	(15.32)	152.48
इक्विटी लेखांकित निवेशिती का अन्य व्यापक आय में शेयर				
प्रारंभिक जमा	**367.03**		227.05	
एफवीओसीआई इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन	**29.65**	**396.68**	139.98	367.03
कुल अन्य इक्विटी		**52970.69**		**50616.14**

अन्य भंडारों की प्रकृति और उद्देश्य

संपत्ति कोष

पूंजी आरक्षित निधि का निर्माण पूंजीगत लाभ से किया जाता है, इसका निर्माण पूंजीगत प्रकृति के कुछ विशिष्ट लेनदेन से अर्जित लाभ से किया जाता है। शेयरधारकों को वितरण के लिए पूंजी आरक्षित उपलब्ध नहीं है।

प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूति प्रीमियम शेयरों के जारी होने पर प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

बांड मोचन रिजर्व

समूह को लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध मुनाफे में से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार बांड मोचन रिजर्व बनाने की आवश्यकता है। बांड के मोचन तक रिजर्व को बनाए रखा जाता है।

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) रिजर्व

समूह ने अन्य व्यापक आय में इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में बदलाव को पहचानने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के अंदर एफवीओसीआई इक्विटी निवेश रिजर्व में जमा होते हैं। जब प्रासंगिक इक्विटी प्रतिभूतियों की मान्यता रद्द कर दी जाती है तो समूह इस आरक्षित राशि से राशि को बरकरार रखी गई कमाई में स्थानांतरित कर देता है।



24. उधार - गैर चालू

(₹ करोड़)

				31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
सुरक्षित					
प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय बांड					
ब्याज की दर	**परिपक्वता तिथि**	**कॉल/पुट विकल्प (वर्ष)**	**सिक्युरिटी संदर्भ**		
9.35%	9-सितंबर-2026	12/शून्य	(क)	-	455.00
8.80%	26-अक्टूबर-2025		(क,ख)	**14.00**	28.00
9.00%	14-अक्टूबर-2024		(क)	-	1000.00
8.75%	15-सितंबर-2024		(क)	-	50.00
कुल बांड (क)				**14.00**	1533.00
बैंकों से टर्म लोन					
रुपया लोन					
7.27%	बैंक ऑफ इंडिया		(च)	**4100.00**	4100.00
7.40%	साउथ इंडियन बैंक		(छ)	**300.00**	-
7.65%	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया		(ज)	**4700.00**	-
बैंकों से कुल सावधि ऋण (ख)				**9100.00**	4100.00
कुल सुरक्षित ऋण (क+ख)				**9114.00**	**5633.00**
असुरक्षित					
विदेशी मुद्रा में लोन					
1	केएफडब्ल्यू, जर्मनी		(क)	**247.08**	270.96
2	नैटेक्सिस बैंक		(ख)	**2.97**	4.46
स्टील विकास निधि			(ग)	**204.16**	204.16
				454.21	479.58
कुल गैर चालू ऋण				**9568.21**	**6112.58**

निदेशकों और अन्य लोगों द्वारा किसी ऋण की गारंटी नहीं दी गई है।

उधार और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में बैलेंस शीट की तारीख पर कोई चूक नहीं है।

जब तक अन्यथा न कहा जाए, सभी बांड परिपक्वता तिथि पर चुकाने योग्य हैं।

संबंधित सुविधाओं के संबंध में उधार निम्नलिखित तरीके से सुरक्षित किए जाते हैं:

क) सिटी तालुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात के मौजे–वाडेज में सभी वर्तमान और भविष्य की अचल संपत्ति और समूह के संयंत्र और मशीनरी, जिस पर यह खड़ा है, इस्को स्टील प्लांट से संबंधित सभी वर्तमान और भविष्य की अचल संपत्ति पर समान रूप से रैंकिंग शुल्क द्वारा सुरक्षित।

ख) 26 अक्टूबर, 2014 से शुरू होने वाले ₹ 14 करोड़ की 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय। 26 अक्टूबर, 2024 को देय किस्त को 'चालू परिपक्वता' मद के अंतर्गत चालू उधार में दिखाया गया है।

ग) ऋण का सॉफ्ट आधार 3 किस्तों में लिया गया था, जिन्हें 1(कं), 1(ख) और 1(ग) के रूप में बताया गया है, जिस पर 8.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर है। 1(कं) पर ब्याज 0.75 प्रतिशत प्रति वर्ष है और शेष 8 प्रतिशत विनिमय उतार–चढ़ाव (4 प्रतिशत) और प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं (4 प्रतिशत) को पूरा करने के लिए है। 1(ख) के मामले में ब्याज 0.75 प्रतिशत प्रति वर्ष है और शेष 8.0 प्रतिशत प्रति वर्ष परिधि विकास के लिए है। किस्त 1(ग) का पूरा भुगतान कर दिया गया है। मूलधन और ब्याज की राशि छमाही आधार पर चुकाई जानी है। ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है।

घ) ऋण 2030 तक चुकाया जाना है। मूलधन और ब्याज का भुगतान छमाही आधार पर किया जाता है, जिसकी गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

ड़) पुनर्भुगतान की शर्तें एसडीएफ प्रबंधन समिति द्वारा तय की जानी हैं।

(च) ब्याज दर रेपो दर +0.77 प्रतिशत प्रति वर्ष है, अर्थात बकाया ऋण राशि पर 7.27 प्रतिशत (6.50 प्रतिशत + 0.77 प्रतिशत)। ऋण की अवधि 10 वर्ष है, जिसमें 4 वर्ष की स्थगन अवधि और 6 वर्ष की चुकौती अवधि है। ऋण 5वें वर्ष से शुरू होकर 10 वर्ष तक 4 वर्ष की स्थगन अवधि के बाद 12 अर्धवार्षिक समान किस्तों में देय है। पहली किस्त अप्रैल 2025 में देय है।

(छ) ऋण की सीमा तक बीएसएल के वर्तमान और भविष्य के चल संयंत्र और मशीनरी पर समान रैंकिंग शुल्क द्वारा सुरक्षित। ब्याज दर रेपो दर +0.90 प्रतिशत प्रति वर्ष है, अर्थात बकाया ऋण राशि पर 7.40 प्रतिशत (6.50 प्रतिशत + 0.90 प्रतिशत)। ऋण की अवधि 4 वर्ष है, जिसमें ढाई वर्ष की स्थगन अवधि तथा डेढ़ वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि है। ऋण की पुनर्भुगतान अवधि ढाई वर्ष की स्थगन अवधि के पश्चात 6 त्रैमासिक समान किस्तों में की जाएगी। प्रथम किस्त 01.05.2026 को देय है।

(ज) ऋण की सीमा तक बीएसएल के वर्तमान तथा भविष्य के चल संयंत्र एवं मशीनरी पर समान प्रभार द्वारा सुरक्षित। ब्याज दर 3एम टी–बिल + 0.75 प्रतिशत से जुड़ी है, जिसे प्रत्येक तिमाही के अंतिम कार्य दिवस पर निर्धारित किया जाता है। 31.03.2024 तक यह दर 7.65 प्रतिशत प्रति वर्ष है (अर्थात् 3एम टी–बिल 6.90 प्रतिशत + 0.75 प्रतिशत)। ऋण की अवधि 4 वर्ष है, जिसमें ढाई वर्ष की स्थगन अवधि तथा डेढ़ वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि है। 2.5 वर्ष की मोहलत के बाद ऋण 6 तिमाही बराबर किस्तों में देय है। पहली किस्त 01.05.2026 को देय है।

(झ) लाइन मद 'दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता' के अंतर्गत चालू उधारों में स्थानांतरित दीर्घकालिक उधारों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वताओं का विवरण (₹ करोड़)

विवरण	परिपक्वता तिथि	2023-24	2022-23
प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय बांड			
8.80%	26-अक्टूबर-2023/24	14.00	14.00
9.00%	14-अक्टूबर-2024	1000.00	-
8.75%	15-सितंबर-2024	50.00	-
8.30%	3-अगस्त-2023	-	800.00
8.30%	1-अगस्त-2023	-	1200.00
असुरक्षित विदेशी मुद्रा लोन			
केएफडब्ल्यू, जर्मनी		25.23	25.10
नैटेक्सिस बैंक		1.73	2.42
कुल		**1090.96**	**2041.52**

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
25: व्यापार देय-गैर चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का बकाया (नोट 48.3 देखें)	-	-
ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/अन्य को देय राशि	**6.07**	3.31
	6.07	**3.31**
26: अन्य वित्तीय दायित्व - गैर चालू		
कर्मचारियों से संबंधित बकाया	**738.19**	710.39
अर्जित ब्याज लेकिन उधार पर देय नहीं	**400.12**	422.39
अन्य देनदारियां*	**311.68**	296.22
	1449.99	**1429.00**

* दुकानदारों, ठेकेदारों आदि से प्रतिभूति जमा आदि शामिल है।

27: प्रावधान-गैर चालू		
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	**1.83**	1.50
उपार्जित अवकाश देयता के लिए प्रावधान	**3373.34**	3399.86
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा एवं निपटान लाभ के लिए प्रावधान	**1807.66**	1636.31
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार का प्रावधान	**15.92**	15.45
खदानें बंद करने का प्रावधान	**226.18**	162.06
अन्य प्रावधान*	**312.49**	401.45
	5737.42	**5616.63**

*खदान बंद करने के लिए प्रावधान शामिल हैं (नोट 50.3 देखें)

28: उधार-चालू		
आस्थगित आय*	**473.29**	424.12
अन्य देय**	**1387.20**	2256.09
	1860.49	**2680.21**

*** आस्थगित आय में निम्न शामिल हैं:**

इस्पात जनरल अस्पताल, राउरकेला को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अपग्रेड करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ₹ 277.33 करोड़ का अनुदान दिया। कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 20 के अनुरूप ऐसे अनुदानों के लिए सभी शर्तों का अनुपालन किया है।

** प्रवेश कर



(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
29. उधार-चालू		
सुरक्षित		
मांग पर पुन:भुगतान योग्य		
बैंकों से	**3841.80**	3957.68
अन्य ऋण एवं अग्रिम		
लंबी अवधि के ऋणों की चालू परिपक्वताएं (नोट 24 देखें)	**1090.96**	2041.52
असुरक्षित		
बैंकों से	**16100.00**	13550.00
	21032.76	**19549.20**
31 मार्च, 2024 तक बकाया अल्पकालिक उधारों के लिए सुरक्षा प्रकटीकरण:		
संबंधित सुविधाओं के संबंध में बैंकों से उधार निम्नलिखित तरीके से सुरक्षित किए जाते हैं :		
(i) सभी मौजूदा परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक		
30: व्यापार देय-चालू		
लघु, छोटे और मध्यम उपक्रमों को देय (नोट 48.3 देखें)	**498.06**	448.62
संबंधित पक्षों को देय राशि	**528.65**	570.78
अनुबंधकर्ताओं/आपूर्तिकर्ताओं/अन्य को देय राशि	**14305.68**	13322.30
	15332.39	**14341.70**
31: अन्य वित्तीय दायित्व -चालू		
कर्मचारी संबंधी बकाया	**255.16**	265.22
ब्याज अर्जित हुआ लेकिन उधार पर देय नहीं	**99.44**	204.04
इस्पात विकास नीधि ऋण पर अर्जित देय ब्याज	**344.00**	312.00
अन्य देनदारियां–देनदार बैंकिंग व्यवस्था	**139.94**	124.23
दावा न की गई परिपक्व जमा राशियाँ और उस पर अर्जित ब्याज	**1.01**	1.01
सुरक्षा जमा	**1897.60**	1697.92
अवैतनिक लाभांश	**17.62**	9.00
अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	**112.90**	51.73
पूंजीगत कार्यों हेतु देय	**2066.95**	2053.97
अन्य देनदारियां*	**5608.95**	5431.08
	10543.57	10150.20

*अन्य भुगतानों में वेतन और पारिश्रमिक, रॉयल्टी, पेंशन और कर्मचारी कल्याण आदि की देनदारी शामिल है।

32: अन्य दायित्व-चालू		
ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त आय	**1513.21**	1472.27
अग्रिम प्राप्त आय – अन्य	**80.42**	98.11
आस्थगित आय	**22.30**	22.38
जीएसटी देय	**1566.14**	1019.23
जीएसटी पर ब्याज के लिए दायित्व	**4.04**	3.15
जीएसटी पर आपूर्तिकर्ताओं से काटा गया टीडीएस	**41.00**	39.52
अन्य देनदारियां*	**1338.86**	879.19
	4565.97	3533.85

* इसमें डीवीसी, रेलवे से संबंधित और अन्य परिसंपत्तियों आदि के लिए प्रावधान शामिल हैं।

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
33: प्रावधान - चालू		
उपार्जित अवकाश दायित्व के लिए प्रावधान	**382.07**	364.63
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा एवं निपटान लाभ के लिए प्रावधान	**288.45**	253.94
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार का प्रावधान	**2.20**	2.10
प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रावधान	**45.84**	45.58
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव के लिए प्रावधान	**36.66**	28.19
वेतन पुनरीक्षण का प्रावधान	**2.26**	0.98
खदान वनरोपण/पुनरुद्धार आदि के लिए प्रावधान	**161.16**	169.37
अन्य प्रावधान*	**375.47**	516.89
	1294.11	**1381.68**

*इसमें डीवीसी, रेलवे से संबंधित और अन्य परिसंपत्तियों आदि के लिए प्रावधान शामिल हैं।

34: चालू कर दायित्व (शुद्ध)

प्रारंभिक शेष	**3.13**		0.66	
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रावधान	**615.53**		125.47	
घटा: वर्ष के दौरान भुगतान/हस्तांतरित राशि	**409.47**		123.00	
घटा: वर्ष के दौरान वापस लिखा गया प्रावधान	-	**209.19**	-	3.13
		209.19		**3.13**

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
35: परिचालनों से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री		
घरेलू	**102860.57**	101089.93
निर्यात	**1687.24**	2638.89
निर्यात प्रोत्साहन	**104547.81**	103728.82
उप जोड़ (क)		
सेवाओं की बिक्री	**19.93**	20.22
सेवा शुल्क	**19.93**	20.22
उप जोड़ (ख)		
अन्य परिचालन राजस्व		
निर्यात प्रोत्साहन	**25.72**	38.91
सामाजिक सुविधाएं–वसूली	**346.36**	322.87
खाली डिब्बों की बिक्री	**122.66**	86.41
विविध	**315.85**	250.49
उप जोड़ (ग)	**810.59**	698.68
कुल (क+ख+ग)	**105378.33**	104447.72

कोई भी ग्राहक 10 प्रतिशत से अधिक राजस्व का योगदान नहीं करता है।

माल की बिक्री पर क्रेडिट अवधि 0 से 120 दिनों तक होती है, चाहे वह सुरक्षा के साथ हो या उसके बिना।

जहां ग्राहक को किसी निश्चित अवधि के अंदर उत्पाद वापस करने का अधिकार है, कंपनी उस राशि के लिए धनवापसी देयता को मान्यता देती है जिसके लिए इकाई को हकदार होने की उम्मीद नहीं है। कंपनी लौटाए गए माल को वापस पाने के अधिकार को भी मान्यता देती है। धनवापसी देयता और उत्पादों को वापस पाने की लागत महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं है।



(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
राजस्व का पृथक्करण		
वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति		
मूल कंपनी लौह और इस्पात उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है और लौह और इस्पात उत्पादों की बिक्री से राजस्व उत्पन्न करती है और वही मूल कंपनी का एकमात्र रिपोर्ट योग्य खंड है।		
(1) प्राथमिक भौगोलिक बाजार		
भारत के अंदर	**102860.57**	101089.93
भारत के बाहर	**1687.24**	2638.89
कुल	**104547.81**	103728.82
(2) प्रमुख उत्पाद		
लोहा और इस्पात	**100984.80**	99813.35
अन्य माध्यमिक और उप–उत्पाद	**3563.01**	3915.47
कुल	**104547.81**	103728.82
अनुबंध मूल्य के साथ राजस्व का मिलान		
कुल राजस्व	**107196.13**	106819.50
घटाः छूट, निरंतरता, टर्नओवर छूट आदि	**2648.32**	3090.68
शुद्ध राजस्व को मान्यता दी गई	**104547.81**	103728.82
अनुबंध शेष		
निम्नलिखित तालिका ग्राहकों की प्राप्तियों के साथ अनुबंधों से प्राप्तियों, अनुबंध परिसंपत्तियों और अनुबंध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है जिन्हें 'व्यापार प्राप्तियों' में शामिल किया गया है।		
व्यापार प्राप्य	**8355.37**	5389.97
अनुबंध देनदारियां*	**1513.21**	1472.27

*ऊपर दर्शाई गई अनुबंध देनदारियों को 31 मार्च, 2025 तक मान्यता दिए जाने की उम्मीद है।

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
36: अन्य आय		
ब्याज से आय*		
ग्राहकों से	**182.38**	198.04
कर्मचारियों से	**9.83**	5.77
बैंक जमा	**13.42**	8.46
अन्य	**110.89**	77.80
कुल (क)	**316.52**	290.07
लाभांश से आय**		
निवेशों से लाभांश	**5.52**	5.15
कुल जोड़ (ख)	**5.52**	5.15
सूची की बिक्री से शुद्ध लाभ उप जोड़ (ग)	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय		
सबसीडी, राहत और छूट	**0.10**	0.10
सरकार से प्राप्त	**5.58**	5.77
प्रावधान जिन्हें अब वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है	**272.64**	54.51
वापस लिखी गई अन्य देनदारियां	**127.75**	350.52
परिसमापन मुआवजा	**80.38**	103.57
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	**130.00**	49.50
अन्य	**128.89**	92.75
	745.34	656.72
घटाः गैर–परिचालन आय के कारण होने वाले व्यय	**0.42**	1.58
उप जोड़ (घ)	**744.92**	655.14
कुल (क+ख+ग+घ)	**1066.96**	**950.36**

*ब्याज आय परिशोधित लागत पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर आय का प्रतिनिधित्व करती है।

**ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए निवेश से लाभांश

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
37 : उपभोग की गई सामग्री की लागत		
लौह अयस्क	**10324.00**	8871.00
कोयला	**45918.51**	50993.38
कोक	**1328.60**	480.44
चूना पत्थर	**2428.05**	2287.51
डोलोमाइट	**747.62**	768.52
फेरो मैंगनीज	**362.48**	331.76
फेरो सिलिकॉन	**485.21**	548.94
सिलिका मैंगनीज	**1951.91**	2260.30
जस्ता	**107.71**	146.89
अल्युमीनियम	**616.39**	584.67
अन्य	**2798.96**	2885.00
	67069.44	70158.41
घटाः अंतर खाता समायोजन	**9360.18**	7978.50
	57709.26	**62179.91**
38 : तैयार माल, प्रगतिरत कार्य और उप-उत्पादों की सूची में परिवर्तन		
आरंभिक स्टॉक		
तैयार माल	**8616.89**	4894.85
प्रगति पर कार्य	**3902.14**	2401.51
लौह अयस्क फाइन (उप–ग्रेड)	**4182.00**	4249.96
	16701.03	11546.32
घटा: अंतिम स्टॉक		
तैयार माल	**11747.32**	8616.89
प्रगति पर कार्य	**4197.06**	3902.14
लौह अयस्क फाइन (उप–ग्रेड)	**4111.42**	4182.00
	20055.80	16701.03
(अभिवृद्धि)/स्टॉक में कमी	**(3354.77)**	(5154.71)
39: कर्मचारी लाभ व्यय*		
वेतन–मजदूरी	**8748.34**	8842.19
अवकाश नकदीकरण	**792.35**	1076.25
भविष्य एवं अन्य निधियों में कंपनी का योगदान	**1437.21**	1286.53
यात्रा रियायत	-	103.99
कल्याण व्यय	**559.89**	542.65
उपहार	**227.93**	219.92
	11765.72	**12071.53**
***कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभों पर व्यय ऊपर शामिल नहीं है और इसके लिए शुल्क लिया गया है:**		
निर्माण के दौरान व्यय	**91.57**	104.84

परिभाषित लाभ दायित्व के प्रकटीकरण पर वर्णनात्मक नोट्स के लिए, नोट 50.1 देखें



(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
40: वित्त लागत				
ब्याज लागत				
विदेशी मुद्रा ऋण	**25.30**		26.32	
गैर परिवर्तनीय बांड	**101.49**		243.80	
बैंक उधार–कार्यशील पूंजी	**18.60**		12.20	
इस्पात विकास निधि ऋण	**9.29**		3.61	
अन्य बैंक उधार और वाणिज्यिक पत्र	**2256.76**		1601.80	
आयकर अधिनियम के अंतर्गत ब्याज	**2.74**		-	
अन्य उधार लेने की लागत	**59.68**		149.74	
	2473.86		2037.47	
*विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव सहित ₹ शून्य करोड़ का नुकसान (31 मार्च, 2022 तक: नुकसान ₹ 90.96 करोड़)।				
ब्याज और वित्त शुल्क पर व्यय ऊपर शामिल नहीं है और निर्माण के दौरान व्यय पर लगाया गया है:				
गैर परिवर्तनीय बांड	**70.94**		127.40	
इस्पात विकास निधि ऋण – ब्याज	**0.44**		0.99	
अन्य बैंक उधार	**112.00**		82.67	
	183.38		211.06	

41: अन्य व्यय

भंडार एवं पुर्जों की खपत				
उपभोग	**6335.91**		6126.08	
घटा: विभागीय रूप से निर्मित भंडार	**634.23**		713.73	
घटा: तैयार उत्पाद जो आंतरिक रूप से स्टोर और स्पेयर के रूप में उपयोग किए जाते हैं	**792.34**	**4909.34**	804.73	4607.62
मरम्मत और रख रखाव				
इमारत	**311.35**		282.91	
संयंत्र एवं मशीनरी	**1463.59**		1314.73	
अन्य	**508.76**	**2283.70**	422.27	2019.91
संभालने का व्यय				
कच्चा माल	**908.20**		648.83	
स्क्रैप वसूली	**307.43**	**1215.63**	312.59	961.42
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक				
लेखा–परीक्षण शुल्क	**2.74**		3.01	
कर लेखापरीक्षा शुल्क	**0.77**		0.86	
अन्य सेवाओं में	**1.77**		1.77	
कर्मचारियों द्वारा किया गया खर्चा	**0.65**	**5.93**	1.05	6.69
प्रावधान				
संदिग्ध ऋण, ऋण और अग्रिम	**63.07**		116.47	
निवेश	**52.51**		18.75	
भण्डार, पुर्जे और विविध वस्तुएं	**96.76**	**212.34**	220.65	355.87
बिजली और ईंधन		**7544.59**		7713.27
बाहर भेजने के लिए माल ढुलाई		**3176.80**		3030.93
रॉयल्टी और उपकर		**5577.30**		4521.01
रूपांतरण शुल्क		**204.28**		197.76
विलंब शुल्क एवं घाट शुल्क		**88.59**		87.03
जल शुल्क एवं जल प्रदूषण पर उपकर		**179.60**		154.20
बीमा		**87.39**		82.32
डाक, तार और टेलीफोन		**20.37**		18.35
छपाई और स्टेशनरी		**12.57**		11.43
दरें एवं कर		**49.09**		45.24

41: अन्य व्यय (जारी...)

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
किराया	**2.51**	5.23
कानूनी शुल्क	**29.13**	29.79
सुरक्षा व्यय	**827.72**	823.81
यात्रा व्यय	**78.66**	99.83
प्रशिक्षण व्यय	**91.53**	81.03
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय (नोट 49.6 देखें)	**162.45**	162.92
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव (शुद्ध)	**181.17**	963.87
लागत लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.12**	0.05
बट्टे खाते में डालना – विविध	**8.09**	0.10
खर्च संभालना – तैयार माल	**270.15**	237.70
क्षति से हानि	**-**	9.10
बिक्री एजेंटों को कमीशन	**9.62**	8.24
निर्यात बिक्री व्यय	**34.65**	145.27
मिश्रित	**845.49**	931.57
	28108.81	**27311.56**

41क: असाधारण मदें*

'विवाद से विश्वास योजना II' के अंतर्गत संविदात्मक निपटान	**394.39**	-
प्रवेश कर के निपटान के लिए प्रावधान	**446.45**	
अचल संपत्तियों की बिक्री	**-**	(301.34)
अन्य	**-**	43.35
	840.84	**(257.99)**

* नोट 49.14 देखें

41ख: प्रति शेयर कमाई

वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	**3066.67**	2176.53
इक्विटी शेयरों की संख्या	**4130525289.00**	4130525289.00
प्रति शेयर आय–मूल और मिश्रित (₹ करोड़)	**7.42**	5.27
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹)	**10.00**	10.00

42. वित्तीय उपकरण

i) उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय स्थिति के विवरण में उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। माप में महत्वपूर्ण इनपुट के अवलोकन के आधार तीन स्तरों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: वित्तीय साधनों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धत कीमतें (असमायोजित)।

स्तर 2: सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और इकाई विशिष्ट अनुमानों पर जितना संभव हो उतना कम विश्वास करते हैं।

स्तर 3: यदि उपकरण एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ii) वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है- आवर्ती उचित मूल्य माप

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2024 को	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय पूंजी				
एफवीटीपीएल पर वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्ति	-	-	-	-
एफवीओसीआई में निवेश				
इक्विटी उपकरण				
उद्धत	-	-	-	-
गैर–उद्धत	-	-	313.70	313.70
कुल वित्तीय संपत्ति	**-**	**-**	**313.70**	**313.70**
वित्तीय देनदारियाँ				
एफवीटीपीएल पर वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न देनदारियाँ	-	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**-**	**-**	**-**	**-**



उचित मूल्य पर गणना की गई वित्तीय संपत्तियां और देनदारियां - आवृत्ति उचित मूल्य माप (₹ करोड़)

31 मार्च, 2023 को	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय पूंजी				
एफवीटीपीएल पर वित्तीय संपत्ति				
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्ति	-	-	-	-
एफवीओसीआई में निवेश				
इक्विटी उपकरण				
उद्धत	-	-	-	-
गैर–उद्धत	-	-	239.79	239.79
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**239.79**	**239.79**
वित्तीय देनदारियां				
एफवीटीपीएल वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न देनदारियाँ	-	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारिया	**-**	**-**	**-**	**-**

iii) वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां - जिनके लिए उचित मूल्यों का प्रकटीकरण किया गया है (₹ करोड़)

	Level	As at 31st March, 2024		As at 31st March, 2023	
		Carrying value	Fair Value	Carrying value	Fair Value
वित्तीय पूंजी					
ऋण	Level-3	905.68	1022.00	690.55	800.78
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्ति	Level-2	-	-	-	-
इक्विटी उपकरण					
उद्धत	Level-1	-	-	-	-
गैर–उद्धत*	Level-3	313.70	313.70	239.79	239.79
कुल वित्तीय संपत्ति		**1219.38**	**1335.70**	**930.34**	**1040.57**
वित्तीय देनदारियां					
उधार (पट्टा दायित्व सहित)	Level-3	37306.15	37057.30	31836.09	31683.52
अन्य देनदारियां	Level-3	11010.06	11073.94	10516.54	10576.75
व्युत्पन्न दायित्व	Level-2	-	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियाँ		**48316.21**	**48131.24**	**42352.63**	**42260.27**

* पहले से ही उचित मूल्य पर

(iv) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया और तकनीक

वित्तीय उपकरणों के मूल्य निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्न शामिल हैं:

(कं) ब्याज स्वैप का उचित मूल्य डीलर या प्रतिपक्ष के समान साधनों के लिए उद्धरणों के आधार पर निर्धारित किया जाता है

(ख) अग्रिम विदेशी मुद्रा अनुबंध और मूल स्वैप का उचित मूल्य बैलेंस शीट तिथि पर अग्रिम दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

(ग) परिवर्तनीय ब्याज दर वाले उधारों का वहन मूल्य उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।

(ड़) 12 महीने से कम परिपक्वता वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वहन मूल्य उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।

(च) परिशोधित लागत (लीज़ दायित्वों सहित) पर वहन की जाने वाली निश्चित ब्याज दर वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य बैलेंस शीट तिथि पर समान परिसंपत्तियों और देनदारियों पर लागू बाजार ब्याज दर के बराबर छूट दर का उपयोग करके नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है।

(v) गैर उद्धत निवेश:

अउद्धृत इक्विटी निवेशों के उचित मूल्य अनुमान स्तर–3 में शामिल किए गए हैं और निवेशित कंपनी के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं। समूह को निवेश के उचित मूल्य में किसी संवेदनशीलता की उम्मीद नहीं है। सहकारी समितियों में निवेश के लिए, समूह ने निर्धारित किया है कि लागत उचित मूल्य का उचित अनुमान है, इसलिए, उचित मूल्यों के कारण कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

vi) निम्न तालिका स्तर 3 इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधनों के मूल्य में परिवर्तन प्रस्तुत करती है: (₹ करोड़)

असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियाँ	
31 मार्च, 2022 को	**172.85**
लाभ/हानि में मान्य अन्य मापक आय	66.94
31 मार्च, 2023 को	**239.79**
लाभ/हानि में मान्य अन्य मापक आय	73.91
31 मार्च, 2024 को	**313.70**

43: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(i) श्रेणी के अनुसार वित्तीय उपकरण

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय पूंजी						
निवेश						
इक्विटी उपकरण	-	313.70	-	-	239.79	-
व्यापार प्राप्य	-	-	8355.37	-	-	5389.97
नकद और नकद समकक्ष	-	-	69.38	-	-	57.09
अन्य बैंक शेष	-	-	603.57	-	-	493.55
ऋण	-	-	905.68	-	-	690.55
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्ति	-	-	-	-	-	-
अन्य प्राप्य	-	-	1814.03	-	-	1600.56
कुल	**-**	**313.70**	**11748.03**	**-**	**239.79**	**8231.72**
वित्तीय देनदारियां						
उधार (पट्टा दायित्व सहित)	-	-	37306.15	-	-	31836.09
व्यापार देय	-	-	15338.46	-	-	14345.01
व्युत्पन्न देयता	-	-	-			-
अन्य देय	-	-	11010.06	-	-	10516.54
कुल	**-**	**-**	**63654.67**	**-**	**-**	**56697.64**

ii) जोखिम प्रबंधन

समूह को इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी वित्तीय साधनों के संबंध में विभिन्न जोखिम हैं। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी की वित्तीय परिसंपत्ति और देनदारियों को श्रेणी के अनुसार नोट 43 (i) में संक्षेपित किया गया है। जोखिमों के मुख्य प्रकार बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम हैं। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी के जोखिम प्रबंधन को इसके मुख्यालय में निदेशक मंडल के साथ घनिष्ठ सहयोग में समन्वित किया जाता है, और अस्थिर वित्तीय बाजारों के जोखिम को कम करके समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी के अल्प से मध्यम अवधि के नकदी प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दीर्घकालिक वित्तीय निवेशों को स्थायी रिटर्न उत्पन्न करने के लिए प्रबंधित किया जाता है। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियां सट्टा उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के व्यापार में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होते हैं और न ही वे विकल्प लिखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम जिनसे समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियों को है, उनका वर्णन नीचे किया गया है।

क) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जब कोई प्रतिपक्ष मूल कंपनी के प्रति दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी विभिन्न वित्तीय साधनों के लिए इस जोखिम के संपर्क में हैं, उदाहरण के लिए ग्राहकों को ऋण और प्राप्य राशि प्रदान करना, जमा करना, आदि। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी का ऋण जोखिम के प्रति अधिकतम जोखिम निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि तक सीमित है।

- नकद और नकद समतुल्य
- व्युत्पन्न वित्तीय साधन
- व्यापार प्राप्य
- परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी व्यक्तिगत रूप से या समूह द्वारा पहचाने गए ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों की चूक की निरंतर निगरानी करते हैं, और इस जानकारी को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करते हैं। जहाँ उचित लागत पर उपलब्ध हो, ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग और/या रिपोर्ट प्राप्त की जाती हैं और उनका उपयोग किया जाता है। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी की नीति केवल ऋण योग्य प्रतिपक्षों के साथ ही व्यवहार करने की है।

क) ऋण जोखिम प्रबंधन

नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन केवल उच्च श्रेणी के बैंकों को स्वीकार करके और देश भर के विभिन्न बैंकों में बैंक जमा और खातों में विविधता लाकर किया जाता है।

व्युत्पन्न वित्तीय साधन

व्युत्पन्न वित्तीय साधनों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन भी केवल उच्च श्रेणी के बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ प्रतिपक्ष के रूप में ऐसी व्यवस्था करके किया जाता है। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी कई प्रतिपक्षों के साथ अपनी होल्डिंग्स में विविधता लाते हैं।

व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य से संबंधित ऋण जोखिम को उन ग्राहकों से बैंक गारंटी लेकर कम किया जाता है, जहाँ ऋण जोखिम अधिक होता है। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी देनदारों की ऋण–योग्यता पर बारीकी से नज़र रखते हैं और केवल ऋण–योग्य पक्षों को ही सामान बेचते हैं। समूह के संयुक्त उद्यम और सहयोगी की आंतरिक प्रणाली ग्राहकों की ऋण सीमा को परिभाषित करने के लिए कॉन्फ़िगर की गई है, जिससे ऋण जोखिम को पूर्व–गणना की गई राशियों तक सीमित किया जा सके।

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कर्मचारियों और अन्य लोगों को दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम को ऐसी राशियों की वसूली की निरंतर निगरानी करके प्रबंधित किया जाता है, जबकि साथ ही आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राशियाँ निर्धारित सीमाओं के अंदर हों।



ख) अपेक्षित ऋण हानियाँ

समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियां निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानियाँ प्रदान करते हैं:

व्यापार प्राप्य

समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यापार प्राप्य पर आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों को पहचानते हैं और व्यापार प्राप्य की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रासंगिक हानि प्रतिशत की गणना के लिए ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग करते हैं।

व्यापार प्राप्य आयु पर वर्णनात्मक नोट के लिए, नोट 48.4 देखें (ख)

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय संपत्तियाँ

समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी किसी भी ऋण हानि की अपेक्षा के लिए व्यक्तिगत वित्तीय साधनों का आकलन करके "ऋण अग्रिम और व्यापार प्राप्य के अलावा अन्य" पर अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान करते हैं। चूँकि इस श्रेणी में विभिन्न प्रकृति और उद्देश्य के ऋण और प्राप्य शामिल हैं, इसलिए ऐसा कोई रुझान नहीं है जिसे समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियां पूरी आबादी पर लगातार लागू करने के लिए तैयार कर सकें। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, समूह की संयुक्त उद्यम और सहयोगी की नीति प्रारंभिक मान्यता पर 12 महीने की अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान करना और ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि पर आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान करना है। समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी के पास ऐसी परिसंपत्तियों पर उनकी कम ऋण जोखिम प्रकृति को देखते हुए मान्यता प्राप्त कोई अपेक्षित हानि आधारित हानि नहीं है, हालांकि ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक उप–श्रेणी के अंतर्गत किए गए नुकसान के प्रावधानों का प्रकटीकरण किया गया है।

ख) चलनिधि जोखिम

विवेकपूर्ण चलनिधि जोखिम प्रबंधन का अर्थ है पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता। व्यवसाय की प्रकृति के कारण, समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी प्रतिबद्ध सुविधाओं के अंतर्गत उपलब्धता बनाए रखते हुए धन में लचीलापन बनाए रखते हैं। प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी की तरलता स्थिति और नकदी और नकदी समकक्षों के रोलिंग पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी उस बाजार की तरलता को ध्यान में रखते हैं जिसमें इकाई संचालित होती है। इसके अतिरिक्त, समूह, इसके संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी की तरलता प्रबंधन नीति में प्रमुख मुद्राओं में नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना और इन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्तियों के स्तर पर विचार करना, आंतरिक और बाह्य नियामक आवश्यकताओं के विरुद्ध बैलेंस शीट तरलता अनुपात की निगरानी करना और ऋण वित्तपोषण योजनाओं को बनाए रखना शामिल है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिकाएँ समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में करती हैं, जो सभी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वताओं पर आधारित हैं और तालिका में बताई गई राशियाँ संविदात्मक छूट रहित नकदी प्रवाह हैं। 12 महीनों के अंदर देय शेष राशि उनके वहन शेष के बराबर है क्योंकि छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2024 तक वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न					
उधार	21474.30	1320.89	4521.17	5386.14	32702.50
व्यापार देय	15061.59	58.74	49.77	162.29	15332.39
अन्य देय	7011.54	133.60	115.96	423.77	7684.87
कुल	**43547.43**	**1513.23**	**4686.90**	**5972.20**	**55719.76**
व्युत्पन्न					
व्युत्पन्न देयताएं	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

31 मार्च, 2023 तक वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न					
उधार	19804.09	2437.65	911.79	5312.62	28466.15
व्यापार देय	13882.19	234.83	3.73	222.30	14343.05
अन्य देय	6180.18	145.17	230.26	921.58	7477.19
कुल	**39866.46**	**2817.65**	**1145.78**	**6456.50**	**50286.39**
व्युत्पन्न					
व्युत्पन्न	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

ग) बाज़ार जोखिम

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियों के अधिकांश लेन–देन भारतीय रुपये में किए जाते हैं। मुद्रा विनिमय दरों के जोखिम समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियों की विदेशी उधार व्यवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं, जो मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर (अमरीकी डालर) में मूल्यवर्गित होते हैं। समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियों के विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए, गैर–भारतीय मुद्रा नकदी प्रवाह की निगरानी की जाती है और समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियों की जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार अग्रिम विनिमय अनुबंध किए जाते हैं। आम तौर पर, समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियों की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ अल्पकालिक विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह (6 महीने के अंदर देय) को दीर्घकालिक नकदी प्रवाह (6 महीने के बाद देय) से अलग करती हैं। जहाँ किसी विशिष्ट मुद्रा में भुगतान और प्राप्त की जाने वाली राशियों से एक दूसरे को बड़े पैमाने पर ऑफसेट करने की उम्मीद की जाती है, वहाँ कोई और हेजिंग गतिविधि नहीं की जाती है। फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंध मुख्य रूप से महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जोखिमों के लिए किए जाते हैं, जिनकी अन्य समान–मुद्रा लेनदेन द्वारा भरपाई होने की उम्मीद नहीं है।

विदेशी मुद्रा जोखिम:

समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियों के विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए महत्वपूर्ण जोखिम रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ₹ करोड़ में व्यक्त किए गए हैं:

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	अमरीकी डॉलर	यूरो	अमरीकी डॉलर	यूरो
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
व्यापार प्राप्य	87.46	-	32.77	-
नकद और नकद समतुल्य	-	-	-	-
अन्य बैंक शेष	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-
व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियाँ (सकल राशियाँ, उधारों को हेज करने के लिए)	-	-	-	-
अन्य प्राप्य	-			
विदेशी मुद्रा जोखिम (परिसंपत्तियों) के लिए शुद्ध जोखिम	**87.46**	**-**	**32.77**	**-**
वित्तीय देनदारियाँ				
उधार	-	277.01	-	302.95
व्यापार देय	9728.38	60.11	8412.14	51.58
अन्य देय	101.72	179.99	152.01	216.87
विदेशी मुद्रा जोखिम (देनदारियों) के लिए शुद्ध जोखिम	**9830.10**	**517.11**	**8564.15**	**571.40**

संवेदनशीलता

निम्न तालिका समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियों की वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों तथा अमरीकी डालर/भारतीय रुपया विनिमय दर और यूरो/भारतीय रुपया विनिमय दर के संबंध में लाभ और इक्विटी की संवेदनशीलता को दर्शाती है जबकि 'अन्य सभी चीजें समान होती हैं'। यह 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रुपया/अमरीकी डालर विनिमय दर में +/− 2.02 प्रतिशत परिवर्तन मानता है (2023: 4.93 प्रतिशत)। भारतीय रुपया/यूरो विनिमय दर (2023: 8.75 प्रतिशत) के लिए +/− 5.77 प्रतिशत परिवर्तन पर विचार किया जाता है। ये दोनों प्रतिशत पिछले 12 महीनों में विनिमय दरों में औसत बाजार अस्थिरता के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। संवेदनशीलता विश्लेषण समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी के प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर रखे गए विदेशी मुद्रा वित्तीय साधनों पर आधारित है और इसमें मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को ऑफसेट करने वाले वायदा विनिमय अनुबंधों को भी ध्यान में रखा गया है।

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अमरीकी डॉलर संवेदनशीलता		
भारतीय रुपया/अमरीकी डॉलर– 2.02 प्रतिशत की वृद्धि (31 मार्च 2024)	196.80	-
भारतीय रुपया/अमरीकी डॉलर– 2.02 प्रतिशत की कमी (31 मार्च 2024)	(196.80)	-
भारतीय रुपया/अमरीकी डॉलर– 4.93 प्रतिशत की वृद्धि (31 मार्च 2023)	-	420.60
भारतीय रुपया/अमरीकी डॉलर– 4.93 प्रतिशत की कमी (31 मार्च 2023)	-	(420.60)
यूरो संवेदनशीलता		
भारतीय रुपया/यूरो– 5.77 प्रतिशत की वृद्धि (31 मार्च 2024)	29.84	-
भारतीय रुपया/यूरो– 5.77 प्रतिशत की कमी (31 मार्च 2024)	(29.84)	-
भारतीय रुपया/यूरो– 8.75 प्रतिशत की वृद्धि (31 मार्च 2023)	-	50.00
भारतीय रुपया/यूरो– 8.75 प्रतिशत की कमी (31 मार्च 2023)	-	(50.00)

ख) ब्याज दर जोखिम

समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी की नीति दीर्घकालिक वित्तपोषण पर ब्याज दर नकदी प्रवाह जोखिम जोखिम को कम करना है। इसलिए दीर्घकालिक उधार आमतौर पर निश्चित दरों पर होते हैं। 31 मार्च, 2024 को, समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियां परिवर्तनीय ब्याज दरों पर बैंक उधार के माध्यम से बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम में हैं। अन्य उधार निश्चित ब्याज दरों पर हैं। समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी के बांड में निवेश सभी निश्चित ब्याज दरों का भुगतान करते हैं। समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी के मनी मार्केट फंड के लिए ब्याज दरों के जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। निम्न तालिका +/− 1 प्रतिशत (2023: +/− 1 प्रतिशत) की ब्याज दरों में उचित रूप से संभावित परिवर्तन के लिए लाभ और इक्विटी की संवेदनशीलता को दर्शाती है। वर्तमान बाजार स्थितियों के अवलोकन के आधार पर इन परिवर्तनों को उचित रूप से संभव माना जाता है। गणना प्रत्येक अवधि के लिए औसत बाजार ब्याज दर में परिवर्तन और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर रखे गए वित्तीय साधनों पर आधारित है जो ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। अन्य सभी चर स्थिर रखे गए हैं।

i) देयताएँ

समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी की नीति दीर्घकालिक वित्तपोषण पर ब्याज दर नकदी प्रवाह जोखिम एक्पोज़र को कम करना है। 31 मार्च, 2024 को, समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी परिवर्तनीय ब्याज दरों पर बैंक उधार के माध्यम से बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के संपर्क में हैं।

ब्याज दर जोखिम एक्पोज़र

नीचे समूह का ब्याज दर जोखिम के प्रति समग्र जोखिम है:

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
परिवर्तनीय दर उधार (व्युत्पन्न द्वारा ऑफसेट किए गए जोखिम को छोड़कर)	29041.80	21607.68
निश्चित दर उधार	1559.17	4054.10
कुल उधार	**30600.97**	**25661.78**

संवेदनशीलता

नीचे ब्याज दरों में लाभ या हानि और इक्विटी परिवर्तन की संवेदनशीलता दी गई है।

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
ब्याज दर संवेदनशीलता		
ब्याज दरें–100 आधार अंकों की वृद्धि	**290.42**	216.08
ब्याज दरें–100 आधार अंकों की कमी	**(290.42)**	(216.08)



ii) परिसंपत्तियाँ

समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी की सावधि जमाराशियाँ परिशोधित लागत पर रखी जाती हैं और ये निश्चित दर वाली जमाराशियाँ हैं। इसलिए वे भारतीय लेखा मानक 107 में परिभाषित ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा।

ब्याज दर जोखिम एक्पोज़र

नीचे वित्तीय परिसंपत्तियों का समग्र जोखिम है:

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
परिवर्तनीय दर जमा/ऋण	-	-
स्थिर दर जमा/ऋण	1509.25	1184.10
कुल जमा	**1509.25**	**1184.10**

ग) मूल्य जोखिम

एक्पोज़र

समूह अन्य कंपनियों के अपने निवेश शेयरों के संबंध में अन्य मूल्य जोखिम के संपर्क में है (नोट 8 देखें)। समूह शेयरों में अपने निवेश के मूल्य में परिवर्तन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है, इसलिए बैलेंस शीट की तारीख पर बकाया जोखिमों पर मूल्य जोखिम के संपर्क में नहीं है।

44: पूंजी प्रबंधन

समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियों के पूंजी प्रबंधन उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी की चालू चिंता के रूप में जारी रहने की क्षमता सुनिश्चित करना।
- शेयरधारकों को पर्याप्त रिटर्न प्रदान करना

समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियां बैलेंस शीट के मुखपृष्ठ पर प्रस्तुत इक्विटी घटा नकदी और नकद समकक्षों की वहन राशि के आधार पर पूंजी की निगरानी करते हैं।

प्रबंधन अत्यधिक उत्तोलन से बचते हुए एक कुशल समग्र वित्तपोषण संरचना को बनाए रखने के लिए समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियों की पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है। यह समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियों के ऋण के विभिन्न वर्गों के अधीनस्थ स्तरों को ध्यान में रखता है। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियां पूंजी संरचना का प्रबंधन करते हैं और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन और अंतर्निहित परिसंपत्तियों की जोखिम विशेषताओं के मद्देनज़र इसमें समायोजन करते हैं। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी शेयरधारकों को दिए जाने वाले लाभांश की राशि को समायोजित कर सकते हैं, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकते हैं, नए शेयर जारी कर सकते हैं या ऋण कम करने के लिए परिसंपत्तियों को बेच सकते हैं।

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
शुद्ध ऋण	37236.77	31779.00
कुल इक्विटी	57101.22	54746.67
शुद्ध ऋण से इक्विटी अनुपात	**0.65**	**0.58**

लाभांश

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
इक्विटी शेयर		
(i) ₹ 10 प्रति शेयर चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर अंतरिम लाभांश	**413.05**	413.05
(ii) लाभांश जिसकी पहचान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में नहीं की गई है	**413.05**	206.53

44 क. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों का विवरण

						आनुपातिक स्वामित्व % में	
क्र. सं.	नाम	संबंध	गतिविधि की प्रकृति	निगमन का मुख्य स्थान	व्यवसाय का मुख्य स्थान	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
1	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	सहायक कम्पनी	रिफैक्ट्री सामग्री उत्पादन	भारत	भारत	100.00%	100.00%
2	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	सहायक कम्पनी	स्टील उत्पादन	भारत	भारत	74.00%	74.00%
3	एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	बिजली उत्पादन	भारत	भारत	50.00%	50.00%
4	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	बिजली उत्पादन	भारत	भारत	50.00%	50.00%
5	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	परामर्श सेवाएँ	भारत	भारत	50.00%	50.00%
6	सेल–बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	परामर्श सेवाएँ	भारत	भारत	40.00%	40.00%
7	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	सीमेंट उत्पादन	भारत	भारत	26.00%	26.00%
8	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	कोयला खनन	भारत	मोजाम्बिक	47.82%	47.82%
9	सेल–एससीएल केरल लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	स्टील उत्पादन	भारत	भारत	49.26%	49.26%
10	सेल–राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	रेल के डिब्बो का निर्माण	भारत	भारत	50.00%	50.00%
11	सेल–कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	स्टील उत्पादन	भारत	भारत	50.00%	50.00%
12	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	स्टील उत्पादन	भारत	भारत	26.00%	26.00%
13	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	मिश्र धातु कास्टिंग	भारत	भारत	20.58%	20.58%
14	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	रेलवे परियोजना	भारत	भारत	12.00%	12.00%
15	जीईडीसीओएल सेल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	बिजली उत्पादन	भारत	भारत	26.00%	26.00%
16	रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	स्टील उत्पादन	भारत	भारत	15.00%	15.00%
17	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी	मैग्नेसाइट खनन	भारत	भारत	20.00%	20.00%

44 ख. इक्विटी पद्धति के निवेशकों की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी

व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण संयुक्त उद्यम

एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड

(₹ करोड़)

सारांशित बैलेंस शीट	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
चालू परिसंपत्तियाँ		
नकद और नकद समतुल्य	**62.26**	32.80
अन्य परिसंपत्तियाँ	**978.76**	922.20
	1,041.02	955.00
गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	**4,582.52**	4,621.30
चालू देयताएँ		
वित्तीय देयताएँ (प्रावधानों को छोड़कर)	**1,209.92**	1,355.87
अन्य देयताएँ	**138.28**	183.10
	1,348.20	1,538.97
गैर-चालू देनदारियाँ		
वित्तीय देनदारियाँ (प्रावधानों को छोड़कर)	**1,107.44**	1,152.92
अन्य देनदारियाँ	**7.02**	6.20
	1,114.46	1,159.12
शुद्ध संपत्तियाँ	**3,160.88**	2,878.21
स्वामित्व हित	**50.00%**	50.00%
ब्याज की वहन राशि	**1,580.44**	1,439.11

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण		
राजस्व	**3,870.60**	3,707.74
मूल्यह्रास और परिशोधन	**78.58**	76.05
ब्याज व्यय	**127.20**	99.05
आयकर व्यय या आय	**103.04**	79.25
संचालन जारी रखने से लाभ या हानि	**435.86**	470.33
कर के बाद बंद किए गए संचालन से लाभ या हानि	**-**	-
अन्य व्यापक आय	**(3.18)**	0.66
कुल व्यापक आय	**432.68**	470.99
स्वामित्व हित	**50.00%**	50.00%

एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड

सारांशित बैलेंस शीट		
चालू परिसंपत्तियाँ		
नकदी और नकद समतुल्य	**46.01**	45.76
अन्य परिसंपत्तियाँ	**650.33**	594.51
	696.34	640.27
गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	**157.07**	108.67
चालू देयताएँ		
वित्तीय देयताएँ (प्रावधानों को छोड़कर)	**564.05**	422.23
अन्य देयताएँ	**10.94**	12.49
	574.99	434.72
गैर-चालू देयताएँ		
वित्तीय देयताएँ (प्रावधानों को छोड़कर)	**10.75**	12.02
अन्य देयताएँ	**1.90**	1.93
	12.65	13.95
शुद्ध परिसंपत्तियाँ	**265.77**	300.27
स्वामित्व हित	**50.00%**	50.00%
ब्याज की वहन राशि	**132.89**	150.14



(₹ करोड़)

एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
राजस्व	**328.37**	322.13
मूल्यह्रास और परिशोधन	**13.58**	12.04
ब्याज व्यय	**0.13**	0.07
आयकर व्यय या आय	**20.41**	24.64
संचालन जारी रखने से लाभ या हानि	**66.34**	74.21
कर के बाद बंद किए गए संचालन से लाभ या हानि	**-**	-
अन्य व्यापक आय	**(0.84)**	(0.31)
कुल व्यापक आय	**65.50**	73.90
स्वामित्व हित	**50.00%**	50.00%

इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड

सारांशित बैलेंस शीट		
चालू परिसंपत्तियाँ		
नकदी और नकद समतुल्य	**7.81**	4.85
अन्य परिसंपत्तियाँ	**55.93**	57.74
	63.74	62.59
गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	**2,684.47**	2,623.72
चालू देयताएँ		
वित्तीय देयताएँ (प्रावधानों को छोड़कर)	**150.57**	125.08
अन्य देयताएँ	**0.80**	0.15
	151.37	125.23
गैर-चालू देयताएँ		
वित्तीय देयताएँ (प्रावधानों को छोड़कर)	**-**	-
अन्य देयताएँ	**18.76**	18.50
	18.76	18.50
शुद्ध परिसंपत्तिया	**2,578.08**	2,542.58
	2,578.08	2,542.58
स्वामित्व हित	**47.82%**	47.82%
ब्याज की वहन राशि	**1,232.84**	1,215.86

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण		
राजस्व	**20.33**	11.86
मूल्यह्रास और परिशोधन	**-**	-
ब्याज व्यय	**29.43**	122.49
आयकर व्यय या आय	**-**	-
संचालन जारी रखने से लाभ या हानि	**(29.51)**	(126.46)
कर के बाद बंद किए गए संचालन से लाभ या हानि	**-**	-
अन्य व्यापक आय	**65.01**	292.52
कुल व्यापक आय	**35.50**	166.06
स्वामित्व हित	**47.82%**	47.82%

बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

सारांशित बैलेंस शीट		
चालू परिसंपत्तियाँ		
नकदी और नकद समतुल्य	**2.12**	2.00
अन्य परिसंपत्तियाँ	**566.73**	498.86
	568.85	500.86
गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	**451.91**	467.65
चालू देयताएँ		
वित्तीय देयताएँ (प्रावधानों को छोड़कर)	**69.03**	60.40
अन्य देयताएँ	**55.39**	27.05
	124.42	87.45
गैर-चालू देयताएँ		
वित्तीय देयताएँ (प्रावधानों को छोड़कर)	**4.73**	4.54
अन्य देयताएँ	**36.83**	37.91
	41.56	42.45
शुद्ध परिसंपत्तियाँ	**854.78**	838.61
स्वामित्व हित	**50.00%**	50.00%
ब्याज की वहन राशि	**427.39**	419.31

44 ख. इक्विटी पद्धति निवेशकों की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी (जारी...)

(₹ करोड़)

बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
राजस्व	**835.86**	890.09
मूल्यह्रास और परिशोधन	**0.35**	0.35
ब्याज व्यय	**1.56**	3.62
आयकर व्यय या आय	**25.10**	26.69
संचालन जारी रखने से लाभ या हानि	**76.89**	64.38
कर के बाद बंद किए गए संचालन से लाभ या हानि	**-**	-
अन्य व्यापक आय	**1.17**	(0.27)
कुल व्यापक आय	**78.06**	64.11
स्वामित्व हित	**50.00%**	50.00%

भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड

सारांशित बैलेंस शीट		
चालू परिसंपत्तियाँ		
नकद और नकद समतुल्य	**1.00**	2.38
अन्य परिसंपत्तियाँ	**26.39**	30.19
	27.39	32.57
गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	**579.25**	599.90
चालू देयताएँ		
वित्तीय देयताएँ (प्रावधानों को छोड़कर)	**230.82**	193.58
अन्य देयताएँ	**218.87**	148.10
	449.69	341.68
गैर-चालू देयताएँ		
वित्तीय देयताएँ (प्रावधानों को छोड़कर)	**1.29**	1.35
अन्य देयताएँ	**509.30**	503.85
	510.59	505.20
शुद्ध परिसंपत्तियाँ	**(353.64)**	(214.41)
स्वामित्व हित	**26.00%**	26.00%
शुद्ध परिसंपत्तियों का परिकलित हिस्सा	**(91.95)**	(55.75)
ख्याति		
ब्याज की वहन राशि	**(91.95)**	(55.75)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण		
राजस्व	**4.58**	36.29
मूल्यह्रास और परिशोधन	**34.22**	35.03
ब्याज व्यय	**3.76**	6.83
आयकर व्यय या आय	**(25.93)**	(22.32)
संचालन जारी रखने से लाभ या हानि	**(138.77)**	(63.92)
कर के बाद बंद किए गए संचालन से लाभ या हानि	**-**	-
अन्य व्यापक आय	**(0.31)**	0.28
कुल व्यापक आय	**(139.08)**	(63.64)
स्वामित्व हित	**26.00%**	26.00%

संयुक्त उद्यमों के लिए संक्षिप्त वित्तीय जानकारी जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं है

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण		
निरंतर परिचालन से लाभ या हानि	**15.31**	(18.07)
बंद परिचालन से कर–पश्चात लाभ या हानि	**-**	-
अन्य व्यापक आय	**(0.04)**	(0.04)
कुल व्यापक आय	**15.27**	(18.11)

सहयोगी कम्पनियां जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण		
निरंतर परिचालन से लाभ या हानि	**1.03**	0.94
बंद परिचालन से कर–पश्चात लाभ या हानि	**-**	-
अन्य व्यापक आय	**-**	-
कुल व्यापक आय	**1.03**	0.94



44 ख. इक्विटी पद्धति निवेशकों की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी (जारी...)

संयुक्त उद्यमों के घाटे का अपरिचित हिस्सा, रिपोर्टिंग अवधि और संचयी दोनों के लिए, जहां सेल ने इक्विटी पद्धति को लागू करते समय संयुक्त उद्यम के घाटे के अपने हिस्से को पहचानना बंद कर दिया है

(₹ करोड़)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड – रिपोर्टिंग	**36.16**	3.24
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड – संचयी	**39.40**	3.24
सेल एससीएल केरल लिमिटेड – रिपोर्टिंग	**-**	2.87
सेल एससीएल केरल लिमिटेड – संचयी	**57.69**	57.69

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश		
एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	**75.00**	325.00
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	**50.00**	10.00
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	**31.00**	66.97
सेल–राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	**1.20**	-

44 ग. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों का विवरण

44.ग.1 समूह की संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में निवेश, जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से बताया गया है, 31 मार्च, 2024 तक पूरी तरह से प्रदान किया गया है।

	संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं का नाम
1	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड *
2	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड
3	सेल एससीएल केरल लिमिटेड *
4	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड *
5	रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड *
6	सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड *

* इन संयुक्त उद्यमों के संबंध में लाभ/हानि का हिस्सा शून्य माना गया है

समूह की संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, परिसमापन/समापन/समाधान के अधीन हैं।

	आईसीवीएल की सहायक/संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं (संयुक्त उद्यम इकाई):
1	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड
2	सेल एससीएल केरल लिमिटेड

44.ग.2 समूह की एक सहायक कंपनी और आठ संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है, कुछ लेखांकन नीतियां समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप नहीं हैं। समूह की लेखांकन नीति के साथ असंगतता के कारण इन संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के लाभ/हानि पर प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

क्र.सं.	संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं का नाम	होल्डिंग कंपनी की लेखा नीति की तुलना में अलग लेखा नीति का विवरण
1	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड – सहायक कंपनी	**नोट संख्या 3.6:** तैयार/अर्ध–तैयार इन्वेंट्री का मूल्यांकन **नोट संख्या 3.11:** पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन **नोट संख्या 3.12:** परिसमाप्त क्षति और मूल्य वृद्धि के लिए दाव **नोट संख्या 3.19:** नकद और नकद समकक्ष
2	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड – संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	**नोट संख्या 2.4:** अमूर्त आस्तियों (सॉफ्टवेयर) का परिशोधन तीन वर्ष की अवधि में किया जाता है। **नोट संख्या 2.11:** नकदी और नकदी समतुल्य
3	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड – संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	**नोट संख्या 3.2.2:** संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की प्रमुख मरम्मत को आइटम की अग्रणीत राशि में मान्यता दी जाती है यदि यह संभावना है कि किए गए खर्चों का भविष्य का आर्थिक लाभ समूह को मिलेगा। **नोट संख्या 3.2.3:** पूंजीगत पुर्जों पर मूल्यह्रास पुर्जे के उपयोगी जीवन या मूल परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर, जैसा कि पुनर्मूल्यांकित किया गया है, जो भी कम हो, प्रदान किया जाता है।

क्र.सं.	संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं का नाम	होल्डिंग कंपनी की लेखा नीति की तुलना में अलग लेखा नीति का विवरण
4	एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड –संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	**नोट संख्या 1.1:** पूंजीगत पुर्जों के पूंजीकरण पर कोई मौद्रिक सीमा नहीं **नोट संख्या 1.2:** पूंजीगत मरम्मत के पूंजीकरण पर कोई मौद्रिक सीमा नहीं **नोट संख्या 1.5:** कुछ परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जो सेल से अलग है। **नोट संख्या 3.4:** सॉफ्टवेयर का परिशोधन 3 वर्ष या उपयोग करने के कानूनी अधिकार, जो भी कम हो, के लिए किया जाता है **नोट संख्या 5:** फ्लाई ऐश उपयोग रिजर्व **नोट संख्या 7:** इन्वेंट्री का मूल्यांकन **नोट संख्या 8:** नकद और नकद समकक्ष **नोट संख्या 19:** पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटियाँ
5	सेल–राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड– संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां **नोट संख्या 3.8:** इन्वेंट्री के मूल्यांकन का आधार सेल से अलग है **नोट संख्या 3.10**: परिभाषित योगदान योजना **नोट संख्या 3.11:** नकद और नकद समकक्ष
6	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां **नोट संख्या 4.1**- पीपीई– प्रारंभिक मान्यता और माप **नोट संख्या 4.2** मान्यता रद्द करना **नोट संख्या 4.3** मूल्यह्रास **नोट संख्या 6.1** सॉफ्टवेयर का जीवनकाल **नोट संख्या 9** इन्वेंट्री **नोट संख्या 13** राजस्व मान्यता **नोट संख्या14** परिसमापन क्षति **नोट संख्या 16:** निवेश संपत्तियां **नोट संख्या 19:** नकद और नकद समकक्ष **नोट संख्या23** लाभांश **नोट संख्या 24** पूर्व अवधि आइटम **नोट संख्या 25:** नकदी प्रवाह विवरण
7	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	**नोट संख्या 2.9** संपत्ति, संयंत्र और उपकरण **नोट संख्या 2.11** अमूर्त संपत्तियां **नोट संख्या 2.16** इन्वेंटरी
8	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	नोटः पूर्व अवधि की त्रुटियाँ
9	जीईडीसीओएल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां **छ.** कंप्यूटर का अनुमानित उपयोगी जीवन 3 वर्ष है **ज.** नकदी और नकदी समकक्षों पर नीति

44.ग.3 इक्विटी पद्धति के अंतर्गत, संयुक्त उद्यम/सहयोगी में निवेश की गणना सहायक कंपनियों के मामले के विपरीत लाइन आधारित पद्धति से नहीं की जाती है। इसलिए, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से खरीद/बिक्री के समापन स्टॉक पर केवल लाभ/हानि तत्व को ही समाप्त करने पर विचार किया जाना चाहिए। सेल मुख्य रूप से अपने संयुक्त उद्यमों से बिजली खरीदता है, जिनके पास कोई समापन स्टॉक नहीं है। इसके अलावा, अन्य संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के साथ लेन–देन बहुत महत्वहीन है और उस पर लाभ/हानि की गणना करना भी व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

44 ग. समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III द्वारा अपेक्षित सूचना

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	निवल मूल्य			लाभ या (हानि)		अन्य व्यापक आय		कुल व्यापक आय	
समूह में इकाई का नाम	31 मार्च, 2023 तक स्वामित्व प्रतिशत में	आनुपातिक हिस्सा (₹ करोड़)	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में	लाभ/(हानि) में हिस्सा (₹ करोड़)	समेकित लाभ/(हानि) के प्रतिशत के रूप में	अन्य व्यापक आय में हिस्सा (₹ करोड़)	समेकित अन्य व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	कुल समग्र आय में हिस्सा (₹ करोड़)	समेकित कुल व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया	100.00	54,130.54	94.80%	2,733.11	89.12%	(122.17)	132.03%	2,610.94	87.79%
सहायक कंपनियां									
सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	100.00	182.89	0.32%	20.17	0.66%	(0.02)	0.02%	20.15	0.68%
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	74.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
संयुक्त उद्यम									
एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	50.00	1,580.44	2.77%	217.93	7.11%	(1.59)	1.72%	216.34	7.27%



31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	निवल मूल्य			लाभ या (हानि)		अन्य व्यापक आय		कुल व्यापक आय	
समूह में इकाई का नाम	31 मार्च, 2023 तक स्वामित्व प्रतिशत में	आनुपातिक हिस्सा (₹ करोड़)	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में	लाभ/(हानि) में हिस्सा (₹ करोड़)	समेकित लाभ/(हानि) के प्रतिशत के रूप में	अन्य व्यापक आय में हिस्सा (₹ करोड़)	समेकित अन्य व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	कुल समग्र आय में हिस्सा (₹ करोड़)	समेकित कुल व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	50.00	427.39	0.75%	38.45	1.25%	0.59	-0.63%	39.03	1.31%
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	50.00	132.89	0.23%	33.17	1.08%	(0.42)	0.45%	32.75	1.10%
सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	40.00	1.26	0.00%	0.06	0.00%	(0.02)	0.02%	0.04	0.00%
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	26.00	(91.95)	-0.16%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	47.82	1,232.84	2.16%	(14.11)	-0.46%	31.09	-33.59%	16.98	0.57%
सेल एससीएल केरल लिमिटेड	49.26	-	-	-	-	-	-	-	-
सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	50.00	33.68	0.06%	4.03	0.13%	-	0.00%	4.03	0.14%
सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	50.00	0.09	0.00%	(0.00)	0.00%	-	0.00%	(0.00)	0.00%
प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	26.00	10.56	0.02%	1.58	0.05%	-	0.00%	1.58	0.05%
वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	20.58	-	-	-	-	-	-	-	-
जीईडीसीओएल सेल पावर कॉर्प लिमिटेड	26.00	2.58	0.00%	(0.03)	0.00%	-	0.00%	(0.03)	0.00%
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	12.00	35.27	0.06%	0.14	0.00%	-	0.00%	0.14	0.00%
रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड	15.00								
एसोसिएट्स							0.00%		
अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	20.00	1.71	0.00%	0.21	0.01%	-	0.00%	0.21	0.01%
गैर-नियंत्रक हित		-	-	-	-	-	-	-	-
समेकन समायोजन		**(579.01)**	**-1.01%**	**31.98**	**1.04%**	**0.00**	**0.00%**	**31.99**	**1.08%**
कुल योग		**57,101.23**	**100.00%**	**3,066.67**	**100.00%**	**(92.54)**	**100.00%**	**2,974.13**	**100.00%**

44ड. समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III द्वारा अपेक्षित जानकारी

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	निवल मूल्य			लाभ या (हानि)		अन्य व्यापक आय		कुल व्यापक आय	
समूह में इकाई का नाम	31 मार्च, 2023 तक स्वामित्व प्रतिशत में	आनुपातिक हिस्सा (₹ करोड़)	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में	लाभ/(हानि) में हिस्सा (₹ करोड़)	समेकित लाभ/(हानि) के प्रतिशत के रूप में	अन्य व्यापक आय में हिस्सा (₹ करोड़)	समेकित अन्य व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	कुल समग्र आय में हिस्सा (₹ करोड़)	समेकित कुल व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया	100.00	52,139.18	95.24%	1,903.07	87.44%	(438.61)	146.64%	1,464.46	78.00%
सहायक कंपनियां									
सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	100.00	168.82	0.31%	17.75	0.82%	(0.49)	0.16%	17.26	0.92%
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	74.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
संयुक्त उद्यम									
एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	50.00	986.76	1.80%	235.17	10.80%	0.34	-0.11%	235.50	12.54%
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	50.00	384.26	0.70%	32.20	1.48%	(0.14)	0.05%	32.07	1.71%
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	50.00	113.54	0.21%	37.11	1.70%	(0.16)	0.05%	36.95	1.97%
सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	40.00	0.50	0.00%	0.01	0.00%	(0.02)	0.01%	(0.01)	0.00%
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	26.00	25.32	0.05%	(13.38)	-0.61%	0.07	-0.02%	(13.31)	-0.71%
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	47.82	890.68	1.63%	(60.47)	-2.78%	139.88	-46.76%	79.41	4.23%
सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	50.00	0.07	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%	0.00	0.00%

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	निवल मूल्य			लाभ या (हानि)		अन्य व्यापक आय		कुल व्यापक आय	
समूह में इकाई का नाम	31 मार्च, 2023 तक स्वामित्व प्रतिशत में	आनुपातिक हिस्सा (₹ करोड़)	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में	लाभ/(हानि) में हिस्सा (₹ करोड़)	समेकित लाभ/(हानि) के प्रतिशत के रूप में	अन्य व्यापक आय में हिस्सा (₹ करोड़)	समेकित अन्य व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	कुल समग्र आय में हिस्सा (₹ करोड़)	समेकित कुल व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में
सेल एससीएल केरल लिमिटेड	49.26	(17.14)	-0.03%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	50.00	14.83	0.03%	0.17	0.01%	-	0.00%	0.17	0.01%
सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	50.00	0.26	0.00%	(0.01)	0.00%	-	0.00%	(0.01)	0.00%
प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	26.00	6.44	0.01%	0.33	0.02%	-	0.00%	0.33	0.02%
वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	20.58	1.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड	26.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
टीएमटी एसएएल सेल जेवी लिमिटेड	26.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड	26.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
जीईडीसीओएल सेल पावर कॉर्प लिमिटेड	26.00	-	0.00%	(0.01)	0.00%	-	0.00%	(0.01)	0.00%
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	12.00	0.28	0.00%	(0.11)	-0.01%	-	0.00%	(0.11)	-0.01%
एसोसिएट्स							0.00%		
अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	20.00	1.01	0.00%	0.19	0.01%	-	0.00%	0.19	0.01%
गैर-नियंत्रक हित				-				-	
समेकन समायोजन		**30.64**	**0.06%**	**24.53**	**1.13%**	**0.00**	**0.00%**	**24.53**	**1.31%**
कुल योग		**54,746.68**	**100.00%**	**2,176.53**	**100.00%**	**(299.12)**	**100.00%**	**1,877.41**	**100.00%**

45: गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण

चालू		
इन्वेंट्री और व्यापार प्राप्य (गिरवी रखी गई सीमा तक)	**3841.80**	3957.68
गैर-चालू		
संयंत्र और मशीनरी (वर्तमान और भविष्य की चल संपत्तियां) – आरएसपी (गिरवी रखी गई सीमा तक)	**4100.00**	4100.00
प्लांट एवं मशीनरी (वर्तमान एवं भावी चल संपत्ति)–बीएसएल (गिरवी रखी गई सीमा तक)	**5000.00**	-
शहर तालुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात के मौजे–वाडेज में भूमि और प्लांट एवं मशीनरी–आईएसपी, जिस भूमि पर यह स्थित है, सहित	**14.00**	1533.00

46: प्रभावी कर समाधान

कर से पहले लाभ	**4061.81**	**2892.44**
घरेलू कर दर	**25.168%**	25.168%
अपेक्षित कर व्यय (क)	**1022.28**	**727.97**
कर–मुक्त आय/गैर–कटौती योग्य व्यय के लिए समायोजन	**4.18**	46.85
अंतर कर दर मदों के लिए समायोजन	**-**	(6.89)
पिछले वर्षों से संबंधित कर	**(82.56)**	18.25
अन्य	**51.24**	(70.27)
कुल समायोजन [ख]	**(27.14)**	**(12.06)**
वास्तविक कर व्यय (ग = क+ख)	**995.14**	**715.91**
कर व्यय में शामिल हैं:		
चालू कर	**612.79**	125.47
स्थगित कर प्रभार	**382.35**	590.44
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कर व्यय	**995.14**	**715.91**



समूह के संबंध में:

47.1 आकस्मिक देयताएं

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(i)	अपीलीय/न्यायिक निर्णयों के लंबित रहने तक समूह के विरुद्ध दावे	**36334.34**	37919.08
(ii)	समूह के विरुद्ध अन्य दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	**5849.32**	5274.48
(iii)	संयुक्त उद्यम कंपनियों पर विवादित आयकर/सेवा कर/अन्य मांग जिसके लिए समूह संयुक्त उद्यम समझौते के अंतर्गत आकस्मिक रूप से उत्तरदायी हो सकता है	**58.59**	48.72
(iv)	ग्राहकों के लिए तैयार किए गए और बैंकों के साथ छूट प्राप्त बिल	-	212.99
(v)	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मूल्य वृद्धि के दावे और कर्मचारियों द्वारा दावे	-	310.18

सेल के संबंध में:

47.2 क) (i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 11 नवंबर, 2016 के अपने आदेश के माध्यम से विभिन्न राज्यों द्वारा पारित प्रवेश कर कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। हालांकि, पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कुछ अन्य मामले, जैसे कि भेदभावपूर्ण दरों के कारण प्रवेश कर से संबंधित मामला जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1092.28 करोड़ की प्रवेश कर देयता हुई, जिसमें भिलाई–दुर्ग क्षेत्र में लौह अयस्क और कोकिंग कोयले पर 6 प्रतिशत की दर लागू की गई, जबकि छत्तीसगढ़ के बाकी क्षेत्रों में कोकिंग कोयले पर 1 प्रतिशत और लौह अयस्क पर 3 प्रतिशत की कम दर लागू थी और अन्य राज्यों से झारखंड के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले माल पर ₹ 98.83 करोड़ की राशि के प्रवेश कर से संबंधित मामला आदि मामलों की सुनवाई करने वाली नियमित पीठों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। वर्ष के दौरान, छत्तीसगढ़ सरकार ने वीएटी, प्रवेश कर और सीएसटी आदि के पुराने मामलों के निपटारे के लिए एक समझौता योजना (छत्तीसगढ़ कर, ब्याज और दंड के बकाया का निपटान अधिनियम, 2023) अधिसूचित की, जिसके अंतर्गत दर भेदभाव से संबंधित प्रवेश कर विवाद के निपटारे के लिए मूल्यांकन वर्षवार आवेदन दायर किए गए। दायर नौ आवेदनों में से, चार आवेदनों को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा निपटाया गया। शेष पांच आवेदनों के लिए विवादित राशि ₹ 762.91 करोड़ है। योजना के अनुसार शेष पांच आवेदनों के लिए निपटान राशि ₹ 137.72 करोड़ है, जिसके लिए 31 मार्च, 2024 तक निश्चित देयता प्रदान की गई है। शेष राशि ₹ 625.19 करोड़ को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है। 31 मार्च, 2024 तक, इस संबंध में मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय/क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों/नियत प्राधिकारियों/वाणिज्यिक कर विभाग की नियमित पीठों के समक्ष लंबित हैं। अन्य न्यायालयों द्वारा निर्णय लंबित रहने तक, ₹ 724.02 करोड़ की विवादित प्रवेश कर देनदारियों को कंपनी द्वारा आकस्मिक देयता (31 मार्च, 2023 तक – ₹ 1184.81 करोड़) के रूप में माना गया है और उपरोक्त नोट संख्या 47.1 (i) में शामिल किया गया है।

(ii) राउरकेला स्टील प्लांट की औद्योगिक टाउनशिप में प्रवेश कर लगाने के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 नवंबर, 2022 के अपने निर्णय के माध्यम से निर्णय लिया था कि राउरकेला स्टील प्लांट औद्योगिक टाउनशिप के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर लगाया जा सकता है। हालाँकि, उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2021 को सुनाए गए निर्णय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2022 के अपने आदेश के माध्यम से बरकरार रखे जाने के कारण, मूल मूल्यांकन के अभाव में उड़ीसा प्रवेश कर अधिनियम, 1999 की धारा 10 के अंतर्गत उठाई गई पुनर्मूल्यांकन माँगें अस्वीकार किए जाने योग्य हैं। 31 मार्च, 2024 तक इस तरह के निर्णय के लंबित रहने तक, ₹ 138.48 करोड़ (31 मार्च 2023 ₹ 213.00 करोड़) की इन माँगों को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है और उपरोक्त नोट संख्या 47.1 (i) में शामिल किया गया है।

ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18 जनवरी, 2017 के आदेश के अनुसार 2009–2014 के लिए बिजली शुल्क की अनंतिम टैरिफ याचिका से संबंधित दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के साथ विवाद के संबंध में कंपनी द्वारा दायर एसएलपी को खारिज कर दिया, जिससे कानून का प्रश्न खुला रह गया। याचिका संख्या 275/जीटी/2012 के विरुद्ध 2009–2014 के टैरिफ से संबंधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के दिनांक 7–8–2013 के आदेश को विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) (अपील संख्या 18/2014) के समक्ष चुनौती दी गई है, जिसमें कंपनी ने भी हस्तक्षेप किया है और एपीटीईएल का आदेश लंबित है। इसके अलावा, दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 से 2008–09 के टैरिफ से संबंधित विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के आदेश के विरुद्ध दायर की गई सिविल अपील के संबंध में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर, 2018 के अपने आदेश के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया, जिसका टैरिफ निर्धारण के लिए कुछ मापदंडों पर विचार करने के दृष्टिगत भविष्य के टैरिफ आदेशों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तदनुसार, राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) एपीटीईएल द्वारा निर्देशित खुदरा टैरिफ को अंतिम रूप देगा, जिसका वित्तीय निहितार्थ एसईआरसी द्वारा टैरिफ निर्धारण के बाद ही पता लगाया जा सकता है। झारखंड राज्य के लिए जहां ₹ 587.72 करोड़ का विवाद उत्पन्न हुआ है, डीवीसी ने नवंबर, 2020 में झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) के समक्ष 2006–07 से 2011–12 की अवधि के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता के लिए आवेदन के साथ अपना खुदरा टैरिफ आवेदन दायर किया है और 2012–13 से 2014–15 की अवधि में राजस्व अंतर/अधिशेष का समायोजन भी मांगा है। कंपनी ने 28 दिसंबर, 2020 को डीवीसी के उपरोक्त आवेदन पर अपनी आपत्तियां भी दर्ज की हैं। जेएसईआरसी ने 31 अक्टूबर, 2023 के आदेश के अनुसार वित्त वर्ष 2006–07 से वित्त वर्ष 2011–12 की अवधि के लिए डीवीसी के श्रेणीवार खुदरा आपूर्ति टैरिफ को अंतिम रूप दिया। एपीटीईएल ने 5 फरवरी, 2024 के अपने आदेश के माध्यम से डीवीसी की अपील को स्वीकार कर लिया और आयोग से अनुरोध किया कि वह जल्द से जल्द एक नया आदेश पारित करे। ऐसे बिजली शुल्कों के निर्धारण तक, 31 मार्च 2024

तक डीवीसी की ₹ 587.72 करोड़ की विवादित मांगों (31 मार्च, 2023 तक, ₹ 587.72 करोड़) को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है। उक्त दावों के विरुद्ध, पूरी राशि डीवीसी को भुगतान कर दी गई है और अग्रिम के रूप में रख ली गई है। इसके अलावा 1 अप्रैल, 2017 से पूर्ण चालान मूल्य का भुगतान किया जा रहा है और राजस्व में लगाया जा रहा है।

47.3 झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत झारखंड राज्य सरकार ने कोयला, लोहा और इस्पात वस्तुओं के लेनदेन मूल्य पर "बाजार शुल्क" के लिए 31 मार्च, 2024 तक ₹ 5387.70 करोड़ (31 मार्च, 2023 तक ₹ 5037.29 करोड़) की मांग की है। चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए राशि को उपरोक्त नोट संख्या 47.1 (i) में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम 2015 ("एमएमजीसी नियम") भारत सरकार द्वारा 03.12.2015 को अधिसूचित किए गए थे। यद्यपि उक्त नियमों में पट्टों के विस्तार के लिए किसी भी धन की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था, फिर भी गुआ के दुआरगैबुरू पट्टे, किरीबुरू–मेघाहातुबुरू के अमलगमेटेड पट्टों और चिरिया के धोबिल पट्टे के संबंध में एमएमजीसी नियम 2015 के अंतर्गत भुगतान की मांग जिला खनन अधिकारी (डीएमओ), चाईबासा, झारखंड द्वारा उठाई गई थी। नोटिस के विरुद्ध भुगतान की सामूहिक मांग लगभग ₹ 2980.00 करोड़ थी। सेल ने मार्च 2019 में झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके मांग नोटिस को चुनौती दी। इस बीच, झारखंड सरकार ने खान मंत्रालय, भारत सरकार से खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम, 2015 (एमएमजीसी) के नियम 5 के अंतर्गत मांग उठाने के अधिकार/दावे के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। खान मंत्रालय, भारत सरकार ने 29.01.2021 के पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि एमएमजीसी नियम, 2015 में सरकारी कंपनी को दिए गए खनन पट्टों के विस्तार के लिए अतिरिक्त राशि के भुगतान का प्रावधान नहीं है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा मामले का निपटारा लंबित होने तक, उपरोक्त नोट संख्या 47.1(i) में आकस्मिक देयता के रूप में ₹ 5959.14 करोड़ (31 मार्च, 2023 तक ₹ 5241.88 करोड़) की राशि का प्रकटीकरण किया गया है।

47.4 अपने फैसले में, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी), कोलकाता ने निर्देश दिया है कि इस्पात मंत्रालय संशोधित भत्तों और सुविधाओं के बकाया के भुगतान के पहलू पर विचार करेगा और 26.11.2008 से 4.10.2009 तक की अवधि के लिए अधिकारियों को ₹ 309.34 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 309.34 करोड़) की संशोधित भत्तों और सुविधाओं के भुगतान के लिए उचित निर्णय लेगा। इस्पात मंत्रालय ने 7.12.2016 को समूह को मामले की जानकारी दी। इस मामले में एक याचिका 22.12.2016 को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई और वर्ष के दौरान इसका निपटारा कर दिया गया। मामले पर प्रशासनिक निर्णय लंबित होने तक, राशि को उपरोक्त नोट संख्या 47.1(ii) में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

47.5 (i) पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने अपने पत्र संख्या 11–599/2014–एफसी दिनांक 1 अप्रैल 2015 के माध्यम से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफसी अधिनियम) के अंतर्गत गैर–वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के डायवर्जन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। इन संशोधित दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि मौजूदा खनन पट्टों के मामले में जिनमें वन भूमि (आंशिक रूप से या पूरी तरह से) है, जहां एफसी अधिनियम के अंतर्गत केवल वन भूमि के एक हिस्से के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है, केंद्र सरकार ने एफसी अधिनियम की धारा–2 (iii) के अंतर्गत शेष क्षेत्र को भी वन भूमि होने के लिए सामान्य अनुमोदन दिया, कुछ शर्तों के अधीन, जिसमें खनन पट्टे में आने वाली पूरी वन भूमि के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) वसूलना शामिल है, यदि ऐसी वन भूमि का एनपीवी पहले से वसूल नहीं किया गया है।

इस मामले में, समूह द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, एफसी अधिनियम, 1980 की धारा 2 (iii) सरकारी निगम पर लागू नहीं होगी और एनपीवी का भुगतान केवल उस सीमित क्षेत्र के लिए किया जाना आवश्यक है, जिसे एमओईएफ और सीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है और जिसमें खनन गतिविधियाँ प्रस्तावित हैं, न कि पूरे वन क्षेत्र के लिए। संपूर्ण वन भूमि के लिए एनपीवी की प्रयोज्यता के मामले को समूह ने झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में इस मामले को इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष रखने का निर्देश दिया है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के कार्यालय से 2017–18 के दौरान प्राप्त ₹ 96.28 करोड़ की मांग के विरुद्ध माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की गई है, जिसमें माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है।

समूह ने छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पास ₹ 96.28 करोड़ जमा किए हैं और छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। ₹ 96.28 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 96.28 करोड़) की विवादित राशि को नोट संख्या 47.1.(i) में आकस्मिक देयता के अंतर्गत प्रकट किया गया है।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य ने छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया और छत्तीसगढ़ राज्य में निकाले गए खनिज पर उपकर लगाया। बीएसपी ने छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर अधिनियम को अल्ट्रा वायर्स के रूप में चुनौती दी है। हालांकि, बीएसपी ने मार्च, 2024 तक विरोध के अंतर्गत ₹ 235.71 करोड़ जमा किए हैं कुल विवादित राशि ₹ 235.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 212.96 करोड़) नोट संख्या 47.1.(i) में आकस्मिक देयता के अंतर्गत प्रकट की गई है।

47.6 अवैध खनन से संबंधित कॉमन कॉज मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 2 अगस्त, 2017 के निर्णय के अनुसार, खान एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के अंतर्गत पर्यावरण मंजूरी के बिना और



उससे परे उत्पादित खनिजों, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन मंजूरी और संचालन की सहमति से परे अतिरिक्त उत्पादन के लिए मांग/कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। समूह ने झारखंड और ओडिशा उच्च न्यायालय के समक्ष कथित मांग को चुनौती दी है और मांग पर स्थगन प्राप्त किया है।

(क) चूंकि मामला अंतिम निर्धारण के लिए लंबित है और मौजूदा मुकदमे के निहितार्थ पर विचार करते हुए, समूह ने:

(i) लौह अयस्क के संबंध में, ओडिशा सरकार और झारखंड सरकार द्वारा क्रमशः ₹ 419.68 करोड़ और ₹ 3122.00 करोड़ (31 मार्च, 2023 तक ₹ 386.33 करोड़ और ₹ 2847.52 करोड़) (ब्याज सहित) की राशि। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, समूह ने अनुमानित आधार पर ₹ 329.67 करोड़ (31 मार्च, 2023 तक ₹ 329.67 करोड़) की राशि प्रदान की है। शेष राशि ₹ 3212.01 करोड़ (31 मार्च, 2023 तक ₹ 2904.18 करोड़) (ब्याज सहित) को नोट संख्या 47.1(i) में आकस्मिक देयता के रूप में मान्य किया गया है।

(ii) फ्लक्स के संबंध में, झारखंड और ओडिशा सरकार द्वारा ₹ 66.15 करोड़ (31 मार्च 2023 तक ₹ 59.03 करोड़) (ब्याज सहित) की राशि। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, समूह ने अनुमानित आधार पर ₹ 6.86 करोड़ (31 मार्च 2023 तक ₹ 6.86 करोड़) की राशि प्रदान की है। शेष राशि ₹ 59.29 करोड़ (31 मार्च 2023 तक ₹ 52.17 करोड़) (ब्याज सहित) को उपरोक्त नोट संख्या 47.1(i) में आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

(iii) कोयले के संबंध में झारखंड सरकार द्वारा ₹ शून्य करोड़ (31 मार्च 2023 तक ₹ 755.90 करोड़) (ब्याज सहित) की राशि के लिए, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) की धारा 30 के साथ खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 55 (5) के अंतर्गत संशोधन आवेदन दायर किया गया है। कोयला मंत्रालय के संशोधन प्राधिकरण ने समूह को स्थगन प्रदान किया है। तदनुसार निपटान लंबित रहने तक, ₹ शून्य करोड़ (31 मार्च 2023 तक ₹ 755.90 करोड़) (ब्याज सहित) की राशि को उपरोक्त नोट संख्या 47.1(i) में आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

47.7 मेसर्स जेएससी क्रायोजेनमैश ने अनुबंध से उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए सेल/भिलाई स्टील प्लांट के विरुद्ध इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स में मध्यस्थता न्याधिकरण के समक्ष मामला दायर किया है। मध्यस्थता न्याधिकरण ने 20.07.2018 को सेल/भिलाई स्टील प्लांट के विरुद्ध ₹ 106.92 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

इस निर्णय के विरुद्ध प्रबंधन ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अपील का निपटारा होने तक, उपरोक्त नोट संख्या 47.1(ii) में आकस्मिक देयता के अंतर्गत ₹ 171.22 करोड़ (पिछले वर्षः ₹ 160.37 करोड़) (ब्याज सहित) की राशि का प्रकटीकरण किया गया है।

47.8 5.545 एकड़ भूमि डीवीसी को दीर्घकालीन पट्टे के आधार पर 12.07.1966 से 30 वर्ष के लिए आवंटित की गई थी। यह भूमि डीवीसी को एएसपी के लाभ के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विद्युत उप–स्टेशन की स्थापना के लिए दी गई थी। बाद की अवधि, अर्थात् 13–07–1996 से, के लिए कोई पट्टा समझौता नहीं था। किसी समझौते के अभाव में, उक्त अवधि के लिए देय देय राशि का उचित निश्चितता के साथ पता नहीं लगाया जा सका। इसका हिसाब निपटान के वर्ष में लगाया जाएगा।

47.9 माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप, होरोमोटो में भूमि के पट्टे (नोट संख्या 4.(ii)(बी) के अंतर्गत प्रकटीकरण 2599.54 एकड़ का कुल क्षेत्रफल) के नवीकरण के लिए समूह का दावा खारिज कर दिया गया है, केवल 222.54 एकड़ सतही क्षेत्र को छोड़कर, जिसके लिए राज्य सरकार को कानून के प्रावधानों के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया गया है।

47.10 मेसर्स गोयल एमजी गैसेज प्राइवेट लिमिटेड (दावाकर्ता) और सेल/अलॉय स्टील्स प्लांट, दुर्गापुर (प्रतिवादी) के बीच मध्यस्थता से उत्पन्न एक पुरस्कार, जिसमें ₹ 116.86 करोड़ का दावा किया गया है, 22.05.2020 को स्कोप, नई दिल्ली पत्र दिनांक 18.05.2020 के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

उपर्युक्त पुरस्कार द्वारा, न्यायाधिकरण ने दावेदार के दावे संख्या 1 और 2 को अनुमति दी। दावेदार द्वारा दावा किए गए बाजार मूल्य के आधार पर डीएसपी बीओओ प्लांट से एएसपी तक आर्गन के परिवहन शुल्क से संबंधित अंतर राशि और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन की व्यापारिक बाजार बिक्री के कारण दावेदार के बिलों से एएसपी द्वारा रोकी गई / कटौती की गई राशि को कुल दावा की गई राशि में से लागू ब्याज के साथ वापस किया जाएगा।

सेल एएसपी ने विविध मध्यस्थता में पुराने वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष दावा संख्या 1 और 2 के लिए पुरस्कार को चुनौती दी थी। मामला संख्या 8 (नए नियमों के अंतर्गत विविध मध्यस्थता संचार के रूप में पुनः पंजीकृत) मामला संख्या 12/2024। दोनों पक्षों की मौखिक दलीलें सुनी गईं और दोनों पक्षों द्वारा दलीलों के लिखित नोट भी दाखिल किए गए, जिसके बाद 06.03.2024 को एलडी कमर्शियल कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया और मामले की सुनवाई 16.04.2024 के लिए तय कर दी। हालांकि मेसर्स गोयल एमजी गैसेज द्वारा सीमा पर अतिरिक्त लिखित नोट दाखिल करने के कारण फैसला नहीं सुनाया गया और अब 07.05.2024 को फैसला सुनाने की तारीख तय की गई है। एलडी कोर्ट ने उक्त तारीख को उपरोक्त दावों पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले को रद्द कर दिया।

उपर्युक्त के दृष्टिगत और न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित राशि के आधार पर, 31 मार्च, 2024 तक (पिछले वर्षः ₹ 6.56 करोड़) ब्याज सहित ₹ 7.54 करोड़ की शुद्ध विवादित देनदारी उपरोक्त नोट संख्या 47.1(i) में आकस्मिक देयता के अंतर्गत दर्शायी गई है।

समूह के संबंध में:

48.1 **(क)** निष्पादित किए जाने वाले शेष तथा प्रावधानित नहीं किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों को छोड़कर) है:

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
पूंजी प्रतिबद्धताएँ	**7643.84**	5155.40
अन्य प्रतिबद्धताएँ	**10914.82**	6419.70

सेल के संबंध में:

(ख) निम्नलिखित अचल संपत्तियों (लाइन आइटम 'संपत्ति संयंत्र और उपकरण' और 'उपयोग के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार' के अंतर्गत शामिल) के अधिकार विलेख/विलेख समझौते समूह के नाम पर नहीं हैं

31 मार्च, 2024 को

क्र. सं.	बैलेंस शीट में लाइन आइटम	संपत्ति की प्रकति	सकल मूल्य (₹ करोड़)	अधिकार विलेख के नाम पर	क्या अधिकार विलेख धारक प्रमोटर/ निदेशक आदि है? (हां/नहीं)	संपत्ति रखने की तिथि/माह/वर्ष	समूह के नाम पर न रखे जाने का कारण
1	संपत्तियों के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	16.80	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट	नहीं	07-05-2014	पंजीकरण लंबित
2	संपत्तियों के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	11.97	विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	27-07-2004	नवीनीकरण लंबित
3	संपत्तियों के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	0.91	जम्मू और कश्मीर सरकार	नहीं	05-07-1968	लंबित पंजीकरण
4	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	0.13	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड	नहीं	25-02-1970	लंबित पंजीकरण
5	संपत्तियों के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	0.67	कानपुर विकास प्राधिकरण	नहीं	1986	लंबित पंजीकरण
6	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	0.06	दक्षिणी रेलवे	नहीं	31.03.1984	लंबित पंजीकरण
7	संपत्तियों के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	23.04	कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण	नहीं	09.10.2009	लंबित पंजीकरण
8	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	बिल्डिंग	0.28	अशोक शंकर भटनागर (एचयूएफ)	नहीं	01.08.2019	लंबित पंजीकरण
9	संपत्तियों के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	0.38	पारादीप पोर्ट टर्स्ट	नहीं	17.08.2019	लंबित पंजीकरण
10	संपत्तियों के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	0.20	मेकॉन लिमिटेड	नहीं	1979-1980	मेकॉन लिमिटेड द्वारा धारित (1978 के अधिनियम संख्या 16 के अनुसार)
11	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	0.01	एशियन रिफ्रैक्टरीज	नहीं	05-04-63	बिहार सरकार के उद्योग विभाग की ओर से पुनर्वास
12	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	0.12	असम सिलिमिनाइट्स एंड भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड	नहीं	11-02-1976 एवं 30-04-1978	उद्योग विभाग की ओर से पुनर्वास
13	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	0.13	इंडिया फायरब्रिक्स एंड इंसुलेशन कंपनी लिमिटेड	नहीं	15-09-60	उद्योग विभाग की ओर से पुनर्वास
14	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	0.08	राज्य सरकार	नहीं	1956-57	अधिकारों के अभिलेख (आरओआर) की प्राप्ति लंबित
15	संपत्तियों के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	147.81	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी)	नहीं	01.02.2009	यूपीएसआईडीसी, यूपी के साथ मुकदमा
16	संपत्तियों के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	3.28	ओडिशा सरकार	नहीं	01.10.1959	ओडिशा सरकार के साथ लीज़ एग्रीमेंट नहीं है
17	संपत्तियों के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	75.26	ओडिशा सरकार	नहीं	01.10.1959	ओडिशा सरकार के साथ लीज़ एग्रीमेंट नहीं है
18	संपत्तियों के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	0.10	ओडिशा सरकार	नहीं	01.10.1959	ओडिशा सरकार के साथ लीज़ एग्रीमेंट का अभाव
19	संपत्तियों के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	15.81	ओडिशा सरकार	नहीं	29.11.1997	ओडिशा सरकार के साथ लीज़ एग्रीमेंट का अभाव
20	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	126.24	झारखंड राज्य सरकार	नहीं	1960 से	झारखंड सरकार और सेल/ बोकारो स्टील प्लांट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर की औपचारिकताएं लंबित
21	संपत्तियों, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	10.29	विभिन्न पक्ष	नहीं	1986 से 2008	म्यूटेशन लंबित है
22	संपत्तियों, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	0.09	विभिन्न पक्ष	नहीं	1954-1974	म्यूटेशन लंबित है
23	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	0.02	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	1963	20.05 एकड़ भूमि का पंजीकरण लंबित है
24	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	7.55	तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए अधिकार विलेख निष्पादित नहीं किया गया	नहीं	1972 से 1980	तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया है



31 मार्च, 2023 को

क्र. सं.	बैलेंस शीट में लाइन आइटम	संपत्ति की प्रकति	सकल मूल्य (₹ करोड़)	अधिकार विलेख के नाम पर	क्या अधिकार विलेख धारक प्रमोटर/ निदेशक आदि है? (हां/नहीं)	संपत्ति रखने की तिथि/माह/वर्ष	समूह के नाम पर न रखे जाने का कारण
1	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज पर भूमि	15.07	सी.जी. सरकार	नहीं	01-03-2013	संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया गया
2	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज पर भूमि	16.80	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट	नहीं	07-05-2014	पंजीकरण लंबित
3	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज पर भूमि	11.97	विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	27-07-2004	पंजीकरण लंबित
4	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज पर भूमि	0.91	जम्मू और कश्मीर सरकार	नहीं	05-07-1968	पंजीकरण लंबित
5	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	0.13	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड	नहीं	25-02-1970	पंजीकरण लंबित
6	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज पर भूमि	0.67	कानपुर विकास प्राधिकरण	नहीं	1986	पंजीकरण लंबित
7	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	0.06	दक्षिणी रेलवे	नहीं	31-03-1984	पंजीकरण लंबित
8	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज पर भूमि	23.04	कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण	नहीं	09-10-2009	पंजीकरण लंबित
9	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भवन	0.28	अशोक शंकर भटनागर (एच.यू.एफ.)	नहीं	01-08-2019	पंजीकरण लंबित
10	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज पर भूमि	0.20	मेकॉन लिमिटेड	नहीं	1979-1980	मेकॉन लिमिटेड द्वारा आयोजित (1978 के अधिनियम संख्या 16 के अनुसार)
11	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	0.01	एशियन रिफ्रैक्टरीज	नहीं	05-04-1963	बिहार सरकार के उद्योग विभाग की ओर से पुनर्वास
12	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	0.12	असम सिलिमिनाइट्स एंड भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड	नहीं	11-02-1976 एवं 30-04-1978	उद्योग विभाग की ओर से पुनर्वास
13	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	0.13	इंडिया फायरब्रिक्स एंड इंसुलेशन कंपनी लिमिटेड	नहीं	15-09-1960	उद्योग विभाग की ओर से पुनर्वास
14	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	0.10	राज्य सरकार	नहीं	सितंबर 1958	अधिकारों के रिकार्ड (आरओआर) की लंबित प्राप्ति
15	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज पर भूमि	147.81	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यू.पी.एस.आई.डी.सी.)	नहीं	01.02.2009	यूपीएसआईडीसी, उत्तर प्रदेश के साथ मुकदमा
16	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज पर भूमि	3.28	ओडिशा सरकार	नहीं	01.10.1959	ओडिशा सरकार के साथ लीज़ समझौते का अभाव
17	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	126.24	झारखंड राज्य सरकार	नहीं	1960 से	झारखंड सरकार और सेल/ बोकारो स्टील प्लांट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर की औपचारिकताएं लंबित
18	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	10.29	विभिन्न पक्ष	नहीं	1986 से 2008	म्यूटेशन लंबित
19	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	0.09	विभिन्न पक्ष	नहीं	1954-1974	म्यूटेशन लंबित
20	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	0.96	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	1963	पंजीकरण लंबित
21	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	स्वामीत्व वाली भूमि	7.56	राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए टाइटल डीड निष्पादित नहीं किया गया	नहीं	1972 से 1980	भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई

48.2 (क) **सीडब्ल्यूआईपी एजिंग अनुसूची**

बैलेंस शीट में प्रारंभिक मान्यता से 31.03.2024 तक सीडब्ल्यूआईपी की राशि

(₹ करोड़)

क्र. सं.	सीडब्ल्यूआईपी	0-12 महीने	12-24 महीने	24-36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
1	चालू परियोजनाएँ	1786.66	872.23	641.73	2795.28	6095.90
2	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	67.37	8.73	2.25	440.80	519.15
	सकल सीडब्ल्यूआईपी	**1854.03**	**880.96**	**643.98**	**3236.08**	**6615.05**
					घटा: प्रावधान	474.48
					कुल	**6140.57**

बैलेंस शीट में प्रारंभिक मान्यता से 31.03.2023 तक सीडब्ल्यूआईपी की राशि

क्र. सं.	सीडब्ल्यूआईपी	0-12 महीने	12-24 महीने	24-36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
1	चालू परियोजनाएँ	1419.38	552.79	450.91	2464.40	4887.48
2	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	11.00	15.70	26.59	358.06	411.35
	सकल सीडब्ल्यूआईपी	**1430.38**	**568.49**	**477.50**	**2822.46**	**5298.83**
					घटा: प्रावधान	407.47
					कुल	**4891.36**

(ख) **लंबित परियोजनाओं के लिए सीडब्ल्यूआईपी पूरा होने का कार्यक्रम**
31 मार्च, 2024 को

(₹ करोड़)

क्र. सं.	सीडब्ल्यूआईपी	अवधि जिसमें पूरा किया जाना है			
		0-12 महीने	12-24 महीने	24-36 महीने	36 महीने से अधिक
	प्रगति पर परियोजनाएँ				
1	11 केवी स्विच बोर्ड–पीएमडी के लिए मृदा सर्वेक्षण और मानचित्रण	0.19	-	-	-
2	बीएफ–4 के एसजीपी के लिए संरचना की बहाली	4.01	-	-	-
3	ब्लास्ट फर्नेस 4 में चौथे स्टोव की स्थापना	33.42	-	-	-
4	एमओईएफसीसी – मेकॉन से ईसी के लिए परामर्श सेवाएँ	1.11	-	-	-
5	सीओसीसी में नमक हैंडलिंग का पुनर्निर्माण	4.08	-	-	-
6	रेलवे रोलिंग स्टॉक की खरीद – जीपीडब्ल्यूआईएस	2.06	-	-	-
7	डीएसपी में तीसरे बीएफ गैस फ्लेयर की स्थापना	8.31	-	-	-
8	बीएफ के एसजीपी में रिकवरी पिट वाटर का पुनःपरिसंचरण	2.03	-	-	-
9	आपातकालीन जल टैंक का संशोधन	2.32	-	-	-
10	सीओसीसी में कूलिंग टॉवर का पुनरुद्धार	3.66	-	-	-
11	पावर में 2 अतिरिक्त दबाव पीआरडीयू की स्थापना	1.82	-	-	-
12	एनएलसीपी का स्टैक उत्सर्जन नियंत्रण	3.80	-	-	-
13	1 की खरीद पावर प्लांट में टर्बो ब्लोअर	12.77	-	-	-
14	ऑक्सीजन प्लांट में पावर वृद्धि योजना	37.05	-	-	-
15	सीओसीसी में पारंपरिक खराद मशीन	0.34	-	-	-
16	दुर्गापुर स्टील प्लांट और एएसपी का डिजिटल मानचित्र	0.00	-	-	-
17	डब्ल्यूएपी में एनडीटी सुविधा	47.71	-	-	-
18	पीएमडी का 11 केवी वीसीबी आधारित स्विचबोर्ड	10.32	-	-	-
19	इस्पात भवन परिसर में इमारतों का फेस–लिफ्टिंग	0.39	-	-	-
20	मुख्य अस्पताल में नवीनीकरण और संशोधन कार्य	5.47	-	-	-
21	25 टन ईओटी क्रेन सिंटर फैन हाउस एसपी1 का प्रतिस्थापन	1.11	-	-	-
22	डीएसपी मुख्य अस्पताल में 5 लिफ्ट/एलेवेटर	0.01	-	-	-
23	फायर डिटेक्शन, अलार्म, दमन प्रणाली पीएमडी	3.78	-	-	-
24	उन्नयन मिल स्टैंड मोटर पीएलसी– मर्चेंट मिल	1.98	-	-	-
25	बीओएफ लैब के लिए सहायक उपकरण के साथ ओएनएच विश्लेषक	0.71	-	-	-
26	सेल नंबर 2, 3–1.8 एमटी पीसीआईडी का पुनरुद्धार। कूलिंग टॉवर	2.58	-	-	-
27	बैडमिंटन प्रैक्टिस हॉल	3.36	-	-	-
28	डीएसपी टाउनशिप में नाली का पुनर्निर्माण	2.92	-	-	-
29	श्रेणी–3 और उससे ऊपर के घरों का पुनर्निर्माण	25.39	-	-	-
30	टाउनशिप में श्रेणी–1 के घरों का पुनर्निर्माण	20.38	-	-	-
31	टाउनशिप में श्रेणी–2 के घरों का पुनर्निर्माण	22.99	-	-	-
32	संपर्क रहित बायोमेट्रिक सिस्टम	2.68	-	-	-
33	प्राथमिक और द्वितीयक स्क्रीन का प्रतिस्थापन–आरएमएचपी	1.27	-	-	-
34	बंकरों में लाइनर और एयर ब्लास्टर का प्रतिस्थापन	2.64	-	-	-
35	पीएफआर और डीएफआर की तैयारी के लिए सलाहकार	0.90	-	-	-
36	ओपन गैंट्री सीई के लिए स्ट्रक्चरल शेड का निर्माण	1.29	-	-	-
37	डीएसपी टाउनशिप में मुख्य सड़कों का पुनर्निर्माण	0.06	-	-	-
38	प्रोजेक्ट बिल्डिंग में बुनियादी ढांचे का विकास	0.00	-	-	-
39	पर्यावरण मंजूरी में संशोधन के लिए परामर्श	0.29	-	-	-
40	सीएनसी सीमेंस 802 डीएसएल एनसी नियंत्रक का उन्नयन	0.17	-	-	-
41	डब्लूआरएस की पुरानी खाड़ी में स्ट्रक्चरल शेड का विस्तार	1.62	-	-	-
42	एमएसएम का तकनीकी–व्यावसायिक मूल्यांकन	1.95	-	-	-
43	इलेक्ट्रो स्लैग रीमेल्टिंग यूनिट	3.07	-	-	-
44	ओटिस एलिवेटर	0.43	-	-	-



नोट 48.2 (ख) (जारी...)

क्र. सं.	सीडब्ल्यूआईपी	अवधि जिसमें पूरा किया जाना है			
		0-12 महीने	12-24 महीने	24-36 महीने	36 महीने से अधिक
45	बॉन्ड वर्क इंडेक्स (बीडब्ल्यूआई) मापने वाली बॉल मिल	0.10	-	-	-
46	डिप टाइप टेम्प माप गर्म धातु तापमान के लिए प्रणाली	0.03	-	-	-
47	इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग और दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (ईडीडीएमएस)	0.58			
48	एमटीआई में स्विमिंग पूल का निर्माण	0.82	0.00		
49	फ्लाईओवर का निर्माण	37.17			
50	बीओएफ और सीसीपी क्षेत्र (ई031) के लिए माल ढुलाई सह यात्री लिफ्ट	1.73			
51	एसआरयू बीआरपी में वर्टिकल ग्राइंडर जीबीएस30	0.40			
52	एसआरयू आईएफआईसीओ में डी–डस्टिंग सिस्टम–एयरकॉन सिस्टम	0.96			
53	एसआरयू आईएफआईसीओ में नया शेड	0.70			
54	आरआरपी में इनवर्ड रोड	0.10			
55	जीसी शॉप नॉर्थ बेस की फ्लोरिंग		0.37		
	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं				
1	एसपीएनओ.3–सर्वेक्षण कार्य की स्थापना	-	-	-	0.01
2	डब्ल्यूआईपी–संशोधन 200टी टीमिंग क्रेन–ब्लूम कास्टर	-	-	-	2.82
3	रेलवे को 2 प्रतिशत कोडल शुल्क का जमा करना	-	-	-	4.99
4	नौकरी को सक्षम बनाना–रोलिंग मिल्स–3.0एमटी विस्तार	-	-	-	6.66
5	डीएसपी का 3 मीट्रिक टन विस्तार–सर्वेक्षण कार्य।	-	-	-	0.10
6	डीएसपी/जियोटेक्निक का 3 मीट्रिक टन विस्तार। जांच कार्य	-	-	-	0.20
7	बिजली आपूर्ति का निर्माण– 3.0 मीटर विस्तार	-	-	-	5.27
8	रेलवे/यातायात अवसंरचना का उन्नयन	-	-	-	2.25
9	विस्तार योजना–मेकॉन के लिए परामर्श सेवा	-	-	-	24.34
10	नया सिंटर प्लांट–III–निराकरण कार्य	-	-	-	4.05
11	अवसंरचनात्मक सुविधाएं–विस्तार	-	-	-	1.04
12	रीसर्किल जल आपूर्ति प्रणाली रिम स्प्रे क्वेंच डब्ल्यूएपी	-	-	-	0.42
13	रेलवे पहियों के लिए डायनामिक बैलेंसिंग मशीन	2.45	-	-	-
14	डायनेमिक व्हील बैलेंसिंग के लिए व्हील हैंडलिंग सिस्टम	0.69	-	-	-
15	डीएसपी टाउन में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति लाइनें	6.36	-	-	-
16	गांधी मोड़ पर सर्विस कल्वर्ट का निर्माण	0.04	-	-	-
17	रोड ओवरब्रिज का निर्माण				6.17
18	एसएमएस में नाइट्रोजन गैस पंपिंग				0.56
19	रिफ्रेक्टरी स्टोर का स्थानांतरण				1.29
20	पीबीएस 2 से सीओबी 8 और 10 तक पाइपलाइन				11.63
21	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट				2.42
22	दक्षिण यार्ड में 2 नग 150 टी वेब्रिज की स्थापना				0.31
23	टाउनशिप में बिजली आपूर्ति का विस्तार				0.52
24	फर्नेस की स्थापना–(भत्ता)				0.82

(ख) लंबित परियोजनाओं के लिए सीडब्ल्यूआईपी पूरा होने का कार्यक्रम
31 मार्च, 2023 को

(₹ करोड़)

क्र. सं.	सीडब्ल्यूआईपी	अवधि जिसमें पूरा किया जाना है			
		0-12 महीने	12-24 महीने	24-36 महीने	36 महीने से अधिक
	प्रगति पर परियोजनाएँ				
1	सीईएम में प्लेट बेंडिंग मशीन का प्रतिस्थापन	1.21	-	-	-
2	बीएफ–4 के एसजीपी के लिए संरचना की बहाली	3.37	-	-	-
3	ब्लास्ट फर्नेस 4 में चौथे स्टोव की स्थापना	24.85	-	-	-
4	सीओसीसी में नमक हैंडलिंग का पुनर्निर्माण	2.63	-	-	-
5	रेलवे रोलिंग स्टॉक की खरीद – जीपीडब्ल्यूआईएस	1.79	-	-	-

क्र. सं.	सीडब्ल्यूआईपी	अवधि जिसमें पूरा किया जाना है			
		0-12 महीने	12-24 महीने	24-36 महीने	36 महीने से अधिक
6	डीएसपी में तीसरे बीएफ गैस फ्लेयर की स्थापना	5.79	-	-	-
7	कोक ओवन में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का कार्यान्वयन	3.15	-	-	-
8	बीएफ के एसजीपी में रिकवरी पिट वाटर का पुनःपरिसंचरण	1.63	-	-	-
9	आपातकालीन जल टैंक का संशोधन	1.76	-	-	-
10	सब–स्टेशन के 11 केवी स्विचबोर्ड का प्रतिस्थापन	5.92	-	-	-
11	पावर में 2 अतिरिक्त प्रेशर पीआरडीयू की स्थापना	1.42			
12	कोक ओवन में इलेक्ट्रिक लोको	5.59			
13	भूमि रिकॉर्ड सूचना प्रणाली की स्थापना	0.38			
14	सीओसीसी में एएसपी गैस बूस्टर की स्थापना	1.01			
15	एनएलसीपी का स्टैक उत्सर्जन नियंत्रण	2.95			
16	बीओएफ में शीतलन जल पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन	0.02			
17	बीओएफ में स्टेक उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली का उन्नयन	2.87			
18	रोलिंग मिलों में एक नए गैस बूस्टर की स्थापना	9.80			
19	सीओसीसी में कन्वेयर नियंत्रण की स्वचालन प्रणाली	6.80			
20	पावर प्ला में रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट की स्थापना	6.21			
21	पावर प्लांट में एक टर्बो ब्लोअर की खरीद	0.01			
22	दुर्गापुर स्टील प्लांट और एएसपी का डिजिटल मानचित्र	0.00			
23	प्रोसेस कंट्रोल–सिंटर प्लांट 1 के लिए अपग्रेडेशन– पीएलसी	0.59			
24	आपातकालीन पावर बैकअप – लोड लिफ्टिंग मैग्नेट सीसीपी	0.89			
25	बिलेट कास्टर में टंडिश कार वेइंग सिस्टम	0.27			
26	रिप्लेसमेंट 25 टन ईओटी क्रेन सिंटर फैन हाउस एसपीआई	0.15			
27	एचटी–13 सबस्टेशन पीएमडी में 3.3 केवी स्विचबोर्ड का विस्तार	0.77			
28	एम–एचएस के लिए एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन	0.00			
29	इलेक्ट्रो स्लैग रीमेल्टिंग यूनिट	1.57	-	-	-
30	पोर्टेबल ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर	0.41	-	-	-
31	एंटरप्राइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम	0.47	-	-	-
32	वैक्यूम एआरसी डिगैसिंग यूनिट	1.50	-	-	-
33	हाइड्रोजन एटमॉस्फियर एनीलिंग फर्नेस	2.78			
34	इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (ईडीडीएम)	0.58			
35	एसआरयू आरआरआरपी में हैवी मोल्ड हैंडलिंग सिस्टम	2.32	-	-	-
36	एसआरयू भिलाई में डी–डस्टिंग सिस्टम	1.24			
37	एसआरयू भंडारीदाह में आरएम शेड	0.62			
38	एसआरयू आईएफआईसीओ में पीजीपी	1.93			
39	अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण – ऑक्सीजन प्लांट (3094)	11.35			
40	फ्लाईओवर का निर्माण (एम 250)	29.50			
41	अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण – बीओएफ/बीएफ (3095)	11.30			
42	लिफ्ट (ई031)	1.73			
43	हाइड्रोलिक प्रयोगशाला (एम043)	1.77			
44	रोटरी हर्थ फर्नेस प्रौद्योगिकी का विकास	1.48			
	परियोजनाएं जो अस्थायी रूप से निलंबित हैं				
1	एसपीएनओ–3 सर्वेक्षण कार्य की स्थापना		-	-	0.01
2	आईपी संशोधन 200 टन टीमिंग क्रेन–ब्लूम कास्टर		-	-	2.82
3	रेलवे को 2 प्रतिशत कोडल शुल्क का जमा करना		-	-	4.99
4	नौकरी को सक्षम बनाना–रोलिंग मिल्स–3.0 एमटी विस्तार				6.66
5	डीएसपी का 3 मीट्रिक टन विस्तार–सर्वेक्षण कार्य				0.10
6	डीएसपी/जियोटेक्नो का 2 एमटी विस्तार जांच कार्य				0.20
7	बिजली आपूर्ति का निर्माण–3.0 मीटर विस्तार				5.27
8	रेलवे/यातायात अवसंरचना का उन्नयन				2.25



क्र. सं.	सीडब्ल्यूआईपी	अवधि जिसमें पूरा किया जाना है			
		0-12 महीने	12-24 महीने	24-36 महीने	36 महीने से अधिक
9	विस्तार योजना–मेकॉन के लिए परामर्श सेवा				24.34
10	नया सिंटर प्लांट–III – विघटन कार्य				4.05
11	अवसंरचनात्मक सुविधाएं–विस्तार				1.04
12	रीसर्किल जल आपूर्ति प्रणाली रिम स्प्रे क्वेंच डब्ल्यूएपी				0.42
13	रेलवे पहियों के लिए गतिशील संतुलन मशीन	2.45			
14	गतिशील पहिया संतुलन के लिए पहिया हैंडलिंग प्रणाली	0.66			
15	डीएसपी टाउन में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति लाइनें	6.36			
16	एम139		-	-	6.17
17	2009		-	-	0.56
18	एम024		-	-	1.29
19	2848				11.63
20	एम104				2.42
21	1367				0.31
22	1368				0.05
23	1318				0.52
24	अन्य				1.28

48.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि (जैसा कि नोट संख्या 30 व्यापार देयताओं में बताया गया है) का निर्धारण समूह के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई सीमा तक किया गया है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
i.	वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान न की गई मूल राशि।	**498.06**	448.62
ii.	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की राशि जो वर्ष के अंत तक भुगतान न की गई।	-	-
iii.	अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से, लघु उद्यमों को उपरोक्त ब्याज देय राशि का वास्तव में भुगतान किए जाने की तिथि तक, अगले वर्ष में भी देय और देय शेष ब्याज की राशि।	-	-
iv.	वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई उस पर देय ब्याज	-	-
		समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2024 को	**31 मार्च, 2023 को**
v.	धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही वर्ष के दौरान आपूर्तिकर्ता को नियत दिन के बाद किए गए भुगतान की राशि		-
vi.	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान की गई है) लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-

48.4 **(क)** **व्यापार देय आयु अनुसूची**

(₹ करोड़)

भुगतान की देय तिथि से 31.03.2024 तक बकाया								
क्र.सं.	विवरण	बिल न किए गए बकाया	देय नहीं	0-12 महीने	12-24 महीने	24-36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
1	एमएसएमई – विवादित	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69
2	एमएसएमई – निर्विवाद	186.56	302.81	0.00	0.00	0.00	0.00	489.37
	उप-योग - क	**186.56**	**311.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**498.06**
3	अन्य – विवादित	3.68	140.41	8.15	1.82	3.57	52.26	209.89
4	अन्य – निर्विवाद	1536.23	1582.97	10939.32	163.13	115.86	286.93	14624.44
	उप-योग - ख	**1539.91**	**1723.38**	**10947.47**	**164.95**	**119.43**	**339.19**	**14834.33**
	उप-योग (क+ख)	**1726.47**	**2034.88**	**10947.47**	**164.95**	**119.43**	**339.19**	**15332.39**

(₹ करोड़)

भुगतान की देय तिथि से 31.03.2023 तक बकाया								
क्र. सं.	विवरण	बिल न किए गए बकाया	देय नहीं	0-12 महीने	12-24 महीने	24-36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
1	एमएसएमई – विवादित	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68
2	एमएसएमई – निर्विवाद	139.27	298.67	0.00	0.00	0.00	0.00	437.94
	उप-योग - क	**139.27**	**309.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**448.62**
3	अन्य – विवादित	3.52	129.18	0.78	0.27	0.29	44.06	178.10
4	अन्य – निर्विवाद	1476.11	1645.65	9900.21	330.47	25.88	333.85	13712.16
	उप-योग - ख	**1479.63**	**1774.83**	**9900.99**	**330.74**	**26.17**	**377.91**	**13890.25**
	कुल योग (क+ख)	**1618.90**	**2084.18**	**9900.99**	**330.74**	**26.17**	**377.91**	**14338.88**

(ख) अपेक्षित ऋण हानियाँ

समूह निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानियाँ प्रदान करता है;

समूह सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यापार प्राप्तियों पर आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों को पहचानता है और व्यापार प्राप्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रासंगिक हानि प्रतिशत पर पहुँचने के लिए ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग करता है:

व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2024 तक व्यापार प्राप्य की आयु									
विवरण	बिना बिल	देय नहीं	0-3 महीने	3-6 महीने	6-12 महीने	12-24 महीने	24-36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
सकल वहन राशि									
(क) चालू:									
अविवादित – अच्छा माना गया	1575.46	4292.50	2134.58	138.95	91.52	33.31	24.07	18.31	8308.70
विवादित – अच्छा माना गया	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	1575.46	**4292.50**	**2134.59**	**138.96**	**91.52**	**33.31**	**24.07**	**18.31**	**8308.72**
अविवादित – खराब ऋण	0.00	0.00	25.73	1.24	1.25	0.29	0.09	204.04	232.64
विवादित – खराब ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.66	42.66
	0.00	**0.00**	**25.73**	**1.24**	**1.25**	**0.29**	**0.09**	**246.70**	**275.30**
कुल चालू	**1575.46**	**4292.50**	**2160.32**	**140.20**	**92.77**	**33.60**	**24.16**	**265.01**	**8584.02**
(ख) गैर-चालू:									
अविवादित – अच्छा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विवादित – अच्छा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
अविवादित – खराब ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विवादित – खराब ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.59	132.59
कुल गैर-चालू	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132.59**	**132.59**
कुल योग	**1575.46**	**4292.50**	**2160.32**	**140.20**	**92.77**	**33.60**	**24.16**	**397.60**	**8716.61**
अपेक्षित हानि (%)			1.19%	0.88%	1.35%	0.86%	0.37%	95.39%	4.68%
ऋण हानि भत्ता	0.00	0.00	25.73	1.24	1.25	0.29	0.09	379.29	407.89
शुद्ध वहन मूल्य	**1575.46**	**4292.50**	**2134.59**	**138.96**	**91.52**	**33.31**	**24.07**	**18.31**	**8308.72**

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2023 तक व्यापार प्राप्य की आयु									
विवरण	बिना बिल	देय नहीं	0-3 महीने	3-6 महीने	6-12 महीने	12-24 महीने	24-36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
सकल वहन राशि									
(क) चालू:									
अविवादित - अच्छा माना गया	0.00	4040.12	702.98	338.26	166.52	51.85	45.06	17.66	**5362.44**
विवादित – अच्छा माना गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	**0.04**
	0.00	4040.12	702.98	338.26	166.52	51.89	45.06	17.66	**5362.48**
अविवादित - खराब ऋण	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**265.15**	**265.15**
विवादित – खराब ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.15	**46.15**
	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311.29**	**311.29**
कुल चालू	**0.00**	**4040.12**	**702.98**	**338.26**	**166.52**	**51.89**	**45.06**	**328.95**	**5673.77**



(ख) गैर-चालू:									
अविवादित–अच्छा माना गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विवादित – अच्छा माना गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
अविवादित – खराब ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विवादित – खराब ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83	7.83
	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7.83**	**7.83**
कुल गैर–चालू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83	7.83
कुल सकल	**0.00**	**4040.12**	**702.98**	**338.26**	**166.52**	**51.89**	**45.06**	**336.78**	**5681.60**
अपेक्षित हानि (%)	-	-	-	-	-	-	-	94.76	5.62
ऋण हानि भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.12	319.12
शुद्ध वहन मूल्य	**0.00**	**4040.12**	**702.98**	**338.26**	**166.52**	**51.89**	**45.06**	**17.66**	**5362.48**

क्र.सं.	विवरण	राशि
	31 मार्च, 2022 को	**268.44**
	भत्ते में परिवर्तन	50.68
	31 मार्च, 2023 को	**319.12**
	भत्ते में बदलाव	88.77
	31 मार्च, 2024 को	**407.89**

48.5 कुछ व्यापारिक प्राप्तियों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य देय राशियों के शेष राशि की पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। समाधान निरंतर आधार पर किए जाते हैं। जहाँ भी आवश्यक समझा गया, प्रावधान किए गए हैं। हालाँकि, प्रबंधन को ऐसी लंबित पुष्टि/समाधानों से कोई भौतिक वित्तीय प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

48.6 समूह के संयुक्त उद्यमों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी पुस्तकों में परिसंपत्तियों को निम्नानुसार पूंजीकृत किया है:

(₹ करोड़)

क्र. सं.	संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का नाम	पीपीई	अमूर्त	कुल	सेल के शेयर
1	एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	380.57	5.15	385.72	50.00%
2	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	3.61	19.38	22.99	50.00%
3	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	0.00	33.70	33.70	47.82%
4	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	0.68	0.00	0.68	50.00%
5	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	14.11	0.00	14.11	50.00%
		398.97	**58.23**	**457.20**	

49.1 भारतीय लेखा मानक 115–ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व के अनुसार, 18052.27 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष: 18071.67 करोड़ रुपये) की जीएसटी राशि परिचालन से राजस्व में शामिल नहीं है।

49.2 **(क)** कुछ सरकारी एजेंसियों के साथ बिक्री की शर्तों के अनुसार, इन एजेंसियों को चालान अनंतिम कीमतों पर किया जाता है, जब तक कि अंतिम मूल्य पर बाद में सहमति नहीं बन जाती। उपर्युक्त अनंतिम कीमतों के आधार पर मान्यता प्राप्त राजस्व निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 तक संचयी	31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 तक संचयी
3826.88**	11162.37#**	25661.61*#**	2305.64	8688.65*	29182.75*

* इसमें 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी अनंतिम रेल कीमतों में संशोधन के कारण ₹ 489.32 करोड़ की राशि शामिल है।

** इसमें 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी अनंतिम रेल कीमतों में ऊपर की ओर संशोधन के कारण ₹ 1714.03 करोड़ की राशि और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए रेल कीमतों के लिए संयुक्त मूल्य निर्धारण समिति (जेपीसी) की सिफारिश के अनुसार प्रदान किए गए ₹ 185.16 करोड़ की राशि शामिल है, जो रेलवे बोर्ड के अनुमोदन के लिए लंबित है।

इसमें वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार (लागत) के कार्यालय की 26 अक्टूबर, 2023 की सिफारिश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए रेल मूल्य संशोधन के लिए 30 सितंबर, 2023 को समाप्त दूसरी तिमाही के दौरान मान्यता प्राप्त ₹ 1749.30 करोड़ शामिल हैं।

49.3 लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा–निर्देशों के अनुसार, समूह को कार्यकारी कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का 30 प्रतिशत तक योगदान करना आवश्यक है, जिसमें अंशदायी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ शामिल हो सकते हैं। तदनुसार समूह ने कार्यकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2007 से वेतन के 9 प्रतिशत और 1 अप्रैल, 2015 से वेतन के 3 प्रतिशत की दर से पेंशन लाभ का प्रावधान किया है। इसके अलावा, गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2012 से वेतन के 6 प्रतिशत और 1 अप्रैल, 2015 से वेतन के 2 प्रतिशत की दर से पेंशन लाभ प्रदान किया गया है। वेतन संशोधन के बाद, गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ 1 नवंबर, 2021 से वेतन के 9 प्रतिशत की दर से प्रदान किया गया है।

पेंशन योजना को 9 फरवरी, 2017 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में इस संशोधन के साथ मंजूरी दी गई थी कि वित्तीय वर्ष 2015–16 और उसके बाद से पेंशन में योगदान को औसत नेट–वर्थ में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) के प्रतिशत के रूप में मापा जाएगा। यदि औसत नेट–वर्थ में पीबीटी का प्रतिशत 8% या उससे अधिक है, तो पेंशन योगदान की राशि कार्यकारी अधिकारियों के लिए मूल वेतन प्लस डीए के 9 प्रतिशत और गैर–कार्यकारी के लिए मूल वेतन प्लस डीए के 6 प्रतिशत तक सीमित होगी (1 नवंबर, 2021 से 9 प्रतिशत की दर से), अन्यथा पेंशन के लिए योगदान की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। हालांकि, नुकसान की स्थिति में भी कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए मूल वेतन प्लस डीए के क्रमशः 3 प्रतिशत और 2 प्रतिशत (1 नवंबर, 2021 से 3 प्रतिशत की दर से) की दर से न्यूनतम पेंशन अंशदान रखा जाएगा।

कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए संचयी देयता, 714.00 करोड़ रुपये (वर्ष के दौरान 597.12 करोड़ रुपये) और 61.03 करोड़ रुपये (वर्ष के दौरान 3.50 करोड़ रुपये) क्रमशः 'कर्मचारी लाभ व्यय' और 'निर्माण के दौरान व्यय' पर लगाई गई है। वर्ष के दौरान पेंशन निधि में 630.99 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 77.82 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है और पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारियों द्वारा शून्य करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है।

49.4 लाभ–हानि विवरण में प्रभारित तथा अचल संपत्तियों/पूंजीगत कार्य–प्रगति (शुद्ध) को आवंटित अनुसंधान एवं विकास व्यय, वर्ष के दौरान क्रमशः 239.47 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष के दौरान 397.60 करोड़ रुपये) तथा 67.61 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष के दौरान 32.88 करोड़ रुपये) है। अनुसंधान एवं विकास पर किए गए राजस्व व्यय की कुल राशि संबंधित लेखा शीर्ष में दर्शाई गई है। राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

(₹ करोड़)

लेखा मद	समाप्त वर्ष	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को	वर्ष 31 मार्च, 2023 को
कच्चा माल	**75.72**	217.91
कर्मचारी लाभ व्यय	**80.49**	88.79
भण्डार और स्पेयर्स की खपत	**6.10**	7.04
बिजली और ईंधन	**6.94**	16.30
मरम्मत और रखरखाव	**5.06**	6.56
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**8.22**	11.63
अन्य व्यय	**55.30**	45.40
वित्त लागत	**1.64**	3.97
कुल	**239.47**	397.60

49.5 समूह एक संपूर्ण संयंत्र की परिसंपत्तियों को नकद उत्पादक इकाई (सीजीयू) मानता है। समूह आंतरिक रूप से समीक्षा करता है कि क्या ऐसे कोई संकेतक हैं कि सीजीयू की परिसंपत्तियों की वहन राशि प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसे कोई संकेतक मौजूद हैं, तो परिसंपत्ति वसूली योग्य राशि का अनुमान शुद्ध विक्रय मूल्य और उपयोग में मूल्य में से अधिक के रूप में लगाया जाता है। उपयोग में मूल्य किसी परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग और उसके उपयोगी जीवन के अंत में उसके निपटान से उत्पन्न होने वाले अनुमानित भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर आधारित है। जब भी किसी सीजीयू की परिसंपत्तियों की वहन राशि परिसंपत्ति वसूली योग्य राशि से अधिक होती है, तो एक हानि को मान्यता दी जाती है। आंतरिक मूल्यांकन के अलावा, समूह एक स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा सीजीयू की परिसंपत्तियों का शुद्ध विक्रय मूल्य भी निर्धारित करता है, जिसमें ऐसा कोई संकेत मौजूद है।

रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, समूह द्वारा अपने विभिन्न सीजीयू में किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, कोई हानि प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।



कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रकटीकरण

49.6 **(क)** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, समूह को वर्ष 2023–24 के लिए ₹ 158.75 करोड़ (पिछले वर्षः ₹ 157.95 करोड़) खर्च करने की आवश्यकता है। समूह ने वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर ₹ 161.93 करोड़ (पिछले वर्ष के दौरान ₹ 162.46 करोड़) का व्यय निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया है:–

(₹ करोड़)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
शिक्षा	**43.98**	30.41
स्वास्थ्य सेवा	**26.40**	30.31
आजीविका सृजन	**13.63**	12.18
महिला सशक्तिकरण	**3.76**	3.56
पेयजल	**2.41**	4.50
स्वच्छता	**2.40**	5.39
खेल	**30.69**	15.03
कला और संस्कृति	**2.20**	11.92
ग्रामीण विकास	**22.75**	15.06
सामाजिक सुरक्षा	**4.72**	6.57
पर्यावरण स्थिरता	**6.10**	21.10
आपदा राहत	**-**	0.24
परियोजना पहचान और निगरानी	**1.01**	0.09
कार्मिकों की क्षमता निर्माण	**1.90**	6.11
कुल	**161.93**	162.46

(ख) समूह ने वर्ष के दौरान प्रशासनिक ओवरहेड्स के रूप में ₹ 1.90 करोड़ की राशि दर्ज की है (पिछले वर्ष के दौरान ₹ 6.11 करोड़)।

(ग) समूह ने वर्ष के दौरान संपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण पर ₹ 11.87 करोड़ की राशि खर्च की है (पिछले वर्ष के दौरान ₹ 6.74 करोड़)।

(घ) ₹ 161.93 करोड़ (पिछले वर्ष– ₹ 162.46 करोड़) में से, ₹ 78.26 करोड़ (पिछले वर्ष– ₹ 51.73 करोड़) की राशि 'अव्ययित सीएसआर बैंक खाते' में स्थानांतरित कर दी गई है। इसके लिए देयता को नोट संख्या 31 के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जिसमें निम्नलिखित मदों के अंतर्गत व्यय दर्ज किया गया है:

(₹ करोड़)

विवरण	अप्रयुक्त सीएसआर 2022-23			अप्रयुक्त सीएसआर 2023-24
	1 अप्रैल, 2023 को	2023-24 के दौरान खर्च	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2024 को
शिक्षा	3.41	1.89	1.52	10.24
स्वास्थ्य सेवा	10.89	4.28	6.62	15.20
आजीविका सृजन	1.58	0.86	0.72	2.76
महिला सशक्तिकरण	1.64	0.85	0.79	1.59
पेयजल	2.18	1.19	0.99	1.77
स्वच्छता	1.08	0.57	0.51	1.70
खेल	6.39	1.98	4.41	21.16
कला और संस्कृति	0.44	0.32	0.12	0.90
ग्रामीण विकास	4.76	2.97	1.79	16.14
सामाजिक सुरक्षा	3.04	1.36	1.68	2.95
पर्यावरण स्थिरता	16.26	3.55	12.71	3.43
परियोजना पहचान और निगरानी	0.04	0.01	0.03	0.44
कुल	**51.73**	**19.83**	**31.90**	**78.26**

(₹ करोड़)

क्र. सं.	बैंक का नाम और खाता विवरण	1 अप्रैल, 2023 को	2023-24 के दौरान खर्च	31 मार्च, 2024 को *
	वित्त वर्ष 2022–23	51.73	19.84	34.32
	वित्त वर्ष 2023–24	-	-	78.27

* समापन शेष में अर्जित ब्याज ₹ 2.43 करोड़ शामिल है (पिछले वर्षः ₹ शून्य करोड़)

49.7 सामान्य वित्तीय नियम 238(5) और (6) के अनुपालन में, पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात मंत्रालय से प्राप्त अनुदान और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए इसके उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

वर्ष	केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान	उपयोग किया गया अनुदान (प्रारंभिक शेष और चालू वर्ष से)
2023-24	0.00	0.00
2022-23	0.00	0.39
2021-22	0.00	0.26

49.8 'पट्टों' के संबंध में भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 116 के अनुसार जानकारी:

(I) समूह के पास भूमि, कार्यालय भवन, संयंत्र और उपकरण, गोदाम और संबंधित सुविधाएं और वाहन हैं। अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों के अपवाद के साथ, प्रत्येक पट्टे को बैलेंस शीट पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टा देयता के रूप में दर्शाया जाता है। परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें पट्टा देयता और उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के प्रारंभिक माप से बाहर रखा जाता है। समूह अपनी उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुरूप वर्गीकृत करता है।

प्रत्येक पट्टे में आम तौर पर एक प्रतिबंध लगाया जाता है कि, जब तक कि समूह के पास परिसंपत्ति को किसी अन्य पक्ष को उप–पट्टे पर देने का संविदात्मक अधिकार न हो, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का उपयोग केवल समूह द्वारा ही किया जा सकता है। कुछ पट्टों में पट्टे को आगे की अवधि के लिए बढ़ाने का विकल्प होता है। समूह को अंतर्निहित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को सुरक्षा के रूप में बेचने या गिरवी रखने से प्रतिबंधित किया गया है। कार्यालय भवनों और अन्य परिसरों पर पट्टे के लिए समूह को उन संपत्तियों को अच्छी स्थिति में रखना होगा और पट्टे की समाप्ति पर संपत्तियों को उनकी मूल स्थिति में वापस करना होगा। इसके अलावा, समूह को पट्टे के अनुबंधों के अनुसार रखरखाव शुल्क का भुगतान करना होगा।

उपयोग के अधिकार वाली सम्पत्तियां

नीचे उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि (नोट 4क देखें) तथा अवधि के दौरान उनकी गतिविधियां दर्शाई गई हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	पट्टे पर	संयंत्र और उपकरण	वाहन	भवन	उपयोग के अधिकार वाली सम्पत्तियों का कुल योग
1 अप्रैल, 2023 तक	730.60	4171.35	3.10	5.19	4910.23
अतिरिक्त / निपटान	90.90	960.96	7.46	0.26	1059.58
मूल्यह्रास व्यय	62.22	382.63	2.32	1.49	448.64
31 मार्च, 2024 को	**759.28**	**4749.68**	**8.24**	**3.96**	**5521.17**

पट्टा देयताएँ

नीचे पट्टा देयताओं की वहन राशि (ब्याज सहित ऋण और उधार के अंतर्गत शामिल) और वर्ष के दौरान होने वाली गतिविधियाँ दी गई हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	पट्टे से संबंधित देयताएं
1 अप्रैल, 2023 तक	5111.61
अतिरिक्त योजन	998.96
अर्जित ब्याज	412.14
भुगतान	801.03
समायोजन	0.00
31 मार्च, 2024 को	**5721.67**
चालू	486.41
गैर–चालू	5235.24



क. पट्टा देयता के मापन में शामिल न किए गए पट्टा भुगतान

पट्टा देयता के मापन में शामिल न किए गए भुगतानों से संबंधित व्यय इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
अल्पकालिक पट्टे	0.32	0.36
कम मूल्य की संपत्तियों के पट्टे	-	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान	1038.97	18.76
अन्य	-	-

ख. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह 801.03 करोड़ रुपये है (पिछले वर्ष: 1550.79 करोड़ रुपये)।

ग. 31 मार्च, 2024 तक समूह के पास अल्पावधि पट्टों के लिए कुल प्रतिबद्धता शून्य करोड़ रुपये है (पिछले वर्ष: 0.47 करोड़ रुपये)।

घ. पट्टा देनदारियों की परिपक्वता

पट्टे की देनदारियाँ संबंधित अंतर्निहित परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित हैं। भविष्य के न्यूनतम पट्टे भुगतान इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2024 को न्यूनतम पट्टा भुगतान देय			
	1 वर्ष के अंदर	1-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
पट्टा भुगतान	789.16	3007.88	5445.54	9242.58
ब्याज व्यय	340.34	1334.15	1846.44	3520.93
शुद्ध वर्तमान मूल्य	**448.82**	**1673.73**	**3599.10**	**5721.65**

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2023 को न्यूनतम पट्टा भुगतान देय			
	1 वर्ष के अंदर	1-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
पट्टा भुगतान	669.62	2369.71	5365.23	8404.56
ब्याज व्यय	318.50	1106.53	1867.92	3292.94
शुद्ध वर्तमान मूल्य	**351.12**	**1263.18**	**3497.31**	**5111.61**

ङ. परिवर्तनशील लीज़ भुगतान उस अवधि में व्यय माने जाते हैं, जिसमें वे किए जाते हैं। 31 मार्च, 2024 तक अपेक्षित भावी नकद बहिर्वाह ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ शून्य करोड़) है।

च. विस्तार और समाप्ति विकल्पों के बारे में जानकारी :

उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियाँ	पट्टों की संख्या	शेष अवधि की सीमा	शेष पट्टे की औसत अवधि	विस्तार विकल्प वाले पट्टों की संख्या	समाप्ति विकल्प वाले पट्टों की संख्या
पट्टे पर भूमि	26	1-86	23.61	18	1
संयंत्र और उपकरण	13	0-17.18	5.87	12	2
वाहन	17	0-4.92	2.98	4	4
इमारतें	14	0.33-45.78	4.81	0	14

छ. 31 मार्च, 2024 तक कुल भावी नकद बहिर्वाह, उन पट्टों के लिए जो अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं, 0.88 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपये) (कार्यालय परिसर) है।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

पट्टादाता के रूप में परिचालन पट्टा

समूह ने बैंकों, हाउसिंग सोसाइटी, अस्पतालों, मोबाइल टावरों के भूखंडों और कर्मचारी क्वार्टर/फ्लैट स्थानों आदि जैसे स्थानों के लिए पट्टा समझौते किए हैं।

परिचालन पट्टे के अंतर्गत प्राप्त होने वाले भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं:

परिचालन पट्टे के अंतर्गत प्राप्त होने वाले भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
(क) एक वर्ष से कम	**27.42**	26.04
(ख) एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से कम	**74.10**	65.53
(ख) पांच वर्ष से अधिक	**96.32**	93.92
कुल	**197.84**	185.49

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल परिचालन पट्टा किराया आय ₹ 83.62 करोड (पिछले वर्ष: ₹ 29.71 करोड़) है।

पट्टादाता के रूप में वित्त पट्टा

समूह के पास फ्रीहोल्ड भूमि है जिसे वित्त पट्टा व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न पक्षों को पट्टे पर दिया गया है।

वित्त पट्टे के अंतर्गत प्राप्त होने वाले भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
(क) एक वर्ष से कम	**0.72**	0.73
(ख) एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से कम	**2.27**	0.84
(ग) पांच वर्ष से अधिक	**8.91**	8.79
कुल छूट रहित पट्टा भुगतान	**11.90**	10.36
अनर्जित वित्त आय	**8.82**	9.27
पट्टे में शुद्ध निवेश	**3.08**	1.09

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल वित्त पट्टा किराया आय 1.03 करोड़ रुपये है। (पिछले वर्ष: 0.54 करोड़ रुपये)।

(II) प्रमुख पट्टा व्यवस्थाओं का विवरण

पावर प्लांट

समूह ने आपूर्तिकर्ता के साथ बिजली खरीद समझौते के आधार पर भारतीय लेखा मानक 17 के परिशिष्ट ग के तहत कुछ बिजली संयंत्रों को वित्त पट्टे के रूप में दर्ज किया है। बिजली खरीद समझौते की शर्तों के तहत, समूह तब तक बिजली खरीदता रहेगा जब तक कि पक्ष समझौते को समाप्त करने का फैसला नहीं करते, जिसे परिसंपत्ति की विशेष प्रकृति और स्थान पर विचार करते हुए एक गैर–आर्थिक प्रस्ताव माना गया है। किसी भी नए पट्टे के लिए उपचार भारतीय लेखा मानक 116 – 'पट्टे' के अनुसार किया गया है।

ऑक्सीजन प्लांट

समूह ने आपूर्तिकर्ता के साथ ऑक्सीजन खरीद समझौते के आधार पर भारतीय लेखा मानक 17 के परिशिष्ट–सी के तहत कुछ ऑक्सीजन संयंत्रों को वित्त पट्टे (या परिचालन पट्टे) के रूप में दर्ज किया है। ऑक्सीजन खरीदने का समझौता 15 साल का निश्चित अवधि का समझौता है। भारतीय लेखा मानक 116–'पट्टे' के अंतर्गत उपचार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

खनन भूमि

समूह ने नवीनीकरण के लिए अधिकार/आर्थिक बाध्यता पर विचार करने के पश्चात पट्टा समझौते के तहत अपने अधिकारों के आधार पर खनन के लिए लीजहोल्ड भूमि को वित्त पट्टे के रूप में दर्ज किया है। भारतीय लेखा मानक 116 – 'पट्टे' के तहत उपचार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

49.9 वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2021–22 तक की अवधि के लिए राजहरा से रावघाट तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए रेलवे के अधिकारियों को नकद और वस्तु के रूप में किए गए योगदान को रावघाट खदानों से सुनिश्चित यातायात की शुरुआत और पूर्ति के पश्चात सेल के योगदान के मोचन के लिए कुल योगदान पर 37 वर्ष के लिए 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से नकद में वसूल किया जाएगा। प्रबंधन का मानना है कि समझौता ज्ञापन में निर्धारित मानदंड पूरे किए जाएंगे और निवेश की तिथि से ब्याज अर्जित होगा। वापसी राशि में मूलधन और ब्याज तत्व शामिल हैं। तदनुसार, ब्याज तत्व की गणना की गई है और वर्ष के दौरान 61.90 करोड़ (आज तक 311.82 करोड़ रुपये) की आय के रूप में मान्यता दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार, समय अनुपात के आधार पर मान्यता का ऐसा उपचार उचित है क्योंकि प्रबंधन के दृष्टिकोण से, राजस्व की संग्रहणीयता और मापनीयता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं है।

49.10 समूह की कैप्टिव खदानों में उत्पन्न सब–ग्रेड लौह अयस्क फाइन्स की सूची को 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक समूह की लेखा पुस्तकों में कोई मूल्य नहीं दिया गया था, क्योंकि भारत सरकार की अधिसूचना 19 सितंबर 2012 ने सभी कैप्टिव खनिकों को ऐसे सब–ग्रेड फाइन्स को बेचने से प्रतिबंधित कर दिया था।



सब–ग्रेड लौह अयस्क फाइन्स की बिक्री की अनुमति देने वाले भारत सरकार के 16 सितंबर 2019 के आदेश संख्या एफ.सं.16/30/2019–एम.VI के बाद, समूह द्वारा रखे गए सब–ग्रेड फाइन्स की इन्वेंट्री ने आर्थिक मूल्य प्राप्त किया। इस संबंध में, समूह ने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के साथ–साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) से भी राय प्राप्त की। उपर्युक्त राय के आधार पर, समूह ने 31 मार्च 2020 तक इन इन्वेंटरी को उप–उत्पाद इन्वेंटरी के रूप में मान्यता दी। चूंकि, ये इन्वेंटरी कई वर्षों में तैयार की गई थी, जिससे वास्तविक मूल्यांकन का पता लगाना अव्यावहारिक हो गया, इसलिए समूह ने पिछले 36 महीनों में समान सब–ग्रेड फाइन्स के औसत विक्रय मूल्य के आधार पर ऐसी इन्वेंटरी को मूल्यांकन सौंपा, जैसा कि भारत सरकार के संगठन भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा घोषित किया गया था और रॉयल्टी और अन्य विक्रय लागतों के लिए समायोजित किया गया था।

समूह ने पर्यावरण मंजूरी और भारत सरकार के खान सुरक्षा महानिदेशक से मंजूरी सहित सभी मंजूरियाँ प्राप्त कर ली हैं। इसके अलावा, ओडिशा राज्य सरकार से प्रक्रियात्मक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। झारखंड राज्य के संबंध में, डुआरगुइबुरु पट्टे से डंप किए गए फाइन्स की निकासी कैप्टिव उपयोग के लिए वित्त वर्ष 2023–24 में शुरू हो गई है। बिक्री के संबंध में, देरी प्रक्रियात्मक है और प्रबंधन को उम्मीद है कि उचित समय पर मंजूरी मिल जाएगी।

प्रबंधन कुछ स्थानों पर ऐसे भंडारों को बेचने में सक्षम रहा है। जबकि, चालू और पिछले वर्ष के दौरान समग्र आधार पर, ऐसे भंडारों की मात्रा में 2.10 मिलियन टन की हलचल हुई है, सब–ग्रेड फाइन्स की बाजार में महत्वपूर्ण मांग है और हाल ही में बिक्री मूल्य के रुझान ऐसे भंडारों के वहन मूल्य से ऊपर काफी मार्जिन का संकेत देते हैं। प्रबंधन ने भविष्य में लाभकारी संयंत्र और पेलेट बनाने की सुविधाएं स्थापित करने की भी योजना बनाई है, जो सालाना सब–ग्रेड फाइन्स की महत्वपूर्ण मात्रा का उपभोग करेंगे। तदनुसार, प्रबंधन के अनुसार, इस स्तर पर इन भंडारों के वहन मूल्य में कोई समायोजन आवश्यक नहीं है।

इन्वेंट्री की पर्याप्त मात्रा को ध्यान में रखते हुए, अगले एक वर्ष के अंदर बेची/खपत की जाने वाली अनुमानित मात्रा को चालू इन्वेंट्री के रूप में मान्यता दी गई है और शेष को गैर–चालू इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

31 मार्च 2024 तक, समूह के पास 40.88 एमटी (31 मार्च 2023 तकः 41.55 एमटी) की सब–ग्रेड आयरन–ओर फाइन्स इन्वेंट्री है, जिसका मूल्य ₹ 3932.35 करोड़ है (31 मार्च 2023 तक ₹ 3995.75 करोड़) जिसमें 38.73 एमटी शामिल है, जिसका मूल्य ₹ 3749.00 करोड़ है, जिसे इसके विभिन्न खानों में गैर–चालू इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसी तरह, समूह

- अपनी बरसुआ और दल्ली खदानों में ₹ 513.57 करोड़ मूल्य की 10.84 एमटी की टेलिंग की इन्वेंट्री है (31 मार्च 2023 तकः ₹ 491.98 करोड़ मूल्य की 10.27 एमटी) जिसमें ₹ 434.21 करोड़ मूल्य की 9.34 एमटी गैर–वर्तमान इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत है।
- इसके भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट में 0.45 एमटी बीएफ स्लैग और एलडी स्लैग में एम्बेडेड निकाले जाने योग्य लौह और इस्पात स्क्रैप की इन्वेंटरी है, जिसका मूल्य ₹ 449.84 करोड़ है (31 मार्च 2023 तकः 0.47 एमटी जिसका मूल्य ₹ 460.35 करोड़ है) जिसमें 0.41 एमटी शामिल है जिसका मूल्य ₹ 406.42 करोड़ है जिसे गैर–चालू इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इसके चंद्रपुर फेरो अलॉयज प्लांट में 0.59 एमटी दानेदार उच्च मैंगनीज अयस्क (एचएमएनओ) स्लैग और स्लैग फाइन्स का स्टॉक है, जिसका मूल्य ₹ 42.35 करोड़ है (31 मार्च 2023 तकः 0.52 का मूल्य ₹ 41.56 करोड़ है) जिसमें 0.53 एमटी का स्टॉक शामिल है, जिसका मूल्य ₹ 35.66 करोड़ है, जिसे गैर–वर्तमान इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

समूह इन इन्वेंट्री के निपटान/उपभोग के लिए एक विस्तृत योजना तैयार कर रहा है।

बाजार में उतार–चढ़ाव, स्टील बाजार की गतिशीलता, देश में स्टील और पेलेट बनाने की क्षमता में भविष्य में वृद्धि की संभावना को ध्यान में रखते हुए, जो इन सामग्रियों की मांग को बढ़ा सकता है, गैर–वर्तमान इन्वेंट्री के वहन मूल्य को भविष्य की कीमतों में किसी भी अप्रत्याशित बदलाव के लिए समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, प्रबंधन के दृष्टिकोण से, उपर्युक्त इन्वेंटरी के वहन मूल्य इस स्तर पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर सर्वोत्तम अनुमान हैं।

49.11 आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 27 अक्टूबर, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की तीन इकाइयों अर्थात विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसपी), भद्रावती, कर्नाटक, सेलम स्टील प्लांट (एसएसपी), तमिलनाडु और अलॉय स्टील प्लांट (एएसपी), पश्चिम बंगाल के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी थी। इसके बाद, भारत सरकार की "सैद्धांतिक" मंजूरी के अनुरूप, सेल बोर्ड ने 9 फरवरी, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में एएसपी, वीआईएसपी और एसएसपी के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी। समूह ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभिन्न सलाहकारों को नियुक्त किया। रणनीतिक विनिवेश की पूरी प्रक्रिया की देखरेख एक अंतर–मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा की जा रही है। आईएमजी की अध्यक्षता सचिव, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा की जाती है तथा सह–अध्यक्षता सचिव (इस्पात) द्वारा की जाती है।

प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम)/रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई), एएसपी, एसएसपी और वीआईएसपी के अनुरोध 4 जुलाई 2019 को जारी किए गए और ईओआई बोलियां 10 सितंबर 2019 को खोली गईं। ईओआई केवल सलेम स्टील प्लांट (एसएसपी) और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसपी), भद्रावती के लिए प्राप्त हुए थे। वीआईएसपी और एसएसपी की मौजूदा रुचि की अभिव्यक्ति को लेनदेन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं की रुचि की अभिव्यक्ति की कमी के कारण रद्द कर दिया गया है और वैकल्पिक तंत्र को मंजूरी दे दी है।

वर्तमान स्थिति और चल रही विभिन्न विनिवेश प्रक्रियाओं को देखते हुए, इस स्तर पर इन वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन आवश्यक नहीं माना जाता है।

49.12 वर्ष के अंत में आईयूसीए (अंतर–इकाई चालू खातों) में असंगत शेष राशि को अन्य इक्विटी (नोट संख्या 23) शीर्षक के तहत आईयूसीए रिजर्व में स्थानांतरित किया जाता है। सेल की सभी इकाइयों के लिए आईयूसीए रिजर्व की राशि शून्य है।

49.13 अन्य आय में 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही में संयंत्र के एक स्थान पर अप्रचलित संयंत्र और मशीनरी (एसएमएस–1) की बिक्री पर ₹ 278.82 करोड़ का लाभ शामिल है।

49.14 असाधारण मदों में निम्न शामिल हैं:

(I) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए:

क. विवाद से विश्वास योजना II के तहत ₹ 394.39 करोड़ की राशि के संविदात्मक विवादों के निपटारे के लिए प्रावधान।

ख. छत्तीसगढ़ कर, ब्याज और दंड बकाया निपटान अधिनियम 2023 के तहत ₹ 446.45 करोड़ की राशि के प्रवेश कर विवाद के निपटारे के लिए प्रावधान।

(II) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए:

(i) डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) को भूमि के एक हिस्से की बिक्री के कारण अचल संपत्तियों की बिक्री पर ₹ 301.34 करोड़ का लाभ।

(ii) एकमुश्त निपटान योजना के तहत ट्रांसमिशन एवं ट्रांसफॉर्मेशन हानि पर विद्युत शुल्क की लंबे समय से लंबित मांग के निपटान के लिए ₹ 38.91 करोड़ की राशि तथा 2000–01 के दौरान अंतिम रूप दिए गए अनुबंध से उत्पन्न विवाद के लिए ₹ 4.44 करोड़ की राशि।

49.15 इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार ने आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1977 के नियम 20 के उप–नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समूह के कुछ कर्मचारियों और दो निदेशकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निलंबन समूह की कुछ नीति/मूल्य निर्धारण निर्णयों के संबंध में प्राप्त आरोपों पर केंद्रीय सतर्कता अधिकारी द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के आधार पर किया गया है। हालांकि यह मामला वर्तमान में भारत के लोकपाल के 10 जनवरी 2024 के आदेश के अनुसार बाहरी जांच एजेंसियों द्वारा जांच के अधीन है, लेकिन प्रबंधन के अनुसार, उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, इस मामले का कंपनी के संचालन और/या इन वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

49.16 समूह ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत की दर से अंतरिम लाभांश घोषित किया (अर्थात् ₹ 10/– प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹ 1.00)। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की चुकता शेयर पूंजी पर ₹ 1/– प्रति इक्विटी शेयर यानी ₹ 10/– प्रत्येक की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

49.17 सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/डीडीएचएस–आरएसीपीओडीआई/पी/सीआईआर/2023/172 दिनांक 19 अक्टूबर 2023 के अनुसार, और एनएसई और बीएसई से प्राप्त ईमेल संचार के अनुसार, 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बकाया योग्य उधार और वृद्धिशील योग्य उधार का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
1	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बकाया योग्य उधार (₹ करोड़)	8154.10
2	वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया योग्य उधार (₹ करोड़)	10659.17
3	क्रेडिट रेटिंग (एक से अधिक रेटिंग के मामले में उच्चतम)	इंडिया रेटिंग्स और केयर रेटिंग्स द्वारा AA (आउटलुक: स्थिर)
4	वर्ष के दौरान की गई वृद्धिशील उधारी (योग्य उधार) (₹ करोड़)	2505.07
5	वर्ष के दौरान ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम से उधार (₹ करोड़)	शून्य

50.1 परिभाषित लाभ योजनाएँ

50.1.1 परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण:

ग्रेच्युटी	5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा देने वाले पात्र कर्मचारियों को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर अलग होने पर देय (30 वर्ष से अधिक की सेवा के लिए, 30 वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने का वेतन)। 1 जुलाई, 2014 को या उसके बाद शामिल हुए अधिकारियों और गैर–कार्यकारी अधिकारियों के लिए अधिकतम राशि ₹ 20 लाख है। 1 जुलाई, 2014 से पहले शामिल हुए गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए, वेतन संशोधन के कार्यान्वयन की तिथि यानी 18.10.2021 को पूर्व संशोधित मूल वेतन और डीए पर अर्जित ग्रेच्युटी या ₹ 20 लाख जो भी अधिक हो, को एक्चुरियल मूल्यांकन के लिए माना गया है।



अवकाश नकदीकरण	अर्जित और अर्ध वेतन अवकाश जमा करने वाले पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर देय, अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश के लिए संयुक्त रूप से अधिकतम 300 दिनों की सीमा के अधीन। वित्तीय वर्ष में एक बार 30 दिनों तक संचित अर्जित अवकाश का नकदीकरण भी अनुमत है।
भविष्य निधि	मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत, समूह द्वारा भविष्य निधि ट्रस्ट में योगदान दिया जाता है।
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	समूह के अस्पतालों और/या स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।
सेवानिवृत्ति के बाद निपटान लाभ	सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके गृह नगर में बसने के लिए देय।
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा प्रदान करने और सेवानिवृत्ति पर भी वस्तु के रूप में देय।

50.1.2 परिभाषित लाभ दायित्वों के संबंध में 'कर्मचारी लाभ' पर भारतीय लेखा मानक 19 के अंतर्गत अपेक्षित अन्य प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

(क) परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का मिलान* :

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति के बाद निपटान लाभ	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	भविष्य निधि ट्रस्ट@
i)	वर्ष की शुरुआत में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य।	5595.83 (5523.12)	3764.05 (3527.05)	1737.45 (1467.26)	152.80 (135.86)	17.55 (21.18)	24832.99
ii)	सेवा लागत	273.53 (277.47)	524.03 (511.25)	- (-)	- (-)	0.87 (0.67)	746.39
iii)	ब्याज लागत	381.46 (364.64)	247.14 (220.55)	117.08 (95.75)	10.83 (9.35)	1.03 (1.40)	1937.97
iv)	बीमांकिक लाभ(–)/ हानियाँ(+)	-99.06 (205.34)	22.93 (347.07)	369.23 (411.55)	8.46 (15.37)	1.85 (-2.29)	65.51
v)	निपटान/हस्तांतरण	-	-	-	-	-	1001.54
vi)	योजना प्रतिभागियों द्वारा योगदान	-	-	-	-	-	1663.05
vii)	पिछली सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	-
viii)	भुगतान किए गए लाभ	811.25 (774.74)	803.47 (841.90)	289.10 (237.14)	10.65 (7.78)	3.22 (3.38)	4191.50
ix)	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii+iv+v+vi-viii)	5340.52 (5595.83)	3754.67 (3764.05)	1934.66 (1737.45)	161.44 (152.80)	18.08 (17.55)	26055.95

* कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े हैं

(ख) परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का मिलान

ग्रेच्युटी ट्रस्ट

समूह ने एक अलग ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से ग्रेच्युटी देयता को वित्तपोषित किया है। ग्रेच्युटी की योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य मुख्य रूप से बीमा कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है, जिनके माध्यम से फंड द्वारा निवेश किया गया है।

पीएफ ट्रस्ट

समूह ने अलग–अलग ट्रस्टों को पूर्व–निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करते हैं। कंपनी का दायित्व है कि वह सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर प्रतिफल सुनिश्चित करे। तदनुसार, कंपनी ने बीमांकिक रिपोर्ट प्राप्त की है, जिसके आधार पर प्रत्येक ट्रस्ट में कुल ब्याज आय और संचयी अधिशेष प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए वैधानिक ब्याज भुगतान आवश्यकता से अधिक है।

ग्रेच्युटी फंड/भविष्य निधि ट्रस्ट की परिसंपत्तियों के उचित मूल्य और परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी/भविष्य निधि दायित्वों का मिलान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी ट्रस्ट		भविष्य निधि ट्रस्ट@
		2023-24	2022-23	2023-24
i)	वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5808.77	5936.04	25052.83
ii)	एक्चुरियल लाभ/हानि(–)	73.58	-16.88	-
iii)	वास्तविक कंपनी का योगदान	294.90	242.77	746.39
iv)	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	426.94	421.45	2303.93
v)	लाभ भुगतान	811.25	774.74	4191.50
vi)	वित्त वर्ष 2023–24 में योजना परिसंपत्तियों का पुनर्आवंटन**	-	-	-
vii)	कर्मचारी योगदान	-	-	1663.05
viii)	निपटान/स्थानांतरण	-	-	1001.54
ix)	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5792.92	5808.77	26576.24
x)	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य ((50.1.2)(क)(ix))	5340.52	5595.84	26055.95
xi)	बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता (x)-(ix) *	-452.41	-212.93	-

*समूह को निवेश पर रिटर्न पर विचार करने के बाद वर्ष 2024–25 के दौरान ग्रेच्युटी फंड/प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट के खर्चों के लिए कोई राशि योगदान करने की उम्मीद है/नहीं है।

ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड के अलावा परिभाषित लाभ दायित्व गैर–वित्तपोषित हैं।

** सेल के लिए शुद्ध प्रभाव शून्य

ग) वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय *।

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति के बाद निपटान लाभ	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	भविष्य निधि ट्रस्ट@
i)	सेवा लागत	273.53 (277.47)	524.03 (511.25)	- (-)	- (-)	0.87 (0.67)	746.39
ii)	ब्याज लागत	-45.48 (-56.82)	247.14 (220.55)	117.08 (95.75)	10.83 (9.35)	1.03 (1.40)	-
iii)	बीमांकिक लाभ (–)/हानि	-99.06 (205.34)	22.93 (347.07)	369.23 (411.55)	8.46 (15.37)	1.85 (-2.29)	300.45
iv)	पिछली सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	-
v)	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	73.58 (-16.88)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	-
vi)	कुल (i+ii+iii+iv-v)	55.42 (442.87)	794.10 (1078.87)	486.31 (507.30)	19.29 (24.72)	3.75 (-0.21)	1046.84
vii)	कर्मचारियों के लाभ व्यय:						
	क) लाभ एवं हानि खाते पर प्रभारित (नोट 39)	227.62 (219.66)	791.82 (1075.78)	117.08 (95.75)	10.16 (8.76)	3.75 (-0.21)	746.39
	ख) निर्माण के दौरान व्यय का शुल्क लिया गया (नोट 5.1)	0.50 (0.99)	2.28 (3.09)	(-)			-
	ग) ओसीआई को प्रभारित**	-172.63 (222.22)	-	369.23 (411.55)	-	-	#



क्र.सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति के बाद निपटान लाभ	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	भविष्य निधि ट्रस्ट@
	घ) लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित – अन्य व्यय	-0.07 (-)			9.13 (15.96)		-
viii)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	500.52 (404.60)					

* कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े हैं

**परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ/(हानि) को पुनर्वर्गीकृत किया गया है और प्रतिधारित आय (नोट संख्या 23) के अंतर्गत दिखाया गया है

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार, समूह को योजना से वापसी के रूप में या बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित शुद्ध अधिशेष के लिए योजना में कम भविष्य के योगदान के रूप में लाभ का कोई अधिकार नहीं है। तदनुसार, कंपनी ने परिसंपत्तियों के अधिशेष और पुनर्मापन लाभ/हानि को 'अन्य व्यापक आय' में मान्यता नहीं दी है, क्योंकि ये भविष्य निधि ट्रस्टों से संबंधित हैं न कि कंपनी से।

@ वित्त वर्ष 2023–24 में पहली बार पीएफ ट्रस्टों का मूल्यांकन किया गया।

(घ) कर्मचारी लाभ योजनाओं पर छूट दर में आधे प्रतिशत परिवर्तन का प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	छूट दर में 0.5 प्रतिशत की कमी	छूट दर में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि
i)	ग्रेच्युटी	157.79	-148.57
ii)	अवकाश	133.12	-125.64
iii)	सेवानिवृत्ति के बाद का लाभ	106.01	-97.54
iv)	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	0.33	-0.32
v)	सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	15.11	-15.21
vi)	भविष्य निधि ट्रस्ट	4.65	-4.38

(ङ) वेतन वृद्धि दर में आधा प्रतिशत परिवर्तन का कर्मचारी लाभ योजनाओं पर प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वेतन वृद्धि दर में एक प्रतिशत की कमी	वेतन वृद्धि दर में एक प्रतिशत की वृद्धि
i)	ग्रेच्युटी	-53.23	53.35
ii)	अवकाश	-111.86	118.78

(च) सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ योजना के अंतर्गत लाभों के मूल्यांकन के मामले में चिकित्सा लागत दर में आधा प्रतिशत परिवर्तन का प्रभाव।

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वेतन वृद्धि दर में एक प्रतिशत की कमी	वेतन वृद्धि दर में एक प्रतिशत की वृद्धि
i)	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	73.97	-83.30

(छ) ग्रेच्युटी ट्रस्ट का निवेश

विवरण	निवेश का प्रतिशत	
	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
बीमा निवेश	**97.00**	96.95
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	**1.48**	1.51
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	**0.46**	0.47
पीएसयू बांड	**1.00**	0.97
बैंक में नकदी	**0.06**	0.10
कुल	**100.00**	100.00

(ज) बीमांकिक धारणाएँ

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
i)	छूट दर (प्रति वर्ष)	7.21	7.35
ii)	मृत्यु दर	आईएएलएम (2012–14) अंतिम	आईएएलएम (2012–14) अंतिम
iii)	निकासी दर (प्रति वर्ष)	कार्यकारी और गैर–कार्यकारी– आयु के आधार पर 0.01 प्रतिशत से 0.10 प्रतिशत	कार्यकारी और गैर–कार्यकारी– आयु के आधार पर 0.01 प्रतिशत से 0.10 प्रतिशत
iv)	चिकित्सा लागत प्रवृत्ति दर (प्रति वर्ष)	अस्पताल लागत के लिए 5 प्रतिशत और मेडी–क्लेम प्रीमियम के लिए शून्य	अस्पताल लागत के लिए 5 प्रतिशत और मेडी–क्लेम प्रीमियम के लिए शून्य
v)	योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की अनुमानित दर	7.21%	7.35%
vi)	वेतन वृद्धि	कार्यकारी: 6 प्रतिशत प्रति वर्ष गैर–कार्यकारी: 6 प्रतिशत प्रति वर्ष सभी कर्मचारी – 2017 से शुरू होने वाली प्रत्येक 10 वर्ष की सेवा के बाद 6 प्रतिशत की वृद्धि।	कार्यकारी: 6 प्रतिशत प्रति वर्ष गैर–कार्यकारी: 6 प्रतिशत प्रति वर्ष सभी कर्मचारी – 2017 से शुरू होने वाली प्रत्येक 10 वर्ष की सेवा के बाद 6 प्रतिशत की वृद्धि।
		बीमांकिक मूल्यांकन में भविष्य में वेतन वृद्धि का अनुमान लगाते समय मुद्रास्फीति दर, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।	

(झ) परिभाषित लाभ दायित्वों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल (₹ करोड़)

अवधि	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2022 को
1 वर्ष तक	**698.41**	766.47
1 से 2 वर्ष के बीच	**657.65**	689.10
2 से 3 वर्ष के बीच	**652.32**	644.82
3 से 4 वर्ष के बीच	**700.21**	642.11
4 से 5 वर्ष के बीच	**690.61**	690.53
5 से 10 वर्ष के बीच	**2541.14**	2871.06
10 वर्ष से अधिक	**2392.83**	2513.48
पिछली सेवा से संबंधित कुल छूट रहित भुगतान	**8333.15**	8826.55
घटा: ब्याज के लिए छूट	**2992.61**	3230.74
अनुमानित लाभ दायित्व	**5340.54**	5595.83

51. सामान्य

51.1 खंड रिपोर्टिंग

व्यावसायिक खंड: पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र और तीन मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, विनिर्माण इकाइयाँ होने के नाते, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक 108–'संचालन खंड' के अंतर्गत रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक व्यावसायिक खंड माने गए हैं।

51.2 संबंधित पक्ष

(₹ करोड़)

क्र. सं.	हटा दी गई कम्पनी का नाम	लेनदेन का प्रकार	संबंध	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1	मेटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जॉब कार्य	विक्रेता	**0.00**	0.01
2	हाइवेल फोर्जिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	ग्राहक	**0.00**	0.00
3	विस्मया मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	ग्राहक	**0.40**	0.40
4	मद्रास ऑथो कपलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	ग्राहक	**0.00**	0.00
5	ऑटो फील्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	ग्राहक	**0.00**	0.00
6	रॉयल टायर्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00
7	स्प्रेइंग सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड।	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00
8	डेक्कन स्मिथ प्राइवेट लिमिटेड	देय	ग्राहक	**0.11**	0.11
9	स्विंग स्टेटर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	देय	ग्राहक	**0.22**	0.05
10	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	देय	ग्राहक	**0.01**	0.01



क्र. सं.	हटा दी गई कम्पनी का नाम	लेनदेन का प्रकार	संबंध	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
11	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	देय	ग्राहक	**0.72**	0.59
12	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	देय	ग्राहक	**0.05**	0.05
13	आकाश इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	देय	ग्राहक	**0.00**	0.11
14	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	देय	ग्राहक	**0.02**	0.02
15	अपर्णा मेडिट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00
16	पैनेशिया न्यूट्रिशन वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00
17	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00
18	सैफोनिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00
19	स्प्रेइंग सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00
20	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00
21	प्राइम फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	ग्राहक	**0.00**	0.00
22	एगेट इलेक्ट्रो इंसुलेंट्स (प्रा.) लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00
23	क्लेरिपैक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	ग्राहक	**0.00**	0.00
24	हंटिंग हॉक्स सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी सर्विस लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.59**	0.01
25	जमशेदपुर एलॉयज (प्रा.) लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00
26	प्रेडिक्ट टेक्नोलॉजीज इंडिया (प्रा.) लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00
27	संगनील (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00
28	स्वमुक्त एनवायर्न प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00
29	इयांस पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00
30	सैफोनिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00
31	स्प्रेइंग सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00
32	स्प्रेइंग सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00
33	टाइटन बायोटेक लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.00**	0.00

* संख्याएं करोड़ में पूर्णांकित की गई हैं

51.3 भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां' द्वारा अपेक्षित प्रावधानों का प्रकटीकरण

प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण:

खदानों में वनरोपण की लागत	खनन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए खदानों में वनरोपण लागत के लिए सरकारी प्राधिकारियों को खनन पट्टों के नवीकरण (मान्य नवीकरण सहित)/वन मंजूरी पर देय।
खदान बंद करने की लागत	खदानों के बंद होने के लिए अनुमानित देयता, खनन गतिविधियों की समाप्ति के समय वहन की जाएगी।
अतिभार बैकलॉग हटाने की लागत	भावी वर्ष में खदानों में अतिभार बैकलॉग को हटाने के लिए वहन की जाएगी।

(₹ करोड़)

प्रावधानों की गतिशीलता	खानों में वनीकरण की लागत	खानों को बंद करने की लागत	अतिभार हटाने की लागत	कुल
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	35.95	162.02	133.42	331.39
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	86.78	16.16	102.94
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशियाँ	10.47	22.66	13.89	47.02
वर्ष के दौरान वापस की गई अप्रयुक्त राशि	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**25.48**	**226.15**	**135.69**	**387.32**

51.4 दाखिल किए वार्षिक स्टॉक/प्राप्य विवरण का मिलान

(₹ करोड़)

समाप्त वर्ष	बैंक का नाम	प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण	वार्षिक रिटर्न में रिपोर्ट की गई राशि	खातों की बुक के अनुसार राशि	अंतर राशि	महत्वपूर्ण त्रुटि का कारण
मार्च-24	एसबीआई	इन्वेंटरी	32997	32646	351	फाइलिंग की तिथि के अनुसार अनंतिम डेटा।
मार्च-24	एसबीआई	व्यापार प्राप्य	7275	8309	-1034	फाइलिंग की तिथि के अनुसार अनंतिम डेटा।

समाप्त वर्ष	बैंक का नाम	प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण	वार्षिक रिटर्न में रिपोर्ट की गई राशि	खातों की बुक के अनुसार राशि	अंतर राशि	महत्वपूर्ण त्रुटि का कारण
दिसं.-23	एसबीआई	इन्वेंटरी	29394	29187	207	फाइलिंग की तिथि के अनुसार अनंतिम डेटा।
दिसं.-23	एसबीआई	व्यापार प्राप्य	5166	6886	-1720	फाइलिंग की तिथि के अनुसार अनंतिम डेटा।
सितं.-23	एसबीआई	इन्वेंटरी	27955	24846	3109	फाइलिंग की तिथि के अनुसार अनंतिम डेटा।
सितं.-23	एसबीआई	व्यापार प्राप्य	5053	6675	-1622	फाइलिंग की तिथि के अनुसार अनंतिम डेटा।
जून-23	एसबीआई	इन्वेंटरी	32017	28658	3359	फाइलिंग की तिथि के अनुसार अनंतिम डेटा।
जून-23	एसबीआई	व्यापार प्राप्य	5569	5136	433	फाइलिंग की तिथि के अनुसार अनंतिम डेटा।

51.5 **(क)** समूह द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('मध्यस्थ') शामिल हैं, कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं की गई है (उधार ली गई धनराशि से या प्रतिभूति प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, समूह द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से निर्दिष्ट किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ('अंतिम लाभार्थी') को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगा।

(ख) समूह द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('निधि प्रदान करने वाली पार्टियां') शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि समूह, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, निधि देने वाली पार्टी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से निर्दिष्ट किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण देगा या निवेश करेगा या परम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा। संशोधित अनुसूची III के अनुसार अनुपात।

51.6 वर्ष के दौरान:

(क) समूह के पास बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

(ख) समूह को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) समूह के पास वैधानिक अवधि से अधिक आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।

(घ) समूह ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

(ड.) समूह ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के तहत किसी भी व्यवस्था की योजना में प्रवेश नहीं किया है।

(च) समूह के पास आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में कोई अघोषित आय नहीं है।

(छ) समूह ने क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कारोबार नहीं किया है।

एसआरसीएल के संबंध में:

51.7 सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश के अनुसार, कंपनी को कार्यकारी कर्मचारियों के संबंध में वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 30 प्रतिशत तक सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में योगदान करना आवश्यक है, जिसमें अंशदायी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ शामिल हो सकते हैं। तदनुसार कंपनी ने 1 जनवरी, 2012 से वेतन के 9 प्रतिशत की दर से कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ का प्रावधान किया है। गैर–कार्यकारी के लिए यूनियन के साथ किए गए वेतन समझौते में पेंशन योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए गैर–कार्यकारी के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ के लिए संचयी प्रावधान/देयता, ₹ 1.61 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹ 0.15 करोड़) की राशि को 'कर्मचारी लाभ व्यय' में प्रभारित किया गया है।

51.8 एसआरसीएल बोर्ड ने 11.01.2017 को आयोजित अपनी 15वीं बोर्ड बैठक में 2007 डीपीई स्केल के अनुसार अपने अधिकारियों के वेतन संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और यह 01.01.2017 से 5 वर्षों के लिए प्रभावी था। सेल कॉर्पोरेट कार्यालय ने इसके कार्यान्वयन के लिए 21.09.2017 को अपनी मंजूरी दे दी है। इस्पात मंत्रालय ने 16.11.2018 को डीपीई 2007 वेतनमान के अनुसार अधिकारियों के वेतन संशोधन के लिए मंजूरी दे दी थी, जिसे सेल कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा पत्र संदर्भ संख्या पीईआर/ईसी/1220, दिनांक 28.11.2018 के माध्यम से सूचित किया गया था। इसलिए, एसआरसीएल अधिकारियों का अगला वेतन संशोधन 01.01.2022 को देय है।

01.01.2022 से वेतन संशोधन प्रस्ताव एसआरसीएल बोर्ड के समक्ष रखा गया। बोर्ड ने 28.09.2022 को आयोजित अपनी 49वीं बोर्ड बैठक में 01.01.2022 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी अधिकारियों के वेतन संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तदनुसार 01.01.2022 से कार्यकारी अधिकारियों के वेतन संशोधन के लिए प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान वेतन संशोधन प्रावधान का वित्तीय प्रभाव ₹ 0.78 करोड़ है (01.01.2022 से संचयी प्रावधान ₹ 1.76 करोड़ है)

गैर–कार्यकारी वेतन संशोधन 16.12.2023 से देय है। गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए ₹ 0.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

51.9 कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर अपनी अचल संपत्तियों की वहन राशि की आंतरिक समीक्षा करती है, ताकि पूरे संयंत्र की संपत्तियों को नकद उत्पादक इकाई (सीजीयू) मानकर, हानि का पता लगाया जा सके। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य में से अधिक के रूप में लगाया जाता है। उपयोग में मूल्य, किसी संपत्ति के निरंतर उपयोग और उसके उपयोगी जीवन के अंत में उसके निपटान से उत्पन्न होने वाले अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर आधारित है। जहां भी किसी संपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो हानि को मान्यता दी गई है। 31 मार्च, 2024 तक ऐसी समीक्षा पर, कोई हानि हानि प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।



51.10 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) नीति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करना आवश्यक है, जो वर्ष 2023–24 के लिए 0.46 करोड़ रुपये है। एसआरसीएल ने 0.52 करोड़ रुपये का सीएसआर व्यय करने की प्रतिबद्धता जताई है।

विभिन्न मदों के तहत सीएसआर व्यय की स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

विवरण	खर्च	अव्ययित
शिक्षा	0.11	0.00
महिला सशक्तिकरण	0.00	0.05
स्वच्छता	0.00	0.27
अन्य	0.09	0.00
कुल	**0.20**	**0.32**

सीएसआर की अव्ययित राशि के संबंध में, एसआरसीएल ने कार्य आदेश जारी कर दिया है और वर्ष 2023–24 के दौरान खातों की पुस्तकों में देयता दर्शायी गई है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, चल रही परियोजनाओं से संबंधित अव्ययित राशि को 'अव्ययित सीएसआर खाते' में स्थानांतरित किया जाएगा। तदनुसार, भारतीय स्टेट बैंक के साथ खाता खोलकर ₹ 0.32 करोड़ का अनुपालन किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वर्ष 2022–23 के लिए सीएसआर व्यय ₹ 0.43 करोड़ होना था, जिसके लिए ₹ 0.46 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के अंदर ₹ 0.05 करोड़ खर्च किए हैं। शेष बची हुई ₹ 0.41 करोड़ की राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है और 31.07.2023 तक पूरा कर लिया गया है तथा कुल राशि खर्च कर दी गई है।

वर्ष 2021–22 और 2022–23 के लिए "अव्ययित सीएसआर" बैंक खाता बंद करने की प्रक्रिया में है।

परिभाषित लाभ योजनाएँ

51.11 परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण:

ग्रेच्युइटी	5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान करने वाले पात्र कर्मचारियों को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अंतिम आहरित 15 दिन के वेतन (बेसिक प्लस डीए) पर अलग होने पर अधिकारियों को देय। गैर–कार्यकारियों के लिए, 5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान करने वाले पात्र कर्मचारियों को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अंतिम आहरित 15 दिन के वेतन (बेसिक प्लस डीए) पर अलग होने पर ग्रेच्युटी देय है। गैर–कार्यकारियों के लिए 30 वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अंतिम आहरित एक महीने के वेतन (बेसिक प्लस डीए) पर ग्रेच्युटी की गणना की जाएगी। कार्यकारी और गैर–कार्यकारियों दोनों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि 20 लाख रुपये है, जिसे बीमांकिक मूल्यांकन के लिए माना गया है।
अवकाश नकदीकरण	पात्र कार्यकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर देय, जिन्होंने अर्जित अवकाश संचित किया है, अधिकतम 300 दिनों की सीमा के अधीन। गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश की अधिकतम सीमा 200 दिन है। संचित अर्जित अवकाश का नकदीकरण भी वित्तीय वर्ष में एक बार 30 दिन या क्रेडिट अवकाश का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक की अनुमति है।

51.12 परिभाषित लाभ दायित्वों के संबंध में 'कर्मचारी लाभ' पर भारतीय लेखा मानक 19 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

(ग) परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का मिलान

(₹ करोड़)

क्रम संख्या	विवरण	ग्रेच्युइटी	अवकाश नकदीकरण
i)	वर्ष की शुरुआत में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	7.70	1.63
ii)	सेवा लागत	0.20	0.06
iii)	ब्याज लागत	0.57	0.12
iv)	एक्चुरियल लाभ(–)/हानि(+)	-0.07	0.43
v)	पिछली सेवा लागत	-	-
vi)	भुगतान किए गए लाभ	1.15	0.48
vii)	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii+iv-v-vi)	7.25	1.76

(घ) परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का मिलान

कंपनी ने एक अलग ग्रेच्युटी फंड के माध्यम से ग्रेच्युटी देयता को वित्तपोषित किया है। योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य मुख्य रूप से बीमा कंपनियो द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है, जिनके माध्यम से फंड द्वारा निवेश किया गया है।

ग्रेच्युटी फंड की परिसंपत्तियों के उचित मूल्य और परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी दायित्वों का मिलान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
i)	वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6.21	7.78
ii)	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	0.46	0.55
iii)	वास्तविक कंपनी का योगदान	-	-
iv)	ब्याज आय/बीमांकिक लाभ/हानि	-0.09	-0.09
v)	लाभ भुगतान	1.15	2.03
vi)	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5.44	6.21
vii)	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	7.25	7.70
viii)	बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता (vii)-(vi)	-1.82	-1.49

अवकाश नकदीकरण निधि की परिसंपत्तियों के उचित मूल्य और परिभाषित लाभ अवकाश नकदीकरण दायित्वों का समाधान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
i)	वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1.19	1.23
ii)	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	0.09	0.09
iii)	वास्तविक कंपनी का योगदान	-	-
iv)	ब्याज आय/बीमांकिक लाभ/हानि	-0.02	-0.01
v)	लाभ भुगतान	0.24	0.12
vi)	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1.01	1.19
vii)	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	1.76	1.63
viii)	बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता (vii)-(vi)	-0.75	-0.44

(ग) वर्ष के लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय:

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युइटी	अवकाश नकदीकरण
i)	सेवा लागत	0.20	0.06
ii)	ब्याज लागत	0.11	0.03
iii)	एक्चुरियल लाभ(–)/घाटे	-0.07	0.44
iv)	पिछली सेवा लागत	-	-
v)	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	-	-
vi)	कुल (i+ii+iii+iv–v)	0.24	0.53
vii)	कर्मचारियों के लाभ व्यय:		
	क) लाभ और हानि खाते में प्रभारित	0.31	0.54
	ख) निर्माण के दौरान व्यय में प्रभारित	0.00	0.00
	ग) ओसीआई में प्रभारित	0.02	0.00
	घ) लाभ और हानि खाते में प्रभारित– अन्य व्यय	0.00	0.00
viii)	ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	0.37	0.07



(घ) कर्मचारी लाभ योजनाओं पर छूट दर में 0.5 प्रतिशत अंक परिवर्तन का प्रभाव

(₹ करोड़)

क्रम संख्या	विवरण	छूट दर में 0.5 प्रतिशत बिंदु की कमी	छूट दर में 0.5 प्रतिशत बिंदु की वृद्धि
i)	ग्रेच्युइटी	0.12	0.12
ii)	अवकाश	0.03	0.10

(ड.) वेतन वृद्धि दर में 0.5 प्रतिशत अंक के परिवर्तन का कर्मचारी लाभ योजनाओं पर प्रभाव

(₹ करोड़)

क्रम संख्या	विवरण	छूट दर में 0.5 प्रतिशत बिंदु की कमी	छूट दर में 0.5 प्रतिशत बिंदु की वृद्धि
i)	ग्रेच्युइटी	0.09	0.09
ii)	अवकाश	0.10	0.03

(च) ग्रेच्युटी ट्रस्ट/अवकाश नकदीकरण निधि का निवेश

(₹ करोड़)

विवरण	निवेश का प्रतिशत	
	31.03.2024 को	31.03.2023 को
ग्रेच्युइटी ट्रस्ट	74.98	80.70
अवकाश नकदीकरण ट्रस्ट	57.75	72.93

(छ) बीमांकिक धारणाएं

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
i)	छूट दर (प्रति वर्ष)	7.21 प्रतिशत	7.35 प्रतिशत
ii)	मृत्यु दर	आईएएलएम का 100 प्रतिशत (2012–2014)	आईएएलएम का 100 प्रतिशत (2012–2014)
iii)	सेवानिवृत्ति आयु–कार्यकारी – गैर कार्यकारी	60 वर्ष 60 वर्ष	58 वर्ष 60 वर्ष
iv)		कार्यकारी: 6.25 प्रतिशत वार्षिक गैर कार्यकारी: 6.25 प्रतिशत वार्षिक	कार्यकारी: 6.25 प्रतिशत वार्षिक गैर कार्यकारी: 6.25 प्रतिशत वार्षिक

(ज) परिभाशित लाभ दायित्वों की परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ करोड़)

अवधि	31.03.2024 को	
	ग्रेच्युइटी	अवकाश नकदीकरण
1 वर्ष तक	0.78	0.20
1 से 2 वर्ष के बीच	1.45	0.32
2 से 3 वर्ष के बीच	1.51	0.38
3 से 4 वर्ष के बीच	0.37	0.06
4 से 5 वर्ष के बीच	0.83	0.22
5 से 6 वर्ष के बीच	1.16	0.26
6 वर्ष के बाद	1.15	0.32
अनुमानित लाभ दायित्व	7.25	1.76

51.13 भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां' द्वारा अपेक्षित प्रावधानों का प्रकटीकरण

देनदारियां और आकस्मिक सम्पत्तियां:

प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण:

खदानों में वनरोपण - लागत	खनन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए खदानों में वनरोपण लागत के लिए सरकारी प्राधिकारियों को खनन पट्टों के नवीकरण (मान्य नवीकरण सहित)/वन मंजूरी पर देय।
खदान बंद करने की लागत -	खदानों के बंद होने के लिए अनुमानित देयता, खनन गतिविधियों की समाप्ति के समय वहन की जाएगी।
ओवरबर्डन - बैकलॉग हटाने की लागत	भविष्य के वर्षों में खदानों में ओवरबर्डन बैकलॉग को हटाने के लिए वहन की जाएगी।

(₹ करोड़)

प्रावधानों की गतिषीलता	खानों में वनीकरण की लागत	खानों को बंद करने की लागतें	ओवर बर्डन को हटाने की लागत	कुल
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि		0.03	6.78	6.81
वर्ष के दौरान वृद्धि		-	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशियाँ		-	-	-
वर्ष के दौरान वापस की गई अप्रयुक्त राशि		-	-	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि		0.03	6.78	6.81

51.14 पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी न मिलने से एसआरसीएल में खनन कार्य जनवरी 2017 से बंद कर दिया गया है। एसआरसीएल ने जनवरी 2017 के दौरान एमओईएफ को पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

एमओईएफ ने एसआरसीएल को पर्यावरण मंजूरी के अभाव में खनन गतिविधियों के संचालन के खिलाफ देय मुआवजा राशि के निपटान के संबंध में खान और भूविज्ञान विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह के मामलों के लिए 2 अगस्त, 2017 के अपने फैसले में निर्देशित किया था।

राज्य सरकार ने तीन ज्ञापन आरओसी संख्या 45/2018/एम–5/माइंस–ए, आरओसी संख्या 45/2018/एम–6/माइंस–ए और आरओसी संख्या 45/2018/एम–7/माइंस–ए जारी किए। सभी में दिनांक 04.03.2020 के अनुसार एसआरसीएल को 01.04.2000 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए पर्यावरण मंजूरी के संबंध में मुआवजे के रूप में ₹ 49,07,14,243 रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया। राज्य सरकार से प्राप्त मांग के अनुसार वर्ष 2018–19 के दौरान 15.01.2016 से 10.01.2017 तक की आंशिक अवधि के लिए 15.66 करोड़ रुपये की देनदारी एसआरसीएल खातों में दर्शायी गई थी। देयता की शेष राशि 33.41 करोड़ रुपये वर्ष 2019–20 के दौरान खातों में दर्ज की गई है और इसे गैर–चालू देयता के अंतर्गत शामिल किया गया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग, तमिलनाडु सरकार और अन्य अधिकारियों के साथ 02.12.2021 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर, और बाद में एसआरसीएल बोर्ड द्वारा परिपत्र संकल्प संख्या सीआईआर–47/01 दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से अनुमोदन के आधार पर, रेड हिल माइंस के संबंध में पर्यावरण मंजूरी के संबंध में 100 प्रतिशत मुआवजे के लिए 2021–22 के दौरान तमिलनाडु सरकार को ₹ 36.77 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। 49.07 करोड़ रुपये में से 12.30 करोड़ रुपये का शेष है जिसे अब उस पर ब्याज लगाकर 20.67 रुपये के रूप में संशोधित किया गया है।

तमिलनाडु सरकार के साथ निरंतर अनुनय पर, एसआरसीएल को जी.ओ. संख्या 853 अर्थात रेड हिल्स मैग्नेसाइट और ड्यूनाइट माइंस के संबंध में 02.11.2022 को सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड के नाम पर आषय पत्र (एलओआई) प्राप्त हुआ। रेड हिल माइंस (जी.ओ. संख्या 853) के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए टीओआर के अनुसार, दस्तावेज/मानचित्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन्यजीव वार्डन से 06.02.2023 को विधिवत प्रमाणित और प्रमाणित करने के बाद प्राप्त किए गए थे। जन सुनवाई आयोजित करने के लिए ड्राफ्ट ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट की प्रतियां 24.03.2023 को तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी), सेलम में जमा कर दी गई हैं। रेड हिल मैग्नेटाइट और ड्यूनाइट माइंस के लिए 04.07.2023 को जन सुनवाई हुई तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सलेम द्वारा दिनांक 04.03.2024 को सीसी संख्याः 196/2024 के माध्यम से विश्वसनीय कार्रवाई मामला दायर किया गया है। एससीआरएल ने 09.03.2024 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और ईसी के परिवेश पोर्टल पर पर्यावरण मंजूरी के लिए अंतिम आवेदन दायर किया है। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने मई 2024 में निर्धारित बैठकों के लिए जारी किए गए एजेंडे में पर्यावरण मंजूरी के लिए एससीआरएल के ईसी जारी करने के प्रस्ताव को शामिल किया है।

51.15. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

i) श्रेणी के अनुसार वित्तीय उपकरण

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
निवेश	-	-	-	-	-	-
इक्विटी उपकरण	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	-	-	46.65	-	-	27.49
नकद और नकद समकक्ष	-	-	55.65	-	-	50.65
अन्य बैंक शेष	-	-	75.70	-	-	102.04
ऋण	-	-	0.07	-	-	0.07
व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
अन्य प्राप्य	-	-	1.13	-	-	1.23
कुल	**-**	**-**	**179.20**	**-**	**-**	**181.48**



(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय देनदारियाँ						
उधार	-	-	7.67	-	-	0.02
व्यापार देय	-	-	6.07	-	-	6.14
व्युत्पन्न देयता	-	-	-	-	-	-
अन्य देय	-	-	65.87	-	-	58.95
कुल	**-**	**-**	**79.61**	**-**	**-**	**65.11**

ii) जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के संबंध में विभिन्न जोखिमों हैं। मुख्य जोखिम बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन निदेशक मंडल के साथ घनिष्ठ सहयोग में समन्वित है और अस्थिर वित्तीय बाजारों के जोखिम को कम करके कंपनी के अल्पकालिक से मध्यम अवधि के नकदी प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित है। दीर्घकालिक वित्तीय निवेशों को स्थायी रिटर्न उत्पन्न करने के लिए प्रबंधित किया जाता है। कंपनी सट्टा उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के व्यापार में संलग्न नहीं है और न ही यह विकल्प लिखती है। सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम जिनसे कंपनी अवगत है, उनका वर्णन नीचे किया गया है।

क) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसमें प्रतिपक्ष कंपनी के प्रति दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है। कंपनी विभिन्न वित्तीय साधनों के लिए ऋण जोखिम के प्रति कम संवेदनशील है, उदाहरण के लिए सेल संयंत्रों के अलावा अन्य ग्राहकों से प्राप्तियां, सावधि जमा रखना, आदि। कंपनी का ऋण जोखिम के प्रति अधिकतम जोखिम निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि तक सीमित है।

- नकद और नकद समतुल्य

- व्यापार प्राप्य

- परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी लगातार ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों की निगरानी करती है, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा पहचाना जाता है, और इस जानकारी को अपने क्रेडिट जोखिम नियंत्रण में शामिल करती है। कंपनी की नीति केवल क्रेडिट योग्य प्रतिपक्षों के साथ ही व्यवहार करने की है।

क) ऋण जोखिम प्रबंधन

नकदी और नकद समतुल्य

नकदी और नकद समतुल्य से संबंधित ऋण जोखिम नगण्य है क्योंकि जमा केवल उच्च श्रेणी के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ही किए जाते हैं।

व्युत्पन्न वित्तीय साधन

एसआरसीएल के पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय साधन नहीं है।

व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य से संबंधित ऋण जोखिम बहुत कम है क्योंकि कंपनी अपने उत्पादों को केवल सेल संयंत्रों को बेचती है, सिवाय कुछ वस्तुओं को छोड़कर जो इस्पात मंत्रालय के अधीन आरडब्ल्यूएफ को बेचती है। निजी पार्टियों को कोई ऋण बिक्री नहीं होती है।

परिशोधन लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

परिशोधन लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कर्मचारियों और अन्य लोगों को दिए गए अग्रिम शामिल हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम को ऐसी राशियों की वसूली की निरंतर निगरानी करके प्रबंधित किया जाता है, जबकि साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है कि राशियाँ निर्धारित सीमाओं के अंदर हैं।

ख) अपेक्षित ऋण हानियाँ

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानियाँ प्रदान करती है

व्यापार प्राप्य

कंपनी सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यापार प्राप्य पर आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों को पहचानती है और व्यापार प्राप्य की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रासंगिक हानि प्रतिशत पर पहुँचने के लिए ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग करती है:

(₹ करोड़)

आयु (31 मार्च, 2024 को)	0-3 माह	3-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक	कुल
सकल वहन राशि	39.77	6.88	0.18	0.21	5.46	52.50
अपेक्षित हानि दर			100%	100%	100%	
अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान			0.18	0.21	5.46	5.85
व्यापार प्राप्य की वहन राशि	**39.77**	**6.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46.65**

(₹ करोड़)

आयु (31 मार्च, 2023 को)	0-3 माह	3-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक	कुल
सकल वहन राशि	23.47	4.02	0.22	0.00	5.46	33.17
अपेक्षित हानि दर			100%	100%	100%	
अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान			0.22	0.00	5.46	5.68
व्यापार प्राप्य की वहन राशि (शुद्ध हानि)	**23.47**	**4.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27.49**

प्रत्याशित हानि प्रावधान का मिलान

(₹ करोड़)

विवरण	व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान
31 मार्च, 2023 तक	5.68
प्रावधान में परिवर्तन	0.17
31 मार्च, 2024 तक	**5.85**

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी किसी भी ऋण हानि की अपेक्षा के लिए व्यक्तिगत वित्तीय साधनों का मूल्यांकन करके 'ऋण अग्रिम और व्यापार प्राप्तियों के अलावा अन्य' पर अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान करती है। चूंकि इस श्रेणी में विभिन्न प्रकृति और उद्देश्य के ऋण और प्राप्य शामिल हैं, इसलिए ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है जिसे कंपनी पूरी आबादी पर लगातार लागू करने के लिए तैयार कर सके। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, कंपनी की नीति प्रारंभिक मान्यता पर 12 महीने की अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान करना और ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि पर आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान करना है। कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्तियों पर उनकी कम ऋण जोखिम प्रकृति को देखते हुए मान्यता प्राप्त कोई अपेक्षित हानि आधारित हानि नहीं है, हालांकि ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक उप–श्रेणी के अंतर्गत हानि के प्रावधानों का प्रकटीकरण किया जाता है।

ख) चलनिधि जोखिम

विवेकपूर्ण चलनिधि जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य है कि देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी बनाए रखना। प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति और नकदी और नकदी समकक्षों के गतिशील पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। कंपनी उस बाजार की चलनिधि को ध्यान में रखती है जिसमें इकाई काम करती है। इसके अलावा, कंपनी की जलनिधि प्रबंधन नीति में प्रमुख मुद्राओं में नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना और इनको पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्तियों के स्तर पर विचार करना, आंतरिक और बाहरी विनियामक आवश्यकताओं के विरुद्ध बैलेंस शीट तरलता अनुपात की निगरानी करना और ऋण वित्तपोषण योजनाओं को बनाए रखना शामिल है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिकाएँ सभी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वताओं के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता कंपनी में कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण करती हैं और तालिका में बताई गई राशियाँ संविदात्मक छूट रहित नकदी प्रवाह हैं। 12 महीनों के अंदर देय शेष राशि उनके वहन शेष के बराबर होती है क्योंकि छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होता है।

(₹ करोड़)

31 मार्च 2024 को वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताएं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न					
सुरक्षा जमा	0.47	2.17	0.23	1.43	4.30
व्यापार देय	-	-	2.66	3.41	6.07
बैंक से उधार	7.65	-	-	-	7.65
अन्य देय	**25.94**	**7.72**	**2.31**	**25.62**	**61.59**
कुल	**34.06**	**9.89**	**5.20**	**30.46**	**79.61**



(₹ करोड़)

31 मार्च 2023 को वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताएं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न					
सुरक्षा जमा	0.64	1.99	0.17	1.48	4.28
व्यापार देय	2.83	0.01		3.30	6.14
बैंक से उधार	18.97	7.79	2.31	25.62	54.69
अन्य देय	**22.44**	**9.79**	**2.48**	**30.40**	**65.11**

51.16 खंड सूचना:

कंपनी का संचालन मुख्य रूप से एक प्राथमिक खंड से संबंधित है और कोई द्वितीयक भौगोलिक खंड नहीं है।

51.17 पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के निम्न उद्देश्य हैं

- कंपनी की सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में बने रहने की क्षमता सुनिश्चित करना

- शेयरधारकों को पर्याप्त रिटर्न प्रदान करना

कंपनी बैलेंस शीट के मुखपृष्ठ पर प्रस्तुत इक्विटी घटा नकदी और नकद समकक्षों की वहन राशि के आधार पर पूंजी की निगरानी करती है।

प्रबंधन अत्यधिक उत्तोलन से बचते हुए एक कुशल समग्र वित्तपोषण संरचना को बनाए रखने के लिए कंपनी की पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है। यह कंपनी की देनदारियों के विभिन्न वर्गों के अधीनस्थ स्तरों को ध्यान में रखता है। कंपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन और अंतर्निहित परिसंपत्तियों की जोखिम विशेषताओं के प्रकाश में इसमें समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश की राशि को समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकती है।

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
कुल इक्विटी	182.89	168.82
कुल इक्विटी	**182.89**	**168.82**

Dividends

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
(i) इक्विटी शेयर		
- भुगतान किया गया अंतिम लाभांश (कर के बाद शुद्ध लाभांश वितरण)	**0.08**	**6.02**
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता प्राप्त नहीं किए गए लाभांश	**1.26**	**0.08**
(iii) भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश (कर के बाद शुद्ध लाभांश वितरण)	**6.00**	**6.50**

51.18 क. सीडब्ल्यूआईपी एजिंग अनुसूची

बैलेंस शीट में प्रारंभिक मान्यता से 31-03-2024 तक सीडब्ल्यूआईपी की राशि

(₹ करोड़)

क्र. सं.	सीडब्ल्युआईपी	0-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक	कुल
1	**चालू परियोजनाएँ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	0	0	0	0	0
	कुल	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

बैलेंस शीट में प्रारंभिक मान्यता से 31-03-2023 तक सीडब्ल्यूआईपी की राशि

(₹ करोड़)

क्र. सं.	सीडब्ल्युआईपी	0-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक	कुल
1	**चालू परियोजनाएँ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	0	0	0	0	0
	कुल	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

51. ख सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची

31 मार्च 2024 को

(₹ करोड़)

क्र. सं.	सीडब्ल्युआईपी	0-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक
1	**चालू परियोजनाएँ**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	0	0	0	0
	कुल	**0**	**0**	**0**	**0**

सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची

31 मार्च 2023 को

(₹ करोड़)

क्र. सं.	सीडब्ल्युआईपी	0-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक
1	**चालू परियोजनाएँ**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	0	0	0	0
	कुल	**0**	**0**	**0**	**0**

51. 19 व्यापार देय आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ करोड़)

भुगतान की देय तिथि से 31-03-2024 तक बकाया								
क्र.सं.	विवरण	बिन न किए गए बकाया	जो बकाया नहीं है	0-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक	कुल
1	एमएसएमई – विवादित							
2	एमएसएमई – निर्विवाद							
	उप-योग - क							
3	अन्य – विवादित							
4	अन्य – अविवादित					2.66	3.41	**6.07**
	उप-योग -ख					**2.66**	**3.41**	**6.07**
	कुल योग (क+ख)					**2.66**	**3.41**	**6.07**

(₹ करोड़)

भुगतान की देय तिथि से 31-03-2023 तक बकाया								
क्र.सं.	विवरण	बिन न किए गए बकाया	जो बकाया नहीं है	0-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक	कुल
1	एमएसएमई – विवादित							
2	एमएसएमई – निर्विवाद							
	उप-योग - क							
3	अन्य – विवादित							
4	अन्य – अविवादित			2.83	0.01	0.00	3.30	**6.14**
	उप-योग -ख			**2.83**	**0.01**	**0.00**	**3.30**	**6.14**
	कुल योग (क+ख)			**2.83**	**0.01**	**0.00**	**3.30**	**6.14**



51.20 व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ करोड़)

31 मार्च 2024 को व्यापार प्राप्यों की आयु									
विवरण	बिन न किए गए बकाया	जो बकाया नहीं है	0-3 माह	3-6 माह	6-12 माह	12-24 माह से अधिक	24-36 माह	36 माह से अधिक	कुल
सकल वहन राशि									
(क) चालू:									
अविवादित– अच्छा माना गया			**39.77**	**6.14**	**0.74**				**46.65**
विवादित–माना गया									
अविवादित–खराब ऋण									
विवादित - खराब ऋण									
कुल चालू			**39.77**	**6.14**	**0.74**				**46.65**
(ख) गैर-चालू:									
अविवादित– अच्छा माना गया									
विवादित– माना गया									
अविवादित– खराब ऋण						**0.18**	**0.21**	**5.46**	**5.85**
विवादित– खराब ऋण									
कुल गैर –चालू						**0.18**	**0.21**	**5.46**	**5.85**
कुल सकल			**39.77**	**6.14**	**0.74**	**0.18**	**0.21**	**5.46**	**52.50**
अपेक्षित हानि (प्रतिशत)						**100**	**100**	**100**	**100**
ऋण हानि भत्ता						**0.18**	**0.21**	**5.46**	**5.85**
शुद्ध वहन मूल्य			**39.77**	**6.14**	**0.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46.65**

(₹ करोड़)

31 मार्च 2023 को व्यापार प्राप्यों की आयु									
विवरण	बिन न किए गए बकाया	जो बकाया नहीं है	0-3 माह	3-6 माह	6-12 माह	12-24 माह से अधिक	24-36 माह	36 माह से अधिक	कुल
सकल वहन राशि									
(क) चालू:									
अविवादित – अच्छा माना गया			23.47	3.26	0.76				**27.49**
विवादित – माना गया									
अविवादित – खराब ऋण									

31 मार्च 2023 को व्यापार प्राप्यों की आयु									
विवरण	बिन न किए गए बकाया	जो बकाया नहीं है	0-3 माह	3-6 माह	6-12 माह	12-24 माह से अधिक	24-36 माह	36 माह से अधिक	कुल
विवादित – खराब ऋण									
कुल चालू			**23.47**	**3.26**	**0.76**				**27.49**
(ख) गैर-चालू:									
अविवादित – अच्छा माना गया									
विवादित – माना गया									
अविवादित – खराब ऋण						0.22	0.00	5.46	**5.68**
विवादित – खराब ऋण									
कुल गैर–चालू						**0.22**	**0.00**	**5.46**	**5.68**
कुल सकल			**23.47**	**3.26**	**0.76**	**0.22**	**0.00**	**5.46**	**33.17**
अपेक्षित हानि (प्रतिशत)						**100**	**100**	**100**	**100**
ऋण हानि भत्ता						**0.22**	**0.00**	**5.46**	**5.68**
शुद्ध वहन मूल्य			**23.47**	**3.26**	**0.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27.49**

अपेक्षित ऋण हानि भत्ते का मिलान

विवरण	(₹ करोड़)
31 मार्च, 2022 को	**6.71**
भत्ते में परिवर्तन–घटा	1.03
31 मार्च, 2023 को	**5.68**
भत्ते में परिवर्तन–जोड़	0.17
31 मार्च, 2023 को	**5.85**

51.21 कुछ व्यापारिक प्राप्तियों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य भुगतानों के शेष राशि की पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। मिलान निरंतर आधार पर किए जाते हैं। जहाँ भी आवश्यक समझा गया, प्रावधान किए गए हैं। हालाँकि, प्रबंधन को ऐसी लंबित पुष्टि/मलानों से कोई भौतिक वित्तीय प्रभाव होने की उम्मीद नहीं है।

51.22 भारतीय लेखा मानक 115–'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व' के अनुसार, 29.53 करोड़ रुपये (पिछले वर्षः 29.92 करोड़ रुपये) की जीएसटी राशि परिचालन से राजस्व में शामिल नहीं है।

51.23 बिक्री में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान अनंतिम अनुबंध मूल्यों पर मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को बिक्रीः शून्य (पिछले वर्षः शून्य) और 31 मार्च, 2024 तक संचयी रूप सेः शून्य (पिछले वर्षः शून्य)

51.24 वर्ष के दौरान, बिक्री और व्यापार प्राप्तियों में केंद्र सरकार अर्थात रेल व्हील फैक्ट्री (आरडब्ल्यूएफ) के साथ लेनदेन के लिए ₹ 0.00 करोड़ (पिछले वर्षः ₹ 0.21 करोड़) और ₹ 0.38 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.38 करोड़) शामिल हैं।

51.25 वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण पर लगाए गए अनुसंधान और विकास व्यय और अचल संपत्तियों/पूंजीगत कार्य–प्रगति (नेट) को आवंटित, क्रमशः शून्य (पिछले वर्ष शून्य) और शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।



51.26 सामान्य वित्तीय नियम 238(5) एवं (6) के अनुपालन में, पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात मंत्रालय से प्राप्त अनुदानों तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए इसके उपयोग का विवरण शून्य है।

51.27 उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ

नीचे मान्यता प्राप्त उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की वहन राशि तथा अवधि के दौरान होने वाली गतिविधियों का विवरण दिया गया है:

(₹ करोड़)

विवरण	वाहन
1 अप्रैल, 2023 तक	0.04
अतिरिक्त / निपटान	0.00
मूल्यह्रास व्यय	0.01
31 मार्च, 2024 तक	0.03

51.28 खनन भूमि

कंपनी ने खनन के लिए लीजहोल्ड भूमि को वित्त पट्टे के रूप में नहीं गिना है क्योंकि लीज समझौता न तो कंपनी के नाम पर हस्तांतरित किया गया है और न ही नवीनीकृत किया गया है।

51.29 दिए गए ऋणों और अग्रिमों का विवरण जो:

(i) मांग पर चुकाने योग्य हैं, या

(ii) बिना किसी शर्त या चुकौती की अवधि निर्दिष्ट किए

(₹ करोड़)

क्रम	उधार प्राप्तकर्ता का प्रकार	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
			कुल का प्रतिशत	बकाया राशि	कुल का प्रतिशत
1	प्रमोटर	0	0	0	0
2	निदेशक (नाम बताएं)	0	0	0	0
3	केएमपी (नाम बताएं)	0	0	0	0
4	संबंधित पक्ष	0	0	0	0
	पार्टी के अनुसार वार)	0	0	0	0
	कुल	**0**	**0**	**0**	**0**

51.30 हटा दी गई कम्पनियों के साथ संबंध

(₹ करोड़)

				समाप्त होने वाले वर्ष के लिए शेष	
क्र. सं.	हटा दी गई कम्पनी का नाम	लेनदेन की प्रकृति	संबंध	31-03-2024	31-03-2023
	0	0	0	0	0

51.31 वर्ष 2023-24 के लिए फंड प्रबंधन के लिए दायर वार्षिक स्टॉक/प्राप्य विवरण का मिलान

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	कथन के अनुसार	खातों के अनुसार	अंतर	अंतर का कारण
1	**इन्वेंटरी**	कंपनी ने किसी भी बैंकर से ऋण या लोन नहीं लिया है। इसलिए स्टॉक या प्राप्य विवरण दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।			
	(i) कच्चा माल				
	(ii) प्रगति पर कार्य				
	(iii) स्टोर और स्पेयर्स				
	(iv) तैयार माल				
	सकल इन्वेंटरी				
	घटा: विविध लेनदार				
	शुद्ध इन्वेंटरी				
2	**व्यापार प्राप्य**				

51.32 निम्नलिखित अचल संपत्तियों (लाइन आइटम 'संपत्ति संयंत्र और उपकरण' और 'उपयोग के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार' के अंतर्गत) के अधिकार विलेख/लीज समझौते कंपनी के नाम पर नहीं हैं:

31 मार्च, 2024 को

क्र. सं.	बीएस में लाइन आइटम	सम्पत्ति की प्रकृति	कुल क्षेत्र (एकड़)	सकल मूल्य (₹ करोड़ में)	शुद्ध मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर अधिकार विलेख है	क्या अधिकार विलेख धारक एक प्रमोटर या निदेशक है	अवधि-जहां भी उचित हो, रेंज निर्दिष्ट करें	कम्पनी के नाम पर न होने का कारण
1	1	स्वामित्व वाली भूमि	147.994 (सलेम, तमिलनाडु)	5.11	5.11	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल)	नहीं	16.12.2011 से	**1)** एसआरसीएल ने पंजीकरण महानिरीक्षक, चेन्नई को 5.07 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी माफ करने के लिए आवेदन किया है, इस तथ्य के आधार पर कि उक्त हस्तांतरण भारत सरकार के दो विभागों/प्रशासनिक मंत्रालयों (भारी उद्योग विभाग और इस्पात मंत्रालय) के बीच हुआ था। **2)** एसआरसीएल ने एसआरसीएल के नाम पर स्वामित्व परिवर्तन के लिए दिनांक 01.10.2021 के पत्र एसआरसीएल/खान/2021–22/041 के माध्यम से सब–रजिस्ट्रार, कुशाल नगर, मदिकेरी, कर्नाटक से अनुरोध किया। सब–रजिस्ट्रार कार्यालय, कुषल नगर ने दिनांक 26.10.2021 के पत्र के माध्यम से उत्तर दिया कि एसआरसीएल को तहसीलदार तालुका कार्यालय, कुशालनगर से संपर्क करना होगा। तब से हम एसआरसीएल के नाम पर भूमि के हस्तांतरण के लिए तहसीलदार तालुका कार्यालय, कुशलनगर से संपर्क कर रहे हैं। **3)** ईसी प्राप्त करने के बाद, एसआरसीएल के नाम पर पट्टा प्रदान किया जाएगा। **4)** तमिलनाडु सरकार ने 246.203 एकड़ लीज होल्ड भूमि पर कब्जा कर लिया है। शेष उपलब्ध भूमि केवल 4.237 एकड़ है। तमिलनाडु सरकार ने अभी तक लीज होल्ड भूमि क्षेत्र को सही नहीं किया है। **5)** तमिलनाडु सरकार ने 37.012 एकड़ लीज होल्ड भूमि पर कब्जा कर लिया है। शेष उपलब्ध भूमि केवल 56.438 एकड़ है। तमिलनाडु सरकार ने अभी तक लीज होल्ड भूमि क्षेत्र को सही नहीं किया है।
2	1	स्वामित्व वाली भूमि	21.81 (कुशाल नगर, कर्नाटक)			बीएससीएल	नहीं	16.12.2011 से	
3	1	पट्टे पर भूमि	जी.ओ. नं. 853–रेडहिल्स मैग्नेसाइट एण्ड ड्यूनाइट माइन्स 1538.67 एकड़	कुल लीजहोल्ड भूमि का मूल्य एक रुपये के रूप में एसेट रजिस्टर में दर्शाया गया है	कुल लीजहोल्ड भूमि का मूल्य एक रुपये के रूप में एसेट रजिस्टर में दर्शाया गया है	बीएससीएल	नहीं	16.12.2011 से	
4	1	पट्टे पर भूमि	जी.ओ. नं. 51. जाघीर मैग्नेसाइट माइंस 250.44 एकड़			बीएससीएल	नहीं	16.12.2011 से	
5	1	पट्टे पर भूमि	जी.ओ. नं. 679–ए. एस. जाघीर मैग्नेसाइट माइंस 93.450 एकड			बीएससीएल	नहीं	16.12.2011 से	



31 मार्च, 2023 को

क्र. सं.	बीएस में लाइन आइटम	सम्पत्ति की प्रकृति	कुल क्षेत्र (एकड़)	सकल मूल्य (₹ करोड़ में)	शुद्ध मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर अधिकार विलेख है	क्या अधिकार विलेख धारक एक प्रमोटर या निदेशक है	अवधि-जहां भी उचित हो, रेंज निर्दिष्ट करें	कम्पनी के नाम पर न होने का कारण
1	1	स्वामित्व वाली भूमि	147.994 (सलेम तमिलनाडु)	5.11	5.11	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल)	नहीं	16.12.2011 से	**1)** एसआरसीएल ने पंजीकरण महानिरीक्षक, चेन्नई को इस तथ्य के आधार पर 5.07 करोड़ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की छूट के लिए आवेदन किया है कि उक्त हस्तांतरण भारत सरकार के दो विभागों/प्रशासनिक मंत्रालयों (भारी उद्योग विभाग और इस्पात मंत्रालय) के बीच हुआ था। **2)** एसआरसीएल ने एसआरसीएल के नाम पर स्वामित्व परिवर्तन के लिए दिनांक 01.10.2021 के पत्र एसआरसीएल/खान/2021–22/041 के माध्यम से उप–पंजीयक, कुशाल नगर, मदिकेरी, कर्नाटक से अनुरोध किया। उप–पंजीयक कार्यालय, कुशल नगर ने दिनांक 26.10.2021 के पत्र के माध्यम से उत्तर दिया कि एसआरसीएल को तहसीलदार तालुक कार्यालय, कुशालनगर से संपर्क करना होगा। तब से हम एसआरसीएल के नाम पर भूमि के हस्तांतरण के लिए तहसीलदार तालुक कार्यालय, कुशलनगर से संपर्क कर रहे हैं। **3)** ईसी प्राप्त करने के बाद, एसआरसीएल के नाम पर पट्टा प्रदान किया जाएगा। **4)** तमिलनाडु सरकार ने 246.203 एकड़ लीज होल्ड भूमि पर कब्जा कर लिया है। शेष उपलब्ध भूमि केवल 4.237 एकड़ है। तमिलनाडु सरकार ने अभी तक लीज होल्ड भूमि क्षेत्र को सही नहीं किया है। **5)** तमिलनाडु सरकार ने 37.012 एकड़ लीज होल्ड भूमि पर कब्जा कर लिया है। शेष उपलब्ध भूमि केवल 56.438 एकड़ है। तमिलनाडु सरकार ने अभी तक लीज होल्ड भूमि क्षेत्र को सही नहीं किया है।
2	1	स्वामित्व वाली भूमि	21.81 (कुशाल नगर, कर्नाटक)			बीएससीएल	नहीं	16.12.2011 से	
3	1	पट्टे पर भूमि	जी.ओ. नं. 853– रेड हिल्स मैग्नेसाइट और ड्यूनाइट माइंस 1538.67 एकड़	कुल लीजहोल्ड भूमि का मूल्य एक रुपये के रूप में एसेट रजिस्टर में दर्शाया गया है	कुल लीजहोल्ड भूमि का मूल्य एक रुपये के रूप में एसेट रजिस्टर में दर्शाया गया है	बीएससीएल	नहीं	16.12.2011 से	
4	1	पट्टे पर भूमि	जी.ओ.नं. 51– जाघीर मैग्नेसाइट माइंस 250.44 एकड़			बीएससीएल	नहीं	16.12.2011 से	
5	1	पट्टे पर भूमि	जी.ओ. नं. 679–ए. एस. जाघीर मैग्नेसाइट माइंस 93.450 एकड़			बीएससीएल	नहीं	16.12.2011 से	

52: परिचालन खंड सूचना

(₹ करोड़)

विवरण	बीएसपी	डीएसपी	आरएसपी	बीएसएल	आईएसपी	एएसपी	एसएसपी	वीआईएसएल	अन्य	अंतर खण्ड बिक्री	कुल
राजस्व											
- बाहरी बिक्री											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	30702.12	11486.84	24534.09	22091.69	12390.21	889.51	2371.51	54.63	27.21	-	104547.81
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	28667.66	12126.00	24077.71	23146.14	12995.31	731.60	1798.55	144.00	41.85	-	103728.82
- अंतर खंड बिक्री											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	2417.64	883.25	1546.34	3403.64	267.76	294.06	23.87	102.34	1344.03	(10282.93)	-
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	1693.79	1062.64	1380.61	2938.16	494.31	258.54	76.36	161.36	1356.57	(9422.34)	-
-उत्पादों की बिक्री से कुल राजस्व											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	33119.76	12370.09	26080.43	25495.33	12657.97	1183.57	2395.38	156.97	1371.24	(10282.93)	104547.81
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	30361.45	13188.64	25458.32	26084.30	13489.62	990.14	1874.91	305.36	1398.42	(9422.34)	103728.82
परिणाम											
- ब्याज और असाधारण मदों से पहले परिचालन लाभ/(हानि)											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	3548.54	564.60	1415.53	1365.89	295.25	(71.55)	(227.36)	(48.57)	534.18	-	7376.51
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	954.33	502.49	1191.23	1218.79	558.03	(121.79)	(203.06)	(50.57)	622.47	-	4671.92
- वित्त लागत											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष											2473.86
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष											2037.47
- असाधारण मदें											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष											840.84
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष											(257.99)
- कर व्यय											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष											995.14
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष											715.91
- वर्ष के लिए लाभ											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष											3066.67
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष											2176.53
अन्य जानकारी											
- खंड परिसंपत्तियाँ - गैर चालू											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	26545.18	6084.35	21951.33	16713.50	13415.63	108.48	1437.05	97.94	6217.43		92570.89
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	26924.78	5546.81	22194.62	16424.09	13875.27	113.77	1532.88	107.11	5771.12		92490.45
- खंड परिसंपत्तियाँ - चालू											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	9398.77	2783.29	7598.61	6484.55	2567.99	585.69	1361.07	126.91	17215.70		48122.58
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	7269.86	1890.14	5997.69	5762.73	1991.41	504.51	982.96	131.15	13430.91		37961.36
- बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	0.24	1.20	10.65	1.04	1.19	0.79	-	-	-		15.11
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	8.45	3.16	12.02	3.62	1.16	0.87	-	-	-		29.28
- खंड देयताएँ - गैर चालू											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	2931.50	1703.16	4763.89	2167.07	249.35	141.10	107.10	56.30	18023.46		30142.93
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	4260.76	1779.95	4972.95	1408.34	(22.35)	93.46	113.10	(21.21)	13815.13		26400.13
- खंड देयताएँ - चालू											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	5473.42	1610.84	4786.11	3766.86	1335.61	179.85	515.34	68.95	35727.44		53464.42
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	5039.85	1767.13	4230.51	4657.33	1625.05	164.57	388.36	81.66	31379.82		49334.28
- पूंजीगत व्यय											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	1482.72	869.84	1472.08	1483.16	389.40	3.91	10.74	0.65	71.29		5783.79
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	1030.31	865.13	2011.35	1047.64	338.94	1.45	12.58	3.45	58.82		5369.67
- मूल्यह्रास											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	1333.67	327.15	1567.81	1078.96	806.28	8.73	97.90	6.49	51.38		5278.37
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	1242.26	292.98	1528.47	923.53	810.93	8.56	96.68	6.42	53.71		4963.54
- गैर नकद व्यय के अलावा											
31 मार्च 2024 को समाप्त चालू वर्ष	29.39	17.28	51.48	42.81	21.51	2.14	0.34	0.03	(5.15)		159.83
31 मार्च 2023 को समाप्त पिछला वर्ष	124.97	33.26	31.44	23.78	14.19	17.19	8.34	3.97	98.73		355.87
कोई भी ग्राहक राजस्व में 10 प्रतिशत से अधिक का योगदान नहीं देता है। मूल कंपनी लौह और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण में लगी हुई है और लौह और इस्पात उत्पादों की बिक्री से राजस्व उत्पन्न करती है और यह कंपनी का केवल रिपोर्ट करने योग्य खंड है।											
प्राथमिक भौगोलिक बाज़ार											
भारत के अंदर											102860.57
भारत के बाहर											1687.24
कुल											**104547.81**



53. पिछली अवधियों के आंकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत किया गया है, ताकि वर्तमान अवधियों के वर्गीकरण के अनुरूप बनाया जा सके।

वित्तीय विवरणों पर किसी भी पुनः समूहीकरण/पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव महत्वहीन है।

निदेशक मंडल के लिए/तरफ से

(एम.बी. बालाकृष्णन)
कंपनी सचिव
एम.नं. ए17770

(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष
डीआईएनः 08896653

उक्त तिथि को हमारी रिपोर्ट के संबंध में

वॉकर चांडियोक एण्ड कम्पनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. 001076एन/एन500013

(नलिन जैन)
पार्टनर
एम.नं. 503498

जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 006569सी/डब्ल्यु100892

(देवेन्द्र उपाध्याय)
पार्टनर
एम.नं. 076727

एस पी ए आर के एंड एसोसिएट्स अकाउंटेंटस एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 005313सी/सी400311

(निलेश गुप्ता)
पार्टनर
एम.नं. 406020

विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.
005826सी/सी400276

(विनोद कुमार सिंघल)
पार्टनर
एम.नं. 074391

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 20 मई, 2024

1.	**वॉकर चंडियोक एंड कंपनी एलएलपी** एल–41, कॉनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001	2.	**जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी** 202, प्रसिद्ध रेजीडेंसी, साउथ ऑफ बरियातू हाउसिंग कॉलोनी, रानी बागान, रांची–835009	3.	**एस पी ए आर के एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एलएलपी** 403ए, चौथी मंजिल, रवि भवन, जय स्तंभ चौराहा, गांधी चौक के पास, रायपुर–446143	4.	**विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी** ए–301, श्री नंद रानी निवास, आरा मिल्स के सामने, वीर कुंवर सिंह कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, हिनू, रांची–834002

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को प्रेसित

टिप्पणियां	प्रबंधन के जवाब
समेकित वित्तीय विवरणों की ऑडिट पर रिपोर्ट **योग्य राय** 1. हमने **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ('होल्डिंग कंपनी')** और इसकी सहायक कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को सामूहिक रूप से 'समूह' कहा गया है), इसके सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणों की ऑडिट की है, जैसा कि परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नकदी प्रवाह विवरण और इसी वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियां शामिल हैं, और जिसमें एक महत्वपूर्ण लेखांकन नीति जानकारी और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है। 2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय सूचनाओं और हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के विचार करने के आधार पर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') में निर्दिष्ट तरीके से जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप 31 मार्च 2024 तक समूह, उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यमों की समेकित स्थिति और उनके समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नकदी प्रवाह और समेकित इस तिथि को समाप्त होने वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।	
योग्य राय के लिए आधार 3. जैसा कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 47.2(क)(i) में संदर्भित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश कर अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है और प्रवेश कर लगाने से संबंधित मामले अब सर्वोच्च न्यायालय/क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों/वाणिज्यिक कर विभाग/नियुक्त अधिकारियों की नियमित पीठों के समक्ष लंबित हैं। अन्य उपरोक्त न्यायालयों में निर्णय लंबित होने तक, प्रबंधन का विचार है कि 31 मार्च 2024 तक विभिन्न राज्यों में विवादित प्रवेश कर वसूली के लिए समूह के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है, जिसकी राशि ₹ 724.02 करोड़ (उक्त नोट में बताए अनुसार चल रही निपटान कार्यवाही के आधार पर देयता के रूप में निर्दिष्ट ₹137.72 करोड़ में से शुद्ध राशि) है। हालांकि, प्रबंधन के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उचित साक्ष्य के अभाव में, हमारा विचार है कि समेकित वित्तीय विवरणों में प्रवेश कर देयता के लिए प्रावधान को मान्यता दी जानी चाहिए।	होल्डिंग कंपनी का मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 11 नवंबर, 2016 के अपने आदेश के माध्यम से विभिन्न राज्यों द्वारा पारित प्रवेश कर कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। हालांकि, पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कुछ अन्य मामले, जैसे कि भेदभावपूर्ण दरों के कारण प्रवेश कर से संबंधित मामला, जिसके परिणामस्वरूप भिलाई–दुर्ग क्षेत्र में लौह अयस्क और कोकिंग कोल पर 6 प्रतिशत की दर से ₹ 762.91 करोड़ की प्रवेश कर देयता हुई, जबकि छत्तीसगढ़ के बाकी क्षेत्रों में कोकिंग कोल पर दर 1 प्रतिशत और लौह अयस्क पर 3 प्रतिशत की कम है, झारखंड के स्थानीय क्षेत्र में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले माल पर ₹ 98.83 करोड़ की प्रवेश कर राशि जैसे मामलों की सुनवाई करने वाली नियमित पीठों द्वारा निर्धारित की जा सकती है। वर्ष के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य में दर भेदभाव से संबंधित प्रवेश कर विवाद के निपटारे के लिए समझौता योजना (छत्तीसगढ़ कर, ब्याज और दंड के बकाया का निपटान अधिनियम, 2023) के अंतर्गत आवेदन दायर किए गए। ₹ 762.91 करोड की राशि विवादित है, जिसके लिए योजना के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक ₹ 137.72 करोड़ की निपटान राशि प्रदान की गई है। तदनुसार, सेल द्वारा उठाए गए विभिन्न मामले क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों/निर्दिष्ट प्राधिकरणों/वाणिज्यिक कर विभाग के पास लंबित हैं। न्यायालयों द्वारा निर्णय लंबित रहने तक, ₹ 724.02 करोड़ की विवादित प्रवेश कर देनदारियों को कंपनी द्वारा आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।



टिप्पणियां	प्रबंधन के जवाब
4. जैसा कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण के नोट 47.2(ख) में संदर्भित है, चालू संपत्तियों में 2010–11 से 2016–2017 की अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए जारी किए गए बिलों के विरुद्ध दामोदर घाटी निगम को विरोध के अंतर्गत भुगतान किए गए ₹ 587.72 करोड़ का अग्रिम भुगतान शामिल है। मामला न्यायालयधीन है और वर्तमान में टैरिफ को अंतिम रूप देने के लिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) के समक्ष लंबित है। प्रबंधन का मानना है कि विरोध के अंतर्गत भुगतान की गई राशि पूरी तरह से वसूली योग्य है और इस प्रकार, संलग्न समेकित वित्तीय विवरण में कोई समायोजन आवश्यक नहीं है। हालांकि, इन शेष राशि की वसूली योग्य होने के प्रबंधन के दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उचित सबूतों के अभाव में, हमारा मानना है कि इस तरह के अग्रिम वसूली न होने की संभावना के लिए समायोजन संलग्न समेकित वित्तीय विवरण में किया जाना चाहिए।	होल्डिंग कंपनी का विचार है कि ये मामले विचाराधीन हैं और लंबे समय से विभिन्न न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष निर्णय के लिए लंबित हैं। इसके अलावा, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के आदेश के खिलाफ 2004–09 के टैरिफ से संबंधित डीवीसी द्वारा दायर सिविल अपील को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर, 2018 के अपने आदेश के अंतर्गत खारिज कर दिया है। तदनुसार, राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) एपीटीईएल के निर्देशानुसार खुदरा टैरिफ को अंतिम रूप देगा, जिसके वित्तीय निहितार्थ का पता एसईआरसी द्वारा टैरिफ निर्धारण के बाद ही लगाया जा सकता है। डीवीसी ने नवंबर, 2020 में झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) के समक्ष 2006–07 से 2011–12 की अवधि के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता के लिए आवेदन के साथ अपना खुदरा टैरिफ आवेदन दायर किया और 2012–13 से 2014–15 की अवधि में राजस्व अंतर/अधिशेष के समायोजन की भी मांग कर रहे हैं। कंपनी ने 28 दिसंबर, 2020 को डीवीसी के उपरोक्त आवेदन पर अपनी आपत्तियां भी दर्ज की हैं। जेएसईआरसी ने 31 अक्टूबर, 2023 के आदेश के अंतर्गत वित्त वर्ष 2006–07 से वित्त वर्ष 2011–12 की अवधि के लिए डीवीसी के श्रेणीवार खुदरा आपूर्ति टैरिफ को अंतिम रूप दिया। हालांकि, डीवीसी ने टैरिफ आदेश में समग्र रूप से गैर–टैरिफ आय पर विचार करने के संबंध में जेएसईआरसी के आदेश के खिलाफ माननीय एपीटीईएल के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी है। एपीटीईएल ने 5 फरवरी, 2024 के अपने आदेश के अंतर्गत डीवीसी की अपील को अनुमति दी और आयोग से जल्द से जल्द एक आदेश पारित करने का अनुरोध किया। (3) और (4) में बताई गई उपरोक्त विवादित मांगों को, वैध और वास्तविक आधार पर चुनौती दी गई है, उन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया है क्योंकि यह संभव नहीं है कि वर्तमान दायित्व 31 मार्च, 2024 तक अस्तित्व में हों। इसलिए, वर्ष के लिए लाभ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

टिप्पणियां	प्रबंधन के जवाब
5. 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उक्त सभी योग्यताओं का समेकित वित्तीय विवरणों पर प्रभाव नीचे दिया गया है: (राशि ₹ करोड़ में)	

विवरण	31 मार्च 2024 को	
	रिपोर्ट किए गए शेष	मात्रा निर्धारित की गई सभी योग्यताओं के प्रभाव के बाद शेष राशि
अन्य इक्विटी	52,970.69	51,989.09
आस्थगित कर देयता	6,285.50	5,955.36
अन्य चालू सम्पत्तियां	4,542.32	3,954.60
अन्य चालू देनदारियां	4,565.97	5,289.99

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर ऑडिट रिपोर्ट को भी उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित किया गया था।

6. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट ऑडिट मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के ऑडिट अनुभाग के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी आचार संहिता और उन नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार जो अधिनियम के प्रावधानों और उनके अंतर्गत नियमों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं, के अनुसार समूह, उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यमों से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, तथा शाखा लेखापरीक्षकों सहित अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य, जिनका उल्लेख नीचे अन्य मामलों के अनुभाग के पैराग्राफ 16 में किया गया है, हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

ध्यान दिए जाने वाले मामले

7. हम आपका ध्यान निम्नलिखित मामलों की ओर आकर्षित करते हैं:
   (i) संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का नोट 49.2(क), जिसमें बताया गया है कि परिचालन से प्राप्त राजस्व में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सरकारी एजेंसियों को कुल ₹ 11,162.37 करोड़ की बिक्री शामिल है (31 मार्च 2024 तक संचयी ₹ 25,661.61 करोड़) जिसे ऐसी सरकारी एजेंसियों के साथ बिक्री की शर्तों के अनुसार अनंतिम कीमतों के आधार पर मान्यता दी गई है।
   (ii) संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का नोट 49.15, जो इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के आधार पर कंपनी के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के निलंबन और कंपनी की नीति/मूल्य निर्धारण निर्णयों से संबंधित कुछ मामलों पर बाहरी जांच एजेंसियों द्वारा की जाने वाली संबंधित जांच के बारे में है। प्रबंधन के दृष्टिकोण से, उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, इस मामले का कंपनी के संचालन और/या इन वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है।

टिप्पणियां	प्रबंधन के जवाब

प्रमुख ऑडिट मामले

8. प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय जानकारी और होल्डिंग कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के विचार के आधार पर, चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों समग्र रूप से उल्लेख समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं।

टिप्पणियां	प्रबंधन के जवाब

9. योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के अतिरिक्त, हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में दर्शाया गया है जिन्हें प्रमुख ऑडिट मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

प्रमुख ऑडिट मामला	हमारे ऑडिट ने प्रमुख ऑडिट मामले को कैसे संबोधित किया
चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ समूह कई कानूनी, विनियामक और कर मामलों के अधीन है, जिनके अंतिम परिणाम की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से महत्वपूर्ण देयताएँ हो सकती हैं। चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रबंधन के खुलासे समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 47.1 में प्रस्तुत किए गए हैं। समूह द्वारा अपनाई गई संबंधित सामग्री लेखांकन नीति जानकारी के लिए नोट 3.15 देखें। समेकित वित्तीय विवरणों में किसी देयता को प्रावधान के रूप में मान्यता दी गई है या आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है, इसका आकलन स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक है और व्यवसाय से नकदी बहिर्वाह के निर्धारण, लागू कानूनों और विनियमों की व्याख्या और नियामक प्राधिकरणों के विभिन्न स्तरों पर लंबित मूल्यांकनों की सावधानीपूर्वक जांच में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता है। चूँकि इसमें शामिल राशियाँ महत्वपूर्ण हैं और संभावित परिणामों की सीमा के कारण अनुमान में अनिश्चितता होती है जिसके लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन और लेखा परीक्षक निर्णय की आवश्यकता है, इसलिए इस मामले को चालू वर्ष की ऑडिट के लिए एक प्रमुख ऑडिट मामला माना जाता है।	**हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल थे:** • समूह के कानूनी और वित्त कर्मियों के साथ आयोजित विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से प्रबंधन द्वारा चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों की पहचान और माप की प्रक्रिया की समझ हासिल की। • लंबित मुकदमों के परिणाम के आकलन के संबंध में प्रबंधन द्वारा लगाए गए नियंत्रणों के डिजाइन का मूल्यांकन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। • मुकदमे के अंतर्गत मामलों के सारांश का निरीक्षण किया और समूह के कानूनी और वित्त कर्मियों के साथ वर्ष के दौरान प्रमुख घटनाक्रमों पर चर्चा की। • समूह द्वारा मांगी गई बाहरी कानूनी और/या विनियामक सलाह का निरीक्षण और मूल्यांकन किया, जहाँ लागू होता है। कुछ महत्वपूर्ण चल रहे मुकदमों के लिए संबंधित वकीलों से प्रत्यक्ष पुष्टि प्राप्त की। • समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए मान्यता प्राप्त प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों की मात्रा की संभावना, परिमाण और लेखांकन के प्रबंधन के आकलन पर चर्चा की और उसे चुनौती दी और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को शामिल करते हुए ऐसे निष्कर्षों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए अपने पेशेवर निर्णय का प्रयोग किया। • लागू लेखांकन मानकों के अनुसार समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में किए गए खुलासे की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियाँ (चालू पूंजी कार्य सहित) 31 मार्च 2024 तक समूह के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण ('पीपीई'), अमूर्त परिसंपत्ति ('आईए') और चालू पूंजीगत कार्य ('सीडब्ल्यूआईपी') हैं, जिनका वहन मूल्य क्रमशः ₹ 65,415.07 करोड़, ₹1,488.86 करोड़, ₹ 6,140.57 करोड़ है, जैसा कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 4, नोट 7 और नोट 5 में दर्शाया गया है। ऐसी गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की पहचान और मापन के लिए समूह द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी के लिए नोट 3.1 देखें।	**हमारी ऑडिट ने प्रमुख ऑडिट मामले को कैसे संबोधित किया** हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं में अन्य के साथ साथ निम्नलिखित शामिल थे: • समूह द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय से संबंधित लेनदेन को दर्ज करने की प्रबंधन की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की और भारतीय लेखा मानक 16 और भारतीय लेखा मानक 38 की आवश्यकताओं के अनुसार समूह द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों का मूल्यांकन किया।



टिप्पणियां		प्रबंधन के जवाब
प्रमुख ऑडिट मामला	**हमारे ऑडिट ने प्रमुख ऑडिट मामले को कैसे संबोधित किया**	
पीपीई, आईए और सीडब्ल्यूआईपी के वहन मूल्य और उनके संबंधित मूल्यह्रास और परिशोधन राशियों के निर्धारण के लिए काफी प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है। इनमें पूंजीकरण या व्यय लागतों के निर्णय, वार्षिक परिसंपत्ति जीवन समीक्षा, परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की समयबद्धता और सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के निर्धारण और माप के लिए प्रबंधन की मान्यताओं और अनुमानों का उपयोग, भारतीय लेखा मानक 16–संपत्ति, संयंत्र और उपकरण ('भारतीय लेखा मानक 16') और भारतीय लेखा मानक 38–अमूर्त परिसंपत्तियां ('भारतीय लेखा मानक 38') की आवश्यकताओं के अनुसार शामिल हैं। सीडब्ल्यूआईपी के वहन मूल्य में दीर्घकालिक परियोजनाओं से संबंधित शेष राशि भी शामिल है, जिसके लिए ऐसी परियोजनाओं की निरंतरता और व्यवहार्यता की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता होती है। समूह की बैलेंस शीट के संदर्भ में शामिल राशियों के महत्व और आवश्यक निर्णयों और अनुमानों के स्तर पर विचार करते हुए, हम इसे चालू वर्ष की ऑडिट में एक महत्वपूर्ण ऑडिट मामला मानते हैं।	• उपरोक्त प्रक्रिया के संबंध में प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों के डिजाइन का मूल्यांकन किया गया तथा उनकी परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया। • वर्ष के दौरान नमूना आधार पर पूंजीकृत राशियों का परीक्षण किया गया, सहायक दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया तथा मूल्यांकन किया गया कि क्या पूंजीकृत परिसंपत्तियां मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं तथा क्या उन्हें सही अवधि में तथा सही मात्रा में सटीक रूप से मान्यता दी गई है। • पूंजीकृत अंतर्निहित लागतों की प्रकृति सहित निर्दिष्ट गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों के वहन मूल्यों के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों की समीक्षा की, सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के प्राप्ति योग्य मूल्य का निर्धारण, प्रबंधन और बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित मूल्यह्रास की गणना में लागू उपयोगी जीवन की उपयुक्तता, जहां आवश्यक हो, और दीर्घकालिक परियोजनाओं से संबंधित दीर्घकालिक सीडब्ल्यूआईपी शेष की उपयुक्तता का मूल्यांकन। • लागू लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता का मूल्यांकन किया।	
उप-उत्पाद इन्वेंटरी 31 मार्च 2024 तक ₹ 4,938.11 करोड़ मूल्य के उप–उत्पादों के मूल्यांकन के लिए सामग्री लेखांकन नीति सूचना और अन्य व्याख्यात्मक सूचना के सारांश के नोट 3.7 और उससे संबंधित महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, अनुमान और धारणाओं और समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 3.21.4 का संदर्भ लें। उप–उत्पादों की सूची में मुख्य रूप से सब–ग्रेड फाइन्स, बीएफ स्लैग और एलडी स्लैग और स्लाइम में एम्बेडिड आयरन और स्टील स्क्रैप और आयरन अयस्क फाइन्स युक्त टेलिंग्स शामिल हैं, जिन्हें स्टॉक पाइल्स में जमा किया जाता है। इसके अलावा, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 49.10 में बताया गया है, खनन मंत्रालय, भारत सरकार के 16 सितंबर 2019 के आदेश के अनुसार, कुछ उप–उत्पादों को बेचने की अनुमति दी गई थी और इसलिए पिछले वर्षों में पहली बार उनका मूल्यांकन किया गया था। होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन ने उप–उत्पाद इन्वेंटरी की पहचान और माप पर आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय भी मांगी गई थी। ऐसी वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए प्रबंधन को इन वस्तुओं की मात्रा, गुणवत्ता और मूल्यांकन दर के निर्धारण के लिए अनुमानों के उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, ऐसे उप–उत्पाद इन्वेंटरी की अपेक्षित भावी बिक्री क्षमता और कैप्टिव खपत की योजनाओं के आधार पर, प्रबंधन ने बैलेंस शीट की तिथि से 12 महीने बाद बेची जाने वाली/खपत की जाने वाली इन्वेंट्री को, होल्डिंग कंपनी के परिचालन चक्र के रूप में, गैर–वर्तमान इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत किया है। ऐसे उप–उत्पाद इन्वेंटरी की बिक्री/ खपत में नगण्य गतिशीलता, उनके वहन मूल्य के महत्व और ऊपर चर्चा की गई जटिलताओं के कारण हमने इस क्षेत्र को चालू वर्ष की लेखापरीक्षा में एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना है। इसके अलावा, नोट 49.10 में वर्णित उपरोक्त इन्वेंट्री के वर्गीकरण और मूल्यांकन के प्रबंधन के आकलन को समेकित वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की समझ के लिए मौलिक माना जाता है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में अन्य के साथ साथ निम्नलिखित को शामिल किया गया: • उन प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त की जिसमें सब ग्रेड फाइन्स, बीएफ स्लैग और एलडी स्लैग में एम्बेडेड आयरन और स्टील स्क्रैप और आयरन अयस्क फाइन्स ('उप–उत्पाद') युक्त स्लाइम की पहचान से संबंधित नियंत्रण शामिल हैं। • प्रबंधन द्वारा प्राप्त ईएसी राय के साथ साथ भारतीय लेखा मानक 2 के अनुसार इन्वेंट्री की आवश्यकताओं के अनुसार उप–उत्पाद इन्वेंट्री के मूल्यांकन के लिए होल्डिंग कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति का मूल्यांकन किया। • उप–उत्पादों के मूल्य के प्रबंधन का आकलन करते समय, हमने मूल्यांकन के लिए विचार किए गए उप–उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता (ग्रेडेशन सहित) का पता लगाने में अपनाई गई प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रबंधन के साथ विस्तार से चर्चा की। • एनआरवी के प्रबंधन के अनुमान को भारतीय खनन ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) के संदर्भ में सत्यापित किया गया। हमने उप–उत्पादों की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा मांगी गई बाहरी विशेषज्ञों से तकनीकी विश्लेषण रिपोर्ट और फाइन्स की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट भी प्राप्त की। • उप–उत्पाद इन्वेंटरी को चालू और गैर–चालू इन्वेंटरी के बीच वर्गीकृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली अनुमानित भावी बिक्री/खपत के प्रबंधन के कार्य को प्राप्त किया, और ऐसे उप–उत्पादों की मांग की उपलब्धता पर प्रबंधन के अनुमानों का मूल्यांकन करने के अलावा ऐसी सूची की बिक्री के लिए आवश्यक प्रसंस्करण और आगे की मंजूरी की हमारी समझ के आधार पर अंतर्निहित अनुमानों का परीक्षण किया। • लागू लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता का मूल्यांकन किया।	

टिप्पणियां	प्रबंधन के जवाब
समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी 10. अन्य जानकारी के लिए होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में दी गई जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम उस पर किसी भी तरह का निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों की हमारे ऑडिट के संबंध में, चिह्नित की गई अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करते समय यह विचार करना हमारी जिम्मेदारी है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या ऑडिट में प्राप्त हमारे ज्ञान से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत प्रतीत होती है। यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में एक महत्वपूर्ण गलत बयानी है, तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें एक महत्वपूर्ण गलत बयानी है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारी लोगों को सूचित करना आवश्यक है।	
समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारियों की जिम्मेदारियां 11. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों को होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में है, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के अनुसार कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित समेकित वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समूह के समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करना, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष विवरण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त हैं, जिनका उपयोग होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए किया गया है, जैसा कि पूर्व में दिया गया है। 12. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समूह में शामिल कंपनियों और उसके सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के संबंधित निदेशक मंडल समूह और उसकी सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों की व्यवसाय के रूप में सचालन को जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का प्रकटन करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि निदेशक मंडल समूह को समाप्त करने या परिचालन बंद नहीं करता, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो। 13. वे संबंधित निदेशक मंडल समूह में शामिल कंपनियों और उसकी सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं। **समेकित वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारियाँ** 14. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण ग़लतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि ऑडिट मानकों के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती हो। 15. अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट ऑडिट मानकों के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्न कार्य भी करते हैं: 16. समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है; 17. ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं ताकि ऐसी ऑडिट प्रक्रियाएं पूरी की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या होल्डिंग कंपनी के पास समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।;	



टिप्पणियां	प्रबंधन के जवाब

18. उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं;
19. लेखा–जोखा के लिए निदेशक मंडल द्वारा चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं तथा प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो समूह तथा उसकी सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों की चालू व्यवसाय के रूप में संचालन जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह तथा उसके सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों को चालू व्यवसाय को बंद करना पड़ सकता है;
20. प्रकटनों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करते हैं, तथा यह देखते हैं कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं;
21. समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के अंदर संस्थाओं, और उसकी सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों की वित्तीय जानकारी/वित्तीय विवरणों के बारे में पर्याप्त उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की ऑडिट के निर्देश, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं और शाखाओं के लिए, जिनका अन्य लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक और शाखा लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए ऑडिट के निर्देश, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी ऑडिट राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार रहते हैं।
22. हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।
23. हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।
24. शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख ऑडिट मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को प्रतिबंधित नहीं करता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य मामले

25. हमने समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल होल्डिंग कंपनी की 11 (ग्यारह) शाखाओं/इकाइयों/विपणन क्षेत्रों के वार्षिक वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया, जिनकी वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2024 तक ₹ 64,560.81 करोड़ की कुल संपत्ति और ₹ 40,094.16 करोड़ का कुल राजस्व, ₹ 49.65 करोड़ का कर के बाद कुल शुद्ध घाटा और ₹ 109.03 करोड़ का कुल व्यापक घाटा और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए ₹4.29 करोड़ का नकदी प्रवाह (शुद्ध) दर्शाती है, जैसा कि वित्तीय विवरण में माना गया है। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है, और हमारी राय, जहां तक यह इन शाखाओं/इकाइयों/विपणन क्षेत्रों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है। हमने वित्तीय विवरण में शामिल 01 (एक) सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों का ऑडिट नहीं किया, जिसकी वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2024 तक ₹ 281.18 करोड़ की कुल संपत्ति, ₹175.02 करोड़ का कुल राजस्व, ₹ 20.17 करोड़ का कर के बाद कुल शुद्ध लाभ, ₹ 20.15 करोड़ की कुल व्यापक आय और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 5.00 करोड़ की नकदी प्रवाह (शुद्ध) को दर्शाती है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में 03 (तीन) संयुक्त उद्यमों के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 381.33 करोड़ के कर के बाद शुद्ध लाभ में समूह का हिस्सा और ₹ 379.32 करोड़ की कुल व्यापक आय भी शामिल है, जिनके वित्तीय विवरणों का हमारे द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है। इन वित्तीय विवरणों की ऑडिट अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है, और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट जहां तक यह पूर्वोक्त सहायक और संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

    समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी उपरोक्त राय, और अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और उनकी रिपोर्टों पर हमारी निर्भरता के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।
26. समेकित वित्तीय विवरण में 01 (एक) सहायक कंपनी की वित्तीय जानकारी शामिल है, जिसका ऑडिट नहीं किया गया है, जिसकी वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2024 तक ₹ शून्य की कुल संपत्ति, ₹ शून्य का कुल राजस्व, ₹ शून्य का कर के बाद कुल शुद्ध लाभ, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ शून्य की कुल व्यापक आय और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ शून्य का नकद प्रवाह (शुद्ध) दर्शाती है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये

टिप्पणियां	प्रबंधन के जवाब

वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समूह का कर के बाद शुद्ध लाभ में हिस्सा ₹ 57.28 करोड़ और कुल व्यापक आय ₹ 88.94 करोड़ भी शामिल है, जो समेकित वित्तीय विवरणों में माने गए 01 (एक) सहयोगी कम्पनी और 08 (आठ) संयुक्त उद्यमों के संबंध में है, जिनके वित्तीय विवरणों का ऑडिट नहीं किया गया है। ये वित्तीय विवरण असंबद्ध हैं और हमें होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह पूर्वोक्त सहायक कंपनी, सहयोगी कम्पनी और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसी असंबद्ध वित्तीय जानकारी पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी उपरोक्त राय, और नीचे अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय जानकारी पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामले के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

27. समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 03 (तीन) संयुक्त उद्यमों के संबंध में कर के बाद समूह का शुद्ध लाभ/(हानि) और कुल व्यापक आय/हानि का हिस्सा शामिल नहीं है, क्योंकि प्रबंधन के अनुसार यह उपलब्ध नहीं है और इनमें से एक इकाई बंद होने की स्थिति में है। प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण नहीं हैं। उपरोक्त मामले के संबंध में विवरण पर हमारी राय संशोधित नहीं है।

28. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित वित्तीय विवरणों का पूर्ववर्ती लेखा परीक्षकों मैसर्स तेज राज एंड पाल, मैसर्स एस. जयकिशन, मैसर्स वॉकर चंडियोक एंड कंपनी एलएलपी और मेसर्स केएएसजी एंड कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से ऑडिट किया गया था, जिन्होंने 25 मई 2023 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से उन समेकित वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय व्यक्त की है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

29. हमारी ऑडिट के आधार पर और अनुच्छेद 16 में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के आधार पर, सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के अलग–अलग वित्तीय विवरणों के संबंध में हम रिपोर्ट करते हैं कि भारत में निगमित एक संयुक्त उद्यम जिसके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के अंतर्गत ऑडिट की गई है, ने अधिनियम की अनुसूची–V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों और निर्धारित सीमाओं के अनुसार वर्ष के दौरान अपने संबंधित निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया है। इसके अलावा, अधिनियम की अनुसूची 5 के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान होल्डिंग कंपनी, इसकी एक सहायक कंपनी और भारत में निगमित एक संयुक्त उद्यम पर लागू नहीं होते हैं, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के अंतर्गत ऑडिट की गई है क्योंकि ये अधिनियम की धारा 2(45) के अंतर्गत परिभाषित सरकारी कंपनियां हैं और एक संयुक्त उद्यम है जो अधिनियम की धारा 2(71) के अंतर्गत परिभाषित सार्वजनिक कंपनी नहीं है। तदनुसार, धारा 197(16) के अंतर्गत रिपोर्टिंग होल्डिंग कंपनी और पूर्वोक्त सहायक कंपनी और दो संयुक्त उद्यमों के संबंध में लागू नहीं है। वित्तीय जानकारी के आधार पर, जैसा कि पैराग्राफ 17 में उल्लेख किया गया है, इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले एक सहयोगी और आठ संयुक्त उद्यमों की

वित्तीय जानकारी की ऑडिट नहीं की गई है और प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है, और जहां भी लागू हो, प्रबंधन द्वारा प्रमाणित की गई है, ऐसी कंपनियों ने अधिनियम की अनुसूची–v के साथ पठित धारा 197 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों और सीमाओं के अनुसार वर्ष के दौरान अपने संबंधित निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान एक सहायक कंपनी पर लागू नहीं होंगे क्योंकि यह अधिनियम की धारा 2(45) के अंतर्गत परिभाषित सरकारी कंपनी है। इसके अलावा, पैराग्राफ 17 में संदर्भित तीन संयुक्त उद्यमों की वित्तीय जानकारी प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान नहीं की गई है, जिनमें से एक इकाई बंद होने की स्थिति में है।

30. अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के पैराग्राफ 3 के खंड (xxi) की आवश्यकता के अनुसार, हमारे द्वारा आज तक जारी आदेश रिपोर्टों और ऊपर पैराग्राफ 16 में उल्लिखित संबंधित उन कम्पनियों के लेखा परीक्षकों द्वारा जारी आदेश रिर्पोटों के आधार पर, जिनमें 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल और अधिनियम के अंतर्गत कवर की गई कंपनियां शामिल हैं, ऐसी कंपनियों की आदेश रिपोर्टों में संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई योग्यता और/या प्रतिकूल टिप्पणियों के विवरण के लिए अनुलग्नक II देखें। अनुबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल और अधिनियम के अंतर्गत शामिल की गई उन कंपनियों का विवरण भी अलग से शामिल है, जिनके लिए अधिनियम की धारा 143(11) के अंतर्गत आवश्यक संबंधित आदेश रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की गई हैं।

31. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारी ऑडिट के आधार पर और भारत में निगमित सहायक कम्पनी और संयुक्त उद्यमों के अलग–अलग वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के विचार करने के बाद और जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के अंतर्गत ऑडिट की गई है और होल्डिंग कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों को छोड़कर, सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

ख) हमारी राय में, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों का रखरखाव किया गया है, जैसा कि उन पुस्तकों और अन्य लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जांच से



टिप्पणियां	प्रबंधन के जवाब
पता चलता है, योग्य राय के आधार अनुभाग के पैराग्राफ 3 में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर और कंपनी (ऑडिट और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 (संशोधित) के नियम 11 (छ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 22 (i) (vi) में बताए गए मामलों को छोड़कर; ग) होल्डिंग कंपनी के शाखा कार्यालयों, तथा उसकी सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों के खातों पर शाखा लेखा परीक्षकों और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित रिपोर्टें, जहां लागू हो, हमें भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में उनका निपटान समुचित ढंग से किया गया है; घ) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए प्रासंगिक खाता बहियों के अनुरूप हैं। ड.) योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के साथ अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक का अनुपालन करते हैं; च) अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान होल्डिंग कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि होल्डिंग कंपनी अधिनियम की धारा 2(45) के अंतर्गत परिभाषित एक सरकारी कंपनी है। इसके अलावा, अनुच्छेद 16 में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारे विचार के आधार पर, सहायक और संयुक्त उद्यमों के अलग–अलग वित्तीय विवरणों के संबंध में हम रिपोर्ट करते हैं कि अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान एक सहायक कम्पनी और एक संयुक्त उद्यम पर लागू नहीं हैं, क्योंकि ये अधिनियम की धारा 2(45) के अंतर्गत परिभाषित सरकारी कंपनियां हैं और दो संयुक्त उद्यमों के संबंध में, कंपनी के किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से 31 मार्च 2024 तक अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। अनुच्छेद 17 में संदर्भित इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए गए एक सहयोगी और आठ संयुक्त उद्यमों के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरण ऑडिट नहीं किए गए हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं, और जहां भी लागू हो, प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए हैं, सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यमों के किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से 31 मार्च 2024 तक अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान एक सहायक कंपनी पर लागू नहीं होंगे क्योंकि ये अधिनियम की धारा 2(45) के अंतर्गत परिभाषित सरकारी कंपनियाँ हैं। इसके अलावा, पैराग्राफ 18 में उल्लिखित तीन संयुक्त उद्यमों की वित्तीय जानकारी प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान नहीं की गई है, जिनमें से एक इकाई बंद होने की कगार पर है। छ) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित योग्यता/संशोधन का विवरण योग्य राय के आधार अनुभाग के पैराग्राफ 3 में और अधिनियम की धारा 143(3)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर ऊपर दिए गए पैराग्राफ 22(ख) और कंपनी (ऑडिट और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 (संशोधित) के नियम 11(छ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 22(i)(vi) में दिया गया है। ज) होल्डिंग कंपनी और अधिनियम के अंतर्गत उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक–1' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें जिसमें हमने एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की है; और झ) कंपनी (ऑडिट और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 (संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और भारत में निगमित सहायक और संयुक्त उद्यमों के अलग–अलग वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के विचार के आधार पर, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के अंतर्गत ऑडिट की गई है और होल्डिंग कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट: i. योग्य राय के आधार अनुभाग के पैराग्राफ 3 में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, समेकित वित्तीय विवरण 31 मार्च 2024 तक समूह, उसकी सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन करते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 47.1 में विस्तृत जानकारी दी गई है; ii. होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए 31 मार्च 2024 तक कोई भी महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित घाटा हो; iii. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित किए जाने वाली राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है, सिवाय ₹ 1.00 करोड़ की राशि के, जो दावा न किए गए परिपक्व जमा से संबंधित हैं, जिन्हें होल्डिंग कंपनी द्वारा 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में जमा किया जाना आवश्यक था और जिसे 31 मार्च 2024 तक जमा नहीं किया गया है; iv. (क) भारत में निगमित होल्डिंग कम्पनी, सहायक कम्पनियों, सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित प्रबंधन जिनके वित्तीय विवरणों को इस अधिनियम के	परिपक्व जमाराशि पर व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों/रिश्तेदारों द्वारा पहले ही दावा किया जा चुका है, लेकिन दावेदारों द्वारा कानूनी उत्तराधिकारी के प्रमाण के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मामला लंबित है। कानूनी उत्तराधिकारियों को परिपक्व जमाराशि वापस करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

टिप्पणियां	प्रबंधन के जवाब
अंतर्गत ऑडिट किया गया है, हमारे समक्ष और इस प्रकार की सहायक कम्पनियों, सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के समक्ष प्रस्तुत किया है कि, उनके सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 51.5(क) में दर्शाया गया है, कोई निधि होल्डिंग कम्पनी या इसकी सहायक कम्पनियों, सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों द्वारा किसी व्यक्ति(यों) या उद्यम(मों), जिनमें विदेशी कम्पनियां ('मध्यस्थ') शामिल हैं, किसी ऐसे लिखित या अन्यथा समझौते के अंतर्गत अग्रिम या ऋण या निवेश के रूप में (उधार ली गई निधियों में से या प्रतिभूति प्रिमियम या किसी अन्य स्रोतों से या किसी अन्य प्रकार की निधि से) नहीं दी गई है, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अन्य व्यक्तियों या कम्पनियों को होल्डिंग कम्पनी, या इसी ऐसी सहायक कम्पनियों, सहयोगी कम्पनियों या संयुक्त उद्यम (अंतिम लाभार्थी) की तरफ से उन्हें उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की तरफ से कोई गारंटी, प्रतिभूति या कोई अन्य निधि प्रदान करेगा। (ख) होल्डिंग कंपनी और भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के संबंधित प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के अंतर्गत ऑडिट की गई है, ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के क्रमशः अन्य लेखा परीक्षकों को बताया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 51.5(ख) में प्रकटन किया गया है, होल्डिंग कंपनी या इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('फंडिंग पार्टियां') शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि होल्डिंग कंपनी, या ऐसी कोई भी सहायक कंपनी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार नहीं देंगे या निवेश नहीं करेंगे या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान नहीं करेंगे; और (ग) हमारे द्वारा की गई और सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, जैसा कि परिस्थितियों में उचित और उचित माना जाता है, हमारे या अन्य लेखा परीक्षकों के ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें या अन्य लेखा परीक्षकों को नुकसान हुआ हो। यह विश्वास करने के लिए कि उपरोक्त उप–खंड (ए) और (बी) के तहत प्रबंधन अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।	
v. पिछले वर्ष के लिए घोषित ऐसे लाभांश के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों द्वारा भुगतान किया गया अंतरिम/अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जहां तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है। जैसा कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 49.16 में कहा गया है, होल्डिंग कंपनी/उसकी सहायक कंपनियों/सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जहां तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।	ऑडिट ट्रेल सुविधा 2024–25 की पहली तिमाही में एक संयंत्र में लागू की गई है और इसे जल्द ही दूसरे संयंत्र में भी लागू किया जाएगा।
vi. हमारी जांच, जिसमें परीक्षण जांच और होल्डिंग कम्पनी की सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों द्वारा की गई जांच शामिल हैं, जो कम्पनियां भारत में निगमित हैं और जिनका ऑडिट नीचे दिए गए मामलों को छोड़ कर अधिनियम के अंतर्गत किया है, के आधार पर होल्डिंग कम्पनी, इसकी सहायक कम्पनियों और इसके संयुक्त उद्यमों ने 1 अप्रैल 2023 को शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के संबंध अपने खातों के रखरखाव के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिनमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा है और इन्हें पूरे वर्ष के दौरान सॉफ्टवेयर में दर्ज किए गए संबंधित सभी लेनदेनों के लिए संचालित किया गया है। इसके अलावा हमारे ऑडिट के दौरान हमें और उक्त संदर्भित सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यम के ऑडिटर को ऑडिट ट्रेल के साथ छेड़–छाड़ का कोई मामला नहीं मिला, नीचे दिए अपवादों के परिणामी प्रभाव को छोड़ कर।	इस मामले पर चालू वर्ष में आवश्यक कार्रवाई के लिए समीक्षा की जा रही है।

नोट किए गए अपवाद की प्रकृति	अपवाद का विवरण
खाता बही के रखरखाव के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर के उदाहरण जिनमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं थी।	होल्डिंग कंपनी के दो संयंत्रों की लेखा पुस्तकों के रखरखाव के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ लेखांकन सॉफ्टवेयर की ऑडिट ट्रेल सुविधा में ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं है।
लेखा पुस्तकों के रखरखाव के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर के उदाहरण जिनके लिए सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) दर्ज करने की सुविधा पूरे वर्ष संचालित नहीं की गई थी।	होल्डिंग कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय, जो एक इकाई है, पांच विपणन क्षेत्रों और सात संयंत्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ लेखांकन सॉफ़्टवेयर के लिए डेटाबेस स्तर पर ऑडिट ट्रेल सुविधा सक्षम नहीं थी। इसके अलावा, होल्डिंग कंपनी की एक सहायक कंपनी और एक संयुक्त उद्यम द्वारा उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सॉफ़्टवेयर के लिए डेटाबेस स्तर पर ऑडिट ट्रेल सुविधा सक्षम नहीं थी, ताकि सभी लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी प्रत्यक्ष डेटा परिवर्तन को लॉग किया जा सके।



वॉकर चांडियोक एण्ड कम्पनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001076एन/एन500013

जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 006569सी/डब्ल्यु100892

सी.ए. नलिन जैन
पार्टनर
एम.नं.: 503498
यूडीआईएन: 23503498बीकेएफक्यूबीसी3444

सी.ए. देवेन्द्र उपाध्याय
पार्टनर
एम.नं.: 076727
यूडीआईएन: 24076727बीकेएफयूसीओ07916

एस पी ए आर के एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड के लिए
अकाउंटेंट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 005313सी/सी400311

विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 005826सी/सी400276

सीए निलेश गुप्ता
पार्टनर
एम.नं.: 406020
यूडीआईएन: 24406020बीकेएफटीटीएन2151

सीए विनोद कुमार सिंघल
पार्टनर
एम.नं.: 074391
यूडीआईएन: 24074391बीकेजेआरबाईएफ9473

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ताक्षरकर्ता
(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20 मई 2024

दिनांक: 8 अगस्त 2024
स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक 1

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल संस्थाओं की सूची

सहायक कंपनियां

सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड

सहयोगी

अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ

एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
जीईडीसीओएल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड
वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड
सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सेल एससीएल केरल लिमिटेड*
सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड
प्राइमगोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड
रोमेल्ट–सेल इंडिया लिमिटेड

*समापन के अंतर्गत कम्पनी

अनुलग्नक 2

शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा ऑडिट किए गए शाखाओं/इकाईयों/मार्केटिंग क्षेत्रों की सूची

1. केंद्रीय विपणन संगठन–दक्षिणी क्षेत्र
2. केंद्रीय विपणन संगठन–पश्चिमी क्षेत्र
3. केंद्रीय विपणन संगठन–पूर्वी क्षेत्र
4. केंद्रीय विपणन संगठन–परिवहन एवं शिपिंग
5. अनुसंधान एवं विकास केंद्र, रांची
6. राउरकेला स्टील प्लांट
7. इस्को स्टील प्लांट, बर्नपुर
8. सेलम स्टील प्लांट
9. विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट
10. सेल रिफ्रैक्टरीज यूनिट
11. चंद्रपुर फेरो अलॉय प्लांट

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-1

टिप्पणियां	प्रबंधन के जवाब
कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ('होल्डिंग कंपनी') और इसकी सहायक कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को सामूहिक रूप से 'समूह' कहा गया है), इसके सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के संयोजन में, हमने उस तिथि तक होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, इसकी सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों, जो अधिनियम के अंतर्गत कवर की गई कंपनियां हैं, के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट की है। **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारियां** 2. होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, उसकी सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, जो अधिनियम के अंतर्गत कवर की गई कंपनियां हैं, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसका रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और जांच, लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता और पूर्णता और अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है। **वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी** 3. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी ऑडिट के आधार पर होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, उसकी सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने अपनी ऑडिट भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत जारी किए गए ऑडिट मानकों के अनुसार की, जो वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट और आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') के अनुसार निर्दिष्ट है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा ऑडिट की योजना बनाएं और उसे निष्पादित करें, ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे। 4. हमारे शेयरधारकों में वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनके दस्तावेजों के बारे में आंकड़े प्राप्त करना शामिल है। वित्तीय दस्तावेजों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी रेटिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय नियंत्रण के जोखिम का आकलन और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और व्यावसायिक दस्तावेजों का परीक्षण और आकलन शामिल है। चुनी गई प्रक्रिया ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर है, जिसमें वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण पूर्ण गलत बयानी शामिल है, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण हो। 5. हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं तथा अन्य लेखापरीक्षकों और शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के अनुसार प्राप्त ऑडिट साक्ष्य, होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, इसकी सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। **समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ** 6. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।	



टिप्पणियां	प्रबंधन के जवाब
वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ 7. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता न लगने की संभावना होती है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकती है। **राय** 8. हमारी राय में और सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों और होल्डिंग कंपनी की शाखाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अन्य लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय सूचना रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, जो कि अलेखापरीक्षित हैं, होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनियां, इसकी सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियां, जो अधिनियम के अंतर्गत कवर की गई कंपनियां हैं, के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और इस तरह के नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंडों के आधार पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए स्थापित किए गए थे। **अन्य मामले** 9. हमने वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट नहीं किया, जहां तक यह एक सहायक कंपनी से संबंधित है, जो अधिनियम के अंतर्गत कवर की गई कंपनी है और होल्डिंग कंपनी के अलग–अलग वार्षिक वित्तीय विवरणों में शामिल ग्यारह शाखाएं हैं, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2024 तक ₹ 64,841.99 करोड़ की कुल संपत्ति, ₹ 40,269.18 करोड़ का कुल राजस्व, ₹ 29.48 करोड़ का कर के बाद कुल शुद्ध घाटा, ₹ 88.88 करोड़ का कुल व्यापक घाटा और उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ₹ 9.29 करोड़ का नकदी प्रवाह (शुद्ध) दर्शाती है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में तीन संयुक्त उद्यमों के संबंध में समूह का कर के बाद शुद्ध लाभ में ₹ 381.33 करोड़ का हिस्सा और ₹ 379.32 करोड़ की कुल व्यापक आय भी शामिल है, जो अधिनियम के अंतर्गत कवर की गई कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारे द्वारा ऑडिट नहीं की गई है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जहां तक यह ऐसी सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यमों और होल्डिंग कंपनी की शाखाओं से संबंधित है, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है और होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी रिपोर्ट, जैसा कि पूर्वोक्त है, अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत जहां तक यह ऐसी सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यमों और होल्डिंग कंपनी की शाखाओं से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसी कंपनियों और शाखाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है। इस मामले में अन्य लेखापरीक्षकों और शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और उनकी रिपोर्टों पर हमारी निर्भरता के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है। 10. हमने वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट नहीं किया, क्योंकि यह एक सहायक कंपनी से संबंधित है, जो अधिनियम के अंतर्गत कवर की गई कंपनी है, लेकिन जिसकी किसी भी ऑडिटर द्वारा समीक्षा/ऑडिट नहीं की गई है, जिसकी वार्षिक वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2024 तक कुल संपत्ति शून्य, कुल राजस्व शून्य, कर के बाद कुल शुद्ध लाभ/(हानि) शून्य, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/हानि शून्य और उस समय समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकदी प्रवाह शून्य (शुद्ध) दर्शाती है, जैसा कि इसके वित्तीय विवरण में माना गया है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में एक सहयोगी कंपनी और आठ संयुक्त उद्यमों की वित्तीय जानकारी भी शामिल है, जो अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियां हैं, जिनके संबंध में, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समूह का कर के बाद ₹ 57.28 करोड़ का शुद्ध लाभ और ₹ 88.94 करोड़ की कुल व्यापक आय को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। इन सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट नहीं किया गया है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी राय, जहां तक यह पूर्वोक्त सहयोगी और संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसी कंपनियों के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण रिपोर्टों के संदर्भ में संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर आधारित है। प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण रिपोर्टों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।	

टिप्पणियां	प्रबंधन के जवाब
इसके अलावा, हमने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रणों का ऑडिट नहीं किया, क्योंकि यह 03 (तीन) संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, जो अधिनियम के अंतर्गत कंपनियाँ हैं, जिनके वित्तीय विवरण हमें उपलब्ध नहीं कराए गए क्योंकि वे प्रबंधन के अनुसार उपलब्ध नहीं हैं और उनमें से एक इकाई बंद होने की स्थिति में थी। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण रिपोर्टों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामले पर हमारी राय संशोधित नहीं की गई है।	

वॉकर चांडियोक एण्ड कम्पनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001076एन/एन500013

सी.ए. नलिन जैन
पार्टनर
एम.नं.: 503498
यूडीआईएन: 23503498बीकेएफक्यूबीसी3444

जे एन गुप्ता एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 006569सी/डब्ल्यु100892

सी.ए. देवेन्द्र उपाध्याय
पार्टनर
एम.नं.: 076727
यूडीआईएन: 24076727बीकेएफयूसीओ07916

एस पी ए आर के एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड के लिए
अकाउंटेंट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 005313सी/सी400311

सीए निलेश गुप्ता
पार्टनर
एम.नं.: 406020
यूडीआईएन: 24406020बीकेएफटीटीएन2151

विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 005826सी/सी400276

सीए विनोद कुमार सिंघल
पार्टनर
एम.नं.: 074391
यूडीआईएन: 24074391बीकेजेआरबाईएफ9473

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ताक्षरकर्ता
(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20 मई 2024

दिनांक: 8 अगस्त 2024
स्थान: नई दिल्ली



31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर सम तिथि के पैराग्राफ 21 में संदर्भित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों का अनुलग्नक II

टिप्पणियां	प्रबंधन के जवाब

अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के पैराग्राफ 3 के खंड (xxi) की आवश्यकता के अनुसार, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल और अधिनियम के अंतर्गत शामिल की गई कंपनियों के हमारी आदेश रिपोर्ट और संबंधित अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा आज तक जारी आदेश रिपोर्टों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की आदेश रिपोर्टों में हमारी रिपोर्ट और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई योग्यताएं/प्रतिकूल टिप्पणियां निम्नलिखित हैं, जिनके लिए ऐसी आदेश रिपोर्ट आज तक जारी की गई हैं और हमें उपलब्ध कराई गई हैं

ख)

क्र. सं.	नाम	सीआईएन	होल्डिंग कंपनी/सहायक कंपनी/सहयोगी/संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	सीएआरओ रिपोर्ट की धारा संख्या जो योग्य या प्रतिकूल है
1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया	L27109DL1973GOI006454	होल्डिंग कम्पनी	धारा i (क), i (ख), ii (ख), xiv(क)

ग) निम्नलिखित कंपनियाँ अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं, जिनके लिए ऐसी कंपनियों की अधिनियम की धारा 143(11) के अंतर्गत रिपोर्ट, संबंधित अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा अभी तक जारी नहीं की गई है, जैसा कि इस संबंध में प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार है:

क्र. सं.	नाम	सीआईएन	सहायक/सहयोगी कम्पनी/संयुक्त उद्यम
1	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	U74900CT2016PTC007251	संयुक्त उद्यम
2	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	U27310WB2000PLC092486	संयुक्त उद्यम
3	जीईडीसीओएल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	U40300OR2018SGC029410	संयुक्त उद्यम
4	सेल–कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U27100DL2012PTC236499	संयुक्त उद्यम
5	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U40300DL2001PTC112074	संयुक्त उद्यम
6	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	U26940CT2007PLC020250	संयुक्त उद्यम
7	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	U10100DL2009PTC190448	संयुक्त उद्यम
8	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	U28113DL2012PLC245537	संयुक्त उद्यम
9	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	U26941UR1971PLC003453	सहयोगी कम्पनी
10	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	U27100CT2015GOI001627	सहायक कम्पनी

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक-VIII

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर।

	टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत के साथ पठित धारा 129(4) के अंतर्गत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार, जिन्हें अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है, स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा 20 मई 2024 की उनकी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार किया गया गया है। मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एक पूरक ऑडिट किया है, जिसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एक[1] संयुक्त उद्यम कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण शामिल हैं, जो सरकार और/या सरकारी कंपनियों द्वारा नियंत्रित हैं। दो सहायक कंपनियों[2], छह ऐसी संयुक्त उद्यम कंपनियों[3] और एक सहयोगी कंपनी[4] का अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत पूरक ऑडिट उनके खातों और/या ऑडिट को अंतिम रूप देने तक पूरा नहीं किया गया था। अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत, मुझे उन सात[5] कंपनियों के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है जो सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं हैं लेकिन समेकित वित्तीय विवरण में शामिल हैं। (विवरण अनुलग्नक–I में संलग्न हैं)। समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा, वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य–पत्रों की उपलब्धता के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की विशिष्ट जाँच तक सीमित है। लेखा परीक्षा के बाद, 25 जुलाई 2024 को सी एण्ड एजी की टिप्पणी जारी की गई। इसके बाद, कंपनी द्वारा संशोधित उत्तर प्रस्तुत किए गए और संशोधित उत्तरों के आधार पर, सी एण्ड एजी की टिप्पणी को संशोधित किया गया है। अपनी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में समेकित वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं:	
	[1]एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड *[2]सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड* *[3]बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल कोल वेंचर लिमिटेड, सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड और जीईडीसीओएल सेल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और सेल एससीएल केरल लिमिटेड* *[4]अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड* *[5]एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड, भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड, सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्राइम गोल्ड– सेल जेवीसी लिमिटेड, सेल बंसल सर्विसेज लिमिटेड, वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड और रोमेल्ट–सेल इंडिया लिमिटेड*	
क i.	**समेकित लाभ पर टिप्पणी** **लाभ और हानि का समेकित विवरण।** **नोट-39 कर्मचारी लाभ व्यय: ₹ 11765.72 करोड** उपर्युक्त में 26 नवंबर 2008 से 4 अक्टूबर 2009 (11 महीने) तक कंपनी के कर्मचारियों को देय भत्तों और अनुलाभों से संबंधित ₹ 309.34 करोड़ शामिल नहीं हैं। 1 जनवरी 2007 से प्रभावी सीपीएसई के वेतनमानों के संशोधन पर डीपीई कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26 नवंबर 2008 के अनुसार। अनुलाभों और भत्तों का भुगतान 5 अक्टूबर 2009 से अर्थात राष्ट्रपति के निर्देशों की तिथि से किया जाना था। स्टील एक्जीक्यूटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 26 नवंबर 2008 से 4 अक्टूबर 2009 की अवधि के लिए सेल के अधिकारियों को भत्ते और सुविधाओं के भुगतान के लिए 2014 में सीएटी में याचिका दायर की थी। कैट, कोलकाता ने (फरवरी 2016) इस्पात मंत्रालय को संशोधित भत्ते और सुविधाओं के बकाया भुगतान के मुद्दे पर पुनर्विचार करने और उक्त अवधि के लिए अधिकारियों को संशोधित भत्ते और सुविधाओं के भुगतान के लिए उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में सीएटी के आदेश के विरुद्ध सेल द्वारा 22 दिसंबर 2016 को दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया (13 सितंबर 2023)। मामले पर प्रशासनिक निर्णय लंबित होने तक, इस राशि को ₹ 309.34 करोड़ की आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। सेल ने उच्च कानूनी मंच पर कोई अपील दायर नहीं की है। इसलिए, कंपनी को आकस्मिक देनदारियों के अंतर्गत दर्शाने के बजाय कंपनी के कार्यकारी कर्मचारियों को देय उपरोक्त राशि के लिए मजबूत देयता बनानी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और कर्मचारी व्यय को कम दर्शाया गया तथा ₹ 309.34 करोड़ रुपये का लाभ अधिक दर्शाया गया है।	इस संबंध में मंत्रियों की समिति की अनुसंशा के बाद कैबिनेट की मंजूरी के आधार पर डीपीई का दिनांक 02.04.2009 का कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि "यदि संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से एक महीने के अंदर राष्ट्रपति के निर्देश जारी किए जाते हैं, तो भत्ते संशोधित करने की प्रभावी तिथि 26.11.2008 मानी जा सकती है, जो डीपीई द्वारा पहला कार्यालय ज्ञापन जारी करने की तिथि है। हालांकि, जहां राष्ट्रपति के निर्देश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से एक महीने के अंदर जारी नहीं किए जाते हैं, संशोधित भत्ते केवल राष्ट्रपति के निर्देश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। भत्तों की प्रभावी तिथि किसी भी मामले में 26.11.2008 से पहले नहीं हो सकती है। (दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन का पैरा 17 संदर्भित है)"। इस्पात मंत्रालय ने दिनांक 5.10.2009 के पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति के निर्देश जारी करते समय भत्तों और सुविधाओं के प्रभावी होने की तिथि 05.10.2009 दर्शाई थी। इसलिए, सेल में 05.10.2009 से संशोधित भत्तों और सुविधाओं का भुगतान किया गया। इसके विरुद्ध सेल एक्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसईएफआई) ने 26.11.2008 से



	टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
		04.10.2009 तक अधिकारियों को भत्तों और सुविधाओं के भुगतान के लिए माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) में मामला दायर किया। CAT दिनांक 15.02.2016 के आदेश के अंतर्गत इस्पात मंत्रालय को उपरोक्त मामले पर विचार करने का निर्देश दिया। मंत्रालय ने दिनांक 07.12.2016 के पत्र के माध्यम से सेल को उच्च न्यायालय में सीएटी के आदेश को चुनौती देने का निर्देश दिया। माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.09.2023 के आदेश द्वारा कंपनी की रिट याचिका खारिज कर दी। कंपनी ने दिनांक 20.12.2023 के पत्र के माध्यम से इस्पात मंत्रालय से इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। अंतिम टिप्पणियाँ जारी होने की तिथि तक मंत्रालय से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बाद, मंत्रालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त हुए हैं और तदनुसार वित्त वर्ष 2024–25 की पहली तिमाही में लेखांकन किया गया है।
ii.क	**नोट संख्या 41: - अन्य व्यय: ₹ 28108.81 करोड** उपर्युक्त में मैसर्स शापूरजी पलोनजी एंड कंपनी लिमिटेड (एसपीसीपीएल) और हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी) को राउरकेला स्टील प्लांट में अयस्क बेडिंग और ब्लेंडिंग प्लांट के विस्तार के लिए निष्पादित कार्य से संबंधित ₹ 28.18 करोड़ देय शामिल नहीं हैं, जो मार्च 2015 में पूरा हुआ था। विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए गठित दो–स्तरीय समापन समिति ने ₹ 144.47 करोड़ के भुगतान की सिफारिश (मई 2022) की। उपरोक्त में से, जनवरी 2021 तक एसपीसीपीएल को ₹ 26.17 करोड़ का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। सेल ने एसपीसीपीएल और एचईसी के साथ अनुबंध को बंद करने के लिए मार्च 2024 में दो निपटान समझौते किए। शुद्ध देय राशि ₹ 118.30 करोड़ थी। आरएसपी ने 2023–24 के दौरान पार्टियों को ₹ 90.12 करोड़ का भुगतान किया। हालांकि, राजस्व मद से देय शेष ₹ 28.18 करोड़ का न तो भुगतान किया गया और न ही खातों में प्रावधान किया गया, बल्कि इन्हें आकस्मिक देनदारियों के अंतर्गत दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप अन्य खर्चों को कम करके दिखाया गया और आकस्मिक देनदारियों और लाभ को ₹ 28.18 करोड़ से अधिक दिखाया गया।	राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) प्रबंधन समझौता राशि स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकार नहीं है। आरएसपी और मेसर्स शापूरजी पलोनजी एंड कंपनी लिमिटेड और एचईसी के बीच विवाद को निपटाने के लिए गठित समझौता समिति ने मई 2022 में ₹ 144.47 करोड़ के भुगतान की सिफारिश की थी। उस समय भी राशि को आकस्मिक देयता के रूप में माना जा रहा था। उपरोक्त में से, जनवरी 2021 तक एसपीसीपीएल को ₹ 26.17 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। शेष ₹ 118.30 करोड़ के भुगतान के लिए, समझौता समिति की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए 05.06.2023 को कॉर्पोरेट कार्यालय (सीओ) को भेज दी गईं। सीओ ने यह कहते हुए प्रस्ताव वापस कर दिया कि जो भी अनुबंधात्मक देय है, उसे स्थानीय स्तर पर निपटाया जा सकता है। तदनुसार, अनुबंध संबंधी दावों के लिए कंसोर्टियम के सदस्यों को ₹ 90.12 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। शेष राशि ₹ 28.18 करोड़, जो अनुबंध की शर्तों से परे है, को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए 13.06.2024 को कॉर्पोरेट कार्यालय को भेजा गया है। मेसर्स शापूरजी पलोनजी एंड कंपनी लिमिटेड के साथ निपटान समझौते में यह भी उल्लेख किया गया है कि शेष भुगतान नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को जारी किया जाएगा जो सेल के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगा। चूंकि ₹28.18 करोड़ का भुगतान सशर्त और स्वीकृति के अधीन है, इसलिए इसे आकस्मिक देयता के अंतर्गत दर्शाया गया है।
ii. ख	उपरोक्त में रावघाट खदानों में विश्वास निर्माण उपायों के लिए किए गए ₹ 37.39 करोड़ खर्च शामिल नहीं हैं। विश्वास निर्माण उपायों के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों में स्कूल चलाना, रामकृष्ण मिशन आश्रम, खेल मेला आयोजित करना आदि शामिल हैं। भारतीय लेखा मानक 16 के पैरा 16 के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत में ऐसी कोई भी लागत शामिल होती है जो सीधे उस संपत्ति को उसके स्थान पर लाने के लिए जिम्मेदार होती है। ऊपर किए गए व्यय केवल कल्याणकारी उपाय हैं और किए गए व्यय रावघाट खदान क्षेत्र में अयस्क के निष्कर्षण से संबंधित नहीं हैं। इसलिए, इसे लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्ययों को कम करके दिखाया गया है और पूंजीगत चालू कार्य और लाभ को ₹ 37.39 करोड़ अधिक दिखाया गया है।	रावघाट खदानों में 2010 से विश्वास निर्माण उपायों पर व्यय किया जा रहा है और इसे चालू पूंजीगत कार्य माना गया है तथा लाभ और हानि विवरण में इसे शामिल नहीं किया गया है। स्वीकृत कुल 125 करोड़ रुपये के बजट में से, बजट का एक हिस्सा रावघाट क्षेत्र के आसपास के गांवों में विश्वास निर्माण उपायों के लिए निर्धारित किया गया था। विश्वास निर्माण पर व्यय दीर्घकालिक उपाय है और खदानों को खोलने के लिए सहायक है।

ii.ग	उपरोक्त में सेल/भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा देय वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए अंतर संपत्ति और समेकित कर के रूप में ₹ 9 करोड़ शामिल नहीं हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र और भिलाई नगर निगम ने आपसी सहमति से (17 मई 2022) यह निर्णय लिया कि भिलाई इस्पात संयंत्र वर्ष 2016–17 से शैक्षणिक उपकर और समेकित कर सहित संपत्ति कर के रूप में प्रति वर्ष ₹13.75 करोड़ का भुगतान करेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र ने वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए स्व–मूल्यांकन के आधार पर प्रति वर्ष केवल ₹ 9.25 करोड़ का भुगतान किया, जो सहमत राशि से कम था। हालांकि शेष ₹ 9 करोड़ (₹ 13.75 करोड़ – ₹ 9.25 करोड़ x 2) की राशि के लिए देयता का प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों को कम दर्शाया गया तथा लाभ को ₹ 9 करोड़ अधिक दर्शाया गया।	संपत्ति कर का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) और भिलाई नगर निगम (बीएनएन) ने आपसी सहमति से निर्णय लिया है कि एमओयू पर हस्ताक्षर होने और कोर्ट केस वापस लेने की शर्त पर वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2026–27 तक बीएसपी द्वारा बीएनएन को प्रति वर्ष 13.75 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ली गई है। लेकिन 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बीएनएन से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार, वित्त वर्ष 22–23 और 23–24 के दौरान संपत्ति कर का भुगतान 9.25 करोड़ रुपये की दर से स्व–मूल्यांकन के आधार पर जारी रहा। हालांकि, प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2024–25 की पहली तिमाही में 9 करोड़ रुपये की देनदारी दर्ज की है।
iii.	**अन्य व्यापक आय** भारतीय लेखा मानक 12 के पैरा 61क के अनुसार, "वर्तमान कर और आस्थगित कर को लाभ या हानि के बाहर माना जाएगा यदि कर उन मदों से संबंधित है जिन्हें उसी या किसी अन्य अवधि में लाभ या हानि के बाहर माना गया है। इसलिए, वर्तमान कर और आस्थगित कर जो उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें उसी या किसी अन्य अवधि में अन्य व्यापक आय में माना गया है, उन्हें अन्य व्यापक आय माना जाएगा।" कंपनी ने "ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा" – "परिभाषित लाभ योजना के पुनर्मूल्यांकन" के अंतर्गत ₹ (–) 196.621 करोड़ का हिसाब लगाया है। उपर्युक्त पर 8.88 प्रतिशत की कर दर पर विचार करते हुए (आस्थगित कर के लिए दर पर विचार करते हुए) ₹17.45 करोड़ आयकर का हिसाब लगाया गया है। भारतीय लेखा मानक 12 के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, "परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन" के लिए कर की गणना 25.168 प्रतिशत की दर से ₹49.48 करोड़ होनी चाहिए, जिसमें अन्य व्यापक आय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल है। हालांकि प्रबंधन ने अन्य व्यापक आय से संबंधित 16.29 प्रतिशत अर्थात ₹(–) 32.03 करोड़ पर विचार नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्यापक हानि को ₹ 32.03 करोड़ कम करके दिखाया गया है और इस प्रकार अन्य इक्विटी को कम करके दिखाया गया है और उसी राशि से 'आस्थगित कर देनदारियों' को अधिक करके दिखाया गया है।	अन्य इक्विटी और आस्थगित कर देनदारियों को वित्त वर्ष 2024–25 में समायोजित किया गया है।
ख i.	**समेकित प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ** **लेखा नोट** **नोट संख्या 49.10** नोट में 31 मार्च 2024 तक झारखंड (गुआ माइंस–32.92 मिलियन टन, जिसका मूल्य 3189.02 करोड़ रुपये है), उड़ीसा (तालडीह, काल्टा और बोलानी माइंस–6.34 मिलियन टन, जिसका मूल्य 554.02 करोड़ रुपये है) और छत्तीसगढ़ (राजहरा–1.62 मिलियन टन, जिसका मूल्य 189.31 करोड़ रुपये है) में स्थित सेल की कैप्टिव खदानों में पड़े ऐसे 40.88 मिलियन टन (एमटी) महीन सामग्री के मूल्य 3932.35 करोड़ फाइन्स के विवरण को दर्शाया है। भारत सरकार के 16 सितंबर 2019 के आदेश के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों को सेल की खदानों में पड़े सब ग्रेड फाइन्स की बिक्री की अनुमति देनी थी। कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष से वित्तीय विवरणों में एक अलग लाइन आइटम के रूप में इसका प्रकटीकरण करके शुद्ध प्राप्य मुल्य पर सब ग्रेड फाइन्स की इन्वेंट्री का मूल्यांकन किया है। झारखंड सरकार द्वारा सब ग्रेड फाइन्स को बेचने की अनुमति अभी तक नहीं दी गई थी। झारखंड में स्थित खदानों से सामग्री की कोई बिक्री नहीं हुई, उड़ीसा की खदानों से केवल 0.50 मिलियन टन की बिक्री हुई और 2023–24 के दौरान छत्तीसगढ़ की खदानों से 0.11 मिलियन टन का उपयोग किया गया। इस संबंध में प्रबंधन द्वारा दिया गया नोट पर्याप्त नहीं है।	सब ग्रेड फाइन्स (एसजीएफ) पर नोट एकल वित्तीय विवरण (एसएफएस) के नोट संख्या 49.10 में दर्शाया गया है। नोट में निम्नलिखित शामिल हैं: • मूल्यांकन का आधार। • इन्वेंट्री का परिवहन। • लेखांकन पद्धति। • चिंताएँ और उन्हें दूर करने के उपाय। कंपनी की राय है कि यह प्रकटीकरण पर्याप्त है। हालाँकि, इस पर वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान ऑडिट के साथ चर्चा की जाएगी।
ii.क	**नोट संख्या 47.1 आकस्मिक देयता** उपर्युक्त में सिंटर प्लांट II पैकेज के लिए कार्य के विरुद्ध भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा किए गए वृद्धि, विस्तार लागत, भुगतान में देरी और ब्याज के विभिन्न दावों के लिए ₹ 160.55 करोड़ शामिल नहीं हैं। सेल द्वारा मामले को नवंबर 2022 में गठित बाहरी विशेषज्ञ समिति को भेजा गया है। चूंकि दावे पर विवाद किया गया है और यह विवाद समाधान फोरम में लंबित है, इसलिए विवादित राशि को आकस्मिक देयता में शामिल किया जाना चाहिए था। उपर्युक्त को शामिल न करने के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं को ₹ 160.55 करोड़ कम करके दर्शाया गया है।	मेसर्स बीईसी ने 160.55 करोड़ रुपये का दावा किया है, जिसमें से 123.05 करोड़ रुपये पार्टी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य की राशि से संबंधित हैं और शेष 37.00 करोड़ रुपये पार्टी द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए हैं। पार्टी ने वैकल्पिक विवाद समाधान के एक भाग के रूप में संविदात्मक/वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए सेल की योजना के माध्यम से मामले को बाहरी विशेषज्ञ समिति (ओईसी) को संदर्भित किया था, जो एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है और इसके आधार पर दावे को आकस्मिक देयता के रूप में मानना आवश्यक नहीं है।



ii.ख	प्रभागीय वन अधिकारी, सारंडा ने 38710 वृक्षों के वनीकरण योजना के लिए ₹19.50 करोड़ तथा 8520 वृक्षों के वनीकरण योजना के लिए ₹ 4.29 करोड़ की मांग (30 अक्टूबर 2023) उठाई। उक्त मांग के विरुद्ध प्रबंधन ने माननीय उच्च न्यायालय, रांची में रिट याचिका दायर की। चूंकि डीएफओ, सारंडा द्वारा उठाई गई मांग न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए आकस्मिक देयता के अंतर्गत इसका खुलासा किया जाना आवश्यक था।	प्रभागीय वन अधिकारी, सारंडा ने 38710 वृक्षों की वनीकरण योजना के लिए ₹ 19.50 करोड़ और 8520 वृक्षों की वनीकरण योजना के लिए ₹ 4.29 करोड़ की मांग (30–10–2023) उठाई। चूंकि तत्काल मामला विचाराधीन है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2024–25 की पहली तिमाही के दौरान आकस्मिक देयता में प्रकटीकरण के लिए इस पर विचार किया जा रहा है।
ii.ग	उपरोक्त में ₹ 759.55 करोड़ शामिल नहीं हैं, जो राउरकेला स्टील प्लांट की हॉट स्ट्रिप मिल–2 के पूरा होने में देरी के कारण पार्टियों द्वारा उठाए गए अतिरिक्त लागतों के लिए मेसर्स मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, जापान (लीडर) और मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, कोलकाता के कंसोर्टियम द्वारा दावा किया जा रहा है। कंसोर्टियम ने सुलह (नवंबर 2020) का आह्वान किया और मामला सौहार्दपूर्ण समाधान के अंतर्गत चल रहा था। इसलिए, आकस्मिक देयता के अंतर्गत ₹ 759.55 करोड़ की दावा राशि को दर्शाया जाना चाहिए था। उपरोक्त को दर्शाए न जाने के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयता को ₹ 759.55 करोड़ कम करके दर्शाया गया है।	टर्नकी आधार पर 'नई हॉट स्ट्रिप मिल की स्थापना' के कार्य के लिए मेसर्स एलएंडटी और मैसर्स मित्सुबिशी के संघ को ठेका दिया गया था। अनुबंध के निष्पादन के दौरान, विलंब विश्लेषण, परिसमाप्त क्षति का अधिरोपण, अतिरिक्त मदों के निष्पादन आदि के संबंध में कुछ मतभेद और विवाद उत्पन्न हुए। दोनों पक्षों ने सुलह का सहारा लिया लेकिन 10–11–2022 को सुलह विफल हो गई क्योंकि दावेदार ने सुलह की कार्यवाही समाप्त कर दी थी। इसके बाद, संघ ने 18–11–2022 को एक पत्र लिखकर ₹ 759.55 करोड़ की राशि का दावा किया है। चूंकि संघ ने अभी तक मध्यस्थता परिषद/अन्य कानूनी मंच में कोई मामला दायर नहीं किया है, इसलिए आकस्मिक देयता के अंतर्गत इसका प्रकटीकरण नहीं किया गया है। अब दोनों पक्ष विवाद को निपटाने की प्रक्रिया में हैं। 18 जून से 21 जून 2024 तक ठेकेदारों के साथ हुई चर्चा के बाद, कंसोर्टियम ने अपने दावे को काफी हद तक कम कर दिया है और अभी भी दावे की राशि को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। एक बार जब दावे की राशि पर आपसी सहमति बन जाती है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए रखा जाएगा और आवश्यक लेखा समायोजन किया जाएगा।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ताक्षरकर्ता
(जितेंद्र सुधाकर करापे)
महानिदेशक लेखा परीक्षा (इस्पात), रांची

स्थान: रांची
दिनांक: 30 अगस्त 2024

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ताक्षरकर्ता
(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 2 सितम्बर 2024

अनुलग्नक-I

सेल की सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों का नाम और समेकित खातों की स्थिति (2023-24)

क्र. सं.	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	क्या खाते समेकित किये गए थे	क्या सीएंडएजी के अधिकार क्षेत्र में है
	मूल कंपनी		
	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
	सहायक कंपनियां		
1	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	हाँ	हाँ
2	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	हाँ	हाँ
	सहयोगी कंपनी		
3	अल्मोडा मैग्नेसाइट लिमिटेड	हाँ	हाँ
	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ		
4	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	हाँ	हाँ
5	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	हाँ	हाँ
6	इंटरनेशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड	हाँ	हाँ
7	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	हाँ	हाँ
8	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	हाँ	हाँ
9	जेडकोल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ
10	सेल एससीएल केरल लिमिटेड	हाँ	हाँ
11	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	हाँ	नहीं
12	भिलाई जेपी सिमेंट लिमिटेड	हाँ	नहीं
13	सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	हाँ	नहीं
14	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	हाँ	नहीं
15	सेल बंसल सर्विसेज लिमिटेड	हाँ	नहीं
16	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	हाँ	नहीं
17	रोमेल्ट–सेल इंडिया लिमिटेड	हाँ	नहीं



बोर्ड की रिपोर्ट का अनुबंध-IX

प्रपत्र एओसी-1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप–धारा (3) के प्रथम प्रावधान के अनुसार)

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं का विवरण

भाग क: सहायक कंपनियाँ

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा	
1.	सहायक कंपनी का नाम	**सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड**	**छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड**
2.	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्टिंग	लागू नहीं	लागू नहीं
			₹ करोड़
4.	शेयर पूंजी	0.10	0.05
5.	आरक्षित एवं अधिशेष	182.79	(-)0.06
6.	कुल संपत्ति	281.18	0.00
7.	कुल देनदारियों	98.29	0.01
8.	निवेश	-	-
9.	कारोबार	164.15	-
10.	कर से पहले लाभ	27.50	-
11.	कर के लिए प्रावधान	7.33	-
12.	कर के बाद लाभ	20.17	-
13.	प्रस्तावित लाभांश	1.26	-
14.	शेयरधारिता का %	100	74

नोट: कंपनी के पास इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड ₹ 10/– प्रति शेयर के 30,00,000 इक्विटी शेयर है। कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई, 1997 से कंपनी को बंद करने का निर्देश दिया था। आधिकारिक परिसमापक ने कंपनी की संपत्ति का कब्जा ले लिया है। परिसमापक, कंपनी की संपत्ति का निपटान करने के बाद, बकाया राशि का निपटान करने की प्रक्रिया में है। 10 जुलाई, 97 तक इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्र कंपनी लिमिटेड का संचयी घाटा ₹ 17.05 करोड़ था।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/–
(एम.बी. बालाकृष्णन)
कंपनी सचिव

हस्ता/–
(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20 मई, 2024

भाग 'ख': सहयोगी और संयुक्त उद्यम

एसोसिएट कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार विवरण

क्र. सं.	सहयोगी/संयुक्त उद्यम का नाम	नवीनतम लेखा परीक्षित बैलेंस शीट की तिथि	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/ संयुक्त उद्यमों के शेयर	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (₹ करोड़)	होल्डिंग की सीमा (%)	किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है इसका विवरण	संचालन से राजस्व	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शेयर धारिता के कारण निवल मूल्य (₹ करोड़)	वर्ष के लिए लाभ/ हानि (-) (₹ करोड़)	समेकन में विचार किया गया (₹ करोड़)	समेकन में विचार नहीं किया गया (₹ करोड़)
संयुक्त उपक्रम		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	31-03-2024	490250050	490.25	50.00%	नोट–1	3870.60	1580.44	435.85	217.93	217.93
2	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्रा. लिमिटेड*	31-03-2023	124025000	124.03	50.00%	नोट–1	835.86	427.39	76.89	38.45	38.45
3	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड*	31-03-2023	4000000	4.00	50.00%	नोट–1	328.37	132.89	66.34	33.17	33.17
4	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड*	31-03-2020	3200000	3.20	40.00%	नोट–1	3.04	1.26	0.14	0.06	0.08
5	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड^	31-03-2021	98718048	52.51	26.00%	नोट–1	4.58	-91.95	-138.77	0.00	-138.77
6	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड*	31-03-2023	698371832	698.37	47.82%	नोट–1	20.33	1232.84	-29.51	-14.11	-15.40
7	सेल एससीएल केरल लिमिटेड$	31-03-2018	13017801	18.75	49.26%	नोट–1	खाते उपलब्ध नहीं हैं	0.00	0.00	0.00	0.00
8	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्रा. लिमिटेड	31-03-2023	24000000	24.00	50.00%	नोट–1	295.53	33.68	8.06	4.03	4.03
9	सेल कोबे आयरन इंडिया प्रा. लिमिटेड*	31-03-2018	250000	0.25	50.00%	नोट–1	0.00	0.09	-0.01	0.00	0.00
10	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड*	31-03-2023	4680000	4.68	26.00%	नोट–1	465.76	10.56	6.09	1.58	4.51
11	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड*	31-03-2018	1297780	1.30	20.58%	नोट–1	खाते उपलब्ध नहीं हैं	0.00	0.00	0.00	0.00
12	रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड@		63000	0.06		नोट–1	वही	-	-	-	-
13	यूईसी सेल सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड#		-	-		नोट–1	वही	-	-	-	-
14	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड*	31-03-2023	35232600	35.23	12.00%	नोट–1	2.53	293.92	1.14	0.14	1.00
15	जीईडीसीओएल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड*	31-03-2023	2600000	2.60	26.00%	नोट–1	0.03	9.93	-0.11	-0.03	-0.08
Associate											
1	अल्मोडा मैग्नेसाइट लिमिटेड*	31-03-2020	400000	0.40	20.00%	नोट–2	37.73	1.59	1.03	0.21	0.82

1. संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार मतदान की शक्ति
2. 20% शेयर पूंजी रखता है

* वर्ष के लिए ऑडिट नहीं किए गए खातों के आधार पर/निलंबन के तहत संचालन

@ निलंबन के अंतर्गत संचालन

\# समापन/परिसमापन के अधीन कंपनियां

$ कंपनी को एनसीएलटी के तहत भेजा गया है और एक आदेश पारित किया गया है

^ कंपनी को एनसीएलटी के तहत भेजा गया है

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/–
(एम.बी. बालाकृष्णन)
कंपनी सचिव

हस्ता/–
(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20 मई, 2024



बोर्ड की रिपोर्ट का अनुबंध-X

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

i) 31 मार्च, 2024 तक बकाया राशि

विवरण	राशि (₹ करोड़)
दिया गया ऋण *	
इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड	2.53
एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	64.28
यूईसी सेल सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड	1.30
एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्रा. सीमित	0.02
सेल एससीएल केरल लिमिटेड	17.14
कुल	**85.27**
किया गया निवेश #	1459.72

* ₹ 21.32 करोड़ का प्रावधान

स्टैंडअलोन खातों के लिए नोट संख्या 8 देखें

ii) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान किया गया निवेश

इकाई का नाम	संबंध	राशि (₹ करोड़)	वह उद्देश्य जिसके लिए निवेश का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है
शून्य			

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/–
(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 3 सितंबर, 2024

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक-XI

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) सपठित कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित के अनुसार)

(क) ऊर्जा संरक्षण

i) ऊर्जा संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदम या प्रभाव

ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी लाने के लिए ऊर्जा दक्षता में सुधार करना एक आसान लक्ष्य है। ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में वृद्धि के कारण ऊर्जा लागत में वृद्धि और पर्यावरण क्षरण की प्रवृत्ति ने ऊर्जा खपत में कमी लाने की दिशा में नए सिरे से प्रयास करना आवश्यक बना दिया है। भारतीय इस्पात उद्योग में ऊर्जा की लागत उत्पादन की कुल लागत का लगभग 40 प्रतिशत है।

उच्च ऊर्जा लागत घटक को देखते हुए, सेल ने संयंत्र उपयोग में अनुकूलन, मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार, नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत और अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी में वृद्धि जैसे विभिन्न उपाय लगातार किए हैं। साथ ही, खरीदे गए ईंधन और बिजली की खपत को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

दुर्गापुर स्टील प्लांट को अपने व्यापारिक और संरचनात्मक उत्पादों के लिए सीआईआई द्वारा प्रतिष्ठित ग्रीनप्रो प्रमाणन से सम्मानित किया गया और यह अपने संरचनात्मक उत्पादों के लिए इको लेबलिंग प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्लांट बन गया।

ऊर्जा और बिजली के मामले में एकीकृत इस्पात संयंत्रों का प्रदर्शन निम्नानुसार रहा:

पैरामीटर	इकाई	बीएसपी	डीएसपी	आरएसपी	बीएसएल	आईएसपी
विशिष्ट ऊर्जा खपत	गीगा कैलोरी/टीसीएस	6.35	6.36	5.98	6.57	6.19
विशिष्ट बिजली खपत	किलो वॉट घण्टा/टीएसएस	465	423	443	465	499

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान इन क्षेत्रों में उठाए गए कुछ कदम नीचे सूचीबद्ध हैं:

भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी)

क) समान सुविधाओं का उपयोग करते हुए बीएफ–8 से 2.68 मिलियन टन हॉट मेटल उत्पादन का अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन, जिसने 2022–23 में 2.35 मिलियन टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ को पार कर दिया है, जिससे बीएफ–8 में विशिष्ट ऊर्जा खपत 0.06 जीसीएएल/टीसीएस तक कम हो गई।

ख) समान सुविधाओं का उपयोग करते हुए, स्टील मेल्टिंग शॉप (एसएमएस–3) से 3.44 मिलियन टन कच्चे स्टील का अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन, जो पिछले वर्ष प्राप्त 3.06 मिलियन टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ से अधिक है, जिससे एसएमएस–3 में 0.045 गीगा कैलोरी/टीसीएस तक विशिष्ट ऊर्जा खपत कम हो गई।

ग) कोक ड्राई कूलिंग प्लांट (सीडीसीपी) सुविधा में गर्म कोक से अब तक की सर्वश्रेष्ठ अपशिष्ट ऊष्मा वसूली, जिसके परिणामस्वरूप कोक ओवन बैटरी (सीओबी)–11 में बैक प्रेशर टर्बाइन जेनरेटर (बीपीटीजी) से 29.7 गीगावाट प्रति घंटे बिजली का उत्पादन हुआ, जो 2022–23 में हासिल किए गए 29.2 गीगावाट प्रति घंटे के पिछले सर्वश्रेष्ठ को पार कर गया।

घ) बीएफ–8 में उच्च टॉप–गैस डिस्चार्ज दबाव को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने में वृद्धि, जिसके परिणामस्वरूप टॉप–प्रेशर रिकवरी टर्बाइन (टीआरटी) के माध्यम से 2022–23 में हासिल किए गए 91.52 गीगावाट प्रति घंटे के पिछले सर्वश्रेष्ठ की तुलना में 98.85 गीगावाट घंटे बिजली का अब तक का उच्चतम उत्पादन हुआ।

ङ) बीएफ में 120 किग्रा/टीएचएम की अब तक की सर्वश्रेष्ठ औसत कोल डस्ट इंजेक्शन (सीडीआई) दर, जो 2022–23 में हासिल किए गए 119.7 किग्रा/टीएचएम के पिछले सर्वश्रेष्ठ से अधिक है।

च) एसएमएस–3 से अब तक की सबसे अधिक बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ) गैस रिकवरी 86.7 सामान्य घनमीटर/टीसीएस की वार्षिक रिकवरी के साथ हासिल की गई, जबकि 2022–23 में पिछला सर्वश्रेष्ठ 46.1 सामान्य घनमीटर/टीसीएस था।

छ) एसएमएस–2 में बीओएफ गैस होल्डर की मरम्मत और कोक ओवन (सीओ) गैस और बीएफ गैस नेटवर्क दोनों में बीओएफ गैस के दोहरे इंजेक्शन के लिए इन–हाउस संशोधन के परिणामस्वरूप सभी एसएमएस से $3.55x10^8$ सामान्य घनमीटर की उच्चतम वार्षिक बीओएफ गैस रिकवरी हुई, जो 2022–23 में हासिल सभी एसएमएस पर $2.35x10^8$ सामान्य घनमीटर की पिछली सर्वश्रेश्ठ बीओएफ गैस रिकवरी को पार कर गई।

ज) उप–उत्पाद गैसों के विवेकपूर्ण उपयोग के परिणामस्वरूप बॉयलर कोयले की खपत पिछले वर्ष की तुलना में 52% घटकर 6.6 टन/दिन और फर्नेस ऑयल की खपत 50% घटकर 12.2 लीटर/दिन हो गई।

झ) प्लेट मिल, बार और रॉड मिल, यूनिवर्सल रेल मिल में अब तक की सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा खपत क्रमशः 432 Mcal/t स्लैब रोल्ड, 277 Mcal/t बिलेट रोल्ड और 314 Mcal/t ब्लूम्स रोल्ड की गई।

ञ) एसएमएस–2 में बीओएफ गैस होल्डर के गैस बूस्टर–4 के लिए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (वीवीवीएफडी) की स्थापना, सिंटर प्लांट (एसपी)–2 में शटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर–2 और कोक क्रशर–5 की ट्रॉली, बीएफ–7 में स्टोव बूस्टर पंखे, सीडीआई मिल, गैस बूस्टर पंखे और बीएफ–8 में कास्ट हाउस जिब क्रेन।

ट) उच्च दबाव जेट पंप द्वारा नियमित अंतराल पर स्टीम टर्बो जनरेटर–4 और स्टीम टर्बो ब्लोअर में कंडेनसर ट्यूब की सफाई के परिणामस्वरूप भाप की खपत लगभग 30 t/h कम हो गई।

दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी)

क) स्टील निर्माण संचालन के अनुकूलन के परिणामस्वरूप एसएमएस में अब तक का सबसे कम कुल धातु इनपुट (टीएमआई) 1,108 किग्रा/टीसीएस रहा, जबकि 2022–23 में 1113 किग्रा/टीसीएस हासिल किया गया।

ख) 2022–23 में अब तक का सबसे कम बीएफ कोक दर 448 किग्रा/टीएचएम हासिल किया गया, जबकि पिछला सर्वश्रेष्ठ 457 किग्रा/टीएचएम था।

ग) 2022–23 में अब तक का सबसे अच्छा सीडीआई दर 68 किलोग्राम/टीएचएम हासिल किया गया, जबकि पिछला सर्वश्रेष्ठ 57 किग्रा/टीएचएम था।

घ) स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट टावरों आदि में पारंपरिक लाइट फिटिंग को लाइट–एमिटिंग डायोड (एलईडी) फिटिंग से बदला गया, जिससे लगभग 196 मेगावाट बिजली की बचत हुई।

राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी)

क) सिंटर प्लांट–1 में डैम्पर नियंत्रण के स्थान पर अपशिष्ट गैस फैन मोटर (2x2.3 मेगावाट) के साथ वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (वीवीएफडी) की स्थापना के परिणामस्वरूप लगभग 8.059 गीगावाट घंटे बिजली की बचत हुई।

ख) सीपीपी–1 में अतिरिक्त 800 एमएमएनबी मिश्रित गैस लाइन बिछाकर हॉट स्ट्रिप मिल के बंद दिनों के दौरान सीपीपी–1 को अतिरिक्त मिश्रित गैस की उपलब्धता में 5,000 सामान्य घनमीटर/घण्टा की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप 26,370 गीगाकैलोरी की वार्षिक ऊर्जा बचत हुई।

ग) 50 कॉम्पैक्ट प्रकार के स्टीम ट्रैप की स्थापना के परिणामस्वरूप लगभग 293.5 गीगाकैलोरी की वार्षिक ऊर्जा बचत हुई।

बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल)

क) ब्लास्ट फर्नेस में सीडीआई दर में उल्लेखनीय वृद्धि 2022–23 में 56 किग्रा/टीएचएम से 2023–24 में 78.8 किग्रा/टीएचएम।

ख) एसएमएस–न्यू से $1,050X10^3$ सामान्य घनमीटर बीओएफ गैस की रिकवरी के साथ एसएमएस–न्यू के नए बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ) गैस होल्डर का अधिग्रहण जिससे एसएमएस–2 और एसएमएस–न्यू से एक साथ $2.35x10^8$ सर्वश्रेष्ठ वार्षिक सामान्य घनमीटर बीओएफ गैस की रिकवरी हुई।



ग) दहन दक्षता बढ़ाने के लिए रिफ्रेक्टरी मटेरियल प्लांट में दो रोटरी भट्टों में स्वचालित वायु–ईंधन प्रणाली के कार्यान्वयन से लगभग 8,000 गीगाकैलोरी ऊर्जा की बचत हुई।

घ) कोल्ड रिपेयर के दौरान रीहीटिंग फर्नेस 1–3 में पुराने रिक्यूपरेटर के स्थान पर नया रिक्यूपरेटर लगाने से 1,75,000 गीगाकैलोरी ऊर्जा की रिकवरी हुई।

ड़) बीएफ–4 के सिंटर और कोक वाइब्रेटर में 10 वैरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की स्थापना से लगभग 15.60 मेगावाट बिजली की बचत हुई।

च) प्लांट परिसर में 64 हाई मास्ट लाइट के स्थान पर एलईडी लगाने के कारण लगभग 18.69 मेगावाट बिजली की बचत हुई।

छ) 150 स्टीम लीकेज का परिसमापन, 800 वर्गमीटर स्टीम लाइन का इन्सुलेशन और 26 स्टीम ट्रैप का प्रतिस्थापन।

इस्को स्टील प्लांट (आईएसपी)

क) समान सुविधाओं का उपयोग करते हुए 2.53 मिलियन टन का अब तक का सर्वश्रेष्ठ कच्चा इस्पात उत्पादन, जो 2022–23 में 2.42 मिलियन टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ उत्पादन को पार कर गया, जिससे एसएमएस में विशिष्ट ऊर्जा खपत में 13 एमसीएएल/टीसीएस की कमी आई।

ख) बीएफ नेटवर्क दबाव के अनुकूलन और बीओएफ गैस के विवेकपूर्ण उपयोग के परिणामस्वरूप पावर एण्ड ब्लोइंग स्टेशन–2 के माध्यम से बिजली उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 1.78 मेगावाट बढ़कर 36.25 मेगावाट हो गया।

ग) बीएफ में हाई–टॉप–गैस डिस्चार्ज दबाव को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में वृद्धि के परिणामस्वरूप टीआरटी के माध्यम से बिजली उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 1.0 मेगावाट बढ़कर 12.8 मेगावाट हो गया।

ii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ऊर्जा संरक्षण उपकरणों/उपायों पर लगभग 66 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया गया है।

(ख) प्रौद्योगिकी समावेशन

i) प्रौद्योगिकी समावेशन की दिशा में किए गए प्रयास

लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केंद्र (आरडीसीआईएस) सेल की कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास इकाई है। पिछले कुछ वर्षों में, आरडीसीआईएस ने लौह धातु विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र होने की साख अर्जित की है। आरडीसीआईएस का मुख्य जोर सेल संयंत्रों में बहु–विषयक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनका प्रदर्शन करना और उन्हें लागू करना है, ताकि गुणवत्ता, उत्पादकता और उपज से संबंधित उनके प्रमुख प्रदर्शन सूचकांकों में सुधार हो सके। आरडीसीआईएस उत्पाद लागत को कम करने, मूल्यवर्धित बाजार केंद्रित उत्पादों को विकसित करने और ग्राहकों के बीच सेल उत्पादों के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए कंपनी के इस्पात संयंत्रों और केंद्रीय विपणन संगठन के साथ काम करता है। 2023–24 में कंपनी द्वारा जिन विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ निम्न हैं:

क) प्रक्रिया विकास

कोक बनाना

- डीएसपी में कोक ओवन के लिए कोयला मिश्रण मॉडल का विकास।
- सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट का प्रदर्शन सुधार।
- स्टाम्प चार्जिंग मापदंडों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन और निर्धारण।
- सीओबीः 6 पर क्रशिंग इंडेक्स में स्थिरता बनाए रखने के लिए हैमर हैड में संशोधित घर्षण प्रतिरोधी सामग्री का उपयोग।

ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण

- बीओएफ स्टीलमेकिंग स्लैग के प्रसारक गुणों की जांच।
- एसएमएस–2 में आरएच डिगैसर 2 के लिए बर्नर का डिजाइन।
- अपशिष्ट अवशोषण माध्यम और पारगम्य अवरोध के रूप में बीओएफ स्लैग का अनुप्रयोग।
- आईएसपी में कोक ओवन बैटरी 11 के उप–उत्पाद कोक ओवन गैस के नेटवर्क के दबाव का अध्ययन।

संकुलन

- छिद्र वितरण के आधार पर लौह अयस्क के पिलेट की भौतिक शक्ति और धातुकर्म गुणों की विशेषता का अध्ययन।
- बीएसएल में बीटीपी तापमान बढ़ाकर सिंटर की गुणवत्ता में सुधार।
- आईएसपी में सिंटर की गुणवत्ता और उत्पादकता पर एनीलिंग (धातु पर पानी चढाने की प्रक्रिया) हुड का प्रभाव।
- आरएसपी में एसपी–2 में सिंटरिंग प्रक्रिया की बेड पारगम्यता स्थिति का अनुमान।
- बीओएफ स्लज़ में कार्बन कैप्चर और पेलेटाइजेशन प्रक्रिया में इसके पुनर्चक्रण पर अध्ययन।

ब्लास्ट फर्नेस

- डीएसपी में बीएफ 3 में बर्डन ट्रैकिंग मॉडल और प्रक्रिया अनुकूलन का विकास।
- बीएसएल में बीएफ 2 में न्युनीकरण एजेंट की दर में कमी।

स्टील उत्पादन और कास्टिंग

- बीओएफ, एसएमएस–2, बीएसएल में वैकल्पिक शीतलक के रूप में स्लज संकुलन का उपयोग।
- आईएसपी की लैडल फर्नेस में विशिष्ट बिजली खपत को कम करने के लिए स्लैग इंजीनियरिंग।
- आईएसपी के बीम ब्लैंक कास्टर से कास्ट उत्पादों की सतह की गुणवत्ता में सुधार।
- एसएमएस–2, आरएसपी में स्टील लैडल में डबल पोरस प्लग गैस पर्जिंग सिस्टम की शुरूआत।
- लैडल फर्नेस, एसएमएस–2, आरएसपी में स्टील रिफाइनिंग प्रक्रिया के दौरान बिजली की खपत और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन में कमी।
- एसएमएस–2, आरएसपी में कैल्शियम उपचार की शुरूआत के माध्यम से स्टील की सफाई में वृद्धि।

रोलिंग मिल्स

- व्हील और एक्सल प्लांट, डीएसपी में हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में संशोधन।
- बीएसपी में 260 मीटर वेल्डेड पैनल में 1175एचटी (आर350एचटी) रेल का व्यावसायिक उत्पादन।
- आईएसपी में बार मिल के एफई–550डी टीएमटी रिबार की उत्पादकता में सुधार।
- लॉन्ग प्रोडक्ट रोलिंग मिल्स में रोल विफलता का नियंत्रण।
- बीएसपी से उत्पादित 60ई1 प्रोफाइल में आर260 और आर350 एचटी ग्रेड रेल में अवशिष्ट तनाव की वैज्ञानिक जांच।
- आईएसपी के यूनिवर्सल सेक्शन मिल (यूएसएम) में चैनल सेक्शन के रोल पास डिजाइन का विकास।
- मीडियम स्ट्रक्चरल मिल, डीएसपी में इंटरमीडिएट स्टैंड रोल के रोल लाइफ में सुधार।

ख) प्रयोगशाला आधारित कार्य

कोक उत्पादन

1. पायलट ओवन परीक्षण

- जेएसओ, अंगुल के लिए स्टैम्प और टॉप चार्जिंग पायलट ओवन परीक्षण (कुल 31) आयोजित किए, जिसमें नई अधिग्रहीत खदानों से उच्च श्रेणी के कोयले के उपयोग को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका उद्देश्य दीवार के दबाव को अनुकूलित करना और कोक की गुणवत्ता को बढ़ाना था।
- कैवल रिज (ईओआई) और रूसी जेडएच कोयले सहित नए आयातित कोकिंग कोयले के लिए पायलट ओवन परीक्षण किए, जिसका उद्देश्य कोक की गुणवत्ता पर उनकी उपयुक्तता और संभावित प्रभाव का आकलन करना था।
- मैसर्स वीजा स्टील से बाहरी नमूने के लिए स्टैम्प और टॉप चार्जिंग पायलट ओवन परीक्षण किए।
- बीएसएल में प्रस्तावित स्टैम्प चार्जिंग बैटरी के लिए पायलट ओवन परीक्षण किए, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास और परिचालन अनुकूलन में योगदान मिला।

2. नमी को कम करने के लिए प्रयोगशाला आधारित अध्ययन

- बीएसएल मिश्रण के साथ संयुक्त आईओसीएल सर्फेक्टेंट का उपयोग करके एक परीक्षण को सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कोक की नमी के स्तर में महत्वपूर्ण कमी आई, जिससे कोक की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अभिनव दृष्टिकोण का प्रदर्शन हुआ।
- ओडिशा के मेसर्स इनोक्यूल मैटेरियल्स एंड एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड के तीन सर्फेक्टेंट (आरआईएक्सएक्स, आरआईएक्सओ और आरआईएक्स3) का उपयोग करके 20 किलोग्राम पायलट कोक ओवन परीक्षण किए गए, ताकि कोक की नमी को कम करने में उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके, जिससे कोक की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विविध एडिटिव्स की खोज में योगदान मिला।
- हीटर और ब्लोअर सिस्टम के संयोजन का उपयोग करते हुए आईएसपी, बर्नपुर में परीक्षण लागू किए गए, जिसके परिणामस्वरूप कोक की नमी में 0.5 प्रतिशत से 2.0 प्रतिशत तक की उल्लेखनीय कमी आई, जिससे नमी कम करने की तकनीकों में प्रगति का पता चला।

3. कोयले के अभिलक्षणों का अध्ययन

- सीएसएसओ, धनबाद द्वारा प्रदान की गई दहीबाड़ी, मुनीडीह, पाथेरडीह, मधुबन, टाटा स्टील लिमिटेड, चासनाला, कथारा, स्वांग, राजरप्पा और केदला कोयला गुणवत्ता भिन्नताओं की गहन समझ में योगदान करती है।
- सहयोग को बढ़ावा देते हुए और कोयला गुणों का गहन मूल्यांकन सुनिश्चित करते हुए, बीएसएल, आईएसपी और आरएसपी में इंडोनेशियाई हार्ड कोकिंग कोल (तुहुप) का संयुक्त नमूनाकरण और परीक्षण पूरा किया।
- ज्ञान का विस्तार करने और सूचित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली से प्राप्त दो पीसीआई कोयले का विस्तृत अभिलक्षण अध्ययन जारी रखा।
- उन्नत विश्लेषणात्मक पद्धतियों को नियोजित करते हुए सटीक डी–कार्बोनाइजेशन गणनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यक्तिगत कोयला नमूनों के लिए नेट कैलोरिफिक वैल्यू (एनसीवी), सीएचएनएस और समीपस्थ विश्लेषण का उपयोग किया।
- सेल के 306 नमूनों और 145 बाहरी नमूनों के लिए 2000 से अधिक परीक्षण किए गए।

ब्लास्ट फर्नेस

- अपशिष्ट उपयोग के लिए एक प्रक्रिया के रूप में बीएफ रिटर्न सिंटर और स्लज़ की ब्रिक्वेटिंग, रिटर्न सिंटर, स्लज़ और अन्य महीन धूल के लाभकारी उपयोग के लिए, एक प्रक्रिया विकसित की गई है जिसमें इन महीन सामग्रियों को सिंटर के बराबर लौह सामग्री वाले ब्रिकेट में बदलना शामिल है।
- खनन अपशिष्ट के सतत प्रबंधन के लिए प्रक्रिया विकास। आरडीसीआईएस में स्टील और खनन अपशिष्ट उपयोग के लिए एक पायलट प्लांट सुविधा, लौह अयस्क स्लज़/टेलिंग का उपयोग करके ईंटें बनाई गईं और उनका परीक्षण किया गया।

स्टील उत्पादन और कास्टिंग

- स्लैब की कास्ट क्वालिटी में सुधार के लिए थर्मोडायनामिक मूल्यांकन के माध्यम से मोल्ड पाउडर की विशेषताओं का अध्ययन।
- स्टील उत्पादन में पुनः उपयोग के लिए एलएफ स्लैग और बीओएफ स्लज का एकत्रीकरण।

रोलिंग मिल

- पर्लिटिक बैनिटिक माइक्रोस्ट्रक्चर के साथ रेलवे व्हील स्टील का विकास।

ग) उत्पाद विकास और अनुप्रयोग

आरडीसीआईएस निरंतर तकनीकी इनपुट के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मूल्य पर मूल्यवर्धित स्टील उत्पादों के उत्पादन में कंपनी की सहायता कर रहा है। विभिन्न बाजार खंडों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरडीसीआईएस और सेल संयंत्रों द्वारा कई नए उत्पाद, विशेष रूप से विशेष स्टील, बेहतर उत्पाद गुणवत्ता विशेषताओं के साथ विकसित और व्यावसायीकृत किए गए हैं। नए बाजार उन्मुख उत्पादों के विकास के लिए लागत प्रभावी मिश्र धातु डिजाइन और प्रक्रिया मापदंडों के अनुकूलन का सिद्धांत प्रमुख विचार थे। वर्ष 2023–24 के दौरान, निम्नलिखित 10 उत्पादों का विकास किया गया है।

क्र.सं.	उत्पाद	प्लांट/यूनिट	आवेदन
1	आईएस 2062 ई450 उच्च शक्ति संरचना	डीएसपी	बुनियादी ढांचे का निर्माण
2	आईएस 7904 एचसी38बी उच्च कार्बन वायर रॉड	बीएसपी	उच्च तन्यता का तार
3	आईपीटी से एसएसपी के लिए अल्ट्रा लो एनबी (यूएलएनबी) स्लैब (आईएस 2062 ई350 ग्रेड के एसएसपी पर रोल किए गए एचआर कॉइल)	बीएसपी	उच्च शक्ति के संरचनात्मक घटक
4	एचएसएफक्यू 550 ग्रेड और सेलफॉर्मिंग 410/450 (आईएसएच540आर) एचआर कॉइल	आरएसपी	ऑटोमोटिव घटक
5	एपीआई एक्स70 एचआर कॉइल	आरएसपी	तेल और गैस लाइन पाइप
6	आईएस 2041 आर260 एचआर कॉइल	आरएसपी	बॉयलर/प्रेशर वेसल
7	ई350 बीआर में एचआरसी 2.0–2.5 मिमी और 250बीआर में एचआरसी 1.6–1.8 मिमी	आरएसपी	सामान्य निर्माण
8	एचडीजी 0.35 मिमी जीएसएम 80 गैल्वेनाइज्ड कॉइल	बीएसएल	छत और डक्टिंग
9	आईएस 5986 आईएसएच490एस 11.8 मिमी एचआर कॉइल	बीएसएल	भारतीय रेलवे/ऑटो सेगमेंट
10	आईएस 2062 ई350 यूएलएनबी एचआर कॉइल	बीएसएल	खोखले खंड



(ii) 2023-24 में प्रमुख परियोजनाओं से प्राप्त लाभ:

प्रक्रिया क्षेत्र:

परियोजना का नाम	संयंत्र	प्राप्त लाभ
स्टाम्प चार्जिंग मापदंडों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन और निर्धारण।	आरडीसीआईएस	स्टाम्प चार्जिंग, कोयला चयन, और कोक की गुणवत्ता और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए मिश्रण अनुकूलन में महत्वपूर्ण समझ।
सीओबी 11 पर कोक गाइड कार में कोक तापमान के वास्तविक समय में माप के लिए एक प्रणाली का विकास।	आईएसपी	मापे गए कोक सतह तापमान प्रोफाइल से बैटरी के स्वास्थ्य और हीटिंग प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, जिससे कोक की गुणवत्ता में सुधार संभव हुआ और कोकिंग अवधि को अनुकूलित करके तथा व्यक्तिगत हीटिंग फ्लू में तापमान के विनियमन द्वारा ऊर्जा खपत में बचत हुई।
कोक ओवन के लिए कोयला मिश्रण मॉडल का विकास।	डीएसपी	कोक की गुणवत्ता का पूर्वानुमान लगाने और मिश्रण लागत को अनुकूलित करने के लिए एक ब्राउजर–आधारित ऑनलाइन कोयला मिश्रण अनुप्रयोग विकसित किया गया।
सीओबी 11 के उप–उत्पाद सीओ गैस नेटवर्क के दबाव का अध्ययन।	आईएसपी	संयंत्र के सीओ गैस नेटवर्क दबाव को कम करने के लिए एलडीसीपी की भट्टियों में सीओ गैस फायरिंग पर स्विच करने से चूने की प्रतिक्रियाशीलता में 200–300 4एन एचसीएल से 260–310 4एन एचसीएल तक कम भिन्नता हुई।
सीओबी 11 पर अपशिष्ट अवशोषण मीडिया और पारगम्य अवरोध के रूप में बीओएफ स्लैग का अनुप्रयोग।	आईएसपी	≤ 10 मिमी आकार के बीओएफ स्लैग का उपयोग प्रवाह के पूर्व–उपचार के लिए प्रभावी अवशोषण माध्यम के रूप में किया जा सकता है।
द्वितीयक शोधन के दौरान बेहतर फ्लक्स और डीऑक्सीडेशन अभ्यास।	आरएसपी	एसएमएस–2 में लेडल लाइनिंग के जीवनकाल में 135 से 150 हीट्स तक सुधार।
260 मीटर वेल्डेड पैनल में 1175एचटी (आर350एचटी) रेल का व्यावसायिक उत्पादन।	बीएसपी	भारतीय रेलवे को आर350एचटी रेल की एक रेक भेजी गई।
मीडियम स्ट्रक्चरल मिल में फिनिशिंग स्टैंड रोल लाइफ में सुधार।	डीएसपी	विशिष्ट रोल खपत में 40 प्रतिशत से अधिक की कमी।
डबल्युआरएम में उच्च कार्बन वायर रॉड की अंतिम गुणवत्ता में सुधार।	आईएसपी	उच्च कार्बन वायर रॉड के एण्ड डिस्कार्ड में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी।
बीएएफ, सीआरएम 3 में उच्च कंपन के कारण बेस मोटर विफलता का अध्ययन।	बीएसएल	बीएएफ में बढ़ी हुई आधार उपलब्धता ने उत्पादन दर को 45,157 से बढ़ाकर 46,700 टन/माह कर दिया है।
नई प्लेट मिल में कूलिंग बेड पर प्लेटों की फोर्स्ड कूलिंग की शुरूआत।	आरएसपी	एनपीएम पर कूलिंग बेड पर वार्षिक 30 घंटे की देरी का उन्मूलन। अल्ट्रासोनिक गेज जांच खपत में 50 प्रतिशत की कमी।

अन्य प्रौद्योगिकी समावेशन, अनुकूलन और नवाचार उपाय

कंपनी में स्टील प्लांट संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में एक निश्चित प्रौद्योगिकी रणनीति के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास, समावेशन, अनुकूलन और आगे सुधार लगातार हो रहा है। आधुनिकीकरण/निरंतर सुधार के एक भाग के रूप में कई नई प्रौद्योगिकियां स्थापित की गई हैं/स्थापित की जा रही हैं। क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	विवरण	वर्ष	स्थिति
कोक बनाना			
1.	बीएसएल में कोक ओवन बैटरी नंबर–8 का पुनर्निर्माण	2022-23	अधिग्रहित
2.	आरएसपी में सीओ और सीसीडी क्षेत्र के अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उन्नयन	2023-24	अधिग्रहित
सिंटर निर्माण/संकुलन			
1.	सिंटर प्लांट 2, बीएसएल की स्थापना	2024-25	कार्यान्वयन के अंतर्गत
लोहा उत्पादन			
1.	**आधुनिक सुविधाओं के साथ ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ) जैसे:-** • कन्वेयर चार्जिंग सिस्टम • एक कुशल शीतलन प्रणाली के रूप में नरम पानी के साथ बंद लूप शीतलन प्रणाली • अग्नि से सुरक्षा का आधुनिक डिजाइन • रखरखाव आदि के लिए गतीशील उपकरणों के उपयोग के लिए रैंप के साथ फ्लैट कास्ट हाउस डिजाइन।		
i)	**बीएसएल में बीएफ # 4** • भट्ठी में मूल 20 ट्यूयर्स के स्थान पर 24 ट्यूयर्स का समावेश • स्किप्स का थाइरिस्टराइजेशन	2022-23	अधिग्रहित
2.	**बीएसएल में आईएनबीए कास्ट हाउस स्लैग ग्रैनुलेशन टेक्नोलॉजी**		
i)	बीएफ# 4 में चौथा स्टोव, डीएसपी	2022-23	अधिग्रहित

स्टील उत्पादन			
1.	**बीएफ 1 बीएसएल, कास्ट हाउस 1** • आईएनबीए सीएचएसजीपी की स्थापना एक नया तकनीकी अनुकूलन है। • आईएनबीए सीएचएसजीपी के समावेश के साथ, बीएफ स्लैग से निपटने के लिए स्लैग पॉट्स का उपयोग समाप्त हो गया है। • स्लैग डंपिंग की आवश्यकता समाप्त हो गई है। • आईएनबीए सीएचएसजीपी के साथ फर्नेस उत्पादकता में सुधार हुआ है	2022	अधिग्रहित
क्र.सं.	**विवरण**	**वर्ष**	**स्थिति**
2.	**> 1200 डिग्री सेल्सियस का एचबीटी प्राप्त करने के लिए अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति प्रणाली वाले स्टोव में उच्च हॉट ब्लास्ट तकनीक**		
i)	बीएफ # 2 का चौथा स्टोव, बीएसएल	2024-25	अधिग्रहण होने की संभावना है
ii)	बीएफ # 4 में चौथा स्टोव, डीएसपी	2024-25	अधिग्रहण होने की संभावना है
रोलिंग और फिनिशिंग			
i)	बोकारो स्टील प्लांट की हॉट स्ट्रिप मिल की फिनिशिंग मिल की ऑटोमेशन प्रणाली का उन्नयन	2024-25	अधिग्रहण होने की संभावना है
ii)	दुर्गापुर स्टील प्लांट के व्हील प्लांट में पहियों का गैर–विनाशकारी परीक्षण	2024-25	अधिग्रहण होने की संभावना है

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय **(₹ करोड़)**

(क)	पूंजी	:	67.61
(ख)	राजस्व	:	239.47
	कुल	:	**307.08**
	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय	:	**0.29**

विदेशी मुद्रा आय और व्यय **(₹ करोड़)**

i)	निर्यात और अन्य गतिविधियों से अर्जित विदेशी मुद्रा	:	1,687.24
ii)	प्रयुक्त विदेशी मुद्राः		
	क) आयात का सीआईएफ मूल्य	:	43,003.07
	ख) विदेशी मुद्रा में अन्य व्यय	:	59.67

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ताक्षरकर्ता
(अमरेंदु प्रकाश)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 3 सितम्बर, 2024



बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक-XII

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और
कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के अनुसार}

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

सेल की सीएसआर नीति एक कथन है जिसमें बोर्ड की सीएसआर समिति की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण और दिए गए दिशा–निर्देश शामिल हैं। इसमें गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के साथ–साथ वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं। सीएसआर नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- अपनी सेवाओं के माध्यम से सेल की मुख्य व्यावसायिक रणनीतियों और संचालन से मूल रूप से जुड़े हितधारकों और समाज के लिए मूल्य का सृजन करना।
- प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र में लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाकर मूल्य सृजन को बढ़ाना और उस समुदाय के लिए सद्भावना को बढ़ावा देना जिसमें कंपनी संचालित है।
- वंचित लोगों और समुदायों की सहायता करके समुदाय की सहायता करना।
- भविष्य की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की मांगों को पूरा करने के लिए विकासात्मक पहल करना।
- कला और खेल और संस्कृति के संरक्षक के रूप में सेल की छवि का निर्माण करके स्थानीय लोगों की सहायता करना।
- सामाजिक लाइसेंस प्राप्त करके सफलता प्राप्त करने के लिए सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक रूप से जिम्मेदार तरीके से कार्य करना।

2. 31 मार्च, 2024 तक सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक की प्रकृति	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	
			कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया
1.	प्रो. (डॉ.) के. जयप्रसाद	स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष	3	3
2.	डॉ. गोपाल सिंह भाटी	स्वतंत्र निदेशक	3	3
3.	श्री कन्हैया सारदा	स्वतंत्र निदेशक	3	3
4.	श्री ए.के. तुल्सीआनी	निदेशक (वित्त)'	2	2
5.	श्री के.के. सिंह	निदेशक (कार्मिक) एवं एलओएफडी'	3	3
6.	श्री अतानु भौमिक (3 फरवरी, 2024 से)	निदेशक (प्रभारी–आरएसपी) जो निदेशक (प्रभारी–बीएसएल) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं	1	1

* चूंकि इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांकित 19 जनवरी, 2024 के माध्यम से श्री अनिल कुमार तुल्सीआनी, निदेशक (वित्त) को निलंबित कर दिया था, इसलिए श्री कृष्ण कुमार सिंह, निदेशक (कार्मिक) अगले आदेश तक वित्त निदेशालय (एलओएफडी) के लिंक अधिकारी थे। इसके बाद इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांकित 28 जून, 2024 के अनुसार, श्री अनिल कुमार तुल्सीआनी का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।

3.	**वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई हों:** संबंधित वेब लिंक निम्नानुसार हैं:	
	सीएसआर समिति की संरचना: www.sail.co.in सीएसआर नीति www.sail.co.in बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं: www.sail.co.in	
4.	**यदि लागू हो तो सी.ओ.एस. (सी.एस.आर. नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के अनुसरण में कार्यान्वित सी.एस.आर. परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्यौरा प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।**	लागू नहीं
5(क)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	₹ 8,162.89 करोड़
5(ख)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत	₹ 163.26 करोड़
5(ग)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से अधिशेष	शून्य
5(घ)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो	₹ 4.51 करोड़
5(ङ)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख)+(ग)–(घ)]	₹ 158.75 करोड़

6(क)	सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा अन्य परिजना दोनों पर)	₹ 160.03 करोड़ (अव्ययित सीएसआर बैंक खाते में हस्तांतरित ₹ 78.26 करोड़ सहित)
6(ख)	प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशिः	₹ 1.90 करोड
6(ग)	प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू होः	लागू नहीं है
6(घ)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च की गई राशि [(क)+(ख)+(ग)]	₹ 161.93 करोड़ (अव्ययित सीएसआर बैंक खाते में हस्तांतरित ₹ 78.26 करोड़ सहित)

6. (ई) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अप्रयुक्त सीएसआर राशि:

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि (करोड़ रुपये में)				
	अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि ख्धारा 135(6),		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची-7 के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित की गई राशि		
(₹ करोड़ में)	मात्रा	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
₹ 161.93 (अव्ययित सीएसआर बैंक खाते में हस्तांतरित ₹ 78.26 करोड़ सहित)	78.26	29 अप्रैल, 2024	-	-	-

6. (च) निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹करोड़ में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत	158.75 (वित्त वर्ष 2022–23 के अनिवार्य सीएसआर व्यय पर ₹4.51 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के निर्धारण के बाद)
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	161.93 (अव्ययित सीएसआर बैंक खाते में हस्तांतरित ₹78.26 करोड़ रुपये सहित)
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि	3.18
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से अधिशेष, यदि कोई हो	0
(v)	आगामी वित्तीय वर्ष में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि ख(पपप)–(पअ),	3.18

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण: लागू नहीं

(₹ करोड़ में)

1	2	3	4	5	6		7	8
क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित की गई अव्ययित राशि धारा [135(6)]	अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि [धारा 135(6)]	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची-7 के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि	कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹ करोड़ में)	स्थानांतरण की तिथि		
	2022-23	51.73	31.90 (ब्याज को छोड़कर)	19.83	0	0	34.32 (वित्त वर्ष 2022–23 में अव्ययित खाते पर अर्जित ₹2.42 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है)	

8. क्या वित्तीय वर्ष में सीएसआर राशि को खर्च करके कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है: नहीं

यदि हाँ, तो बनाई गई/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें: लागू नहीं

वित्तीय वर्ष में सीएसआर राशि खर्च करके बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्तियों से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्रम सं.	संपत्ति/परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण ख्संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित,	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का पिनकोड	निर्माण की तारीख	सीएसआर पर खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	पंजीकृत स्वामी की संस्था/प्राधिकरण/ लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण सं.	नाम	पंजीकृत पता
					6		

यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिषत व्यय करने में विफल रही है, तो कारण बताएं: लागू नहीं।

हस्ताक्षरकर्ता
(के.के. सिंह)
निदेशक (कार्मिक)

हस्ताक्षरकर्ता
(प्रो. (डॉ.) के. जयप्रसाद)
स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष, सीएसआर समिति



1 सितंबर 2024 को प्रमुख कार्यकारी

मुख्य व्यवसायिक कार्यालय
नई दिल्ली
अध्यक्ष
अमरेन्दु प्रकाश

निदेशक
व्यावसायिक
श्री विजेन्डला श्रीनिवासा चक्रवर्थी
वित्त
अनिल कुमार तुल्सीआनी
कार्मिक
कृष्ण कुमार सिंह
तकनीकी, परियोजनाएँ एवं कच्चा माल
अरविंद कुमार सिंह

कार्यकारी निदेशक
जागरूकता
संजय शर्मा
परियोजनाएं
डी. वी. जगन्नाथ
सी एंड आईटी
पुनीत शर्मा
आंतरिक लेखा परीक्षा
मानस बोस
सीएमएमजी
एस. जे. अहमद
वित्त एवं लेखा
प्रवीण निगम
कार्मिक प्रशासन
बी. एस. पोपली
अध्यक्ष सचिवालय
अरिंदम दासगुप्ता

ईडी (एफ एंड ए) और कंपनी सचिव
एम. बी. बालाकृष्णन

कॉर्पोरेट मामलों के प्रमुख
डॉ. चिन्मय समझदार, सीजीएम

प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान
संजय धर, सीजीएम (एचआर–एलएंडडी)

विकास विभाग
एस. सेनगुप्ता, सीजीएम (सुरक्षा)

पर्यावरण प्रबंधन विभाग
कार्यकारी निदेशक
देबब्रत दत्ता

सेल सुरक्षा संगठन
एस. वशिष्ट, सीजीएम (सुरक्षा)

कानून और पीएलओ
एस.बी. माथुर, सीजीएम

इस्पात संयंत्र/इकाइयाँ
भिलाई इस्पात संयंत्र
निदेशक प्रभारी, बीएसपी
अनिर्बान दासगुप्ता
कार्यकारी निदेशक
कार्य
अंजनी कुमार
परियोजनाएं
एस. मुखोपाध्याय
सामग्री प्रबंधन
ए. के. चक्रवर्ती
वित्त एवं लेखा
डॉ. ए. के. पांडा
मानव संसाधन
पवन कुमार
खदान
बी. के. गिरि

दुर्गापुर स्टील प्लांट
निदेशक-प्रभारी, आईएसपी और डीएसपी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह
कार्यकारी निदेशक
परियोजनाएं
पी. मुरुगेसन
सामग्री प्रबंधन
के. भट्टाचार्जी
कार्य
दीप्तेंदु घोष

राउरकेला स्टील प्लांट
निदेशक-प्रभारी, आरएसपी
अतानु भौमिक
कार्यकारी निदेशक
कार्य
एस. आर. सूर्यवंशी
मानव संसाधन
तरूण मिश्रा, अतिरिक्त होल्डिंग ईडी (परियोजनाएं) का प्रभार
खदान
आलोक वर्मा
वित्त एवं लेखा
ए. के. बेहूरिया

बोकारो स्टील प्लांट
निदेशक-प्रभारी, बीएसएल
वीरेंद्र कुमार तिवारी
कार्यकारी निदेशक
परियोजनाएं
सी.आर. महापात्रा
वित्त एवं लेखा
सुरेश रंगानी
मानव संसाधन
आर. प्रसाद, अतिरिक्त होल्डिंग ईडी (कार्य) का प्रभार
खदान
जे. दासगुप्ता
कोयला खान
अनुप कुमार

इस्को स्टील प्लांट
निदेशक-प्रभारी, आईएसपी और डीएसपी
बृजेंद्र प्रताप सिंह
कार्यकारी निदेशक
परियोजनाएं
सुरजीत मिश्रा
सामग्री प्रबंधन
अभिक डे
कार्य
एम.आर. गुप्ता

अलॉय स्टील्स प्लांट
कार्यकारी निदेशक
वी.के. पांडेय

विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट
कार्यकारी निदेशक
बी.एल. चांदवानी

इकाइयां
लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केंद्र
कार्यकारी निदेशक
एस.के. कर
सेल डिजिटल परिवर्तन प्रभाग
कार्यकारी निदेशक
वेद प्रकाश

इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र
कार्यकारी निदेशक
एस.के. वर्मा

केंद्रीय विपणन संगठन
कार्यकारी निदेशक
वाणिज्यिक
विनोद गुप्ता, अतिरिक्त ईडी (एसपीयू) का प्रभार
मार्केटिंग
संजय अग्रवाल
मार्केटिंग सेवाएं
मोहन राजा सुरेश
वित्त एवं लेखा
एस.के. शर्मा
बिक्री एवं आईटीडी
अतुल माथुर

लॉजिस्टिक्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर
कार्यकारी निदेशक
एस.के. दास

सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट
कार्यकारी निदेशक
पी.के. रथ

चंद्रपुर फेरो अलॉय प्लांट
कार्यकारी निदेशक
के. रामकृष्ण

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003
सीआईएनः L27109DL1973GOI006454

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 52वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को 1030 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगीः

साधारण व्यवसाय

मद संख्या 1-ऑडिट किए गए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों को स्वीकृति देना

निम्नलिखित को प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना

(i) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिट किए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, साथ ही निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

(ii) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिट किए गए समेकित वित्तीय विवरण, साथ ही उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

मद संख्या 2-निदेशक की पुनर्नियुक्ति

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह (डीआईएनः08665585) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना, जो इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं।

मद संख्या 3-निदेशक की पुनर्नियुक्ति

श्री अनिल कुमार तुल्सीआनी (डीआईएनः 08742907) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना, जो इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं।

मद संख्या 4-लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

मद संख्या 5-लाभांश

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 10/– रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1.00 रुपये की दर से अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 10/– रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1.00 रुपये की दर से अंतिम लाभांश घोषित करना।

विशेष कार्य

मद संख्या 6-निदेशक की नियुक्ति

श्री बीरेंद्र कुमार तिवारी (डीआईएनः 09699855) को पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करने तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करने तथा यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के निम्नलिखित को एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करने के लिएः

"**प्रस्तावित किया गया कि** श्री बीरेंद्र कुमार तिवारी (डीआईएन 09699855), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 तथा कंपनी के संस्थागत आंतरिक नियमों अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा जो इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद पर हैं तथा जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है तथा वे रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे।"

मद संख्या 7- सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर जारी करके उधार लेने की सहमति प्राप्त करना तथा कंपनी की परिसंपत्तियों पर भार सृजित करने की सहमति प्राप्त करना, तथा इस संबंध में विचार करना, तथा यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या उसके बिना विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

प्रस्तावित किया जाता कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 और अन्य लागू कानूनों/दिशानिर्देशों/विनियमों/परिपत्रों और कंपनी के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों के प्रावधानों के साथ पठित; ऐसे अन्य अनुमोदन, अनुमति और प्रतिबंधों के अधीन, जो आवश्यक हो सकते हैं, जिसमें दीर्घकालिक उधारदाताओं और डिबेंचर धारकों के ट्रस्टियों का अनुमोदन शामिल है, जहां भी लागू हो, और ऐसी शर्तों और संशोधनों के अधीन, जो उनमें से किसी के द्वारा ऐसे अनुमोदन, अनुमति और प्रतिबंध प्रदान करते समय निर्धारित या लगाए जा सकते हैं, कंपनी के निदेशक मंडल ('बोर्ड') या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति या ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा सहमत होने के अधीन, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, अन्य बातों के साथ–साथ, कंपनी के निदेशक मंडल ('बोर्ड') को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, 26 सितंबर, 2024 को होने वाली इस वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि से लेकर वित्तीय वर्ष 2025–26 में होने वाली एजीएम की तिथि तक की अवधि के दौरान 2,500 करोड़ रुपये तक के गैर–परिवर्तनीय सुरक्षित बांड/डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से किस्तों में धन जुटाने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिनमें पात्र निवेशक (चाहे निवासी और/या अनिवासी और/या संस्थान/निगमित निकाय और/या व्यक्ति और/या ट्रस्टी और/या बैंक या अन्यथा, घरेलू और/या एक या अधिक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में), अनिवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान, निकाय कॉर्पोरेट, कंपनियां, निजी या सार्वजनिक, या अन्य संस्थाएं, प्राधिकरण और ऐसे अन्य व्यक्ति, जो कंपनी के बॉन्ड/डिबेंचर धारक हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, एक या अधिक संयोजनों में, जिसमें ग्रीन–शू विकल्प (2,500 करोड़ रुपये की समग्र सीमा के अंदर, जैसा कि ऊपर बताया गया है) का ऐसे नियमों और शर्तों पर प्रयोग शामिल है, जैसा कि बोर्ड अपने विवेकानुसार तय कर सकता है।



इसके अतिरिक्त एतद द्वारा यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1)(क) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) और कंपनी के अंतर्नियमों के किसी भी अन्य लागू कानूनों और प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ('बोर्ड') या उसकी किसी समिति, या बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकरण को कंपनी की किसी भी चल और/या अचल संपत्ति पर, चाहे वह वर्तमान में हो या भविष्य में और कंपनी के पूर्ण या लगभग पूर्ण उपक्रम या उपक्रमों पर किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थानों, किराया खरीद/लीज कंपनियों, कॉर्पोरेट निकायों, धारकों के लिए ट्रस्टियों के पक्ष में कंपनी द्वारा सृजित मौजूदा प्रभार, बंधक और दृष्टिबंध के अतिरिक्त डिबेंचर/बॉन्ड/अन्य उपकरण/प्रतिभूतियां या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे नियमों और शर्तों और अनुबंधों पर प्रभार, दृष्टिबंध, बंधक, गिरवी रखने की सहमति दी जाती है, जैसा कि बोर्ड या उसकी कोई समिति या बोर्ड द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्राधिकारी, समय–समय पर डिबेंचर/बॉन्ड आदि जारी करके प्राप्त की गई या प्राप्त की जाने वाली धनराशि के उधार को सुरक्षित करने के लिए उचित समझे, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के अनुसार शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित सीमा से अधिक नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि गैर–परिवर्तनीय सुरक्षित बांड/डिबेंचर के किसी भी निजी प्लेसमेंट को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल ('बोर्ड') को इश्यू की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिसमें निवेशकों का वह वर्ग, जिन्हें बांड/डिबेंचर आवंटित किए जाने हैं, प्रत्येक चरण में आवंटित किए जाने वाले बांड/डिबेंचर की संख्या, इश्यू मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्कालीन प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रीमियम/छूट, इश्यू की राशि, बांड/डिबेंचर धारकों के एक वर्ग को इश्यू मूल्य पर छूट, लिस्टिंग, कोई घोषणा/बयान जारी करना आदि, जिन्हें निजी प्लेसमेंट प्रस्ताव पत्र में शामिल करना आवश्यक है और इस समय लागू कोई अन्य नियामक आवश्यकता, शामिल हैं।

यह भी प्रस्तावित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल और/या उसकी समिति, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित और प्राधिकृत किया जा सकता है, यदि कोई हो, को सभी आवश्यक कार्य, काम, कार्यवाही और अन्य चीजें करने और इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या प्रासंगिक समझे जाने वाले सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

यह भी प्रस्तावित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को इस प्रस्ताव में प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को निदेशकों की किसी भी समिति या कंपनी के किसी एक या अधिक निदेशकों को सौंपने के लिए अधिकृत किया जाता है।

मद संख्या 8-एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन-देन।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो एक साधारण प्रस्ताव के रूप में इसे पारित करना:

''प्रस्तावित किया जाता कि विनियमन 23(4) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') के अन्य लागू विनियमों, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, को संबंधित नियमों, यदि कोई हो, के साथ पठित, जैसा कि प्रत्येक को समय–समय पर संशोधित किया जाता है और संबंधित पार्टी लेनदेन पर कंपनी की नीति के अनुसार, सदस्यों द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल (जिसे आगे 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसमें इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय–समय पर बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त/गठित की जाने वाली कोई समिति शामिल मानी जाएगी) को एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड ('एनएसपीसीएल') जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है और तदनुसार सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 2(1)(जेडबी) के तहत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक संबंधित पार्टी है, के साथ कंपनी और एनएसपीसीएल के बीच सहमत शर्तों और नियमों पर 1 अप्रैल 2024 से वित्त वर्ष 2025–26 में होने वाली एजीएम तक ₹ 9,000 करोड़ तक के कुल मूल्य के लिए व्याख्यात्मक कथनों में उल्लिखित अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन के माध्यम से या एक साथ लिए गए लेनदेन या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा हो) करने के लिए मंजूरी दी जाती है, बशर्ते कि ऐसे अनुबंध(धों)/समझौतों/लेनदेन(नों) को कंपनी की सामान्य कारोबारी प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाए।

इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो आवश्यक हो सकती हैं, जिसमें इसके संबंध में नियमों और शर्तों, विधियों और तौर–तरीकों को अंतिम रूप देना और आवश्यक दस्तावेजों को अंतिम रूप देना और निष्पादित करना, जिनमें अनुबंध, योजनाएं, समझौते और ऐसे अन्य दस्तावेज शामिल हैं, उनके संबंध में आवेदन दाखिल करना और अभ्यावेदन करना और इस संबंध में लागू होने वाले सरकारी/नियामक प्राधिकरणों सहित प्रासंगिक प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करना और किसी भी मामले से निपटना, आवश्यक कदम उठाना शामिल है, जैसा कि बोर्ड इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए और इस संबंध में और इसके साथ प्रासंगिक किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे, सदस्यों की किसी और सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या अन्यथा इस उद्देश्य और इरादे के लिए कि सदस्यों को इस प्रस्ताव के अधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी गई मानी जाएगी।

इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को इस बात के लिए अधिकृत किया जाता है कि वह इसमें प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को किसी निदेशक या कंपनी सचिव या कंपनी के किसी अन्य अधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि को सौंप दे ताकि वह ऐसे सभी कार्य कर सके और ऐसे कदम उठा सके जो उपरोक्त प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे जाएं।

यह भी प्रस्ताव किया जाता कि किसी भी पूर्वगामी प्रस्ताव में संदर्भित या विचारित किसी भी मामले के संबंध में बोर्ड या बोर्ड

द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को सभी मामलों में अनुमोदित, अनुसमर्थित किया जाता है और उनकी पुष्टि की जाती है।

मद संख्या 9-बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन-देन।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो इसे एक **साधारण प्रस्ताव** के रूप में पारित करना:

''प्रस्तावित किया जाता कि विनियमन 23(4) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') के अन्य लागू विनियमों, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, को संबंधित नियमों, यदि कोई हो, के साथ पठित, जैसा कि प्रत्येक को समय–समय पर संशोधित किया जाता है और संबंधित पार्टी लेनदेन पर कंपनी की नीति के अनुसार, सदस्यों द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल (जिसे आगे 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसमें इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय–समय पर बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त/गठित की जाने वाली कोई समिति शामिल मानी जाएगी) को बोकारो पावर सप्लाई कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (बीपीएससीएल) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है और तदनुसार सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 2(1)(जेडबी) के तहत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक संबंधित पार्टी है, के साथ कंपनी और बीपीएससीएल के बीच सहमत शर्तों और नियमों पर 1 अप्रैल 2024 से वित्त वर्ष 2025–26 में होने वाली एजीएम तक ₹ 4,500 करोड़ तक के कुल मूल्य के लिए व्याख्यात्मक कथनों में उल्लिखित अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन के माध्यम से या एक साथ लिए गए लेनदेन या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा हो) करने के लिए मंजूरी दी जाती है, बशर्ते कि ऐसे अनुबंध(धों)/समझौतों/लेनदेन(नों) को कंपनी की सामान्य कारोबारी प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाए।

इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को एतद द्वारा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो आवश्यक हो सकती हैं, जिसमें इसके संबंध में नियमों और शर्तों, विधियों और तौर–तरीकों को अंतिम रूप देना और आवश्यक दस्तावेजों को अंतिम रूप देना और निष्पादित करना, जिनमें अनुबंध, योजनाएं, समझौते और ऐसे अन्य दस्तावेज शामिल हैं, उनके संबंध में आवेदन दाखिल करना और अभ्यावेदन करना और इस संबंध में लागू होने वाले सरकारी/नियामक प्राधिकरणों सहित प्रासंगिक प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करना और किसी भी मामले से निपटना, आवश्यक कदम उठाना शामिल है, जैसा कि बोर्ड इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए और इस संबंध में और इसके साथ प्रासंगिक किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे, सदस्यों की किसी और सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या अन्यथा इस उद्देश्य और इरादे के लिए कि सदस्यों को इस प्रस्ताव के अधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी गई मानी जाएगी।

इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को इस बात के लिए अधिकृत किया जाता है कि वह इसमें प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को किसी निदेशक या कंपनी सचिव या कंपनी के किसी अन्य अधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि को सौंप दे ताकि वह ऐसे सभी कार्य कर सके और ऐसे कदम उठा सके जो उपरोक्त प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे जाएं।

यह भी प्रस्ताव किया जाता कि किसी भी पूर्वगामी प्रस्ताव में संदर्भित या विचारित किसी भी मामले के संबंध में बोर्ड या बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को सभी मामलों में अनुमोदित, अनुसमर्थित किया जाता है और उनकी पुष्टि की जाती है।

मद संख्या 10- मिनास डे बंगा लिमिटेडा (मोजांबिक) के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो इसे एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

''प्रस्तावित किया जाता कि विनियमन 23(4) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') के अन्य लागू विनियमों, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, को संबंधित नियमों, यदि कोई हो, के साथ पठित, जैसा कि प्रत्येक को समय–समय पर संशोधित किया जाता है और संबंधित पार्टी लेनदेन पर कंपनी की नीति के अनुसार, सदस्यों द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल (जिसे आगे 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसमें इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय–समय पर बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त/गठित की जाने वाली कोई समिति शामिल मानी जाएगी) को मिनास डे बंगा लिमिटेडा (मोजांबिक) जो इंटरनैशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है और तदनुसार सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 2(1)(जेडबी) के तहत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक संबंधित पार्टी है, के साथ कंपनी और मिनास डे बंगा लिमिटेडा (मोजांबिक) के बीच सहमत शर्तों और नियमों पर 1 अप्रैल 2024 से वित्त वर्ष 2025–26 में होने वाली एजीएम तक ₹ 6,000 करोड़ तक के कुल मूल्य के लिए व्याख्यात्मक कथनों में उल्लिखित अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन के माध्यम से या एक साथ लिए गए लेनदेन या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा हो) करने के लिए मंजूरी दी जाती है, बशर्ते कि ऐसे अनुबंध(धों)/समझौतों/लेनदेन(नों) को कंपनी की सामान्य कारोबारी प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाए।

इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को एतद द्वारा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो आवश्यक हो सकती हैं, जिसमें इसके संबंध में नियमों और शर्तों, विधियों और तौर–तरीकों को अंतिम रूप देना और आवश्यक दस्तावेजों को अंतिम रूप देना और निष्पादित करना, जिनमें अनुबंध, योजनाएं, समझौते और ऐसे अन्य दस्तावेज शामिल हैं, उनके संबंध में आवेदन दाखिल करना और अभ्यावेदन करना और इस संबंध में लागू होने वाले सरकारी/नियामक प्राधिकरणों सहित प्रासंगिक प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करना और किसी भी मामले से निपटना, आवश्यक कदम उठाना शामिल है, जैसा कि बोर्ड इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए और इस संबंध में और इसके साथ प्रासंगिक किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे, सदस्यों की किसी और सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या अन्यथा इस उद्देश्य और इरादे के लिए कि सदस्यों को इस प्रस्ताव के अधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी गई मानी जाएगी।



इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को इस बात के लिए अधिकृत किया जाता है कि वह इसमें प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को किसी निदेशक या कंपनी सचिव या कंपनी के किसी अन्य अधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि को सौंप दे ताकि वह ऐसे सभी कार्य कर सके और ऐसे कदम उठा सके जो उपरोक्त प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे जाएं।

यह भी प्रस्ताव किया जाता कि किसी भी पूर्वगामी प्रस्ताव में संदर्भित या विचारित किसी भी मामले के संबंध में बोर्ड या बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को सभी मामलों में अनुमोदित, अनुसमर्थित किया जाता है और उनकी पुष्टि की जाती है।

मद संख्या 11-लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना तथा इस संबंध में विचार करना, तथा यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना।

''प्रस्तावित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियमावली, 2014 (इसमें वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है) की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, लागत लेखा परीक्षकों अर्थात मैसर्स शोम एंड बनर्जी, नई दिल्ली (राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और आईआईएससीओ स्टील प्लांट के लिए), मैसर्स निरन एंड कंपनी, भुवनेश्वर (भिलाई स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट के लिए, नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी, हैदराबाद (अलॉय स्टील्स प्लांट, सेलम स्टील प्लांट और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए) को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित ₹ 11,70,000/– जमा लागू कर का पारिश्रमिक, और समेकन और फाइलिंग के लिए क्रमशः ₹30,000/– और ₹ 12,000/– जमा लागू कर और दैनिक भत्ता, यात्रा व्यय और जेब से किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति का भुगतान एतद् द्वारा अनुमोदित किया जाता है।'

'इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए सभी कार्य करने और सभी आवश्यक, उचित या समीचीन कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।'

निदेशक मंडल के आदेश से

(एम.बी. बालाकृष्णन)
ईडी (एफएण्डए) एण्ड कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 3 सितम्बर 2024

पंजीकृत कार्यालय:
इस्पात भवन, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003
सीआईएनः L27109DL1973GOI006454

नोट:

1. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने विभिन्न परिपत्रों (सामूहिक रूप से 'लागू परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से सदस्यों की एक सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और लागू परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की सामान्य वार्षिक बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

2. लागू परिपत्रों के अनुसार, एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है तदनुसार, लागू परिपत्रों के अनुसार, एजीएम के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए, प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और रूट मैप नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से एजीएम में भाग लें।

3. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और 15 मिनट बाद वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। लागू परिपत्रों के अनुसार, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी।

4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

5. विशेष व्यवसाय मद संख्या 6 से 11 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति(यों) के नोटिस के मद संख्या 2,3 और 6 के अंतर्गत प्रासंगिक विवरण नोटिस के साथ संलग्न हैं।

6. संस्थागत/कॉर्पोरेट शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों/एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को अपने बोर्ड या शासी निकाय द्वारा अपने प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और उनकी ओर से मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले प्रस्ताव/प्राधिकरण आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) भेजनी होगी। उक्त प्रस्ताव/प्राधिकरण को जांचकर्ता को उसके पंजीकृत ईमेल पते sachinag1981@gmail.com पर भेजा जाएगा, जिसकी एक प्रति evoting@nsdl.com पर मार्क की जाएगी।

7. कंपनी ने 52वीं एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के मदों के संबंध में मतदान करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए गुरुवार 19 सितंबर, 2024 (व्यावसायिक घंटों का अंत) को कट–ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 की एजीएम के प्रयोजनार्थ कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 से गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 (19 सितंबर, 2024 को कारोबारी समय की समाप्ति से) तक बंद रहेगा।

कंपनी ने एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदन के अधीन, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने हेतु गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 (कारोबारी समय की समाप्ति) को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में तय किया था। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान और एजीएम के प्रयोजनार्थ कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 से 26 सितंबर, 2024 (19 सितंबर, 2024 को कारोबारी समय की समाप्ति से) तक बंद रहेगा। यदि वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अंतिम लाभांश का भुगतान अनुमोदित कर दिया जाता है, तो अनुमोदन की तिथि से 30 दिनों के अंदर स्रोत पर आयकर की कटौती (टीडीएस) के अधीन भुगतान किया जाएगा, जैसा कि निम्नानुसार है

- **भौतिक रूप में रखे गए इक्विटी शेयर:** 19 सितंबर, 2024 को कारोबारी समय की समाप्ति पर कंपनी के पास दर्ज किए गए वैध अनुरोधों के संबंध में वैध ट्रांसमिशन और ट्रांसपोज़िशन को प्रभावी करने के बाद सभी सदस्यों को। सेबी ने 03 नवंबर, 2021 के अपने परिपत्र (बाद में 14 दिसंबर, 2021, 16 मार्च, 2023 और 17 नवंबर, 2023 के परिपत्रों द्वारा संशोधित) के माध्यम से अनिवार्य किया कि प्रतिभूति धारक (भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले), जिनके फोलियो केवाईसी विवरण (कोई भी विवरण जैसे कि पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण और हस्ताक्षर, यदि कोई हो) के साथ अपडेट नहीं हैं, ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन सहित किसी भी भुगतान के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पात्र होंगे।
- **इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए इक्विटी शेयर:** शेयरों के सभी लाभकारी मालिकों को, 19 सितंबर, 2024 को कारोबारी समय की समाप्ति पर, इस प्रयोजन के लिए डिपॉजिटरी द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार।

वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के हाथों में लाभांश आय कर योग्य है और कंपनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को दिए गए लाभांश से स्रोत पर कर काटना आवश्यक है। इस संबंध में, विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, शेयरधारकों से आयकर अधिनियम, 1961 और उसके संशोधनों का संदर्भ लेने का अनुरोध किया जाता है। सामान्य तौर पर, टीडीएस आवश्यकताओं के अनुपालन को सक्षम करने के लिए, सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') के साथ अपनी आवास का पता, पैन, श्रेणी का विवरण पूरा करें और/या अपडेट करें या यदि शेयर भौतिक रूप में हैं,



तो कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स ('आरटीए') के साथ ई–मेल के माध्यम से दस्तावेज भेजकर और इसके अलावा, सदस्यों से उपरोक्त ई–मेल के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि वे 7 सितंबर, 2024 को या उससे पहले आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित शून्य/निम्न दर पर कर की कटौती के लिए आवश्यक/निर्धारित दस्तावेज जमा करें।

8. मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (एमसीएसटीएएल) कंपनी की संपूर्ण शेयर संबंधी गतिविधियों जैसे कि ट्रांसफर/ट्रांसमिशन/ट्रांसपोजिशन/डीमटेरियलाइजेशन/रीमटेरियलाइजेशन/शेयरों का विभाजन/ समेकन, पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन दाखिल करना, लाभांश भुगतान और संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरएंडटीए) के रूप में कार्य कर रहा है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर ट्रांसफर और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित सभी भावी पत्राचार केवल इस एजेंसी के साथ निम्नलिखित पते पर करें:

मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,
एफ–65, पहली तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1,
नई दिल्ली–110020
फोन नंबर: 011–41406149,
ई–मेल: admin@mcsregistrars.com

9. डिमैटीरियलाइजेशन

i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के अनुसार, सेल के इक्विटी शेयरों को ट्रेडिंग के उद्देश्य से अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में वितरित किया जाना चाहिए। **इसके अलावा, सेबी ने अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/24 दिनांक 8 जून, 2018 (बाद में संशोधित) के माध्यम से यह अनिवार्य किया है कि 1 अप्रैल, 2019 से (सेबी/एमआईआरएसडी/डीटीएएमबी/सीआईआर/पी/2020/166 दिनांक 7 सितंबर, 2020) सूचीबद्ध कंपनी में शेयरों का हस्तांतरण केवल डीमैट फॉर्म में ही होगा। हालाँकि अधिकांश शेयरधारकों ने अपनी होल्डिंग्स को डीमैट प्रारूप में बदल दिया है, लेकिन यह देखा गया है कि कुछ शेयरधारक अभी भी अपने शेयरों को कागजी रूप (भौतिक) में रखते हैं। इस संबंध में, शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा अधिकृत किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास डीमैट अकाउंट खोलें और अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज करें।**

ii) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिनके फोलियो केवाईसी विवरण (पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण और हस्ताक्षर, यदि कोई हो) के साथ अपडेट नहीं हैं, उन्हें अपने केवाईसी विवरण आरएंडटीए में अपडेट करने चाहिए, जो अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म (डीमैट) में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना केवाईसी पूरा करना चाहिए।

iii) जिन सदस्यों ने अपनी होल्डिंग के संबंध में नामांकन नहीं किया है, उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है। नामांकन करने के लिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को कंपनी के आरटीए से नामांकन फॉर्म एकत्र करने की सलाह दी जाती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

iv) **ईएफटी अधिदेश (मंडेट)**

भौतिक या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे कंपनी से भविष्य में किसी भी भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (ईएफटी)/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (एनईसीएस) का विकल्प चुनें। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 20 अप्रैल, 2018 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/डीओपी 1/ सीआईआर / 2018/73 के माध्यम से निर्देश दिया है कि लाभांश का भुगतान केवल अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाए और शेयरधारकों के बैंक विवरण और स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त किए जाएं, यदि कंपनी के पास पहले से उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके फोलियो के विरुद्ध अपडेट किए जाएं। ईएफटी के तहत, भुगतान निर्देश बैंकर (भुगतानकर्ता के बैंकर) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्लियरिंग अथॉरिटी (आरबीआई या एसबीआई) को जारी किया जाता है। इसके अलावा, सेबी ने 17 मई 2023 के मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/70 और 17 नवंबर 2023 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/181 के संशोधन के जरिए यह अनिवार्य किया है कि सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 01 अप्रैल 2024 से, ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित भुगतान उपरोक्त परिपत्र की आवश्यकताओं का अनुपालन में केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा। सेल द्वारा अपने आरटीए के माध्यम से प्रतिभूति धारक को एक सूचना भेजी जाएगी कि ऐसा भुगतान देय है।

10. एक से अधिक फोलियो में समान नाम वाले शेयर धारक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी/आरएंडटीए को अपने शेयर प्रमाणपत्र संलग्न करके लिखें, ताकि कंपनी उनकी होल्डिंग को एक ही फोलियो में समेकित कर सके।

11. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014–15 (अंतिम) तक के अघोषित लाभांश को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित कर दिया है। इसके बाद कंपनी ने निम्नलिखित लाभांश का भुगतान किया है:

वर्ष	अंतरिम लाभांश (प्रतिशत)	(द्वितीय) अंतरिम लाभांश (प्रतिशत)	अंतिम लाभांश (प्रतिशत)
2015-2016	-	-	-
2016-2017	-	-	-
2017-2018	-	-	-
2018-2019	-	-	5.00

वर्ष	अंतरिम लाभांश (प्रतिशत)	(द्वितीय) अंतरिम लाभांश (प्रतिशत)	अंतिम लाभांश (प्रतिशत)
2019-2020	-	-	-
2020-2021	10.00	-	18.00
2021-2022	40.00	25.00	22.50
2022-2023	10.00	-	5.00
2023-2024	10.00	-	

जिन शेयरधारकों ने उपर्युक्त अनुसार अपने लाभांश वारंट का दावा/नकदीकरण नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के समक्ष अपने दावे पेश करें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियममावली, 2016, ('नियमावली') यह प्रावधान करता है कि, इस धारा के अनुसरण में किसी कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरित कोई भी धनराशि जो ऐसे हस्तांतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक या दावा न किए जाने पर रह जाती है, उसे कंपनी द्वारा उस पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, के साथ निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014–15 (अंतिम) तक अपने द्वारा घोषित सभी अवैतनिक/दावा न किए गए लाभांश को हस्तांतरित कर दिया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित नियममावली यह प्रावधान करते हैं कि ऐसे सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, कंपनी द्वारा आईईपीएफ के नाम पर हस्तांतरित किए जाएंगे। कंपनी ने प्रावधानों का अनुपालन किया है और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद वित्तीय वर्ष 2014–15 (अंतिम) तक आईईपीएफ को हस्तांतरण के लिए पात्र हो चुके शेयरों को हस्तांतरित कर दिया है। जब भी शेयर आईईपीएफ को हस्तांतरित होने वाले होते हैं, कंपनी संबंधित शेयरधारकों को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर संचार भेजती है, जिनका लाभांश लगातार सात वर्षों से भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है, जिसमें आईईपीएफ को हस्तांतरित होने वाले शेयरों का पूरा विवरण दिया गया है। कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों को शेयरों के हस्तांतरण से बचने के लिए अपने दावा न किए गए लाभांश को भुनाने की सलाह देते हुए समाचार पत्रों में नोटिस भी प्रकाशित किया है।

इसके अलावा, पहले से ही आईईपीएफ में हस्तांतरित शेयरों के बदले मिलने वाला लाभांश भी आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।

कंपनी सचिव आईईपीएफ प्राधिकरण के लिए कंपनी का नोडल अधिकारी है।

12. खातों या नोटिस में शामिल किसी अन्य मामले पर आगे की जानकारी चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक से कम से कम 10 दिन पहले sail52agm.2024@sail.in. पर ईमेल के माध्यम से कंपनी को लिखें। इसका उचित उत्तर दिया जाएगा।

13. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की कॉर्पोरेट प्रशासन में हरित पहल

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('मंत्रालय') ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनियों द्वारा कागज रहित अनुपालन का निर्देश दे कर 'कॉर्पोरेट प्रशासन में हरित पहल' की है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, कंपनियां अब अपने शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से विभिन्न नोटिस/दस्तावेज (सामान्य बैठक(ओं) को बुलाने वाले नोटिस, ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट आदि सहित) अपने शेयरधारकों के पंजीकृत ईमेल पते पर भेज सकती हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त नोटिस/दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्राप्त करने का विकल्प चुनें। उनसे अनुरोध है कि वे इस उद्देश्य के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी या कंपनी के आरएंडटीए यानी मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड के साथ ऊपर दिए गए पते पर अपना ई–मेल आईडी पंजीकृत करें या admin@mcsregistrars.com पर ई–मेल करें।

कृपया ध्यान दें कि ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर भी उपलब्ध होंगे।

14. इस नोटिस में संदर्भित दस्तावेज और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 और धारा 189 में संदर्भित रजिस्टर, एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। नोटिस में संदर्भित ऐसे सभी दस्तावेज भी इस नोटिस के प्रसारित होने की तिथि से एजीएम की तिथि तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। खातों के निरीक्षण या एजीएम में रखे जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में निरीक्षण या कोई जानकारी चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे 16 सितंबर, 2024 को या उससे पहले sail52agm.2024@sail.in पर ईमेल के जरिए कंपनी को लिखें। कंपनी द्वारा इसका उचित उत्तर दिया जाएगा।

15. लागू परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट और अन्य रिपोर्टों के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के पास उपलब्ध हैं। सदस्य ध्यान दें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

16. धोखाधड़ी वाले लेन–देन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरतें और किसी भी सदस्य के पते में किसी भी बदलाव या निधन के बारे में जल्द से जल्द कंपनी को सूचित करें। यह भी सलाह दी जाती है कि सदस्यों को अपने डीमैट खातों को निष्क्रिय होने से बचाना चाहिए। डीमैट खातों में होल्डिंग्स का विवरण नियमित रूप से संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) से प्राप्त किया जाना चाहिए और होल्डिंग्स को समय–समय पर सत्यापित किया जाना चाहिए।

17. सेबी ने 31 जुलाई, 2023 के परिपत्र के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के



लिए एक सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल पर अपलोड किया है। निवेशक अपनी शिकायतों के समाधान के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों को समाप्त करने के बाद ओडीआर पोर्टल (https://smartodr.in/login) के माध्यम से विवाद समाधान शुरू कर सकते हैं।

18. एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग के लिए सामान्य जानकारी और निर्देश:

I. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी को अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में विचार किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्नता हो रही है। सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके और एजीएम में ई–वोटिंग के जरिए अपना वोट डाल सकते हैं।

II. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे वोट नहीं डाल सकते।

III. कंपनी ने रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं।

IV. कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी सचिव फर्म मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स में कार्यरत कंपनी सचिव श्री सचिन अग्रवाल (और उनकी अनुपस्थिति में मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स की सुश्री श्वेता जैन) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है और उन्होंने इस उद्देश्य के लिए नियुक्त होने और उपलब्ध होने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

V. एजीएम में उपस्थित होने और प्रस्तावों पर मतदान करने के लिए सदस्यों की पात्रता को मान्यता देने की **कट-ऑफ** तारीख 19 सितंबर, 2024 होगी। एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि अर्थात 19 सितंबर, 2024 को **'कारोबारी समय की समाप्ति तक'** दर्ज है केवल वही एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

VI. एक व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रसारित होने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि 19 सितंबर, 2024 को शेयर रखता है, **वह एजीएम की इस सूचना में दिए गए लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया का पालन कर सकता है।**

VII. रिमोट ई–वोटिंग अवधि 22 सितंबर, 2024 (सुबह 9:00 बजे) से शुरू होती है और 25 सितंबर, 2024 (शाम 5:00 बजे) को समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान, 19 सितंबर, 2024 की कट–ऑफ तिथि तक भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के जरिए अपना वोट डाल सकते हैं। उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग के लिए अक्षम कर दिया जाएगा। **एक बार किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने या फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।**

VIII. ई–वोटिंग और रिमोट ई–वोटिंग के जरिए एजीएम में डाले गए वोटों की जांच करने के बाद, जांचकर्ता एजीएम के समापन से दो कार्य दिवसों के अंदर एक समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा। समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट– www.sail.co.in और एनएसडीएल की वेबसाइट पर रखे जाएंगे। परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को एक साथ सूचित किए जाएंगे।

IX. अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त होने पर, प्रस्ताव एजीएम की तिथि अर्थात 26 सितंबर, 2024 को पारित माने जाएंगे।

X. **दूरस्थ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके निम्नानुसार है:**

क. एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने का तरीका "दो चरणों" से मिलकर बना है, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम

(I) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई–वोटिंग सुविधा पर सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के संबंध में और मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले सभी व्यक्तिगत सदस्यों को अपने डीमैट खातों/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइटों के माध्यम से वोट करने के लिए ई–वोटिंग सुविधा प्रदान की जा रही है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

सदस्यों का प्रकार	लॉग इन विधि
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।	**1. एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा यदि उपयोगकर्ता एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत है:** (क) कृपया पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर एनएसडीएल की ई–सर्विस वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर जाएँ। (ख) होमपेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" के अंतर्गत **''लाभार्थी मालिक''** आइकन पर क्लिक करें जो **'आईडीईएएस'** सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। (ग) एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई–वोटिंग सेवाएँ देख पाएँगे। (घ) ई–वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत **''ई-वोटिंग एक्सेस''** पर क्लिक करें और आप ई–वोटिंग पेज देख पाएँगे। (ड़) कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल** के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। **यदि उपयोगकर्ता आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं है:** (क) पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। (ख) **''आईडीईएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण''** को चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। (ग) सफल पंजीकरण के बाद, कृपया ऊपर दिए गए बिंदु 1(क) से 1(ड़) में दिए गए चरणों का पालन करें। **2. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ।** (क) किसी पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएलः https://www.evoting.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। (ख) ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, **'शेयरधारक/सदस्य'** अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें। (ग) एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल में आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए अनुसार एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। (घ) सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई–वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान ईवोटिंग करने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। **3. मोबाइल ऐपः** सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीड ई" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। NSDL Mobile App is available on App Store Google Play

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई–वोटिंग पेज पर पहुंचने के लिए यह विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi/Easiest में लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए यूआरएल www.cdslindia.com है और लॉगिन आइकन और न्यू सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा myeasi उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करें। 2. Easi/Easiest के सफल लॉगिन के बाद, कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता के लिंक के सामने उपलब्ध ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई–वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। 3. यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://cdslindia.com पर उपलब्ध है। लॉगिन और न्यू सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर दिए गए लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई–वोटिंग पेज पर पहुँच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज किए गए पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को कंपनियों के ई–वोटिंग विकल्प और सभी ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं के लिंक भी दिखाई देंगे।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉग इन करें।	1. आप ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। 2. लॉग इन करने पर, आप ई–वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई–वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। 3. कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल** के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी भूल जाएं और पासवर्ड भूल जाएं विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉग इन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर या 022–48867000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800–21–09911 पर संपर्क कर सकते हैं।



(II) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएलः https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
2. ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'शेयरहोल्डर/सदस्य' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप NSDL ई–सेवाओं यानी IDEAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDEAS लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग–इन कर सकते हैं। अपने लॉग–इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके NSDL ई–सेवाओं में लॉग–इन करने के बाद, ई–वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 में जा सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट सकते हैं।
4. आपकी यूजर आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर धारिता का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक रूप में	आपकी आईडी होगी:
क) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के पास डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	8 अक्षरों की डीपी आईडी जिसके बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी। उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** और क्लाइंट आईडी 12******है तब आपकी यूजर आईडी है IN300***12******
ख) उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी। उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12********** है तब आपकी यूजर आईडी होगी 12**********
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	कंपनी के साथ पंजीकृत फ़ोलियो नंबर के बाद सम संख्या। उदाहरण के लिए यदि फ़ोलियो नंबर 001*** है और सम संख्या 101456 है तो उपयोगकर्ता आईडी 101456001*** होगी

5. व्यक्तिगत सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:
   क) यदि आप पहले से ही ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
   ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अनिवार्य रूप से अपना पासवर्ड बदलने के लिए निर्देशित करेगा।
   ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे पुनः प्राप्त करें?
      (i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल से आपको भेजे गए ईमेल को ट्रेस करें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट अर्थात एक .pdf फाइल खोलें। .pdf फाइल को खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फ़ोलियो नंबर है। .pdf फाइल में आपकी 'यूज़र आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।
      (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें **जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं।**
6. यदि आप 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त करने में असमर्थ हैं या आपको प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं:
   क) यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रखते हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध **'उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?'** य विकल्प पर क्लिक करें।
   ख) यदि आप भौतिक रूप में शेयर रखते हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध **'भौतिक उपयोगकर्ता रिसेट पासवर्ड'** विकल्प पर क्लिक करें।
   ग) यदि आप उपरोक्त दोनों विकल्पों द्वारा भी पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, अपने पैन, अपने नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.com पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।
   घ) सदस्य एनएसडीएल के ई–वोटिंग सिस्टम पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके 'नियम और शर्तों' से सहमति पर टिक करें।
8. अब आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद ई–वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों।

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और आम बैठक में कैसे शामिल हों?

1. चरण 1 में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों के "इवन" को देख पाएंगे जिनमें आप शेयर रखते हैं और जिनका वोटिंग चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।
2. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के "इवन" का चयन करें जिसके लिए आप रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालें। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको 'ज्वाइन मीटिंग' के अंतर्गत दिए गए "VC/OAVM" लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप ई–वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि वोटिंग पेज खुल जाता है।
4. उचित विकल्प अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत मिलने पर **'सबमिट'** और **'पुष्टि करें'** बटन पर क्लिक करें।
5. पुष्टि होने पर, "वोट सफलतापूर्वक डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।
6. आप पुष्टि पष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपना वोट पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

III. उन सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया, जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी/कंपनी के पास पंजीकृत नहीं है:

सदस्य ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं:

1. यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, सदस्य का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया डीपीआईडी–क्लाइंट आईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + क्लाइंट आईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), सदस्य का नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें।
3. यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप **चरण 1 (क)** में बताई गई लॉगिन विधि, अर्थात ई–वोटिंग के लिए **लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने की विधि को संदर्भित करें।**
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

ख. किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022–48867000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वरिष्ठ प्रबंधक **सुश्री पल्लवी म्हात्रे को निर्दिष्ट ईमेल आईडी- pallavid@nsdl.com या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।**

XI. VC/OAVM के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्य एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम (https://www.evoting.nsdl.com) के माध्यम से VC/OAVM के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे। **एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुँच के लिए** सदस्य ऊपर बताए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, सदस्य कंपनी के नाम के सामने **'ज्वाइन मीटिंग'** मेनू के अंतर्गत दिए गए "VC/OAVM" लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। VC/OAVM के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी का इवन प्रदर्शित होगा।

   जिन सदस्यों के पास ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे इस नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई–वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
2. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा एजीएम के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुलेगी और सदस्यों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी। बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के 15 मिनट बाद बंद हो जाएगी।
3. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे एनएसडीएल से evoting@nsdl.com पर संपर्क कर सकते हैं या **नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे से लैंडलाइन नंबर 022-48867000 पर या ईमेल आईडी** pallavid@nsdl.com **पर संपर्क कर सकते हैं।**
4. जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर बताते हुए अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना अनुरोध sail52agm.2024@sail.in पर 20 सितंबर, 2024 (सुबह 9:00 बजे आईएसटी) से 22 सितंबर, 2024 (शाम 5:00 बजे आईएसटी) तक भेजकर खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। उन्हें कंपनी एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

   इसके अलावा, जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त उल्लिखित अनुसार प्रश्नों प्रश्न भेजें।

   केवल वे सदस्य जो वार्षिक आम बैठक में भाग ले रहे हैं तथा जिन्होंने दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है (वार्षिक आम बैठक से पहले) तथा अन्यथा ऐसा करने पर रोक नहीं है, वे वार्षिक आम बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।

XII. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड प्रस्ताव/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ, जो वोट करने के लिए अधिकृत हैं, जांचकर्ता को sachinag1981@gmail.com पर ई–मेल द्वारा भेजनी होगी, जिसकी एक प्रति एनएसडीएल की ईमेल आईडी–evoting@nsdl.com पर भी अंकित होगी। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) अपने लॉगिन में 'ई–वोटिंग' टैब के अंतर्गत प्रदर्शित 'बोर्ड प्रस्ताव/प्राधिकरण पत्र अपलोड करें' पर क्लिक करके भी अपना बोर्ड प्रस्ताव/प्राधिकरण पत्र आदि अपलोड कर सकते हैं।

XIII. यह अनिवार्यतः अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने का अत्यधिक ध्यान रखें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों के बाद ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?" विकल्प का उपयोग करना होगा।

XIV. जो व्यक्ति नोटिस भेजे जाने के बाद लेकिन **कट-ऑफ तिथि (19 सितंबर, 2024)** या उससे पहले कंपनी के सदस्य बन गए हैं, वे एनएसडीएल को evoting@nsdl.com पर मेल करके यूजर आईडी और पासवर्ड मांग सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होने पर, वोट डालने के लिए ऊपर चरण 2 में दिए गए निर्देशों का पालन करें।



नोटिस का अनुलग्नक
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) के अनुसार व्याख्यात्मक कथन

मद संख्या 6

भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय के आदेश संख्या एस14016/1/2023–बीएलए दिनांक 19 अप्रैल, 2024 के अनुसार, श्री बीरेंद्र कुमार तिवारी (डीआईएनः09699855) को 20 अप्रैल, 2024 से कंपनी का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है, जो कि अगली आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा उनकी नियुक्ति के अधीन है। निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 20 अप्रैल, 2024 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात 31 अगस्त, 2025 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार, वह आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद पर बने रहेंगे। उक्त अधिनियम की धारा 160 के तहत कंपनी के निदेशक पद के लिए उम्मीदवार के रूप में श्री बीरेंद्र कुमार तिवारी का नाम प्रस्तावित करते हुए नोटिस प्राप्त हुआ है। श्री तिवारी बीआईटी, सिंदरी से बीएससी इंजीनियरिंग (धातुकर्म) पूरा करने के बाद 1989 में बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) में मैनेजमेंट ट्रेनी (तकनीकी) के रूप में सेल में शामिल हुए थे। उन्होंने लगभग तीस वर्षों तक विभिन्न क्षमताओं में बीएसएल में कोक ओवन विभाग की सेवा की और विभाग के संचालन के विभिन्न पहलुओं का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जून, 2017 में उन्हें महाप्रबंधक (कोक ओवन) के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसे बाद में सितंबर, 2019 में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में फिर से नामित किया गया। अगस्त, 2020 में उन्हें संक्षिप्त अवधि के लिए बीएसएल के मुख्य महाप्रबंधक (सेवाएं) का दायित्व सौंपा गया। श्री तिवारी को 1 जून, 2021 से कार्यकारी निदेशक (कोलियरीज डिवीजन) के रूप में पदोन्नत किया गया, जहां उन्होंने लगभग एक वर्ष बिताया। कोयला खान डिवीजन में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए कोलियरीज डिवीजन के तहत खदानों की परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कई पहल कीं। श्री तिवारी को जून, 2022 में बीएसएल के कार्यपालक निदेशक (कार्य) के पद पर स्थानांतरित किया गया। बीएसएल के प्रभारी निदेशक के रूप में अपना नया कार्यभार संभालने से पहले वे कार्य प्रभाग के प्रमुख के रूप में संयंत्र का नेतृत्व करते रहे। एक दूरदर्शी नेता, टेक्नोक्रेट और प्रशासक, श्री तिवारी को संयंत्र संचालन के विभिन्न पहलुओं में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। कार्यपालक निदेशक (कार्य) के रूप में उनके कुशल नेतृत्व में, बीएसएल ने वित्तीय वर्ष 2023–24 में अब तक के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन आंकड़ों और सर्वांगीण उत्कृष्टता के साथ नई ऊंचाइयों को छुआ। वह बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी हैं।

श्री बीरेंद्र कुमार तिवारी अधिनियम की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं और उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। श्री बीरेंद्र कुमार तिवारी और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कंपनी में उनकी शेयरधारिता हित की सीमा तक, यदि कोई हो, कंपनी के अन्य निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों/उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, नोटिस के आइटम नंबर 6 में निर्धारित संकल्प में किसी भी तरह से वित्तीय या अन्यथा चिंतित या इच्छुक नहीं है।

बोर्ड यह वांछनीय मानता है कि कंपनी को निदेशक के रूप में उनकी सेवाओं का लाभ उठाना जारी रखना चाहिए और शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की सिफारिश करता है।

मद संख्या 7

सेल विज़न 2030 के अनुसार, कंपनी वर्ष 2031 तक अपनी क्रूड स्टील उत्पादन क्षमता को मौजूदा 19.10 एमटीपीए से बढ़ाकर 35.65 एमटीपीए करने पर काम कर रही है। भविष्य के पूंजीगत व्यय को ऋण और इक्विटी के मिश्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा दीर्घकालिक ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए धन की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। इसलिए, दीर्घकालिक ऋणों की उपलब्धता के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से, कंपनी इस वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि से लेकर वित्त वर्ष 2025–26 में होने वाली एजीएम तक या कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू कानूनों के तहत अनुमत ऐसी अन्य अवधि के दौरान सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर/बॉन्ड के माध्यम से उधार लेने का विकल्प चुनने की योजना बना रही है। इसलिए, पूर्वोक्त अवधि के दौरान 2,500 करोड़ रुपये तक गैर–परिवर्तनीय सुरक्षित बॉन्ड/डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से धन जुटाने का प्रस्ताव है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 के अनुसार कंपनी को गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर/बॉन्ड के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से धन जुटाने के लिए विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की स्वीकृति लेने का अधिकार देता है। तदनुसार, नोटिस के आइटम नंबर 7 में निर्धारित प्रस्ताव के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति 2,500 करोड़ रुपये तक की राशि के लिए सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर/बॉन्ड की सदस्यता के लिए प्रस्ताव या निमंत्रण द्वारा धन उधार लेने के लिए मांगी जा रही है। यह संकल्प इस एजीएम की तारीख से वित्तीय वर्ष 2025–26 में होने वाली एजीएम की तारीख तक वैध होगा। सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर/बॉन्ड की शर्तें और नियम निदेशक मंडल/उसकी समिति या किसी एक या अधिक निदेशकों द्वारा तय किए जाएंगे, जैसा कि आवश्यक हो सकता है।

कंपनी के उधार को सामान्यतः कंपनी की सभी या किसी चल या अचल संपत्ति पर बंधक/प्रभार/दृष्टिबंधक या भार द्वारा सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क) के अनुसार सदस्यों की सहमति मांगी जा रही है ताकि कंपनी को कंपनी की किसी भी चल और/या अचल संपत्ति पर, चाहे वह वर्तमान में हो या भविष्य में और कंपनी के संपूर्ण या मूलतः संपूर्ण उपक्रम या उपक्रमों पर और जहां भी स्थित हो, कंपनी द्वारा बनाए गए विद्यमान प्रभारों, बंधकों और दृष्टिबंधकों के अतिरिक्त प्रभार, दृष्टिबंधक, बंधक, गिरवी रखने में सक्षम बनाया जा सके और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बोर्ड को अधिकृत किया जा सके।

बोर्ड आपके अनुमोदन के लिए विशेष संकल्प के रूप में संकल्प की अनुशंसा करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक और/या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार(रों) को नोटिस के मद संख्या 7 में निर्धारित संकल्प से कोई सरोकार या रुचि नहीं है।

मद संख्या 8 से 10 के लिए संदर्भ:

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 23, ('सेबी सूचीबद्धता विनियम'), जैसा कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (छठा संशोधन) विनियम, 2021 के माध्यम से संशोधित किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी है, में कहा गया है कि ₹ 1,000 करोड़ से अधिक या कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी कम हो, से अधिक कुल मूल्य वाले सभी सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन ('आरपीटी') के लिए एक साधारण प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। उक्त सीमाएँ लागू होती हैं, भले ही लेनदेन संबंधित कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में और एक दूरी के आधार पर हों। सेबी लिस्टिंग विनियमन के संशोधित विनियमन 2(1)(जेडसी) ने संबंधित पक्ष लेनदेन की परिभाषा को भी बढ़ाया है, जिसमें अब एक तरफ सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी और दूसरी तरफ सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबंधित पक्ष के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेन शामिल हैं, भले ही कोई कीमत ली गई हो या नहीं।

उपरोक्त संदर्भ में संकल्प संख्या 8 से 10 को कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए रखा गया है।

मद संख्या 8:

लेन-देन की पृष्ठभूमि, विवरण और लाभ

एनटीपीसी–सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एनएसपीसीएल) सेल और एनटीपीसी लिमिटेड का 50:50 संयुक्त उद्यम है।

एनएसपीसीएल राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में 1104 मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का मालिक है और सेल संयंत्रों को बिजली की आपूर्ति करता है, और बाहरी पार्टियों को भी बिजली बेचता है। सेल ने एनएसपीसीएल को पट्टे के आधार पर जमीन उपलब्ध कराई है। सेल साझा सुविधा समझौते की शर्तों के तहत एनएसपीसीएल को जल भी देता है। दुर्गापुर में, सेल एनएसपीसीएल संयंत्र को तापीय कोयला भी आपूर्ति करता है।

सेल, सेल और एनएसपीसीएल के बीच हुए समझौते की शर्तों के तहत एनएसपीसीएल से बिजली खरीदता है।

1 अप्रैल, 2024 से वित्त वर्ष 2025–26 में होने वाली एजीएम तक उपरोक्त लेन–देन का कुल मूल्य 9,000 करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है। ये लेन–देन न केवल सेल को विनिर्माण कार्यों को सुचारू रूप से प्रबंधित करने में मदद करेंगे, बल्कि निर्बाध संचालन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए बिजली की निरंतर आपूर्ति भी सुनिश्चित करेंगे।

प्रबंधन ने प्रस्तावित आरपीटी के प्रासंगिक विवरण, जैसा कि कानून के तहत आवश्यक है, लेखा परीक्षा समिति को महत्वपूर्ण शर्तों और मूल्य निर्धारण के आधार सहित प्रदान किए हैं। लेखा परीक्षा समिति ने सभी आवश्यक सूचनाओं की समीक्षा करने के बाद, सेल के साथ उपर्युक्त आरपीटी में प्रवेश करने की मंजूरी दे दी है। समिति ने नोट किया है कि उक्त लेन–देन आर्म्स लेंथ के आधार पर और कंपनी के सामान्य व्यवसाय के क्रम में होंगे।

तदनुसार, लेखा परीक्षा समिति के अनुमोदन के आधार पर, निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 8 में निहित प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड के साथ प्रस्तावित लेनदेन का विवरण, जो कंपनी का एक संबंधित पक्ष है, इस प्रकार है:

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2021/662 दिनांक 22 नवंबर, 2021 सीएमडी1/सीआईआर/पी/2021/662 दिनांक 22 नवंबर, 2021 के अनुसार सूचना।

क्रम संख्या	विवरण	ब्यौरा
1	संबंधित पक्ष का नाम और सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी के साथ उसका संबंध, जिसमें उसकी चिंता या हित (वित्तीय या अन्यथा) की प्रकृति भी शामिल है।	एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड एक संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें सेल की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है
2	प्रस्तावित लेनदेन का प्रकार, महत्वपूर्ण शर्तें और विवरण।	जैसा कि ऊपर बताया गया है। किए जाने वाले सभी लेन–देन एक दूसरे से आर्म्स लेंथ के आधार पर हैं
3	प्रस्तावित लेनदेन की अवधि।	आवर्ती प्रकृति और अनुमोदन 1 अप्रैल, 2024 से वित्त वर्ष 2025–26 में होने वाली वार्षिक आम बैठक तक है।
4	प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य	जैसा कि ऊपर बताया गया है
5	वित्तीय वर्ष 2023–24 को तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष मानते हुए वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत।	8.61%
6	आरपीटी सेल के हित में क्यों है, इसका औचित्य बताएं।	यह व्यवस्था कंपनी के लिए व्यावसायिक रूप से लाभदायक है।
7	सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर–कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन का विवरण: (i) प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में निधियों के स्रोत का विवरण। (ii) जहां ऋण, अंतर–कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश करने या देने के लिए कोई वित्तीय ऋण लिया जाता है - ऋण की प्रकृति - निधियों की लागत; और - अवधि (iii) लागू शर्तें, जिनमें अनुबंध, अवधि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची शामिल हैं, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति। (iv) वह उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार ऐसे फंडों के अंतिम लाभार्थी द्वारा फंड का उपयोग किया जाएगा।	लागू नहीं है
8	यह कथन कि प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा जिस मूल्यांकन या अन्य बाह्य रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है, यदि कोई हो, तो उसे शेयरधारक के पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।	लागू नहीं है
9	कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक हो सकती है।	सभी महत्वपूर्ण जानकारियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, इस नोटिस का हिस्सा बनने वाले भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाले बयान का हिस्सा है।



आर्म्स लेंथ प्राइसिंग

इस प्रस्ताव में उल्लिखित संबंधित पक्ष लेन–देन/अनुबंध/व्यवस्था आर्म्स लेंथ परीक्षण मानदंडों को पूरा करते हैं। संबंधित पक्ष लेन–देन/अनुबंध/व्यवस्था भी व्यवसाय के सामान्य क्रम के तहत अनुबंध के रूप में योग्य है।

1 अप्रैल, 2024 से वित्त वर्ष 2025–26 में होने वाली एजीएम तक कुल मिलाकर 9,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होने वाले पावर खरीद अनुबंध के आधार पर आरपीटी दर्ज किए जाएंगे।

कंपनी के किसी भी निदेशक और/या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और/या उनके संबंधित रिश्तेदार सीधे या परोक्ष रूप से, कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, नोटिस की मद संख्या 8 में उल्लिखित प्रस्ताव से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं, निम्नलिखित को छोड़कर:

श्री एम. बी. बालाकृष्णन, ईडी (एफ एंड ए) और कंपनी सचिव, सेल, एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में गैर–कार्यकारी नामित निदेशक हैं।

बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन हेतु नोटिस में मद संख्या 8 में दिए गए प्रासंगिक साधारण प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

मद संख्या 9

लेन-देन की पृष्ठभूमि, विवरण और लाभ

बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बीपीएससीएल) सेल और दामोदर वैली कॉरपोरेशन का 50:50 संयुक्त उद्यम है। बीपीएससीएल झारखंड के बोकारो में 338 मेगावाट क्षमता का कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र का मालिक है और सेल के बोकारो स्टील प्लांट को बिजली और भाप की आपूर्ति करता है। बीपीएससीएल बोकारो स्टील प्लांट की आपातकालीन बिजली आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। सेल अपने बोकारो स्टील प्लांट से अधिशेष उपोत्पाद गैसों की आपूर्ति बीपीएससीएल को करता है। सेल साझा सुविधा समझौते की शर्तों के तहत बीपीएससीएल को जल भी प्रदान करता है। सेल ने बीपीएससीएल को पट्टे के आधार पर भूमि उपलब्ध कराई है। सेल और बीपीएससीएल के बीच हुए बिजली खरीद समझौते की शर्तों के तहत सेल बीपीएससीएल से बिजली और भाप खरीदता है। सेल बीपीएससीएल को स्टोर और स्पेयर सपोर्ट भी प्रदान करता है।

1 अप्रैल, 2024 से वित्त वर्ष 2025–26 में होने वाली वार्षिक आम बैठक तक किए जाने वाले उपरोक्त लेन–देन का कुल मूल्य ₹ 4,500 करोड़ तक होने का अनुमान है। इन लेन–देन से सेल को न केवल विनिर्माण कार्यों को सुचारू रूप से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी, बल्कि निर्बाध संचालन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए बिजली और भाप की निरंतर आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी।

प्रबंधन ने प्रस्तावित आरपीटी के प्रासंगिक विवरण, जैसा कि कानून के तहत आवश्यक है, लेखा परीक्षा समिति को सामग्री शर्तों और मूल्य निर्धारण के आधार सहित प्रदान किए हैं। लेखा परीक्षा समिति ने सभी आवश्यक सूचनाओं की समीक्षा करने के बाद सेल के साथ उपर्युक्त आरपीटी में प्रवेश करने की मंजूरी दे दी है। समिति ने नोट किया है कि उक्त लेन–देन एक निश्चित सीमा तक और कंपनी के सामान्य व्यवसाय के क्रम में होंगे।

तदनुसार, लेखा परीक्षा समिति के अनुमोदन के आधार पर, निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए नोटिस के आइटम नंबर 9 में निहित प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

कंपनी की संबंधित पार्टी होने के नाते बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रस्तावित लेनदेन का विवरण इस प्रकार है:

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2021/662 दिनांक 22 नवंबर, 2021 के अनुसार जानकारी

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1	संबंधित पक्ष का नाम और सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी के साथ उसका संबंध, जिसमें उसकी चिंता या हित (वित्तीय या अन्यथा) की प्रकृति भी शामिल है।	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड एक संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें सेल की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है
2	प्रस्तावित लेनदेन का प्रकार, महत्वपूर्ण शर्तें और विवरण।	जैसा कि ऊपर बताया गया है। किए जाने वाले सभी लेन–देन एक दूसरे से आर्म्स लेंथ के आधार पर हैं
3	प्रस्तावित लेनदेन की अवधि।	आवर्ती प्रकृति और अनुमोदन 1 अप्रैल, 2024 से वित्त वर्ष 2025–26 में होने वाली वार्षिक आम बैठक तक है।
4	प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य।	जैसा कि ऊपर बताया गया है
5	वित्तीय वर्ष 2023–24 को तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष मानते हुए वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत।	4.30%
6	आरपीटी सेल के हित में क्यों है, इसका औचित्य बताएं।	व्यवस्था व्यावसायिक दृष्टि से लाभप्रद है
7	सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर–कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन का विवरण: (i) प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में निधियों के स्रोत का विवरण। (ii) जहां ऋण, अंतर–कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश करने या देने के लिए कोई वित्तीय ऋण लिया जाता है - ऋण की प्रकृति; - निधियों की लागत; और - अवधि (iii))लागू शर्तें, जिनमें अनुबंध, अवधि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची शामिल हैं, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति। (iv) वह उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार ऐसे फंडों के अंतिम लाभार्थी द्वारा फंड का उपयोग किया जाएगा।	लागू नहीं है
8	यह कथन कि प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा जिस मूल्यांकन या अन्य बाह्य रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है, यदि कोई हो, तो उसे शेयरधारक के पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।	लागू नहीं है
9	कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक हो सकती है	सभी महत्वपूर्ण जानकारियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, इस नोटिस का हिस्सा बनने वाले भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाले बयान का हिस्सा है।

आर्म्स लेंथ प्राइसिंग

इस प्रस्ताव में उल्लिखित संबंधित पक्ष लेन–देन/अनुबंध/व्यवस्था आर्म्स लेंथ परीक्षण मानदंडों को पूरा करते हैं। संबंधित पक्ष लेन–देन/अनुबंध/व्यवस्था भी व्यवसाय के सामान्य क्रम के तहत अनुबंध के रूप में योग्य है।

1 अप्रैल, 2024 से वित्त वर्ष 2025–26 में होने वाली एजीएम तक कुल मिलाकर 4,500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होने वाले पावर खरीद अनुबंध के आधार पर आरपीटी दर्ज किए जाएंगे।

कंपनी के किसी भी निदेशक और/या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और/या उनके संबंधित रिश्तेदार सीधे या परोक्ष रूप से, कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, नोटिस की मद संख्या 9 में उल्लिखित प्रस्ताव से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं, निम्नलिखित को छोड़कर:

श्री बी के तिवारी, निदेशक, (प्रभारी बीएसएल), सेल बोकारो पॉवर सप्लाई कंपनी लिमिटेड गैर कार्यकारी नामित निदेशक है।

बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन हेतु नोटिस में मद संख्या 9 में दिए गए प्रासंगिक साधारण प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

मद संख्या 10

लेन-देन की पृष्ठभूमि, विवरण और लाभ

मिनास डी बंगा लिमिटेडा (मोजांबिक) (एमबीएल) इंटरनैशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल) (सेल, आरआईएनएल, एनएमडीसी, सीआईएल और एनटीपीसी का एक संयुक्त उद्यम) का एक विदेशी संयुक्त उद्यम है और परिणामस्वरूप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की एक संबंधित पार्टी है। एमबीएल मोजाम्बिक में स्थित है और भारत में कोकिंग कोल के उत्पादन और आपूर्ति के व्यवसाय में लगी हुई है। सेल की आईसीवीएल में 47.82 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

सेल को इस्पात उत्पादन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपने ब्लास्ट फर्नेस के लिए कोकिंग कोल की आवश्यकता होती है। एमबीएल अपनी इस्पात उत्पादक प्रमोटर कंपनियों की कैप्टिव खपत के लिए कोकिंग कोल का उत्पादन और आपूर्ति करती है। सेल ने वार्षिक आधार पर कोकिंग कोल की मात्रा की आपूर्ति के लिए एमबीएल के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध किया है। सेल समूह की कंपनियों का हिस्सा होने के नाते आईसीवीएल और एमबीएल न केवल दोनों कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन में मदद करते हैं, बल्कि बिना किसी रुकावट के वांछित गुणवत्ता और मात्रा में कोकिंग कोल का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करते हैं और दोनों कंपनियों के लिए अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजस्व और व्यवसाय का सृजन करते हैं।

1 अप्रैल, 2024 से वित्त वर्ष 2025–26 में होने वाली एजीएम तक उपरोक्त लेनदेन का कुल मूल्य ₹ 6,000 करोड़ तक होने का अनुमान है। इन लेन–देन से न केवल सेल को विनिर्माण कार्यों को सुचारू रूप से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी, बल्कि निर्बाध संचालन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए प्राइम क्वालिटी वाश्ड बेंगा प्रीमियम हार्ड कोकिंग कोल (आकार: 5–50 मिमी) की वांछित गुणवत्ता और मात्रा का निरंतर प्रवाह भी सुनिश्चित होगा।

प्रबंधन ने प्रस्तावित आरपीटी के प्रासंगिक विवरण, जैसा कि कानून के तहत आवश्यक है, भौतिक शर्तों और मूल्य निर्धारण के आधार सहित लेखा परीक्षा समिति को प्रदान किया है। लेखा परीक्षा समिति ने सभी आवश्यक सूचनाओं की समीक्षा करने के बाद सेल के साथ उपर्युक्त आरपीटी में प्रवेश करने की मंजूरी दे दी है। समिति ने नोट किया है कि उक्त लेन–देन एक दूरी के आधार पर और कंपनी के सामान्य व्यवसाय के क्रम में होंगे।

तदनुसार, लेखा परीक्षा समिति के अनुमोदन के आधार पर, निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए नोटिस के आइटम नंबर 10 में निहित प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

कंपनी की एक संबंधित पार्टी मिनास डी बंगा लिमिटेडा (मोजांबिक), (आईसीवीएल की एक संबंधित पार्टी) के साथ प्रस्तावित लेनदेन का विवरण इस प्रकार है:

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2021/662 दिनांक 22 नवंबर, 2021 के अनुसार जानकारी

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1	संबंधित पक्ष का नाम और सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी के साथ उसका संबंध, जिसमें उसकी चिंता या हित (वित्तीय या अन्यथा) की प्रकृति भी शामिल है।	मिनास डी बंगा लिमिटेडा (मोजांबिक) (एमबीएल) इंटरनैशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल) (सेल, आरआईएनएल, एनएमडीसी, सीआईएल और एनटीपीसी का एक संयुक्त उद्यम) का एक विदेशी संयुक्त उद्यम है और परिणामस्वरूप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की एक संबंधित पार्टी है। सेल की आईसीवीएल में 47.82 प्रतिशत हिस्सेदारी है
2	प्रस्तावित लेनदेन का प्रकार, महत्वपूर्ण शर्तें और विवरण।	जैसा कि ऊपर बताया गया है। किए जाने वाले सभी लेन–देन एक दूसरे से आर्म्स लेंथ के आधार पर हैं
3	प्रस्तावित लेनदेन की अवधि	आवर्ती प्रकृति और अनुमोदन 1 अप्रैल, 2024 से वित्त वर्ष 2025–26 में होने वाली वार्षिक आम बैठक तक है।
4	प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य	जैसा कि ऊपर बताया गया है
5	वित्तीय वर्ष 2023–24 को तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष मानते हुए वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत।	5.74%
6	आरपीटी सेल के हित में क्यों है, इसका औचित्य बताएं।	व्यवस्था कम्पनी के लिए वाणिज्यीक रूप से लाभकारी है
7	सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर–कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन का विवरण: (i) प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में निधियों के स्रोत का विवरण। (ii) जहां ऋण, अंतर– कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश करने या देने के लिए कोई वित्तीय ऋण लिया जाता है - ऋण की प्रकृति; - निधियों की लागत; और - अवधि (iii) लागू शर्तें, जिनमें अनुबंध, अवधि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची शामिल हैं, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति।	लागू नहीं है



क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
	(iv) वह उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार ऐसे फंडों के अंतिम लाभार्थी द्वारा फंड का उपयोग किया जाएगा।	
8	यह कथन कि प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा जिस मूल्यांकन या अन्य बाह्य रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है, यदि कोई हो, तो उसे शेयरधारक के पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।	लागू नहीं है
9	कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक हो सकती है	सभी महत्वपूर्ण जानकारियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, इस नोटिस का हिस्सा बनने वाले भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाले बयान का हिस्सा है।

आर्म्स लेंथ प्राइसिंग

इस प्रस्ताव में उल्लिखित संबंधित पक्ष लेन–देन/अनुबंध/व्यवस्था आर्म्स लेंथ परीक्षण मानदंडों को पूरा करते हैं। संबंधित पक्ष लेन–देन/अनुबंध/व्यवस्था भी व्यवसाय के सामान्य क्रम के तहत अनुबंध के रूप में योग्य है।

आरपीटी को संबंधित सामग्री और सेवा के बाजार मूल्य के आधार पर दर्ज किया जाएगा, जो 1 अप्रैल, 2024 से वित्त वर्ष 2025–26 में होने वाली वार्षिक आम बैठक तक कुल मिलाकर 6,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। जहां बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, वहां स्वतंत्र परामर्श फर्म के एकमात्र विवेक पर लागू वास्तविक लागत या लागत जमा मार्क–अप की प्रतिपूर्ति सहित वैकल्पिक विधि को आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण मानदंडों के अनुसार माना गया है।

कंपनी के किसी भी निदेशक और/या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और/या उनके संबंधित रिश्तेदार सीधे या परोक्ष रूप से, कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, नोटिस की मद संख्या 10 में उल्लिखित प्रस्ताव से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं, निम्नलिखित को छोड़कर:

श्री अमरेंदु प्रकाश, अध्यक्ष, आईसीवीएल के गैर–कार्यकारी अध्यक्ष हैं और श्री अनिल कुमार तुल्सीआनी, निदेशक (वित्त) और श्री अनिर्बान दासगुप्ता, निदेशक (प्रभारी–भिलाई इस्पात संयंत्र) आईसीवीएल के बोर्ड में गैर–कार्यकारी नामित निदेशक हैं।

बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस में मद संख्या 10 में निर्धारित प्रासंगिक साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

मद संख्या 11

कंपनी के निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर मेसर्स शोम एंड बनर्जी, नई दिल्ली, (राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और इस्को स्टील प्लांट के लिए), मैसर्स निरन एंड कंपनी, भुवनेश्वर (भिलाई स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट के लिए) और मेसर्स नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी, (अलॉय स्टील्स प्लांट, सेलम स्टील प्लांट और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए) को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया और उसे मंजूरी दी है। इन्हें 11,70,000/– रुपये का पारिश्रमिक और लागू कर तथा दैनिक भत्ते, यात्रा व्यय और जेब से किए जाने वाले खर्चों की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इसके अलावा, क्रमशः ₹ 30,000/– और ₹ 12,000/–, और लागू कर, समेकन और दाखिल करने के लिए एक्सबीआरएल रूपांतरण और कंपनी की समेकित लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने के लिए लीड कॉस्ट ऑडिटर को भुगतान किया जाना है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के साथ पठित कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक को बाद में कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, नोटिस के मद संख्या 11 में निर्धारित लागत लेखा परीक्षकों की फीस के अनुसमर्थन के लिए प्रस्ताव शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

बोर्ड आपके अनुमोदन के लिए साधारण प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक और/या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और/या उनके रिश्तेदारों को इस प्रस्ताव से कोई सरोकार या रुचि नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(एम.बी. बालाकृष्णन)
कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) एवं कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 3 सितंबर, 2024

पंजीकृत कार्यालय:
इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
सीआईएन: L27109DL1973GOI006454

सेबी विनियमों के अनुसार पुनर्नियुक्ति/वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरण:

निदेशक का नाम	श्री वृजेंद्र प्रताप सिंह	श्री अनिल कुमार तुल्सीआनी	श्री बिरेंद्र कुमार तिवारी
डीआईएन	08665585	08742907	09699855
जन्म तिथि	1 मार्च, 1968	6 मार्च, 1965	18 अगस्त, 1965
नियुक्ति की तिथि	19 अप्रैल, 2022	20 जून, 2022	20 अप्रैल, 2024
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	संचालन, खनन और खनिज	बजट; फंड प्रबंधन; प्रोजेक्ट फाइनेंस; अकाउंट्स	कोक ओवन; संचालन; कोलियरी।
योग्यताएँ	बी.टेक. (खनन इंजीनियरिंग)	बी.कॉम; सीएमए; एमबीए (वित्त)	बीएससी, इंजीनियरिंग (धातुकर्म)
उन कंपनियों की सूची जिनमें बाहरी निदेशक का पद है।	शून्य	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्रा. लिमिटेड	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड
उन कंपनियों के बोर्ड की समितियों के अध्यक्ष/सदस्य जिनमें वे निदेशक हैं।	सदस्य: रणनीतिक मुद्दे और संयुक्त उद्यम समिति	सदस्य: सीएसआर समिति; रणनीतिक मुद्दे और संयुक्त उद्यम समिति; परियोजना समिति; हितधारक संबंध समिति; शेयर हस्तांतरण समिति; परिचालन मुद्दों पर समिति; जोखिम प्रबंधन समिति	सदस्य: परियोजना समिति; स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण समिति
निदेशकों के बीच आपसी संबंध	शून्य	शून्य	शून्य
पिछले तीन वर्षों में जिन सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे त्याग पत्र दिया गया है	शून्य	शून्य	शून्य
सेल में रखे गए शेयरों की संख्या	शून्य	शून्य	200



बैंक विवरण, पैन, ईमेल आईडी आदि भेजने का प्रारूप

सेवा में
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड
युनिट: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
एफ–65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1
नई दिल्ली - 110020

प्रिय महोदय,

मैं/हम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के इक्विटी शेयरों के लिए सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में लाभांश का भुगतान करने या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अन्य संचार भेजने के लिए आपके रिकॉर्ड में निम्नलिखित विवरण को अपडेट करने के लिए अपनी/हमारी सहमति देते हैं।

फोलियो नं.: .....

प्रथम/एकल धारक का नाम .....

बैंक का नाम: .....

शाखा का नाम और पता: .....

.....

खाता संख्या: .....

खाते का प्रकार (बचत/चालू खाता): .....

आईएफएससी कोड: .....

एमआईसीआर कोड: .....

ईमेल आईडी: .....

फोन नं.: .....

विवरण	शेयरधारक का नाम	पैन
प्रथम/एकल शेयरधारक		
प्रथम संयुक्त शेयरधारक		
द्वितीय संयुक्त शेयरधारक		

_____ _____ _____

प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर | प्रथम संयुक्त शेयरधारक के हस्ताक्षर | द्वितीय संयुक्त शेयरधारक के हस्ताक्षर

दिनांक : _____

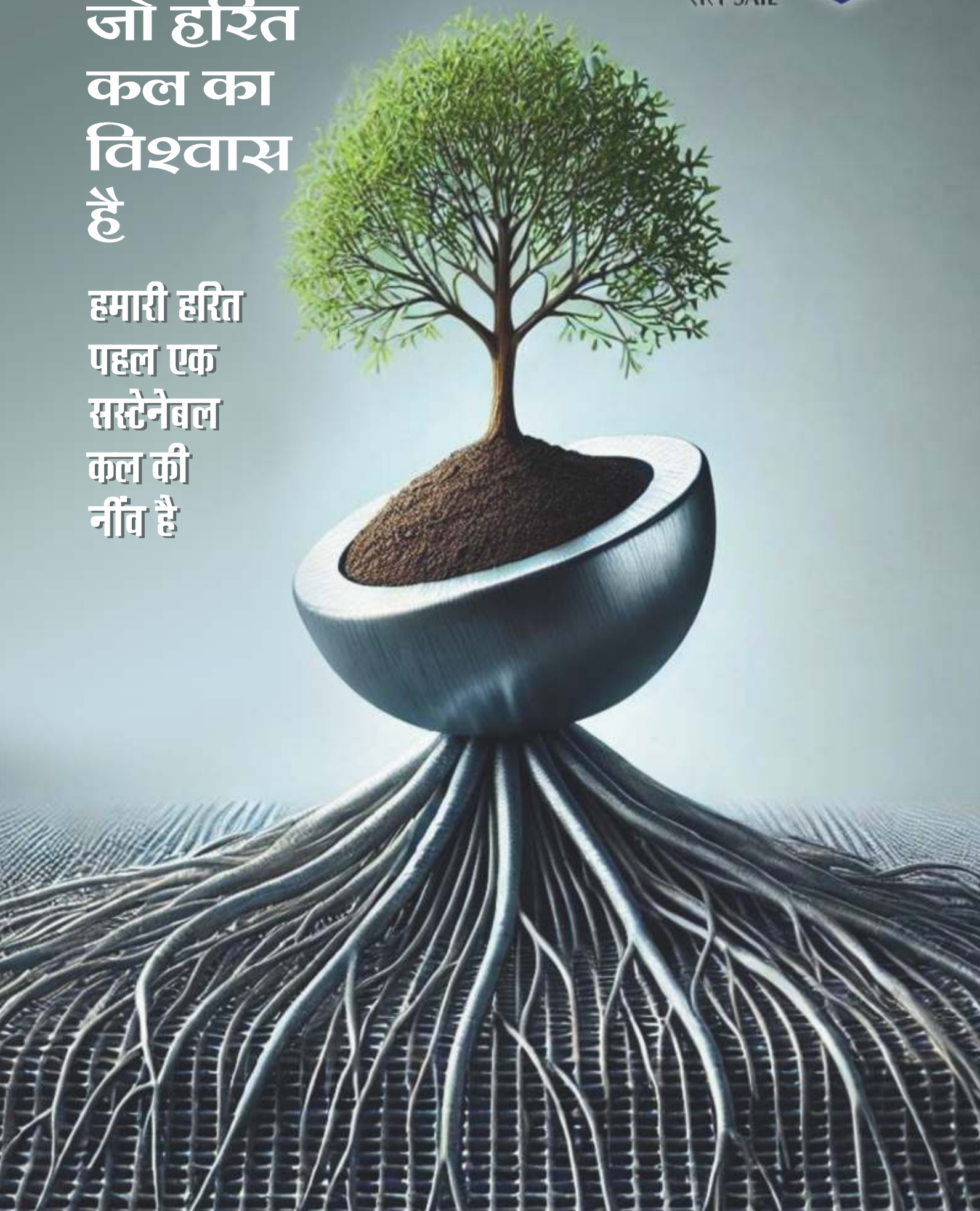
स्थान: _____

संलग्न: मूल रद्द किया गया चेक लीफलेट या बैंक पासबुक की सत्यापित प्रति जिसमें खाताधारक का नाम दर्शाया गया हो तथा पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति।

सेल

इस्पात जो हरित कल का विश्वास है

हमारी हरित पहल एक सस्टेनेबल कल की नींव है



स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड


भारत सरकार का उपक्रम


महारत्न सीपीएसई


5 एकीकृत इस्पात संयंत्र


3 विशेष इस्पात संयंत्र


कैप्टिव माइंस


50 से अधिक उत्पाद
500 से अधिक ग्रेड
5000 से अधिक आयाम


क्षेत्रीय कार्यालय
शाखा बिक्री कार्यालय


मल्टी लोकेशन वेयरहाउस


पैन इंडिया रिटेल डीलर नेटवर्क


पैन इंडिया वितरक


अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग


अनुसंधान एवं विकास

हमारे अनेक उत्पादों में से कुछ


प्लेट्स


समानांतर फलेंज बीम्स


एंग्लस


चैनल्स


वायर रोड


टीएमटी बार्स


रेल उत्पाद


एचआर/सीआर कॉयल्स एवं शीट्स


जीपी/जीसी कॉयल्स एवं शीट्स


विद्युत इस्पात


स्टेनलैस स्टील एवं दूसरे अलाय स्टील्स


पाइप्स

बहुतों में से कुछ प्रमुख क्षेत्र हम पूरा करते हैं


निर्माण


रेल


ऑटोमोबाइल


घरेलू सामान


ड्रम एवं बैरल


रक्षा


कृषि


वायर ड्राइंग


तेल एवं ऊर्जा


पूर्व–निर्मित


इंजीनियरिंग


विद्युत उपकरण


संरचना


अंतरिक्ष



"सारथी" से पूछे

आपकी स्टील की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए सेल का एआई संचालित चैटबॉट आपकी सहायता करने के लिए तैयार है आज ही www.sail.co.in पर चैट करना प्रारंभ करें



स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

www.sail.co.in

हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

Contad